

सकारात्मक उत्तरदायी सक्षम

भारतीय स्टेट बैंक
वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिवर्तनकारी

संबद्ध

अभिनव

समावेशी

सामाजिक

संवहनीय



सकारात्मक

एसबीआई में ग्राहक-केंद्रितता सर्वोपरि है और हम अपने ग्राहकों की बदलती वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय और लचीला दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम बाजार की अपेक्षाओं पर नजर बनाए रखते हुए, निर्बाध और बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और नए समाधानों का उपयोग करते हैं। हम उत्तरदायी ग्राहक सेवा, मल्टी-चैनल पहुंच और अनुकूलित समाधान प्रदान कर अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने की आकांक्षा रखते हैं।



उत्तरदायी

हम कॉर्पोरेट अभिशासन और सत्यनिष्ठा के साथ काम करते हुए सदाचार और खुलेपन के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। जोखिम को सीमित करने और अपने हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए हम विनियमों और जिम्मेदार उधार प्रथाओं का पालन करते हैं। इसके अलावा, हम सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों को प्रायोजित करके पर्यावरणीय दायित्वों को बढ़ावा देते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देकर समुदायों को मजबूत करती है।



सक्षम

हम चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प रहे हैं जिसे सुदृढ़ फ्रेमवर्क द्वारा मजबूती प्रदान की गई है और जो संचालन में लचीलापन सुनिश्चित करता है। बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए हमारा पूंजी आधार मजबूत है। हम जोखिम प्रबंधन कार्य पद्धतियों का पालन करते हैं और हमारा व्यापार पोर्टफोलियो विविधतापूर्ण है। डिजिटल परिवर्तन पर हमारा कार्यनीतिक फोकस हमें बदलते परिदृश्य के अनुसार खुद को बदलने, निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

विषय वस्तु

कंपनी के बारे में

एसबीआई की उपलब्धिपूर्ण यात्रा	2
उत्पाद एवं सेवाएं	4
वित्तीय प्रदर्शन	6
रेटिंग्स	7
पुरस्कार एवं सम्मान	8
पहुंच	10
अध्यक्ष का संदेश	12

उत्तरदायी दृष्टिकोण

पर्यावरण	20
ग्राहक	22
मानव संसाधन	24
समुदाय	26
अभिशासन	
केंद्रीय निदेशक बोर्ड	28
बोर्ड की समितियां	30
केंद्रीय प्रबंधन समितियों के सदस्य	31
स्थानीय बोर्डों के सदस्य	32
बैंक के लेखा-परीक्षक	33
समूह संरचना	34

सांविधिक रिपोर्टें

निदेशकों की रिपोर्ट	38
कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट	104
व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट	139

वित्तीय विवरण

एकल	140
समेकित	228
पिलर-3 प्रकटीकरण (समेकित)	290
नोटिस	328
हरित पहल	336



डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

https://bank.sbi/documents/17826/35696/Annual_Report_2023.pdf

हमारा प्रदर्शन, विव.2023

वित्तीय

कुल आस्तियां

₹55,16,979 करोड़

↑ 10.61%

निवल ब्याज आय (एनआईआई)

₹1,44,841 करोड़

↑ 19.99%

जमा राशियां

₹44,23,778 करोड़

↑ 9.19%

शुल्क आय

₹26,245 करोड़

↑ 6.84%

अग्रिम

₹32,69,242 करोड़

↑ 15.99%

कर पश्चात लाभ (पीएटी)

₹50,232 करोड़

↑ 58.58%

↑ वर्षानुवर्ष वृद्धि

गैर वित्तीय

योनो में कुल पंजीकृत
उपयोगकर्ता

6.07+ करोड़

कुल कर्मचारी

2,35,858

प्रति दिन खोले गए डिजिटल
बचत खातों की संख्या

~23,000

सीएसआर व्यय

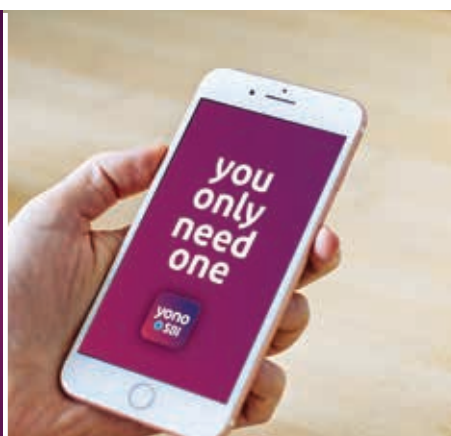
₹316.76 करोड़

प्रति दिन बिना कार्ड नकद
निकासी

1.07 लाख

कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी

26.78%



एसबीआई की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

दो दशकों से अधिक से बैंकिंग को नया आयाम देते हुए

पिछले 200 वर्षों से अधिक के दौरान हम देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में एसबीआई की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम रहे हैं। हम अपने सभी ग्राहक क्षेत्रों के लिए विभिन्न उद्योगोन्मुख उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत कर भारत में बैंकिंग परिदृश्य को सफलतापूर्वक नया आयाम देने में सफल रहे हैं। हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने अपने व्यवसाय को विविधतापूर्ण बनाया है और भारतीय जनमानस के लिए बैंकिंग का पसंदीदा विकल्प बने रहने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है। भविष्य में भी हम जिम्मेदार और स्थायी बैंकिंग समाधानों के माध्यम से बैंकिंग को नए आयाम देना जारी रखेंगे।

हम भारत के सबसे बड़े बैंक हैं

हमारे 48+ करोड़ ग्राहक हैं

हमारे डिजिटल एप्लिकेशन - योनो के 6.07+ करोड़ उपयोगकर्ता हैं



लक्ष्य

अग्रसर भारत का सर्वप्रिय बैंक बनना



ध्येय

सरल, उत्तरदायी और अभिनव वित्तीय समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध

मूल्य



सेवा



पारदर्शिता



सदाचार



शिष्टता



निरंतरता

प्रगति के पथ पर*

22,405

कुल शाखाएं

65,627

एटीएम एवं एडीडब्ल्यूएम

76,089

सीएसपी

22.99%

जमाओं में बाजार हिस्सेदारी

19.68%

अग्रिमों में बाजार हिस्सेदारी

* 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार

29.90%

एटीएम में बाजार हिस्सेदारी

26.25%

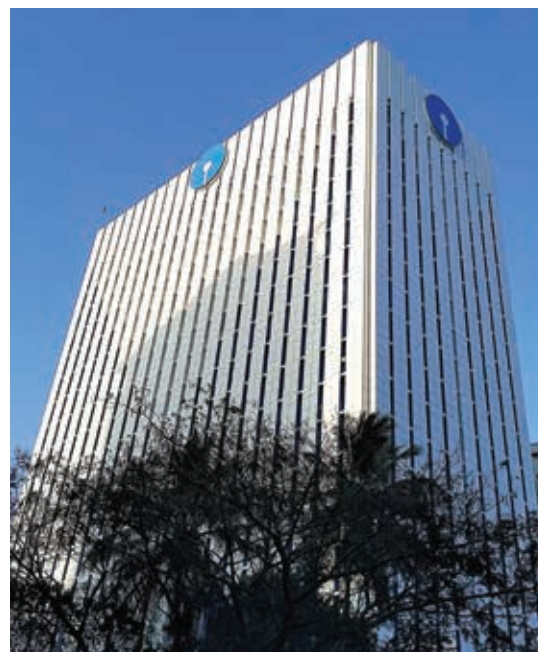
डेबिट कार्ड खर्च में बाजार हिस्सेदारी

26%

धन-प्रेषण में बाजार हिस्सेदारी

20.89%

मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के मूल्य के अनुसार बाजार हिस्सेदारी



ईएसजी की प्रमुख बातें

23,679.55 mw

नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो की क्षमता

US\$ 1 बिलियन

लैंडमार्क सिंडिकेटेड सोशल लोन

₹36,243 करोड़

मंजूर नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं का मूल्य

B

2022 में कार्बन प्रकटीकरण परियोजना रेटिंग

46

ईवी चार्जर स्थापित

32

ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन

8.34+ लाख

वित्त वर्ष 2023 में लगाए गए पेड़

5,190

दिव्यांग कर्मचारी

~54 लाख

सीएसआर लाभार्थी

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो

एसबीआई में हमारा ध्यान हमेशा यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि हम अपने सभी ग्राहक खंडों के लिए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करें। हमारी विभिन्न शाखाओं, आउटलेट्स, संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से हम अपने सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।

वैयक्तिक बैंकिंग

PG 41 ▶

हम ऋण उत्पादों विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से वेतन पैकेज, डिजिटल ऋण पेशकशों, एनआरआई व्यवसाय और धन प्रबंधन सेवाओं आदि की एकीकृत व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

प्रमुख उपलब्धियां:

- रियल एस्टेट पोर्टफोलियो 6.41 ट्रिलियन रुपए है।
- हाई वैल्यू कार लोन सेगमेंट में सालाना आधार पर 160% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष के दौरान 1,13,793 छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया।
- पर्सनल लोन पोर्टफोलियो रुपए 3,49,988 करोड़ पहुंचा।

#1

भारत में गृह ऋण प्रदाता

#1

भारत में शिक्षा ऋण प्रदाता

#1

भारत में वैयक्तिक ऋण प्रदाता

ग्रामीण बैंकिंग

PG 51 ▶

हम वित्तीय समावेशन सूक्ष्म ऋण और कृषि व्यवसाय के लिए अपने उत्पादों से भारत के ग्रामीण नागरिकों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

- कृषि कार्यकलापों के लिए ऋण 2,58,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ।
- एसएचजी ऋण पोर्टफोलियो 34,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ।
- हमारे 152 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से 99,438 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

#1

भारत में कृषि कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदाता

#1

भारत में एसएचजी ऋणों में बाजार हिस्सेदारी

152

भारतभर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

PG 57 ▶

हम भारत में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के अग्रदूत हैं। हमारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग विदेशों में स्थिति बैंकिंग अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के माध्यम से उद्योग परिदृश्य को बदलने में एक सुसंगत योगदानकर्ता है।

- अमेरिका में तीन फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सिंडिकेटेड लोन सुविधा में लीड अरेंजर के रूप में कार्य किया।
- ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, न्यूयॉर्क द्वारा लगातार ग्यारहवें वर्ष 'द बेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइडर (इंडिया)-2023' के रूप में सम्मानित।

1st

वैश्विक स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाला भारतीय बैंक

\$1+ बिलियन

विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियों से जुटाए गए संसाधन

\$12.81 बिलियन

भारत संबद्ध कॉर्पोरेट्स को विदेशी मुद्रा में संस्वीकृत ऋणों का मूल्य

एसएमई बैंकिंग

PG 49 ▶

हम देश में एसएमई वित्तपोषण के बाजार अग्रणी हैं। हम अपने एसएमई ग्राहकों को उच्च कोटि की ग्राहक सेवा के साथ सरल और नवोन्मेषी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराते हैं।

- एसएमई पोर्टफोलियो 3,59,270 करोड़
- 16 नए ई-डीएएस और 37 नए ई-वीएएस टाईअप
- 5 एनबीएफसी के साथ सह-उधारकर्ता समझौता

19 लाख

कुल एसएमई ग्राहक

833

विशेष एसएमई शाखाएं

2,000+

एसएमई के लिए विशिष्ट संबंध प्रबंधक (आरएम)

कॉर्पोरेट बैंकिंग

PG 55 ▶

हमारा कॉर्पोरेट लेखा समूह तथा वाणिज्यिक क्रेडिट समूह अपने ग्राहकों, विशेष रूप से देश के बड़े कॉर्पोरेट्स और नवरत्न पीएसयू को वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।

- निजी इक्विटी/वैकल्पिक निवेश फंड्स में रुपए 800 करोड़ का निवेश मंजूर
- ग्राहकों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एफएक्स-ऑल एवं ई-फॉरेक्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया

वन-स्टॉप समाधान

प्रमुख कॉर्पोरेट्स तथा उनकी विदेशी सहायक कंपनियों और अनुषंगियों को वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराए।

वित्तपोषण

बड़ी परियोजनाओं का, परियोजना वित्त और स्ट्रक्चरिंग एसबीयू के माध्यम से

₹9.80 लाख करोड़

कुल कॉर्पोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो

सरकारी बैंकिंग

PG 53 ▶

हम देश में सरकारी व्यवसाय के निर्विवाद बाजार अग्रणी हैं। भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए किए गए प्रयासों में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है और हमने केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए ई-समाधान उपलब्ध कराए हैं।

- 60,35,342 करोड़ का टर्नओवर
- ~43 लाख पेंशनरों को पेंशन का भुगतान
- वर्ष के दौरान 2.54 लाख नए पेंशन खाते जोड़े गए

#1

केंद्र सरकार व्यवसाय में बाजार हिस्सेदारी

26

केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग जिनके लिए हम अधिकृत बैंकर हैं

₹3,953 करोड़

कुल अर्जित कमीशन राशि

वित्तीय प्रदर्शन

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
देयताएं										
पूंजी (करोड़ ₹ में)	747	747	776	797	892	892	892	892	892	892
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (करोड़ ₹ में)	1,17,536	1,27,692	1,43,498	1,87,489	2,18,236	2,20,021	2,31,115	2,52,983	2,79,196	3,26,716
जमा राशियां (करोड़ ₹ में)	13,94,409	15,76,793	17,30,722	20,44,751	27,06,344	29,11,386	32,41,621	36,81,277	40,51,534	44,23,778
उधार (करोड़ ₹ में)	1,83,131	2,05,150	3,23,345	3,17,694	3,62,142	4,03,017	3,14,656	4,17,298	4,26,043	4,93,135
अन्य (करोड़ ₹ में)	96,927	1,37,698	1,59,276	1,55,235	1,67,138	1,45,597	1,63,110	1,81,980	2,29,932	2,72,457
कुल (करोड़ ₹ में)	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752	36,80,914	39,51,394	45,34,430	49,87,597	55,16,979
आस्तियां										
निवेश (करोड़ ₹ में)	3,98,800	4,81,759	5,75,652	7,65,990	10,60,987	9,67,022	10,46,954	13,51,705	14,81,445	15,70,366
अग्रिम (करोड़ ₹ में)	12,09,829	13,00,026	14,63,700	15,71,078	19,34,880	21,85,877	23,25,290	24,49,498	27,33,967	31,99,269
अन्य आस्तियां (करोड़ ₹ में)	1,84,119	2,66,295	3,18,265	3,68,898	4,58,885	5,28,015	5,79,150	7,33,227	7,72,185	7,47,344
कुल (करोड़ ₹ में)	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752	36,80,914	39,51,394	45,34,430	49,87,597	55,16,979
निवल ब्याज आय (करोड़ ₹ में)	49,282	55,015	57,195	61,860	74,854	88,349	98,085	1,10,710	1,20,708	1,44,841
एनपीए के लिए प्रावधान (करोड़ ₹ में)	14,224	17,908	26,984	32,247	70,680	54,529	42,776	27,244	14,087	9,144
परिचालन परिणाम (करोड़ ₹ में)	32,109	39,537	43,258	50,848	59,511	55,436	68,133	71,554	75,292	83,713
कर-पूर्व निवल लाभ (करोड़ ₹ में)	16,174	19,314	13,774	14,855	-15,528	1,607	25,063	27,541	43,422	67,205
निवल लाभ (करोड़ ₹ में)	10,891	13,102	9,951	10,484	-6,547	862	14,488	20,410	31,676	50,232
औसत आस्तियों से आय (%)	0.65	0.68	0.46	0.41	-0.19	0.02	0.38	0.48	0.67	0.96
इक्विटी से आय (%)	10.49	11.17	7.74	7.25	-3.78	0.48	7.74	9.94	13.92	19.43
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	52.67	49.04	49.13	47.75	50.18	55.70	52.46	53.60	53.31	53.87
प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ ₹ में)	485	602	470	511	-243	33	578.98	828.35	1,292.72	2,122.64
प्रति शेयर अर्जन (₹)*	156.76	17.55	12.98	13.43	-7.67	0.97	16.23	22.87	35.49	56.29
प्रति शेयर लाभांश (₹)*	30	3.5	2.60	2.60	Nil	Nil	Nil	4.00	7.10	11.30
शेयर वेल्थ (एनएसइ में मूल्य) (₹)*	1,917.70	267.05	194.25	293.40	249.90	320.75	196.85	364.30	493.55	523.75
लाभांश भुगतान अनुपात % (₹)	20.56	20.21	20.28	20.11	NA	NA	NA	17.49	20.00	20.08
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बेसल II कुल पूंजी (करोड़ ₹ में)	1,45,845	1,54,491	1,81,800	2,06,685	2,34,056	2,41,073	2,66,596	3,01,980	3,34,829	
%	12.96	12.79	13.94	13.56	12.74	12.85	13.13	13.82	13.85	
टियर I पूंजी (करोड़ ₹ में)	1,12,333	1,22,025	1,35,757	1,56,506	1,84,146	1,94,655	2,17,477	2,44,421	2,69,708	
%	9.98	10.1	10.41	10.27	10.02	10.38	10.71	11.19	11.16	
टियर II पूंजी (करोड़ ₹ में)	33,512	32,466	46,043	50,179	49,910	46,418	49,119	57,559	65,121	
%	2.98	2.69	3.53	3.29	2.72	2.47	2.42	2.63	2.69	
बेसल III पूंजी (करोड़ ₹ में)	1,40,151	1,46,519	1,75,903	2,04,731	2,38,154	2,45,225	2,74,036	3,08,893	3,42,792	4,08,579
%	12.44	12	13.12	13.11	12.60	12.72	13.06	13.74	13.83	14.68
टियर I पूंजी (करोड़ ₹ में)	1,09,547	1,17,157	1,33,035	1,61,644	1,95,820	2,05,238	2,30,769	2,57,177	2,83,070	3,35,528
%	9.72	9.60	9.92	10.35	10.36	10.65	11.00	11.44	11.42	12.06
टियर II पूंजी (करोड़ ₹ में)	30,604	29,362	42,868	43,087	42,334	39,987	43,267	51,716	59,722	73,051
%	2.72	2.40	3.20	2.76	2.24	2.07	2.06	2.30	2.41	2.62
निवल अग्रिमों की तुलना में एनपीए (%)	2.57	2.12	3.81	3.71	5.73	3.01	2.23	1.50	1.02	0.67
देश में शाखाओं की संख्या	15,869	16,333	16,784	17,170	22,414	22,010	22,141	22,219	22,266	22,405
विदेश स्थित कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	190	191	198	195	206	208	233	229	227	235

* 22 नवंबर 2014 से बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को 10 रुपये प्रति शेयर से 1 रुपये प्रति शेयर किया गया। वर्ष 2014-15 से आंकड़े 1 रुपये प्रति शेयर और शेष पिछले वर्षों के लिए 10 रुपये प्रति शेयर हैं।

रेटिंग

	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	बीएए 3 / स्टेबल / पी-3	मूडीज़
	बीबीबी- / स्टेबल / ए-3	एस एंड पी
	बीबीबी- / स्टेबल / एफ-3	फ़िच रेटिंग्स
एटी 1 बॉन्ड	एए+ / स्टेबल	क्रिसिल
	एए+ / स्टेबल	आईसीआरए
	एए+ / स्टेबल	केयर
टियर II बॉन्ड	एएए / स्टेबल	केयर
	एएए / स्टेबल	आईसीआरए
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	एएए / स्टेबल	आईसीआरए
	एएए / स्टेबल	इंडिया रेटिंग्स

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड
 आईसीआरए : आईसीआरए लिमिटेड
 क्रिसिल : क्रिसिल लिमिटेड
 एस एंड पी : स्टैंडर्ड एंड पूअर

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार रेटिंग्स

पुरस्कार एवं सम्मान

हमारे प्रयासों की सम्मान

1



आईबीए 18 वां वार्षिक प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2022

2



पीएमएवाई-यू अवार्ड-2021: 150 डेज चैलेंज के तहत भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से सीएलएसएस के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक से सम्मानित

3



बीटी-केपीएमजी सर्वश्रेष्ठ बैंक और फिनटेक अवार्ड्स 2022 द्वारा स्पेशन जूरी अवार्ड फॉर कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित

4



भारत की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार-2022 से सम्मानित

5



N-SSCOM-DSCI उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 द्वारा “सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा जागरूकता” और “वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा संचालन केंद्र” पुरस्कार से सम्मानित किया गया

6



ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा “सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2022” से सम्मानित

7



ईटी बीएफएसआई बेस्ट ब्रांड 2022 और ईटी बीएफएसआई बेस्ट ब्रांड 2023

8



आईसीएआई द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, गोल्ड शील्ड, श्रेणी 1 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक



एसबीआई के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा को ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क से "बेस्ट बैंक अवार्ड 2022" प्राप्त हुआ।

9



एसबीआई को आईटी ह्यूमन कैपिटल अवार्ड्स समारोह में 3 गोल्ड पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

- एचआर लीडर ऑफ द ईयर - बड़े संगठन
- एक्सिलेंस इन बिजनेस कंटेन्यूटी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट
- मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉयर ड्यूरिंग कोविड-19

10



एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) द्वारा 5वें नेशनल समिट एंड अवार्ड्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट 2022 पर "इश्यूर ऑफ द ईयर - प्राइवेट प्लेसमेंट" पुरस्कार से सम्मानित किया गया

11



आईटी एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स: ज्ञानोदय - ई-लर्निंग और askSBI के लिए "बेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम" श्रेणी के तहत गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित और भूमिका आधारित प्रमाणन के लिए "हाई इंपेक्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम" श्रेणी के तहत सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

हमारे ग्राहकों की पहुंच में

हमारा मानना है कि आज के दौर में एक ऐसा संगठन बनना जरूरी है जो कार्यालयों और डिजिटल माध्यमों से सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हो। इसे ध्यान में रखते हुए हम न केवल शाखाओं के माध्यम से उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रहे हैं कि अपनी सेवाओं में विविधता लाएं और डिजिटल चैनलों के माध्यम से अधिकाधिक सेवाएं उपलब्ध कराएं।

हमारे ग्राहकों की पहुंच में

देश का सबसे बड़ा बैंक होने के कारण हमारा उद्देश्य देश भर में हमारी उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि करना और नए क्षेत्रों में प्रवेश करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सभी ग्राहकों तक हमारी सेवाएं पहुंचें। हमने सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, अपने शाखा नेटवर्क और एटीएम को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया है। यह रणनीति हमारे लिए बाजार में मजबूत पकड़ स्थापित करने और लंबे समय में हमारे व्यवसाय के लिए स्थायी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

अपनी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाना

हम मिलेनियल्स के इस डिजिटल युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित अभिनव प्रयास कर डिजिटल परिवर्तन में सबसे आगे हैं। हमारा बहु-चैनल डिलीवरी मॉडल - डिजिटल, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट, सोशल मीडिया और शाखाएं, ग्राहकों को किसी भी समय और स्थान पर लेनदेन करने का विकल्प प्रदान करता है। हमारा प्रमुख मोबाइल बैंकिंग और लाइफस्टाइल ऐप 'योनो' न केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि निवेश, बीमा और खरीदारी समाधान भी उपलब्ध कराता है।



12.54%

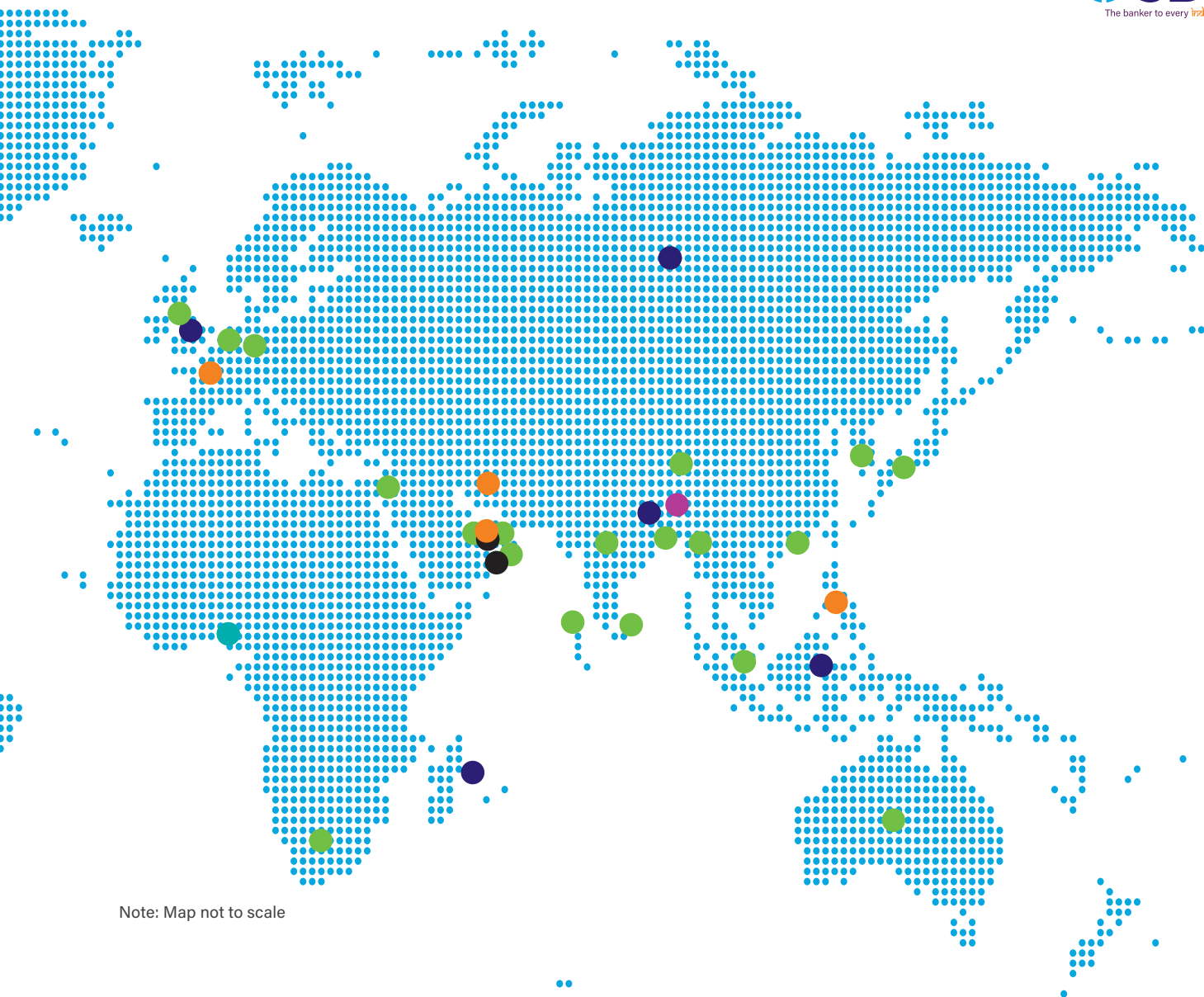
विव 2023 में बैंक के निवल लाभ में
विदेश स्थित शाखाओं का योगदान

6.07 करोड़
डिजिटल ग्राहक

1.03 करोड़
दैनिक लॉगिन

~45,000
प्रति दिन रजिस्ट्रेशन

~5,50,000
प्रति दिन औसत लेनदेन



Note: Map not to scale

सही मायनों में अंतरराष्ट्रीय बैंक

हमारा ध्यान विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों और भारतीय कॉर्पोरेट्स का समर्थन जारी रखना है। हम 29 देशों में 235 कार्यालयों के माध्यम से सभी समय क्षेत्रों में उपस्थित हैं और हमने खुद को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। विदेशों में एसबीआई के परिचालन का प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी) द्वारा किया जाता है।

● शाखाएं	● शाखाएं/कार्यालय	● निवेश
यूएसए (3)	बेल्जियम (1)	नाइजीरिया (1)
● बैंकिंग अनुपंगियां	जर्मनी (1)	● प्रबंधित एक्सचेंज कंपनी
कैलिफोर्निया (7)	यूके (1)	ओमान (2)
कनाडा (6)	दक्षिण अफ्रीका (2)	यूएई (1)
रूस (1)	बहरीन (2)	● संयुक्त उद्यम
यूके (12)	यूएई (2)	भूटान (1)
मॉरीशस (15)	ओमान (1)	
इंडोनेशिया (11)	इजराइल (1)	
नेपाल (116)	चीन (1)	
● प्रतिनिधि कार्यालय	दक्षिण कोरिया (1)	
यूएसए (1)	जापान (2)	
ब्राजील (1)	भारत (1)	
ईरान (1)	मालदीव (4)	
यूएई (2)	श्रीलंका (5)	
फिलिपींस (1)	बंगलादेश (19)	
	म्यांमार (1)	
	सिंगापुर (5)	
	हांग-कांग (1)	
	ऑस्ट्रेलिया (2)	

235

विदेशी शाखाएँ

29

देशों में उपस्थिति

अध्यक्ष का संदेश

पसंदीदा बैंक, आज और हमेशा

प्रिय शेयरधारकों,

वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक के प्रदर्शन की मुख्य बातें आपके सामने रखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपके बैंक की उपलब्धियों और पहलों का विवरण वित्त वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।



दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

आर्थिक परिदृश्य

पिछला वर्ष भी उथल-पुथल भरा रहा है। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था गिरावट और अत्यधिक अनिश्चितताओं से भरी रही है। महामारी का प्रभाव कम होने के बावजूद लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक विकास में नरमी आई है। खाद्य व ऊर्जा की कीमतों में तेजी और सामान्य कीमतें और वेतन बढ़ने के कारण देशों में मुद्रास्फीति बढ़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों की हालिया विफलताएं सख्त मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों से उपजी चुनौतियों की याद दिलाती हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति कम हुई है, फिर भी अंतर्निहित मूल्य दबाव मुश्किलें भरा साबित हो रहा है और कई अर्थव्यवस्थाओं के श्रम बाजारों में मंदी है। उधारी के उच्च स्तर के कारण राजकोषीय नीति निर्माताओं के लिए नई चुनौतियों का समाधान कठिन हो जाता है। कमोडिटी कीमतों में नरमी आई है, लेकिन बढ़ा हुआ भू-राजनीतिक तनाव प्रमुख जोखिम के रूप में हमारे सामने है। हालांकि, चीन के बाजार उम्मीद से पहले खुलने से आपूर्ति शृंखला व्यवधान कम हो रहा है और आर्थिक स्थिति में सुधार की कुछ उम्मीद बढ़ी है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष विश्व की विकास दर 2.8% पर सबसे कम होगी, जबकि 2024 में यह मामूली बढ़त के साथ 3.0% हो सकती है।

वैश्विक अनिश्चितता की इस स्थिति में भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने कृषि और सेवा क्षेत्र के कारण मजबूत बनी हुई है। साथ ही, बाहरी फ्रंट पर भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अच्छी मांग के कारण इनका निर्यात बढ़ा है और यह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उत्साहजनक निवेश और निजी खर्च के कारण वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ी है।

ग्रामीण मांग में सुधार, बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए सरकार के जोर, कॉर्पोरेट निवेश में तेजी, समुचित सावधानी के साथ बैंक ऋण और कमोडिटी की कीमतों में कमी के कारण वित्त वर्ष 2024 (आरबीआई) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है।

आपके बैंक का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक का जमा और ऋण व्यवसाय बैंकिंग उद्योग की तुलना में तेजी से बढ़ा है।

जमाराशियां

वित्त वर्ष 2023 में पूरे बैंक की जमाराशियां वार्षिक आधार पर 9.19% बढ़कर 44.23 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जिसमें से घरेलू जमा 8.50% बढ़कर 42.53 लाख करोड़ रुपये और विदेशी कार्यालय जमाराशियां 29.60% बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपये हो गईं। कासा जमाराशियां 4.95% बढ़कर 18.62 लाख करोड़ रुपये हो गईं और मार्च 2023 तक आपके बैंक का कासा अनुपात 43.80% है। चालू खाते की जमाराशियों में 7.47% वृद्धि, जबकि बचत बैंक जमाराशियों में 4.51% वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक ने 1.24 करोड़ नियमित बचत बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से 64% खाते योनों के माध्यम से डिजिटल रूप से खोले गए हैं।

ऋण

वित्त वर्ष 2022 के 11.0% वृद्धि की तुलना में आपके बैंक का सकल अग्रिम 15.99% बढ़कर 32.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। घरेलू अग्रिम 15.38% बढ़कर 27.76 लाख करोड़ रुपये, जबकि विदेशी कार्यालयों का अग्रिम 19.55% बढ़कर 4.92 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वित्त वर्ष 2023 में आपके बैंक की घरेलू अग्रिम वृद्धि (15.38%) बैंकिंग उद्योग की 15.0% की वृद्धि से अधिक है, जो सभी ऋण श्रेणियों में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। सभी व्यवसाय श्रेणियों में, रिटेल पर्सनल लोन ने 17.64% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो 11.79 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। एसएमई ऋण 17.59% बढ़कर 3.59 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। कृषि और कॉर्पोरेट ऋण वार्षिक आधार पर क्रमशः 13.31% की वृद्धि के साथ 2.58 लाख करोड़ रुपये और 12.52% की वृद्धि के साथ 9.79 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं।

खुदरा वैयक्तिक ऋणों की 3 वर्ष की सीएजीआर 16.0% वृद्धि का संकेत देती है और वित्त वर्ष 2023

में घरेलू ऋणों का 42.5% है। खुदरा वैयक्तिक ऋण में एक्सप्रेस क्रेडिट लोन ने वित्त वर्ष 2023 में 22.72% की वृद्धि के साथ 3 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान होम लोन और ऑटो लोन क्रमशः 14.07% बढ़कर 6.41 लाख करोड़ रुपये और 23.22% बढ़कर 97,523 करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2023 तक होम लोन और ऑटो लोन में आपके बैंक की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 33.1% और 19.4% है।

निवेश

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर में ब्याज दरों में वृद्धि होने के बावजूद आपके बैंक को विवेकपूर्ण निवेश निर्णयों के कारण निवेश पोर्टफोलियो पर बढ़ती ब्याज दरों के प्रभाव को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। वित्त वर्ष 2023 में आपके बैंक का निवेश पोर्टफोलियो 6.3% बढ़कर 15.87 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें से 96% घरेलू निवेश हैं। घरेलू निवेश पोर्टफोलियो में 62.94% एचटीएम श्रेणी में है, जबकि शेष एफएस और एचएफटी श्रेणी के तहत हैं। निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर परिदृश्य के अनुरूप है, जो वित्त वर्ष 2023 में 6.51% है। आपके बैंक की तरलता की स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है और बैंक तरलता में बदलाव की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक ने तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित अवसरों का बेहतर लाभ उठाया है। सभी प्रमुख क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्याभ्यास और कार्यनीतियों के निरंतर पालन से वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक का स्टैंडअलोन निवल लाभ पिछले वर्ष के 31,676 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022) से 58% बढ़कर 50,232 करोड़ रुपये हुआ है। आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात, आरओई/आरओए, एनआईआई और एनआईएम में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है और वित्त वर्ष 2023 में घरेलू स्तर पर किसी भी सूचीबद्ध कॉर्पोरेट में सबसे अधिक स्टैंडअलोन लाभ भी अर्जित किया है।

आपके बैंक की आस्ति गुणवत्ता, प्रावधान कवरेज अनुपात, आरओई/आरओए, एनआईआई और एनआईएम में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वित्त वर्ष 2023 में बैंक ने घरेलू स्तर पर किसी भी सूचीबद्ध कॉर्पोरेट्स में उच्चतम स्टैंडअलोन लाभ अर्जित किया है।

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में पिछले वर्ष की तुलना में 19.99% की वृद्धि के साथ 1,44,841 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022 में 1,20,708 करोड़ रुपये) हो गई है। एक्सप्रेस क्रेडिट और हाउसिंग लोन जैसे पारंपरिक श्रेणियों के साथ सभी खंडों की ऋण बही बढ़ी है। गिरावट पर नियंत्रण और ऋण लागत में कमी से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। क्रेडिट लागत में 23 आधार अंकों का सुधार हुआ है और यह 0.32% हो गई है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान किया गया कुल प्रावधान 33,481 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2022 के स्तर से 7.51% (2717 करोड़ रुपये) कम है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक का परिचालन लाभ 83,713 करोड़ रुपये रहा, जिसमें वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 11.18% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (75,292 करोड़ रुपये जिसमें 5.22% की वृद्धि हुई थी)। वित्त वर्ष 2023 में लागत और आय अनुपात में 56 आधार अंकों की वृद्धि (वित्त वर्ष 2022 की तुलना में) हुई है, जो वित्त वर्ष 2023 के लिए 53.87 है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह 53.31 थी। यह वेतन वृद्धि की बातचीत के मद्देनजर किए गए उच्च प्रावधानों के कारण है।

वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 1.23% (वित्त वर्ष 2022 के लिए 0.67% की तुलना में पूरे वित्त वर्ष 2023 के लिए 0.96%) है, जो वित्त वर्ष 2020 से आरओए में निरंतर सुधार के साथ 1% + के आरओए का संकेत देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) में

आपके बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹11.30 प्रति इक्विटी शेयर (यानी 1130%) लाभांश की घोषणा की है।

551 आधार अंकों का उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो वित्त वर्ष 2022 के दौरान 13.92% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के लिए 19.43% तक बढ़ गया है (और, वित्त वर्ष 2022 में 398 आधार अंकों का सुधार)

पूंजी

बेहतर आयोजना, अर्जित लाभ के पुनर्निवेश बैंकिंग बही के कुशल जोखिम प्रबंधन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पूंजी अनुपात में सुधार जारी रहा है। मार्च 2023 तक सीईटी - 1 अनुपात 33 बीपीएस बढ़कर 10.27% तक पहुंच गया है।

मार्च 2023 के अंत तक समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 14.68% है, जिसमें सालाना आधार पर 85 बीपीएस का सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में अच्छे मुनाफे के कारण बैंक की पूंजी भविष्य की विकास यात्रा के दृष्टिगत पर्याप्त बनी हुई है।

लाभांश

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 11.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (यानी 1130%) लाभांश की घोषणा की है।

आस्ति गुणवत्ता

आस्ति गुणवत्ता और जोखिम नियंत्रित करना बैंक के लिए निरंतर निगरानी का एक क्षेत्र रहा है। वित्त वर्ष 2023 में आपके बैंक की आस्ति गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में वर्षानुवर्ष 119 आधार अंकों की गिरावट आई है और मार्च 2023 को यह 2.78% है। मार्च 2023 तक शुद्ध

एनपीए अनुपात 0.67% है, जो वर्षानुवर्ष 35 आधार अंक कम है।

स्लिपेज वर्ष के दौरान क्रेडिट गुणवत्ता में वृद्धिशील गिरावट को इंगित करता है, वित्त वर्ष 2022 की तुलना में स्लिपेज 26.38% कम रहा है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023 के लिए स्लिपेज अनुपात में वर्षानुवर्ष 34 बीपीएस का सुधार हुआ है और यह मार्च 2023 को 0.65% पर पहुंच गया है।

वर्ष के दौरान जोखिम के सक्रिय प्रबंधन के परिणामस्वरूप प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में वर्षानुवर्ष 135 आधार अंकों का सुधार हुआ है और वित्तीय वर्ष के अंत तक यह 76.39% है।

ग्राहक केंद्रितता

एसबीआई में ग्राहक-हमेशा केंद्र में है और हम अपने ग्राहकों की बदलती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय और लचीला दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम निर्बाध और प्रभावी बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और नए समाधानों का उपयोग करते हुए बाजार की नब्ज थामे रहते हैं। हमारा उद्देश्य देश भर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ नए क्षेत्रों में प्रवेश करना है, ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों तक हमारी सेवाएं पहुंच सकें।

हमारा मल्टीचैनल डिलीवरी मॉडल - डिजिटल, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट, सोशल मीडिया और शाखाएं, ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार लेनदेन करने के लिए एक व्यापक विकल्प प्रदान करता है। आपके बैंक के पास देश का सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क है। 31 मार्च, 2023 तक बैंक के पास स्वचालित जमा और निकासी मशीनों (एडीडब्ल्यूएम) सहित 65,627 एटीएम हैं। आपके बैंक के एटीएम / एडीडब्ल्यूएम पर हर दिन औसतन ~1.3 करोड़ लेनदेन और एडीडब्ल्यूएम में 5.66 लाख नकद जमा लेनदेन किए जाते हैं।

आपके बैंक ने सभी 17 सर्किलों में केंद्रीकृत सेल, सीएलआईसी (ग्राहक देयता पहचान केंद्र) स्थापित किए हैं। यह सेल अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक डेबिट लेनदेन (यूआईडी) से संबंधित शिकायतों के समाधान में तेजी लाते हैं, जिससे ग्राहकों को त्वरित और सुगम ग्राहक अनुभव मिलता है।

इष्टतम सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शाखाओं में पहचान छुपाकर दौरे किए गए हैं। इनके दौरान बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कर्मचारियों की तत्परता और समग्र शाखा कार्यकलाप जैसे विभिन्न पहलुओं का आकलन किया गया।

ग्राहक सुविधाएं और बैंकिंग सुगम बनाने के लिए आपका बैंक शीर्ष 100 बैंकिंग केंद्रों पर एजेंटों के माध्यम से सभी ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को सभी बैंकिंग केंद्रों पर डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

29 देशों में 235 कार्यालयों के माध्यम से अपनी उपस्थिति के साथ आपका बैंक धीरे-धीरे विश्व स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और भारतीय बैंकों के बीच अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का अग्रणी है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, आपके बैंक ने खुलना (बांग्लादेश) में एक भारत वीजा आवेदन केंद्र और नेपाल में अपनी विदेशी अनुषंगी के माध्यम से 5 शाखाएं और 3 विस्तार काउंटर खोले हैं।

प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

आपका बैंक मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर - व्यवसाय, उत्पादों का डिजाइन, प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित संचालन, सुपुर्दगी व निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। आपके बैंक ने जोखिम कम करने के उपायों के साथ गुणवत्ता युक्त एसएमई पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई पहल की है और सुविधाजनक बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

वन-स्टॉप समाधान के रूप में योनो बिजनेस ग्राहकों की सभी कॉर्पोरेट बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है। ग्राहक संतुष्टि के लिए आपका बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करता है। वित्त वर्ष 2023 में योनो के माध्यम से प्रीप्रोव्ड बिजनेस लोन (पीएबीएल) 1076% की वृद्धि के साथ 3,605 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई पहल की गई हैं:

1. फिनटेक/ए/जीएसटी के सहयोग से नए डिजिटल उत्पादों का विकास

योनो बिजनेस पर एमएसएमई सहज विक्रेता इन्वॉइस फाइनांसिंग और भारत सरकार की पहल, जीएसटी सहाय ऐप के माध्यम से जीएसटी विक्रेता इन्वॉइस फाइनांसिंग स्कीम के तहत डिजिटल लोन दिए जा रहे हैं, यह एक मार्केट प्लेस है।

2. बिना संपर्क ऋण के लिए प्लेटफॉर्म (सीएलपी):

आपका बैंक सिडबी के नेतृत्व वाले पीएसबी कंसोर्टियम में सहभागी है, जो सीएलपी प्लेटफॉर्म psbloanin59minutes.com के माध्यम से एसएमई को त्वरित और सुगमता के साथ ऋण प्रदान करता है। जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न और खाता विवरण के आधार पर पात्र प्रस्तावों को तत्काल सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023 में आपके बैंक ने 1 लाख से 5 करोड़ रुपये तक के टिकट साइज के 2,940.24 करोड़ रुपये मूल्य के 6,342 लीड्स को मंजूरी दी है।

डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने और ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सीएलपी के माध्यम से प्राप्त लीड्स के ऑटो-नवीकरण के लिए नई व्यवस्था तैयार की गई है। इसके तहत न्यूनतम मैन्युअल कार्रवाई करते हुए अच्छे और वित्तीय रूप से संतोषजनक खातों का त्वरित नवीकरण संभव होगा। इससे रिलेशनशिप प्रबंधक (एसएमई) बिक्री और विपणन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।

3. ईटीसीबी/एनटीसीबी/एनटीबी ग्राहकों की सहायता

इसके तहत आरएम (एसएमई) टीम, फील्ड ऑफिसर और शाखा प्रबंधक जैसे ऑपरेटिंग अधिकारी ग्राहक की ओर से सीएलपी शुरू करते हुए ग्राहक की ओर से पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

4. आपूर्ति श्रृंखला वित्त

प्रौद्योगिकी और शाखा नेटवर्क का लाभ उठाते हुए आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों में कॉर्पोरेट्स के साथ संबंध मजबूत करते हुए आपूर्ति श्रृंखला वित्त में एक प्रमुख हिस्सेदार है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के तहत 34,592 डीलरों को 44,565 करोड़ रुपये ई-डीएएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर वित्तपोषण योजना) और 16,437 करोड़ रुपये ई-वीएएस (इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता वित्तपोषण योजना) लिमिटेड संस्वीकृत की गई हैं।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 16 नए ई-डीएएस और 37 नए ई-वीएएस टाई-अप किए हैं। आपके बैंक ने पहले ही ई-डीएएस और ई-वीएएस के लिए सीएलपी लागू कर दिया है। आपके बैंक ने ई-वीएएस प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए सीएलपी पर एक नया डिजिटल इंटरफ़ेस psbloansin59minutes.com बनाया है। प्रस्ताव प्रोसेसिंग का टैट (टीएटी) कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र भी शुरू किए गए हैं। आपूर्ति श्रृंखला पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए जोखिम कम करने के उपाय और जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण लागू किए गए हैं। आपका बैंक डीलरों/विक्रेताओं को अपने साथ जोड़ने और चैनल वित्त बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान भी शुरू कर रहा है।

आपका बैंक TReDS प्लेटफॉर्म पर वित्त प्रदाता के रूप में पंजीकरण करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए देश के सभी तीन TReDS प्लेटफॉर्मों - आरएक्सआईएल, एम1 एक्सचेंज और इनवॉइसमार्ट पर मौजूद है। वित्त वर्ष 2023 में आपके बैंक ने 144% की वार्षिक वृद्धि के साथ 9,800 करोड़ रुपये के 26,973 बिलों को भुनाया है।

कृषि और ग्रामीण बाजार में पैठ बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज (एसबीओएसएस) शुरू की है। इससे आपके बैंक को केसीसी ऋणों की सोर्सिंग और नवीकरण में बेहतर दक्षता लाने और बड़ी आबादी तक सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

ग्राहक संतुष्टि के लिए आपका बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करता है।

आपका बैंक कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि-तकनीक और स्टार्ट-अप के साथ साझेदारी के लिए सक्रियता से प्रयास कर रहा है। स्टार्ट-अप को वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में विशेष स्टार्ट-अप शाखाएं खोली हैं।

ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने वी-सीआईपी डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है। इसमें घर पर खाता खोला जा सकता है और शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, वी-सीआईपी के माध्यम से 4.70 लाख ग्राहक हमारे साथ जुड़े हैं।

आपके बैंक द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल नियमित बचत बैंक खातों में से 64% डिजिटल रूप से खोले गए हैं।

आपके बैंक ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश, ग्राहक सुविधा और उच्च लाभ मार्जिन के साथ पोर्टफोलियो वृद्धि सुनिश्चित की है। योनो रियल टाइम में डिजिटल ऋण प्रदान करता है और भौतिक प्रलेखन या शाखा में जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त, एसएमएस भेजकर रियल-टाइम प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन पात्रता जानने की शुरुआत की गई है।

वित्त वर्ष के दौरान एटीएम/एडीडब्ल्यूएम के लिए प्रमुख पहल:

- बैंक के सभी एटीएम पर छोटे मूल्य वर्ग के नोटों के अधिक नकदी संवितरण का लॉजिक लागू करना।
- ओटीपी आधारित नकद निकासी - नई सुविधा की शुरुआत - एटीएम स्क्रीन पर 30 सेकंड का टाइमर डिस्प्ले ताकि ग्राहक को ओटीपी दर्ज करने के लिए उपलब्ध समय की जानकारी मिल सके और टाइम आउट से बचा जा सके।
- ग्राहकों के असफल लेन-देन का त्वरित रिवर्सल।
- 15000 नई जीसीसी मशीनें लगाई गई हैं।
- कैपेक्स एटीएम/एडीडब्ल्यूएम द्वारा प्रबंधित 12907 शाखाओं में कैसेट स्वेप लागू किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी समाधान (ईएसएस) के तहत 49,719 साइट कवर की गई हैं।
- एसबीआई एटीएम से निःशुल्क बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट के लिए ग्राहकों को एसएमएस भेजा जा रहा है और उपरोक्त सेवाएं व्हाट्सएप बैंकिंग पर भी उपलब्ध हैं।
- 3,250 पुरानी स्वयंम् मशीनों को बदलने का काम पूरा हो गया है।
- एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं होने पर (ग्राहकों द्वारा लेनदेन किए जाने से पहले) एटीएम स्क्रीन पर "नकदी उपलब्ध नहीं है" संदेश का प्रदर्शन किया गया है।

आपके बैंक ने 17,643 शाखाओं में 20,137 बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क (स्वयंम्) स्थापित किए हैं। इनमें रोजाना 13 लाख लेनदेन संसाधित किए जा रहे हैं, परिणामस्वरूप हर महीने शाखा काउंटर्स से ~3.65 करोड़ पासबुक प्रिंटिंग लेनदेन कम हुए हैं। आपके बैंक ने ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन के लिए 21,446 खुदरा शाखाओं में 33,077 जीसीसी टर्मिनल भी लगाए हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय

ने पीड़ितों द्वारा साइबर अपराध की घटनाएं रिपोर्ट करने के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है जिसके लिए ईमेल (www.cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन नंबर 1930 उपलब्ध कराए गए हैं। आपके बैंक के 17 सर्किलों में साइबर अपराध सेल ग्राहकों की साइबर धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए कई शिफ्टों में काम करते हैं।

31.03.2023 तक कुल 3,04,450 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 51.50 करोड़ रुपये की राशि पर रोक लगाई गई है।

वित्तीय समावेशन

आपके बैंक ने बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट (बीसी)/ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार आपके बैंक के 76,089 सीएसपी हैं, जो शाखाओं में ग्राहकों की संख्या कम करने के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 32 बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान बीसी/सीएसपी चैनल पर 3,30,389 करोड़ रुपये के लगभग 53.32 करोड़ लेनदेन किए गए हैं। बीसी/सीएसपी चैनल के माध्यम से प्रति दिन औसतन 25-30 लाख लेनदेन किए जाते हैं।

बीसी/सीएसपी चैनल के माध्यम से 50,091 करोड़ रुपये की जमा राशियों के साथ 14.69 करोड़ बीएसबीडी खाते खोले गए हैं और सामाजिक सुरक्षा उपायों, कम लागत वाले सूक्ष्म बीमा उत्पादों (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई) और पेंशन योजनाओं (एपीवाई) संबंधी सामाजिक महत्व के कार्य को पूरा करते हुए समाज के बैंकिंग से रहित/वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया गया है।

आपका बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के लिए ग्राहक नामांकन में निर्विवाद रूप से बाजार अग्रणी है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (आरआरबी सहित) में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई में बैंक की हिस्सेदारी क्रमशः 43.83%, 40.85% और

31.78% है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा आवंटित 17.90 लाख के लक्ष्य की तुलना में 27.88 लाख एपीवाई नामांकन हासिल किए हैं (लक्ष्य का ~156%), साथ ही, विभिन्न एपीवाई अभियानों के तहत पीएफआरडीए से प्रमुख पुरस्कार जीते हैं।

पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) आचरण

हम मानते हैं कि हमारी सफलता उस समाज की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, पर्यावरणीय संवहनीयता और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत हम हितधारकों के साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं और सभी के लिए एक बेहतर और अधिक न्यायसंगत भविष्य के निर्माण में योगदान करते हैं।

वित्त वर्ष 2023 के लिए आपके बैंक द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए 316.76 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें से 194.78 करोड़ रुपये की राशि एसबीआई फाउंडेशन को परियोजना मोड में सीएसआर गतिविधियां शुरू करने के लिए आवंटित की गई है।

आपके बैंक ने वित्त दिशानिर्देशों और सिद्धांतों के साथ संरेखित एक ईएसजी वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है। यह ढांचा हमारे भविष्य के बॉन्ड और ऋण जारी करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आय का उपयोग पर्यावरणीय या सामाजिक लाभ के साथ पात्र आस्तियों और परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाए। इसे मजबूती और

31 मार्च 2023 तक आपके बैंक के 76,089 सीएसपी हैं, जो शाखाओं में ग्राहकों की संख्या कम करने के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 32 बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं।

नीतिगत अनुदेशों के पालन के लिए सेकंड पार्टी ऑपिनियन मिली है।

व्यापक ईएसजी स्पेक्ट्रम की दिशा में आगे बढ़ने, हरित और सामाजिक परियोजनाओं का समर्थन करने और बैंक की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए आपके बैंक ने \$1 बिलियन (\$500 मिलियन + \$500 मिलियन का ग्रीन थ्रू) का सबसे बड़ा सिंडिकेटेड सोशल लोन लिया है, जो एशिया प्रशांत बाजार में किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा लिया गया सबसे बड़ा ईएसजी ऋण है।

आपका बैंक अपने परिसरों के लिए एक हरित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। इस पहल के तहत आपके बैंक के प्रमुख कार्यालयों जैसे कॉर्पोरेट कार्यालय, ग्लोबल आईटी सेंटर और 6 स्थानीय प्रधान कार्यालयों (एलएचओ) को ग्रीन टैरिफ नीति या सौर / पवन से ओपन एक्सेस चैनलों के माध्यम से ग्रीन पावर में शिफ्ट किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के ध्येय के अनुरूप आपका बैंक बड़े पैमाने पर आरई वित्तपोषण की सुविधा प्रदान कर रहा है। आपके बैंक ने आरई पावर डेवलपर्स को ऋण देने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू जर्मन डेवलपमेंट बैंक आदि से लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है।

कार्यनीतिक नई पहल

वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक ने बैंक द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतिक पहल की है। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:

- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर सरकारी नीतियों के अनुरूप आपके बैंक ने देश भर में हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय, स्थानीय प्रधान कार्यालयों और आवासीय परिसरों सहित विभिन्न पहचान किए गए परिसरों में ईवी चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी की है। यह पहल संवहनीय मोबिलिटी को बढ़ावा देती है और हमारे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है।

हम मानते हैं कि हमारी सफलता उस समाज की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय संवहनीयता और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए आपके बैंक ने रूफटॉप सौर फोटो वोल्टाइक सिस्टम फाइनांसिंग को होम लोन प्रोजेक्ट लागत में शामिल किया है। व्यापक सूक्ष्म बाजार अध्ययन और पूरे भारत में 133 प्रोसेसिंग केंद्रों के खुलने से टियर -2 और टियर -3 शहरों में होम लोन सुविधा की पहुंच बढ़ी है।
- इसके अलावा आईटी ने 'एसबीआई-ईजी राइड' विकसित किया है, यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल उत्पाद है जो मंजूरी या संवितरण के लिए किसी भी शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना दोपहिया वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- पर्सनल लोन उत्पादों के लिए आपके बैंक ने डिजिटल दस्तावेज निष्पादन और एक्सप्रेस क्रेडिट लोन को एकीकृत किया है। दस्तावेजों के रियल टाइम निष्पादन के लिए ई-स्टैंपिंग और ई-हस्ताक्षर का उपयोग कर इसे ग्राहक-केंद्रित बनाया गया है।
- अपने एनआरआई ग्राहकों की सुविधा के लिए आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में कई सेवाएं शुरू की हैं, जिसमें भारत में स्विफ्ट धन-प्रेषण के लिए 'Remitly' के साथ टाई-अप, यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके धन-प्रेषण, एनआरआई नॉन-कॉलेबल जमा योजना का शुभारंभ, एनआरआई खाते से एफएक्स-आउट (आईएनबी चैनल) के माध्यम से विदेशी मुद्रा आउटवर्ड धन-प्रेषण के लिए दैनिक सीमा को बढ़ाकर 25000 अमेरिकी डॉलर करना शामिल है।

- आपके बैंक ने योनो बिजनेस - एंड्रॉइड ऐप में एसबीआई ई-फॉरेक्स सुविधा शुरू की है ताकि ग्राहक कभी भी विदेशी मुद्रा दरों को बुक कर सकें। इसे आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी जल्द रोल आउट किए जाने की उम्मीद है।
- शीर्ष रेटिंग वाले उधारकर्ताओं को उनको मंजूर लिमिट्स के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाहरी बेंचमार्क (टी-बिल दर) से जुड़ी ब्याज दरों को डब्ल्यूसीएल और एलसी बिल डिस्काउंटिंग की शुरुआत की गई है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए यह विकल्प रुपया निर्यात पैकिंग क्रेडिट सुविधाओं के लिए भी पेश किया गया है।
- आपके बैंक में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया था, जो सीसीजी वर्टिकल में चालू खाता जमा और विभिन्न लेनदेन बैंकिंग उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- आपका बैंक अपने पूर्व कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करता है, जिनकी आजीवन समर्पित सेवाओं ने आपके बैंक को अपनी वर्तमान ऊंचाई पर पहुंचाया। एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न पूर्व-सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति बाद के लाभों और प्रक्रियाओं के स्वचालन और सुव्यवस्थित करने के लिए 'प्रोजेक्ट एसबीआई केयर्स' शुरू किया गया है।
- आपके बैंक ने शाखाओं में उत्पादकता मापदंडों के आधार पर स्टाफ प्लानिंग के लिए एक शाखा-आधारित मॉडल अपनाया है।
- आपका बैंक विभिन्न अभिनव समाधानों को लॉन्च करने में सबसे आगे रहा है। वर्ष दौरान की कुछ पहलों में वित्तीय रिपोर्टिंग (आईएफसीओएफआर) पोर्टल पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था विकसित करना, गोल्ड रिटेंशन लिमिट की निगरानी के लिए डैशबोर्ड और एसबीआई डिजी वॉल्ट एप्लिकेशन में नई विशेषताएं जोड़ना शामिल हैं।
- आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) से संबंधित जानकारी के लिए एक निधि प्रबंधन समाधान शुरू किया है, जिसमें 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की

433 योजनाओं और केंद्रीय नोडल खाता (सीएनए) तंत्र के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की 124 योजनाओं को शामिल किया गया है।

अनुषंगियां

अपनी अनुषंगियों के माध्यम से आपका बैंक अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है।

समेकित आधार पर, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022 में 635.42 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 के लिए 725.39 करोड़ रुपये कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी और एसबीआई समूह की ब्रोकिंग शाखा एसबीआईकैप सिक्वोरिटीज लिमिटेड (एसएसएल) ने वित्त वर्ष 2022 में 233 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 308 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 10,888 करोड़ रुपये के कुल सकल लिखित प्रीमियम (जीडब्ल्यूपी) और 18% की सालाना वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023 में 10,000 करोड़ रुपये जीडब्ल्यूपी अर्जित किया है। एसबीआई जनरल ने वित्त वर्ष 2022 में अपनी बाजार हिस्सेदारी 4.15% से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में 4.21% कर ली है। कंपनी की उपस्थिति वर्ष 2011 में 17 स्थानों से बढ़कर पूरे भारत में 141 से अधिक शाखाओं तक पहुंच गई है। कंपनी ने अब तक 34 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं और 22,000 करोड़ रुपये के दावों पर कार्रवाई की है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने व्यक्तिगत न्यू बिजनेस प्रीमियम, व्यक्तिगत रेटेड प्रीमियम, कुल रेटेड प्रीमियम और कुल नए व्यवसाय प्रीमियम श्रेणी में निजी बीमा कंपनियों के बीच स्वयं को बाजार अग्रणी बनाया है। कंपनी ने 24.3% की

निजी बाजार हिस्सेदारी और 14.5% की इंडस्ट्री बाजार हिस्सेदारी के साथ 15.4% की उद्योग वृद्धि की तुलना में व्यक्तिगत नए व्यवसाय प्रीमियम में 26.7% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में 1,721 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया है, जो वित्त वर्ष 2022 में 1,506 करोड़ रुपये था।

एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022 में 1,616 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 2,258 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया है, जिसमें वर्षानुवर्ष 40% की वृद्धि हुई है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड वित्त वर्ष 2023 में उद्योग के औसत 5.55% के मुकाबले 10.83% से अधिक की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती एएमसी है। वित्त वर्ष 2023 में लगभग 27 लाख नए निवेशक फोलियो जोड़ने के साथ इसके 121.80 लाख से अधिक लाइव निवेशक फोलियो हैं जो बड़े निवेशक आधार में से एक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 1,331.20 करोड़ रुपये का पीएटी दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2022 के दौरान अर्जित पीएटी 1070.65 करोड़ रुपये था।

घरेलू और निर्यात फैक्टरिंग सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करने वाली एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड एक प्रमुख एनबीएफसी फैक्टर है, जिसने वित्त वर्ष 2022 में 4,773 करोड़ रुपये के व्यवसाय की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के दौरान 5,544 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है।

एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 53.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) 3,39,006 करोड़ रुपये हैं (वर्ष-दर-वर्ष 20.01 प्रतिशत की वृद्धि)। कंपनी 37.71% की बाजार हिस्सेदारी के साथ एयूएम के मामले में 10 पीएफएम के बीच अग्रणी स्थान बनाए हुए है।

पुरस्कार एवं सम्मान

बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में आपके बैंक के प्रयासों को मान्यता मिली है और वर्ष के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपके बैंक को ईटी बीएफएसआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2022 और 2023 के रूप में पुरस्कृत किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने द बेस्ट बैंक अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया है।

आपके बैंक को ईटी एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। ज्ञानोदय ई-लर्निंग के लिए 'बेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम' श्रेणी के तहत 'गोल्ड' और भूमिका आधारित प्रमाणन के लिए 'हाई इंपेक्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' श्रेणी के तहत 'सिल्वर' पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मानव संसाधन नीतियों के लिए आपके बैंक को ईटी ह्यूमन कैपिटल पुरस्कारों में 3-गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें एचआर लीडर ऑफ द ईयर - बड़े संगठन; कोविड-19 के दौरान व्यवसाय निरंतरता प्लान और प्रबंधन में उत्कृष्टता और सबसे महत्वपूर्ण नियोजित पुरस्कार शामिल हैं।

आपके बैंक को आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2022 में बड़े बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष विजेता घोषित किया गया है। होम लोन में, पीएमएवाई-यू अवार्ड्स-2021 : 150 डेज चैलेंज के तहत भारत सरकार द्वारा सीएलएसएस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है।

आपके बैंक को वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार 2022 भी प्राप्त हुआ है।

व्यापक ईएसजी स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाने और हरित और सामाजिक प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने और बैंक की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित

करने के लिए आपके बैंक को सीडीपी (पूर्ववर्ती कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट) द्वारा पिछले 5 वर्षों में उच्चतम "बी" सीडीपी स्कोर से सम्मानित किया गया है, जो कंपनियों के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए वैश्विक प्रकटीकरण प्रणाली है। बी स्कोर दर्शाता है कि संगठन ने अपने व्यवसाय के पर्यावरणीय प्रभाव पर कार्यवाई की है और अच्छा पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित किया है।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) द्वारा 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और पुरस्कारों में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट 2022 के लिए वर्ष के जारीकर्ता - निजी प्लेसमेंट पुरस्कार से सम्मानित, नेसकॉम-डीएससीआई द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा जागरूकता पुरस्कार से सम्मानित, नेसकॉम-डीएससीआई द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के तहत "सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा जागरूकता और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा परिचालन केंद्र" से सम्मानित किया गया है।

भावी योजना

कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023 बैंक के लिए एक अच्छा वर्ष रहा है। भू-राजनीतिक चुनौतियों, चीन में कोविड-19 के दोबारा प्रसार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई और यह आपके बैंक के वित्तीय परिणामों में भी परिलक्षित होता है।

तथापि, पिछले वित्तीय वर्ष में अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग में वित्तीय अस्थिरता की घटनाओं ने बाजारों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इससे बैंक प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि, ब्याज दरों के न्यूनतम स्तर से सामान्य होने पर स्थिति कमजोर हो सकती है, इसके लिए चालू वित्त वर्ष में जोखिम की सक्रिय पहचान और न्यूनीकरण की आवश्यकता है।

आपके बैंक ने पिछले तीन वर्षों से लगातार अच्छे वित्तीय परिणाम रिपोर्ट किए हैं। चुनौतियों के बावजूद, अप्रत्याशित नुकसान सहन करने की आपके बैंक की क्षमता में सुधार हुआ है। मजबूत आंतरिक संसाधन आवश्यकता पड़ने पर पूंजी बाजारों को टैप करने की इसकी क्षमता को मजबूत करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जोखिम प्रबंधन कार्यपद्धतियों को मजबूत किया गया है और वृद्धिशील सुधार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है।

बैंकों की समग्र जोखिम प्रबंधन कार्यनीति में पर्यावरण प्रेरित वित्तीय जोखिम को समायोजित करना अगला मील का पत्थर है जिसे बैंक वित्त वर्ष 2024 में तैयार करेगा। उम्मीद की जाती है कि इस वित्तीय वर्ष में आरबीआई इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा। आपका बैंक उन सिद्धांतों और कार्य पद्धतियों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जो स्थायी बैंकिंग संचालन को बढ़ावा देते हैं और यह वित्त वर्ष 2022 के लिए हमारे "बी" सीडीपी स्कोर में परिलक्षित होता है, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है।

प्रणालियों और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से बैंक को संरचनात्मक रूप से बदलने की सचेत रणनीति ने अच्छी प्रगति की है। बैंक की प्रमुख डिजिटल पेशकश एसबीआई योनो ने उत्पादों और व्यवसाय के स्तर पर वृद्धि दिखाई है। बैंक का लक्ष्य अपनी डिजिटल पेशकश के संबंध में चुस्त और कल्पनाशील होना है ताकि योनो आने वाले वर्षों में "पसंदीदा प्राथमिक डिजिटल बैंक" बन पाए।

निर्णय लेने और संचालन में बिजनेस एनालिटिक्स और एआई/एमएल के उपयोग को नेक्स्टजेन डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक की मदद से अगले लॉजिकल स्तर तक ले जाया जाएगा। आरबीआई के सह-ऋण ढांचे के तहत फिनटेक और एनबीएफसी के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का पता लगाया जाएगा।

चालू वर्ष में ग्रोथ कैपिटल के मामले में आपके बैंक की स्थिति अच्छी है। क्रेडिट लागत में गिरावट के साथ पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए पीएलआई योजना, नवीकरणीय और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तहत उभरते क्षेत्रों में ऋण देने के अवसरों का पता लगाया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट पर आरबीआई के दिशानिर्देशों से बैंक की बैलेंस शीट में देयता साइड पर नए अवसर जुड़ेंगे।

संक्षेप में कहा जाए तो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आपके बैंक ने परिचालन क्षेत्र की चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2024 में भी जारी रहेगा।

'नवाचार को बदलाव के अवसर के रूप में देखा जाए - चुनौती के रूप में नहीं।'

आपका शुभचिंतक,

दिनेश कुमार खारा

उत्तरदायित्वपूर्ण बैंकिंग

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हमेशा से भारतीय स्टेट बैंक की प्राथमिकता रहा है, जो 'संवहनीयता' को बैंक के मूल्यों में शामिल किए जाने से परिलक्षित होता है। तथापि, जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों की अभिव्यक्ति ने बैंक के प्राकृतिक पूंजी प्रबंधन को अधिक सशक्त और औपचारिक बनाने के प्रयासों को गति प्रदान की है।

एसबीआई की कार्बन
डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट
(सीडीपी) रेटिंग



वित्त वर्ष 2022 का
स्कोर पिछले स्कोर
की तुलना में दो
पायदान ऊपर

स्थापना
के बाद से
उच्चतम स्कोर



ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क

हमने संवहनीय वित्त दिशा-निर्देशों एवं सिद्धांतों के अनुरूप एक ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क विकसित किया है। यह ढांचा हमारे भविष्य के बॉन्ड व ऋण जारी करने के कार्यक्रमों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्त राशियों का उपयोग पर्यावरणीय या सामाजिक लाभों के साथ पात्र आस्तियों एवं परियोजनाओं को वित्त या पुनर्वित्त करने के लिए किया जाता है। इसे एक सेकंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) भी प्राप्त हुआ है, जो इसकी मजबूती एवं नीतिगत उपायों के पालन को मान्यता देता है।

सिडिकेडेड सोशल लोन

हमने हाल ही में अपने शुरुआती सबसे बड़े सिडिकेडेड सोशल लोन के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर की राशि जुटाई है। 500 मिलियन डॉलर के ग्रीन शू वाला यह ऋण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जुटाया गया सबसे बड़ा ईएसजी ऋण है। यह ऋण हरित एवं सामाजिक परियोजनाओं को समर्थन की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के महत्व को स्वीकार करते हुए, हम विश्व बैंक और केएफडबल्यू जर्मन विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त करके नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। यह हमें नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति देता है।

रिसाइकल एवं पर्यावरणीय पर्यवेक्षण

हमने प्लास्टिक की बोतलों को क्रश करने के लिए कॉर्पोरेट केंद्र में एक पीईटी बोतल-क्रशिंग मशीन स्थापित की है, जिससे प्राप्त प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक व्यवसायी द्वारा रिसाइकिल किया जाता है। हमारे बैंक की 454 शाखाओं व कार्यालयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अलावा, आपके बैंक में संवहनीयता से जुड़े विभिन्न दिवसों जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अर्थ आवर आदि का आयोजन के साथ ही समाज के वंचित वर्गों के समर्थन के लिए जॉय ऑफ गिविंग वीक के दौरान दान गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।



भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा, स्टेट बैंक भवन भवन परिसर में पीईटी बोतल क्रशर का उद्घाटन करते हुए।

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग सुविधा

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर सरकार की नीतियों के अनुरूप, हमने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, स्थानीय मुख्य कार्यालयों व आवासीय परिसरों सहित देश भर में चिन्हित विभिन्न परिसरों में ईवी चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी की है। यह पहल संवहनीय मोबिलिटी को बढ़ावा देती है और हमारे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारे पास इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए सरल शर्तों के साथ एक ग्रीन कार लोन योजना भी है।



भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा स्टेट बैंक भवन भवन में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए।

ग्रीन बिल्डिंग और नवीकरणीय ऊर्जा पहल

हम एक हरित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अपने 32 परिसरों के लिए प्लेटिनम से लेकर सिल्वर श्रेणी तक के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, हम अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और वैश्विक आईटी केंद्र सहित अपने प्रमुख प्रतिष्ठानों की बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित कर रहे हैं। हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाना, वर्षा जल संचयन प्रणाली और ऊर्जा बचाने वाले उपार्यों को लागू किया है।



ग्राहक अनुभव की नई परिभाषा

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हमारी लगन व ग्राहक को केंद्र में रखने की हमारी भावना के कारण ही हम स्वयं को देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में स्थापित कर पाए हैं।



सीएलआईसी (ग्राहक देयता पहचान केंद्र)

हमने सभी 17 मंडलों में एक केंद्रीकृत समर्पित प्रकोष्ठ सीएलआईसी की स्थापना की है। यह प्रकोष्ठ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक डेबिट लेन-देन (यूईडी) से संबंधित शिकायतों के समाधान में तेजी लाता है और एक तीव्र व बेहतर ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करता है।

ग्राहक जुड़ाव मेट्रिक्स

हमने बैंक के प्रति ग्राहकों की संतुष्टि व निष्ठा देखने के लिए निम्न मेट्रिक्स लागू किए हैं:

- सीएसएटी (कस्टमर सेटिस्फेक्शन): हम अपने सभी प्लेटफॉर्मों पर ग्राहक के प्रत्येक वित्तीय अथवा गैर-वित्तीय लेन-देन के बाद ग्राहक अनुभव का आकलन करते हैं। इससे हमें ग्राहक संतुष्टि के स्तर को समझने और उसे सुधारने में सहायता मिलती है।
- एनपीएस (नेट प्रमोटर स्कोर): हमारा एनपीएस माप हमें ग्राहकों की निष्ठा व संतुष्टि का आकलन करने में सक्षम बनाता है, जिससे हमें ग्राहकों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को हमारे उत्पादों व सेवाओं की सिफारिश करने की संभावना के बारे में जानकारी मिलती है।
- सीईएस (कस्टमर एफर्ट स्कोर): हम अपने उत्पादों और सेवाओं के उपयोग में ग्राहकों को हुई सहूलियत और उनकी समस्याओं के समाधान का मूल्यांकन करते हैं। इससे हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है, जहां हम ग्राहकों के प्रयास को कम कर उन्हें बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सकता है।

शाखाओं का पहचान छुपाकर दौरा

सेवा की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, हमने पूरे भारत में 4,930 शाखाओं का पहचान छुपाकर दौरा किया है। इन दौरों में विभिन्न पहलुओं

जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कर्मचारियों की तैयारी और शाखा की समग्र गतिविधि आदि का मूल्यांकन किया गया। इन दौरों से प्राप्त जानकारीयों को ग्राहक अनुभव को अधिक बेहतर बनाने के लिए कार्यान्वयित किया गया है।

4,930

शाखाएँ जहाँ हमने पहचान छुपाकर दौरे किए

टाउन हॉल बैठकें

मिलेनियल्स, जेनरेशन जेड और जेनरेशन वाई ग्राहकों की प्राथमिकताओं व अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हमने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में टाउन हॉल बैठकें आयोजित कीं। महानगरों व जिला मुख्यालयों के 1,488 केंद्रों पर ग्राहकों को प्रत्यक्ष जोड़ते हुए ओपन हाउस इंटरैक्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन से यह तथ्य उभर कर आया कि 95.33% ग्राहक डिजिटल चैनल जबकि शेष 4.67% अन्य चैनल पसंद करते हैं।



1,488

केंद्र जहाँ ओपन हाउस इंटरैक्शन आयोजित किए गए

95.33%

ग्राहक, जो डिजिटल चैनल पसंद करते हैं

4.67%

ग्राहक, जो अन्य चैनल को पसंद करते हैं

एक गौरवशाली कार्यस्थल का निर्माण

भारतीय स्टेट बैंक में, हम जानते हैं कि हमारे कर्मचारी हमारे विकास इंजन के केंद्र बिंदु हैं। हम एक ऐसा वातावरण बनाने और प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिससे न केवल कर्मचारियों की उत्पादकता व अनुभव में वृद्धि हो, अपितु उन्हें स्टेट बैंक परिवार का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हो।

हम अपनी मानव संसाधन नीतियों की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक समायोजन भी करते रहते हैं। उत्पादकता में वृद्धि के क्रम में अपने स्टाफ सदस्यों को सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हम अपने सभी कार्यों को डिजिटल कर रहे हैं।



2,35,858

कुल कर्मचारी

1,09,259

अधिकारी

94,977

सहयोगी

31,622

अधीनस्थ कर्मचारी व अन्य



लैंगिक विविधता

लैंगिक विविधता हमारी मानव संसाधन नीति के प्रमुख केंद्र बिंदुओं में से एक है तथा हमने सुनिश्चित किया है कि संगठन के भीतर लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव न हो। हमारे संगठन के सभी स्तरों व सभी भौगोलिक क्षेत्रों में महिलाएं उपस्थित हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी सभी शाखाओं और कार्यालयों में लैंगिक विविधता में सुधार के लिए पहल करना जारी रखेंगे।

अधिक पढ़ें पृष्ठ [PG 64](#)

प्रशिक्षण एवं विकास

हम अपने सभी कर्मचारियों के सर्वांगीण प्रशिक्षण पर बल देते हैं, जो उन्हें बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाता है। एसबीआई में, हम भौतिक प्रशिक्षण उपायों के साथ ही डिजिटल प्रवृत्तियों को अपनाने पर भी अत्यंत बल देते हैं। हम अपने पारंपरिक क्लासरूम मॉडल के साथ ही डिजिटल माध्यमों से संगठन के सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए समर्पित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं।

अधिक पढ़ें पृष्ठ [PG 65](#)

डिजिटलीकरण को बढ़ावा

हम अपने सभी महाप्रबंधकों एवं उप महाप्रबंधकों के लिए एक सुव्यवस्थित डिजिटल लीडरशिप कार्यक्रम के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्हें अपने पेशेवर अनुभव का व्यापक रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के साथ ही लीडरशिप रिसर्च की अत्याधुनिक अवधारणाओं से अवगत कराया गया है। इसके साथ ही, हमने एक मल्टी-एटीआई सामान्य जागरूकता कार्यक्रम, जिसे माइक्रोकैप्सूल और एकीकृत डिजिटल व हाइब्रिड शिक्षण उपकरण कहा जाता है, भी शुरू किया है।

अधिक पढ़ें पृष्ठ [PG 67](#)

24%

वित्त वर्ष 2018 में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी

37.26 घंटे

वित्त वर्ष 2020 में प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण अवधि

26.78%

वित्त वर्ष 2023 में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी

75.56 घंटे

वित्त वर्ष 2023 में प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण अवधि

386

आईएसबी द्वारा डिजिटल लीडरशिप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित अधिकारी

आरक्षण एवं समान अवसर

हमारा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने व समान अवसरों का अधिकार है। इसके अनुरूप, हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण नीति पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों का पालन करते हैं। हमारे पास सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मानजनक प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा हमने 1 फरवरी 2019 से सीधी भर्ती में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों' के लिए आरक्षण को भी लागू कर दिया है।

अधिक पढ़ें पृष्ठ [PG 64](#)

कैडर	अजा	अजजा	अपिव	ईडबल्यूएस	पीडबल्यूबीडी*
अधिकारी	20,166	9,440	26,953	815	2,485
लिपिक	16,086	7,780	27,252	1653	2,529
अधीनस्थ कर्मचारी	7,390	2,161	8,874	42	176
कुल	43,642	19,381	63,079	2,510	5,190

*बेचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति

अपने समाज के लिए योगदान

हम मानते हैं कि हमारी सफलता उस समाज की समृद्धि से जुड़ी हुई है जिसकी हम सेवा करते हैं, और इसलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय संवहनीयता एवं सामुदायिक विकास पर केंद्रित पहलों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को अपनाकर, हम हितधारकों के साथ अपने बंधन को मजबूत करते हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं और सभी के लिए बेहतर और अधिक समान भविष्य के निर्माण में योगदान करते हैं।



हमारी प्रमुख सीएसआर पहलें

स्वास्थ्य देखभाल

हमने एक नए अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। आर्थोपेडिक यूनिट की स्थापना में सहायता के लिए 3 वर्ष की अवधि में आईआईएससी को 24 करोड़ रुपये की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत, हमारे अमरावती मंडल ने छह महीने तक टीबी के 1,200 रोगियों के भोजन का खर्च वहन कर उनकी सहायता की। इसके अतिरिक्त, हमारे भुवनेश्वर सर्कल ने नि-क्षय मित्र योजना के तहत 4 ब्लॉकों को गोद लिया, जिसमें कुल 10.96 लाख का निवेश किया गया।

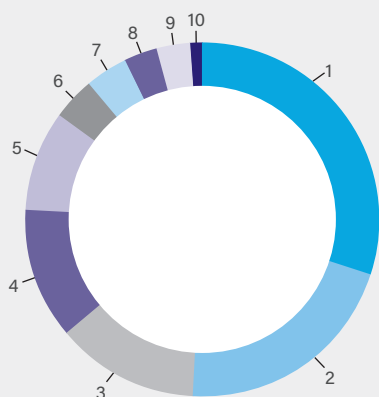
हमने झारखण्ड स्थित सामुदायिक नेत्र क्लीनिक में चिकित्सा उपकरणों की खरीद व स्थापना के लिए विजन इंडिया फाउंडेशन- त्रिलोचन नेत्रालय ट्रस्ट, संबलपुर, ओडिशा को 1.59 करोड़ की सहयोग राशि भी प्रदान की। यह सामुदायिक नेत्र क्लिनिक मरीजों को आंखों का मुफ्त इलाज मुहैया कराता है।

पर्यावरण

अमृत सरोवर योजना के हिस्से के रूप में, हमने कर्नाटक के कोलार जिले में सात झीलों के कायाकल्प के लिए 4.26 करोड़ का सहयोग दिया।

हमने एम्स, नई दिल्ली में मरीजों और उनके आश्रितों के आवागमन के लिए 10 इलेक्ट्रिक वाहन भेंट कर पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। हमने इस पहल का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित किया है।

खंड-वार सीएसआर व्यय (%)



1	स्वास्थ्य देखभाल	30
2	आजीविका व उद्यमिता	21
3	पर्यावरण	13
4	शिक्षा	12
5	ग्रामीण विकास	9
6	पीडब्ल्यूडी कल्याण	4
7	महिला सशक्तिकरण	4
8	युद्ध वेटरन	3
9	राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण एवं विविध	3
10	खेल-कूद	1

भारतीय स्टेट बैंक ने सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर की राशि जुटाई है, जो किसी वाणिज्यिक बैंक का एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऋण है।

₹316.76 करोड़

सीएसआर व्यय विव 2023 में

अखिल भारतीय

देश के सभी राज्य शामिल

~54 लाख

सीएसआर लाभार्थी

आजीविका

हमने जोशीमठ में भूखलन से प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका और पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की है।

ग्रामीण कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, हमने भवन व चारदीवारी सहित निर्माण पूरा करने और आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण खरीदने के लिए एसबीआई आरएसईटीआई सोसायटियों को 30.11 करोड़ रुपये का सहयोग दिया है।

हमने आईटीएनटी हब (तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब), जो राज्य सरकार समर्थित एक इनक्यूबेटर है, को 2 करोड़ रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। आईटीएनटी हब का लक्ष्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के रूप में एक गवर्नेंस मॉडल स्थापित करना है, जिससे शिक्षा और उद्योग की सामूहिक ताकत से सरकारी निगरानी सुनिश्चित हो सके। अपने संचालन के पहले पांच वर्षों के भीतर 200 नए स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देना और 200 नवोन्मेषकों को सशक्त बनाना इस हब का लक्ष्य है।

हमने असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों को भी सहयोग प्रदान किया है। हमारे गुवाहाटी, अमरावती और हैदराबाद मंडलों ने बाढ़ प्रभावित गांवों के वंचित निवासियों को किराने के सामान सहित आवश्यक राहत सहायता प्रदान की है। इस सहायता का उद्देश्य उनकी कठिनाइयों को कम करना और उनके जीवन को पटरी में लाने में सहयोग प्रदान करना है।



महिला सशक्तिकरण

हमने अग्रणी कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (पीएमकेवीवाई) के तहत कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को 100 लैपटॉप और 1,305 सिलाई मशीनों की खरीद व वितरण के लिए भारतीय संकल्प पथ फाउंडेशन, लखनऊ मंडल को 87.22 लाख रुपये का दान दिया है।

राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण

'हर घर तिरंगा अभियान' में सक्रिय रूप से शामिल होकर हमने समाज के वंचित वर्गों को झंडे वितरित किए। इस दौरान 1.75 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 5,00,000 झंडों का वितरण किया गया।

हमने कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित विरासत भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (आईएनटीएसीएच) को 3.19 करोड़ रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है।



सशस्त्र बल वेटरन

भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में 2.00 करोड़ रुपये तथा सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 3.30 करोड़ रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। इन योगदानों का उद्देश्य दिल्ली कैंट और जालंधर में प्रशामक देखभाल केंद्रों के स्तर में सुधार करना है।

सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध में हताहत सैनिकों एवं उनके आश्रितों की सहायता के लिए 94.94 लाख रुपये से आर्मी हॉस्पिटल (आरएंडआर), नई दिल्ली के लिए एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की खरीद की गई है।

स्वच्छता पखवाड़ा

हम भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं। बैंक ने सितंबर-अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान देश भर में निकटवर्ती क्षेत्रों की सफाई, समुद्र तट की सफाई, जूट की थैलियों का वितरण, नो-प्लास्टिक अभियान और शौचालयों के निर्माण जैसी विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया है।

अभिशासन शीर्ष नेतृत्व

सुशासन प्रत्येक सुचारु और सफल संगठन की आधारशिला है। भारतीय स्टेट बैंक में अभिशासन का प्रत्येक स्तर पर पालन किया जाता है और हमारे निदेशक बोर्ड द्वारा सक्रिय रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है। बैंक का एक सशक्त एवं प्रभावी निदेशक बोर्ड है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारी व हितधारक बैंक के मूल्यों व लक्ष्यों के अनुरूप कार्य-व्यवहार कर रहे हैं।

31.03.2023 को हमारा केंद्रीय निदेशक बोर्ड



श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष



श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी
प्रबंध निदेशक



श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक



श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक



श्री आलोक कुमार चौधरी
प्रबंध निदेशक



श्री बी. वेणुगोपाल
शेयरधारक निदेशक



डॉ. गणेश नटराजन
शेयरधारक निदेशक



श्री केतन एस. विकमसी
शेयरधारक निदेशक



श्री मृगांक एम. परांजपे
शेयरधारक निदेशक



श्री प्रफुल्ल पी. छाजेड़
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक



डॉ. विवेक जोशी
सचिव (एफएस), डीएफएस,
भारत सरकार
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री अनिल कुमार शर्मा
कार्यपालक निदेशक, आरबीआई
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा

प्रबंध निदेशक

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी

श्री स्वामीनाथन जे.

श्री अश्विनी कुमार तिवारी

श्री आलोक कुमार चौधरी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक

श्री बी. वेणुगोपाल

डॉ. गणेश नटराजन

श्री केतन एस. विक्रमसी

श्री मृगांक एम. परांजपे

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत निदेशक

श्री प्रफुल्ल पी. छाजेड़

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत निदेशक

डॉ. विवेक जोशी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत निदेशक

श्री अनिल कुमार शर्मा

बोर्ड की समितियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार

केंद्रीय बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारी समिति

श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष- समिति के अध्यक्ष
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी, प्रबंध निदेशक (आईबी, जीएम एवं टी)- सदस्य
श्री स्वामीनाथन जे, प्रबंध निदेशक (सीबी एवं एस)- सदस्य
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)- सदस्य
श्री आलोक कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक (आरबी एवं ओ)- सदस्य
एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक तथा सभी अथवा कोई अन्य निदेशक जो सामान्यतया भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी अथवा बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित रहे।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

श्री केतन एस विक्रमसी, स्वतंत्र निदेशक- समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री अनिल कुमार शर्मा, आरबीआई नामित निदेशक- सदस्य

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विक्रमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री स्वामीनाथन जे, प्रबंध निदेशक (सीबी एवं एस) - सदस्य (पदेन)
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)- सदस्य (पदेन)

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विक्रमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी, प्रबंध निदेशक (आईबी, जीएम एवं टी)- सदस्य (पदेन)
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)- सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- समिति के अध्यक्ष
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विक्रमसे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)- सदस्य (पदेन)
श्री आलोक कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक (आरबी एवं ओ)- सदस्य (पदेन)

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- समिति के अध्यक्ष
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विक्रमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी, प्रबंध निदेशक (आईबी, जीएम एवं टी) - सदस्य (पदेन)
श्री आलोक कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक (आरबी एवं ओ) - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- समिति के अध्यक्ष
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विक्रमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)

श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष- समिति के अध्यक्ष
डॉ विवेक जोशी, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक - सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विक्रमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी, प्रबंध निदेशक (आईबी, जीएम एवं टी)- सदस्य (पदेन)
श्री स्वामीनाथन जे, प्रबंध निदेशक (सीबी एवं एस)- सदस्य (पदेन)
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)- सदस्य (पदेन)
श्री आलोक कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक (आरबी एवं ओ)- सदस्य (पदेन)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी, प्रबंध निदेशक (आईबी, जीएम एवं टी) - सदस्य - समिति के अध्यक्ष (पदेन)
श्री आलोक कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक (आरबी एवं ओ) - सदस्य (पदेन)
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों के निर्धारण हेतु समीक्षा समिति

श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (आर, सी एवं एसएआरजी)- समिति अध्यक्ष (पदेन)
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विक्रमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार



श्री दिनेश कुमार खारा

अध्यक्ष

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी

प्रबंध निदेशक

(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी)

श्री स्वामीनाथन जे.

प्रबंध निदेशक

(कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी

प्रबंध निदेशक

(जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)

श्री आलोक कुमार चौधरी

प्रबंध निदेशक

(खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन)

श्री प्रकाश चंद्र कांडपाल

उप प्रबंध निदेशक

(खुदरा- वैयक्तिक बैंकिंग एवं रियल एस्टेट)

श्री एस सली

उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी

श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह

उप प्रबंध निदेशक

(लेनदेन बैंकिंग एवं नई पहल)

श्री सुरेष्ठी श्रीनिवास राव

उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री विनय एम टोंसे

उप प्रबंध निदेशक

(कॉर्पोरेट लेखा समूह)

श्रीमती सलोनी नारायण

उप प्रबंध निदेशक

(वित्त)

श्री संजय डी नाइक

उप प्रबंध निदेशक

(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री सुब्रत बिस्वास

उप प्रबंध निदेशक

(तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)

श्री आर विश्वनाथन

उप प्रबंध निदेशक

(आंतरिक लेखापरीक्षा)

श्री ओम प्रकाश मिश्र

उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं

कॉर्पोरेट विकास अधिकारी

श्री बी राघवेन्द्र राव

उप प्रबंध निदेशक

(विश्व बाजार)

श्री नितिन चुघ

उप प्रबंध निदेशक एवं

प्रमुख (डिजिटल बैंकिंग एवं रूपांतरण)

श्री शंकर बाला भद्रपत्नी

उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी

श्रीमती रुमा डे

उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी

श्रीमती विद्या कृष्णन

उप प्रबंध निदेशक

(सूचना प्रौद्योगिकी)

श्री गुलशन मलिक

उप प्रबंध निदेशक

(वाणिज्यिक ग्राहक समूह)

श्री प्रवीण राघवेन्द्र

उप प्रबंध निदेशक

(खुदरा - कृषि, एसएमई एवं वित्तीय समावेशन)

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

स्थानीय बोर्डों के सदस्य

31.03.2023 को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21(1) (क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक (खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन) से भिन्न -

अहमदाबाद

श्री सुरेन्द्र राणा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

अमरावती

श्री नवीन चंद्र झा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलुरु

श्री नंद किशोर

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल

श्री बिनोद कुमार मिश्रा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भुवनेश्वर

श्री चंद्र शेखर शर्मा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़

श्री विनोद जायसवाल

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चेन्नई

श्री आर राधाकृष्णा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

गुवाहाटी

श्री विन्सेट एम डी

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

हैदराबाद

श्री अमित झींगरन

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

जयपुर

श्री राजेश कुमार मिश्रा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता

श्री प्रेम अनूप सिन्हा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ

श्री शरद सत्यनारायण चांडक

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

महाराष्ट्र

डॉ गणेश नटराजन

निदेशक*

श्री अरविंद कुमार सिंह

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

मुंबई मेट्रो

श्री बी वेणुगोपाल

निदेशक*

श्री केतन एस विक्रमसी

निदेशक*

श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

निदेशक*

श्री जी एस राणा

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

नई दिल्ली

श्री कल्पेश कृष्णाकांत अवासिया

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

पटना

श्री शिव ओम दीक्षित

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

तिरुवनंतपुरम

श्री वेंकट रमना बाइरेड्डी

मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

*भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक।

मेसर्स ए एस ए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स तलाती एंड तलाती एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स बी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

मेसर्स सूरि एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स गोखले एंड साठे
सनदी लेखाकार

मेसर्स एम के अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स जेएलएन यूएस एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार



एसबीआई का संसार

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम



एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

- एसबीआई कैप सिव्युरिटीज लिमिटेड
- एसबीआई कैप वैंचर्स लिमिटेड
- एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड



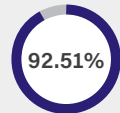
एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड



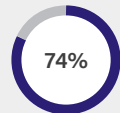
स्टेट बैंक ऑपरेशन्स सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(26.07.2022 से प्रभावी)



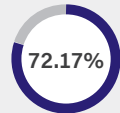
एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड



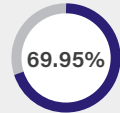
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड



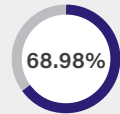
एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड



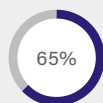
एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड



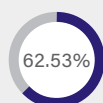
एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड



एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड

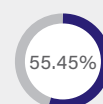


एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिव्युरिटीज
सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

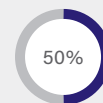


एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड

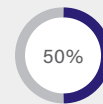
- एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल)
प्राइवेट लिमिटेड



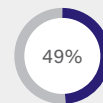
एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड



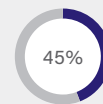
ओमान इंडिया जाइंट इनवेस्टमेंट
फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड



ओमान इंडिया जाइंट इनवेस्टमेंट
फंड-ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

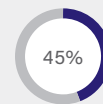


सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड

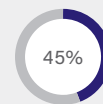


मैकैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड

- मैकैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट
लिमिटेड



एसबीआई मैकैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट
प्राइवेट लिमिटेड



एसबीआई मैकैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी
प्राइवेट लिमिटेड

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम/सहयोगी

100%

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलीफोर्निया)

100%

एसबीआई कनाडा बैंक

100%

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड

100%

कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को

99.56%

पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया

96.60%

एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड

55%

नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड

- नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

20%

बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

विदेशी गैर बैंकिंग अनुषंगियाँ

100%

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राज़ील



The banker to every **भारतीय**

दुनिया को चुनौती दें

ग्लोबल एड-वांटेज के साथ



तीव्र
ऑनलाइन आवेदन करें



सरल
आकर्षक ब्याज दर



उच्चतर
1.5 करोड़ रुपये तक



आसान
15 साल से अधिक की ईएआई



शीघ्र स्वीकृति
15 साल से अधिक की ईएआई



कर लाभ
धारा 80 (ई) के तहत

T & C apply





सांविधिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

विषयसूची

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

- आर्थिक पृष्ठभूमि और बैंकिंग वातावरण	38
- वित्तीय निष्पादन	39
- कोर परिचालन	
● रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समूह	40
- वैयक्तिक बैंकिंग	41
- सर्वसमय चैनल	47
● लघु एवं मध्यम उद्यम	49
● ग्रामीण बैंकिंग	51
● सरकारी व्यवसाय	53
● डिजिटल एवं ट्रैजिक्शन बैंकिंग (डीएंडटीबी) विपणन	54
● कार्पोरेट बैंकिंग	55
- कार्पोरेट लेखा समूह	55
- ट्रेजरी परिचालन	55
- अंतरराष्ट्रीय परिचालन	57
● वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)	60
● दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन	61
- सहायक एवं नियंत्रण परिचालन	
● मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण	64
● सूचना प्रौद्योगिकी	69
● जोखिम प्रबंधन	77
● राजभाषा	83
● विपणन एवं संप्रेषण	84
● सतर्कता तंत्र	84
● आस्ति एवं देयता प्रबंधन	85
● सदाचार एवं व्यवसाय आचरण	86
● कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	86

- अनुषंगियां	92
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए)	102
- उत्तरदायित्व रिपोर्ट	102
- आभार	102

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट	104
- सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट	134
- निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र	137
- कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	138
- व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट	139

वित्तीय रिपोर्ट

एकल (स्टैंडलोन)	140
समेकित (कंसोलिडेटेड)	228
स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)	290

सूचना

सूचना	328
हरित पहल	336

निदेशकों की रिपोर्ट

आर्थिक पृष्ठभूमि और

बैंकिंग वातावरण

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2023 को विरोधाभासों के वर्ष के रूप में याद किया जा सकता है, जिसमें वायरल संक्रमणों में कमी आई है, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला भी बेहतर हुई है। हालांकि, यूरोप में निरंतर भू-राजनीतिक संघर्ष और बाद में ताइवान / कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव में वृद्धि ने वैश्विक ऊर्जा और जिरों की कीमतों में अस्थिरता पैदा की है। केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि करते हुए एकजुट होकर काम किया है। बेंचमार्क प्रतिफल और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा। केंद्रीय बैंकों द्वारा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दर व्यवस्था में बदलाव की दिशा में धुरी में कोई ठोस बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं, भले ही अब मुद्रास्फीति में कमी और रोजगार सृजन में मंदी के संकेत हैं।

इस वर्ष मार्च में अमेरिका में कुछ मध्यम स्तरीय बैंकों के डूबने के साथ स्थिति में और गिरावट आई। इस प्रकार की गिरावट का विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में जमा पैटर्न पर व्यापक प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त, डी-डॉलरीकरण एक स्थायी स्थिति बन गई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्थानीय मुद्रा में वैकल्पिक भुगतान और निपटान तंत्र का उपयोग करते हैं।

आईएमएफ अनुमानों के अनुसार, वैश्विक विकास 2024 में 3.0% पर बंद होने से पहले 2022 में 3.4% से घटकर 2023 में 2.8% होने का अनुमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से स्पष्ट मंदी दिखने की आशंका है, जो 2022 में 2.7% से 2023 (कैलेंडर वर्ष) में 1.3% होने का अनुमान है। जिसों की कम कीमतों के कारण वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022 में 8.7% से घटकर 2023 में 7.0% हो जाएगी, लेकिन अंतर्निहित (कोर) मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है। मुद्रास्फीति के लक्ष्य पर लौटने की संभावना ज्यादातर मामलों में 2025 से पहले नहीं लगती है।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों ने लचीलापन दिखाया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमानों में निवेश और निजी खपत से प्रेरित वित्त वर्ष 2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.2% बताई गई है। आपूर्ति पक्ष पर कृषि और सेवा क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिला जबकि उच्च लागत के दबाव में विनिर्माण पर अंकुश लगा। भारत लगातार तीसरी बार सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) ने वित्त वर्ष 2023 में 4.0% की वृद्धि दर्ज की, यहां तक कि प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में सामान्य से कम बारिश और कटाई चरण के दौरान अधिक बारिश से खरीफ उत्पादन में गिरावट आई। वित्त वर्ष 2023 में खाद्यान्न उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। विनिर्माण क्षेत्र जीवीए में संकुचन से प्रेरित वित्त वर्ष 2023 में औद्योगिक गतिविधि सुस्त रही (4.4 फीसदी की वृद्धि)। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हुई और संपर्क-गहन सेवाओं से प्रोत्साहन के कारण 9.5% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2023 में संपर्क-गहन सेवाओं, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 14.0% की वृद्धि हुई। मजबूत जीएसटी संग्रह घरेलू व्यापार गतिविधि के निरंतर सुधार की ओर इशारा करता है।

पेट्रोलियम, फार्मा और रसायन/समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों के आउटबाउंड शिपमेंट में अच्छी वृद्धि के कारण भारत का व्यापारिक निर्यात लगभग 6% बढ़कर 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2023 में आयात भी 16.5% बढ़कर 714 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 में 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% था, जो व्यापारिक व्यापार घाटे की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

प्रतिकूल आपूर्ति अवरोधों और लंबित इनपुट लागतों को उत्पादन की कीमतों तक पहुंचाने के संयोजन ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति पर निरंतर दबाव डाला। औसत सीपीआई मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2022 में 5.5% की तुलना में 6.7% थी।

बैंकिंग

ऋण वृद्धि में दो अंकीय वृद्धि देखी गई है और सभी क्षेत्रों में इसके आधार में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022 में 10.4 लाख करोड़ रुपये (9.6% वर्षानुवर्ष) की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में, एससीबी का बैंक ऋण 17.8 लाख करोड़ रुपये (वर्षानुवर्ष 15.0%) बढ़कर 136.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। एससीबी की कुल जमा राशि पिछले वर्ष के 13.5 लाख करोड़ रुपये (8.9% वर्षानुवर्ष) की तुलना में 15.7 लाख करोड़ रुपये (वर्षानुवर्ष 9.6%) बढ़कर 180.43 लाख करोड़ रुपये हो गई।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आरबीआई ने 6 किस्तों में नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि की और बैंकों ने इसे जमा और क्रेडिट दरों दोनों को प्रेषित किया है।

मुख्य रूप से सभी प्रमुख क्षेत्रों में गुणवत्ता में सुधार के कारण 2022-23 के दौरान एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, सकल एनपीए अनुपात मार्च 2022 में 5.8% की तुलना में दिसंबर 2022 में घटकर 4.5% हो गया।

डिजिटल भुगतान के साथ, भारत हमारे भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और उपभोक्ताओं के एक विस्तृत स्तर द्वारा स्वीकृति के आधार पर नए मील के पत्थर देख रहा है। इन सबके बीच, यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है, जो कुल डिजिटल भुगतान का 75% है।

दृष्टिकोण

घरेलू परिस्थितियों ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% अनुमानित है, जो विश्व में सर्वाधिक है। इस वर्ष अल नीनो की संभावित वापसी के कारण प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लगने वाले झटकों के बावजूद अप्रैल (4.70%) में सकारात्मक रुख के साथ शुरू हुई मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष में मध्यम स्तर पर रहने की उम्मीद है। हालांकि, रबी खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद खाद्य कीमतों की स्थिति और सामान्य रूप से संवृद्धि के लिए अच्छी स्थिति है। हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में

औसत सीपीआई लगभग 5%-5.2% होगी, जो वित्त वर्ष 2023 में 6.7% थी जिससे नियामकों को थोड़ी राहत होगी।

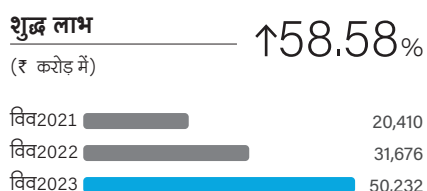
वित्त वर्ष 2023 के दौरान आरबीआई की मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई प्रारंभिक भार आधारित (फ्रंटलोडेड) रही है। वर्ष के दौरान उल्लेखनीय घटनाक्रम के रूप में बैंकों के जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु प्रेरित वित्तीय जोखिम को समायोजित करने की दिशा में आरबीआई का जोर शामिल है।

इस पृष्ठभूमि में, आपके बैंक ने व्यवसाय को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर अनुकूलित किया है। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, और आंतरिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया ताकि सभी हितधारकों की संतुष्टि के अनुसार व्यवसाय वृद्धि और जोखिम बफर उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ऋण की निरंतर मांग के साथ, वित्त वर्ष 2024 में बैंकिंग व्यवसाय के दोहरे अंकों में बढ़ने की उम्मीद है।

वित्तीय निष्पादन

शुद्ध लाभ और परिचालन लाभ

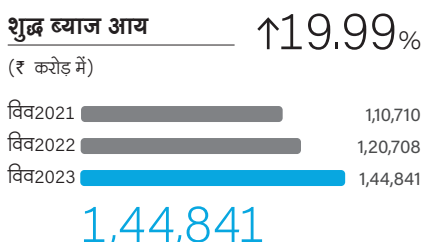
वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध लाभ 58.58% बढ़कर 50,232.45 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 में 31,675.98 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022 में 75,292.37 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2023 के लिए आपके बैंक का परिचालन लाभ 11.18% बढ़कर 83,712.97 करोड़ रुपये हो गया (वित्त वर्ष 2023 में शून्य और वित्त वर्ष 2022 में (7,418.39) करोड़ रुपये की असाधारण मद को छोड़कर)।



50,232

शुद्ध ब्याज आय

वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध ब्याज आय 19.99% बढ़कर 1,44,840.50 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2022 में 1,20,707.59 करोड़ रुपये थी। कुल ब्याज आय वित्त वर्ष 2022 में 2,75,457.29 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 3,32,103.06 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें 20.56% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2022 में 1,54,749.70 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1,87,262.56 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2023 के दौरान जमा पर ब्याज व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 14.99% की वृद्धि दर्ज की गई।



1,44,841

अन्य आय

वित्त वर्ष 2023 में अन्य आय 9.73% घटकर 36,615.60 करोड़ रुपये रह गई, जो वित्त वर्ष 2022 में 40,563.91 करोड़ रुपये थी।

परिचालन व्यय

आपके बैंक का परिचालन व्यय (असाधारण मद को छोड़कर) वित्त वर्ष 2023 में 13.68% बढ़कर 97,743.13 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 में 85,979.13 करोड़ रुपये था।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

वित्त वर्ष 2023 में कुल प्रावधान और आकस्मिकता 7.51% घटकर 33,480.51 करोड़ रुपये रह गई, जो वित्त वर्ष 2022 में 36,198.00 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023 में किए गए प्रमुख प्रावधान: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए 9,143.93 करोड़ रुपये का प्रावधान (वित्त वर्ष 2022 में 14,086.85 करोड़ रुपये की तुलना में) और 1,513.84 करोड़ रुपये का निवेश मूल्यहास (वित्त वर्ष 2022 में 3,440.10 करोड़ रुपये की

तुलना में) किया गया था। 31 मार्च 2023 तक आपके बैंक का सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात (एयूसीए सहित) 91.91% (पिछले वर्ष 90.20%) है।

प्रावधान कवरेज अनुपात ↑171bps
(एयूसीए सहित)



91.91

आस्ति और देयताएं

मार्च 2023 के अंत तक आपके बैंक की कुल संपत्ति 10.61% बढ़कर 55,16,978.53 करोड़ रुपये हो गई, जो मार्च 2022 के अंत में 49,87,597.41 करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान, ऋण पोर्टफोलियो 27,33,966.59 करोड़ रुपये से 17.02% बढ़कर 31,99,269.30 करोड़ रुपये हो गया। निवेश 14,81,445.47 करोड़ रुपये से 6.00% बढ़कर 15,70,366.23 करोड़ रुपये हो गया। घरेलू बाजार में निवेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में था।

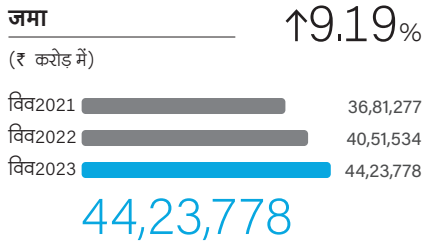
ऋण पोर्टफोलियो ↑17.02%
(₹ करोड़ में)



31,99,269

आपके बैंक की कुल देनदारियां (पूंजी और आरक्षित को छोड़कर) 31 मार्च 2023 को 10.24% बढ़कर 51,89,370.08 करोड़ रुपये हो गई, जो 31 मार्च 2022 को 47,07,509.35 करोड़ रुपये थीं। 31 मार्च 2023 को जमा राशि 9.19% बढ़कर 44,23,777.78 करोड़ रुपये हो गई, जो 31 मार्च 2022 को 40,51,534.12 करोड़ रुपये थी। मार्च 2023 के अंत तक उधारी 15.75% बढ़कर 4,93,135.15 करोड़ रुपये हो गई, जो मार्च 2022 के अंत में 4,26,043.38 करोड़ रुपये थी।

निदेशकों की रिपोर्ट



आरक्षित और अधिशेष

15,069.74 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022 में 9,502.79 करोड़ रुपये की तुलना में) की राशि सांविधिक रिजर्व में हस्तांतरित की गई थी। 232.81 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022 में 538.16 करोड़ रुपये की तुलना में) की राशि पूंजी भंडार में हस्तांतरित की गई थी। वित्त वर्ष 2023 में 4,575.43 करोड़ रुपये की राशि (वित्त वर्ष 2022 में 4,647.87 करोड़ रुपये की तुलना में) निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व में हस्तांतरित की गई थी।

लाभांश

आपके बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 1130% की दर से 11.30 रुपये प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है।

IND-AS के कार्यान्वयन की प्रगति

आरबीआई ने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के माध्यम से इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया। हालांकि, आरबीआई को सभी बैंकों को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बैंक में इंड एस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित प्रबंध निदेशक (आर, सी और एसएआरजी) की अध्यक्षता में संचालन समिति के अनुमोदन के बाद बैंक प्रत्येक छमाही में आरबीआई प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है।

1,130%

₹1/शेयर के अंकित मूल्य पर डिविडेंड



कोर परिचालन

खुदरा व्यापार और परिचालन

खुदरा व्यापार और परिचालन (आरबी एंड ओ) समूह कुल शाखाओं का 98.96% और आपके बैंक के पूरे मानव संसाधनों का 95.03 के साथ

प्रमुख पहल

संवहनीय विकास की प्रतिबद्धता स्वरूप, आपके बैंक ने रूफटॉप सौर फोटो वोल्टाइक सिस्टम को वित्तपोषण के लिए गृह ऋण परियोजना के अंग के रूप में शामिल किया है। इसके साथ ही व्यापक माइक्रो बाजार अध्ययन और पूरे भारत में 133 प्रसंस्करण केंद्रों के खुलने से टियर -2 और टियर -3 शहरों में गृह ऋण की पहुंच अधिक हुई है, जो गृह ऋण के लिए ग्राहकों की नंबर 1 पसंद बनने के हमारी लक्ष्य में योगदान दे रहा है।

आपके बैंक ने बिल्डर टाई-अप (बीटीयू) के अंतर्गत परियोजनाओं को ऑनबोर्ड करके गृह ऋण पोर्टफोलियो को काफी बढ़ावा दिया है। इससे परियोजना की गुणवत्ता और न्यूनतम कार्य समय (टीएटी) में भी सुधार हुआ है। अब तक, बीटीयू परियोजनाओं में 29.04% की हिस्सेदारी के साथ 13,184 आवासीय परियोजनाओं (रेरा अनुमोदित) को मंजूरी दी गई है।

ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सभी केंद्रों पर

बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है जिसमें आठ कार्यनीतिक व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं। आपका बैंक अपनी सभी शाखाओं में ग्राहकों की प्रसन्नता के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएं, विशेष रूप से युवा आबादी की तथा ग्राहक सुविधा केंद्रित सेवा की अपेक्षा खुदरा बैंकिंग परिदृश्य को बदल रही हैं।

आपकी बैंक का ग्राहक आधार देश भर में लगातार बढ़ रहा है, जिससे खुदरा बैंकिंग आपके बैंक का सबसे बृहद खंड बन गया है, जमा जुटाने के साथ-साथ अनुकूलित क्रेडिट का विस्तार करने के दोनों मामले में। आपका बैंक देश का सबसे बड़ा गृह ऋण और शिक्षा ऋण प्रदाता बना हुआ है, जो बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

खुदरा ऋण प्रबंधन समाधान और विक्रेता सत्यापन मॉड्यूल आरंभ करने से एक समान अंडरराइटिंग मानक, निर्बाध वितरण और संपूर्ण डिजिटलीकृत उत्पाद उपलब्ध कराने में सुविधा हुई है। गृह ऋण व्यवसाय में हिस्सेदारी अधिक बढ़ाने और बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए योनो और आरएएस को डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए गृह ऋण दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण के लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन (डीएमएस) भी शुरू किया गया है।

इससे पहले, मूल्य निर्धारण ऋण राशि, जोखिम ग्रेड स्कोर, उधारकर्ता के व्यवसाय और एलटीवी जैसे कई कारकों पर निर्भर था। अब, मूल्य निर्धारण पूरी तरह से उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर आधारित है। इस सरलीकृत मूल्य निर्धारण को व्यापक स्वीकृति मिली है। ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए, मौजूदा और साथ ही नए गृह ऋण ग्राहकों के लिए 'हैप्पी होम कार्ड' नाम से एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।

आपका बैंक सभी स्तरों पर जोखिम जागरूकता वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, आपका बैंक अपनी शाखाओं के बड़े नेटवर्क के माध्यम से उत्पाद उपलब्ध करा कर खुदरा बैंक को संपूर्ण डिजिटल बना रहा है।

आपका बैंक डिजिटल, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट, सोशल मीडिया और शाखाओं जैसे विभिन्न चैनलों में प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों की श्रृंखला के साथ डिजिटल बैंकिंग डोमेन में अग्रणी है। इसमें एक मल्टी-चैनल डिलीवरी मॉडल है जो अपने ग्राहकों को एक व्यापक विकल्प प्रदान करता है।

क. वैयक्तिक बैंकिंग

गृह ऋण

आवासीय अचल संपत्ति बाजार में आवास बिक्री और नए लॉन्च में निरंतर वृद्धि देखी गई। यह आंशिक रूप से अधिक लोगों के घर से काम करने के कारण था, जिससे शहरों के साथ-साथ टियर -2 और 3 क्षेत्रों में आवास की अधिक मांग पैदा हुई। उपभोक्ता रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए काफी उत्सुक हैं, जिससे यह सकारात्मक प्रवृत्ति आई है।

निष्पादन

आपका बैंक देश का सबसे बड़ा गृह ऋण प्रदाता बना हुआ है। हाल के वर्षों में उठाए गए कार्यनीतिक कदमों ने आपके बैंक को रियल एस्टेट एयूएम में 6 ट्रिलियन रुपए के स्तर को पार करने में सक्षम बनाया है। अब, यह मार्च, 2023 तक 14.07% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर के साथ 6.41 ट्रिलियन रुपए है। वित्त वर्ष 2023 में, आपके बैंक ने लगभग 1.73 ट्रिलियन रुपए के गृह और गृह-संबंधी ऋण वितरित किए। गृह ऋण पोर्टफोलियो कुल बैंक अग्रिमों का 23.08% और एनबीजी अग्रिमों का 36.03% था जबकि, प्राथमिकता क्षेत्र कुल उधार का 31.62% है।

सक्रिय निगरानी और ग्राहकों के साथ बहतर संपर्क ने हमें गृह ऋण में एनपीए को निचले स्तर पर बनाए रखने में सहायता की (31 मार्च, 2023 तक केवल 0.69% तक)।

आपके बैंक ने उद्योग की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है और 30 सितंबर 2022 तक 21.77% की समग्र उद्योगव्यापी बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, और 31 मार्च, 2023 तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 33.09% है।

आपका बैंक आवास और शहरी प्राधिकरण मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित एकमात्र वाणिज्यिक बैंक था। पीएमएवाई-सीएलएसएस योजना के लिए सीएनए के रूप में, आपके बैंक द्वारा कुल 255 करोड़ रुपए के 12,204 सब्सिडी

दावों को संसाधित किया गया था। इसके अलावा, वंचित आबादी तक अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए, हमने सह-उधार के लिए 5 आवास वित्त कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

गृह ऋण पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

विव2019		4.00
विव2020		4.56
विव2021		5.03
विव2022		5.61
विव2023		6.41

6.41



समझौता ज्ञापन पर डीएमडी (रिटेल-पीबी और आरई) श्री प्रकाश चंद्र कांडपाल और वाइस एडमिरल सूरज बेरी, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज, भारतीय नौसेना नेवल स्टाफ के लिए 'शौर्य फ्लेक्सी होम लोन' लॉन्च के अवसर पर, अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा और एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी-चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

#1

भारत में गृह ऋण प्रदाता

33.09%

गृह ऋण खंड में बाजार हिस्सेदारी

14.07%

वित्त वर्ष 2023 में गृह ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि

3.58+ लाख

नए ग्राहक जिन्होंने गृह ऋण का लाभ उठाया

निदेशकों की रिपोर्ट

वाहन ऋण

बढ़ती हुई आय स्तर, विभिन्न कारों के विकल्प और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अब तक अप्रयुक्त क्षमता के कारण भारत ऑटोमोबाइल के लिए महत्वपूर्ण बाजार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 900+ और चीन में 200+ की तुलना में प्रति 1,000 पर औसत 22 कारों की उपलब्धता से स्पष्ट है। आपका बैंक नए कार ऋण में शीर्ष ऋण प्रदाताओं में से एक है। यह सफलता नवीन पहल और सेवा से संभव हुई है।

निष्पादन

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में 18,375 करोड़ रुपए के एयूएम के साथ वाहन ऋण में 23.2% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हासिल की है और 19.40% की कुल बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की है। उच्च मूल्य कार ऋण खंड ऋण राशि => 25 लाख) ने

160% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की। विव 2023 में आपके बैंक ने 43,954 करोड़ के वाहन ऋण संवितरित किए।

आपके बैंक की निरंतर सक्रिय निगरानी और फॉलो-अप और सर्वश्रेष्ठ इन-क्लास अंडरराइटिंग के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में 0.69% की तुलना में 0.43% का एनपीए हुआ, जो इसे उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाता है।

वाहन ऋण पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

विव2019	71,884
विव2020	72,662
विव2021	76,322
विव2022	79,148
विव2023	97,523

97,523

प्रमुख पहल

ऋण वितरण बढ़ाई गई जनशक्ति, तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रमुख कार ओईएम के साथ साझेदारी, पूर्व-अनुमोदित ऑफर और रियायती दर पर 'ग्रीन कार ऋण' समझौतों के संयोजन के माध्यम से, हम एक वर्ष में 5.86 लाख से अधिक नए खुश ग्राहक बनाने में सफल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, 'एसबीआई-ईजी राइड' विकसित किया गया है। यह संपूर्ण डिजिटल उत्पाद है जिससे दोपहिया वाहन वित्तपोषण की संस्वीकृति या संवितरण के लिए किसी शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।



पीबीबीयू अग्रिमों में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने के अवसर पर बैंक के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों एवं उप प्रबंध निदेशकों के साथ उत्साहवर्धन करते हुए।

19.40%

वाहन ऋण में बाजार हिस्सेदारी

23.2%

विव 2023 में वाहन ऋण में वृद्धि

160%

उच्च मूल्य वाहन ऋण में वृद्धि

5.86+ लाख

नए ग्राहक जिन्होंने वाहन ऋण का लाभ उठाया

शिक्षा ऋण

आपके बैंक को देश के सबसे बड़े शिक्षा ऋण प्रदाता होने पर गर्व है जिसका 31 मार्च 2023 तक शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो का 33.18% हिस्सा और सभी सहायक प्रणाली केंद्रीय बैंकों (एससीबी) के बीच संवितरण लक्ष्यों का 37.70% हिस्सा है।

निष्पादन

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में 5776 करोड़ के शिक्षा ऋण में वृद्धि के साथ 21.9% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2023 में, आपके बैंक ने 9902 करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण वितरित किए। मार्च 2023 के अंत तक हमारा संपार्श्विक हिस्सा 49% था, और हमने डीएफएस, भारत सरकार द्वारा सौंपे गए वार्षिक संवितरण लक्ष्य का 128% प्राप्त किया।

शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

विव2019	20,777
विव2020	22,833
विव2021	23,504
विव2022	26,357
विव2023	32,133

32,133



श्रीमती सलोनी नारायण, डीएमडी, एसबीआई ने बीएसएफ के साथ खुदरा उत्पादों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



प्रमुख पहल

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 1,13,793 मेधावी छात्रों को 15,086 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी देकर उनके सपनों को साकार करने में मदद की है। इसमें से 41% ऋण छात्राओं को दिए गए। शिक्षा ऋण के दायरे को व्यापक बनाने, गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय सुनिश्चित करने और ग्राहकों

की संतुष्टि बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं:

- स्कॉलर लोन स्कीम के तहत शिक्षा ऋण देने के लिए शीर्ष रेटेड प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थानों को रियायती मानदंडों और रियायती ब्याज दरों पर शॉर्टलिस्ट किया गया।
- चुनिंदा शहरों में डोर-स्टेप सेवाओं के विस्तार के माध्यम से विदेशों में अध्ययन के लिए

एसबीआई प्रमुख उत्पाद 'ग्लोबल एड-वेंटेज एजुकेशन लोन' की पहुंच में सुधार हुआ है।

- ऋण आवेदनों की बेहतर ट्रैकिंग और ऋणों की तेजी से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक की ऋण उत्पत्ति प्रणाली को विद्या लक्ष्मी पोर्टल और भारत सरकार के जन समर्थ पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया था।

#1

भारत का शिक्षा ऋण प्रदाता

33.18%

शिक्षा ऋण खंड में बाजार हिस्सेदारी

21.9%

वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा ऋण में वृद्धि

1,13,793

वर्ष के दौरान शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्र

निदेशकों की रिपोर्ट

वैयक्तिक ऋण

आपका बैंक वैयक्तिक ऋण बाजार में अग्रणी है, जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋण शामिल हैं। ये ऋण बैंक के वेतन व पेंशन पाने वाले और स्व-नियोजित ग्राहकों और अन्य बैंकों के वेतनभोगी ग्राहकों को एसबीआई क्लिक वैयक्तिक ऋण (सीएलपी प्लेटफॉर्म) और एसबीआई एलीट के माध्यम से दिए जाते हैं।

निष्पादन

वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो (एक्सप्रेस क्रेडिट एवं पेंशन ऋण) वित्त वर्ष 2023 में 3 लाख करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर 3,49,988 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 87 लाख से अधिक ग्राहकों को वैयक्तिक ऋण (एक्सप्रेस क्रेडिट और पेंशन ऋण) प्रदान किए हैं।

वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

विव2019	1,25,965
विव2020	1,66,528
विव2021	2,22,966
विव2022	2,85,987
विव2023	3,49,988

3,49,988

प्रमुख पहल

वैयक्तिक ऋण उत्पादों को ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए उनमें कई संशोधन किए गए हैं, इनमें ब्याज दर में समयबद्ध रियायत और पूर्व भुगतान/फोरक्लोजर शुल्क में

छूट शामिल है। आपके बैंक ने रियल टाइम दस्तावेज निष्पादन के लिए ई-स्टैंपिंग और ई-हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए, एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण में डिजिटल दस्तावेज निष्पादन को एकीकृत किया है। यह

सुविधा वर्तमान में 22 राज्यों में लागू है और 31 मार्च, 2023 तक, 1,41,334 वैयक्तिक ऋण समझौतों को संसाधित किया गया है।

SBI | yono eSBI

पूर्व स्वीकृत पर्सनल लोन सिर्फ 4 क्लिक्स में

योनो ऐप / इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए तत्काल क्रेडिट

शाखा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं

पात्रता की जांच अभी करें: एक्सप्रेस कॉल +92924-66-एक्सबीआई ऋणों के ज़रिए 4 अंक > 567676 करें

7% तक कम ब्याज दरें

ई-कॉमर्स खरीद के लिए उपभोक्ता टिकाऊ ऋण:

आपका बैंक दो ई 2 ई उत्पाद प्रदान करता है: पीओएस ईएमआई ऋण और ऑनलाइन ईएमआई ऋण। जहां पहली पाइन लैब्स पीओएस मशीनों के माध्यम से विभिन्न दुकानों, मॉल, स्टोर और शोरूम में उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं दूसरी बिल डेस्क और पेयू के साथ हमारे टाईअप द्वारा चयनित ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलों पर उपलब्ध कराया गया है।

ये उत्पाद वर्तमान में एआई / एमएल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनके ख़ाते के व्यवहार और अन्य मापदंडों के आधार पर 1.18 करोड़ पूर्व अनुमोदित ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। आपका बैंक इन

पूर्व-अनुमोदित ग्राहकों को उनकी पात्रता के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से एसएमएस / ई-मेल भेज रहा है।

डेबिट कार्ड ईएमआई लोन की उत्पाद विशेषताओं में संशोधन 23 दिसंबर 2022 को शुरू किए गए थे, जिसमें अधिकतम ऋण राशि को ₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख तक बढ़ाना और साथ ही न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि को 6 महीने से 3 महीने और अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि को 18 से 36 महीने तक बदलना शामिल है।

567676 पर एसएमएस 'DCEMI' भेजकर वैयक्तिक ऋण के लिए अपनी पात्रता की जांच करें.

#1

भारत का वैयक्तिक ऋण प्रदाता

22.4%

वित्त वर्ष 2023 में वैयक्तिक ऋण में वृद्धि

0.58%

31 मार्च, 2023 तक वैयक्तिक ऋण में कुल एनपीए

87 लाख

वित्त वर्ष 2023 में वैयक्तिक ऋण लेने वाले ग्राहक

स्वर्ण ऋण

आपका बैंक सोने के गहने बंधक रखकर सामान्य उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक ऋण प्रदान करता है।

निष्पादन

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, पोर्टफोलियो में 24.46% की वर्षानुवर्ष वृद्धि देखी गई, जिससे 31 मार्च 2023 को 1.4 मिलियन गोल्ड लोन ग्राहक आधार के साथ 28,705 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। बैंक ऋण के क्षेत्रीय उपयोग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी

आंकड़ों के अनुसार, आपके बैंक की वैयक्तिक स्वर्ण ऋण बाजार हिस्सेदारी 31.94% थी।

स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

विव2019	1,535
विव2020	3,714
विव2021	20,987
विव2022	23,063
विव2023	28,705

28,705

प्रमुख पहल

आपके बैंक के पास एसबीआई के गृह ऋण ग्राहकों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं, परियोजना लागत वृद्धि और पंजीकरण शुल्क को पूरा करने के लिए 'रियल्टी गोल्ड लोन' नामक उत्पाद के माध्यम से वैयक्तिक स्वर्ण ऋण उपलब्ध है।

आपके बैंक ने वर्तमान स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं के लिए टॉप-अप स्वर्ण ऋण भी उपलब्ध कराया है, जो अपने सोने के गहने और आभूषणों के आधार पर टॉप-अप का लाभ उठाना चाहते हैं, जो पहले से ही बैंक के पास गिरवी है।

देयता एवं निवेश उत्पाद

	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023	वृद्धि	वृद्धि (%)
कुल जमा राशि	40,51,534	44,23,778	3,72,244	9.19
मीयादी जमा	21,45,117	23,90,667	2,45,550	11.45
बचत बैंक जमा	15,13,205	15,81,466	68,261	4.51
कासा जमा	17,75,084	18,62,904	87,820	4.95
पी-डोमेस्टिक डिपॉजिट	25,67,514	27,33,625	1,66,111	6.47

- वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल बचत बैंक जमा में 68,261 करोड़ रुपये (4.51%) की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल सावधि जमा में 2,45,550 करोड़ रुपये (11.45%) की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 98.75 लाख खातों की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक ने 124.41 लाख नियमित बचत बैंक खाते खोले।
- वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक की कासा जमा राशि में 87,820 करोड़ रुपये (4.95%) की वृद्धि हुई।
- बैंक ने वर्ष 2023 के दौरान प्रति शाखा प्रति दिन 2.13 नियमित बचत बैंक खाते खोले। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1.72 खाते खोले गए।
- नियमित बचत बैंक खातों में औसत शेष राशि मार्च 2022 में 48,661 रुपये की तुलना में मार्च 2023 तक बढ़कर 49,915 रुपये हो गई है।

- एसबीआई सर्वोत्तम नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई।
- अमृत कलश जमा योजना 7.10% की आकर्षक ब्याज दर पर 400 दिनों की अवधि के साथ शुरू की गई।
- एसबीआई वी केयर डिपॉजिट योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल और उससे अधिक की अवधि के लिए कार्ड दर पर 100 बीपीएस की बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ विस्तारित किया गया है।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं

ग्राहकों की सुविधा और बैंकिंग सुविधा बेहतर बनाने के लिए, आपका बैंक शीर्ष 100 बैंकिंग केंद्रों में सभी ग्राहकों को एजेंटों के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। सभी बैंकिंग केंद्रों पर 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

31.94%

वैयक्तिक स्वर्ण ऋण खंड में बाजार हिस्सेदारी

1.4 मिलियन

स्वर्ण ऋण ग्राहक आधार

24.46%

वित्त वर्ष 2023 में स्वर्ण ऋण में वृद्धि

निदेशकों की रिपोर्ट

डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं में शामिल हैं:

- नकद जमा और निकासी
- जीवन प्रमाण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र
- नामांकन फॉर्म और फंड ट्रांसफर अनुरोध का पिकअप
- चेक बुक और मांग पर्ची भिजवाने की सुविधा
- चेक के साथ संग्रह/समाशोधन, आईटी/सरकारी/जीएसटी चालान के लिए चेक भिजवाने की सुविधा
- खाते के विवरण, सावधि जमा सलाह और टीडीएस और फॉर्म 16 प्रमाण पत्र की सुपुर्दगी।

वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)

ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, आपके बैंक ने वी-सीआईपी डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है, जो घर से खाता खोलने की अनुमति देती है, जिससे शाखाओं में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

4.70 लाख

ग्राहकों ने वी-सीआईपी के माध्यम से बचत बैंक खाता खोले

वेतन पैकेज खाते

आपके बैंक ने अनुकूलित वेतन पैकेज के साथ रक्षा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और कॉर्पोरेट्स सहित सभी क्षेत्रों में वेतन पैकेज खातों की सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित किया। वित्त वर्ष 2023 में कुल वेतन खाते बढ़कर 181.27 लाख हो गए, जिसमें वर्ष के दौरान 4.02 लाख खाते जोड़े गए।

डिजिटल खाता खोलना

आपके बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, कुल नियमित बचत बैंक खातों का 64% डिजिटल रूप से खोला गया है, जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान 78.6 लाख है।

डिजिटल वैयक्तिक ऋण ऑफरिंग

आपके बैंक ने उच्च लाभ मार्जिन के साथ विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करा कर ग्राहक सुविधा और पोर्टफोलियो वृद्धि सुनिश्चित की है। योनो वास्तविक समय में डिजिटल ऋण प्रदान करता है, भौतिक प्रलेखन या शाखा में जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त, एसएमएस भेजकर रियल-टाइम प्री-अप्रूव्ड वैयक्तिक ऋण पात्रता शुरू की गई है।

संख्या के आधार पर स्वीकृत डिजिटल ऋण

11.63 लाख

वित्त वर्ष 2022

13.39 लाख

वित्त वर्ष 2023

मूल्य के आधार पर डिजिटल ऋण मंजूरी

21,560 करोड़

वित्त वर्ष 2022

24,314 करोड़

वित्त वर्ष 2023

डिजिटल ऋण में शामिल हैं:

- रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन
- पीएपीएल (प्री-अप्रूव्ड वैयक्तिक ऋण)

- पीएक्ससी (पूर्व-अनुमोदित एक्सप्रेस क्रेडिट)
- पीएपीएनएल (पूर्व-अनुमोदित पेंशन ऋण)
- एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए इंस्टा टॉप-अप
- इंस्टा पेंशन लोन
- इंस्टा होम लोन टॉपअप
- PA2WLR (पूर्व अनुमोदित दो पहिया ऋण)

एनआरआई व्यवसाय

आपके बैंक की भारत में 434 समर्पित विशेष एनआरआई शाखाएं / एनआरआई गहन शाखाएं, 29 देशों में विदेशी कार्यालय, कोर्रसपोंडेंट बैंकों के रूप में 227 वैश्विक बैंक और प्रेषण की सुविधा के लिए मध्य पूर्व में 45 एक्सचेंज हाउस और पांच बैंकों के साथ टाईअप है।

एनआरआई ग्राहकों को समग्र सेवा प्रदान करने के लिए, सभी गैर-वित्तीय सेवाओं के लिए एनएकुलम में ग्लोबल एनआरआई सेंटर (जीएनसी) स्थापित किया गया है।

एनआरआई जमा आधार 29.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मार्च, 2023) था, जो दुनिया भर में बढ़ते भारतीय प्रवासियों और एनआरआई के बीच बैंक के प्रति विश्वास को दर्शाता है। आपके बैंक ने अपनी एफसीएनआर (बी) जमा बाजार हिस्सेदारी को 26.06% तक बढ़ा दिया, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 135 बीपीएस अधिक है।

पहल

आपके बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों के लाभ के लिए वित्त वर्ष 2023 में निम्नलिखित सेवाएं शुरू की हैं:

- एनआरआई शाखाओं के परिचालन स्टाफ को एनआरआई उत्पादों और सेवाओं का प्रशिक्षण।
- भारत में तीव्र गति से प्रेषण सुविधा के लिए 'रेमिटली' के साथ करार।

1,724

वित्त वर्ष 2022-23 में वेतन पैकेज के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ नया टाई-अप

304

समर्पित वेतन पैकेज माइक्रोसाइड्स बनाए गए

35.24 लाख

एनआरआई ग्राहक

- यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके विदेशों में प्रेषण सुविधा।
- एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर के अलावा ईमेल पर ओटीपी।
- एनआरई नॉन-कॉलेबल जमा योजना शुरू की।
- एफएक्स-आउट (आईएनबी चैनल) से विदेशी मुद्रा बाह्य प्रेषण के लिए एनआरई खाते की सीमा वृद्धि 25000 अमेरिकी डॉलर तक।
- यूट्यूब और फेसबुक पर विज्ञापनों, सोशल मीडिया अभियानों और वीडियो के माध्यम से भारत और विदेशों में हवाई अड्डों पर एनआरआई उत्पादों और सेवाओं की दृश्यता में वृद्धि
- सह-उधारकर्ता के रूप में निवासी भारतीय (करीबी रिश्तेदार) के साथ कार ऋण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया।
- खाता एग्जिगेटर फ्रेमवर्क में शामिल

बहुमूल्य धातु

वित्त वर्ष 2023 में, आपके बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के अंतर्गत 1,730 किलोग्राम सोना (919.30 करोड़ रुपये) और भारत सरकार की स्वर्ण मुद्राकरण योजना के अंतर्गत 2,016 किलोग्राम सोना जुटाया।

आपका बैंक घरेलू और निर्यात उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषण निर्माताओं को धातु स्वर्ण ऋण प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, आपके बैंक ने 17,829 किलोग्राम के धातु स्वर्ण

ऋण का विस्तार किया। आपका बैंक ज्वैलर्स/ट्रेडर्स को सेल ऑफ गोल्ड (एसओजी) योजना भी दे रहा है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान आपके बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 3,950 किलो सोने की बिक्री की।

धन प्रबंधन व्यवसाय

हम अपने सम्मानित ग्राहकों को धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाले प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। एसबीआई वेल्थ में, हम म्यूचुअल फंड, बीमा, पीएमएस, बॉन्ड और एआईएफ जैसे निवेश उत्पादों के माध्यम से समृद्ध ग्राहकों की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

समर्पित और व्यक्तिगत संबंध प्रबंधकों की वेल्थ टीम निवेश और बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क में हैं। डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं को हमारे ग्राहक संबंध अधिकारियों के माध्यम से भी बढ़ाया जाता है। ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित प्रस्ताव के प्रमुख तत्व हैं: कई वितरण चैनलों को चुनने में लचीलापन, गहन अनुसंधान और विश्लेषण और खुला आर्किटेक्चर।

हमारी धन प्रबंधन सेवाएं 230 धन प्रबंधन केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के 100 प्रमुख केंद्रों पर प्रदान की जाती हैं।

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान निवेश एयूएम और निवेश सक्रिय ग्राहकों के मामले में तेजी से वृद्धि दिखाई है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान निवेश एयूएम 14,317 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,580 करोड़ रुपये (43.75% वृद्धि) हो गया है और निवेश सक्रिय ग्राहकों की संख्या 93,726 से बढ़कर 1,18,569 (26.50% वृद्धि) हो गई है। इसी अवधि के लिए ग्राहकों की संख्या भी

2,97,246 से बढ़कर 3,59,480 (20.94% वृद्धि) हो गई और एयूएम 2,51,351 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,95,860 करोड़ रुपये (17.70% की वृद्धि) हो गया।

हमने पायलट आधार पर तीन मंडलों - मुंबई मेट्रो, दिल्ली और हैदराबाद मंडलों में प्रीमियर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं ताकि कॉर्पोरेट वेतन पैकेज (सीएसपी) ग्राहकों को वैयक्तिक बैंकिंग और निवेश संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें - प्लेटिनम श्रेणी

ख. सर्वसमय चैनल

एटीएम और एडीडब्ल्यूएमएस

आपके बैंक के पास 31 मार्च, 2023 तक देश के सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क में से एक है जिसमें 12,608 स्वचालित जमा और निकासी मशीन (एडीडब्ल्यूएम) सहित 65,627 एटीएम हैं। चुनौतीपूर्ण स्थानों सहित यह पूरे देश में मौजूद है। इनमें डल झील, श्रीनगर एर्नाकुलम और वाइपीन जेट्टी केरल पर फ्लोटिंग एटीएम, असम के चाय बागानों, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप के द्वीपों और लद्दाख के खारदुंगला में नई एटीएम लांबी शामिल हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। आपके बैंक की घरेलू बाजार हिस्सेदारी स्थापित एटीएम और एडीडब्ल्यूएम की संख्या में 30% है जो देश में नकदी वितरण (34%) का उच्चतम हिस्सा संभालता है। हमारे बैंक के एटीएम/एडीडब्ल्यूएम पर हर दिन औसतन 1.32 करोड़ से अधिक लेनदेन और हमारे एडीडब्ल्यूएम पर 5.66 लाख नकद जमा लेनदेन होते हैं।

वर्ष के दौरान प्रमुख पहल

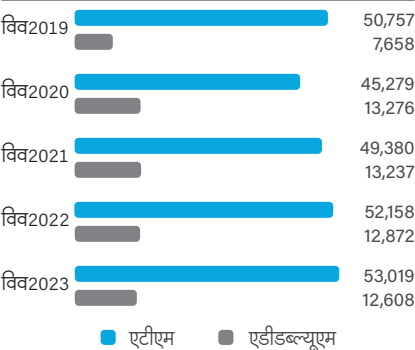
- बैंकों के सभी एटीएम में छोटे मूल्य वर्ग के नोटों के लिए एटीएम में नकदी वितरण लॉजिक को बढ़ाया गया।
- ओटीपी आधारित नकद निकासी - नई सुविधा का समावेश - एटीएम स्क्रीन पर 30 सेकंड टाइमर डिस्प्ले ताकि ग्राहक को ओटीपी दर्ज करने के लिए उपलब्ध समय

के बारे में जागरूक किया जा सके और टाइमआउट से बचा जा सके।

- ग्राहकों को विफल लेनदेन का शीघ्र रिवर्सल।
- 15000 नई जीसीसी मशीनें स्थापित की गईं।
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी समाधान (ईएसएस) के तहत 49,719 साइटों को कवर किया गया है।

- एसबीआई एटीएम से मुफ्त बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को एसएमएस भेजा जा रहा है और उपरोक्त सेवाएं व्हाट्सएप बैंकिंग पर भी उपलब्ध हैं।
- जब भी एटीएम में नकदी नहीं होती है (ग्राहकों द्वारा लेनदेन किए जाने से पहले) एटीएम स्क्रीन पर नकदी उपलब्ध नहीं है का प्रदर्शन।

एटीएम एवं एडीडब्ल्यूएम



स्वयं कियोस्क:

आपके बैंक ने 17,643 शाखाओं में 20,137 बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क (स्वयं) स्थापित किए हैं और दैनिक आधार पर 13 लाख लेनदेन संसाधित किए जाते हैं, जो शाखा काउंटरों से हर महीने 3.65 करोड़ पासबुक प्रिंटिंग लेनदेन माइग्रेट करते हैं। पिछले 90 दिनों के लिए प्रत्येक सर्कल से पांच शाखाओं के लिए पायलट आधार पर पुनः मुद्रण कार्यक्षमता भी सक्षम की गई है।

ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी):

आपके बैंक ने ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन के लिए 21,446 खुदरा शाखाओं में 33,077 जीसीसी टर्मिनल स्थापित किए हैं।

साइबर सेल

साइबर अपराधों से निपटने के लिए, गृह मंत्रालय ने पीड़ितों द्वारा साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए समर्पित ईमेल (www.cybercrime.gov.in) और एक हेल्पलाइन नंबर 1930 के साथ साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को देखने के लिए 17 मंडलों में साइबर अपराध सेल कई शिफ्टों में काम करते हैं। विव2023 तक कुल 3,04,450 शिकायतों पर ध्यान दिया गया है और 51.50 करोड़ रुपये की राशि को रोक दिया गया है/ बचाया गया है।

ग्राहक मूल्य संवर्धन

आपका बैंक अपने ग्राहकों और सभी हितधारकों के मूल्य संवर्धन के लिए समर्पित है, एक स्थान पर समग्र वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। एक वित्तीय सुपरस्टोर के रूप में, बैंक पूरे भारत में अपने नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड, सामान्य बीमा, जीवन बीमा, क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और डीमैट खाते प्रदान करता है। डिजिटल परिवर्तन में

प्रत्येक उत्पाद का राजस्व योगदान निम्नानुसार है:

उत्पाद	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023	(₹ करोड़ में)
			% परिवर्तन वर्षानुवर्ष
एसबीआई लाइफ	1,568	2,040	30
एसबीआई एमएफ और अन्य	767	916	19
एसबीआई जनरल	319	398	25
एसबीआई कार्ड्स	199	264	33
एसएसएल	5	5	-
एनपीएस	10	18	80
कुल	2,868	3,641	27

पहल और सफलताएं: वित्त वर्ष 2023 के लिए नीचे उल्लिखित हैं:

एसबीआई लाइफ:

एसबीआई लाइफ इश्योरेंस वित्त वर्ष 2018 से व्यक्तिगत रेटेड प्रीमियम में निजी क्षेत्र की नंबर 1 इश्योरेंस कंपनी है। मार्च, 2023 में पर्सिस्टेंसी अनुपात 84.07% से बेहतर होकर 84.12% हो गया है। व्यक्तिगत रेटेड प्रीमियम में एसबीआई लाइफ के लिए सुरक्षा हिस्सेदारी वर्षानुवर्ष मार्च, 2023 तक 7.17% थी। एसबीआई लाइफ बैंक की डिजिटल सोर्सिंग दर 99.70% है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड:

एसबीआईएमएफ नंबर 1 म्यूचुअल फंड वितरक बना हुआ है, जिसके पास मार्च 2023 तक प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्ति (एयूएम) में 1.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अतिरिक्त,

सहभागिता करते हुए, इसने ऑनबोर्डिंग को सरल बनाया है साथ ही आवश्यकता-आधारित बिक्री से ग्राहक वफादारी मजबूत होती है।

बेहतर ग्राहक अनुभव और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप उत्पादों पर बल दे कर, आपका बैंक वित्तीय उत्पाद सेवाओं के विपणन में अग्रणी बना हुआ है - वित्त वर्ष 2023 में 3641 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

एसबीआईएमएफ एमसी के बीच रैंक में अग्रणी है और मार्च, 2023 में एयूएम में 7.12 लाख करोड़ रुपये तक को पार कर गया है। व्यवसाय के डिजिटल संग्रहण से ग्राहकों के साथ-साथ परिचालन स्टाफ के लिए प्रक्रिया को आसान बना रही है। आज, करीब 76% लेनदेन और 92% एसआईपी डिजिटल मोड के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं।

एसबीआई जनरल:

पिछले दो वर्षों के महामारी प्रभाव को देखते हुए, स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि दिखाई दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय की हिस्सेदारी मार्च 22 में 20% से बढ़कर मार्च 23 में 22% हो गई है। सामान्य बीमा के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या भी मार्च 23 को बढ़कर 31,017 हो गई है जो मार्च 2022 में 27,060 थी।

#1

वैयक्तिक रेटेड प्रीमियम में प्राइवेट कंपनी

#1

म्यूचुअल फंड वितरक

एसबीआई कार्ड:

एसबीआई देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में सबसे आगे रहा है। प्लास्टिक मनी के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, आपका बैंक ग्राहकों की मांग को पूरा कर रहा है और उन्हें दूरस्थ स्थानों पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहा है। वित्त वर्ष 2023 में 23.48 लाख कार्ड जारी किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2022 में कुल 16.54 लाख कार्ड जारी किए गए थे।

एनपीएस:

आपका बैंक एनपीएस पंजीकरण में 22% की बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बैंक बना हुआ है। आपके बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा देखे गए अभियान के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन बिंदु (पीओपी) के रूप में भी अर्हता प्राप्त की है। यह इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) और योनो एप के माध्यम से पूर्ण डिजिटल पंजीकरण जर्नी प्रदान करता है। कुल खातों का लगभग 80% डिजिटल मोड से खोला गया था।

एसबीआई एसएसएल:

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान 10 लाख से अधिक खातों को सोर्स किया है। योनो ऐप पर ई2ई डीमैट और ट्रेडिंग खाता जर्नी उपलब्ध है।

लघु और मध्यम उद्यम

आपका बैंक एमएसएमई को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है, जैसे कि नकदी प्रबंधन, लेनदेन तथा घरेलू और निर्यात बिक्री के लिए क्रेडिट आवश्यकताएं।

आपका बैंक 19 लाख से अधिक ग्राहकों के साथ एसएमई वित्तपोषण में बाजार में अग्रणी है, जिसमें बैंक का एसएमई पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2023 में 3 ट्रिलियन के निशान को पार कर 359270

तक पहुंच गया और आपके बैंक के कुल घरेलू अग्रिमों का 12.94% हिस्सा है। वित्त वर्ष 2023 में पोर्टफोलियो में वार्षिक आधार पर 17.59% की वृद्धि दर्ज की गई।

क. ग्राहक सुविधा

लगभग 2001 आरएम (एसएमई) और 833 समर्पित एसएमई-गहन शाखाएं पूरे भारत में काम कर रही हैं। आपके बैंक ने 16 मंडलों में आपूर्ति श्रृंखला वित्त केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (एससीएफ सीपीसी) आरंभ किए हैं। 10 करोड़ रुपये से अधिक के सभी नए प्रस्तावों (एसएमई और बिल्डर फाइनेंस) को मूल्यांकन के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी द्वारा संभाला जाता है। मार्च 2023 तक, 14912 करोड़ रुपये की राशि के 323 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

ख. डिजिटल उत्पाद:

आपका बैंक व्यवसाय, उत्पादों को डिजाइन करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और वितरण में सुधार से लेकर निगरानी तक- मूल्य संवर्धन के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। हमने जोखिम कम करने के उपायों से एसएमई पोर्टफोलियो निर्मित के लिए कई पहल किए हैं और आसान बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

योनो व्यवसाय ग्राहकों के लिए समग्र समाधान बनकर सभी कॉर्पोरेट बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी करता है। आपका बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी सबसे उन्नत तकनीकों को उपयोग करता है जिससे हर बार ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके। योनो के अंतर्गत, पूर्व अनुमोदित व्यवसाय ऋण (पीएबीएल) ने वित्त वर्ष 2023 में 926% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 3558 करोड़ का व्यवसाय दर्ज किया है।

डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई) में लागू कानूनों के अनुसार और अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से डिजिटल अनुबंध गठन, ई-स्टैपिंग, ई-हस्ताक्षर या इसके वेरिफाई शामिल हैं, जो वित्तीय जानकारी की सुरक्षित और सटीक रिकॉर्डिंग प्रदान करते हैं और विषयवस्तु एवं ग्राहक का प्रमाणीकरण और सत्यापन करते हैं।

डीडीई को पहली बार अगस्त 2022 में पायलट के रूप में पीएबीएल खातों के लिए उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था और इसकी सफलता के बाद हम अब इस परियोजना को चरण -2 के हिस्से के रूप में सात अन्य राज्यों: ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में विस्तारित कर रहे हैं। इस विस्तार के लिए आईटी विकास चल रहा है। चरण -3 में, बैंक ने डीडीई को तेरह अन्य राज्यों में विस्तारित करने की योजना बनाई है, जहां कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद एनईएसएल को डिजिटल ई-स्टैपिंग प्रदान करने के लिए अधिकृत करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1. फिनटेक/ए/जीएसटी/भारत सरकार के सहयोग से नए डिजिटल उत्पादों का विकास किया जा रहा है।

- डिजिटल ऋण और जीएसटी चालान का वित्तपोषण प्रदान करने वाले योनो बिजनेस पर एमएसएमई सहज विक्रेता का चालान वित्तपोषण।
- भारत सरकार की पहल जीएसटी सहाय के अंतर्गत विक्रेता की चालान वित्तपोषण योजना, जो जीएसटी सहाय ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण प्रदान करती है। यह एक मार्केटप्लेस है।

23.48 लाख

विव 2023 में जारी कुल क्रेडिट कार्ड

#1

एनपीएस पंजीकरण में भारत में लीडर

10+ लाख

विव 2023 में कुल डीमैट खाते सोर्स किए गए

17.59%

विव 2023 में एसएमई पोर्टफोलियो में वृद्धि

19+ लाख

एमएसएमई ग्राहक

2. संपर्क रहित उधार मंच (सीएलपी):

आपका बैंक सिडबी के नेतृत्व वाले पीएसबी कंसोर्टियम में हितधारकों में से एक है, जो एसएमई को सीएलपी प्लेटफॉर्म psbloanin59minutes.com के माध्यम से त्वरित और सरल ऋण प्रदान करता है। पात्र प्रस्तावों को जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न और खाता विवरण के आधार पर तत्काल सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2023 के लिए, आपके बैंक ने पहले ही 2,940.24 करोड़ रुपये के 6342 लीड को मंजूरी दे दी है, जिसमें टिकट का आकार 1 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक है।

डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने और ऋण जारी करने को सुव्यवस्थित करने के लिए सीएलपी से प्राप्त लीड के ऑटो-नवीकरण के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। यह दृष्टिकोण मैन्युअल काम की न्यूनतम आवश्यकता के साथ, अच्छे और वित्तीय रूप से संतोषजनक माने जाने वाले खातों के शीघ्र नवीकरण की गारंटी देगा। यह संबंध प्रबंधकों (एसएमई) को बिक्री और विपणन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा देता है।

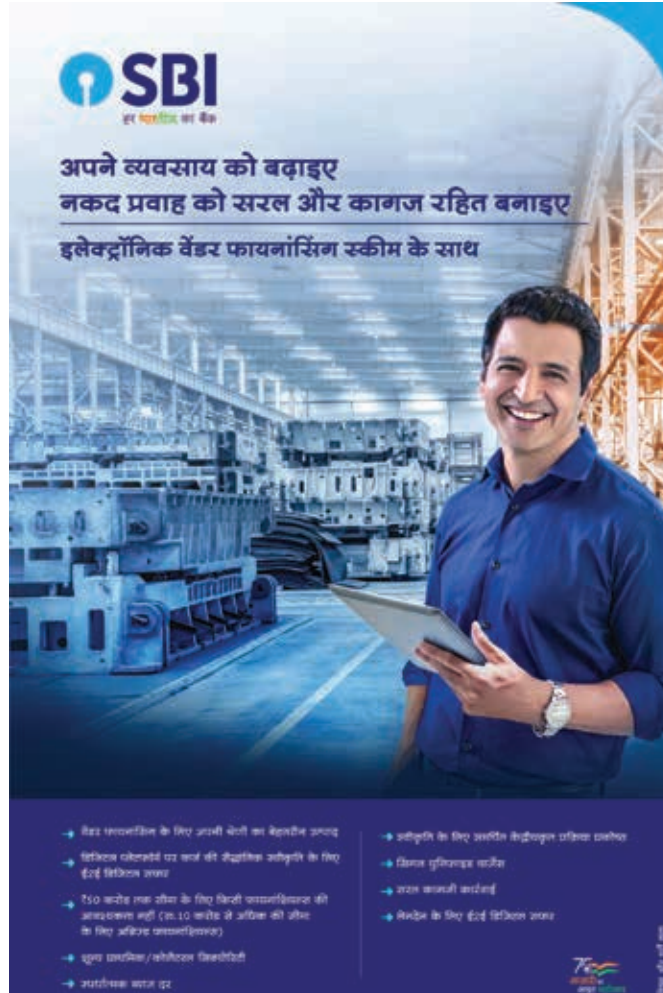
3. ईटीसीबी/एनटीसीबी/एनटीबी ग्राहकों के लिए सहायक यात्रा

असिस्टेड जर्नी आरएम (एसएमई) टीम, फ़िल्ड अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों जैसे परिचालन पदाधिकारियों को बिना किसी विवरण को इनपुट किए ग्राहकों की ओर से सीएलपी प्रक्रिया आरंभ करने की सुविधा देता है- इन्हें सीधे पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

4. आपूर्ति श्रृंखला वित्त

प्रायोगिकी और शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर, आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों में कॉर्पोरेट संबंधों को मजबूत करते हुए आपूर्ति श्रृंखला वित्त में एक प्रमुख प्रदाता रहा है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, 44,565 करोड़ रुपये ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर वित्तपोषण योजना) और 16,437 करोड़ रुपये ई-वीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता वित्तपोषण योजना) से अधिक की कुल स्वीकृत सीमा के साथ 34,592 डीलरों को आपूर्ति श्रृंखला वित्त का विस्तार किया गया था।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 16 नए ई-डीएफएस और 37 नए ई-वीएफएस टाई-अप किए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 6224 नए डीलरों के लिए 6395 करोड़



रुपए और ई-वीएफएस के लिए 2,352 करोड़ रुपये की नई ई-डीएफएस सीमाएं मंजूर की गईं। आपके बैंक ने पहले ही ई-डीएफएस और ई-वीएफएस के लिए सीएलपी लागू कर दिया है।

आपके बैंक ने ई-वीएफएस प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए सीएलपी पर एक नया डिजिटल इंटरफ़ेस बनाया है। इसने प्रस्ताव प्रसंस्करण के लिए टीएटी को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र भी शुरू किए हैं। आपूर्ति श्रृंखला पोर्टफोलियो के उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, इसने उपयुक्त जोखिम शमन उपायों और जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण को लागू किया है। आपका बैंक डीलरों/विक्रेताओं को जोड़ने और चैनल वित्त आधार को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न अभियान भी शुरू कर रहा है।

ग. हरित ऊर्जा पहल

आपका बैंक कई हरित ऊर्जा पहलों के माध्यम से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने निम्नलिखित उत्पादों को जारी किया:

1. सूर्य शक्ति सौर वित्त

यह विशेष उत्पाद 1 मेगावाट तक की क्षमता के साथ कैप्टिव उपयोग के लिए सौर परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण के वित्तपोषण के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें अधिकतम 4 करोड़ रुपये की ऋण राशि और 10 साल के आसान पुनर्भुगतान विकल्प शामिल हैं। केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण और त्वरित टीएटी के लिए एक समर्पित सूर्य शक्ति सेल बनाया गया है। सौर पीवी सिस्टम की आवश्यकता वाली कंपनियों के

वित्तपोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, वारी एनर्जीज लिमिटेड, महिंद्रा सोलराइज प्राइवेट लिमिटेड और हैवेल्स इंडिया लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन भी किए गए हैं।

2. जैव-ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्त

भारत सरकार की पहल को बढ़ावा देने के लिए 'जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति 2018' में उल्लिखित जैव ईंधन के सभी रूपों यथा एथनॉल, बायो-डीजल, उन्नत बायो-पथूल एवं बायो सीएनजी तथा अन्य को ऋण देने के लिए आपके बैंक ने जैव ईंधन परियोजनाओं की वृद्धि के लिए एक नया उत्पाद लॉन्च किया है।

बायोमास आपूर्तिकर्ताओं और एग्जीगेटर्स जो कोयले के प्रतिस्थापन के लिए थर्मल पावर प्लांट्स को छर्रो/ब्रिकेट की आपूर्ति करते हैं, उन्हें भी इस उत्पाद के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। उत्पाद में 15 साल तक की लंबी डोर-टू-डोर पुनर्भुगतान अवधि और सावधि ऋण या नियमित कार्यशील पूंजी सुविधा का विकल्प है।

घ. निर्यात ऋण

एमएसएमई निर्यात बढ़ाने के भारत सरकार के उद्देश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, एमएसएमई सेगमेंट में आपके बैंक का निर्यात ऋण 17.20% बढ़कर 15,672 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आपके बैंक ने निर्यात वित्त में अधिकतम व्यावसायिक क्षमता के लिए रणनीतियां बनाई हैं। ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल पाइपलाइन में हैं।

ई. एनबीएफसी के साथ सह-उधार:

आपके बैंक ने 5 एनबीएफसी के साथ सह-उधार समझौते किए हैं।

₹39,000+ करोड़

मुद्रा ऋण के तहत संवितरण

च. व्यापार प्राप्ति के छूट प्रणाली (टीआरडीईएस)

आपका बैंक टीआरडीईएस प्लेटफॉर्म पर फाइनेंस के रूप में पंजीकरण करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए देश के सभी तीन टीआरडीईएस प्लेटफॉर्मों- आरएक्सआईएल, एम 1 एक्सचेंज और इनवॉइसमार्ट पर मौजूद है।

वित्त वर्ष 2023 में, आपके बैंक ने 9,800 करोड़ रुपए के 26,973 बिलों को छूट दी, जो 144% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करता है।

ग्रामीण बैंकिंग

क. कृषि व्यवसाय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एग्री इंफ्रा फंड के लिए नेशनल वन ब्रांच वन लोन (एनओबीओएल) अभियान और बैंकर्स इनेबल सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन (बेस्ट) अभियान में आपका बैंक शीर्ष पर आ गया है। इसके अलावा, आपके बैंक ने विभिन्न कृषि, संबद्ध, कृषि बुनियादी ढांचे और सहायक गतिविधियों में लगे कृषि आधारित उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उद्यम ऋण (ईईएल) नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, जो निवेश क्रेडिट पोर्टफोलियो में वृद्धि का चालक होगा। आपके बैंक ने किसान समृद्धि ऋण (केएसआर) उत्पाद भी लॉन्च

विगत वर्षों में किसानों को ऋण वितरण:

(₹ करोड़ में)			
कृषि ऋण प्रवाह वर्ष	लक्ष्य	संवितरण	% लक्ष्य प्राप्त
विव 2019	1,16,315	1,56,385	134
विव 2020	1,27,947	1,77,473	139
विव 2021	1,74,468	1,98,268	114
विव 2022	1,92,500	2,19,396	114
विव 2023	2,11,750	2,54,617	120

ख. सूक्ष्म ऋण (माइक्रो क्रेडिट):

आपके बैंक की सभी बैंकों में एसएचजी ऋण में सबसे अधिक बाजार है। एसएचजी ऋणों के तहत आपके बैंक का पोर्टफोलियो 31 मार्च 2023 तक 34,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, जिसमें 98 लाख से अधिक महिला सदस्य शामिल थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आपके बैंक की

किया है। यह उच्च मूल्य निर्यात महत्व की फसलों सहित सभी प्रकार की फसलों के लिए संपूर्ण खेती की यथार्थवादी लागत के आधार पर बड़े किसानों / कॉर्पोरेट्स / एफपीओ / सहकारी समितियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है और खेती के उच्च तकनीक / वैज्ञानिक / आधुनिक तरीकों का उपयोग करता है।

आपके बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए अपने ऋण के साथ 2,58,612 करोड़ रुपए को पार करने के साथ एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है, जो किसी भी बैंक द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक राशि है। इससे 1.45 करोड़ से अधिक किसानों को सहायता मिलती है। इसके अलावा, कृषि स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च 2022 को 73,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 83,000 करोड़ रुपए हो गया है।

कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एचआईडीएफ) और पीएम-फॉर्मालाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग (पीएमएफएमई) जैसी आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का समर्थन करने के लिए, आपके बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,543 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए 6,954 उधारकर्ताओं को ऋण वितरित किए हैं।

ऋण की बाजार हिस्सेदारी सभी पीएसबी में सबसे अधिक है, जो 31 मार्च 2023 तक 28% है।

2013 में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत के बाद से, आपके बैंक ने बैंक-एसएचजी लिंकेज के तहत 32.60 लाख एसएचजी को वित्तपोषित किया है और 31 मार्च 2023 तक 94,815 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक ने मुद्रा ऋण में 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है, और वर्ष के दौरान स्टैंड-अप-इंडिया योजना के तहत 20,000 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो सभी पीएसबी के आधे से अधिक हैं।

वित्त वर्ष 2023 में, आपके बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 3.34 लाख ऋण वितरित किए हैं, जो 561 करोड़ रुपये की राशि है।

ग. डिजिटल और सहयोग:

आपका बैंक कृषि और संबद्ध गतिविधियों के ऋण प्रसंस्करण के लिए अपने कृषि-तकनीकी को नया रूप दे रहा है, जिससे क्रेडिट डिलीवरी के लिए टीएटी में काफी कमी आई है। आपके बैंक ने कृषि खंड में सभी ग्राहक प्रक्रियाओं को भी डिजिटल कर दिया है।

आपके बैंक ने अपने सह-उधार मॉडल के अंतर्गत 18 एनबीएफसी/ एचएफसी के साथ समझौता ज्ञापन किया है ताकि वंचित और अल्पसेवित आबादी तक अपनी पहुंच बढ़ाई जा सके। इस मॉडल के अंतर्गत आपके बैंक ने 152000 से अधिक उधारकर्ताओं को 865 करोड़ रुपये की राशि के ऋण मंजूर किए हैं, जिनमें से 149000 से अधिक खातों को पूरी तरह से डिजिटल मोड (1 लाख रुपये तक के ऋण) में मंजूरी दी गई थी।

आपका बैंक सक्रिय रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि-तकनीक और स्टार्ट-अप के साथ साझेदारी करना चाहता है। आरंभ करने के लिए, आपके बैंक ने दिसंबर 2022 में बेंगलुरु में एक कृषि स्टार्ट-अप और कृषि तकनीक बैठक आयोजित की है ताकि इस क्षेत्र के सहयोग और विकास पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जा सके।

कृषि और ग्रामीण बाजार में अधिक प्रवेश करने के लिए, आपके बैंक ने स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज शुरू की हैं, जिससे बैंक को एक बड़ी

आबादी तक पहुंचने में मदद मिलने के साथ ऋणों की सोर्सिंग और संग्रहण में बेहतर दक्षता होने की उम्मीद है।

घ. वित्तीय समावेशन:

आपके बैंक ने अपने व्यावसायिक लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित किया है और वित्तीय समावेशन गतिविधियों की श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने बिजनेस करेस्पोंडेंट (बीसी) और ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। 31 मार्च 2023 तक आपके बैंक के पास 76,089 सीएसपी हैं, जो शाखाओं में ग्राहकों की संख्या को कम करते हुए बैंक रहित क्षेत्रों में 32 बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। बीसी/सीएसपी चैनल ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान 3,30,000 करोड़ रुपये के लगभग 53.32 करोड़ लेनदेन दर्ज किए हैं। बीसी/सीएसपी चैनल के माध्यम से प्रति दिन औसतन लगभग 25-30 लाख लेनदेन किए जाते हैं।

बीसी /सीएसपी चैनल तेजी से बैंक की वित्तीय समावेशन पहल के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक बन रहा है। चैनल ने 50,091 करोड़ रुपये जमा के साथ 14.69 करोड़ बीएसबीडी खाते खोले हैं और समाज के बैंक रहित/वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया गया है। सामाजिक सुरक्षा उपायों के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए असंगठित क्षेत्र को कम लागत वाले माइक्रोइंश्योरेंस उत्पाद (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई) और पेंशन योजनाएं (एपीवाई) प्रदान की जाती हैं।

आपका बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के लिए ग्राहक नामांकन में निर्विवाद रूप से बाजार में अग्रणी है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई में बैंकों की हिस्सेदारी क्रमश 43.83%, 40.85% और 31.78% है।

ड. वित्तीय साक्षरता प्रदान करना (एफएलसी)

आपके बैंक ने निःशुल्क वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट परामर्श और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के प्रचार के लिए देश भर में 341 एफएलसी स्थापित किए हैं। एफएलसी ने 38162 शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें 12.50 लाख लोगों ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनता के बीच वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई की पहल के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने ब्लॉक स्तर पर 440 (सीएफएल) वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं जो वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव और भागीदारी दृष्टिकोण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

च. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

आपके बैंक ने 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 152 आरएसईटीआई स्थापित किए हैं। आरएसईटीआई सामाजिक परिवर्तन एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्थायी आजीविका की ओर सशक्त बनाते हैं, उन्हें अपने सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करते हैं, और इस तरह ग्रामीण रोजगार और धन सृजन का निर्माण करते हैं।

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, इन आरएसईटीआई ने 99,438 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा निर्धारित 96,616 उम्मीदवारों के वार्षिक प्रशिक्षण लक्ष्य के मुकाबले 103% हासिल किया है।

एमओआरडी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में संपन्न वार्षिक ग्रेडिंग अभ्यास के दौरान, हमारे सभी 152 आरएसईटीआई ने उत्कृष्ट ग्रेडिंग (ए) हासिल की, जिनमें से 101 ने 200/200 स्कोर किए।

#1

भारत में खेती और कृषि गतिविधियों के लिए ऋणदाता

#1

भारत में एसएचजी ऋणों में बाजार हिस्सेदारी

#1

सरकार प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ग्राहक नामांकन में मार्केट लीडर

28%

पीएसबी के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऋण का बाजार हिस्सा

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में प्रदर्शन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा बैंक को दी गई विशेष मान्यता

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा आवंटित 17.90 लाख के लक्ष्य (लक्ष्य का 156%) की तुलना में 27.88 लाख एपीवाई नामांकन हासिल किए हैं। परिणामस्वरूप, पीएफआरडीए ने विभिन्न एपीवाई अभियानों के लिए बैंक को निम्नलिखित प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए हैं:

सर्कल ऑफ एक्सलेंस



उत्कृष्टता का पुरस्कार
(1 अक्टूबर - 14 नवंबर 2022)

राइज अबब द रेस्ट



उत्कृष्टता का अनुकरणीय पुरस्कार
(15 नवंबर - 31 दिसंबर 2022)

लीडरशिप पिनेकल



उत्कृष्टता का अनुकरणीय पुरस्कार
(2 जनवरी - 14 फरवरी 2023)

एपीवाई बिग बिलीवर



उत्कृष्टता का पुरस्कार
(15 फरवरी - 31 मार्च 2023)

सरकारी व्यवसाय

आपका बैंक केंद्र सरकार के कारोबार में 65.92% की बाजार हिस्सेदारी के साथ सरकारी व्यवसाय संचालन में अग्रणी है और 26 प्रमुख केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए एक मान्यता प्राप्त बैंक है।

कारोबार और कमीशन

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	विव2022	विव2023
कारोबार	55,18,281	60,35,342
कमीशन	3,713	3,953

आपका बैंक लगातार अनुकूलित प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने में लगा हुआ है, ताकि सरकार की डिजिटल पहलों के साथ तालमेल रखा जा सके, जो ऑनलाइन मोड में संक्रमण की सुविधा प्रदान करता है, अधिक दक्षता और पारदर्शिता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार करने में आसानी और नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी होती है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल किए गए हैं:

1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए मान्यता प्राप्त बैंक के रूप में, आपके बैंक ने प्रायोजक बैंक के रूप में योजना के अंतर्गत 40,477 करोड़ रुपये के वितरण की सुविधा प्रदान की है।

2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सभी प्रमुख योजनाओं को अखिल भारतीय स्तर पर आपके बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटीएल) के प्रसंस्करण के लिए एकमात्र बैंक है।

आपके बैंक ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से होने वाले भुगतानों के डिजिटल प्राधिकरण के लिए ईपीए (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह) तंत्र को सफलतापूर्वक रोल आउट किया है।

3. रक्षा मंत्रालय (एमओडी)

- प्रबल: (पीएफएमएस रक्षा बजट आहरण और लेखांकन)** सभी सीडीए (रक्षा लेखा नियंत्रक) को एक मंच के अंतर्गत लाने के लिए रक्षा

मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह बिलों के प्रसंस्करण और भुगतान के लिए रक्षा मंत्रालय के सभी कार्यालयों के लिए एकीकृत इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। आपके बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रबल के साथ एकीकृत किया है।

• सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष (मां भारती के सपूत):

माननीय रक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया, मां भारती के सपूत (सशस्त्र बल युद्ध हताहत) कल्याण कोष खाता 14.10.2022 को एसबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन दान प्राप्त करने के लिए खोला गया।

4. रेल मंत्रालय

• भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आईआरईपीएस):

आईआरईपीएस पर वैन समाधान ने पट्टे और अन्य नीलामियों में भाग लेने के लिए लाइव किया। अब आईआरईपीएस बोलीदाताओं के पास ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) जमा करने के लिए भुगतान विकल्प के रूप में लीन मॉड्यूल या वैन समाधान चुनने का विकल्प है।

53.32 करोड़

लेनदेन के तहत दर्ज किया गया बीसी / सीएसपी चैनल

#1

भारत में सरकारी व्यवसाय बाजार में अग्रणी

• पारसल प्रबंधन प्रणाली:

रेलवे के पास कम्प्यूटरीकृत पारसल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) है जिसके अंतर्गत पारसल का विवरण सिस्टम में फीड किया जाता है। आपके बैंक ने शुल्क संग्रह के लिए डिजिटलीकरण शुरू किया है और रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

5. सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) तंत्र के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाएं और सिंगल नोडल अकाउंट (सीएनए) तंत्र के अंतर्गत सेन्ट्रल सेक्टर योजना

आपके बैंक ने एसएनए और सीएनए तंत्र को लागू करने के लिए पीएमएस द्वारा निर्धारित सभी मॉडलों के लिए आवश्यक समाधान विकसित और रोल आउट किए हैं। अनुकूलित एसएनए समाधान राजस्थान सरकार (आईएमएस एप्लिकेशन) और कर्नाटक (खजाने एप्लिकेशन) के लिए रोल आउट किए गए हैं।

6. पेंशन भुगतान

- आपका बैंक 43 लाख पेंशन पाने वालों को पेंशन भुगतान कर रहा है। वित्त वर्ष 2023 में 2.54 लाख पेंशनधारकों के नए पेंशन खाते जोड़े गए हैं।
- आपके बैंक ने पेंशनधारकों के लिए सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पेंशन सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- नियमित और पारिवारिक पेंशन पाने वालों के लिए पेंशन सेवा मोबाइल ऐप पर वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया।
- एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से पेंशन पर्वी 05.11.2022 को लॉन्च की गई थी

#1

भारत में प्राधिकृत बैंकों में लघु बचत योजनाओं में बाजार अग्रणी

- आपके बैंक ने केंद्र सरकार के पेंशन पाने वालों को सेवा में सुविधा के लिए एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल के साथ भारत सरकार के भविष्य पोर्टल को एकीकृत किया है।
- आपके बैंक ने देश भर के 35 केंद्रों पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान सफलतापूर्वक चलाया, जिसकी पहचान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीडीब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा की गई थी।
- भारत सरकार के भविष्य पोर्टल पर डीओपीडीब्ल्यू मंत्रालय द्वारा दो नई सेवाएं शुरू की गईं। पोर्टल में केंद्र सरकार के पेंशन पाने वालों को फॉर्म 16 (भाग बी) और जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति उपलब्ध कराई गई है।

7. लघु बचत योजनाएं

आपका बैंक 88.32 लाख पीपीएफ, 25.66 लाख सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) खातों और 12.73 लाख वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं (एससीएसएस) खातों को संभालता है, जो इसे सभी अधिकृत बैंकों में सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, 5.13 लाख पीपीएफ खाते, 2.93 लाख एसएसए खाते और 2.09 लाख एससीएसएस जोड़े गए।

डिजिटल लेनदेन बैंकिंग (डी एंड टीबी) - विपणन

1. चालू खाते

चालू खाता (सीए) शेष राशि जमा की लागत को कम करके और निवल ब्याज मार्जिन में सुधार करके बैंक की लाभप्रदता में सीधे योगदान करती है। सीए कासा जमा का महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। हमारे पास सीए उत्पादों की उत्पाद श्रृंखला है जो बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं और विभिन्न ग्राहक खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमने सीए व्यवसाय में सुधार के लिए विभिन्न पहल किए हैं:

मानव संसाधन:

- सीए व्यवसाय के विपणन पर ध्यान केंद्रित करने और मौजूदा उच्च मूल्य वाले सीए ग्राहकों को पूरा करने के लिए संबंध प्रबंधक

चालू खाता (आरएमसीए) का एक विशेष पद सृजित किया गया

- उच्च क्षमता और कम बाजार हिस्सेदारी वाले 20 जिलों/केंद्रों की कड़ी निगरानी
- योनो, सीकेवाईसी, ऑनलाइन चालू खाता खोलना, अन्य डिजिटल उत्पादों और आरएमसीए के लिए सॉफ्ट स्किल पर प्रशिक्षण।

प्रक्रिया:

- ग्राहकों को ओमनी-चैनल अनुभव प्रदान करने और खाते खोलने में टीएटी को कम करने के लिए सभी संस्थाओं के लिए डिजिटल (ऑनलाइन) चालू खाता खोलने की सुविधा
- चालू खाता ओपनिंग यात्रा को सरल और बेहतर बनाने के लिए योनो व्यवसाय के माध्यम से यात्रा की फिर से कल्पना की गई
- एओएफ और केवाईसी दस्तावेजों के डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए सीकेवाईसी और चालू खाता ओपनिंग में टीएटी में सुधार करने में मदद करता है
- बेहतर प्रदर्शन निगरानी के लिए अभियान डैशबोर्ड सहित विभिन्न डैशबोर्ड
- चालू खाता और सीएमपी (कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट) व्यवसाय में सुधार और सुधार के लिए बीसीजी के साथ एसबीआई कॉर्पोरेट वेबसाइट और प्रोजेक्ट दृष्टि और कुबेर पर सीए दृश्यता में वृद्धि
- उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट पेशकश प्रदान करने के लिए फिनटेक के साथ एकीकरण

उत्पाद:

- चालू खाता खोलने एमसीए एसपीआईसीई फॉर्म का एकीकरण
- रेरा उत्पादों का नवीनीकरण

2. लेन-देन बैंकिंग - विपणन

टीबी मार्केटिंग, पूर्व में लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू) ग्राहकों को लेनदेन से संबंधित उत्पादों और समाधानों की पेशकश करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। बैंक का टीबी व्यवसाय अनुकूलित एमआईएस, ईआरपी

एकीकरण और एक समर्पित ग्राहक सहायता सेल के अलावा, नई प्रौद्योगिकी पहल का लाभ उठाना और ग्राहकों की थोक लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। लेनदेन पैटर्न का इसका अध्ययन और विश्लेषण इसे ग्राहकों की अन्य बैंकिंग जरूरतों जैसे क्रेडिट, फंड मैनेजमेंट, क्रॉस सेलिंग और अन्य सेवाओं को पूरा करने के अपरंपरागत तरीकों को तैयार करने की सुविधा देता है।

ग्राहकों की संतुष्टि की हमारी प्रतिबद्धता हमें अपनी तकनीक को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमने हाल ही में सभी शाखाओं में टीबी का विस्तार करने के लिए वैन-आधारित कैश और चेक संग्रह जैसे नए समाधान लागू किए हैं, डिजी वाउचर, और लेनदेन के लिए एक बहु-चैनल वितरण मॉडल प्रदान किया है। कॉर्पोरेट्स, मिड-कॉर्पोरेट्स, सरकारी विभागों, एनबीएफसी, बीमा कंपनियों, बैंकों, म्यूचुअल फंड और एसएमई ग्राहकों जैसे वित्तीय संस्थानों के ग्राहक फंड प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने, स्वचालित करने और अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए इन टीबी उत्पादों से लाभ उठा सकते हैं।

कॉर्पोरेट बैंकिंग

क. कॉर्पोरेट लेखा समूह

कॉर्पोरेट लेखा समूह (कैग) आपके बैंक की एक समर्पित व्यवसाय इकाई (बीयू) है और उच्च मूल्य क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक विशेषज्ञ डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में संचालित करता है। कैग बीयू की चार विशेष शाखाएं हैं, जिनकी अध्यक्षता महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारत के शीर्ष तीन वाणिज्यिक केंद्रों, अर्थात् मुंबई (2), नई दिल्ली (1) और चेन्नई (1) में स्थित हैं। देश की प्रमुख शीर्ष कंपनियां और नवरत्न पीएसयू कैग के सम्मानित ग्राहक हैं।

कैग बीयू एक विशेष वन-स्टॉप शॉप है जो शीर्ष रेटेड कॉर्पोरेट्स और उनके विदेशी सहयोगियों और सहायक कंपनियों को वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदान करती है। कैग बीयू का व्यवसाय मॉडल संबंध प्रबंधन अवधारणा पर आधारित है। प्रत्येक ग्राहक / व्यवसाय समूह को एक संबंध प्रबंधक के लिए मैप किया जाता है जो अत्यधिक कुशल क्रेडिट और संचालन कार्यकर्ताओं से युक्त एक क्रॉस-फंक्शनल क्लाइंट सेवा टीम का नेतृत्व करता है।

संबंध रणनीति एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संरचित उत्पादों सहित ग्राहकों को एकीकृत और व्यापक समाधान देने पर आधारित है। योजना का मुख्य उद्देश्य एसबीआई को शीर्ष कंपनियों की पहली परसंद बनाना है। वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रत्येक कॉर्पोरेट संबंध की नियमित समीक्षा कैग बीयू में संबंध प्रबंधन के लिए बेंचमार्क निर्धारित करती है।

विभिन्न मुख्य क्रेडिट उत्पादों के अलावा, कैग बीयू अन्य बीयूएस और एसबीआई की सहायक कंपनियों के सहयोग से नकद प्रबंधन उत्पाद, ट्रेजरी / विदेशी मुद्रा उत्पादों और मर्चेन्ट बैंकिंग उत्पादों जैसे ग्राहक-विशिष्ट उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। सीएजी शाखाओं में ग्राहक सेवा दल ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के चयन और वितरण में भी सहायता करते हैं जो नीचे सूचीबद्ध एसबीआई के सहयोगियों और सहायक कंपनियों द्वारा पेश किए जाते हैं।

बदलते बैंकिंग परिदृश्य के साथ संरेखित करने के लिए, आपके बैंक ने सीएजी बीयू के भीतर दो विशेष इकाइयां बनाई हैं:

कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस ग्रुप (सीएसजी) - एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, फार्मा और एग्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रेडिट लाइट कॉर्पोरेट ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो बैंक के लिए नए हैं के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।

वित्तीय संस्थान समूह (एफआईजी) - बीमा कंपनियों, ब्रोकरेज फर्मों, बैंकों (निजी और विदेशी), म्यूचुअल फंड, एफडीआई और एफपीआई संस्थाओं जैसे वित्तीय संस्थानों की क्रेडिट, लेन-देन, सामान्य बैंकिंग और गैर-बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

31 मार्च 2023 तक सीएजी बीयू का कुल ऋण पोर्टफोलियो 6.50 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 31 मार्च 2022 तक कुल ऋण पोर्टफोलियो 6.18 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में ऋण की मांग में तेजी आई, जिसके परिणामस्वरूप सीएजी बीयू में फंड-आधारित अग्रिमों में 0.56 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

ख. ट्रेजरी परिचालन

ट्रेजरी परिचालन

विश्व बाजार इकाई आपके बैंक के घरेलू ट्रेजरी का परिचालन करती है और वांछित जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त करने के लिए अधिशेष धन का निवेश करती है। वैश्विक बाजार के पोर्टफोलियो में सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों, सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड, निजी इक्विटी और कार्यनीतिक निवेश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह कई उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराता है जो अपने ग्राहकों की विदेशी मुद्रा और जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 का आरंभ यूक्रेन में युद्ध के साथ शुरू हुआ, जिसने लॉकडाउन के बाद की स्थितियों से मिलकर दुनिया भर में उच्च मुद्रास्फीति का एक अन्य दौर शुरू कर दिया, जबकि अभी महामारीप्रेरित आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं का हल निकलना अभी शुरू ही हुआ था। विकसित देशों ने श्रम बाजारों में अभूतपूर्व तंगी देखी, जिससे केंद्रीय बैंकों द्वारा तेज दरों में वृद्धि का दौर शुरू हो गया। यूएस 2 साल का ट्रेजरी यील्ड, जो 2021 में लगभग 0.25% था, 5% + स्तर तक पहुंच गया क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी फेड फंड रेट में 475 आधार अंकों की वृद्धि की (मार्च 2022 में 25 आधार अंकों की वृद्धि सहित), 1980 के दशक के बाद से वृद्धि की सबसे तेज गति। भारत में, सीपीआई ने अप्रैल 2022 में 7.79% के उच्च स्तर को छुआ, जो आरबीआई के 4% से 6% के लक्ष्य बैंड के ऊपरी स्तर से ऊपर है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में वृद्धि शुरू की, वित्त वर्ष 2023 के दौरान लगातार 6 बार कुल 250 आधार अंकों की वृद्धि की।

रुपया बाजार

1 व्याज दर संचलन: एसएलआर और गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो

आरबीआई द्वारा दरों में वृद्धि से बॉन्ड बाजार प्रतिफल में उछाल आया, बेंचमार्क 10 साल जून 2022 में 7.62% के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो मार्च 2022 के अंत में 6.84% था। आपके बैंक ने विवेकपूर्ण निवेश निर्णय लिए जिससे निवेश

प्रमुख पहल

ग्राहक मूल्य सृजन

- आपके बैंक ने योनो बिजनेस-एंड्रॉइड ऐप में एसबीआई ई-फॉरेक्स सुविधा शुरू की है ताकि ग्राहक चलते-फिरते विदेशी मुद्रा दरों को बुक कर सकें। इसे आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए भी जल्द ही रोल आउट किए जाने की उम्मीद है।
- आपके बैंक ने ई-फॉरेक्स में न्यूनतम लेनदेन आकार को हटा दिया है और अधिकतम लेनदेन आकार सीमा बढ़ा दी है। यह एसएमई ग्राहकों को मंच के माध्यम से सबसे छोटे विदेशी मुद्रा लेनदेन को बुक करने की अनुमति देगा, जबकि बड़े ग्राहकों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।

- आपके बैंक के ऑनलाइन आउटवर्ड रेमिटेंस उत्पाद, त्रुडिजी में और सुधार किए गए हैं। बाहरी प्रेषण को ट्रैक करने के लिए एक एसएमएस और ईमेल सुविधा शुरू की गई है, और प्रेषित की जा सकने वाली मुद्राओं में एक नई मुद्रा मएनजेडडीफजोडी गई है।
- जीएमयू कोलकाता में एफसीएनआर जमा खोलने, प्रक्रिया में तेजी लाने और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल स्थापित किया गया है।
- योनो बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों के लिए एलसी/बीजी आवेदन जमा करने के साथ-साथ ईमेल के माध्यम से खरीद आदेश/चालान जमा करने पर छूट दी गई है।

पोर्टफोलियो पर बढ़ती ब्याज दरों के प्रभाव को रोकने में मदद मिली। ब्याज आय बढ़ाने के लिए उचित स्तरों पर नए निवेश भी किए गए थे। आपके बैंक की तरलता की स्थिति आरामदायक बनी हुई है, और यह तरलता में किसी भी कमी को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

2 इक्विटी बाजार

वित्त वर्ष 2023 में भारतीय बाजार ने अन्य वैश्विक उभरते बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया, जो कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश के मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित है। आपके बैंक ने इक्विटी बाजारों में तेजी में सक्रिय रूप से भाग लिया, बाजार की गतिशीलता के अनुसार निवेश खाते को कैलिब्रेट किया। साल की दूसरी छमाही के दौरान आईपीओ में नरमी देखी गई, जिसमें निर्गम के लिए लिस्टिंग लाभ कम रहा। लेकिन आपके बैंक ने पहली छमाही के दौरान प्राथमिक बाजार में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें इनविट और आरईआईटी शामिल हैं, जिससे उच्च रिटर्न प्राप्त हुआ।

आपका बैंक दीर्घकालिक निवेश पोर्टफोलियो बनाने के साथ-साथ अल्पकालिक रणनीतिक निवेश के माध्यम से सकारात्मक अल्फा पैदा करने पर केंद्रित है। आपका बैंक अनुसंधान टीम के विस्तार और उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी अनुसंधान क्षमताओं को मजबूती दे रहा है।

3 निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड

आपका बैंक वित्त वर्ष 2023 के दौरान वैकल्पिक निवेश क्षेत्र में एक सक्रिय भागीदार रहा है और प्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी के माध्यम से स्टार्ट-अप का भी समर्थन किया है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने निजी इक्विटी/वैकल्पिक निवेश निधियों में 800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दी।

विदेशी मुद्रा बाजार

ग्लोबल मार्केट्स यूनिट (जीएमयू) आपके बैंक के विदेशी मुद्रा व्यवसाय को संभालती है, जो बाजारों की तरलता प्रदान करने के अलावा, ग्राहकों को अपने मुद्रा प्रवाह के प्रबंधन और विकल्प, स्वैप और फॉरवर्ड के माध्यम से जोखिमों को हेजिंग करने के लिए समाधान प्रदान करती है। आपका बैंक यूएसडी रुपया स्पॉट और यूएसडी-



रुपया वायदा बाजारों में एक अग्रणी खिलाड़ी है और व्यापारी विदेशी मुद्रा प्रवाह में उच्च बाजार हिस्सेदारी है। आपका बैंक सीसीआईएल एफएक्स क्लियर प्लेटफॉर्म में तरलता प्रदान करने में अग्रणी है। मुद्रा वायदा में कारोबार की गई मात्रा आपके बैंक को एक्सचेंज हाउसों के प्रमुख ग्राहक बैंकों के ब्रैकेट में रखती है। आपका बैंक सीसीआईएल द्वारा शुरू किए गए एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को सक्रिय रूप से जोड़ रहा है। आपके बैंक ने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफएक्स-ऑल और ई-फॉरेक्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। आपका बैंक ऑफशोर यूएसडी रुपी एनडीएफ बाजार या गैर-वितरण योग्य व्युत्पन्न अनुबंध (छऊछी) में एक प्रमुख भागीदार और बाजार निर्माता भी है।

आपके बैंक की 8 प्रमुख शहरों में ट्रेजरी मार्केटिंग इकाइयां और देश भर में फैले 10 लघु केंद्र हैं जो ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप मदद करते हैं। वे निर्यातकों, व्यापार उद्योग निकायों और बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ बैठकें और सम्मेलन आयोजित करते हैं ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके और विदेशी मुद्रा बाजारों और आपके बैंक के विभिन्न उत्पादों के बारे में चर्चा की जा सके। वर्ष के दौरान, हमने सूरत में एक नया उपग्रह केंद्र खोला है। आपके बैंक के पास एफपीआई / एफडीआई / ओडीआई ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए एक विशेष डेस्क भी है।

डेरिवेटिव

आपका बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स के साथ-साथ एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव और ब्याज दर वायदा में कारोबार करता है। आपके बैंक द्वारा कारोबार किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव रुपया ब्याज दर स्वेप (ओआईएस), रुपया ब्याज दर वायदा (आईआरएफ), विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप (आईआरएस), विदेशी मुद्रा से रुपए ब्याज दर स्वेप (संशोधित एमआईएफओआर), वायदा दर समझौते (एफआरए), कैप, फर्श और कॉलर हैं। आपके बैंक द्वारा निपटाए गए मुद्रा डेरिवेटिव क्रॉस करेंसी स्वेप (सीसीएस), यूएसडी / आईएनआर विकल्प और क्रॉस मुद्रा विकल्प हैं। ये उत्पाद और उनके अनुकूलित संस्करण आपके बैंक के ग्राहकों

को उनकी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग करने के लिए पेश किए जाते हैं।

आरबीआई द्वारा डेरिवेटिव दिशानिर्देशों के उदारीकरण के बाद, आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को हेजिंग समाधानों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है, जिसमें बैरियर ऑप्शन भी शामिल हैं, और विदेशी मुद्रा सेटल ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप (एफसीएस-ओआईएस) लेनदेन करना शुरू कर दिया है। डेरिवेटिव्स लेनदेन में प्रवेश करने के लिए आपके बैंक की मर्चेंटिल फॉर डेरिवेटिव्स बाजार जोखिम मापदंडों

ग. अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

विदेशी बैंकिंग सहायक कंपनियां /	शेयर होल्डिंग (%)
सहायक	
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	100.00
एसबीआई कनाडा बैंक	100.00
भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	100.00
वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी	100.00
एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	96.60
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	99.56
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	55.00
विदेशी गैर-बैंकिंग सहायक कंपनी	
एसबीआई सर्विसेज लिमिटेड, ब्राजील	99.99
संयुक्त सहयोगी	
बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	20.00

एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनने के अपने प्रयास में, आपके बैंक का ध्यान विदेशी स्थानीय बाजारों और भारत-आधारित व्यवसाय में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए फिर से तैयार किया गया है ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले भारतीय डायस्पोरा और वैश्विक भारतीय कॉर्पोरेट्स का समर्थन किया जा सके।

वैश्विक उपस्थिति

बैंक का पहला वैश्विक उपस्थिति जुलाई 1864 में कोलंबो, श्रीलंका में बैंक ऑफ मद्रास की शाखा के साथ हुई (भारतीय बैंकों में पहला)। 29 देशों में अपनी उपस्थिति के 235 बिंदुओं के माध्यम से सभी समय क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ, भारतीय स्टेट बैंक ने धीरे-धीरे विश्व स्तर पर अपने पंख फैला दिए हैं और भारतीय पीएसबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का अग्रणी बन गया है। आईबीजी एसबीआई के विदेशी संचालन का प्रबंधन कर रहा है।

खोले गए / बंद कार्यालयों का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

विदेशी कार्यालय	मार्च 2022 तक	वर्ष के दौरान खोला गया	वर्ष के दौरान बंद	मार्च 2023 तक	कारोबार
शाखाएं/उप-कार्यालय/ अन्य कार्यालय	55	1	0	56	74 अरब डॉलर
सहायक कंपनियों की कुल संख्या	(8)	0	0	(8)	
- सहायक कंपनियों के कार्यालय	161	8	0	169	
प्रतिनिधि कार्यालय	6	0	1	5	शुद्ध लाभ 334
जेवी/एसोसिएट्स/मैनेज्ड एक्सचेंज कंपनी/इन्वेस्टमेंट	5	0	0	5	मिलियन अमरीकी डालर
कुल	227	9	1	235	

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, आपके बैंक ने खुलना (बांग्लादेश) में एक भारत वीजा एप्लीकेशन सेंटर (अन्य कार्यालय) और नेपाल में अपनी विदेशी सहायक कंपनी के माध्यम से 5 शाखाएं और 3 विस्तार काउंटर खोले हैं।

आईबीजी धीरे-धीरे कोविड के बाद की दुनिया की गतिशीलता को अपना रहा है और बेहतर दरों से वृद्धि कर रहा है। इसने अपनी देयता आधार में विविधता लाकर बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य में संसाधनों की लागत को अनुकूलित करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया है। इसने एसबीआई योनों जैसी अपनी डिजिटल पेशकशों का भी लाभ उठाते हुए नए भौगोलिक क्षेत्रों में लॉन्च किया है ताकि खुदरा जमा बढ़ाने के लिए संपर्क रहित पेशकशों के माध्यम से पैठ बढ़ाई जा सके।

आईबीजी ने सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए दोनों में कमी के साथ परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए वर्ष के दौरान अपने विदेशी क्रेडिट पोर्टफोलियो में अच्छी वृद्धि दर्ज करके व्यवसाय पर अपना ध्यान बनाए रखा है। सावधानीपूर्वक ऋण निगरानी के अलावा, आईबीजी परिसंपत्तियों के प्रबंधन में चुस्त रहा है, जो परिसंपत्ति गुणवत्ता में और गिरावट के कारण नुकसान की संभावना को कम करने के लिए तनाव के संकेत दिखा रहा है।

इसके अलावा, इसने मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने के लिए निर्यातकों, बैंकों आदि के साथ विभिन्न आउटरीच पहलों के माध्यम से ग्राहकों के साथ अपना संबंध बनाए रखा है। आईबीजी ने अपनी लागत क्षमता बेहतर करके और अपने व्यय अनुपात को कम करके, व्यापक आर्थिक चुनौतियों,

स्प्रेड के सिकुड़ने आदि के बावजूद वर्ष के दौरान लाभप्रदता बनाए रखी है। यह अपनी लाभप्रदता को पूरा करने के लिए मर्चेन्ट बैंकिंग, चालान वित्तपोषण आदि जैसी नई आय धाराओं का लाभ उठाना जारी रखे हुए है।

आईबीजी का कार्यनीतिक फोकस:

- क. परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए बैलेंस शीट के आकार में वृद्धि।
- ख. उचित मार्जिन के साथ परिसंपत्तियों की बुकिंग पर ध्यान केंद्रण।
- ग. संसाधनों की लागत का इष्टतम उपयोग करना।
- घ. डिजिटल उत्पादों को बढ़ाना और सभी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- ङ. लाभप्रदता में सुधार के लिए शुल्क आय को बढ़ावा देना।
- च. अनुपालन/विनियामक मुद्दों पर शून्य सहनशीलता के साथ अनुपालन पर अधिकतम ध्यान दिया जाना चाहिए।

आईबीजी के विशेष विभागों ने विभिन्न मोर्चों पर योगदान देकर गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

1 क्रेडिट योगदान

जबकि आपका बैंक अपनी वैश्विक विकास रणनीति में भारतीय कंपनियों का एक सक्रिय भागीदार है, अन्य भारतीय और विदेशी बैंकों के साथ संयोजन में सिंडिकेटेड सौदों, ईसीबी के माध्यम से विदेशी मुद्रा में ऋण की व्यवस्था करके और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से, यह स्थानीय / वैश्विक बैंकों के साथ साझेदारी करके स्थानीय क्रेडिट में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत से संबंधित कंपनियों को 12.81 बिलियन अमरीकी डालर और विदेशी संस्थाओं को 11.95 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा ऋण संस्वीकृत किए।

आपके बैंक ने अमेरिका में तीन फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सिंडिकेटेड लोन सुविधा में लीड अरेंजर के रूप में कार्य किया।

2 व्यापार वित्त

आपका बैंक भारतीय आयातकों और निर्यातकों को विस्तृत शाखा नेटवर्क के माध्यम से व्यापार वित्त उत्पादों और सेवाओं श्रृंखला प्रदान कर रहा है जो भारत और विदेशों में सभी समय क्षेत्रों में संचालित होता है।

आईबीजी का वैश्विक व्यापार विभाग (जीटीडी) व्यापार वित्त पोर्टफोलियो के व्यवस्थित विकास के लिए हमारे विदेश कार्यालयों (एफओ) का समर्थन करता है, नीतियां तैयार करता है और बाजार की मांगों के अनुसार एफओ के लिए नए उत्पादों का नवाचार करता है और नियामक मानदंडों को बदलता है।

वैश्विक व्यापार विभाग उद्धरण प्रक्रिया के केंद्रीकृत हैंडलिंग द्वारा भारतीय कंपनियों को उनके आयात के लिए व्यापार क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है और रिटर्न को अधिकतम करने के लिए घरेलू और विदेशी कार्यालयों के बीच व्यापार प्रवाह को समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यापार निकायों जैसे बीएफटी (बैंकर्स एसोसिएशन फॉर फाइनेंस एंड ट्रेड), जीटीआर (ग्लोबल ट्रेड रिव्यू) आदि के साथ साझेदारी करके व्यापार संबंधी कार्यशालाओं / सम्मेलनों का भी

आयोजन करता है। आईसीसी, फियो आदि के साथ साझेदारी करके कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। निर्यातकों/नियामकों/उद्योग जगत की बड़ी कंपनियों के साथ नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करना।

आपके बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, न्यूयॉर्क द्वारा लगातार ग्यारहवें वर्ष 'सर्वश्रेष्ठ व्यापार वित्त प्रदाता (भारत) - 2023' के रूप में सम्मानित किया गया है।

3 विदेशी ट्रेजरी प्रबंधन

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में ट्रेजरी प्रबंधन समूह (टीएमजी) विदेशी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित कार्य करता है:

- तरलता प्रबंधन
- डीलिंग रूम ऑपरेशन
- निवेश

टीएमजी-आईबीजी आईबीजी के समग्र तरलता पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन अनुपात की निगरानी भी करता है। टीएमजी बॉन्ड जारी करने (एमटीएन/स्टैंडअलोन 144ए), सिंडिकेटेड लोन आदि के माध्यम से दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की निधि जुटाने के लिए नोडल विभाग है। इसके अलावा, टीएमजी संसाधनों की लागत को नियंत्रण में रखने के लिए उधार के विभिन्न साधनों का भी उपयोग करता है। टीएमजी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण पर विदेशी मुद्रा वित्त/ पुनर्वित्त की व्यवस्था करने में बहुपक्षीय / सुपरनैशनल संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियों से 1 बिलियन से अधिक दीर्घकालिक संसाधन जुटाए हैं। आपके बैंक ने सेल्फ सिंडिकेशन प्रारूप में एक क्लब सौदा किया है और 3 साल के लिए यूएसडी 500 मियो जुटाए हैं।

वर्तमान में, लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, बहरीन और गिफ्ट सिटी गांधीनगर में पांच प्रमुख डीलिंग रूम हैं, जो अपने संचालन में छोटे विदेशी कार्यालयों की मदद करने के लिए एक हब और स्पोक मॉडल पर काम करते हैं। आपका बैंक

गिफ्ट सिटी गांधीनगर शाखा को एक अन्य धन जुटाने वाले केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी काम कर रहा है।

आपका बैंक ऋण पूंजी बाजार में अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है और सिंगापुर और लंदन में मर्चेन्ट बैंकिंग डेस्क बनाए हैं। आपके बैंक ने इस वर्ष एक ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) ढांचा तैयार किया है, जो यह बताता है कि हम स्थिरता के मुद्दों के आसपास जोखिम और अवसरों का प्रबंधन कैसे करते हैं।

आपका बैंक पहला पीएसयू बैंक बन गया, जिसने ईएसजी वित्तपोषण ढांचे की विधिवत जांच की, जिसके आधार पर वित्त वर्ष 2023 के दौरान 1 बिलियन अमरीकी डालर के लिए एक सामाजिक सिंडिकेटेड ऋण उठाया गया था।

यह ऋण एशिया प्रशांत में एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे बड़ा ईएसजी ऋण बन गया और विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक ऋण बन गया। यह आकर्षक मूल्य निर्धारण पर बैंक द्वारा संपन्न सबसे बड़ा विदेशी सिंडिकेटेड ऋण भी था।

4 वैश्विक भुगतान और सेवाएं

वैश्विक भुगतान और सेवाएं (जीपी एंड एस) विदेशी स्थानों से भारत में ऑनलाइन आवक प्रेषण और स्विफ्ट-आधारित प्रेषण, विदेशी मुद्रा चेक संग्रह, वोस्ट्रो खातों के उद्घाटन और रखरखाव और एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

वर्ष की मुख्य विशेषताएं हैं:

- वर्ष के दौरान, जीपी एंड एस ने मैसर्स के साथ एक नया समझौता किया। रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप आदि से भारत में प्रेषण को प्रसारित करने के लिए रेमिटली इंक यूएसए।
- विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भारतीय रुपए में ट्रेडों के निपटान के लिए आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार, जीपी

एंड एस ने आरबीआई के अनुमोदन से वर्ष के दौरान पांच एसआरवी खाते खोले हैं।

5 खुदरा रणनीति

- आपका बैंक अपने विशेष खुदरा और प्रेषण उत्पादों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले एनआरआई के लिए मर्विडो टू इंडियाफ रहा है। वर्ष के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं:
- योनी एसबीआई को अब हमारे विदेशी कार्यालयों में ग्राहकों के लिए विस्तारित किया गया है। इसे यूके, कनाडा, मॉरीशस, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और बहरीन में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, यूके और कनाडा में रिमोट अकाउंट खोलने की सुविधा जारी है। योनी के माध्यम से 1,25,000 से अधिक विदेशी ग्राहकों को जोड़ा गया है
- एसबीआईयूके और एसबीआई कनाडा बैंक वाई जीआईसी खाते में तैनात पूरी तरह से डिजिटल बगैर उपस्थित हुए ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया: उत्पाद कनाडा की यात्रा करने वाले छात्रों को योनी कनाडा ऐप में हमारे एसबीआई कनाडा बैंक के साथ जीआईसी खाता खोलने के लिए अध्ययन करने में सक्षम बनाता है
- योनी ग्लोबल की वन व्यू सुविधा विदेशों में हमारे ग्राहकों को योनी ग्लोबल ऐप के माध्यम से अपने घरेलू एसबीआई खातों को देखने की अनुमति देती है, व्यावहारिक रूप से हमारे वैश्विक संस्करण के साथ घरेलू योनी एसबीआई की सभी पूछताछ सुविधाओं को विलय करती है। एसबीआई फॉरेन ऑफिस के 5,500 से अधिक ग्राहक पहले से ही इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

6 वित्तीय संस्थान समूह (एफआईजी) - संवाददाता संबंध

एफआईजी बैंक को अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों जैसे वित्तीय संस्थानों (एफआई), विदेशी सरकारी एजेंसियों और विकासात्मक वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) आदि के साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। और आईबीजी और कॉर्पोरेट अकाउंट्स ग्रुप, कमर्शियल क्लाइंट्स ग्रुप, रिटेल बैंकिंग ग्रुप और ग्लोबल मार्केट्स जैसे अन्य

निदेशकों की रिपोर्ट

बिजनेस वर्टिकल के बीच तालमेल के लिए काम करता है। एफआईजी 55 देशों में 224 बैंकों के नेटवर्क के साथ कॉर्रेस्पोंडेंट बैंकिंग संबंधों को बनाए रखने और समीक्षा करने में एक धुरी के रूप में कार्य करता है। यह घरेलू और विदेशी दोनों कार्यालयों द्वारा स्थापित आरएमए (रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन) को भी बनाए रखता है। 31.03.2023 तक 114 देशों में 850+ बैंकों के साथ बैंक के पास 4200 से अधिक आरएमए हैं।

4,200+

31 मार्च 2023 को घरेलू और विदेशी कार्यालयों द्वारा स्थापित कुल आरएमए

7 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग - घरेलू (आईबीडी)

आपका बैंक निर्यातकों और आयातकों को एक व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शाखा नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-घरेलू (आईबीडी) व्यापार वित्त और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों के बीच संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। आईबीडी का उद्देश्य घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों/ संवाददाता बैंकों और व्यापारिक समुदाय के बीच तालमेल और व्यापार प्रवाह में सुधार करना है, उनके बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करके। आईबीडी शाखाओं, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से शामिल करके निर्यात ऋण के विकास की सुविधा प्रदान करता है।

8 विदेशी कार्यालयों में प्रौद्योगिकी पहल

आपका बैंक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाना जारी रखता है। विदेशी कार्यालयों में की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

- आपका बैंक सभी भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे ग्राहकों को सर्वसमय-चैनल अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार डिजिटल चैनलों का लाभ उठा रहा है। योनो ग्लोबल ऐप खुदरा ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख आधार के रूप में उभरा है। योनो ग्लोबल ऐप के रजिस्ट्रेशन ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए लगभग 50% ग्राहक आधार ऐप का उपयोग करने के साथ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन खाता खोलने, क्यूआर कोड के माध्यम से सक्षम वास्तविक समय भुगतान, बिल भुगतान आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ विकसित हुआ है। कुछ प्रमुख नई विशेषताओं में यूके ऑप्स में गैर-ग्राहकों के लिए रुपए प्रेषण, मॉरीशस में तत्काल भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण के माध्यम से 24 * 7 * 365 अंतर-बैंक फंड ट्रांसफर कार्यक्षमता आदि शामिल हैं।
- आपके बैंक ने नवीनतम कार्यात्मकताओं और उद्योग मानकों के अनुरूप अपने ई-बैंकिंग वेब प्लेटफॉर्म का पूर्ण सुधार भी शुरू किया है। यह वर्ष के दौरान 6 भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में पूरा किया गया है।
- आपके बैंक ने एआई/एमएल क्षमता सहित बेहतर सुविधाओं के साथ प्रतिबंध स्क्रीनिंग समाधान के नए संशोधित संस्करण का रोल आउट पूरा कर लिया है। पीयर प्रोफाइलिंग, बेहतर अनुपालन डैशबोर्ड और केस वर्कफ्लो एन्हांसमेंट जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ संशोधित एएमएल/सीएफटी समाधान भी वित्त वर्ष 2023 में सभी एफओ पर पूरा हो गया है।

वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)

सीसीजी देश भर के 30 शहरों में 51 शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से मध्यम और बड़े कॉर्पोरेट्स की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें डायमंड शाखा, कैपिटल मार्केट शाखा आदि जैसी विशेष शाखाएं शामिल हैं। बड़े क्रेडिट प्रस्तावों प्रस्तावों की सहायता हेतु इसमें क्रेडिट विशेषज्ञों की एक अनुभवी टीम है।

सीसीजी में मुख्य महाप्रबन्धक को ग्रुप रिलेशनशिप का दायित्व सौंपा गया है ताकि कवरेज की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और समूह में जोखिम और आय पर एक एकीकृत दृष्टिकोण को समर्थ बनाया जा सके। आपके बैंक ने बड़े ऋण प्रस्तावों की सहायता हेतु ऋण विशेषज्ञों की अनुभवी टीम गठित की है।

सीसीजी प्रदर्शन

स्तर	मार्च 21	मार्च 22	मार्च 23
गैर खाद्य ऋण	4,08,110	4,20,276	4,87,989
चाखा बखा जमा (%)	23.56	24.91	26.43
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	168.96	185.42	226.76
अन्य आय (एयूसीए वसूली से प्राप्त आय छोड़कर)	3,163	3,819	3,900
प्री-पीटीएम परिचालन आय	32,623	29,113	32,916
जोड़े गए नए ऋण ग्राहक			
(i) ग्राहकों की संख्या	128	304	232
(ii) विव 2022 के दौरान संस्वीकृत सीमाएं	59,965	75,552	49,101

51

शाखाएं जिनके द्वारा सीसीजी ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती है

30

शहरों में उपस्थिति

प्रमुख पहल

निर्यात ऋण वृद्धि: शीर्ष रेटेड उधारकर्ताओं को प्रेरित करने और उनकी सीमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बाहरी बेंचमार्क (टी-बिल दर) से जुड़ी ब्याज दरों को डब्ल्यूसीएल और एलसी बिल डिस्काउंटिंग सुविधाओं में लागू किया गया है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, यह विकल्प रुपया निर्यात पैकिंग क्रेडिट सुविधाओं

के लिए भी पेश किया जाता है। निर्यातकों के बीच हमारे बैंक की सेवाओं के बारे में जागरूकता को और मजबूत करने के लिए, हम भारत में विभिन्न सूचनात्मक बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापार विनियामक रिपोर्टिंग और अनुपालन समाधान (टीआरआरसीएस) सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के साथ, ईडीपीएमएस/आईआरएम/निर्यात अग्रिम प्रविष्टियों के बैकलॉग में काफी कमी आई है।

डीआईपीएके मूल्य निर्धारण: मूल्य निर्धारण और ज्ञान पर डिजिटल इंटरफेस (दीपक), एक मूल्य निर्धारण उपकरण ऑपरेटिंग पदाधिकारियों और मंजूरी समितियों को उपलब्ध कराया गया है ताकि कॉर्पोरेट ऋणों के डेटा-संचालित मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाया जा सके।

अन्य

- परियोजना कुबेर को बैंक में लॉन्च किया गया है जो सीसीजी वर्टिकल में चालू खाता जमा और विभिन्न लेनदेन बैंकिंग उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- 31.03.2023 तक, सीसीजी के सकल अग्रिम स्तर में वर्षानुवर्ष आधार पर 16.11% की वृद्धि हुई है। विकास में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र इन्फ्रा, एनबीएफसी, खनन, सेवाएं, सीआरई, बिजली, रसायन एवं इंजीनियरिंग हैं।
- अक्षय ऊर्जा, इथेनॉल, ईवी और शहरी गैस वितरण में ईएसजी पहल पर फोकस रहा।

परियोजना वित्त और कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई की पुनः संरचना

आपके बैंक की परियोजना वित्त और संरचना रणनीतिक व्यवसाय इकाई (पीएफ एंड एस एसबीयू), न्यूनतम परियोजना लागत पर एक निश्चित सीमा के साथ बिजली, सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे और गैर-बुनियादी ढांचे जैसे रिफाइनरी, धातु, ग्लास, उर्वरक, सीमेंट, तेल और गैस आदि में बड़ी परियोजनाओं के लिए धन के मूल्यांकन, संरचना और समूहन से संबंधित है। पीएफ एंड एस एसबीयू अपने बड़े टर्म लोन प्रस्तावों की जांच के लिए अन्य वर्टिकल का भी समर्थन करता है। यह केंद्र/राज्य सरकारों और आरबीआई के विभिन्न

मंत्रालयों को ऋणदाता के दृष्टिकोण से इनपुट प्रदान करता है, मॉडल रियायत समझौतों जैसे मसौदा समझौतों और अनुबंधों पर इनपुट और सुझाव प्रदान करता है, और विभिन्न हितधारकों के साथ बुनियादी ढांचे के वित्त में आने वाले व्यापक मुद्दों को उठाता है।

आपके बैंक की एक अनुभवी टीम है जो ऋण, बांड, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और संरचित/मेजैनिन वित्त में उच्च मूल्य प्रस्तावों के लिए सौदे की संरचना को प्रोत्साहित करती है।

सरकार ने ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है और वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय पर परिव्यय बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक बैटरी, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, सेमी-कंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में भी काफी गतिविधियां देखी जा रही हैं।

ग्राहकों, सरकारी मंत्रालयों, अधिकारियों और वर्षों के दौरान विकसित विशेषज्ञता के साथ प्रभावी

संपर्क के आधार पर, आपका बैंक अधिक व्यापार अवसरों को जुटाने और परियोजना ऋण क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए पूर्णतः तैयार है।

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

आज, स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप (एसएआरजी) आपके बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में से एक है और आपके बैंक सकल एनपीए में कमी आई है। एसएआरजी द्वारा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान आपके बैंक के लिए निम्नलिखित अव्यक्त आय सृजन के अवसर उत्पन्न करता है:-

- एनपीए और यूसीए में नकद वसूली
- ऋण हानि प्रावधानों में कमी
- अपने बैंक की बॉटम लाइन में योगदान
- ऋण विस्तार के लिए ऋण योग्य निधियों की उपलब्धता

पिछले छह वित्तीय वर्षों के दौरान एसबीआई में एनपीए का उतार-चढ़ाव तथा अपलिखित खातों में वसूली

	(₹ करोड़ में)					
विवरण	विव 2018	विव 2019	विव 2020	विव 2021	विव 2022	विव 2023
सकल एनपीए	2,23,427	1,72,750	1,49,092	1,26,389	1,12,023	90,928
सकल एनपीए %	10.91%	7.53%	6.15%	4.98%	3.97%	2.78%
निवल एनपीए	1,10,855	65,895	51,871	36,810	27,966	21,467
निवल एनपीए %	5.73%	3.01%	2.23%	1.50%	1.02%	0.67%
फ्रेश स्लिपेज + बकाए में वृद्धि	1,00,287	39,740	54,510	29,332	26,776	19,223
नकद वसूली / अपग्रेडेशन	14,530	31,512	25,781	17,632	21,437	16,258
बढ़ा वखता	40,196	58,905	52,387	34,403	19,705	24,061
एयूसीए में वसूली	5,333	8,345	9,250	10,297	7,782	7,097
पीसीआर	66.17%	78.73%	83.62%	87.75%	90.20%	91.91%

आपका बैंक संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान कर सभी पूर्व-निर्धारित उपाय कर रहा है।

सतत वसूली प्रयासों के कारण पिछले वर्षों में एनपीए का वर्तमान स्तर काफी नीचे आया है, उदाहरण स्वरूप;

- दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता

(आईबीसी) 2016 ने बैंक को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए एक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तंत्र प्रदान किया है। संहिता के तहत एनसीएलटी को संदर्भित कुछ उच्च मूल्य वाले एनपीए खातों में समाधान हासिल किया गया है। एनसीएलटी को भेजे गए मामलों की निगरानी एसएआरजी स्थित एनसीएलटी प्रकोष्ठ द्वारा भी की जाती है। 31 मार्च, 2023 तक कुल 1,075 मामले (सम्पूर्ण

निदेशकों की रिपोर्ट

बैंक) एनसीएलटी को भेजे गए थे, जिनमें से 882 मामलों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा 196 मामलों का समाधान किया गया है, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक की पहली और दूसरी संदर्भ सूचियों के कुछ उच्च मूल्य वाले खाते शामिल हैं।

- सभी पात्र मामलों में अवरुद्ध ऋणों की वसूली के लिए समझौता निपटान की भी पेशकश की जाती है। बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित ओटीएस योजना, जो गैर-भेदकारी और भेदभाव रहित है, वसूली/समाधान के उद्देश्य से इसकी पेशकश सभी पात्र उधारकर्ताओं को भी की जाती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च मूल्य दबाव वाली परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा ने इन खातों (एनसीएलटी प्रक्रिया से बाहर) के समयबद्ध समाधान का मार्ग प्रशस्त किया है। आपका बैंक सभी पात्र मामलों में इस विकल्प की खोज कर रहा है।

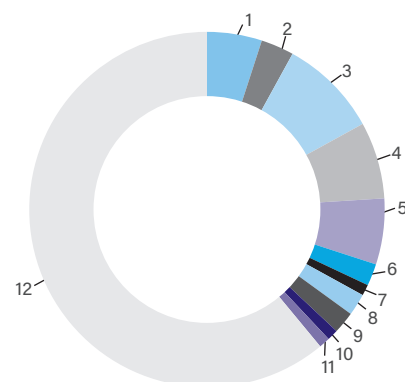
- गैर-एनसीएलटी मामलों में, वसूली सरप्रेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई और डीआरटी और अदालतों में वाद दाखिल करने के माध्यम से की जाती है। गिरवी संपत्तियों की बिक्री आईबीए के तत्वावधान में आम ई-नीलामी प्लेटफॉर्म ('e-Bक्रेय'- भारतीय बैंक की नीलामी संपत्ति सूचना) के माध्यम से की जाती है।

क्षेत्र-विशिष्ट लक्षित दृष्टिकोण: एसएआरजी क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण के माध्यम से एनपीए के समाधान को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में, वर्टिकल के प्रमुख उप-प्रबंध निदेशक हैं तथा उनकी सहायता के लिए मुख्य महाप्रबंधक हैं, जो एसएआरजी शाखाओं में सेक्टर-वार पोर्टफोलियो तथा एनपीए पोर्टफोलियो और परिसमापन के तहत खातों का प्रबंधन करते हैं।

1 अगस्त 2022 से, एसएआरजी को हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में चार एसएएम क्षेत्रीय कार्यालयों (एसएएमआरओ) के निर्माण द्वारा पुनर्गठित किया गया है, जो देश के पूरे देश को कवर करते हैं।

एसएआरजी की देश भर में 16 दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएं (एसएएमबी) तथा 48 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएं (एसएआरबी) हैं, जो बैंक के एनपीए का 50.48% और आपके बैंक के एयूसी खातों का 88.03% संभालती हैं।

एनपीए पोर्टफोलियो का उद्योग-वार वितरण (31.03.2023 तक)



1. बिजली	5%
2. टेलीकॉम	3%
3. ट्रेडिंग	9%
4. सड़कें और बंदरगाह	7%
5. बुनियादी ढांचा (अन्य)	6%
6. इंजीनियरिंग	2%
7. लोहा और इस्पात	1%
8. वस्त्र	2%
9. सीआई/रियल एस्टेट	2%
10. ऑटोमोबाइल/ट्रांसपोर्ट	1%
11. धातु एवं खनन	1%
12. अन्य	61%

प्रमुख एनपीए खाते बिजली, दूरसंचार, व्यापार, सड़क एवं बंदरगाह, बुनियादी ढांचे (अन्य) जैसे उद्योगों से हैं। उपर्युक्त के अलावा, सकल एनपीए का शेष हिस्सा कृषि/व्यक्तिगत/एमएसएमई का है। कृषि खंड और व्यक्तिगत खंड का सकल एनपीए (कुल सकल एनपीए का क्रमशः 33% और 8%) भी उपरोक्त अन्य का हिस्सा है।

समझौता निपटान, एनसीएलटी और एआरसी: सामान्य वसूली के अलावा एसएआरजी में वसूली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझौता निपटान तथा एनसीएलटी से आता है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसीएस) को नकद या सुरक्षा प्राप्ति (एसआर) के आधार पर परिसंपत्तियों की बिक्री की देखभाल के लिए एक टीम का गठन किया गया है।

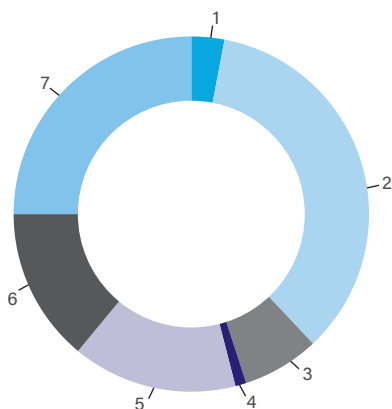



फटाफट लोन और खुशी दोनों दे रहा एसबीआई योनो

पेश हैं -
सुरक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्र / राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट (RTXC)



विभिन्न तरीकों (एनपीए + एयूसीए) के माध्यम से वसूली (करोड़ रुपये में) और कुल वसूली में हिस्सेदारी का प्रतिशत (31.03.2023)



1	विविध वसूली	3%
2	समझौता	35%
3	सरफेसी	7%
4	डीआरटी	1%
5	एआरसी को बिक्री	15%
6	एनसीएलटी	14%
7	सामान्य रिकवरी	25%

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु नवाचार:

आईबीसी के तहत समाधान एक बाजार उन्मुख व्यवस्था है जहां किसी विशेष दबाव वाले कॉरपोरेट कर्जदार के लिए उच्च प्रतिस्पर्धी बोलीकर्ता बेहतर मूल्यांकन और उच्च वसूली करते हैं। एसएआरजी ने एक व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने के लिए एक विपणन टीम का गठन किया है और आईबीसी प्रस्ताव या आईबीसी के बाहर चल रही परिसंपत्तियों को कवर करते हुए दबावग्रस्त परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का प्रदर्शन किया है।

एसएआरजी में पात्र परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की भी एसएआरजी में निगरानी की जा रही है और पहचान की गई परिसंपत्तियों का सुचारु माइग्रेशन सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित सक्षमकर्ता मौजूद हैं।

समाधान में तेजी लाने के लिए दबावग्रस्त खातों में किए गए कानूनी उपायों की निगरानी के लिए लिटमस (लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम) सहित ठोस आईटी पहल शुरू किए गए हैं। यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता को और अधिक मजबूत करेगा। बेहतर निगरानी और परिचालन उत्कृष्टता हासिल करने की दृष्टि से विलफुल

डिफॉल्टर मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूडीएमएस) एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है।

एसएआरजी ने अमृतसर में एक कॉन्वलेव भी आयोजित किया, जिसका विषय मरैपिड रिजोल्यूशन एंड रिकवरीफ था। शीर्ष प्रबंधन के संबोधन/दिशा ने एसएआरजी के पदाधिकारियों की प्रदर्शन भावना को और अधिक दृढ़ किया। इसके अलावा, एसएआरजी के पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श के साथ विचार-विमर्श सत्र भी आयोजित किए गए। बाहरी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित सत्रों ने प्रतिभागियों को एक ज्ञान समृद्ध अनुभव भी प्रदान किया।

पुनर्रचना स्टूडियो

1. वित्त वर्ष 2023 के दौरान शाखाएं और खुदरा आस्ति केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (आरएसीपीसी) खोलना:

वर्ष के दौरान कुल 159 शाखाएं खोली गईं, बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 79 शाखाएं खोली गईं। इसके अलावा, 128 आरएसीपीसी/आरएसीसी भी खोले गए।

विव 2023 में नई शाखाएं खोलना



■	मेट्रो	11
■	शहरी	23
■	अर्ध-शहरी	28
■	ग्रामीण	97
	योग	159

2. डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू):

प्रगतिशील भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 12 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोली हैं। डीबीयू कागज रहित, कुशल, सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण में डिजिटल मोड / चैनलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

3. स्टार्ट-अप शाखा:

हमारे बैंक ने विशेष रूप से स्टार्ट-अप इको सिस्टम की बैंकिंग और गैर-बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषीकृत स्टार्ट-अप शाखाएं खोलने का निर्णय लिया है और बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम और मुंबई मेट्रो में चार शाखाएं खोली गई हैं।

4. दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं:

हमारी 94.68 प्रतिशत शाखाओं को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाया गया है और साथ ही डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन शाखाओं पर व्हीलचेयर पर उपलब्ध कराए गए हैं जहां दिव्यांगजन ग्राहकों को पंजीकृत किया गया है।

5. देयता केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (एलसीपीसी) में मौजूदा प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना:

एलसीपीसी में खातों की इमेज आधारित प्रोसेसिंग शुरू की गई है। इससे वित्त वर्ष 2023 में व्यक्तिगत खातों के खाता सक्रियण के लिए टीएटी में कमी आई है और यह टी+2 दिनों से कम हो गया है। गैर-व्यक्तिगत खातों के लिए, नए बैंक ग्राहकों के डेबिट सक्रियण का औसत टीएटी वित्त वर्ष 2023 में टी+3 दिनों से कम था।

6. अनुपालन के साथ व्यवसाय की संस्कृति का विकास:

पहली बार चीजों को सही तरीके से करने की संस्कृति को आत्मसात करने और संसाधनों की बर्बादी से बचने के लिए, पहली बार सही और हर बार सही वर्तमान नियमों के साथ पूरी तरह से अनुपालन करने की संस्कृति निर्माण हेतु विभिन्न अभियान शुरू किए गए थे। अभियान ने खाता सक्रियण के लिए टीएटी को कम करने में कर्मचारी जुड़ाव और व्यापक उत्साह पैदा किया है।

7. प्रोजेक्ट एसबीआई डीजी वॉल्ट:

इस परियोजना को ऋण और जमा से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसमें इसे देखने / डाउनलोड करने के अधिकार प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। यह आंतरिक लेखा परीक्षा,

अनुपालन, सांविधिक लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षी लेखा परीक्षा आदि के लिए ऑफ-साइट ऑडिट की सुविधा भी प्रदान करेगा, साथ ही सहायता और नियंत्रण परिचालन भी।

सहायक और नियंत्रण संचालन

मानव संसाधन और प्रशिक्षण

आपका बैंक इस तथ्य को स्वीकार करता है कि किसी भी संगठन की मानव पूँजी उसके विकास इंजन का आधार होती है। आपके बैंक में युवा और अनुभवी कर्मचारियों का एक संतुलित मिश्रण है; इसके परिणामस्वरूप एक तरफ ऊर्जा और नवाचार का सही मिश्रण है, तो दूसरी तरफ अनुभव। मानव संसाधन नीतियों की नियमित समीक्षा की जाती है और इसे वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बनाने का समायोजन किया जाता है। इसके अलावा, प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित किया जा सके और कर्मचारियों द्वारा लगने वाले समय को कम किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि होगी।

31.03.2023 को आपके बैंक का संक्षिप्त मानव संसाधन प्रोफाइल निम्नानुसार है:

वर्ग	31.03.2022	31.03.2023
अधिकारी	1,11,549	1,09,259
सहयोगी	99,259	94,977
अधीनस्थ स्टाफ व अन्य	33,442	31,622
योग	2,44,250	2,35,858

उत्पादकता बढ़ाने की पहल

आपका बैंक मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से जनशक्ति आयोजना के लिए ब्रांच मैनेपावर मॉडल अपनाता है। यह मॉडल शाखाओं में उत्पादकता मापदंडों जैसे परिचालन के चिन्हित कार्य-संचालकों, लेन-देन लोड कारक, अग्रिम खातों की संख्या, परिचालन इकाइयों से प्राप्त फीडबैक और संगठनात्मक संरचना पर आधारित है।

आपके बैंक ने अपनी पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है और यह वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पूरी की गई थी। इससे शाखाओं और अन्य इकाइयों को आवश्यक

आश्वासन व स्थिरता प्राप्त होती है, ताकि सक्रिय रूप से व्यापार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

आपका बैंक एक एचआर सुपर ऐप विकसित कर रहा है, जो सभी कर्मचारियों की जरूरतों को एकीकृत करेगा और साथ ही एक ऐप में संबंधित कर्मचारी-विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं की प्रक्रिया को भी शामिल करेगा। यह एप्लिकेशन कर्मचारियों को उनकी सभी आवश्यकताओं के लिए एकल साइन-ऑन (एसओ) प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

आपके बैंक की करियर विकास प्रणाली (सीडीएस) कर्मचारी के प्रदर्शन के आकलन के लिए एक पारदर्शी, विश्वसनीय डेटा समर्थित निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों के बीच वस्तुनिष्ठता, व्यवसाय उन्मुखीकरण, निष्पादन दृश्यता और अधिक संरेखण सुनिश्चित करती है।

आपके बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए स्केल-खरख से त तक के सात करियर पथ परिभाषित किए हैं जैसे ऋण एवं जोखिम, बिक्री, विपणन एवं परिचालन, मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा, ट्रेजरी एवं फॉरेक्स, आईटी एवं एनालिटिक्स, ताकि गहन क्षेत्रपरक ज्ञान सुनिश्चित किया जा सके और विशेषज्ञता को आगे बढ़ाया जा सके।

आपके बैंक ने वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए उत्तराधिकार योजना आधारित नीति बनाई है ताकि सभी महत्वपूर्ण कार्यकारी स्तर की स्थिति में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने और अद्यतन करने और तैनाती के दौरान स्टार्फिंग निर्णय लेने के लिए एक सुसंगत, स्पष्ट एवं पारदर्शी तरीका अपनाया गया है, जिसमें अधिकारी और आपके बैंक को लाभ पहुंचाने वाले विकास कार्यों की सापेक्ष प्राथमिकता शामिल है।

आपके बैंक ने मएसबीआई जेम्सफ की शुरुआत की है, जिसका उपयोग मान्यता को बढ़ावा देने और ऐसी मान्यताओं की स्मृति संजोने के लिए किया जाएगा।

भर्ती

आपके बैंक ने नियमित भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। वर्ष के दौरान, इसने प्रवेश स्तर के पदों के लिए परीक्षाधीन अधिकारियों, सर्कल आधारित अधिकारियों और कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती की है। प्रतियोगिता में बने रहने तथा नियामक आवश्यकताओं को पूरा वेल्थ मैनेजमेंट, आईटी, सूचना सुरक्षा, जोखिम, ऋण एवं विपणन आदि क्षेत्रों में लेटरल व संविदा के आधार पर सक्रिय रूप से विशेष प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है।

चैनल प्रबंधन, समवर्ती लेखा परीक्षा, विपणन, वसूली सुविधाप्रदाताओं आदि जैसे अभिज्ञात कार्यों के लिए संविदा आधार/अल्पावधि असाइनमेंट आधार पर आपके बैंक/अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु एक व्यापक नीति विद्यमान है जिसके लिए आपके बैंक ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करना जारी रखा है। यह न केवल कौशल अंतर, यदि कोई हो, को भरने के उद्देश्य की पूर्ति करता है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभव के इष्टतम स्तर तक उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह आपके बैंक को उत्पादकता पहलू से समझौता किए बिना अपने व्यय अनुपात को कम करने में भी सहायक है।

लैंगिक विविधता

लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशिता हमेशा आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की आधारशिला रही है। कुल कार्य बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 26.78 प्रतिशत है और यह सभी भौगोलिक और पदानुक्रम के स्तर पर समाहित है।

आरक्षण और समान अवसर

आपका बैंक अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/दिव्याङ्ग जनों के लिए आरक्षण नीति पर भारत सरकार के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करता है। इसमें संगठन के सभी स्तरों पर अजा/अजजा/अपिव और दिव्याङ्ग जनों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इसने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में 1 फरवरी 2019 से सीधी भर्ती में मआर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण भी कार्यान्वित किया है।

औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण

आपके बैंक का स्टाफ और अधिकारियों के महासंघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है और लगातार काम के स्वस्थ माहौल, आपसी सम्मान और कार्यस्थल पर सहानुभूति पर निरंतर बल देता है।

आपके बैंक ने कार्यस्थल पर कर्मचारी कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में युगांतकारी पहल की है। ये पहल यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आपका बैंक भारत में बैंकिंग में सबसे आगे बना रहे और हमारे कर्मचारी कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल और सहायता

आपका बैंक अपने पूर्व कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देता है, जिनकी आजीवन समर्पित सेवाओं ने आपके बैंक को इस मुकाम पर पहुंचाया। एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से सेवानिवृत्ति से पहले और सेवानिवृत्ति के बाद के विभिन्न लाभों और प्रक्रियाओं के स्वचालन और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मप्रोजेक्ट एसबीआई केयरसफ शुरू किया गया।

इसके अलावा, आपके बैंक की ई-फार्मसी दवाओं पर आकर्षक छूट प्रदान करती है तथा बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवानिवृत्त व्यक्ति के घर तक दवाओं की डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराती है।

प्रशिक्षण और विकास

स्थायी कार्यबल की बहुआयामी ज्ञान आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने कक्षाओं तथा डिजिटल प्रशिक्षण के मिश्रण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया है। इसे अपने छह शीर्ष शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) और 51 स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट

ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट (एसबीआईएल) के माध्यम से किया गया है।

परिशुद्धता कक्षा प्रशिक्षण

व्यवसाय प्रदर्शन को प्रशिक्षण का लक्ष्य बनाना: आपके बैंक ने पूरे बोर्ड में ग्रेसहोल्ड डोमेन नॉलेज के लिए ई-रोल-आधारित प्रमाणन जारी रखा। इसके अलावा, व्यापार से संबंधित कौशल को गहन बनाने के लिए पहचान की गई 'ट्रांजिन्शनल-भूमिकाओं' के लिए एक सटीक कौशल मध्यवर्तन शुरू किया गया।

पहली बार बने शाखा प्रबंधकों (बीएम) को प्रशिक्षण: इस कार्यक्रम में 2,337 नए शाखा प्रबंधकों को शामिल किया गया।

पहली बार बने रिलेशनशिप मैनेजर एमएसएमई और क्रेडिट सपोर्ट ऑफिसर्स को प्रशिक्षण: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्रेडिट की भूमिका में गति प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों को व्यापक कक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि एसएमई ग्राहकों को ऋण उपलब्धता में आसानी हो।

समन्वय: पहली बार क्षेत्रीय प्रबंधकों (आरएमएस) के लिए व्यावहारिक इनपुट के साथ एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें बड़ी तस्वीर की समझ उपलब्ध कराई गई थी और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक व्यवहार एवं कौशल का समावेश किया गया था। 92% पात्र क्षेत्रीय प्रबंधकों (आरएमएस) को इस प्रशिक्षण के साथ उच्च संचालित अनुभव साझा करने और आपके बैंक के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत का अवसर प्रदान किया गया।

मिड-करियर प्रोग्राम: आपके बैंक ने व्यापक मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1,539 एसएमजीएस-त अधिकारियों को कवर किया है, जो कार्यात्मक बैंकिंग तथा निवारक सतर्कता की

बारीकियों और बेहतर विवरणों पर अधिकारियों का परीक्षण करता है, उन्हें उच्च नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करता है जो उनकी भूमिका संक्रमण और कैरियर उन्नयन से जुड़ा हुआ है।

केवाईसी, एमएल और सीएफटी पर कार्यक्रम: 29.03.2023 को बोर्ड के सदस्यों के लिए केवाईसी, एमएल और सीएफटी पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, सभी प्रबंध निदेशकों और पांच स्वतंत्र निदेशकों ने हिस्सा लिया।

नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण: आपके बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वैश्विक बाजार, मानव संसाधन तथा डिजिटल बैंकिंग एवं आईटी के आला क्षेत्रों में शीर्ष-330 कार्यकारी ग्रेड अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। भावी पथ प्रदर्शक तैयार करने की दृष्टि से 923 टीईजी अधिकारियों को व्यक्तिगत विकास योजनाओं (आईडीपीएस) (छह महीने का व्यक्तिगत गहन कार्यक्रम) के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

अधिकारियों के लिए बाहरी प्रशिक्षण: शीर्ष कार्यकारी ग्रेड के 14 अधिकारियों को लंदन बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वार्टन एक्जीक्यूटिव एजुकेशन और सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप जैसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों/बिजनेस स्कूलों में बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ताकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक रुझानों के बारे में बेहतर समझ और अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके और उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ाया जा सके।

जेआईबीओ के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम: भारत से बाहर स्थित अधिकारी, जो विदेशों में हमारी शाखाओं का संचालन कर रहे हैं, उनके पास प्रदर्शन करने का दोहरा उद्देश्य है। हमारे

26.78%

कुल कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

51

स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट (एसबीआईएल)

6

शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई)

राष्ट्र के राजदूत होने के अलावा, वे विदेशों में व्यापार के महत्वपूर्ण डेवलपर्स भी हैं। इस प्रकार, वे विदेशों में हमारी शाखाओं की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं और वैश्विक बैंक के रूप में हमारी स्थिति में भी सुधार करते हैं। इस प्रकार, उनकी भूमिका प्रासंगिक प्रशिक्षण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया।

नई भर्तियों में प्रभावोत्पादक: एक सप्ताह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम पीओएस, टीओएस, सीबीओ और सिस्टम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, ताकि उनकी प्रभावोत्पादकता को बढ़ाया जा सके और उन्हें नेतृत्व गुण प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम में टीम निर्माण, टीम प्राथमिकताओं, बॉन्ड बनाने और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल सहित अन्य विषयों को शामिल किया गया है, ताकि कार्यस्थल पर टीमों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। इसमें भावनात्मक आसूचना, तनाव प्रबंधन और कार्य जीवन संतुलन जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है ताकि प्रतिभागियों को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण में बाधा डाले बिना महत्वपूर्ण स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। वित्त वर्ष 2023 में, 4,808 पीओ, टीओ और सीबीओ को एमडीपी प्रदान किया गया। 6,073 पीओ, टीओ और सीबीओ को ऑनबोर्ड प्रशिक्षण दिया गया और अन्य 4,278 कर्मचारियों ने पुष्टि परीक्षा दी।

शिक्षार्थी-संचालित प्रशिक्षण: इस समझ के साथ कि तेज गति से चलने वाली वित्तीय दुनिया में, प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपके बैंक ने प्रशिक्षण की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए तात्कालिक भूमिका से संबंधित सीखने के निर्णयों को अग्रिम पंक्ति में रखा है।

अनिवार्य अध्ययन के लिए वैकल्पिक विषय: सभी कर्मचारियों के लिए एक भूमिका आधारित प्रमाणन (ई-आरबीसी) और ई-लेसन का एक बास्केट पूरा करना अनिवार्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में, केवाईसी-एमएल सीएफटी अनुपालन, आईएस और साइबर सुरक्षा और स्थिरता पर निर्धारित ई-लेसनों के अलावा, कर्मचारियों को अपनी ज्ञान जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी पसंद के दो ई-लेसनों को पूरा करने का विकल्प प्रदान किया गया। कर्मचारियों के पास 43 इन-हाउस आरबीसी और 158 बाहरी

आरबीसी से मौजूदा या परिकल्पित भूमिका के अनुरूप आरबीसी चुनने की सुविधा भी थी। 31 मार्च, 2023 तक कुल 1,72,258 पात्र कर्मचारियों (92.70%) ने अपने अनिवार्य ई-आरबीसी और 98.84% पात्र अधिकारियों और 93.77% पात्र अवार्ड कर्मचारियों ने अपने सभी निर्दिष्ट ई-लेसनों को पूरा कर लिया था। इसके अलावा, कर्मचारियों के ज्ञान संवर्धन हेतु 600 से अधिक इन-हाउस विकसित ई-लेसन उपलब्ध हैं।

आकांक्षी पाठ्यक्रम: सभी कर्मचारियों के लिए एसएमई क्रेडिट, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, व्यक्तिगत विकास और सॉफ्ट स्किल्स, मार्केटिंग के मूल सिद्धांतों, वित्तीय भलाई के लिए निवेश स्मार्ट, एनआरआई व्यवसाय और अनुपालन और शाखा के प्रभावी प्रबंधन के लिए डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करके कैरियर की प्रगति में उनकी मदद करने के लिए 10 ई-लेसन की एक बास्केट तैयार की गई है। 31 मार्च, 2023 तक 18,657 कर्मचारियों ने इन पाठ्यक्रमों को देखा है।

गहन जुड़ाव के माध्यम से कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ावा देना: आपके बैंक का मानना है कि संगठन के प्रति स्वामित्व और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देकर कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ावा देने में जुड़ाव की पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब कर्मचारी कंपनी के दृष्टिकोण, मूल्यों और लक्ष्यों से जुड़े महसूस करते हैं, तो उनके प्रेरित होने और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अधिक संभावना होती है।

सामर्थ्य: यह 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के कर्मचारियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 1.03 लाख से अधिक कर्मचारियों को कवर करते हुए इस दो दिवसीय स्मार्ट-क्लासरूम आधारित कार्यक्रम ने बैंक की शानदार विरासत पर गर्व उत्पन्न करने के साथ-साथ नैतिकता, अनुपालन और ग्राहक केंद्रितता के मूल्यों को स्थापित करने पर जोर दिया।

प्रेरक: यह 40 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 70,000 कर्मचारियों के लिए लक्षित था और इस उद्योग में बैंक की अग्रणी स्थिति को बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए इस समूह के लोगों के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने पर केंद्रित था।

आपके बैंक को मैनुअल से डिजिटल में बदलने में उनका योगदान और बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में हो रहे विभिन्न बदलावों के प्रभावी प्रबंधन के लिए उन्हें मान्यता दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 20773 कर्मचारियों को इंप्रैक्टफप्रशिक्षण प्रदान किए गए।

हाई प्रोफाइल ज्ञान वार्ता: आपका बैंक कई हाई-प्रोफाइल कार्यशालाओं, ई-पैनल चर्चाओं और पावर वार्ताओं का आयोजन करता है जहां प्रतिष्ठित शिक्षाविद, सीएक्सओ और उद्योग विशेषज्ञ कर्मचारी ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं। इस तरह के दो कार्यक्रमों में शामिल हैं- बैंक के 92 शीर्ष अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार, स्पीकर और कोच डॉ. राम चरण द्वारा एक डिजिटल और बिजनेस लीडरशिप कार्यशाला और आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक डॉ. कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम द्वारा एक पावर टॉक: ए जीरो-सम गेम।

हाँ, मैं बदलाव ला सकता हूँ: कर्मचारियों के पास ज्ञान और प्रेरणा की एक ऐसी संपदा है जिसे सकारात्मक कार्य संस्कृति निर्माण, कॉर्पोरेट स्मृति में ढलने तथा परिचालन संबंधी मुद्दों के लिए व्यावहारिक समाधानों की पहचान करने के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए हमने एक वार्षिक सफलता वाचन अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य हमारे कर्मचारियों द्वारा अभिनव, प्रेरणादायक और कार्रवाई योग्य परिवर्तनकारी कहानियों को एकत्रित करना है। इस पहल के माध्यम से वित्त वर्ष 2022 में 80 से अधिक सफलता रूपी गाथाएं प्राप्त हुईं, जिन्हें मान्यता दी गई और सम्मानित किया गया।

एसबीआई विजार्स: एसटीयू ने सकारात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2021 में एक पारिवारिक क्विजिंग इवेंट एसबीआई विजार्स को संस्थागत रूप दिया। वित्त वर्ष 2023 के लिए यह आयोजन हाइब्रिड (ऑनलाइन/ऑफलाइन) प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें वर्चुअल प्रारंभिक दौर में 1,802 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड फिनाले एसबीआई के कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एमएस टीम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक और यूट्यूब)

पर कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया।

ग्राउंड जीरो इनोवेशन: हमने ज्ञान इनपुट के व्यक्तिगत वितरण के माध्यम से कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राउंड जीरो से सीखना शुरू किया।

सार्थक: सुरक्षा, प्रतिष्ठा और निवेशक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक का मानना है कि लेखा परीक्षा और अनुपालन प्रक्रिया को टिकबॉक्स अभ्यास के बजाय कार्य संस्कृति में युगांतकारी परिवर्तन की अगुवाई करनी चाहिए। इसलिए, वित्त वर्ष 2023 में, आपके बैंक ने अनुपालन संस्कृति में सुधार, जोखिम जागरूकता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर ही चीजों को ठीक करने की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाखा कर्मचारियों के लिए एक कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था की है।

समुन्नति और गुणवत्ता सर्कल: हमारे कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2021 में संस्थागत रूप से, 638 महत्वपूर्ण शाखाओं में वर्ष के दौरान सहभागी वन-टू-वन कोचिंग इंटरवेंशन शुरू किया गया। इस पहल के तहत, बैंक के संकाय इन शाखाओं को इस प्रकार सहयोग प्रदान करते हैं, कि प्रशिक्षण को व्यवसाय के लिए संरक्षित किया जा सके और उन्हें समस्या समाधान/गुणवत्ता सुधार में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद में डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम: आपके बैंक के महाप्रबन्धक तथा उप महाप्रबन्धक स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा विधिवत क्यूरेटेड डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने अधिकारियों को दशकों के अनुभव के दौरान प्राप्त मौजूदा कौशलों का व्यापक रूप से उपयोग करने में मदद की है और उन्हें नेतृत्व अनुसंधान के अत्याधुनिक अवधारणाओं से अवगत कराया है। पांच दिन तक चलने वाले इस कक्षा कार्यक्रम में 386 अधिकारियों को शामिल किया गया।

माइक्रोकैप्सूल: वित्त वर्ष 2023 में, हमारे एटीआई द्वारा निम्नलिखित माइक्रो-लर्निंग पहलों की शुरुआत की गई - बीएफएसआई पर एक दैनिक सामान्य जागरूकता स्निपेट डू यू नो एसबीए द्वारा जोखिम प्रबंधन पर माइक्रोनालेज श्रृंखला

अंडरस्टैंडिंग रिस्क', एसबीआईआईटी द्वारा साइबर सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर माइक्रो-वीडियो।

ऑन-पाइंट लर्निंग के लिए डिजिटल और हाइब्रिड लर्निंग टूल: प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले इन-क्लासरूम प्रशिक्षण के अलावा, परिवर्तनों की तेज गति ने निरंतर कौशल के लिए एक डिजिटल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारे कुछ लोकप्रिय डिजिटल टूल्स में शामिल हैं - वास्तविक जीवन के बैंकिंग मामलों पर ऑनलाइन समुदाय आधारित विचार-विमर्श की सुविधा हेतु वर्चुअल केस स्टडी डिस्कशन बोर्ड (1.11 लाख अद्वितीय आगंतुक), माई क्रेस्ट टुडे - इंटरनेट पर उपलब्ध दैनिक क्विज प्लेटफॉर्म (वित्त वर्ष 2022-23 में 1.09 लाख भागीदारी), विभिन्न बैंकिंग विषयों पर ऑडियो पॉडकास्ट जैसे एसबीएससी-ऑन-एयर (119 एपिसोड जिसे 26000+ बार सुना गया), गुरुकुल वाणी (क्रेडिट, जोखिम और एनपीए पर 35 ऑडियो फाइलें जिसे 97000+ बार सुना गया) और ज्ञान चेतना (मानव संसाधन मामलों पर 6 एपिसोड जिसे 640+ बार सुना गया), ज्ञान के स्तर की जांच के लिए एक गेमिफाइड ऐप, गूगल जैसा आंतरिक खोज इंजन आस्क एसबीआई, जहां कर्मचारी प्रश्न कर सकते हैं और संबंधित प्रतिक्रियाओं की खोज कर सकते हैं और थीम बेस्ड फ्राइडे वेबिनार हमारे एटीआई द्वारा हर शुक्रवार को अपने संबंधित डोमेन-विशिष्ट विषयों पर रोटेशन के आधार पर आयोजित किए जाते हैं, इत्यादि।

समग्र समावेशिता: समग्र समावेशिता में एक कार्य वातावरण का निर्माण शामिल है जो विविध दृष्टिकोणों, अनुभवों और पहचान सहित व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करता है। यह केवल समानता, निष्पक्षता और अपनेपन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने से परे है, जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सम्मानित और सशक्त महसूस करता है।

महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण

- 'साम्य' एक प्रमुख पहल है जो कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और संवेदनशीलता को मजबूत करने पर केंद्रित है। 'साम्य' के तहत की गई पहलों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) के प्रावधानों से परिचालन कर्मियों को परिचित कराने के लिए 'इंटरनेट,

वेबिनारों' पर व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले मामले आधारित क्विज शामिल हैं।

- **व्यापार नेतृत्व पदों में महिलाओं के लिए विशेष 3-दिवसीय कक्षा कार्यक्रम:** व्यवसाय संचालन की दृष्टि से महिला कर्मचारियों में बेहद उच्च संभावित बिजनेस लीडर्स के गुण विद्यमान हैं। तदनुसार, आपके बैंक की 2078 महिला बिजनेस लीडर्स के लिए एक विशेष 3-दिवसीय कक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस तरह का पहला कार्यक्रम फरवरी 2023 में दिया गया था। यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2024 में भी जारी रहेगा।

सेवानिवृत्त लोगों को प्रशिक्षण: ट्रांजिशन टू रिटायरमेंट (टीटीआर) कार्यक्रम सेवानिवृत्ति होने वाले सभी अधिकारियों के लिए बैंक का 4 दिवसीय प्रमुख कक्षा प्रशिक्षण है, जिसका उद्देश्य उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन में प्रतिमान बदलाव का प्रबंधन करने में मदद करना है। कार्यक्रम में वित्तीय योजना, कर योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, सेवानिवृत्ति के बाद की कैरियर की संभावनाएं, साइबर सुरक्षा जागरूकता, आध्यात्मिक कल्याण और कुछ व्यवहार विज्ञान इनपुट शामिल हैं। एसबीआईएल कोलकाता में शीर्ष प्रबंधन के लिए टीटीआर की सिफारिश की गई।

दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण: एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। वित्त वर्ष 2022-23 में विशेष प्रशिक्षण के तहत 274 कर्मचारियों को कवर किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित नई भर्तियों को जॉब एक्सेस विद स्पीच (ग-थड) और श्रवण बाधित कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षण देना शामिल है।

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण: आपके बैंक ने अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत 2,455 से अधिक प्रशिक्षुओं की भर्ती की है। वर्ष 2023 के लिए 6160 नए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

वैल्यू चेन भागीदारों को प्रशिक्षण: वित्त वर्ष 2023 में सभी मण्डलों में 376 बीसी पर्यवेक्षकों के लिए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 53758 सीएसपी

कियोस्क ऑपरेटर्स के लिए 1,029 सीएसपी उड़ान कार्यशालाएं और सभी फीट-ऑन-स्ट्रीट (एसबीओएसएस) के लिए 92 अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

मील का पत्थर

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजर्स (आईएसीपीएम) के सहयोग से जोखिम और पोर्टफोलियो प्रबंधन गोलेमज का आयोजन: इस कार्यक्रम में 80 सीआरओ/सीसीओ और आईएफसी, एडीबी, एनबीएफआईडी, पीएफसी, एचडीएफसी, पीएनबी, पीएनबी, जेपी मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट बैंक, एक्जिम, ईट बैंक (एनडीबी) आदि सहित 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष जोखिम अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 पर 3 दिवसीय संगोष्ठी: इसमें श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष, आईबीबीआई; श्री सुनील मेहता, मुख्य कार्यकारी, आईबीए तथा श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन और एसएआरजी); ने हिस्सा लिया।

17 नवंबर 2022 को आयोजित **एमएसएमई कॉन्वलेव** में 50 निदेशकों, सीएफओ, सीआरओ और विभिन्न चिन्हित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें आपके बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

ईटी एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवाार्ड्स: आपके बैंक को ज्ञानोदय - ई-लर्निंग और आस्कएसबीआई के लिए मबेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टमम श्रेणी के तहत गोल्ड से तथा रोल आधारित प्रमाणपत्र के लिए उच्च प्रभाव प्रमाणन कार्यक्रम श्रेणी के तहत रजत से सम्मानित किया गया।

डिजिटल परिवर्तन और ई-कॉमर्स

पारंपरिक बैंकिंग मॉडल को फिर से तैयार किया जा रहा है क्योंकि प्रौद्योगिकी में नवाचार के माध्यम से बैंकिंग उद्योग को पुनः परिभाषित करना जारी है। हमारे डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ, हमारे डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण के साथ, हमारे बैंक का निरंतर प्रयास रहा है कि हमारे सभी ग्राहकों को अत्याधुनिक और अभिनव डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करें।

इस उद्देश्य के साथ, धजछज को 2017 में लॉन्च किया गया था और वित्त वर्ष 2023 के दौरान, धजछज के सफल लॉन्च की 5वीं वर्षगांठ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। योनो, हमारा प्रमुख मोबाइल बैंकिंग और लाइफस्टाइल ऐप, एक वन-स्टॉप-शॉप है जो न केवल वित्तीय सेवाओं की पेशकश करता है, बल्कि निवेश, बीमा और खरीदारी समाधानों का एक सरगम भी प्रदान करता है।

इस उद्देश्य के साथ, योनो को 2017 में लॉन्च किया गया था और वित्त वर्ष 2023 के दौरान, योनो के सफल लॉन्च की 5वीं वर्षगांठ के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया था। योनो, हमारा प्रमुख मोबाइल बैंकिंग और लाइफस्टाइल ऐप, न केवल वित्तीय सेवाओं बल्कि निवेश, बीमा और शॉपिंग समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने वाला वन-स्टॉप-शॉप है।

योनो

योनो ऐप ग्राहक संवर्द्धन का एक प्रमुख कारक रहा है। योनो ने अपने बैंक को नई पीढ़ी के बैंक के रूप में अपनी ब्रांड छवि को फिर से पेश करने में मदद की है, जिसमें ग्राहक की विभिन्न बैंकिंग, वित्तीय और जीवन शैली की जरूरतों के लिए सिंगल टच पॉइंट और सिंगल-स्टॉप समाधान के साथ एक सुविधाजनक, सहज ज्ञान युक्त और ओम्नीचैनल इंटरफेस है। इसके माध्यम से ग्राहक एसबीआई लाइफ, एसबीआई कैप्स, एसबीआई कार्ड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई जनरल इश्योरेंस जैसी संयुक्त उद्यम कंपनियों से भी विभिन्न वित्तीय उत्पादों की सुविधाओं का लाभ सकते हैं।

योनो कैश, एक गेम-चेंजर फीचर है, जो ग्राहकों को एसबीआई एटीएम और पीओएस से कार्डलेस निकासी की सुविधा प्रदान करता है।

योनो बिजनेस हमारा एकीकृत प्लेटफॉर्म है (डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध) जिसे बैंकिंग जरूरतों की एक पूरी श्रृंखला जैसे ट्रेड फाइनेंस, फॉरेक्स, कैश मैनेजमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, एपीआई बैंकिंग, प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन (पीएबीएल) और सबसे बड़े समूह से लेकर उभरते स्टार्टअप तक सभी श्रेणियों के कॉर्पोरेट ग्राहकों की आपूर्ति श्रृंखला वित्त के लिए डिजाइन किया गया है।

योनो कृषि क्षेत्र के ग्राहकों के लिए एक व्यापक बहुभाषी मंच है, जिसमें कृषि स्वर्ण ऋण, केसीसी समीक्षा, सफल डेयरी पूर्व-अनुमोदित कृषि ऋण, बाजार आसूचना-संबंधित सेवाएं (एमआईटीआरए), कृषि-उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार (एमएएनडी) और किसानों के निवेश और बीमा जरूरतों के लिए एक वित्तीय सुपर स्टोर शामिल है।

आपके बैंक ने नए ग्राहकों के लिए रियल-टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट (आरटीएक्ससी) और कार लोन में एकाउंट एग्जीगेटर, एकाउंट एग्जीगेटर सेवाओं के साथ व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, केसीसी समीक्षा के दौरान सबवेंशन प्लेन को अपडेट करना, एनपीएस एन्हांसमेंट, संपूर्ण आरोग्य सुरक्षा, एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लेटिना प्लस आदि रूपांतरकारी परिवर्तन किए। वित्त वर्ष 2023 के दौरान 135 से अधिक संवर्द्धन किए गए।

योनो का व्यापक मार्गदर्शक फोकस हमारे उत्पाद क्षेत्रों में हमारे ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रस्ताव प्रदान करने के लिए असाधारण ग्राहक अनुभव और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना रहा है। योनो ने बीमा, क्रेडिट कार्ड, निवेश उत्पादों और आपके बैंक के संयुक्त उद्यमों की सेवाओं से संबंधित उत्पादों की पेशकश करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत किया है।

योनो के प्रभाव के पैमाने का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 31 मार्च 2023 तक योनो के 6.07 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं का संचयी पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार है और यह एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के माध्यम से आपके बैंक की उत्पादकता में सुधार करने में सहायक है।

यूपीआई आधारित भुगतान की उद्योग-व्यापी वृद्धि आश्चर्यजनक बनी हुई है। भुगतान के क्षेत्र में बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, हम बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों का लाभ उठाने का प्रस्ताव देते हैं जैसे कि गैर-एसबीआई ग्राहकों को हमारी यूपीआई सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाना।

डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में अपने बैंक के नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए और योनो को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने तथा दुनिया के सबसे सफल डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों में से एक के रूप में

उभरने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने योनो के अगले जनरेशन पर काम करना शुरू कर दिया है, जो न केवल सुविधाओं और कार्यक्षमता के मामले में योनो के पूर्ण सुधार की परिकल्पना करता है बल्कि उपयोग में आसानी और ग्राहक अनुभव के संदर्भ में भी।

सर्वोत्तम वैश्विक/भारतीय डिजिटल बैंकिंग प्रस्ताव के साथ योनो की बैंचमार्किंग के लिए योनो के अगले जनरेशन का फोकस ग्राहक केंद्रित डिजाइन, हाइपर-व्यक्तिगत अनुभव, अभिनव उत्पाद पेशकश, टेक स्टैक का आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन के लिए एआई/एमएल, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स पर होगा।

वी-सीआईपी के माध्यम से वेतन खाता खोलना

आपके बैंक ने वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया का उपयोग करके एंड-टू-एंड डिजिटलाइज्ड वेतन खाता खोलने की पहल की है। वेतनभोगी ग्राहक अब किसी शाखा में गए बिना एक सहज और पेपरलेस वीडियो केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से अपना वेतन खाता खोलने में सक्षम हैं। यह सुविधा आसानी और परेशानी मुक्त बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है, जिससे उनके बहुमूल्य समय की बचत होती है। यह सम्मानित युवा पीढ़ी के ग्राहकों को बेहतर सेवा हेतु शुरू की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार

आपका बैंक नेटवर्क अनुभव को बेहतर बनाने और ब्रांच आइसोलेसन को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। आपके बैंक ने बीएसएनएल द्वारा डेटा केंद्रों पर ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) उपकरणों की तैनाती पूरी कर ली है,

जो 100 जीबीपीएस तक बैंडविड्थ ऑन-डिमांड और बीएसएनएल नेटवर्क क्लाउड पर ट्रैफिक के स्वचालित रूटिंग को सपोर्ट करता है।

सॉफ्टवेयर फैक्टरी

आपका बैंक विभिन्न अभिनव समाधानों को लॉन्च करने में अग्रणी रहा है। वर्ष के दौरान की गई कुछ पहलों में वित्तीय रिपोर्टिंग (आईएफसीओएफआर) पोर्टल पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का विकास, स्वर्ण प्रतिधारण सीमा की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड और एसबीआई डिजी वॉल्ट एप्लीकेशन में नई विशेषताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने निम्नलिखित पहलों को आरंभ कर भारत सरकार की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है:

केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)

सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोटों का एक डिजिटल रूप है। सीबीडीसी, एक संप्रभु मुद्रा होने के नाते, केंद्रीय बैंक के धन के अद्वितीय लाभ हैं जैसे विश्वास, सुरक्षा, तरलता, निपटान अंतिमता और समग्रता। सीबीडीसी अपने आवेदन के आधार पर विभिन्न फॉर्म या मॉडल ले सकते हैं। मुख्य मॉडल हैं - खुदरा सीबीडीसी, थोक सीबीडीसी और सीमा पार सीबीडीसी। नवाचार और वित्तीय परितंत्र के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने में इन मॉडलों के संभावित लाभ हैं।

आपका बैंक उन नौ बैंकों में से एक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी पायलट में भागीदारी के लिए चिन्हित किया है। तदनुसार, सीबीडीसी थोक और सीबीडीसी रिटेल क्रमशः 1 नवंबर 2022 तथा 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किए गए।

सीवीसी संबंधी शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस 2.0)

आवेदन सीवीसी में प्राप्त सभी शिकायतों के एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग को संभाल सकता है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो जाती है।

सीएमएस 2.0 एप्लिकेशन को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 03.11.2022 को सीवीसी के वार्षिक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

पूल खरीद

आपके बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी स्टैक और ओपनसोर्स टूल का उपयोग करके इन-हाउस एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन विकसित किया है ताकि पोर्टफोलियो खरीद के प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटलाइज और स्वचालित किया जा सके और लेखांकन उद्देश्यों के लिए बैंक की कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) पर निर्भरता को दूर किया जा सके।

ग्राहकों और बैंक को लाभ:

- सीबीएस के बाहर पूल खातों का प्रबंधन कर सीबीएस पर बोझ 13% (खातों की संख्या के संदर्भ में) कम हो गया है।
- एप्लीकेशन द्वारा 13,306 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रबंधित किया जा रहा है
- 8000 करोड़ रुपए से अधिक के चुकौती की गणना की गई है और डेटा सत्यापन के बाद संसाधित किया गया है
- 85.97 करोड़ रुपए की आय के रिसाव को रोका गया है
- प्रसंस्करण समय 93% तक कम हो गया है
- मैनुअल त्रुटियों का जोखिम शून्य कर दिया गया है

आरबीआई बॉन्ड आवेदन

आपके बैंक ने इन-हाउस एप्लिकेशन विकसित किया है जो आरबीआई बॉन्ड जारी करने, रखरखाव और मोचन सहित एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण को हैंडल करता है। यह डीलिंग शाखाओं, निपटान शाखाओं और नोडल शाखाओं को आरबीआई से सभी ब्याज भुगतान, मूल

4.1

प्ले स्टोर पर रेटिंग

6.07+ करोड़

योनो पंजीकृत ग्राहक

143+ मिलियन

योनो डाउनलोड

निदेशकों की रिपोर्ट

भुगतान, ब्रोकरेज भुगतान और दावों को केंद्रीय रूप से संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली एसबीआई और गैर-एसबीआई दोनों ग्राहकों को शाखा चैनल के माध्यम से आपूर्ति करती है।

ग्राहकों और बैंक को लाभ:

- उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु रियल टाइम अकाउंटिंग और विस्तृत एमआईएस तथा नियामक आरबीआई की रिपोर्टिंग
- मूल परिचालन जैसे नामिती अपडेट, एड्रेस अपडेट, रिपेमेंट अकाउंट अपडेट आदि के लिए इन-बिल्ड सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल
- वित्तीय लेनदेन और ग्राहक संबंधित पूछताछ के लिए एपीआई का उपयोग करने वाले अन्य एप्लिकेशन्स के साथ इंटीग्रेशन:
 - आरबीआई बॉन्ड जारी करने हेतु ग्राहक इंटरफेस के लिए इंटरनेट बैंकिंग
 - रियल टाइम अकाउंटिंग हेतु सीबीएस
 - निकट भविष्य में दस्तावेज अपलोड और ट्रैकिंग के लिए एंटरप्राइज डॉक्युमेंट मैनेजमेंट सिस्टम
 - टैक्स रिपोर्टिंग के लिए टीआरएस और जीएसटी टैक्स इंजन
 - पैन सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एनएसडीएल ताकि वैध पैन धारक आरबीआई बांड के लिए आवेदन कर सके

चैनल एवं परिचालन

भुगतान प्रणाली (पीएस)

आपके बैंक का एनईएफटी प्रेषण में महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसबीआई ने 157.37 करोड़ लेनदेन संसाधित किए हैं, जो बाजार हिस्सेदारी का 15 प्रतिशत है। आरटीजीएस प्रेषण में भारतीय स्टेट बैंक एक महत्वपूर्ण घटक है और इसने 364.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 6.19 करोड़ लेनदेन संसाधित किए हैं।

आपका बैंक सीटीएस क्लियरिंग में 12.51% बाजार हिस्सेदारी के साथ 8.69 करोड़ आवक लेनदेन और 8.75% बाजार हिस्सेदारी के साथ 6.08 करोड़ बाहरी लेनदेन के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। मूल्यवार आवक समाशोधन

लेनदेन 14.53% की बाजार हिस्सेदारी के साथ 10.16 लाख करोड़ रुपये और 11.39% की बाजार हिस्सेदारी के साथ बाहरी लेनदेन राशि 7.96 लाख करोड़ रुपये है।

भारतीय स्टेट बैंक सीमा पार वित्तीय संदेश संचरण के लिए स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग करता है। भारतीय स्टेट बैंक ने 40.91 लाख वित्तीय संदेशों को संसाधित किया है। एसबीआई ने ग्राहक सुरक्षा अनुपालन फ्रेमवर्क के लिए स्विफ्ट द्वारा निर्धारित सभी 23 अनिवार्य नियंत्रणों और 9 सलाहकार नियंत्रणों का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

आपके बैंक ने नच(एनएसीएच) के तीन मॉड्यूल को बैंक के एकीकृत भुगतान हब (आईपीएच) में केंद्रीकृत कर दिया है, आपके बैंक के पास कुल 17.15 लाख सक्रिय बाह्य अधिदेश हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 5.42 लाख बाह्य अधिदेश दर्ज किए गए और चालू वित्त वर्ष के दौरान नच डेबिट (ईएमआई रिकवरी) से संबंधित 95.66 लाख लेनदेन किए गए।

विदेशी कार्यालय

योनो ग्लोबल एप्लीकेशन्स

योनो ग्लोबल ऐप पूरे भौगोलिक क्षेत्रों में डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं और समान उपयोगकर्ता अनुभव कराते हैं। इस ऐप को ब्रिटेन, मालदीव, मॉरीशस, कनाडा, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका में लॉन्च किया गया है।

संवर्द्धन/ग्राहक केंद्रित व्यावहारिकताएँ

आपके बैंक ने विदेशी कार्यालयों की डिजिटल कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सुधार लागू किए हैं:

- योनो मोबाइल ऐप ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से ओटीपी
- योनो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भूले हुए उपयोगकर्ता आईडी की पुनर्प्राप्ति
- योनो ग्लोबल मोबाइल ऐप से एटीएम ग्रीन पिन जनरेट करना



- मॉरीशस में आईपीएस जैसे अंतरबैंक निधि अंतरण के लिए ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिए स्थानीय भुगतान के साथ ई-चैनल का इंटीग्रेशन।
- योनो मोबाइल एप्लिकेशन में इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल अनुभव के लिए कस्टमर फीडबैक।
- नेपाल योनो ग्लोबल ऐप में बिलर मॉड्यूल
- योनो ऐप में यूके के गैर-ग्राहकों के लिए विप्रेषण (एनटीबी)।

स्थानीय भुगतान प्रणाली पर ऑनबोर्डिंग

आपके बैंक ने एसबीआई सिंगापुर को स्थानीय 24x7 फास्ट पेमेंट नेटवर्क में शामिल किया है। इससे सिंगापुर में शीर्ष 20 भागीदार बैंकों के खातों के बीच चौबीसों घंटे धनराशि के हस्तांतरण में मदद मिलेगी। फास्ट में भागीदारी एसबीआई सिंगापुर को अंतर-बैंक फंड ट्रांसफर सुविधा के मामले में समान अवसर प्रदान करती है।

आईएसओ 20022 संदेश मानकों को अपनाना

आपके बैंक ने नियामक समयसीमा के अनुसार स्थानीय आरटीजीएस भुगतान के लिए दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में फिनेकल मैसेजिंग हब (एमटी से एमएक्स और विलोमक्रम से संदेश कनवर्टर) लागू किया है। इससे हमारे विदेशी कार्यालयों के लिए आने वाले सभी आगत क्रॉस बार्डर भुगतान एमएक्स संदेशों का ध्यान रखा जाएगा।

एटीएम

आपका बैंक का एटीएम विभाग पीसीआईडीएसएस अनुपालनकर्ता है, जो भुगतान कार्ड उद्योग के लिए एक बेंचमार्क सुरक्षा मानक है, जो 27.05 करोड़ सक्रिय डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं हेतु सेवारत है। वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई सुविधाएं शुरू की गईं:

ए. नकद निकासी स्क्रीन का नवीनीकरण

बी. एटीएम और एडीडब्ल्यूएम के माध्यम से केवाईसी अपडेशन

सी. केंद्रीकृत एलआरएस (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम) डेटाबेस के माध्यम से टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) के लिए एटीएम/ई-कॉम और

पीओएस के माध्यम से सभी डेबिट कार्ड अंतर्राष्ट्रीय टीएक्सएनएस पर विचार करना।

डी. संपूर्ण भुगतान बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने हेतु कार्ड टोकनकरण

ई. अपने एटीएम नेटवर्क के लिए पीसीआई-पिन प्रमाणन

एफ. ग्राहक संतुष्टि सूचकांक ग्राहकों को लेनदेन के पूरा होने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

जी. सभी उपलब्ध मूल्यवर्गों को समायोजित करने के लिए स्प्रेड मूल्यवर्ग हेतु एटीएम/एडीडब्ल्यूएम पर पर कैश डिस्पेंसर लॉजिक को नया रूप देना।

एच. लीनियर स्केल में 4-पोइंटर (पीएजीओ) रेटिंग वाले नए प्रारूप के साथ नए ग्राहक फीडबैक स्क्रीन को शुरू करना

आई वीजा प्रीपेड कार्ड (एफटीसी) पर मल्टी करेंसी

27.05 करोड़

सक्रिय डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता

पेमेंट सोल्युशंस

डेबिट कार्ड: आपके बैंक ने नवीकृत डेबिट कार्ड के सक्रिय होने पर पुराने डेबिट कार्ड को स्वचालित रूप से समाप्त करने को सुनिश्चित किया है। आईवीआर एजेंट के माध्यम से डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने और पुनः जारी करने की सुविधा ग्राहकों को प्रदान की गई। आईएनबी/योनो/योनो-लाइट सेवाओं के साथ-साथ कार्ड ट्रांजेक्शन फ्लैग (ऑन/ऑफ) का प्रावधान भी एटीएम और आईवीआर पर उपलब्ध कराया गया है ताकि कार्ड धारकों को अधिक विकल्प मिल सके। टी+1 खाता खोलने के बदले पीओएस ईएमआई रियल-टाइम खाता खोलने की कार्यक्षमता शुरू की गई।

रुपी प्रीपेड कार्ड: आपका बैंक विभिन्न लक्षित ग्राहकों और व्यावसायिक क्षेत्रों को रुपी डिनोमिनेटेड प्रीपेड कार्ड जैसे गिफ्ट कार्ड, ई-जेड पे कार्ड, इम्प्रेस्ट कार्ड और अचीवर कार्ड प्रदान करता है।

रुपे संपर्क रहित प्रीपेड कार्ड: आपके बैंक ने सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं के अनुसार रुपे प्रीपेड कार्ड का संपर्क रहित संस्करण विकसित किया है। यह सुविधा मजबूत कार्ड नियंत्रण टूल के साथ आती है जो कार्डधारक को भुगतान के संपर्क रहित मोड को सक्षम या अक्षम करने में सक्षम बनाती है। यह कार्डधारकों को मर्चेट प्रतिष्ठानों में अपने प्रीपेड कार्ड का अधिक बार उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा क्योंकि यह कार्ड-आधारित भुगतान करने के लिए उपयोग में आसानी प्रदान करता है।

स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवलर कार्ड (एसबीएफटीसी):

आपका बैंक स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवलर्स कार्ड (एसबीएफसी) जारी कर रहा है, जो विदेशी मुद्राओं में एक ईएमवी चिप और पिन कम्प्लायंट प्रीपेड कार्ड है जो विदेश जाने वाले यात्रियों (भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर दुनिया भर में मान्य) को सुरक्षा, सुरक्षा और सहूलियत प्रदान करता है। एसबीएफसी सिगल करेंसी और मल्टीकरेंसी कार्ड के रूप में उपलब्ध है। यह नौ मुद्राओं - अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कनाडाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन, सऊदी अरब रियाल, सिंगापुर डॉलर और यूएई दिरहम में उपलब्ध है।

मेट्रो और ट्रांजिट परियोजनाएँ: आपके बैंक ने माइक्रोपेमेंट्स को तेजी से डिजिटलाइज करने के लिए विभिन्न मेट्रो और ट्रांजिट परियोजनाओं में भागीदारी की है। आपके बैंक को नागपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कानपुर मेट्रो और एमएमआरडीए लाइन 2ए और लाइन 7 मेट्रो परियोजनाओं में रुपे प्लेटफॉर्म पर क्यूस्पाक प्रौद्योगिकी को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। बैंक ने मेट्रो परियोजनाओं में 1,74,000 प्रीपेड कार्ड जारी किए हैं।

प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजर (पीआरएम): आपके बैंक ने विभिन्न डिजिटल चैनलों पर संदिग्ध और धोखाधड़ी लेनदेन की निगरानी के लिए धोखाधड़ी निगरानी समाधान यानी पीआरएम तैनात किया है। वर्तमान में प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजर (पीआरएम) एटीएम कैश, पीओएस, ई-कॉम, रिटेल आईएनएबी, कॉर्पोरेट आईएनबी, मर्चेट, योनो, योनो-लाइट, यूपीआई, कियोस्क बैंकिंग और फास्टैग चैनलों के साथ एकीकृत है।

निदेशकों की रिपोर्ट

इंटरनेट बैंकिंग

आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग एक सहज ऑनलाइन अनुभव प्रदान करती है, जो 1,107 लाख खुदरा उपयोगकर्ताओं तथा 36 लाख कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है।

खुदरा ग्राहकों के लिए कई नई सेवाएं शुरू की गईं, जैसे प्री-अप्रूव्ड व्यक्तिगत ऋणों के लिए ऑनलाइन खाता खोलना, वित्तीय लेनदेन के लिए ईमेल पर ओटीपी उपलब्ध कराना, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आरईकेवाईसी, ग्राहक प्रोफाइल का ऑनलाइन अपडेशन और विदेशी धन प्रेषण के लिए एनजेडडी मुद्रा उपलब्ध कराना।

कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग और योनो बिजनेस में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कई नई सेवाएं शुरू की गईं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- सरकारी संस्थाओं के लिए पीएफएमएस एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्राधिकृत करने की सुविधा
- संग्रह की सुविधा प्रदान करने हेतु सीआईएनबी ग्राहकों के लिए एकीकृत चेक जमा कियोस्क
- सरल और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए स्टॉक स्टेटमेंट अपलोड सुविधा
- प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर फाइनेंस सुविधा
- आईटीसी कॉर्पोरेट खुदरा विक्रेताओं के लिए डिजिटल रिटेलर फाइनेंस स्कीम
- एचयूएफ ग्राहकों हेतु आरबीआई बॉन्ड सब्सक्रिप्शन
- नई पंजीकृत कंपनियों के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ एमसीए स्पाइस एकीकृत चालू खाता खोलने की सुविधा।

योनो व्यवसाय

आपके बैंक का योनो व्यवसाय एमएसएमई और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं इस वर्ष के दौरान शुरू की गईं। यह डिजिटल रूप से सभी प्रकार की गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं की विभिन्न बैंकिंग इंटरफेस आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें एक छोटे स्वामित्व / एमएसएमई से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों तक शामिल हैं।

योनो व्यवसाय उत्पाद में निम्नलिखित नई पेशकश शामिल हैं:

- सभी इकाइयों के लिए ऑनलाइन चालू खाता खोलने की प्रक्रिया
- एपीआई के माध्यम से नए युग का बैंकिंग समाधान
- कॉर्पोरेट और एग्रीगेटर्स के लिए फाइल और फॉर्म आधारित भुगतान के साथ बैंकिंग
- एपीआई बैंकिंग के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग
- एलसी अनुमोदन के साथ योनो बिजनेस मोबाइल ऐप
- योनो बिजनेस मोबाइल ऐप के माध्यम से विदेशी मुद्रा दर बुकिंग की सुविधा
- कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए त्वरित अंतरण सुविधा से सुसज्जित नई सुविधा के साथ सरल और कॉर्पोरेट्स के लिए नई पुनर्कल्पित सहज भुगतान।
- अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करना
- योनो व्यवसाय के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

एसबीआईपी लाइट (पूर्ववर्ती एसबीएमओपीपीएस स्टेट बैंक मल्टी-ऑप्शंस पेमेंट सिस्टम)

आपके बैंक ने ई-कॉमर्स और अन्य व्यापारी संस्थाओं के साथ साइट-टू-साइट एकीकरण का उपयोग कर विभिन्न तरीकों के माध्यम से संग्रह की सुविधा हेतु एसबीआईपी लाइट शुरू किया है। एसबीआईपी लाइट के माध्यम से एकीकृत कुल सक्रिय प्रत्यक्ष मर्चेन्ट 576 हैं।

इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:

- मर्चेन्ट यूआई रीवैम्प (एमओपीएस पेज)
- स्पॉन्सर बैंक एपीआई ईमैन्डेट
- ईएमआई चुकौती के लिए ईमैन्डेट
- सरकारी संस्थाओं और ई-कॉमर्स व्यापारियों के साथ विभिन्न समाकलन। मर्चेन्ट ट्रांजैक्शन के लिए छह अंकों का ओटीपी लागू किया गया।
- सरकारी संस्थाओं और ई-कॉमर्स मर्चेन्ट्स के साथ विभिन्न समाकलन

एसबीआई यूनिय पे

आपके बैंक ने एनपीसीआई द्वारा होस्ट की गई बीबीपीएस सेवाओं के माध्यम से बिल भुगतान के लिए एसबीआई यूनिय पे एप्लिकेशन विकसित किया है, जो जुलाई 2021 में लाइव हुआ। एसबीआई यूनिय पे प्लेटफॉर्म में, बैंक बीबीपीएस और गैर-बीबीपीएस बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

- मार्च 2023 तक ऑनबोर्डेड बिलर्स की कुल संख्या 654 है जिसमें 3 ऑनलाइन बिलर्स और 651 ऑफलाइन बिलर्स शामिल हैं।
- 2 एजेंट संस्थानों को लाइव किया गया

1,74,000

मेट्रो परियोजना में जारी कुल प्रीपैड कार्ड

1,107 लाख

रिटेल इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता

36 लाख

कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता

एजेंट संस्था पोर्टल और एजेंट पोर्टल को एजेंट संस्थानों के लिए एमआईएस एक्सेस, शिकायत प्रबंधन और एमआईएस डैशबोर्ड कार्यक्षमता को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया था, जो एजेंट पोर्टल में एजेंटों के लिए बिल भुगतान लेनदेन मॉड्यूल के साथ उपलब्ध हैं।

ईपी और पीजी

आपका बैंक विभिन्न भुगतान मोड के लिए व्यवसायों, व्यापारियों, ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच निर्बाध ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा के लिए भुगतान एग्जीगेटर और भुगतान गेटवे दोनों के रूप में काम करता है। यह प्लेटफॉर्म हमारे पेमेंट एग्जीगेटर (एसबीआई ई-पे) और पेमेंट गेटवे (एसबीआईपीजी) एप्लिकेशन के माध्यम से एक छोर पर हजारों व्यापारियों और दूसरे छोर पर बड़ी संख्या में भुगतान चैनलों जैसे बैंकों, वॉलेट और कार्ड के साथ एकीकृत करके प्रदान किया जाता है।

एसबीआईपी (आपके बैंक का भुगतान एग्जीगेटर समाधान) PCIDSS और ISO27001: 2013 प्रमाणित है। वित्तीय वर्ष के दौरान, एसबीआईपी ने एनआईटी पुडुचेरी, भारतीय सेना अखिलीर, आईआईटी तिरुपति, पश्चिम बंगाल जीआरआईपीएस, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन आदि जैसे प्रतिष्ठित मंचों सहित 468 नए मंचों को जोड़ा। 31-03-2023 तक, 1974 व्यापारियों को एसबीआईपी के साथ एकीकृत किया गया है।

एसबीआईपीजी एक पीसीआईडीएस प्रमाणित एप्लिकेशन है, जो पेमेंट एग्जीगेटर्स, एसबी कलेक्ट, एसबीआई-एमओपीएस और योनो के सभी कार्ड-आधारित लेनदेन संसाधित करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान एसबीआईपीजी ने 13,390 सब-मंचों को जोड़ा। 31-03-2023 तक, 83,352 सब-मंचों और 17 एग्जीगेटर्स को एसबीआईपीजी के साथ एकीकृत किया गया।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ शुरू की गईं:

- न्यू पीजी सॉल्यूशन को अंतिम रूप देना और उसका चयन करना।
- आईपीआई पीजी में लागू टोकनीकरण परिवर्तन: आईपीआई पीजी में अधिग्रहित

वीजा / मास्टरकार्ड / रूपे कार्ड-आधारित टोकन ई-कॉमर्स लेनदेन की प्रोसेसिंग।

- वीजा और मास्टरकार्ड नेटवर्क के लिए अधिग्रहणकर्ता के रूप में ईएमवी 3डीएस 2.0 का कार्यान्वयन।
- आईपीआई पीजी एप्लिकेशन हेतु एप्लिकेशन मॉनिटरिंग टूल (एपीएम) का क्रियान्वयन।

मोबाइल बैंकिंग

आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग विभाग विस्तार-क्षेत्र की गणना से सबसे बड़ा वैकल्पिक चैनल है। यह यूपीआई, योनो लाइट, योनो बिजनेस, एसबीआई क्लिक, एसबीआई व्हाट्सएप और एसबीआई सिक्थोर ओटीपी जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण ग्राहक-फेसिंग मोबाइल एप्लिकेशन / सेवाओं को संभालता है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई): भीम एसबीआईपी आपके बैंक के प्रमुख एप्लिकेशनों में से एक है जो यूपीआई के माध्यम से इंटरऑपरेबल, सहज और रियल टाइम लेनदेन की अनुमति देता है। यूपीआई नंबर, विदेशी आवक और जावक प्रेषण, मर्चेन्ट टैब, व्यापारियों के लिए वॉयस अलर्ट, ऑनलाइन विवाद समाधान सुविधा आदि जैसे विभिन्न नए फीचर्स शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने यूपीआई लेनदेन की अधिकतम मात्रा की सफलता हासिल की है, जो प्रतिदिन लगभग 165 मिलियन है। आपके बैंक का समग्र यूपीआई पंजीकरण (यूपीआई हैंडल) आधार 35 करोड़ से अधिक है।

~165 मिलियन

प्रतिदिन दर्ज यूपीआई लेनदेन

निम्नलिखित उत्पाद ग्राहकों की सुविधा के लिए आरंभ किए गए:

- **विदेशी आवक प्रेषण/विदेशी बाह्य विप्रेषण:** यूपीआई का उपयोग कर हुए भारत-सिंगापुर कॉरिडोर में विदेशी आवक प्रेषण (एफआईआर)/विदेशी बाह्य विप्रेषण (एफओआर) शुरू।

- **यूपीआई लाइट:** एसबीआई ग्राहक अब यूपीआई लाइट का उपयोग कर सकते हैं, यह एक ऐसी सुविधा है जो वास्तविक समय में आपके बैंक के सीबीएस का उपयोग किए बिना कम मूल्य के लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई लाइट फीचर एक बेहतरीन उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हुए सुरक्षित तरीके से लेनदेन सुनिश्चित करता है।

- **यूपीआई नंबर:** एसबीआई ग्राहक अब अपना खुद का यूपीआई नंबर (8 से 10 अंकों का नंबर) बना सकते हैं, जो ग्राहक का पंजीकृत मोबाइल नंबर भी हो सकता है। यूपीआई लेनदेन अब पूरे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) या यूपीआई हैंडल को इनपुट किए बिना शुरू किया जा सकता है।

- **ऑनलाइन विवाद निवारण प्रणाली:** आपके बैंक ने एकीकृत विवाद और समस्या समाधान प्रणाली (यूडीआईआर) भी शुरू की ताकि ग्राहक वास्तविक समय में विफल लेनदेन की अद्यतन स्थिति देख सकें, जिससे असफल लेनदेन के तेजी से विपर्यय की सुविधा मिल सके।

- **ई-रुपी परियोजनाएं:** आपके बैंक ने विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और केंद्र सरकार के विभागों जैसे बीज सब्सिडी वितरण (ओडिशा सरकार), पीएमएसएमए (प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (उत्तर प्रदेश सरकार), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पीएमजेवाई योजना (केंद्र सरकार), कृषि यंत्रीकरण - बागवानी (कर्नाटक सरकार), राज्य ग्राम लम्बारदर (हरियाणा सरकार) को मोबाइल फोन का वितरण आदि के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण / कल्याण कार्यक्रमों के लिए ई-यूपीआई सेवा का विस्तार किया है।

व्हाट्सएप बैंकिंग: एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा 1 जुलाई 2022 को शुरू की गई जिसके माध्यम से आपका बैंक हमारे ग्राहकों को बहुतायत सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जैसे: 1) खाता शेष 2) मिनी स्टेटमेंट 3) पेंशन स्लिप सेवा 4) ऋण उत्पादों (होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन) पर जानकारी 5) जमा उत्पादों पर जानकारी (बचत, आवर्ती जमा, सावधि जमा) 6) एनआईआई सेवाओं पर

जानकारी (एनआरई खाता, एनआरओ खाता, एनआरई और एनआरओ बचत ब्याज दर, एफसीएनआर जमा ब्याज दर) 7) डिजिटल बैंकिंग उत्पादों पर जानकारी (योनो लाइट, योनो बिजनेस, योनो, एफएक्यू सेक्शन) 8) तत्काल खाता खोलने पर जानकारी 9) संपर्क हेल्पलाइन और हेल्पलाइन नंबर 10) पूर्व-अनुमोदित ऋण (व्यक्तिगत / कार / दोपहिया ऋण) 11) बैंक अवकाश कैलेंडर 12) विभिन्न बैंकिंग फॉर्म डाउनलोड करने का विकल्प खाता खोलने के फॉर्म, फॉर्म 15 जी / एच, फॉर्म 60, पीपीएफ / लोन ए / सी लिंकिंग, आधार लिंकिंग, पीपीएफ, नामांकन फॉर्म, आदि। 13) डेबिट कार्ड उपयोग की जानकारी 14) खोए हुए / चोरी हुए कार्ड की जानकारी 15) पंजीकरण रद्द करने का विकल्प इत्यादि।

योनो लाइट: योनो लाइट का कुल उपयोगकर्ता आधार 2.12 करोड़ है। वर्ष के दौरान योनो लाइट मोबाइल बैंकिंग ऐप में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की गईं:

- आईएमपीएस सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये
- योनोलाइट यूनिफॉर्म ओटीपी (6-अंकीय)
- जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया में सुधार हेतु वित्तीय लेनदेन (स्व-खाता, भारत क्यूआर और आरडी/टीडीआर) का पीआरएम एकीकरण

2.12 करोड़

योनो लाइट कुल उपयोगकर्ता आधार

कार्यपालक सहायता प्रणाली

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)

आपके बैंक का सीआरएम समाधान मौजूदा और संभावित ग्राहकों के साथ मजबूत, निष्ठावान संबंधों के निर्माण और इसे आगे बनाए रखने में मदद करता है। इसका क्रियान्वयन किया गया है तथा इसका संवर्द्धन किया जा रहा है ताकि कर्मचारी बिक्री, सेवा और विपणन के संपूर्ण लाइफ साइकल में ग्राहकों के साथ सार्थक रूप में जुड़ सकें।

सीआरएम सॉल्यूशन ने अन्य स्रोतों जैसे कि ओसीएस, योनो, लॉस, एलएलएम, बैंक की वेबसाइट आदि के साथ एकीकृत सभी व्यावसायिक इकाइयों और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के लिए अग्रणी मॉड्यूल को अनुकूलित किया है। इसमें एक परिष्कृत और उन्नत शिकायत मॉड्यूल अर्थात् सीआरएम-सीएमएस भी है, जिसमें ग्राहक की पिछली शिकायतों और अन्य विवरणों के साथ पूरे ट्रेल को आवेदन में कैप्चर किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने, उसकी ट्रैकिंग और समाधान में आसानी होती है।

यह प्लेटफॉर्म बैंक-पंजीकृत मोबाइल उपकरणों पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराया गया है ताकि आपके बैंक कर्मचारी कतिपय सेवाएँ कहीं से भी दे सकें। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ ग्राहक-केंद्रित परियोजनाएँ निम्न प्रकार हैं:

- ग्राहक 360 का संवर्धन ताकि एक ही दृष्टि में रिटेल के साथ-साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों / उत्पाद सिफारिशों और विश्लेषिकी आधारित आउटपुट के माध्यम से सीआरएम लीड प्राप्त हो सके।
- सीसी एजेंटों और बैंक कर्मचारियों दोनों के साथ हाइब्रिड कॉल सेंटर
- हिंदी भाषी ग्राहकों की सुविधा हेतु ग्राहक अनुरोध और शिकायत फॉर्म (सीआरसीएफ) की शुरुआत हिंदी भाषा में की गई।
- बैंकिंग लेनदेन के साथ ग्राहकों के अनुभव को समझने और विश्लेषण करने के उद्देश्य नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) की शुरुआत की गई।
- बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से आंतरिक लोकपाल (आईओ) का नवीकरण
- अनधिकृत लेनदेन के मामले में ग्राहक देयता की पहचान करने के उद्देश्य से सीएलआईसी (ग्राहक देयता पहचान केंद्र) की स्थापना की गई, जो शिकायतों के शीघ्र समाधान में मदद करता है।

डेटा गवर्नेंस

दुनिया भर में उभरते रुझान के अनुरूप, आपके बैंक में डेटा गवर्नेंस भी नियामक या अनुपालन कार्यों से परे जा रहा है और डेटा और अंतर्दृष्टि के रणनीतिक उपयोग की दृष्टि से सक्षम हो रहा

है। आपके बैंक द्वारा आंतरिक रूप से उपलब्ध डेटा का लाभ उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें बाहरी रूप से उपलब्ध अंतर्दृष्टि के साथ मिलाकर ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और राजस्व धाराओं को बढ़ावा देने के लिए नए व्यावसायिक अवसर तैयार किए जा रहे हैं। आपके बैंक का डेटा प्रबंधन कार्य सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक महत्वपूर्ण डेटा को अधिक महत्व दे रहा है और एक लीन, चुस्त और अतिरेक मुक्त इकोसिस्टम बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। इसमें ग्राहकों, नियामकों, कर्मचारियों, प्रबंधन आदि जैसे हितधारकों के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए संगठन में सही माहौल बनाना भी शामिल है।

कोर और विशेष परियोजनाएँ

कोर बैंकिंग

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नानुसार कई ग्राहक सेवा पहल शुरू किए:

- आपके बैंक की किसी भी शाखा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर ग्राहक रेटिंग प्राप्त करने के लिए नेट प्रमोटर स्कोर।
- धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु रैंडम अल्फान्यूमेरिक कोड सत्यापन के माध्यम से सिस्टम आधारित चेक सुरक्षा सुविधाओं की शुरुआत
- रियाल्टार का चालू खाता संग्रह और स्वीप कार्यक्षमता ताकि उसी दिन धन उपलब्ध हो जाए
- डी. हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रण की मौजूदा सुविधा के अलावा 10 और भारतीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में सीबीएस में प्रिंटिंग शुरू की गई है।
- गैर-वैयक्तिक पात्र चालू खाते को सीसी/ओडी उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए प्रणाली सक्षम की गई है।

आईटी-रिटेल लोन

आईटी रिटेल लोन एंड-टू-एंड क्रेडिट प्रक्रियाओं को पूरा करता है। आपका बैंक आवास और ऑटो ऋण उत्पादों जैसे खुदरा ऋण उत्पादों के लिए प्रमुख अधिग्रहण समाधान- 'आरएएस'

को बढ़ावा दे रहा है। 'आरएएस' विभिन्न खुदरा ऋण उत्पादों में अधिकतम हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आउटसोर्सिंग संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध है।

आईटी-कॉर्पोरेट और एसएमई ऋण

आपके बैंक की कॉर्पोरेट और एसएमई लोन की पूरी प्रक्रिया इन-हाउस लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम (एलएलएमएस) पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिससे क्रेडिट प्रक्रिया का मानकीकरण, जोखिम प्रबंधन में वृद्धि और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और टीएटी का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

आपके बैंक ने एलएलएम में क्रेडिट मूल्यांकन प्रारूपों को सरल बनाया है, ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके। प्रमुख विवरण कैप्चरिंग के लिए आरएम-एसएमई के लिए प्रथम नामक ऐप शुरू किया गया। इसके अलावा, सीएलपी से एलएलएमएस तक लीड पास करने के लिए सीएलपी-असिस्टेड प्रक्रियाएँ शुरू की गई हैं।

वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाएं (एफआई एंड जीएस)

आपके बैंक को आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021-22 में बड़े बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष विजेता घोषित किया गया।

बीसी चैनल बैंक रहित और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्राहक सुविधा और ग्राहकों की संतुष्टि हेतु आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान बीसी चैनल के माध्यम से निम्नलिखित नई सुविधाएँ शुरू की हैं:

ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी) आउटलेट पर तत्काल खाता खोलने की सुविधा: समान पते, वैध मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और ई-केवाईसी द्वारा प्रमाणित ग्राहकों के लिए तत्काल खाता खोलने की सुविधा सीएसपी आउटलेट पर बीसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध है। इसके माध्यम से सीएसपी को वास्तविक समय में ग्राहक खाता खोलने और शाखा गए बिना ग्राहक को तत्काल खाता संख्या उपलब्ध करने की सुविधा प्रदान की गई है।

सीएसपी आउटलेट पर एनईएफटी सुविधा:

सीएसपी आउटलेट्स पर बीसी चैनल के माध्यम से ग्राहकों के लिए एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध है। इससे सीएसपी आउटलेट्स के माध्यम से अन्य बैंक ग्राहकों को धन के हस्तांतरण के लिए आईएमपीएस मोड के अलावा एक और अवसर उपलब्ध कराया है।

सीएसपी आउटलेट पर विभिन्न ऋणों के लिए लीड जनरेशन सुविधा:

सीएसपी आउटलेट्स पर बीसी चैनल के माध्यम से ग्राहकों के लिए छह सेवाओं (होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एंजी गोल्ड लोन, पी-सेगमेंट गोल्ड लोन और मुद्रा लोन) के लिए लीड जनरेशन की सुविधा शुरू की गई है। सीएसपी उपरोक्त छह सेवाओं के लिए लीड हासिल करने में सक्षम होगा तथा आगे की प्रोसेसिंग के लिए सीआरएम में संबद्ध शाखा को लीड उपलब्ध होगा।

सीएसपी आउटलेट्स पर आधार सीडिंग और डीसीडिंग सुविधा:

किसी भी सीएसपी आउटलेट पर कियोस्क एप्लिकेशन के माध्यम से सीबीएस में आधार नंबर सीडिंग और डी-सीडिंग की सुविधा प्रदान की गई है। सीएसपी आउटलेट्स पर आधार नंबर सीडिंग और डी-सीडिंग सुविधा एफआई और नॉन-एफआई दोनों ग्राहकों के लिए उनके बचत बैंक खाते में उपलब्ध होगी।

अन्य विनियामक अनुपालन:

यूआईडीआईईआई दिशानिर्देशों के अनुसार एडपीएस के लिए यूआईडीआईईआई प्रमाणीकरण प्रक्रिया में एफएमआर+एफआईआर एक्सएमएल टेम्पलेट का कार्यान्वयन 31 जुलाई 2022 को पूरा हो गया तथा आपका बैंक इसे लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बड़ा बैंक था। रियल-टाइम (आरटी) और नियर-रियल-टाइम (एनआरटी) लेनदेन निगरानी के लिए कियोस्क बैंकिंग एप्लिकेशन के साथ एफआरएम-पीआरएम एकीकरण भी 01 सितंबर 2022 को पूरा हो गया।

डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान

निधि वितरण: पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं, 12वीं और 13वीं किश्त के तहत एसबीआई ने 31 मई 2022, 17 अक्टूबर 2022 एवं 27 फरवरी 2023 को एक ही दिन में गंतव्य बैंक के रूप में क्रमशः 2.43 करोड़, 1.83 करोड़ और 1.84 करोड़ लेनदेन किए।

आईटी-विशेष परियोजनाएँ

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नानुसार कई पहलों / कार्य कलापों की शुरुआत की:

डिजी गवर्नमेंट

आपके बैंक ने एकल नोडल खाते (एसएनए) के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) से संबंधित भारत सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक कोष प्रबंधन समाधान शुरू किया है, जिसमें 23 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की 433 योजनाओं और 7 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की 124 योजनाओं को कवर करते हुए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शामिल है। आपके बैंक ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के लिए अनुकूलित समाधान शुरू किया है।

एनईटीसी फास्टैग

फास्टैग को ऑनलाइन जारी करना: आपके बैंक ने ग्राहकों के लिए एसबीआई फास्टैग की ऑनलाइन खरीद की सुविधा शुरू की है, जिससे उनकी परेशानी कम हुई है और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में सुधार हुआ है। इस फीचर को 22 दिसंबर को लॉन्च किया गया था।

एसएमएस और मिस्ड कॉल के माध्यम से बैलेंस

पूछताछ: आपके बैंक ने एसबीआई फास्टैग ग्राहकों के लिए एनईटीसी फास्टैग के माध्यम से किए गए पिछले 5 लेनदेन के साथ बैलेंस पूछताछ की सुविधा प्रदान की है।

सक्रिय जोखिम प्रबंधन (पीआरएम) के साथ

फास्टैग एकीकरण: आपके बैंक ने लेनदेन की निगरानी और संभावित धोखाधड़ी के विरुद्ध ग्राहकों को सतर्क करने हेतु प्रणाली विकसित की है।

गवर्नमेंट बिजनेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन (जीबीएसएस)

आपके बैंक ने राज्य सरकार के जेनेरिक मॉड्यूल के माध्यम से जीबीएसएस समाधान (सिंगल डेबिट, मल्टीपल क्रेडिट) में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बड़े परिमाण में अपलोड की सुविधा प्रदान की है।

क्रॉस सेलिंग

बैंक में एसबीआई लाइफ और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोजेक्ट फॉर्म स्टोरेज: आईआरडीआई की विनियामक आवश्यकता के अनुसार, आपके बैंक ने एसबीआई लाइफ और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्रोजेक्ट फॉर्म स्टोरेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया है।

प्रथम

भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक

कियोस्क के माध्यम से स्वयं पुनर्मुद्रण

आपके बैंक ने ग्राहकों के लिए स्व-सेवा मोड में स्वयं कियोस्क सेवा उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से वर्तमान तिथि से 90 दिनों से पहले की तारीख से पासबुक को रिप्रिंट किया जा सकता है।

पेंशन सेवा मोबाइल ऐप

आपके बैंक ने पेंशनरों को मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए उपलब्ध) के माध्यम से अपनी सभी पेंशन संबंधी जानकारी आसानीपूर्वक प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। नियमित और पारिवारिक पेंशनरों के लिए अब वीडियो के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव हो गया है।

भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के साथ पेंशन आवेदन का एकीकरण

आपका बैंक विभिन्न पेंशन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक है। आपके बैंक के सार्वजनिक पेंशनभोगी जो भविष्य पोर्टल में पंजीकृत हैं, वे बिना किसी लॉगिन के भविष्य पोर्टल से ही सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एमएल-सीएफटी - एमएलॉक समाधान

उन्नत लेनदेन निगरानी के लिए एआई-एमएल का उपयोग: आपका बैंक एमएलसीएफटी गतिविधियों के लिए लेनदेन निगरानी में एआई-एमएल के उपयोग में अग्रणी तथा एमएलॉक में एआई-एमएल मॉडल स्कोर को लागू करने

वाला भारत का पहला बैंक है। इसके लाभ निम्न प्रकार हैं:

क. ग्राहकों के व्यवहार पर बेहतर अंतर्दृष्टि के साथ अलर्ट जांच प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए डेटा संचालित जोखिम स्कोरिंग संवर्धन

ख. एफआईयू-आईएनडी के साथ गुणवत्तापूर्ण संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट दाखिल करना।

ग. एआईएमएल स्कोर के लिए अतिरिक्त विशेषताओं के डेटा से सतर्क जांच प्रक्रिया में मदद मिलेगी जिससे सीबीएस और एसटीआर डेटा बिंदुओं के लिए अन्य एप्लिकेशन्स द्वारा खोज में कमी आएगी।

घ. इस अवधि के दौरान अलर्ट से निपटने के लिए डेटा संचालित निर्णय के रूप में श्रम शक्ति में कमी आएगी।

एन्हांसड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए एमएलॉक सॉल्यूशन में पेश की गई नई विशेषताएं: आपके बैंक ने 10 अगस्त, 2022 को नई प्रौद्योगिकियों पर एफएटीएफ की सिफारिशों और भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श के अनुसार डिजिटल वितरण चैनलों की बेहतर निगरानी शुरू की है। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए, कुछ नए रेड फ्लैग संकेतकों को हाल ही में एमएलॉक में लागू किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बैंक में उन्नत लेन-देन निगरानी प्रणाली विकसित हुई थी।

आईटी-व्यापार वित्त

एविजम उद्यम/ग्राहक उद्यम

आपके बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए व्यापार वित्त प्रक्रियाओं को फिर से परिभाषित करने की शुरुआत की है। इन डिजिटलीकरण पहलों में 2 शीर्ष व्यापार प्रसंस्करण सेल (जीटीएफसी) के लिए सभी व्यापार वित्त लेनदेन को केंद्रीकृत करना और टाटा, परिचालन जोखिम और लागत को कम करने के लिए एआई/एमएल आधारित समाधानों का लाभ उठाना शामिल है।

कॉर्पोरेट ग्राहक संपर्क को आपके बैंक के साथ आसान बनाने के लिए ग्राहक उद्यम को नया रूप दिया गया है। सभी प्रक्रियाओं में दस्तावेज अपलोड सुविधा और ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस के लिए डैशबोर्ड, एलसी और बीजी के लिए सी2बी एमटी798 पहले ही शुरू कर दिया गया है।

ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस

समाधान प्रतिशत क्रमशः 97.48 और 96.35 (31/03/2023 तक) है जो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

केंद्रीकृत स्विफ्ट इंटरफेस गेटवे (सीएसआईजी):

सीएसआईजी स्विफ्ट नेटवर्क पर सीमा पार लेनदेन के लिए एक केंद्रीकृत संदेश प्रणाली है। वर्ष के दौरान, औसत दैनिक लेनदेन में 22,000 इनकर्मिंग और 7500 आउटगोइंग संदेश शामिल थे।

विव 2023 के दौरान आपके बैंक द्वारा जीते गए पुरस्कार

आपके बैंक को आईबीई बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2022-23 के तहत निम्नलिखित पुरस्कारों का विजेता घोषित किया गया है:

- दि बेस्ट फिनान्सियल इंकलुशन - विजेता
- दि बेस्ट फिनटेक कोलेब्रेशन - विजेता
- दि बेस्ट डिजिटल सेल्स एंड एंगेजमेंट - विशेष पुरस्कार
- दि बेस्ट डिजिटल आईटी रिस्क एंड मैनेजमेंट - विशेष पुरस्कार
- दि बेस्ट एआई एंड एमएल बैंक ऑफ द ईयर - विशेष पुरस्कार

आपके बैंक ने आईडीसी फ्यूचर एंटरप्राइज अवार्ड्स 2022 के तहत निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं:

- बेस्ट इन फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस वर्ग में रिकमेंडेशन इंजन/नेक्स्ट बेस्ट प्रॉडक्ट।
- बेस्ट इन फ्यूचर ऑफ ऑपेरेशन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में डाटा लैब और सेल्फ सर्विस बीआई
- बेस्ट इन फ्यूचर ऑफ डिजिटल इन्वोल्वेशन श्रेणी में एसबीआई के विदेशी परिचालन हेतु परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) का स्वचालन

स्विफ्ट लेनदेन (ट्रस्ट) के लिए ग्री-वे रिकन्सिलिएशन यूटिलिटी

एप्लिकेशन आउटवर्ड स्विफ्ट मैसेज एग्रीगेटर और उपयुक्त नियंत्रण ढांचे के साथ समाधान प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह स्विफ्ट आउटवर्ड संदेश और ऑटो-मैच इंडिकेटर के साथ संबंधित अंतर्निहित सीबीएस लेखांकन प्रविष्टियों का एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

ग्राहक अनुभव संवर्द्धन विभाग

आपके बैंक ने ग्राहक अनुभव संवर्द्धन के उद्देश्य से आपके बैंक के सभी ग्राहक टचपॉइंट पर ग्राहक पेशकशों के मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

प्रमुख पहल

सीएलआईसी (ग्राहक देयता पहचान केंद्र)

आपके बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक डेबिट लेनदेन (यूईडी) से उत्पन्न शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी 17 सर्किलों में एक केंद्रीकृत समर्पित सेल सीएलआईसी (ग्राहक देयता पहचान केंद्र) शुरू किया है।

ग्राहकों के साथ विभिन्न जुड़ाव के लिए मैट्रिक्स:

आपके बैंक ने ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मैट्रिक्स शुरू किया है।

- **सीएमएटी:** इस पहल का उद्देश्य आपके बैंक के सभी प्लेटफार्मों पर ग्राहक प्रेरित लेनदेन (वित्तीय और गैर वित्तीय) के पूरा होने के बाद ग्राहक अनुभव को समझना है।
- **नेट प्रमोटर स्कोर:** यह ग्राहक वफादारी और संतुष्टि के मापन के लिए एक उपकरण है और एक ग्राहक द्वारा दूसरों को संगठन के उत्पादों या सेवाओं की सिफारिश करने की संभावना को मापने में मदद करता है।
- **ग्राहक प्रयास स्कोर (सीईएस):** यह ग्राहकों के लिए उत्पाद या सेवा के उपयोग में आसानी को मापता है। यह किसी उत्पाद या सेवा का उपयोग करने या किसी समस्या को हल करने के लिए ग्राहक द्वारा किए गए प्रयास की मात्रा को दर्शाता है।

4930 शाखाओं का गोपनीय दौरा:

आपके बैंक ने अप्रैल 2022 से जून 2022 की अवधि के दौरान भारत भर में 4930 शाखाओं का गोपनीय दौरा करने की व्यवस्था की। बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कर्मचारियों की तैयारी और गतिविधि सहित विभिन्न पहलुओं को देखा गया और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि को लागू किया गया।

टाउन हॉल बैठकें:

आपके बैंक ने मिलेनियल/जेन जेड और जनरल वाई ग्राहकों के साथ टाउन हॉल की बैठकें आयोजित की हैं, ताकि झुआजादी का अमृत महोत्सव समारोह को मनाने के लिए उनकी प्राथमिकताओं और उम्मीदों के बारे में बेहतर समझ हो सके। नवंबर 2022 के दौरान सभी मेट्रो केंद्रों और जिला मुख्यालयों में 1488 केंद्रों पर ओपन हाउस इंटरैक्शन का आयोजन किया गया। 95.33% ग्राहक डिजिटल चैनलों को पसंद करते हैं और शेष 4.67% अन्य चैनलों को पसंद करते हैं।

पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित अभियानों के लिए आपके बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

जोखिम प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन अवलोकन

आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन में जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम माप और जोखिम शमन शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभप्रदता और पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।

आपका बैंक विभिन्न जोखिमों से अवगत है जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं। प्रमुख जोखिम हैं, क्रेडिट, बाजार, तरलता और परिचालन जोखिम, जिनमें आईटी जोखिम भी शामिल है।

आपका बैंक सभी स्तरों पर जोखिम जागरूकता बढ़ाने का वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य विभिन्न जोखिमों से बचने या कम करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों सहित नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को लगातार उन्नत करना भी है। आपके बैंक के पास अपने सभी पोर्टफोलियो में जोखिमों को व्यवस्थित रूप से मापने, मूल्यांकन करने, निगरानी करने और प्रबंधित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं हैं।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना, कर्तव्यों को अलग करने और जोखिम माप, निगरानी और नियंत्रण कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई थी। इस रूपरेखा में परिचालन स्तर पर व्यापार इकाइयों के सशक्तीकरण की कल्पना की गई है, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रमुख कारक है, जिससे उत्पत्ति के स्थान पर जोखिम की पहचान और प्रबंधन संभव है। आपके बैंक और एसबीआई समूह में विभिन्न जोखिमों की निगरानी और समीक्षा कार्यकारी स्तर की समितियों और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के माध्यम से की जाती है, जो नियमित रूप से बैठक करती हैं। परिचालन इकाई और व्यवसाय इकाई स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियां भी मौजूद हैं।

1. क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण उपाय:

आपके बैंक ने क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के लिए मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना की है। औद्योगिक वातावरण को

1 स्थान

डीएसपी सुविधा कैपेन

1 स्थान

डीएसपी लक्ष्य कैपेन

एक समर्पित टीम द्वारा अपने दृष्टिकोण, उद्योग के लिए चूक की संभावना और संभावना पर आधारित क्रेडिट रेटिंग सीमा और 38 चिन्हित उद्योगों और क्षेत्रों के लिए विकास की संभावना पर आधारित एक संरचित तरीके से विश्लेषण किया जाता है, जो 31 मार्च 2023 तक आपके बैंक की कुल अग्रिम राशि (खुदरा और कृषि को छोड़कर) का लगभग 64 प्रतिशत है।

इन उद्योगों में सरकारी नीतियों या नियामक दिशानिर्देशों में परिवर्तन, बिजली की कमी और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों जैसी घटनाओं की लगातार निगरानी की जाती है। इसके निहितार्थ के लिए विशेष अध्ययन किए जाते हैं, जिन्हें व्यापार समूहों के साथ साझा किया जाता है ताकि वे सुविधा क्रेडिट निर्णय ले सकें। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर परिचालन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए ज्ञान साझा करने के सत्रों के साथ-साथ उद्योग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 18 उद्योगों को कवर करने वाले मासिक/मासिक/तिमाही डैशबोर्ड इन महत्वपूर्ण उद्योगों और क्षेत्रों में विकास का विवरण देने वाली व्यावसायिक इकाइयों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उन्हें नवीनतम सूचना/विकास के बारे में अद्यतन रखा जा सके।

आपका बैंक उधारकर्तावार क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न आंतरिक क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए मॉडल इन-हाउस विकसित किए गए थे। इनकी समीक्षा व्यापक सत्यापन और बैंक परीक्षण रूपरेखा के चक्रों के माध्यम से की जाती है जिसमें बाहरी सत्यापन / समीक्षा शामिल है। ईएसजी जोखिम को देखते हुए, बैंक ने एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रेटिंग मॉडल रखा है, जो विभिन्न उद्देश्य ईएसजी मानदंडों पर बड़े कर्जदारों की दर तय करता है।

आपके बैंक के पास आंतरिक रेटिंगफ्रेमवर्क की डेटा-आधारित समीक्षा भी है, जो दबाव की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है और उचित शमन तंत्र को प्रेरित करता है।

आपके बैंक ने लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर/लोन लाइफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एलओएस/एलएलएमएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म अपनाया है। आपके बैंक द्वारा विकसित मॉडल इन प्लेटफॉर्मों पर होस्ट किए जाते हैं, जिन्हें सीआईबीआईएल/सीआईसी और आरबीआई डिफॉल्टर की सूचियों के साथ इंटरफेस किया जाता है।

आपके बैंक के पास पूँजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) के लिए एक रूपरेखा है और ग्राहक स्तर आरएआरओसी गणना को भी डिजिटाइज किया गया है।

आपका बैंक अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो पर हर छमाही में दबाव परीक्षण करता है। दबाव परिदृश्यों को नियमित रूप से आरबीआई के दिशानिर्देशों, उद्योग के सर्वोत्तम प्रथाओं और मैक्रो-इकोनॉमिक वैरिएबल्स में परिवर्तन के अनुरूप अपडेट किया जाता है।

आपका बैंक परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए एनपीए में रुझानों की पहचान करने, ऋण मंजूरी आदि की तिमाही समीक्षा करने के लिए विशिष्ट विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है।

आरबीआई ने आपके बैंक को क्रेडिट जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण के तहत फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग आधारित (एफआईआरबी) पैरेलल रन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। एफआईआरबी के समानांतर रन के तहत डेटा आरबीआई को प्रस्तुत किया जा रहा है। आईआरबी पूँजी की गणना के लिए ओएफएसए में डिफॉल्ट की संभाव्यता (पीडी), हानि वाले डिफॉल्ट (एलजीडी) और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) के आकलन के लिए मॉडल होस्ट किए गए हैं।

आपका बैंक एक्सपोजर से जुड़े जोखिम की तुलना में रिटर्न की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए आवधिक अंतराल पर महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का जोखिम-रिटर्न विश्लेषण करता है। बैंक ने कॉरपोरेट एक्सपोजर के उभरते जोखिम के

उद्देश्यपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन के लिए उपाय भी शुरू किए हैं। इस संबंध में बैंक ने प्रारंभिक वार्निंग सिगनल ट्रिगरर्स के साथ आंतरिक रेटिंग की गतिशील समीक्षा के एकीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और ढांचे के आईटी कार्यान्वयन को पूरा कर लिया है और इसे शुरू कर दिया गया है।

2. बाजार जोखिम कम करने के उपाय:

आपके बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन में शामिल हैं - जोखिमों की पहचान करना और मापना, नियंत्रण उपाय, निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम। बाजार जोखिम का प्रबंधन एक सुपरिभाषित बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति, ट्रेडिंग नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और बाजार जोखिम सीमा नीति के माध्यम से किया जाता है जो निवेश फंडों के प्रभावी और विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए ट्रेडिंग जोखिम सीमा / ट्रिगर के माध्यम से विभिन्न ट्रेडिंग डेस्क या विभिन्न प्रतिभूतियों में जोखिम को सीमित करता है। इन जोखिम उपायों में पोजीशन लिमिट्स, गैप लिमिट्स, टेनोर रिस्ट्रीक्शन्स और सेंसिविटी लिमिट्स शामिल हैं, अर्थात् पीवी01, संशोधित अवधि, मूल्य-पर-जोखिम (वीएआर) सीमा, स्टॉप लॉस ट्रिगर स्तर, एनओओपी, फोरेक्स डेलाइट लिमिट, यूएमएटी और ऑप्शन्स ग्रीक्स की दिवस के अंत के आधार पर निगरानी की जाती है। इसके अलावा, बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम सीमाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जोखिम की निगरानी का एक माध्यम है। आपके बैंक के एंटरप्राइज स्तर के वीएआर की गणना दैनिक आधार पर और बैकटेस्ट की जाती है। बाजार जोखिम के लिए तनावग्रस्त वीएआर की गणना भी दैनिक रूप से की जाती है। यह एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति और ढांचे द्वारा पूरक है जो तनाव के नुकसान को मापने और उपचारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए विभिन्न बाजार जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है।

आपके बैंक के बाजार जोखिम पूँजी शुल्क की गणना नियामक कारकों को लागू करने वाले मानकीकृत माप विधि (एसएमएम) का उपयोग करके की जाती है।

आपका बैंक अपने घरेलू और विदेशी पोर्टफोलियो का जोखिम-समायोजित निष्पादन विश्लेषण करता है। यह निर्णय लेने के लिए एक साधन के रूप में गैर-एसएलआर बॉन्ड के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन का भी विश्लेषण करता है। ब्याज दर जोखिम के भविष्य के दृष्टिकोण और बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर इसके संभावित प्रभाव के आधार पर दूरदर्शी विश्लेषण एक प्रूडेंट रिस्क प्रेक्टिस के रूप में नियमित रूप से किया जा रहा है।

आपके बैंक में मॉडल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जो बैंक को मॉडल रिस्क का आकलन करने, मापने, निगरानी करने और उसे कम करने में सक्षम बनाता है।

3. उद्यम जोखिम कम करने के उपाय:

उद्यम जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बैंक स्तर पर जोखिम के प्रबंधन और जोखिम के साथ रणनीति को संरेखित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करना है। इसमें जोखिम प्रवृत्ति फ्रेमवर्क, जोखिम संस्कृति मूल्यांकन फ्रेमवर्क और सामग्री जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क की स्थापना जैसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया है।

जोखिम की भूमिका को एक रणनीतिक कार्य में बदलने के आपके बैंक के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, एक बोर्ड-अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति लागू है।

जोखिम आधारित रूपरेखा में निगरानी मापदंडों के साथ महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए सीमाएं शामिल हैं। आपके बैंक में एक मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, एक जोखिम संस्कृति मूल्यांकन ढांचे का संचालन किया गया है। भौतिक जोखिम आकलन ढांचे के हिस्से के रूप में, क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम,

परिचालन जोखिम और तरलता जोखिम के लिए जोखिम आधारित मापदंडों का आवधिक विश्लेषण अन्य के अलावा, उद्यम और समूह जोखिम प्रबंधन समिति (ईजीआरएमसी) / केंद्रीय बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

आपका बैंक एकल और समूह स्तरों पर सामान्य और दबावग्रस्त परिस्थितियों में पूँजी की पर्याप्तता के संबंध में व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) का वार्षिक आधार पर संचालन करता है।

आईसीसीएपी में, पिलर 1 जोखिम के अलावा, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम, पिलर 2 जोखिम, जैसे तरलता जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरबीबीबी), एकाग्रता जोखिम और अन्य का भी मूल्यांकन किया जाता है, और जहां आवश्यक हो पूँजी प्रदान की जाती है। आईसीएपी में नए और उभरते जोखिमों की पहचान और चर्चा की जाती है।

आपका बैंक जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों की पहचान करके जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दूर करके अपने परिचालन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, बैंक ने जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन नीति विकसित की है जो कम कार्बन और जलवायु अनुकूल भविष्य की दिशा में अपनी प्रक्रिया का समर्थन करने में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। इस नीति का उद्देश्य दिन-प्रतिदिन के कार्यों, ऋण विभागों और समग्र निर्णय लेने के भीतर जलवायु संबंधी जोखिम (और अवसर) विचारों को एकीकृत करना है।

4. समूह जोखिम कम करने के उपाय:

समूह जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समूह संस्थाओं में मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्थापित करना है। समूह जोखिम प्रबंधन, समूह तरलता और आकस्मिकता वित्त पोषण योजना (सीएफपी) से संबंधित नीतियां, अंतर समूह लेनदेन और एक्सपोजर के लिए आवश्यकताओं को बनाए

रखने के लिए तैयार की गई हैं। समेकित प्रूडेंशियल एक्सपोजर और समूह जोखिम घटकों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

5. बेसल कार्यान्वयन:

बेसल III पूँजी विनियमों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों को लागू किया गया है, और आपके बैंक को पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के आवश्यक स्तर को बनाए रखने सहित वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रूप से पूँजीकृत किया गया है। आपके बैंक की पहचान नियामक द्वारा डी-एसआईबी के रूप में की गई है और तदनुसार 1 अप्रैल, 2019 से आरडब्ल्यूए के 0.60 प्रतिशत के अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) रखने की आवश्यकता है।

बी. आंतरिक नियंत्रण

आपके बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) एक स्वतंत्र गतिविधि है और आपके बैंक के भीतर इसे पर्याप्त स्थायी और प्राधिकार दिया गया है। उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आईए विभाग (आईएडी), बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है। आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, नियंत्रण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और नियंत्रणों के अनुपालन और आंतरिक प्रक्रियाओं के पालन का आकलन करने के उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन और अनुपालन विभागों के साथ मिलकर काम करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक की परिचालन इकाइयों का एक व्यापक जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा करता है।

आपके बैंक में तेजी से डिजिटलीकरण के साथ तालमेल रखते हुए, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने बढ़ी हुई दक्षता और प्रभावशीलता प्रदान करने उद्देश्य से तकनीकी मध्यवर्तन शुरू किए हैं।

प्रमुख पहल:

आईएडी का बाहरी मूल्यांकन

आंतरिक लेखा परीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के कार्यों का बाह्य मूल्यांकन एक बाह्य लेखा परीक्षा फर्म द्वारा किया गया था। 22 जून 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके बैंक का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग आम तौर पर आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईआईए) मानकों के अनुरूप है, जो मानकों के अनुरूप शीर्ष रेटिंग है।

आईएसओ 9001: 2015

आपके बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग (आईएडी) को आंतरिक लेखा परीक्षा नीति, प्रक्रियाओं और नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप लगातार उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली बेंचमार्किंग के लिए आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है।

आपके बैंक में तेजी से डिजिटलीकरण के साथ तालमेल रखते हुए, आईए फंक्शन ने बढ़ी हुई दक्षता और प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए हैं।

कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बारीक स्तर पर नियंत्रण के अनुपालन का आकलन करने हेतु जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए)
- अनुपालन योग्य नियंत्रण के निरंतर आकलन के लिए आंकड़ों का दूरस्थ मूल्यांकन।
- लेन-देन की प्रणाली द्वारा संचालित ऑफ-साइट निगरानी।
- अनुपालन की समकालीन जांच सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों की समवर्ती लेखा परीक्षा

- सभी पात्र स्वीकृत ऋण प्रस्तावों के महत्वपूर्ण जोखिमों का आकलन करने के लिए प्रतिबंधों की शीघ्र समीक्षा।
- नियंत्रकों द्वारा स्व-मूल्यांकन और जांच के लिए शाखाओं द्वारा स्व-लेखा परीक्षा

आरएफआईए के भाग के रूप में, आईएडी विभिन्न लेखा परीक्षाएं करता है, जैसे जोखिम केंद्रित क्रेडिट ऑडिट, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा, गृह कार्यालय लेखा परीक्षा (विदेशी कार्यालयों की), समवर्ती लेखा परीक्षा, फेमा लेखा परीक्षा, आउटसोर्स कार्य कलापों की लेखा परीक्षा, व्यय लेखा परीक्षा अनुपालन लेखा परीक्षा, प्रतिबंधों की शीघ्र समीक्षा, प्रबंधन लेखा परीक्षा और कॉर्पोरेट केंद्र विभागों की लेखा परीक्षा।

शाखा लेखा परीक्षा

घरेलू शाखाओं को मोटे तौर पर व्यवसाय प्रोफाइल और अग्रिम एक्सपोजर के आधार पर चार समूहों (समूह विशेष ख, समूह ख, समूह खख तथा समूह खखख) में विभाजित किया जाता है। आपके बैंक ने लेखा परीक्षा के लिए शाखाओं की पहचान करने के लिए एक प्रणाली-संचालित प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत विश्लेषणात्मक एल्गोरिदम को काफी अलग व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित करने वाली इकाइयों की पहचान करने के लिए तैनात किया जाता है। यह आपके बैंक को प्राथमिकता के आधार पर ऑडिट करने में सक्षम बनाता है, ताकि बाहरी शाखाओं में प्रेरक कारकों की पहचान की जा सके और अंतर्निहित समस्या क्षेत्रों को चिह्नित कर प्रारंभिक हस्तक्षेप कर उसमें सुधार किया जा सके।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आंतरिक लेखा परीक्षा (आईए) विभाग ने 31.03.2023 तक घरेलू शाखाओं और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) की 15,134 इकाइयों का आरएफआईए पूरा कर लिया है।

जोखिम-केंद्रित ऋण लेखा परीक्षा

जोखिम-केंद्रित ऋण लेखा परीक्षा जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य समकक्ष के व्यवसायों के लिए अंतर्निहित जोखिमों की पहचान करना

और अंतर्निहित जोखिमों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को मापना है। लेखा परीक्षा में उच्च मूल्य वाले ऋण पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक उपायों का भी सुझाव दिया गया है।

मकेडिट ऑडिट डिवीजनफ (सीएडी) बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर मप्रबंधनफ और मबोर्डफको आश्वासन देता है। लेखा परीक्षा में 20 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आधार पर एक्सपोजर वाले बड़े अग्रिमों को संभालने वाले कर्मचारियों के लिए ऋण गुणवत्ता, ऋण प्रशासन और ऋण कौशल में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है।

संस्वीकृति की शीघ्र समीक्षा (ईआरएस)

ईआरएस के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये से अधिक के कुल घरेलू ऋण एक्सपोजर या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के संबंध में 1 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले सभी पात्र स्वीकृत प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है। ईआरएस स्वीकृत प्रस्तावों में प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण जोखिमों को दर्ज करता है और कारोबारी इकाइयों को उसके शमन के लिए ऐसे महत्वपूर्ण जोखिमों से अवगत कराता है। ईआरएस सोर्सिंग, प्री-सेक्शन और मंजूरी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार की सुविधा प्रदान करता है। ईआरएस गतिविधि केंद्रीकृत है, क्योंकि इन-हाउस आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है। पूरी ईआरएस प्रक्रिया सिस्टम संचालित है और लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम (एलएलएमएस) के माध्यम से की जाती है।

फेमा लेखा परीक्षा

ट्रेड फाइनेंस सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल (टीएफसीपीसी) सहित विदेशी मुद्रा लेनदेन में लेनदेन (अधिकृत डीलरों) के लिए अधिकृत शाखाएं फेमा ऑडिट के अधीन हैं। सभी ए और बी श्रेणी की शाखाओं का वर्ष में एक बार ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा, टीएफसीपीसी से जुड़ी शाखाओं को भी एक वर्ष में 50% की सीमा तक कवर किया जाता है। 31.03.2023 तक, आपके बैंक की 498 ऐसी शाखाओं/इकाइयों को फेमा ऑडिट के अधीन किया गया था।

सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली समवर्ती लेखा परीक्षा और आईटी आउटसोर्स कार्य कलापों की लेखा परीक्षा

आईटी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए आपका बैंक सूचना प्रणाली ऑडिट (आईएस ऑडिट) के अधीन है। केंद्रीकृत आईटी और कॉर्पोरेट केंद्र प्रतिष्ठानों का आईएस ऑडिट भी योग्य आईएस ऑडिटर्स की आंतरिक टीम द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 312 एप्लिकेशन्स के संबंध में सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट किया गया था और 52 इंटरनेट फेसिंग आईटी एप्लिकेशन्स के लिए वार्षिक साइबर सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया था। इसके अलावा, ग्लोबल आईटी सेंटर (जीआईटीसी) के 225 आईटी एप्लिकेशन्स को मासिक आईएस समवर्ती लेखा परीक्षा (आईएससीए) के अधीन किया गया था और तीसरे पक्ष के आईटी सेवा प्रदाताओं द्वारा समर्थित 472 आईटी कार्य कलापों के लिए आईटी आउटसोर्स कार्य कलापों की लेखा परीक्षा की गई थी।

विदेशी कार्यालयों की लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की निगरानी में प्रतिष्ठित अंतराष्ट्रीय लेखा परीक्षा फर्मों और स्थानीय अधिकारियों / भारत स्थित अधिकारियों द्वारा स्थानीय आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा विदेशी कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा (एचओए) की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 33 विदेशी कार्यालयों में शेष आंतरिक लेखा परीक्षा और 6 सहायक कंपनियों, 5 प्रतिनिधि कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय/देश प्रधान कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है।

समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली (सीएस)

आपके बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली में जोखिम संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया गया है जैसा कि नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा विकसित जोखिम वर्गीकरण मॉडल के आधार पर शाखाओं को अत्यंत उच्च जोखिम/बहुत अधिक जोखिम/उच्च जोखिम/मध्यम जोखिम/निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी अत्यधिक उच्च जोखिम, बहुत अधिक जोखिम और उच्च जोखिम

वाली शाखाएं समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत आती हैं। समवर्ती लेखा परीक्षक सभी केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों पर भी रखे जाते हैं ताकि उनकी उपस्थिति के साथ समकालीन लेनदेन की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। समवर्ती लेखा परीक्षक मुद्रा तिजोरी शाखाओं, ट्रेजरी परिचालन और अन्य विशेष संस्थानों को भी कवर करते हैं। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत 3,445 शाखाओं/इकाइयों को कवर किया है।

ऑफ-साइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

ऑफसाइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस) को जून 2013 में आपके बैंक द्वारा बैंक में लेनदेन लेखा परीक्षा को सशक्त बनाने तथा बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली से गुजरने वाले लेनदेन की ऑफ-साइट निगरानी शुरू करने के लिए नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय के रूप में शुरू किया गया था। प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पिछले वर्ष इस प्रणाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई थी।

विधिक लेखा परीक्षा

आपके बैंक में कानूनी लेखा परीक्षा में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के ऋण और प्रतिभूति संबंधी दस्तावेजों की जांच शामिल है। कानूनी लेखा परीक्षा एक प्रकार का नियंत्रण कार्य है, जो अधिवक्ताओं के एक पैनल के माध्यम से किया जाता है और ऐसी रिपोर्टों के 10% की जांच आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नमूना आधार पर की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दस्तावेजों अथवा आपके बैंक के पक्ष में प्रतिभूति सृजन में कोई कमी नहीं है। लोन लाइफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एलएलएमएस) में कानूनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया स्वचालित है और 31.03.2023 तक, 17,286 खातों की विधिक लेखा परीक्षा की गई है।

आउटसोर्स कार्य कलापों (गैर-आईटी) की लेखा परीक्षा

आपका बैंक नियोजित सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता को आपके बैंक की तरह ही कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप मान्यता देता है। इसलिए आउटसोर्स

गतिविधियों (गैर-आईटी) की लेखा परीक्षा भी नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आउटसोर्स गतिविधियों (गैर-आईटी) से उत्पन्न होने वाले कानूनी, वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

आपके बैंक में गैर-आईटी आउटसोर्स गतिविधियों की लेखा परीक्षा में एटीएम सेवाएं, एटीएम ई-निगरानी, एटीएम कैश रिप्लनिशमेंट एजेंट (सीआरए), कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट (बीसी), ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी), वसूली और समाधान एजेंट, डोरस्टेप बैंकिंग, चेक बुक प्रिंटिंग, संपार्श्विक प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों का विपणन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, दस्तावेज अभिलेखीय केंद्र (डीएसी), कैश एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (सीईपी) और फ्लोर कॉर्डिनेटर शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने लेखा परीक्षा योजना के अनुसार सभी 34,248 सीएसपी की लेखा परीक्षा पूरी कर ली है। अन्य गैर-आईटी आउटसोर्स कार्य कलापों (सीएसपी के अलावा) के मामले में 31 मार्च 2023 तक 842 वेंडर्स की लेखा परीक्षा पूरी हो चुकी है।

कॉर्पोरेट केंद्र विभागों का आरएफआईए

आईएडी के कॉर्पोरेट सेंटर ऑडिट विंग में आपके बैंक के कॉर्पोरेट सेंटर विभागों की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए) की जाती है ताकि वृहद स्तर पर इसकी समग्र जोखिम आकलन प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा का सिंहावलोकन कर इसे सशक्त किया जा सके।

इसके अलावा, यह भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और अन्य विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन को सत्यापित करने तथा केंद्रीय बोर्ड, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और कॉर्पोरेट केंद्र में विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों और विभागों के अनुरोध पर विभिन्न लेखा परीक्षाएं अर्थात् विषयगत लेखा परीक्षा, विधिमान्यकरण लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा करता है। कॉर्पोरेट केंद्र लेखा परीक्षा विंग भी भारतीय रिजर्व बैंक-ट्रांच खखख-डीसीटीएस, आरएआर/आरएमपी प्रेक्षणों के पर्यवेक्षण में प्रवृत्त है।

प्रबंधन लेखा परीक्षा

प्रबंधन लेखा परीक्षा का मुख्य कार्य समग्र कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में शीर्ष स्तर पर नियंत्रण और शासन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन करना है। आपके बैंक की प्रबंधन लेखा परीक्षा में मण्डल के स्थानीय प्रधान कार्यालय, प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चुनिंदा कॉर्पोरेट केंद्र विभाग शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में प्रबंधन लेखा परीक्षा की प्रभावकारिता को बढ़ाने के अपने प्रयास में, आपके बैंक ने रेटिंग पद्धतियों को फिर से परिभाषित करके और प्रबंधन लेखा परीक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले जोखिम भार और मापदंडों को संशोधित करके लेखा परीक्षा प्रक्रिया में सुधार किया है।

सी. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक नियामक और सांविधिक अनुपालन को पूरा करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। आपके बैंक ने इस बात की जानकारी दी है कि बैंक द्वारा किए गए हर निर्णय और कार्य कलाप के आधार पर अनुपालन की आवश्यकता है। आपके बैंक में अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि कानूनी और नियामक प्रतिबंधों के जोखिम और प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान से बचा जा सके।

बैंक में अनुपालन को और सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक नियंत्रक स्तर पर बैंक में अनुपालन अधिकारियों का एक अलग सेट बनाया गया है अर्थात् स्थानीय प्रधान कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय। इन अनुपालन अधिकारियों की कार्य कलापों की समीक्षा कारपोरेट केन्द्र से की जा रही है। आपके बैंक ने एक अनुपालन संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया है जो कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है और हमारे बैंकिंग चैनलों को धन शोधन और आतंक वित्तपोषण गतिविधियों संबंधी दुरुपयोग से रोकने का प्रयास किया है।

हम अनुपालन के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाकर बैंक में अनुपालन संस्कृति में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों (शीर्ष कार्यकारियों सहित) को केवाईसी / एएमएलसीएफटी पर ई-पाठ पूरा करना अनिवार्य है। बैंक बाह्य एजेंसियों के माध्यम

से अनुपालन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ब्लॉग, न्यूजलेटर आदि के माध्यम से अनुपालन सूचना का प्रसार कर रहा है। अनुपालन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने अनुवर्तन और अनुपालन 2 कैप्सूल नामक आंतरिक अनुपालन समाचार पत्र पेश किए हैं। साथ ही, आपके बैंक में अनुपालन संस्कृति के विषय में जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों यानी क्विज, अनुपालन वार्ता आयोजित की गई है।

अनुपालन जोखिम प्रबंधन समिति जिसमें व्यावसायिक कार्यक्षेत्र और सहायक कार्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, अनुपालन से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करती है। कॉर्पोरेट केंद्र स्थित अनुपालन विभाग ने आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है और अब आईएसओ 9001:2015 कम्प्लायन्ट है।

डी. केवाईसी/एएमएल-सीएफटी उपाय

आपका बैंक पूरे बैंक में केवाईसी मानदंडों/दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक कदम उठा रहा है। आपके बैंक के पास केवाईसी पर मौजूदा आरबीआई मास्टर निदेश के अनुरूप अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानकों, धन शोधन विरोधी (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) उपायों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

इस नीति में ग्राहक स्वीकृति, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक पहचान और लेनदेन की निगरानी के लिए बैंक की रूपरेखा शामिल है। बैंक ने समय-समय पर यथासंशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं।

आपका बैंक अपने ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन या वितरण चैनलों आदि के लिए धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु समय-समय पर ममनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम आकलन अभ्यास करता रहा है।

आपके बैंक ने एक मजबूत प्रणाली लागू की है जिसमें केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने

के लिए मैनुअल और प्रणाली-सक्षम पद्धति का संयोजन है। कोई भी खाता अनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से नहीं खोला जाता है या जहां शाखा/व्यावसायिक इकाई उपयुक्त ग्राहक ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) उपायों को लागू करने में सक्षम नहीं है। बैंक आभासी मुद्राओं के लेन-देन में लेनदेन करने या निपटान के लिए खाते नहीं खोलता है। हालांकि, नीति को लागू करते समय, बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि इसके परिणामस्वरूप उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से इनकार न किया जाए जो वित्तीय या सामाजिक रूप से हाशिए हैं।

बैंक ने संपर्क रहित ग्राहक ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है। नए ग्राहक किसी भी शाखा में गए बिना इस प्रक्रिया का उपयोग करके पूरी तरह कार्यात्मक खाते खोल सकते हैं। सीकेवाईसी नंबर रखने वाले ग्राहकों के लिए आईएनबी, योनी और एटीएम के माध्यम से केवाईसी अपडेशन शुरू किया गया है और उनके केवाईसी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे ग्राहक बिना किसी शाखा में गए आसानी से केवाईसी अपडेशन कर सकेंगे।

बैंक का एएमएल सीएफटी विभाग लेन-देन निगरानी के माध्यम से चल रही उचित जांच का प्रबंधन करता है। बैंक एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है जिसमें ग्राहकों को मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर कम, मध्यम और उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयूआईएनडी) को अनिवार्य रिपोर्ट दाखिल करने का ध्यान रखता है। आतंकवादियों से संबंध होने के संदेह वाले खातों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त रिपोर्टें भी दाखिल की जाती हैं।

आपका बैंक केवाईसी/ एएमएल/सीएफटी मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी पर विशेष लेखा परीक्षा करता है। कर्मचारियों के बीच अधिक जागरूकता लाने के लिए कई पहल किए गए हैं। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी क्षेत्रों में कार्मिकों का प्रशिक्षण हमारे बैंक में एक सतत प्रक्रिया है। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों में कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

ई. बीमा

आपका बैंक अपनी परिसंपत्तियों और अन्य जोखिमों को कवर करते हुए बीमा पॉलिसियां खरीद रहा है। बीमा कवरेज में नकद और कीमती सामान, बैंक की संपत्तियां, डेबिट कार्ड / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के तहत धोखाधड़ी लेनदेन और साइबर जोखिम शामिल हैं।

एफ. परिसर

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, एसबीआई ने हमेशा अपने कामकाज में पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं को शामिल किया है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हरित विश्व के इरादे और प्रतिबद्धता के साथ, बैंक ने विभिन्न पहल शुरू किए हैं।

- इस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने 14 प्रतिष्ठित भवनों को आईजीबीसी की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त करने हेतु मील का पत्थर हासिल किया, जिससे यह संख्या बढ़कर 32 हो गई है।
- कॉर्पोरेट सेंटर में पीईटी बोतल क्रशिंग मशीन लगाई गई
- स्टेट बैंक भवन भवन में ईवी चार्जिंग स्टेशन
- सभी स्थानीय प्रधान कार्यालय परिसरों तथा कॉर्पोरेट केंद्र के तहत 4 आवासीय भवनों में 48 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु मेसर्स टाटा पावर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कुल 46 ईवी चार्जर स्टेशन सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं और काम करने की स्थिति में हैं।

राजभाषा

आपका बैंक भारत की बहुभाषी संस्कृति को आत्मसात करते हुए बैंकिंग को जन-जन तक पहुंचा रहा है। हमारे समस्त प्रकल्प विविधता में एकता की भावना को रूपायित करते हैं। हम ग्राहकों की भाषा में संवाद करने और उनकी भाषा में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके बैंक के लिए ग्राहकों की सुविधाएं और उनकी अपेक्षाएं सर्वोपरि हैं।

हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ स्थानीय भाषा में प्रशिक्षित और दक्ष हैं। वे ग्राहकों से स्थानीय भाषा में संवाद स्थापित करते हैं। हमारी शाखाओं में स्थानीय

भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में समस्त सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ग्राहकों के लिए उपलब्ध सभी फार्म, पर्चियां, बुकलेट आदि हिंदी, अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाती हैं। हमने विभिन्न राज्यों में तैनात हिंदी भाषी अधिकारियों के लिए 10 भाषाओं गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, असमिया, बंगाली, कन्नड़ और उड़िया में मआइए क्षेत्रीय भाषा सीखेंफ प्रकाशित की है।

हम अपने विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 351 की भावनाओं के अनुरूप भारतीय भाषाओं का प्रसार कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की भावनाओं के अनुरूप नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए हमारे कॉल सेंटर ग्राहकों से उनकी पसंद की भाषा में बात करते हैं।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) की विभिन्न सुविधाएं हमारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। हमारे ग्राहक हिंदी में पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। वे चाहें तो उड़िया, गुजराती, कन्नड़, तमिल, असमिया, पंजाबी, बांग्ला, मैथिली, मराठी, मलयालम, तेलुगू, हिंदी और अंग्रेजी में अपने लेनदेन के एसएमएस अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि हमारे देश की धड़कन है। योनों कृषि एप किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को उनकी भाषा में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। योनों लाइट, ऑनलाइन एसबीआई, एसबीआई क्लिक जैसी समस्त सुविधाओं का लाभ ग्राहक अपनी भाषा में उठा रहे हैं।

हम बैंकिंग जैसे तकनीकी विषय को हिंदी और भारतीय भाषाओं में विकसित करते रहे हैं। रोल आधारित मैनुअल, सतर्कता मैनुअल 2022, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, गरिमा हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। हमारे सभी कंप्यूटर हिंदी में कार्य करने में सक्षम हैं। सेवा प्रबंधकों के लिए भूमिका आधारित प्रमाणन दिग्दर्शिक, रिटेल क्रेडिट (भाग-1), रिटेल क्रेडिट (भाग-2) के रोल मैनुअल का हिंदी में प्रकाशन किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हमारी सक्रिय भागीदारी रही है। हम भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों को भी इस मंच के माध्यम से सहयोग प्रदान करते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जबलपुर, सूरत, इंदौर और नलगोंडा के नराकास को सम्मानित किया गया।

आपका बैंक हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, मराठी दिवस और कन्नड़ दिवस जैसी भाषाओं के प्रसार और संवर्धन के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। महान साहित्यकारों के योगदान पर विचार-विमर्श कार्यक्रम, सेमिनार आदि आयोजित किए जाते हैं। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आपके बैंक ने मुंबई में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए। विदेश स्थित 200 से अधिक कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन भारतीय संस्कृति की चमक को विदेशों में पहुंचाने का अभिनव प्रयास है।



श्री ओम प्रकाश मिश्र, डीएमडी (एचआर) और सीडीओ, एसबीआई 8 अक्टूबर 2022 को राजभाषा पर संसदीय समिति की बैठक में भाग लेते हुए।

संगोष्ठी/ज्ञान वार्ता

'मातृभाषा का महत्व', 'नेतृत्व और हिंदी साहित्य', 'प्रेमचंद की कहानी आपकी जुबानी' और 'भाषा का सरलीकरण' पर ज्ञान वार्ता का आयोजन किया गया। आपके बैंक ने त्रैमासिक गृह पत्रिका 'प्रयास' का प्रिंट और डिजिटल संस्करण प्रकाशित किया है।

आपके बैंक ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 14 से 15 सितंबर 2022 तक सूरत में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में भी भाग लिया। दिनांक 16 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक सभी शाखाओं एवं कार्यालयों में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया।

विपणन एवं संप्रेषण

विपणन और संचार (एम एंड सी) विभाग ब्रांडिंग, उत्पाद विपणन और कॉरपोरेट संचार की दिशा में बैंक के द्वारा किए जाने वाले पहल के लिए जिम्मेदार है। विभाग डिजिटल पहलों को गति देने और युवा भारत के साथ जुड़ने के लिए एक समकालीन विपणन दृष्टिकोण अपनाता है। यह भारतीय और विदेशी परिचालनों सहित बैंक के विभिन्न प्रभागों की व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकीकृत विपणन रणनीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने का प्रयास करता है। इस विभाग में विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों जैसे मीडिया विपणन, संचार, डिजिटल विपणन, विज्ञापन और जनसंपर्क से तैयार डोमेन के कुशल व्यवसायी और विशेषज्ञ शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों/सोशल मीडिया पर विभिन्न अभियान चलाए जिससे बैंक की विशिष्टता, दूरदराज के स्थानों पर बैंक की उपस्थिति, बड़े पैमाने पर समाज के लिए किए गए योगदान को प्रदर्शित कर, बैंक को सोशल मीडिया के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित किया ताकि आपके बैंक की ब्रांड छवि को मजबूत किया जा सके।

एम एंड सी विभाग का मुख्य रूप से ध्यान ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बैंक की डिजिटल पहल को बढ़ावा देना था। आपके बैंक ने योनो, एसबीआई भीम पे, योनो लाइट आदि डिजिटल बैंकिंग चैनलों के डाउनलोड और लगातार प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल किए। एम एंड सी विभाग ने वैकल्पिक चैनलों और सुरक्षित तरीके से उनके उपयोग के बारे में

जागरूकता बढ़ाने के लिए आपके बैंक के ग्राहकों के साथ काम किया। आपके बैंक ने बैंकर टू एव्री इंडियन, एसबीआई इज योर बीएफएफ, स्टेट बैंक ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की तैयारी जैसे विभिन्न ब्रांड/मार्केटिंग पहल भी शुरू किए जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्राहकों में जागरूकता पैदा किया जा सके।

एम एंड सी टीम ने होम लोन, पर्सनल लोन, एनआरआई सेवाओं और डिजिटल उत्पादों के लिए प्रमुख विपणन अभियान भी शुरू किए। विभाग ने ग्राहकों के लिए अपनी तरह का पहला मीडिया-लोकसंपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया और बैंक के उत्पादों और सेवाओं को देश के कोने-कोने तक प्रचारित किया। प्रिंट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, एटीएम आदि विभिन्न मीडिया चैनलों को इन अभियानों के लिए इस्तेमाल किया गया था। विभाग ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपके बैंक की कई निरंतरता पहलों और सीएसआर गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया।

आगे बढ़ते हुए, अन्य विपणन पहलों के साथ, आपका बैंक अपने प्रमुख उत्पाद योनो के साथ अपनी विभिन्न डिजिटल पहलों को और बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। एम एंड सी विभाग का जोर प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी सभी विपणन पहलों को लगातार फिर से परिभाषित करना और सुदृढ़ करना है और आपके बैंक के लिए सबसे जीवंत और विश्वसनीय ब्रांडों में से एक होने के गौरव को बनाए रखने के लिए एक परिवर्तन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।

सतर्कता तंत्र

सतर्कता विभाग का नेतृत्व प्रबंध निदेशक (एमडी) श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे सीवीसी के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो बैंक के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सभी सतर्कता मामलों पर बैंक की नीति तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने और समीक्षा करने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करता है। मंडलों/वर्टिकल/अनुषंगी कंपनियों में सतर्कता मामलों की निगरानी के अपने कार्य में सीवीओ की सहायता करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न स्थानों पर स्टेट बैंक में प्रतिनियुक्ति के आधार पर छह (6) अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की है।

सतर्कता कार्य के तीन पहलू हैं- निवारक, दंडात्मक और सहभागी। पिछले अनुभवों/घटनाओं के आधार पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर प्रणाली/प्रक्रिया में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और निवारक सतर्कता उपाय के रूप में बैंक के दिशा-निर्देशों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों में निम्न शामिल हैं:

- इस वर्ष, 31 अक्टूबर 2021 से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह एक विकसित राष्ट्र के लिए: 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत' विषय के साथ मनाया गया। बैंक स्टाफ सदस्यों ने उत्सव के हिस्से के रूप में अखंडता की शपथ ली। एसबीआई



सतर्कता बुलेटिन के अद्यतन संस्करण का अनावरण करते हुए सीवीसी व बैंक के अध्यक्ष

टाइम्स, एटीएम, सीडीएम, इंटरनेट बैंकिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के माध्यम से कर्मचारियों और व्यापक समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था। इसके अलावा, ग्राम सभाओं के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों और गांवों में छात्रों के बीच जन जागरूकता पहल आयोजित की गई थी।

- निवारक सतर्कता पर चर्चा करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शीर्ष प्रबंधन की बैठक हुई। सीवीसी और अध्यक्ष ने सतर्कता मैनुअल और बुलेटिन के अद्यतन संस्करण का अनावरण किया। शाखा स्तर पर सतर्क कार्यवाई करने वाले 7 स्टाफ सदस्यों को सम्मानित भी किया गया।
- नई दिल्ली में 03.11.2022 को प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए शिकायत पोर्टल को स्टेट बैंक के विकास में योगदान के लिए सीवीसी द्वारा सराहना की गई।
- 22.07.2022 को एसबीआईएल, कोलकाता में सीवीसी और एसबीआई के बीच एक वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकपाल के माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे रोकने में समाज की भागीदारी का आग्रह किया।
- सतर्कता विभाग ने 834 निवारक सतर्कता कार्यक्रम और 90 ईओ/पीओ/आईओ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जिसमें 16,993 अधिकारियों ने भाग लिया। 1,355 शाखाओं में स्वतः जांच की गई, जिसमें शिकायत-प्रवण शाखाएं शामिल थीं और जहां आरएफआईए लेखा परीक्षक ने गंभीर अनियमितताओं और एआई/एमएल इंजन द्वारा पहचाने गए उच्च जोखिम और बहुत अधिक जोखिम वाली शाखाओं की जांच की गई।
- सतर्कता के रूप में वर्गीकृत मामलों की संख्या 1332 से घटकर 956 हो गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 28% का प्रभावशाली सुधार है।

	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023
सतर्कता के रूप में वर्गीकृत मामले	1,332	956

आस्ति एवं देयता प्रबंधन

प्रभावी आस्ति और देयताओं का कुशल प्रबंधन (एलएम) बैंक के निरंतर और गुणात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक का आस्ति देयता प्रबंधन बाजार की गतिशीलता की सक्रिय रूप से समीक्षा करते हुए, उससे उत्पन्न संकेतों को ग्रहण कर नियामक अपेक्षाओं का पालन करते हुए बैंक के तुलन पत्र को मजबूत करना बैंक के एलएम का उद्देश्य है।

मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, आपका बैंक नियमित रूप से मजमा पर ब्याज दर, मपरिसंपत्ति और देयता प्रबंधन पर मतरलता और ब्याज दर जोखिमों पर तनाव परीक्षण और मआकस्मिक वित्त पोषण योजनाएं संबंधी अपनी आंतरिक नीतियों की लगातार समीक्षा कर रहा है जिससे बाजार की स्थितियों में परिवर्तन अनुकूल हो सके। बैंक सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को संबोधित करने के लिए तनाव परीक्षण और विपरीत तनाव परीक्षण करता है।

तरलता की स्थिति का मूल्यांकन करते समय गैर-संविदात्मक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित उपचार के लिए ग्राहक व्यवहार का आकलन करने के लिए लगातार अध्ययन किए जाते हैं। तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणों में बहिर्वाह/अंतर्वाहों की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अर्ध-वार्षिक अंतराल पर व्यवहारपरक विश्लेषण किए जाते हैं, जो ऑफ-बैलेंस शीट (ओबीएस) एक्सपोजर या संभावित ऋण हानि के परिणामस्वरूप हो सकता है। नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के अनुरूप गैर-संविदात्मक परिसंपत्तियों और देनदारियों की धारणाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है, पुनपरीक्षण और संशोधन किया जाता है। नियामक और बैंक के आंतरिक नीति मानदंडों द्वारा निर्धारित एलसीआर के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए गतिशील बाजार

वातावरण के तहत उच्च गुणवत्ता तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) और नकदी बहिर्वाह के स्टॉक की दैनिक निगरानी की जाती है। आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के एनएसएफआर दिशानिर्देशों को लागू किया है, जो तरलता के संदर्भ में बैंक के दीर्घकालिक आघात-सहनीयता को मापता है।

आपका बैंक अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से अपनी बैलेंस शीट (ऑन/ऑफ) एक्सपोजर पर ब्याज दरों की बदलने से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान करता है। इसके लिए, जोखिम पर आय (ईएआर) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन पूर्व-परिभाषित सहन सीमाओं के साथ किया जाता है, जिससे प्रबंधन एनआईआई/निवल मूल्य में क्षरण के संभावित परिदृश्य में उचित निवारक कदम उठाने में सक्षम होता है।

शाखाओं को स्थिर धन जुटाने और धन की लागत के आधार पर उनकी लाभप्रदता का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आपके बैंक द्वारा एक मिलान परिपक्वता-आधारित फंड ट्रांसफर मूल्य निर्धारण अपनाया गया था। आपका बैंक लगातार अपनी बेंचमार्क उधार दरों के माध्यम से पर्याप्त मौद्रिक नीति संचरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध समिति (एलसीओ) तुलन पत्र में परिसंपत्ति-देयता मिश्रण में सुधार कर और समय-समय पर देनदारियों एवं आस्तियों के मूल्य निर्धारण को पुनर्गठित करके तरलता और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है। एलसीओ, अन्य बातों के साथ-साथ, नियमित रूप से ब्याज दर परिदृश्यों, देयता उत्पादों के विकास पैटर्न, ऋण वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, विकसित चलनिधि स्थितियों, विनियामक नुस्खों का पालन आदि की समीक्षा करता है।

एलएम से संबंधित विनियामक रिपोर्टें / रिटर्न के स्वचालन के साथ ही, आपका बैंक तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की निगरानी एवं अनुपालन अच्छी तरह से करने की स्थिति में है।

सदाचार एवं व्यवसाय आचरण

बैंक के सभी परिचालन क्षेत्रों में सदाचार एवं नैतिकता की पहलों को सशक्त एवं एकीकृत करने जिम्मेदारी आपके बैंक के सदाचार एवं व्यवसाय आचरण विभाग की है। इस उद्देश्य के साथ आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में कई गतिविधियों का आयोजन किया है। इनमें अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक रिश्त और भ्रष्टाचार विरोधी नीति जारी करना और भारतीय रिजर्व बैंक की जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट का अनुपालन करने के लिए एक कर्मचारी जवाबदेही पोर्टल विकसित करना शामिल है। यह प्रणाली संचालित प्रक्रिया एनपीए के रूप में खराबों के वर्गीकरण के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की रिपोर्टिंग की निगरानी और इसको सुव्यवस्थित करती है। इस पोर्टल ने रिपोर्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई है और पात्र मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही के आचरण को मजबूत किया है।

आपका बैंक अनुशासन प्रबंधन में विभिन्न भूमिका धारकों के लिए नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि अपने हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए अनुपालन के स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही कर्मचारियों की जवाबदेही अभ्यास में मानकीकरण लाने के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाले व्यापक दिशानिर्देश हों।

आपके बैंक के सदाचार और व्यवसाय आचरण विभाग ने, पहलों और नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से, नैतिक मानकों के शिखर तक पहुंचने के लिए आपके बैंक के संकल्प को और मजबूत किया है

आपका बैंक अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक समावेशी, सुरक्षित और उच्च विश्वसनीय कार्यस्थल विकसित करने के प्रति आपका बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक में समर्पित गरिमा (पीओएसएच) संरचना उपलब्ध है, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर जागरूकता बढ़ाने से लेकर

वृद्धि और सशक्तिकरण तक पूरी प्रक्रिया शामिल है। इस वर्ष गरिमा (पीओएसएच) नीति में संशोधन किया गया, जिसमें अद्यतन परिचालन दिशानिर्देशों के साथ कार्यात्मक स्तरों पर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया। ज्ञान बढ़ाने के लिए, लक्षित समूहों के लिए नैतिकता और गरिमा पोश पर वेबिनार आयोजित किए गए हैं। बैंक की गरिमा नीति और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर आंतरिक पीओएसएच समितियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ, आपके बैंक ने उप प्रबंधक निदेशक (एचआर एंड सीडीओ) द्वारा संबोधित भारत भर में लगभग 20,000 महिला कर्मचारियों के दर्शकों के साथ एक वेबिनार मअपनी आवाज के साथ एक महिला बर्नेफआयोजित किया।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

संवहनीयता

संवहनीयता को बैंक के मूल मूल्यों में से एक के रूप में पहचाना गया है जो हमें संचालन और रणनीतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। आपका बैंक सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ लाभप्रदता के सह-अस्तित्व में विश्वास करता है और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए सही संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संवहनीयता एवं व्यवसाय उत्तरदायित्व (बीआर) नीति है जो एकीकृत तरीके से बैंक के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन को प्रबंधित करने हेतु दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) संरचना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संवहनीयता रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, आपका बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए नए निदेशों के मद्देनजर अनिवार्य व्यवसाय दायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करेगा।

संवहनीयता को बढ़ावा देने की दिशा में की गई कुछ प्रमुख पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

- ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन) दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने और मौजूदा नीतियों और उत्पादों के बीच तालमेल लाने के लिए, आपके बैंक ने एक ईएसजी वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है जिसे हरित, सामाजिक और धारणीय मानदंडों के तहत बैंक के भविष्य के बॉन्ड/ऋण जारी करने के कार्यक्रमों के लिए हैंडबुक के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार जुटाई गई आय का उपयोग पर्यावरणीय या सामाजिक लाभों के साथ पात्र आस्तियों/परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा। ढांचे को सतत वित्त दिशानिर्देशों और सिद्धांतों के साथ संरेखित किया गया है और इसकी मजबूती और नीतिगत निदेशों के अनुपालन पर द्वितीय पक्ष की राय प्रदान की गई है।
- व्यापक ईएसजी स्पेक्ट्रम पर यात्रा को आगे बढ़ाने और हरित और सामाजिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए बैंक की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए, आपके बैंक ने 1 बिलियन (500 मियो + 500 मियो ग्रीन शू) का अपना सबसे बड़ा सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण संपन्न किया, जिससे यह एशिया-प्रशांत बाजार में एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) ऋण बन गया।
- आपके बैंक को बी के सीडीपी स्कोर से सम्मानित किया गया है, जो सीडीपी (पूर्व में कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट) द्वारा पिछले 5 वर्षों में उच्चतम स्कोर है, जो कंपनियों के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए वैश्विक प्रकटीकरण प्रणाली है। सीडीपी, जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था द्वारा पर्यावरण रिपोर्टिंग के स्वर्ण मानक के रूप में देखा जाता है, पुरस्कार स्कोर एक कंपनी के प्रकटीकरण और पर्यावरणीय प्रदर्शन का स्नेपशॉट प्रदान करता है। बी का स्कोर यह

दर्शाता है कि संगठन ने अपने व्यवसाय के पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित किया है और अच्छा पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित किया है।

- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर सरकार की नीतियों के अनुरूप, संवहनीय गतिशीलता समाधान की ओर पलायन करने में ग्राहकों की रुचि में वृद्धि और ग्रीन मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने देश भर में कॉरपोरेट कार्यालय, स्थानीय प्रधान कार्यालयों और आवासीय परिसरों सहित बैंक के कुछ पहचाने गए परिसरों में ईवी चार्जिंग सुविधा स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी की है। आपके बैंक ने टाटा पावर के साथ दो पहिया और चार पहिया यानी कारों दोनों को कवर करने वाले 48 अत्याधुनिक चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल स्थायी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए बैंक के समर्पण के अनुरूप है और अपने कर्मचारियों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। एसबीआई ग्रीन कार लोन योजना के माध्यम से आठ (8) वर्षों तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि और इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए ब्याज दर में 25 बीपीएस की रियायत की पेशकश करके स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देता है।
- स्वामित्व वाली सुविधाओं की दक्षता प्रबंधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आपका बैंक एक हरित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में समर्पित प्रयास कर रहा है। 31.03.2023 तक, बैंक के **बत्तीस (32)** परिसरों को विभिन्न श्रेणियों (प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर) के तहत भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा प्रमाणित किया गया है। बैंक अपने बड़े प्रतिष्ठानों की बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरित करने का भी प्रयास कर रहा है। इस पहल के तहत, बैंक के प्रमुख प्रतिष्ठानों जैसे कॉरपोरेट कार्यालय, ग्लोबल आईटी सेंटर और 6 स्थानीय प्रधान कार्यालयों (एलएचओ) ने ग्रीन टैरिफ नीति के माध्यम से या सौर/पवन के माध्यम से ओपन एक्सेस चैनलों के माध्यम से ग्रीन पावर में स्थानांतरित कर दिया है।

- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, आपका बैंक सक्रिय रूप से कार्यालयों, शाखाओं और एटीएम में सोलर रूफटॉप स्थापित करने व उसके कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है और ऊर्जा दक्षता, वर्षा जल संचयन की स्थापना, ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन और डीजल जनरेटर सेट के उपयोग में कमी के लिए आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 31.03.2023 तक, सौर प्रतिष्ठानों की कुल क्षमता 22 मेगावाट है। आपके बैंक के पास कैप्टिव उपयोग के लिए 15 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 10 पवन चक्कियां भी हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश के दृष्टिकोण के अनुरूप, आपका बैंक बड़े पैमाने पर आरई वित्तपोषण की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। आपके बैंक ने आरई पावर डेवलपर्स को आगे ऋण देने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू जर्मन डेवलपमेंट बैंक आदि से लाइन ऑफ क्रेडिट का लाभ उठाया है।
- वर्तमान परिदृश्य में संवहनीयता के बढ़ते महत्व के बीच सीखने की संस्कृति विकसित करने के लिए, आपके बैंक ने निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संवहनीयता पर ऑनलाइन प्रमाणन पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.8 लाख से अधिक स्टाफ सदस्यों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इस कार्यक्रम में संवहनीयता, सतत विकास लक्ष्यों और क्षेत्र में बैंक की पहल का प्रारंभिक ज्ञान शामिल किया गया।
- आपके बैंक ने न केवल व्यापार को सुगम बनाने के लिए बल्कि संवहनीयता एजेंडा को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण भी किया है। बैंक के प्रमुख डिजिटल ऐप-योनो ने व्यवसाय के संचालन को सुविधाजनक बनाने और ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने के अलावा, कागज के उपयोग को कम करने की दिशा में काफी योगदान दिया है। इसके अलावा, बैंक के डिजिटल चैनल ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए, बैंक ग्रीन रिवाइड पॉइंट्स की पेशकश

कर रहा है, जिसे एसबीआई ग्रीन फंड में जमाकर भुनाया जा सकता है, जिसकी आय का उपयोग संवहनीयता गतिविधियों के लिए किया जाएगा। अक्टूबर 2019 में इस फंड पहल की शुरुआत के बाद से, 31.03.23 तक फंड में योगदान के लिए कुल 239 लाख रिवाइड पॉइंट भुनाए गए हैं।

- कॉरपोरेट सेंटर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने के लिए स्टेट बैंक भवन में बोतल नष्ट करने वाली मशीन लगाई गई है। इस तरह नष्ट किए गए प्लास्टिक की बोतलों से उत्पन्न प्लास्टिक के बारीक तुकड़ों को विक्रेता द्वारा वापस ले जाता है, और इन तुकड़ों से बने पुनर्नवीनीकरण उत्पाद उपलब्ध कराता है।
- बैंक के मंडलों की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में कुल 454 वर्षा जल संचयन प्रणालियां संस्थापित की गई हैं।
- योनो ऐप के माध्यम से कुल 12.34 लाख प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन खाते खोले गए हैं, जिससे प्रति खाते 32 पेज के पेपर की बचत हुई है। इस तरह योनो एप्लिकेशन का उपयोग करके लगभग 394.88 लाख पृष्ठ कागज की बचत की गई है।
- कर्मचारियों और जनता के बीच संवहनीयता की भावना को जागृत करने के लिए, आपके बैंक ने संवहनीयता प्रासंगिकता वाले विभिन्न दिन जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व मृदा दिवस, पृथ्वी घंटे आदि का आयोजन किया। आपका बैंक पूरे बैंक स्तर पर हर वर्ष जाँच ऑफ गिविंग वीक-दान उत्सव भी आयोजित करता है, जिसके माध्यम से समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों का समर्थन करने के लिए दान गतिविधियां की जाती हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ

1973 में अभिनव बैंकिंग की पहल के पश्चात, आपका बैंक भारत में कल्याणकारी गतिविधियों का अग्रणी है। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत इसका ध्यान आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से विकलांग समुदायों के जीवन पर सार्थक और मापनीय प्रभाव डालना है।

निदेशकों की रिपोर्ट

वित्त वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा देशभर में किए गए प्रमुख पहल

	राशि (लाख में)	स्कूलों/ आंगनवाड़ी/पीए- चसी की संख्या	लाभान्वित छात्रों/व्यक्तियों की संख्या
प्राथमिक विद्यालयों का परिवर्तन: स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि की स्थापना, स्कूल शौचालय निर्माण, पुताई आदि।	574.62	115	61,225
आंगनवाड़ी परिवर्तन: पुताई, नए फर्नीचर और फिक्सचर, स्मार्ट टीवी आदि उपलब्ध कराना।	352.50	344	30,132
पीएचसी परिवर्तन: चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर, नए फर्नीचर और फिक्सचर आदि उपलब्ध कराना।	780.60	95	9,76,437
सैनिटरी पैड वितरण	464.94	देश भर के 750+ स्कूलों में लगभग 2 लाख बालिकाओं को 2.25 लाख सैनिटरी किट वितरित किए गए	

बैंक की सीएसआर गतिविधियों के केंद्र बिंदु क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका, ग्रामीण और गंदी बस्ती क्षेत्र विकास, कौशल विकास, पर्यावरण, राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण, पशु कल्याण और खेल शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए, आपके बैंक द्वारा सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए 316.76 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। जिसमें से 194.78 करोड़ रुपये की राशि एसबीआई फाउंडेशन को परियोजना मोड में सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए आबंटित की गई है।

वर्ष के दौरान की गई प्रमुख सीएसआर पहल

स्वास्थ्य

- देश में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने नए अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के साथ करार किया है। आर्थोपेडिक यूनिट के लिए 3 वर्षों की अवधि में आईआईएससी को 24 करोड़ रुपये की राशि दान की जाएगी।
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में, अमरावती सर्कल ने 6 महीने

की अवधि के लिए 1200 टीबी रोगियों को उनके भोजन व्यय के लिए सहायता प्रदान की। इसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, भुवनेश्वर सर्कल ने 10.96 लाख रुपये की कुल लागत से नि-क्षय मित्र योजना के तहत 4 ब्लॉकों को गोद लिया है।

- उड़ीसा के संबलपुर में स्थित विजन इंडिया फाउंडेशन - त्रिलोचन नेत्रालय ट्रस्ट को सामुदायिक नेत्र क्लिनिक, झारसगुडा शहर में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 1.59 करोड़ रुपये की राशि दान की गई है। सामुदायिक नेत्र क्लिनिक रोगियों को मुफ्त आंख देखभाल उपचार प्रदान करता है।

पर्यावरण

- अमृत सरोवर योजना की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एक पहल के रूप में की गई थी, जिसमें भारत की स्वतंत्रता (आजादी का अमृत महोत्सव) के 75 वर्षों के अवसर को चिह्नित करने के लिए देश के हर जिले में 75 झीलों का कायाकल्प किया जाएगा। कर्नाटक के कोलार जिले में कायाकल्प के लिए पहचान की गई 75 झीलों में से, आपके बैंक ने सीएसआर के तहत 7 झीलों के कायाकल्प

के लिए अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत 4.26 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।

- आपके बैंक की हरित पहल के एक भाग के रूप में, एआईआईएमएस (एमएस), नई दिल्ली में रोगियों और उनके आश्रितों के परिवहन के लिए 10 इलेक्ट्रिक वाहन दान किए गए हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जर भी लगाया गया है।

आजीविका

- जोशीमठ में भूस्खलन से प्रभावित लोगों को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दान देकर सहायता प्रदान की गई है। प्रभावित लोगों की आजीविका और पुनर्वास प्रदान करने के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि दान की जाएगी।
- ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने आरएसईटीआई भवन/चारदीवारी के निर्माण को पूरा करने और अन्य आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण प्राप्त करने के लिए पूंजीगत व्यय में कमी को पूरा करने के लिए एसबीआई आरएसईटीआई सोसाइटियों को 30.11 करोड़ रुपये की राशि दान की है।
- राज्य सरकार द्वारा समर्थित एक इनक्यूबेटर आईटीएनटी हब (तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब) को 2.00 करोड़ रुपये की राशि दान की गई है। आईटीएनटी हब का दृष्टिकोण पीपीपी मॉडल के रूप में आईटीएनटी के शासन को स्थापित करना है ताकि संगठन के पास अकादमी और उद्योग द्वारा समर्थित सरकारी निगरानी हो। इसका उद्देश्य 200 नए स्टार्ट-अप का समर्थन करना और संचालन के पहले पांच वर्षों में 200 इनोवेटर्स की सुविधा प्रदान करना है।
- असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान की गई है।

₹316.76 करोड़

खर्च की गई कुल राशि

854

सीएसआर गतिविधियों की संख्या

54 लाख

लाभान्वित लोगों की संख्या/
कितने जीवन का उद्धार हुआ

19,074

कवर किए गए गांवों की कुल संख्या

गुवाहाटी, अमरावती और हैदराबाद सर्कल ने बाढ़ प्रभावित गांवों में रहने वाले गरीब ग्रामीणों को किराने का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं।

महिला सशक्तिकरण

- वाराणसी में 100 लैपटॉप और 1305 सिलाई मशीनों की खरीद और वितरण के लिए भारतीय संकल्प पथ फाउंडेशन, लखनऊ सर्कल को 87.22 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। सिलाई मशीनों और लैपटॉप की लाभार्थी महिलाएं होंगी, जिन्होंने प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के तहत कौशल प्रशिक्षण पूरा किया।

राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण

- हर घर तिरंगा अभियान के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने पूरे मंडलों में समाज के वंचित वर्गों को झंडे वितरित किए हैं। जरूरतमंद लोगों को 5 लाख (लगभग) झंडे वितरित करने पर 1.75 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- आपके बैंक ने कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित विरासत भवनों की मरम्मत और नवीकरण की दिशा में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की पहल का समर्थन किया है। इसके लिए, 3.19 करोड़ रुपये की राशि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (आईएनटीएसीएच), नई दिल्ली को दान की गई है।

सशस्त्र बलों के दिग्गज

- आपका बैंक हमेशा सशस्त्र बलों के दिग्गजों के लिए समर्थन करने में सबसे आगे रहा है। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में 2.00 करोड़ रुपये की राशि दान की गई है। इसके अलावा, दिल्ली कैट और जालंधर में स्थित प्रशामक देखभाल केंद्रों के उत्थान के लिए सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 3.30 करोड़ रुपये की राशि दान की गई है।
- अत्याधुनिक उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस की खरीद के लिए सेना अस्पताल (आर एंड आर), नई दिल्ली को 94.94 लाख रुपये की राशि दान की गई है। उक्त दान सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध हताहतों और उनके आश्रितों का समर्थन करने के लिए आपके बैंक की पहल के एक हिस्से के रूप में किया जाता है।

स्वच्छता पखवाड़ा

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने सितंबर-अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के महीनों के दौरान देश भर में विभिन्न पहल की हैं। स्वच्छता गतिविधियों में आसपास की स्वच्छता की व्यवस्था, समुद्र तट की सफाई, जूट बैग का वितरण, नो-प्लास्टिक अभियान आयोजित करना, शौचालयों का निर्माण आदि शामिल हैं।

एसबीआई फाउंडेशन

एसबीआई फाउंडेशन की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम (2013) के तहत धारा VIII कंपनी के रूप में की गई थी जिससे योजनाबद्ध और केंद्रित रूप से स्टेट बैंक समूह की सीएसआर गतिविधियों को शुरू किया जा सके।

एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम

एसबीआई फाउंडेशन ने 5 चरणों में 25 राज्यों के 150 गांवों को गोद लिया है, जिससे 1.75 लाख से अधिक जीवन प्रभावित हुए हैं।

मएसबीआई ग्राम सक्षम एक उप-परियोजना है जो मुख्य रूप से गोद लिए गए गांवों से परे समुदायों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण आजीविका पर केंद्रित है। अब तक, ग्राम सक्षम को 6 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुल 115 गांवों में शुरू किया गया है।

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फैलोशिप

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया एक 13 महीने का ग्रामीण विकास फैलोशिप कार्यक्रम है जो शहरी क्षेत्रों के उज्ज्वल युवा विचारों को उनके संघर्षों और आकांक्षाओं में ग्रामीण समुदायों के साथ हाथ मिलाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

- 14 साझेदार गैर सरकारी संगठनों में 2021-22 बैच के 6 पूर्व छात्र उद्यमों और 17 अध्येताओं को यूथ फॉर इंडिया सहयोग के एक हिस्से के रूप में अनुदान से सम्मानित किया गया, जो अभिनव और होनहार पायलटों और उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल है।
- कार्यक्रम ने दिसंबर 2022 में दिल्ली और बेंगलूर में अपने विटर बाजार के लिए दस्तकर के साथ सहयोग किया और

वाईएफआई के पूर्व छात्रों के उद्यमियों को प्रदर्शनी में अपने काम का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की अवधारणा और शुरुआत 2017 में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक केंद्रीकृत सहायता केंद्र होने के लक्ष्य के साथ की गई थी। सीओई ने भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में 352 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए 17 ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

पीडब्ल्यूडी के समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली परियोजनाएं

- अंधेरे में संवाद: दृश्य सिमुलेशन परियोजना।
- ग्रो पीडब्ल्यूडी: विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और नौकरी प्लेसमेंट के साथ उनकी सहायता करना।
- उत्तर प्रदेश में क्लबफुट का सफाया।
- परियोजना समावेशी भारत 2.0: उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- सृष्टि फार्म अकादमी: कृषि और संबद्ध गतिविधियों के बारे में सीखना।
- रायचूर कर्नाटक में 6000 लाभार्थी पीडब्ल्यूडी के लिए व्यापक जीवनचक्र दृष्टिकोण (एलसीए) परियोजना।
- मानसिक और एकाधिक विकलांगता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना।
- परियोजना एसएमईआईपी: 650 पीडब्ल्यूडी का कौशल विकास।
- पाक कला में प्रशिक्षण।
- दृश्य हानि और कई विकलांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक चिकित्सा प्रदान करना।
- एसबीआईएफ सीओई: गुजरात के आनंद, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद और अरवल्ली जिलों में उद्यम संवर्धन और स्केलिंग पर स्वावलंबन फोकस।
- एसबीआईएफ, सीओई: विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक साधन उपलब्ध करना।

जीवनम

जीवनम, फाउंडेशन का हेल्थकेयर वर्टिकल, समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ और सस्ती बनाता है। इसने अब तक 6.6 लाख से अधिक जीवन को प्रभावित किया है, 3 एसडीजी में योगदान दिया है - अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, और उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया है।

1. एसबीआईएफ संजीवनी

एक मोबाइल चिकित्सा इकाई के माध्यम से समुदायों के दरवाजे पर ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

2. एसबीआईएफ संजीवनी - निरंतर सेवा

मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है।

3. सुरक्षा

सुरक्षित सवारी के लिए मुंबई पुलिस कर्मियों को 1600 हेलमेट प्रदान करने की एक पहल है।

4. अनुग्रह

तमिलनाडु के ग्रामीण कोयमबतूर में गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर पड़े रोगियों के लिए धर्मशाला और उपशामक देखभाल, वृद्धावस्था सहायता और पुनर्वास सेवाओं के लिए एक पहल है।

5. नेत्र देखभाल परियोजना

महाराष्ट्र के नागपुर में एक उन्नत नेत्र ओपीडी इकाई स्थापित करके और नेत्र देखभाल शिविर आयोजित करके चिकित्सा उपकरण सहायता प्रदान करने की एक पहल है।

6. परियोजना मानस

विकेंद्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने और गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण मॉडल विकसित करने के लिए एक पहल है।

7. निराश्रित महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं

8. परियोजना सहयोग

इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली/एनसीआर में दर्दनाक मस्तिष्क और रीढ़ की चोटों के 200 पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए एक चैरिटेबल न्यूरो पुनर्वास केंद्र स्थापित करना है।

9. प्रोजेक्ट फॉरएवर स्माइल्स

उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में 1000 जीवन रक्षक क्लेपट सर्जरी करने में सहयोग।

10. टीबी मुक्त गुजरात

इस परियोजना का उद्देश्य टीबी का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करना

11. परियोजना अमृत

कैंसर रोगियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार की बेहतर लाइन निर्धारित करने के लिए एक परमाणु चिकित्सा डायग्नोस्टिक सुविधा (पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कम्प्यूटेड टोमोग्राफी पीईटी-सीटी यूनिट) की स्थापना।

एकीकृत शिक्षण मिशन (आईएलएम)

आईएलएम फाउंडेशन का शिक्षा वर्टिकल है, जिसे सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाने के लिए स्थापित किया गया है।

प्रमुख कार्यक्रम

- एसबीआईएफ आईएलएम - गवर्नमेंट स्कूल प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश
- एसबीआईएफ आईएलएम - आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम
- एसबीआईएफ आईएलएम - लर्न प्ले ग्रो, मेघालय
- एसबीआईएफ आईएलएम - फ्यूचर वीमेन लीडर्स
- एसबीआईएफ आईएलएम - आशा छात्रवृत्ति चरण 2
- एसबीआईएफ आईएलएम - स्मार्ट लाचेन
- एसबीआईएफ आईएलएम - सेंटर फॉर नालेज एंड इनफॉर्मेशन डिसेमिनेशन (सी-केआईडी)

आजीविका और उद्यमिता त्वरक कार्यक्रम (एलईएपी)

एलईएपी आजीविका और उद्यमिता के क्षेत्र में इस फाउंडेशन का प्रमुख कार्यक्रम है। एलईएपी आय बढ़ाने और सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत और समावेशी आजीविका मॉडल, उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र और रणनीतिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने का प्रयास करता है, इस प्रकार विकास की खाई को पाटने और देश में गरीबी चक्र को तोड़ने में योगदान देता है।

1. एसबीआईएफ एलईएपी - प्रोजेक्ट प्रयास

गुजरात और महाराष्ट्र के जिलों में पिछड़े 270 आपराधिक एवं किशोर अपराधियों के लिए पुनर्वास और सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल है।

2. एसबीआईएफ एलईएपी - जलवायु-लचीला आजीविका मॉडल का विकास

उत्तराखंड के चमोली जिले के 10 बाढ़ प्रभावित गांवों में 4600 निवासियों को शामिल करने व संवहनीय विकास को सक्षम बनाने के लिए एक पहल।

3. एसबीआईएफ एलईएपी - आंध्र प्रदेश में 18 नई किसान सहकारी समितियों का गठन और विस्तार

4. एसबीआईएफ एलईएपी - सामाजिक नवाचार के माध्यम से उद्यमिता में तेजी लाना

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और मध्य प्रदेश के 1 जिले में युवाओं और महिलाओं के लिए नौकरियां की पहल।

5. एसबीआईएफ एलईएपी - 250 स्टार्टअप को दीक्षा सहायता

6. एसबीआईएफ एलईएपी- विदेशी सब्जियों की खेती

उड़ीसा के खोर्धा और कटक जिलों में विदेशी सब्जियों की खेती की शुरुआत और दो साल की अवधि के 1000 किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक पहल।

7. एसबीआईएफ एलईएपी - भारत के लिए इनोवेटर्स - जलवायु लचीला कृषि आजीविका

संवहनीय कृषि समाधान के लिए 15 स्टार्टअप को सहयोग

8. एसबीआईएफ एलईएपी - एकीकृत पशुधन विकास

उत्तराखंड में चंपावत जिले के 10 गांवों में 3 साल की अवधि के लिए

9. एसबीआईएफ एलईएपी - गहन विज्ञान उद्यमिता के लिए उत्कृष्टता केंद्र

12 स्टार्टअप को इनक्यूबेशन और त्वरण सहायता प्रदान करने के लिए

सीओएनएसईआरडब्ल्यू - सतत जुड़ाव, बहाली और वन्यजीव संरक्षण के माध्यम से संरक्षण

सीओएनएसईआरडब्ल्यू पर्यावरण और संवहनीयता के क्षेत्र में फाउंडेशन का प्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पादन और खपत, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की बहाली और वन्यजीवों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है जिससे बेहतर और संवहनीय भविष्य के लिए योगदान दिया जा सके।

1. एसबीआईएफ अरण्य

इस पहल के तहत फाउंडेशन का उद्देश्य देश भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण परियोजनाओं को शुरू करने का है।

2. एसबीआईएफ एक्सआरडी विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला

संवहनीय ऊर्जा समाधानों की दिशा में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम में एसबीआईएफ - एक्सआरडी विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला स्थापित करने की एक पहल।

3. एसबीआईएफ सीओएनएसईआरडब्ल्यू - लद्दाख में बुनियादी हरित ढांचा

4. एसबीआईएफ सीओएनएसईआरडब्ल्यू -

कर्नाटक में छोटे शहरों को मॉडल स्वच्छता शहरों में बदलना स्वच्छ भारत मिशन 2.0 दिशानिर्देशों की समग्र योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से

5. एसबीआईएफ सीओएनएसईआरडब्ल्यू - मानव-हाथी संघर्ष को कम करना (एचईसी)

असम के बक्सा और उदलगुरी जिलों में मानव हाथी संघर्ष को कम करने और मानव कल्याण की रक्षा करने के लिए एक पहल।

6. एसबीआईएफ सीओएनएसईआरडब्ल्यू - गरीबी उन्मूलन के लिए सौर प्रौद्योगिकी

नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा उड़ीसा और बिहार के 100 गांवों के 2000 लघु एवं सीमांत महिला किसानों एक पहल।

7. एसबीआईएफ सीओएनएसईआरडब्ल्यू - मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण

मध्यप्रदेश में 5 वन्यजीव बचाव वाहनों का दान कर वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना।

एसबीआईएफ एसीई

एस खेल के क्षेत्र में फाउंडेशन प्लैगशिप कार्यक्रम है। इसमें अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण, भारत में खेल उत्कृष्टता के ध्वजवाहकों जैसे पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने और पोषित करने में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप शामिल हैं।



श्री ओम प्रकाश मिश्र, डीएमडी (मानव संसाधन) और सीडीओ, मेडीकल निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार को उपकरण दान करते हुए

समग्र एथलीट समर्थन

5 अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट सेंटर्स में 100 एथलीटों को सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल।

पैरा एथलीट अनुदान कार्यक्रम

100 पैरा-एथलीटों को 1 वर्ष की अवधि के लिए समग्र सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल।

ओलंपिक विकास कार्यक्रम

हरियाणा के यमुना नगर में एसबीआईएफ खेल विज्ञान केंद्र

महिला सशक्तिकरण

1. प्रोजेक्ट नया सवेरा

नया सवेरा का उद्देश्य मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर उचित संवेदनशीलता लाना है।

2. परियोजना सशक्त

इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के ठाणे में महिलाओं की स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना।

3. परियोजना उन्नति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित 4,100 महिलाओं और विकलांग महिलाओं को सशक्त बनाने की एक पहल।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

हमारे देश की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक विशाल लेकिन कम अवसर प्रस्तुत करता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के हमारे व्यापक नेटवर्क में उनके बड़ी संख्या में खातों का आधार और दशकों की विश्वास अर्जित करने वाली सेवा परंपरा के कारण एक अलग प्रतियोगिता लाभ है।

भारतीय स्टेट बैंक ने 14 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यरत 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 4,751 कर्मचारियों की संख्या है जो 223 जिलों में फैले हुए हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं और देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

वित्त वर्ष 2023 की मुख्य विशेषताएं:

31 मार्च 2023 तक बैंक द्वारा प्रायोजित 14 आरआरबी की कुल जमा और अग्रिम राशि क्रमशः 1,23,907 करोड़ रुपये और 85,117 करोड़ रुपये हैं, जबकि 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार 1,13,502 करोड़ रुपये और 73,755 करोड़ रुपये थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लगातार चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक वातावरण के बावजूद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने व्यवसाय में सुधार किया,

जमा में 9.17% और अग्रिम में 15.41% की वृद्धि हुई। आरआरबी ने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अपनी रणनीति के तहत अपने आवास और गोल्ड लोन एक्सपोजर में क्रमशः 22.54% और 38.20% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि की।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1071.00 करोड़ रुपये की पेंशन के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करने के बावजूद 31 मार्च 2022 तक 1,659.53 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 2,301.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने मुख्य बैंकिंग व्यवसाय से आय में सुधार, शुल्क आय धाराओं को मजबूत करने और परिचालन लागत पर नियंत्रण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संयुक्त सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 31 मार्च 2022 के 4.64% की तुलना में घटकर 4.21% हो गया। शुद्ध एनपीए की स्थिति जो 31 मार्च 2022 को 1.22% थी अब 0.82 % रह गई है।

वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय 31 मार्च 2022 को 10.76 करोड़ रुपये से बढ़कर 11.68 करोड़ रुपये हो गया।

₹2,301.91 करोड़

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अर्जित निवल लाभ (आरआरबी)

वित्त वर्ष 2023 में महत्वपूर्ण घटनाएं:

समीक्षाधीन वर्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखी गईं, जिनमें से कुछ सूचीबद्ध हैं:

- परिसंपत्ति प्रबंधन हब (एएमएच) की शुरुआत - सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एक कुशल अंडरराइटिंग प्रक्रिया के लिए ऋण और अग्रिम के लिए एक केंद्रीकृत क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टम।
- वीडियो केवाईसी सुविधा के साथ डिजिटल खाता खोलने के लिए आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च करना। ब्रांच चैनल के अलावा, वीडियो केवाईसी सुविधा के साथ डिजिटल खाता खोलने की सेवाओं को 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट चैनल तक बढ़ाया गया है।
- ट्रेजरी आय/प्रतिफल में सुधार करने के लिए सभी 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए गैर-विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के लिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड की सेवाएं ली गई हैं।

अनुषंगियां

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकेप्स) जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई, भारत के अग्रणी देशीय निवेश बैंकों में से एक है और सेबी के साथ श्रेणी-1 के मर्चेन्ट बैंकर और एक शोध विश्लेषक के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है। एसबीआईकेप्स अपने ग्राहकों को निवेश बैंकिंग और कॉर्पोरेट सलाहकार सेवाओं का पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।

एसबीआईकेप्स कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान भारतीय उधारकर्ताओं के ऋण के लिए अनिवार्य लीड मैनेजर के रूप में 76.2% की बाजार हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 स्थान पर है।

समेकित आधार पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 725.39 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 635.42 करोड़ रुपये था।

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कई प्रमुख लेनदेन को पूरा किया और शामिल किया, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

सहयोगी:

क्र.सं अनुषंगी का नाम (आरआरबी)	निगमन का देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
		पिछले वर्ष (2021-22)	वर्तमान वर्ष (2022-23)
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00%	35.00%
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
3 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
4 एलाकोंय देहाती बैंक	भारत	35.00%	35.00%
5 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
6 मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
7 मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
8 मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
9 नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
10 राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
11 सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
12 तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
13 उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
14 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%

एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड (एसबीआईकेप)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	(₹ करोड़ में) वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	58.03	100	334
एसबीआईकेप सिक्वोरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)			308
एसबीआईकेप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)	लागू नहीं		62
एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)			29

- नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड - नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए ऋण सुविधाओं का सिंडिकेशन
- जिंदल स्टील उडीसा लिमिटेड - जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के लिए ऋण सुविधाओं के साथ एसबीआई की सहायता करना
- एयर इंडिया लिमिटेड के वित्तपोषण के लिए वित्तीय सलाह
- कच्छ कॉपर लिमिटेड - अडानी समूह द्वारा प्रस्तावित 0.5 एमटीपीए एकीकृत तांबा गलाने और रिफाइनरी परिसर के लिए ऋण सुविधाओं का सिंडिकेशन
- शापूरजी पालोनजी रोड्स प्राइवेट लिमिटेड - विलय एवं अधिग्रहण सेल साइड एडवाइजरी और ऋण सलाहकार
- गोवा में लौह अयस्क के चार ब्लॉकों की नीलामी पर राज्य सरकार को सलाहकार सेवाएं
- भारतीय जीवन बीमा निगम की आईपीओ पेशकश, भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जिसके माध्यम से भारत सरकार को 20, 557 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
- इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड इश्यू के लिए लीड मैनेजर - किसी भी नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड का पहला सार्वजनिक निर्गम
- नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, भुनाने योग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के प्रथम पब्लिक इश्यू के लिए लीड मैनेजर।
- पुणे आईटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड- अंडरराइट एक्सपोजर के 4790 करोड़ रुपये की डाउन सेलिंग- वर्ष का परिवहन सौदा- रेलवे-सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड्स 2022
- यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड- कुल 3725 करोड़ रुपये का ऋण सिंडिकेशन-

ट्रांसपोर्ट डील ऑफ द ईयर - एयरपोर्ट - सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड्स 2022



एसबीआई के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा की उपस्थिति में नई टैग लाइन कमप्लीट इनवेस्टमेंट बैंकिंग सॉल्यूशन्स के साथ नए पुनः डिजाइन किए गए लोगो का शुभारंभ

ए. एसबीआईकेप सिक्वोरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एसबीआईकेप सिक्वोरिटीज लिमिटेड (एसएसएल) ने खुदरा ग्राहकों को प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए 2006 में परिचालन शुरू किया और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समूह की ब्रोकिंग शाखा बन गई।

रिटेल ब्रोकिंग में, वित्त वर्ष 2022 में 1.46% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 1.56 % हो गई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 में 0.12% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में डेसिग्रेटिव सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी में 0.30% तक सुधार किया है। वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में खाता अधिग्रहण में बाजार हिस्सेदारी 217 बीपीएस की वृद्धि के साथ सुधरकर 4.49% हो गई।

रिटेल एसेट्स में एसएसएल होम लोन टीम ने टियर-3 और टियर-4 शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2022 में 194 स्थानों की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में इसकी

उपस्थिति 296 स्थानों पर है। इसके अलावा, एसएसएल ऑटो लोन टीम ने वित्त वर्ष 2022 में 396 स्थानों की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 503 स्थानों पर अपनी उपस्थिति में सुधार किया है। होम लोन में टीम की मासिक औसत उत्पादकता वित्त वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति 1.14 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति 1.21 करोड़ रुपये हो गई है। ऑटो लोन में, टीम की मासिक औसत उत्पादकता वित्त वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति 1.26 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.74 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान होम लोन कारोबार ने 42.30% की वृद्धि के साथ 43,679 करोड़ रुपये का कारोबार किया। ऑटो लोन व्यवसाय वित्त वर्ष 2023 के दौरान 38,186 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 98% अधिक है, जिससे एसबीआई को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिली।

थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में, बीमा और निवेश उत्पादों से राजस्व वित्त वर्ष 2022 में 30 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 44 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह आईपीओ में राजस्व वित्त वर्ष 2022 में 3 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 9 करोड़ रुपये हो गया।

प्रमुख पहल

डिजिटल ग्राहक अधिग्रहण और ऑन-बोर्डिंग पर ग्राहकों को सुविधाएं

कंपनी ने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के साथ एकीकृत होकर खोली जाने वाली खातों की संख्या को बढ़ाने में सहायता की।

डिजिटल पहल - मोबाइल रिलीज़

एसएसएल ने क्यूरेटेड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट द्वारा निवेश पेशकश बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। निवेश मेनू को कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, 54 ईसी बॉन्ड, सांवरने गोल्ड बॉन्ड, नॉनकन्वर्टिबल डिबेंचर, न्यू फंड ऑफरिंग, आईपीओ और एफपीओ के साथ अपग्रेड किया गया है।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों और मान्यताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एसबीआई सिक्क्योरिटीज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऐप को दूसरे वार्षिक एनबीएफसी और फिनेक एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में मबेस्ट मोबाइल ऐप इनिशिएटिव - स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीपुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बीएएसआई टेक्नोलॉजी कॉन्वलेव 2022 में मएटरप्राइज मोबिलिटी अवार्डसे सम्मानित किया गया।
- प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में मडिजिटल ग्राहक अनुभव परिवर्तन पहल पुरस्कारसे सम्मानित किया गया।
- ईटी ह्यूमन कैपिटल अवार्ड्स में मएक्सीलेंस इन टीम बिल्डिंग एंगेजमेंट अवार्ड 2023फसे सम्मानित किया गया।

बी. एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, वर्तमान में एनईईवी फंड ख (नीव), नीव खख (एसवीएलएसएमई) फंड और स्वमिह निवेश फंड ख (एसडब्ल्यूएमआईएच) का प्रबंधन करती है। यह तीन फंड ऑफ फंड्स के लिए निवेश प्रबंधक भी है: आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड, यूके इंडिया डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड (यूकेआईडीसीएफ) और त्रिपक्षीय विकास सहयोग फंड (टीडीसीएफ)।

एसवीएल ने वित्त वर्ष 2023 में 27.41 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह 19.84 करोड़ रुपए था।

नीव ख सेबी द्वारा पंजीकृत श्रेणी - 1 एआईएफ है, जिसमें आठ कम आय वाले राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने का जनादेश है। एसवीएल मार्च 2023 तक 52.26 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश के साथ फंड में एक सामान्य भागीदार है। इस निधि ने 10,000 करोड़ रुपए की अपनी निवेश योग्य निधि का पूर्ण रूप से निवेश किया है। 10 पोर्टफोलियो कंपनियों में 450.10 करोड़

रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें से एक वित्त वर्ष 2022 में पूरी तरह से बाहर हो गया है।

एनईईवी ॥ (एसवीएल-एसएमई) सेबी द्वारा पंजीकृत श्रेणी - 1 एआईएफ है जो जून 2021 में 480 करोड़ रुपए पर पहली बार बंद हुआ था। लक्ष्य कोष 1,000 करोड़ रुपए है जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शू विकल्प है। इस निधि ने चार निवेशों में 525 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी जबकि वास्तविक निवेश मार्च 2022 तक 1000 करोड़ रुपए था।

स्वामीह सेबी द्वारा पंजीकृत श्रेणी-॥ एआईएफ है, जो 10,037.50 करोड़ रुपए के साथ 6 दिसंबर 2019 को बंद हुआ और इस कोष में निवेशकों के रूप में भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और संस्थान शामिल थे। इस निधि ने 15,530 करोड़ रुपए की कुल पूंजी प्रतिबद्धता के साथ अपना अंतिम समापन प्राप्त कर लिया है। इसके पास रुकी हुई आवास परियोजनाओं को अंतिम छोर तक वित्त पोषण प्रदान करने का जनादेश है। फंड ने 101 परियोजनाओं में 5,112 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जहां प्रतिबद्ध राशि 10,142 करोड़ रुपए है। फंड ने मार्च 2023 तक 15 परियोजनाओं में 11 पूर्ण निकास और आंशिक निकास के माध्यम से निवेशकों को 757.3 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं।

यूकेआईडीसीएफ फंड 5000 करोड़ रुपए के कोष के साथ सेबी पंजीकृत श्रेणी - 2 एआईएफ है और जून 2021 में इसका पहला बंद स्तर 253 करोड़ रुपए था। इस निधि ने कुल 117 करोड़ रुपए की दो अभिनिर्धारित डाउनस्ट्रीम निधियों में प्रतिबद्धताएं दी हैं और 24.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फंड हर साल 2-3 डाटर फंड की पहचान करेगा और अगले 2-3 वर्षों में डाटर फंड में अपने कोष राशि तैनात करेगा।

एसआरआई फंड की स्थापना एमएसएमई मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा मार्च 2022 तक 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ अक्टूबर 2021 में की गई है। 5910 करोड़ रुपए की राशि के डाटर फंड में 46 निवेशों के लिए अंतिम मंजूरी दी गई है। फंड ने मार्च 2023 तक लगभग 390 करोड़ रुपए के अन्य 5 निवेश एकत्रीकरण के लिए प्रारंभिक सिफारिशें (परिश्रम और अंतिम अनुमोदन के अधीन) भी प्रदान की हैं।

एसवीएल ने वित्त वर्ष 2022 के 91.75 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के लिए 141.71 करोड़ रुपए का सकल राजस्व अर्जित किया है और वित्त वर्ष 2022 के लिए 32.28 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के लिए 61.82 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

सी. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसटीसीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसटीसीएल ने 1 अगस्त 2008 को सुरक्षा ट्रस्टी व्यवसाय शुरू किया।

कंपनी कॉर्पोरेट और परियोजना वित्त ऋण के लिए उधारदाताओं के लिए एक सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। यह कॉर्पोरेट्स, बैंकों, पीएसयू और नगर निगमों द्वारा जारी डिबेंचर/बॉन्ड के लिए डिबेंचर ट्रस्टी की भूमिका निभाता है। यह एक डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है। एसटीसीएल शेयर प्लेज ट्रस्टी, एस्क्रो ट्रस्टी, एआईएफ ट्रस्टी और ईएसओपी ट्रस्टी जैसी अन्य संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है।

एसटीसीएल ने सालाना आधार पर 83% की शुद्ध लाभ वृद्धि दर्ज की। (वित्त वर्ष 2022 के लिए 15.71 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के लिए 28.73 करोड़ रुपए)। व्यवसायों से शुल्क आय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 52% की वृद्धि हुई है

उत्पाद संवर्द्धन

- एसटीसीएल नया उत्पाद वर्चुअल डेटा रूम (वीडीआर) लेकर आया है, जो यूजर्स के लिए क्लाउड स्टोरेज और आसान रिट्रिवल की सुविधा प्रदान करता है।
- एसटीसीएल वर्ष के दौरान एक नया बिजनेस वर्टिकल यानी मप्रतिभूतिकरण ट्रस्टीशिप बिजनेसफशुरू करने की प्रक्रिया में है।
- एसटीसीएल एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को अपनी सहायक सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसमें सुरक्षा ट्रस्टी की भूमिका बैंकों के सूचीबद्ध अधिवक्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं के साथ समन्वय करेगी और मूल्यांकन और टीआईआर रिपोर्ट प्राप्त करेगी।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों और मान्यताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रतिष्ठित टाइम्स एसेंट ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित: विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस द्वारा काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन संगठन।
- डिबेंचर ट्रस्टी बिजनेस- एयूएम के मामले में प्राइम डेटाबेस में रैंकिंग एक पायदान सुधारकर 3 हो गई है



एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल)

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल) भारतीय स्टेट बैंक की एक सहायक कंपनी है जिसमें आपके बैंक की 68.98% हिस्सेदारी है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआई कार्ड) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो व्यक्तिगत कार्डधारकों और कॉर्पोरेट ग्राहकों को एक व्यापक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो प्रदान करती है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 में 1,616 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 2,258 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया।

निष्पादन के महत्वपूर्ण तथ्य (वित्त वर्ष 2023)

- लाभदायक परिचालन:** कर पश्चात लाभ (पीएटी) 2,258 करोड़ रुपये, वर्षानुवर्ष आधार पर 40 फीसदी पर, आरओए सालाना आधार पर 5.6 फीसदी, आरओई 25.3 फीसदी सालाना की बढ़ोतरी के साथ 245 आधार अंक ऊपर है।

- बाजार हिस्सेदारी:** वित्त वर्ष 2023 के लिए खर्च और कार्ड दोनों में 2; 19.7% (वित्त वर्ष 2022 18.7%) की दर से कार्ड लागू, 18.2% की दर से खर्च (वित्त वर्ष 2022 19.2%), लेनदेन 18.2% (वित्त वर्ष 2022 19.8%) मार्च 23 तक उपलब्ध आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार।
- पोर्टफोलियो में वृद्धि:** 1.68 करोड़ कार्ड जो प्रचलन में है पर 22% की दर से, 41% वर्षानुवर्ष पर 262,498 करोड़ रुपये खर्च करता है, 30% वर्ष दर वर्ष आधार पर प्राप्तियों को 40,722 करोड़ रुपये खर्च करता है।
- संपत्ति की गुणवत्ता:** वित्त वर्ष 2022 के लिए जीएनपीए 2.35%, एनएनपीए 0.87%, जीसीएल 5.9% बनाम 8.3%
- पर्याप्त तरलता:** विविध उधार मिश्रण, पर्याप्त बैंकिंग सीमाएं उपलब्ध हैं। स्वस्थ सीएआर 23.1%, टी -1 20.4%।
- नए उत्पाद:** वित्त वर्ष 2023 में प्रारंभ किए गए नए उत्पाद:
 - कैशबैक एसबीआई कार्ड
 - पीएसबी एसबीआई कार्ड

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों और मान्यताओं में शामिल हैं:

- वर्ष 2022 के लिए 'द इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड' के रूप में मान्यता प्राप्त।
- मरीडर्स डाइजैस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड प्राप्त किया।
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता प्रक्रियाओं के लिए सीओपीसीए द्वारा प्रमाणित।
- बिक्री और ग्राहक सेवाओं के लिए 2023 में गोल्ड एंड सिल्वर स्टीवी पुरस्कारों के विजेता।
- प्रशिक्षण और विकास में उत्कृष्टता के लिए वित्तीय क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार के विजेता।
- प्रौद्योगिकियों का उपयोग - सर्वश्रेष्ठ डेटा सक्षमता अभियान श्रेणी में मारटेक लीडरशिप पुरस्कार के विजेता।

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	(₹ करोड़ में)
			वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	652.63	68.98%	2,258

एसबीआई डीएचआई लिमिटेड (एसबीआई डीएचआई)

एसबीआई डीएचआई लिमिटेड अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ सबसे बड़े स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (पीडी) में से एक है। एक प्राथमिक डीलर (पीडी) के रूप में, यह प्राथमिक नीलामी में बुकबिल्डिंग प्रक्रिया का समर्थन करने और जी-सेक में द्विती बाजारों को गहराई और तरलता प्रदान करने के लिए अनिवार्य है।

भारतीय स्टेट बैंक समूह के पास कंपनी में 72.17% (एसबीआई-69.04%, एसबीआईकैप-3.13%) हिस्सेदारी है। इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए 20.26 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2022 के लिए 142.06 करोड़ रुपये का लाभ था। 31 मार्च 2023 तक कुल बैलेंस शीट का आकार 17,268 करोड़ रुपये है, जबकि 31 मार्च 2022 को यह आंकड़ा 13,078 करोड़ रुपये था।

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई डीएचआई लिमिटेड	131.52	69.04%	20

नई पेशकश
हेल्थ एज
इंश्योरेंस

क्लैम्स सेफगार्ड के साथ नॉन पेयबल आइटम्स को आपके हेल्थ प्लॉन में शामिल करें - अभी कवर करें

अभी कवर करें

एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई जनरल)

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	151.00	69.95	184

एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मकंपनीफ) को 24 फरवरी 2009 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 (मअधिनियमम) के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप लिमिटेड की सहायक कंपनी आईएजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम था। कंपनी में 74% हिस्सेदारी में से, एसबीआई ने 2018 के मध्य में पीआई

अपॉर्चुनिटीज फंड - 1 (2.35%) और एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज- एआईएफ-आई (1.65%) को 4% हिस्सेदारी बेच दी थी। इसके अलावा, आईएजी, 26% हिस्सेदारी के साथ पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम भागीदार ने मार्च 2020 में पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला किया, जिससे 26% की अपनी पूरी हिस्सेदारी नेपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी (16.01%) और हनी व्हीट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (9.99%) को बेच दी। इसके अलावा, एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज-एआईएफ-1 ने अपनी

प्रमुख पहल

बीमा और अन्य दीर्घकालिक निवेशकों के लिए स्ट्रिप्स (पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों का अलग व्यापार) पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

वित्तीय बाजारों के विभिन्न पहलुओं पर 24 जून 2022 को बेंगलुरु में सहकारी बैंक के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। बैठक के अंत में, प्रतिभागियों को अधिक जागरूक और सूचित किया गया और सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास की दिशा में योगदान करने के लिए तैयार किया गया।

एसबीआई डीएचआई ने कई क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए और आरबीआई एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म पर सुचारु प्रवास के लिए सहकारी बैंकों (263 यूसीसीबी और 21 डीसीसीबी) के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया।

1.27% की शेष हिस्सेदारी में से आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड - सीरीज 9 (1.04%) और आईआईएफएल इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड - सीरीज 1 ए (0.23 फीसदी) को बेच दी है।

वर्तमान में, एसबीआई के पास 69.95%, नेपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी के पास 16.00%, हनी व्हीट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 9.98%, पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड-1 के पास 2.35%, आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड - सीरीज 9 (1.04%), आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड-सीरीज 10 (0.12%) आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड- सीरीज 2 (0.02%), आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड- सीरीज 4 (0.02%), आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड-सीरीज 4 (0.02%), आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड 4 (0.02%), आईआईएफएल लार्ज

वैल्यू फंड सीरीज 4 (0.02%), आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड 4 (0.02%), आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड 4 (0.03%) का मालिक है। आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड सीरीज 12 (0.04%), एवेडस फ्यूचर लीडर्स फंड ख और खख के पास एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में 0.38% और अन्य शेयरधारकों के पास 0.07% हिस्सेदारी है।

कंपनी 15 दिसंबर 2009 को पंजीकरण संख्या 144 के प्रमाण पत्र के साथ भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (मआईआरडीएआईएफ) के साथ पंजीकृत है और भारत में सामान्य बीमा के व्यवसाय में है।

10,888 करोड़ रुपये के कुल जीडब्ल्यूपी और 18% की सालाना वृद्धि के साथ, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में 10,000 करोड़ रुपये जीडब्ल्यूपी का लक्ष्य प्राप्त किया। एसबीआई जनरल ने वित्त वर्ष 2022 में अपनी बाजार हिस्सेदारी 4.15% से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में 4.21% कर ली। कारोबार रैंकिंग में आगे बढ़ा है, और निजी कंपनियों में, एसबीआई जनरल अब वित्त वर्ष

2022 में 7वें स्थान की तुलना में 6 वें स्थान पर है।

कंपनी की उपस्थिति 2011 में 17 स्थानों से बढ़कर पूरे भारत में 141 से अधिक शाखाओं तक पहुंच गई है। कंपनी ने अब तक 34 करोड़ से अधिक ग्राहकों की सेवा की है, जिसमें 22,000 करोड़ रुपये के दावे किए गए हैं। एसबीआई जनरल 31,600 से अधिक एजेंटों, 28,000+ बैंकिंग टचपॉइंट, 400+ ब्रोकरों, गठबंधनों और डिजिटल भागीदारों के साथ सभी कल्पनीय ग्राहक टचपॉइंट पर मौजूद और उपलब्ध है।

कंपनी ने भारत में स्वास्थ्य बीमा बाजार में एक प्रमुख भागीदार बनने के लक्ष्य के साथ एक स्वतंत्र स्वास्थ्य ऊर्ध्वाधर की स्थापना की। कंपनी का हेल्थ वर्टिकल आज समूह के ग्राहकों सहित 21 लाख सदस्यों की सेवा करता है, और पुणे में स्थित एक व्यापक केंद्रीकृत अंडरराइटिंग और क्लेम सेट-अप है। कंपनी के पास 12,500+ नेटवर्क अस्पताल हैं और वित्त वर्ष 2023 में 4,000 से अधिक स्वास्थ्य एजेंटों को शामिल किया गया है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में 184 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो 40% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार और सम्मान

- 'इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स' द्वारा आयोजित मथर्ड इमर्जिंग एशिया इंश्योरेंस अवार्ड्स में मबेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार।
- 'बेस्ट एथिकल प्रोव्यूरमेंट कंपनी ऑफ द ईयर' का पुरस्कार प्राप्त किया गया।
- इकोनॉमिक टाइम्स इंश्योरेंस 9वें वार्षिक शिखर सम्मेलन और पुरस्कारों में मबेस्ट गैर-जीवन बीमाफ्रेणी में मस्मार्ट बीमाकर्ताफेके रूप में मान्यता प्राप्त।
- मार्कमिन डेली द्वारा प्रस्तुत मबीएसआई 2022-23 में सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हिट)	स्वामित्व का %	(₹ करोड़ में) वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	159.89	100%	31

एसबीआईजीएफएल एक प्रमुख एनबीएफसी कारक है जो एक ही छत के नीचे घरेलू और निर्यात फैक्ट्रिंग सेवाएं प्रदान करता है। यह भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है।

कंपनी की सेवाएं विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के ग्राहकों के लिए बुक ऋण में फंसे संसाधनों को मुक्त करने और आवश्यक तरलता प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं। फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल (एफसीआई) की अपनी सदस्यता के आधार पर, एसबीआईजीएफएल 2-फैक्टर मॉडल के तहत निर्यात प्रारितियों से क्रेडिट जोखिम को कम करने में सक्षम है।

- कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 46.18 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2022 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 43.49 करोड़ रुपये था।

- वित्त वर्ष 2023 के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2022 के लिए 25.26 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ (पीएटी) के मुकाबले 31.17 करोड़ रुपये है।
- मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कारोबार 5,544 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वर्ष के 4,773 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 31 मार्च 2023 को उपयोग में आने वाली निधि (एफएलयू) 31 मार्च 2022 को 1,205 करोड़ रुपये की तुलना में 1,277 करोड़ रुपये है।
- मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए टीआरडीईएस में कारोबार 1,655 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष में 1,737 करोड़ रुपये था



- 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए निर्यात फैक्ट्रिंग -2 फैक्टर मॉडल में कारोबार 40.16 मिलियन यूरो (पिछले वर्ष: यूरो 40.04 मिलियन) के बराबर है। भारतीय रुपये के संदर्भ में, निर्यात कारक कारोबार मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए 338.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष मार्च 2022 में 344.38 करोड़ रुपये था।

एसबीआई लाइफ इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई लाइफ इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड	555	55.45	1,721

एसबीआई लाइफ के पास एक बहु-चैनल वितरण नेटवर्क है, जिसमें एक विशाल बैंकाशियोरेंस चैनल शामिल है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, भारत में सबसे बड़ा बैंकाशियोरेंस भागीदार, 31 मार्च 2023 तक 208,774 एजेंटों वाला एक बड़ा और उत्पादक व्यक्तिगत एजेंट नेटवर्क शामिल है, साथ ही कॉरपोरेट एजेंटों, दलालों, बीमा विपणन फर्मों और अन्य मध्यस्थों के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री और बिक्री सहित अन्य वितरण चैनल शामिल हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक ठोस और स्थिर तरीके से काम किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य बीमा व्यवसाय को बढ़ाना और एक सक्रिय और विवेकपूर्ण रणनीति के साथ गैर-पार बचत और वार्षिकी खंड पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक संतुलित उत्पाद मिश्रण को लक्षित करना था, बिक्री टीम गुणवत्ता के साथ-साथ मात्रा को बनाए रखती है और एक मजबूत बाजार स्थिति स्थापित करती है। कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में निजी बीमाकंपनियों के बीच व्यक्तिगत न्यू बिजनेस प्रीमियम, व्यक्तिगत रेटेड प्रीमियम, टोटल रेटेड प्रीमियम और टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम में नंबर एक स्थान के साथ अपना बाजार नेतृत्व साबित किया है।

कंपनी ने बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) में वर्ष दी वर्ष आधार पर 17.9% की उद्योग वृद्धि की तुलना में वर्ष दी वर्ष आधार पर 16.2% की वृद्धि हुई 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सभी निजी कंपनियों के बीच कुल न्यू बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) में एसबीआई लाइफ की बाजार हिस्सेदारी 21.3% है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का कुल न्यू बिजनेस प्रीमियम 29,589 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत नया व्यवसाय 20,906 करोड़ रुपये और समूह नया व्यवसाय प्रीमियम 8,683 करोड़ रुपये है। कंपनी ने 24.3% की निजी बाजार हिस्सेदारी और 14.5%

की उद्योग बाजार हिस्सेदारी के साथ 15.4% की उद्योग वृद्धि की तुलना में व्यक्तिगत नए व्यवसाय प्रीमियम में 26.7% की वृद्धि देखी गई।

प्रमुख पहल

एसबीआई लाइफ द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उत्पाद:

स्मार्ट प्लेटिना प्लस, लंबी अवधि की आय के साथ एक गारंटीकृत उत्पाद

स्मार्ट एन्युटी प्लस, स्थगित विकल्प के साथ

रिटायर स्मार्ट प्लस, 7 अलग-अलग फंड विकल्पों के के साथ

स्मार्ट लाइफटाइम सेवर, जीवन भर के लिए गारंटीकृत रिटर्न और सुरक्षा

ग्रुप माइक्रो शील्ड, वित्तीय समावेशन के लिए अग्रणी बीमा।

एसबीआई लाइफ ने 23 मार्च को 1,721 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि वाइटीडी में 1,506 करोड़ रुपये था। कंपनी का एयूएम 3 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया और 31 मार्च 2022 को 267,409 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2023 को 307,339 करोड़ रुपये पर 15% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष

2023 के लिए, कंपनी का भारतीय एम्बेडेड मूल्य (आईईवी) 16% की वृद्धि के साथ 46,044 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023 के लिए, नए व्यवसाय का मूल्य (वीओएनबी) 37% की वृद्धि के साथ 5,067 करोड़ रुपये था। वीओएनबी का मार्जिन 30.1% रहा।

वित्त वर्ष 2023 में, कंपनी ने करूर वैश्य बैंक (केवीबी) के साथ करार किया, जिससे एसबीआई लाइफ देश में आपके बैंक की उपस्थिति में बीमा बाजार का विस्तार कर सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पश्चिम बंग ग्रामीण के साथ गठजोड़ से पूर्व में पदचिह्नों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने ग्रामीण बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाने और ग्राहकों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौता भी किया है।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों और सम्मान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- नवभारत बीएफएसआई कॉन्वलेव एंड अवार्ड्स 2022 के दूसरे संस्करण में ममोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्डफ
- टीआईएसएस लीपवॉल सीएलओ अवार्ड्स 2022 में टीम ऑफ द ईयर होने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
- वर्ष के पर्यावरण संरक्षण पहल में स्वर्ण पुरस्कार- एकीकृत स्वास्थ्य और कल्याण (आईएचडब्ल्यू) वार्षिक पुरस्कार।
- फिक्की द्वारा वर्ष 2022 का बीमाकर्ता बीमाकर्ता पुरस्कार से सम्मानित।

अपने प्रमुख उत्तरदायित्वों को सुरक्षित करें, मुक्त जीवन जिएं

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एसबीआईएफएमएल)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	(₹ करोड़ में)
			वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	18.90	62.53	1,331
एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.10	100.00	1
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में	62.53	4

एसबीआई म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (जिसे पहले एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) वित्त वर्ष 2023 में उद्योग के औसत 5.55% के मुकाबले 10.83% से अधिक की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती एएमसी है। पिछले तीन वर्षों में, एसबीआईएफएमएल ने औसत एयूएम वृद्धि के मामले में लगभग 14.45% के उद्योग औसत के मुकाबले 24.29% की सीएजीआर हासिल की है। वित्त वर्ष 2023 में, फंड हाउस ने तीन साल के लिए पहली रैंक की स्थिति को और मजबूत किया है। एसबीआईएफएमएल के पास मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में लगभग 27 लाख नए निवेशक फोलियो के साथ 121.80 लाख से अधिक लाइव निवेशक फोलियो के साथ सबसे बड़े निवेशक आधारों में से एक है। फंड हाउस में 24.15 लाख प्रत्यक्ष लाइव निवेशक और 2.55 लाख से अधिक संस्थागत निवेशक हैं। एसबीआईएफएमएल ने 46.82% बाजार

हिस्सेदारी के साथ देश में ईटीएफ प्रबंधक के रूप में अपनी शीर्ष नेतृत्व स्थिति बनाए रखी है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 1,331.20 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2022 के दौरान अर्जित 1070.65 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी की औसत प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 17.70% की बाजार हिस्सेदारी के साथ 717,161 करोड़ रुपये थीं, जबकि मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 16.86% की बाजार हिस्सेदारी के साथ 647,967 करोड़ रुपये की औसत प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां थीं। कंपनी के पास एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी है अर्थात् एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड, जो मॉरीशस में स्थित है और ऑफशोर फंड का प्रबंधन करती है। एसबीआईएफएमएल पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) भी प्रदान करता है और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) का प्रबंधन करता है।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार और सम्मान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 2022 के लिए फंड अवार्ड्स समारोह में इक्विटी सेक्टर फाइनेंशियल श्रेणी (5 वर्ष) में एसबीआई बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से सम्मानित किया गया।
- एसबीआई मैक्मैन चिल्ड्रन बेनिफिट फंड 2022 के लिए फंड अवार्ड्स समारोह में मिक्स्ड एसेट आईएनआर कंजर्वेटिव (5 और 10 साल) में विजेता रहा।
- एसबीआई मैक्मैन गिल्ट फंड-ग्रोथ 2022 के लिए फंड अवार्ड्स समारोह में इन-बॉन्ड आईएनआर सरकारी श्रेणी (10 वर्ष) में विजेता था।
- एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड 2022 के लिए फंड अवार्ड्स समारोह में ओवरऑल ग्रुप अवार्ड के तहत विजेता था।
- एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड 2022 के लिए फंड अवार्ड्स समारोह में मिश्रित परिसंपत्ति समूह के तहत विजेता था

एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईपीएफपीएल)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	(₹ करोड़ में)
			वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड *	18	60	54

*एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड की कंपनी में 20-20% इक्विटी है

एसबीआईपीएफपीएल को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन कोष का प्रबंधन करने के लिए पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआईपीएफपीएल केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और राज्य

सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियुक्त तीन पीएफएम में से एक है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 53.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 31 मार्च, 2023 को 2,82,476 करोड़ रुपये की तुलना में 3,39,006 करोड़ रुपये (वर्ष-दर-वर्ष 20.01 प्रतिशत की वृद्धि) है। कंपनी 37.71% की बाजार हिस्सेदारी के साथ एयूएम के मामले में 10 पीएफएम के बीच अग्रणी स्थिति बनाए रखती है।

एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई पेमेंट्स)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	(₹ करोड़ में)
			वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई पेमेंट्स	4.50	74	159

एसबीआई पेमेंट्स देश के सबसे बड़े अधिग्रहणकर्ताओं में से एक है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक 2.93 मिलियन से अधिक मर्चेन्ट पेमेंट एक्सेप्टेंस टच पॉइंट और 1.14 मिलियन से अधिक पीओएस मशीनें हैं, जो भौगोलिक क्षेत्रों (टियर 1 से टियर 6) में वितरित की गई हैं।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के सरकार के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने और डिजिटल भुगतान को

बढ़ावा देने के लिए, एसबीआई पेमेंट्स ने कई राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण परियोजनाओं के लिए योनो एसबीआई मर्चेन्ट एप्लिकेशन (सॉफ्टपीओएस) के माध्यम से ई-यूपीआई प्रीपेड वाउचर की स्वीकृति की सुविधा प्रदान की है। मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग के लिए मौजूदा चैनलों के अलावा, कंपनी ने पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रमुख भुगतान सुविधाप्रदाताओं के साथ साझेदारी शुरू कर दी

है। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य प्रमुख पहलों में योनो एसबीआई मर्चेन्ट एप्लिकेशन (सॉफ्टपीओएस) पर सेल्फ-ऑनबोर्डिंग कार्यक्षमता का शुभारंभ, मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर 26 टोल प्लाजा का अधिग्रहण, उपयोगिता बिलों के लिए डिजिटलीकरण भुगतान संग्रह के लिए विभिन्न व्यापारी श्रेणियों के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करना, मंदिर टिकट बुकिंग मंदिर दान शामिल हैं। आदि, और व्हाट्सएप सर्विसिंग की शुरुआत जो व्यापारियों को सीधे व्हाट्सएप आदि के माध्यम से अपने पीओएस टर्मिनलों के लिए सेवा अनुरोध उठाने की अनुमति देती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 159.34 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई-एसजी)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	(₹ करोड़ में)
			वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	52	65	88

एसबीआई-एसजी भारतीय स्टेट बैंक और सोसाइटी गेनेरले के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की 65% इक्विटी हिस्सेदारी है। कंपनी ने 2010 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया और घरेलू (एमएफ, एआईएफ, पीएमएस, बैंकों, कॉर्पोरेट्स) और विदेशी निवेशकों (एफपीआई, एफडीआई, एफवीसीआई) को क्लियरिंग और निपटान, नकदी और विदेशी मुद्रा समाधान, परिसंपत्ति सर्विसिंग, डेरिवेटिव क्लियरिंग, गोल्ड ईटीएफ के लिए गोल्ड कस्टडी पर एंड-टू-एंड समर्थन के साथ कस्टोडियन सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी 31 मार्च, 2023 तक 15,29,613 करोड़ रुपये की एयूसी (अभिरक्षा के तहत संपत्ति) और 11,33,448 करोड़ रुपये की एयूए (प्रशासन के तहत संपत्ति) का प्रबंधन कर रही है। वित्त वर्ष 2023 के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 87.55 करोड़ रुपये है।

एसबीआई-एसजी एआईएफ खिलाड़ियों को कस्टडी और फंड अकाउंटिंग सेवाएं प्रदान करके एसबीआई समूह की समग्र स्टार्ट-अप रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एसबीआई-एसजी उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को बनाए रखता है जैसा कि आईएसई 3402, आईएसओ 27001: 2013 और आईएसओ 9001 जैसे विभिन्न प्रमाणपत्रों से पता चलता है:

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों और सम्मान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक प्रसिद्ध पत्रिका ग्लोबल कस्टोडियन द्वारा एजेंट बैंक इमर्जिंग मार्केट्स सर्वे-2022 में मार्केट आउटपरफॉर्मर, ग्लोबल आउटपरफॉर्मर और कैटेगरी आउटपरफॉर्मर के रूप में रेट किया गया है।
- लीडर्स इन कस्टडी कार्यक्रम में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया।
- एशिया एसेट मैनेजमेंट के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार समारोह में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थानीय संरक्षक पुरस्कार प्राप्त किया।



स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीओएसएस)

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 23 में शुद्ध लाभ (हानि)
स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	10	100	3

स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीओएसएस) एसबीआई की आरयूएसयू शाखाओं में परिचालन सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए आरबीआई की मंजूरी के साथ जुलाई 2022 में स्थापित एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसबीओएसएस का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। सहायक कंपनी एसबीआई को कृषि/एमएसएमई/माइक्रो लोन में सहायता सेवाएं प्रदान करती है और एसबीआई के कॉर्पोरेट बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट के रूप में भी काम करेगी।

एसबीओएसएस प्रतिस्पर्धी लागत पर ग्राहकों को डोरस्टेप सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी

सहायता के साथ आपके बैंक की ठण्डा शाखाओं में फीट-ऑन-स्ट्रीट (ब्रज्ड) तैनात करता है। यह आपके बैंक के 17 सर्किलों में 5000 से अधिक आरयूएसयू शाखाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। यह अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के एक भाग के रूप में उपयुक्त क्रेडिट लिंकेज के प्रावधान के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करता है।

कंपनी ने एग्री और एसएमई सेगमेंट में परिचालन के लिए बहुआयामी समर्थन प्रदान करने के लिए एक मजबूत पैन इंडिया हाई टेक, हाई टच और लो कॉस्ट मॉडल विकसित किया है।



भारत के 'सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट 2022' अवार्ड से सम्मानित

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए)

भारतीय प्रतिभूति विनियम (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम 2018 के अनुपालन के संदर्भ में, नीचे दिए गए विवरणों के अनुपालन निम्नलिखित अनुपात 25% से अधिक का परिवर्तन हुआ है:

(% में)	मार्च 22	मार्च 23	अंतर (बीपीएस)	% परिवर्तन
शुद्ध लाभ मार्जिन	10.02	13.62	360	35.92
ठजए	13.92	19.43	551	39.60

शुद्ध लाभ मार्जिन:

शुद्ध लाभ में 58.58% की वृद्धि दर्ज की गई है (वित्त वर्ष 2022 में 31,676 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ से वित्त वर्ष 2023 में 50,232 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ) जबकि कुल आय में 16.68% की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2022 में 3,16,021 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2023 में 3,68,719 करोड़ रुपए)।

नेट वर्थ पर प्रतिलाभ (आरओई):

शुद्ध लाभ में 58.58% की वृद्धि दर्ज की गई है (वित्त वर्ष 2022 में 31,676 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ से वित्त वर्ष 2023 में 50,232 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ) जबकि आपके बैंक के नेटवर्थ में 14.99% की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2022 में 2,40,502 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2023 में 2,76,563 करोड़ रुपए)।

उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक बोर्ड एतद्वारा सूचित करता है कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखमानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन और निरंतर प्रयोग किया है और उचित एवं

विवेकपूर्ण निर्णय व प्राकलन किए हैं, ताकि 31 मार्च 2023 तक अपने बैंक के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक के लाभ एवं हानि का एक सच्चा व उचित दृष्टिकोण दिया जा सके;

- iii. उन्होंने आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है ;
- iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;
- v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं
- vi. सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा ऐसी प्रणाली पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से काम कर रही है।

आभार

वर्ष के दौरान, श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक, 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुए और श्री आलोक कुमार चौधरी को 7 जून 2022 से बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. विवेक जोशी को 15 नवंबर 2022 से एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ई) के तहत श्री संजय मल्होत्रा के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया गया। श्री संजीव माहेश्वरी अपना कार्यकाल पूरा होने पर 19 दिसंबर 2022 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए।

निदेशक बोर्ड ने श्री अश्वनी भाटिया, श्री संजय मल्होत्रा और श्री संजीव माहेश्वरी द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना की।

निदेशक श्री आलोक कुमार चौधरी और डॉ विवेक जोशी का बोर्ड में नए निदेशकों के रूप में स्वागत करते हैं।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की।

निदेशकों ने सभी मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्टॉक एक्सचेंजों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया तथा इस अवसर पर बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

अध्यक्ष

18 मई 2023



કોર્પોરેટ અભિશાસન રિપોર્ટ

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में, अक्षरशः और भावना से सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने से कहीं अधिक है। सुशासन, प्रभावी प्रबंधन और व्यापार के नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, बैंक को उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- शेयरधारक मूल्य की रक्षा और वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करना।
- संचार में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करना और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- दूसरों के अनुकरण के लिए उच्चतम मानक का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- रणनीतिक नियंत्रण का एक ढाँचा स्थापित करना और इसकी प्रभावकारिता की लगातार समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन और समीक्षा, निर्णय लेने, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट रूप से प्रलेखित और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्थापना।

- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएं, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभानी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों द्वारा भी निर्देशित होते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार बैंक ने कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल कुछ मामले अपवाद हैं, जहां इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और एसबीआई सामान्य विनियम 1955 तथा भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड: भूमिका और संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट अधिनियम 1955) द्वारा हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड एसबीआई अधिनियम और विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यों को पूरा करता है और उससे अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में अन्य बातों के अलावा,

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की देखरेख करना शामिल है,
- अपने व्यापार और नियंत्रण तंत्र की अखंडता की निगरानी करना,
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- अपने हितधारकों के हितों को बढ़ाना।

केंद्रीय बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ए) के तहत नियुक्त किए गए हैं; एसबीआई अधिनियम की धारा 19(बी) के तहत चार प्रबंध निदेशकों को भी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2022 तक बोर्ड के आठ अन्य निदेशक थे जो प्रौद्योगिकी, लेखा, वित्त, अर्थशास्त्र और अकादमिक का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात पेशेवर हैं। 31 मार्च 2022 तक केंद्रीय बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी :

- धारा 19(क) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19(ख) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा चुने गए चार निदेशक,
- धारा 19(घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक,
- धारा 19(ड.) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक,
- और धारा 19(च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर नामित एक निदेशक।

बोर्ड का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उस सीमा तक ही है कि वह एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलब्धक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलब्धक - II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलब्धक - III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड को एक वर्ष में कम से कम छह बार बैठक करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, पंद्रह केंद्रीय बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं। निदेशकों की बैठकों और उपस्थिति की तारीखें निम्नानुसार हैं:

2022-23 के दौरान बोर्ड बैठकों में निदेशकों की तिथियां और उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 15

बैठकों की तारीखें: 11.04.2022, 27.04.2022, 13.05.2022, 22.06.2022, 20.07.2022, 06.08.2022, 17.09.2022, 10.10.2022, 05.11.2022, 14.12.2022, 23.12.2022, 23.01.2023, 03.02.2023, 04.03.2023, 29.03.2023

निदेशक का नाम	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष	15	15
डॉ. श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी	15	15
श्री अश्वनी भाटिया, एमडी (31.05.2022 तक)	03	02
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	15	13
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	15	15
श्री आलोक कुमार चौधरी, एमडी (दिनांक 07.06.2022 से)	12	12
श्री बी वेणुगोपाल	15	15
डॉ. गणेश जी. नटराजन	15	12
श्री केतन एस. विक्रमसे	15	15
श्री मृगांक एम. परांजपे	15	12
श्री संजीव माहेश्वरी (19.12.2022 तक)	10	09
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड	15	15
श्री संजय मल्होत्रा (15.11.2022 तक)	09	02
डॉ विवेक जोशी (15.11.2022 से)	06	04
श्री अनिल कुमार शर्मा	15	07

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति

केंद्रीय बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारी समिति का गठन एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के सामान्य विनियम (46 और 47) में यह प्रावधान है कि, केन्द्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा निदेश के अधीन ईसीसीबी केन्द्रीय बोर्ड की क्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले से निपट सकते हैं। एसबीआई अधिनियम के अनुसार,

ईसीसीबी में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (एफ) के तहत नामित निदेशक और सभी या अन्य निदेशक जो सामान्य रूप से निवासी हैं, या कुछ समय के लिए भारत के भीतर कोई भी स्थान जहां बैठक आयोजित की जाती है उपस्थित हो सकते हैं।

इसके अलावा, बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस-निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन पर आरबीआई के 26 अप्रैल 2021

के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसबीआई का अध्यक्ष ईसीसीबी का हिस्सा नहीं है। ईसीसीबी की बैठकें एसबीआई अधिनियम के अनुसार साप्ताहिक अंतराल में आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, ईसीसीबी की 52 बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2022-23 के दौरान ईसीसीबी बैठकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2022-23 के दौरान ईसीसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

बैठकों की संख्या : 52

निदेशक	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष	52	51
डॉ. श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी	52	47
श्री अश्वनी भाटिया, एमडी (31.05.2022 तक)	08	06
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	52	43
श्री अश्वनी कुमार तिवारी, एमडी	52	44
श्री आलोक कुमार चौधरी, एमडी (दिनांक 07.06.2022 से)	43	37
श्री बी वेणुगोपाल	52	42
श्री मृगांक एम. परांजपे	52	37
श्री संजीव माहेश्वरी (19.12.2022 तक)	37	26
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	52	43
श्री अनिल कुमार शर्मा	52	23
निदेशक जो आम तौर पर बैठक के स्थान के निवासी नहीं हैं, लेकिन उस दिन उस स्थान पर मौजूद थे जहां बैठक आयोजित की गई थी / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था:		
डॉ. गणेश नटराजन	-	37

अन्य बोर्ड स्तर की समितियां:

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियमों, 1955 और सरकार/आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड की अन्य नौ बोर्ड-स्तरीय समितियां गठित की हैं। ये हैं - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की हितधारकों की संबंध सह ग्राहक सेवा समिति, बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, आईटी रणनीति समिति, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति तथा आदतन चूककर्ताओं/सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति। ये समितियां ऑडिट और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का समाधान, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा और ग्राहक शिकायतों के निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां, ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी, आदतन चूककर्ताओं/सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान समीक्षा जैसे मुख्य कार्यों पर बोर्ड की निगरानी हेतु प्रभावी प्रोफेशनल सहयोग उपलब्ध कराती हैं और निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की योग्य एवं पात्र स्थिति का निर्धारण करने में मदद

करती हैं। यद्यपि नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है, अन्य समितियां केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षाओं के कैलेंडर के अनुसार नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और/या डोमेन प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से आमतौर पर तिमाही में एक बार बैठक करती हैं। समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष अधिकारियों की सेवाएं लेने के अलावा आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है।

समितियों की बैठकों में हुई चर्चाओं के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट एवं कार्यविवरण और कार्यवाहियों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड (एसबीआई) की लेखा परीक्षा समिति का गठन 27 जुलाई 1994 को किया गया था और अंतिम बार 23 दिसंबर 2022 को फिर से गठित किया गया था। एसबीआई आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है और सेबी (सूचिकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों का इस हद तक अनुपालन करता है कि वे आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

एसबीआई के कार्य

- एसबीआई द्वारा बैंक में कुल ऑडिट कार्य के संचालन की देखरेख करने के साथ साथ निर्देश भी प्रदान किया जाता है। समस्त लेखापरीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और निरीक्षण के संचालन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण के अलावा सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा, आरबीआई निरीक्षण के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की भी नियुक्ति करता है और समय-समय पर उनके प्रदर्शन की समीक्षा करता है।
- एसबीआई द्वारा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा नीतियों और लेखा नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा की जाती है।
- एसबीआई द्वारा बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा योजना और कार्यों की समीक्षा के साथ ही अनुवर्तन (फॉलोअप) के संदर्भ में प्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा भी की जाती है। यह विशेष रूप से, निम्नलिखित के

अनुवर्तन (फॉलोअप) कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करती है :

- केवाईसी-एएमएल दिशानिर्देश;
- हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का अनुपालन। सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम, 2018 के अनुरूप 06.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों और भूमिका की समीक्षा की गई थी, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी थे।

IV. यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करता है।

V. एसीबी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत आरबीआई के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में उठाए गए सभी मुद्दों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की दीर्घकालिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर नजर रखती है। यह वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति के एक औपचारिक 'लेखा परीक्षा चार्टर' या 'विचारार्थ विषय' को अनुमोदित किया गया है और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षाओं का एक कैलेंडर भी मौजूद है, जिसे 27 अप्रैल 2022 से लागू अंतिम संशोधन के रूप में आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

2022-23 के दौरान संरचना और उपस्थिति

एसीबी में 31.03.2023 तक सदस्यों के रूप में पांच गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। एसीबी का एक नियमित अध्यक्ष होता है और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार संरचना और कोरम अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है। वर्ष के दौरान, आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों और प्रक्रियाओं और आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकतानुसार अन्य पहलुओं से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए एसीबी की बारह बैठकें आयोजित की गई थीं।

2022-23 के दौरान एसीबी की बैठकों की तिथियां और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 12

बैठकों की तारीखें : 13.04.2022, 12.05.2022, 15.06.2022, 13.07.2022, 05.08.2022, 07.09.2022, 03.10.2022, 04.11.2022, 07.12.2022, 04.01.2023, 03.02.2023, 15.03.2023

निदेशक	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री केतन एस. विक्रमसी(समिति के अध्यक्ष)	12	12
श्री बी वेणुगोपाल	12	11
डॉ. गणेश नटराजन	12	06
श्री मृगांक एम. परांजपे	12	11
श्री संजीव माहेश्वरी (19.12.2022 तक सदस्य)	09	07
श्री अनिल कुमार शर्मा (23.12.2022 से सदस्य)	03	00

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च, 2004 को नीति, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन कार्यनीति की निगरानी के लिए किया गया था।

समिति को पिछले बार 23 दिसंबर 2022 को पुनर्गठित किया गया था और इसमें सात सदस्य हैं। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक समिति का अध्यक्ष होता है। आरएमसीबी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार, प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, आरएमसीबी की छह बैठकें आयोजित की गई थीं। आरएमसीबी के विचारार्थ विषयों और भूमिका की समीक्षा केंद्रीय बोर्ड द्वारा 06.03.2019 को सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम, 2018 के अनुरूप की गई थी जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी थे।

2022-23 के दौरान आरएमसीबी की बैठकों की तिथियां और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 06

बैठकों की तिथियां : 17.06.2022, 02.09.2022, 04.10.2022, 29.11.2022, 24.01.2023, 24.03.2023

निदेशक का नाम	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री मृगांक एम परांजपे (समिति के अध्यक्ष)	06	06
श्री अश्विनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (31.05.2022 तक सदस्य)	00	00
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	06	01
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक, (सदस्य दिनांक 07.06.2022 से)	06	05
श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी, एमडी (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	--	01
श्री आलोक कुमार चौधरी, एमडी (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	--	04
श्री बी वेणुगोपाल	06	04
डॉ. गणेश नटराजन	06	03
श्री केतन एस. विकमसी	06	06
श्री संजीव माहेश्वरी (19.12.2022 तक सदस्य)	04	04
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	06	06

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में, हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) जिसे पहले शेयरधारकों/बोर्ड की निवेशक शिकायत समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जाना जाता था, का गठन 30 जनवरी 2001 को शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, बांड पर ब्याज, लाभांश आदि प्राप्त न होने के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों

की शिकायतों के निवारण की जांच करने के लिए किया गया था। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर आधार पर सुधार लाने के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त, 2004 को किया गया था। 11 जून, 2020 को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर आरबीआई के चर्चा पत्र में व्यक्त किए गए विचार के अनुरूप और बोर्ड स्तर की समितियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से, हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) के विलय को केंद्रीय बोर्ड द्वारा 25.06.2020

को अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था और विलय की गई समिति को हितधारक संबंध समिति सह बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के रूप में नामित किया गया था और यह 26.06.2020 से प्रभावी हो गई। समिति को पिछले बार 23 दिसंबर 2022 को पुनर्गठित किया गया था और इसमें छह सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना और इसकी भूमिका सेबी विनियमों का अनुपालन करती है। समिति यानी हितधारक संबंध समिति सह बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति ने 2022-23 के दौरान चार बार बैठक की।

2022-23 के दौरान आयोजित एसआरसी सह सीएससीबी की बैठकों की तिथियां और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियां : 14.06.2022, 19.09.2022, 20.12.2022, 14.03.2023

निदेशक का नाम	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री बी वेणुगोपाल, समिति के अध्यक्ष	04	04
डॉ. गणेश नटराजन	04	03
श्री केतन एस. विकमसी	04	04
श्री संजीव माहेश्वरी (19.12.2022 तक)	02	02
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	04	01
श्री श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी	04	03
श्री स्वामीनाथन जे, प्रबंध निदेशक (21.06.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री आलोक कुमार चौधरी (22.06.2022 से सदस्य)	03	03

वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या: 289
 शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप निवारण न होना: शून्य
 लंबित शिकायतों की संख्या: (शिकायतें जो न्यायाधीन हैं): शून्य
 अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम: श्रीमती सीमा देवी (एजीएम अनुपालन और कंपनी सचिव)

बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों (एससीबीएमएफ) की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन 29 मार्च, 2004 को किया गया था।

समिति का मुख्य कार्य सभी बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना है

ताकि प्रणालीगत कमियों की पहचान और रिपोर्टिंग में देरी के कारणों का पता चल सके, यदि कोई हो, सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति की निगरानी की जा सके, वसूली की स्थिति, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों की जवाबदेही प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए, धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई

की प्रभावकारिता की समीक्षा करना और उपयुक्त निवारक उपायों को लागू करना है।

समिति को पिछले बार 23 दिसंबर 2022 को पुनर्गठित किया गया था और इसमें छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। समिति ने 2022-23 के दौरान छह बार बैठक की:

2022-23 के दौरान (एससीबीएमएफ) की बैठकों की तिथियां और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तारीखें : 17.05.2022, 23.06.2022, 17.08.2022, 26.09.2022, 06.12.2022, 16.02.2023

निदेशक का नाम	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री संजीव माहेश्वरी (समिति के अध्यक्ष 19.12.2022 तक)	05	05
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.12.2022 से समिति के अध्यक्ष)	06	06
श्री बी वेणुगोपाल (21.06.2022 तक सदस्य)	01	01
डॉ. गणेश नटराजन (23.12.2022 से सदस्य)	01	01
श्री केतन एस. विकमसी	06	05
श्री मृगांक एम. परांजपे (22.06.2022 से सदस्य)	05	03
श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी, एमडी (21.06.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री स्वामीनाथन जे, प्रबंध निदेशक (21.06.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	--	01
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (22.06.2022 से सदस्य)	05	04
श्री आलोक कुमार चौधरी, एमडी (सदस्य दिनांक 22.06.2022 से)	05	04

बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से, बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त, 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया। प्रौद्योगिकी समिति का नाम बदलकर 24 अक्टूबर, 2011 से बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका निभाई है। समिति की निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं:

(i) आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेजों को अनुमोदन देना, यह सुनिश्चित करना कि

प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और इसकी दिशा का पूरक है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और बजट स्वीकार्य हैं;

(iv) आईटी जोखिमों की प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और बैंक स्तर पर आईटी के कुल निवेश की देखरेख करना; और

(v) आईटी प्रदर्शन मापना और व्यवसायों में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात् वादा किए गए मूल्य को वितरित करना)।

समिति को पिछले बार 23 दिसंबर 2022 को छह सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति ने 2022-23 के दौरान पांच बार बैठक की।

कॉर्पोरेट अभिशासन

2022-23 के दौरान आयोजित आईटीएससी की बैठकों की तिथियां और निदेशकों की उपस्थिति

बैठकों की संख्या : 5

बैठकों की तिथियां : 24.05.2022, 23.08.2022, 27.10.2022, 12.12.2022, 06.03.2023

निदेशक का नाम	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
डॉ. गणेश नटराजन, समिति के अध्यक्ष	05	05
श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी, एमडी (22.06.2022 से सदस्य)	04	04
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी (21.06.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	05	04
श्री बी वेणुगोपाल	05	04
श्री केतन एस. विक्रमसी	05	05
श्री मृगांक एम. परांजपे (21.06.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड	05	05

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन 24 सितंबर 2014 को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक

द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के उपाय के रूप में की गई थी। समिति को पिछले बार 23 दिसंबर 2022 को पुनर्गठित किया गया था और इसमें

छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

2022-23 के दौरान आयोजित सीएसआरसी की बैठकों की तिथियां और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 05

बैठकों की तिथियां : 19.04.2022, 11.08.2022, 01.11.2022, 06.12.2022, 13.02.2023

निदेशक का नाम	नामांकन/निर्वाचन के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी, एमडी (समिति के अध्यक्ष)	05	04
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (31.05.2022 तक)	01	01
श्री आलोक कुमार चौधरी, एमडी (22.06.2022 से सदस्य)	04	03
श्री स्वामीनाथन जे (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	01
श्री बी वेणुगोपाल	05	04
डॉ. गणेश नटराजन	05	03
श्री केतन एस. विक्रमसी (21.06.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री मृगांक एम. परांजपे	05	03
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड	05	05

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरबीआई ने अपने मास्टर निदेश डीबीआर एपीपीटी सं. 9/29.67.001/ 2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार ने अपने पत्र सं एफ. संख्या 16/19/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति

(एनआरसी) का गठन करने का निर्देश दिया है और तदनुसार 25 अक्टूबर, 2019 से एक एनआरसी का गठन किया गया था।

समिति आवश्यक सावधानी बरतती है और शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की 'योग्य एवं पात्र' स्थिति पर पहुंचती है। इसके अतिरिक्त, एनआरसी, अन्य बातों के

साथ-साथ, बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड/फ्रेमवर्क भी तैयार करता है। समिति का पिछला पुनर्गठन 23 दिसंबर 2022 को किया गया था। समिति में चार गैर-कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है। वित्त वर्ष 2022-23 में एनआरसी की एक बार बैठक हुई थी।

2022-23 के दौरान आयोजित एनआरसी की बैठकों की तिथियां और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 1

बैठक की तिथि : 07.12.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/निर्वाचन/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री बी वेणुगोपाल (समिति के अध्यक्ष)	01	01
डॉ. गणेश नटराजन	01	01
श्री केतन एस. विक्रमसी	01	01
श्री मृगांक एम. परांजपे	01	01
श्री संजीव माहेश्वरी (19.12.2022 तक सदस्य)	01	01

वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति

भारत सरकार की निदेशानुसार, ऋणों और अग्रिमों की वसूली की निगरानी के लिए केंद्रीय बोर्ड द्वारा 20 दिसंबर, 2012 को आयोजित बैठक में वसूली की निगरानी के लिए एक बोर्ड समिति का गठन किया गया था। समिति का पिछला पुनर्गठन 23 दिसंबर 2022 को किया गया था। इसमें दस सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और भारत सरकार के नामित निदेशक सहित चार गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। समिति ने वर्ष के दौरान पांच बार बैठकों की और बैंक के बड़े एनपीए खातों और समग्र एनपीए प्रबंधन की समीक्षा की।

इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी उधारकर्ता की पहचान के लिए समीक्षा समिति

समिति का गठन केंद्रीय बोर्ड द्वारा 17 मई 2016 को आयोजित अपनी बैठक में आरबीआई के निर्देशों के अनुसार किया गया था। प्रबंध निदेशक - जोखिम, अनुपालन और एसएआरजी समिति के अध्यक्ष हैं, और चार गैर-कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान के लिए समिति (तथ्यों की जांच करने और उधारकर्ता के इरादतन चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ता होने के तथ्य को रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के उप प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारियों की

एक समिति) के आदेश की समीक्षा करना है और आदेश को अंतिम माने जाने के लिए इसकी पुष्टि करना है।

समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान आठ बैठकों की।

स्थानीय बोर्ड

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक केंद्र पर जहां बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, स्थानीय बोर्डों के स्थानीय बोर्ड/ समितियां कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए और सुपुर्द किए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करते हैं। 31 मार्च 2023 तक, दो एलएचओ में स्थानीय बोर्ड और शेष पंद्रह पर स्थानीय बोर्डों की समितियां कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/ स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त और कार्यवाहियों को केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

सहभागिता फीस

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक के गैर-कार्यकारी गैर-आधिकारिक निदेशकों को बोर्ड की/बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई

पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। सिरिंग फीस की राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होती है और बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। 25 अक्टूबर 2019 से, केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपये और अन्य बोर्ड स्तर की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपये का बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए सिरिंग फीस का विवरण अनुलब्धक-IV में रखा गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलब्धक-V में रखी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध की गई है।

वर्ष के दौरान की गतिविधियां

- वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के लिए कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसमें ईएसजी, विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण वितरण, सूचना सुरक्षा आदि जैसे वित्तीय क्षेत्र के उभरते विषय शामिल थे। इसके अलावा, बोर्ड के सदस्यों को व्यावसायिक समूहों, बैंक की सहायक कंपनियों, आईटी विकास, आईटी और साइबर सुरक्षा, मानव संसाधन और प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथुरेंस

कार्य आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही कार्यनीतियों के विषय में भी जानकारी दी गई। निदेशक मंडल के समक्ष दी गई कुछ प्रस्तुतियों में शामिल हैं:

- साइबर सुरक्षा पर प्रस्तुति: घटनाएं और अभिशासन
- टी-बिल से जुड़े मूल्य निर्धारण पर प्रस्तुति
- बैंकिंग और वित्तीय बाजारों के उभरते परिदृश्य पर प्रस्तुति
- रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, इस्पात उद्योग आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रस्तुति।
- क्रिसिल द्वारा एनबीएफसी क्षेत्र पर प्रस्तुति
- विद्युत वितरण उपयोगिताओं पर प्रस्तुति
- ऑप्टिकल फाइबर पर 5जी के प्रभाव पर प्रस्तुति
- एआई/एमएल आधारित प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) पर प्रस्तुति

निदेशकों ने वर्ष के दौरान भारत सरकार और आईडीआरबीटी/सीएफआरएल (आरबीआई द्वारा प्रायोजित) जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा आयोजित सेमिनारों/बैठकों में भी सहभागिता की।

2. बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन: कॉर्पोरेट अभिशासन में लगातार सुधार के उद्देश्य

से, एक प्रतिष्ठित बाहरी परामर्श संगठन ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तर की समितियों और केंद्रीय बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मापदंडों को निर्धारित करने में बैंक की सहायता की, और प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाया। मूल्यांकन और समग्र प्रक्रिया के मापदंडों को सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और बोर्ड मूल्यांकन पर नए सेबी मार्गदर्शन नोट, 2017 के प्रावधानों के साथ संरेखित किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूरी की गई।

बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन ने बैंक के अभिशासन मूल्यों, निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के बीच तालमेल और सहयोग में निदेशक मंडल के विश्वास को बल दिया है।

3. गतिशील वित्तीय क्षेत्र के माहौल में आगे रहने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए बैंक के प्रयास को ध्यान में रखते हुए, 9 और 10 जनवरी 2023 को कोवलम, तिरुवनंतपुरम में एक कार्यनीति कार्यशाला (विजन 2027) का आयोजन किया गया था ताकि बोर्ड के सदस्यों और बैंक के शीर्ष प्रबंधन को वित्तीय क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्ति के साथ संरेखित रखा जा सके और आगे का रास्ता तय किया जा सके। कार्यशाला का मुख्य

उद्देश्य उभरते आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक चुनौतियों, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों और नए युग के खिलाड़ियों के सामने आने वाली उभरती चुनौतियों पर जोर देने के साथ मौजूदा पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक की रणनीति पर मंथन और विचार-विमर्श करना था ताकि बैंक अग्रणी बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम हो सके।

4. तदनुसार, डिजिटल बैंकिंग और परिवर्तन, लेनदेन बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट, जलवायु वित्त, ट्रेजरी बुक और बैलेंस शीट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कृषि और संबद्ध व्यवसाय, एमएसएमई व्यवसाय, खुदरा और धन व्यवसाय, आईटी और एनॉलिटिक्स, सहायक कंपनियों द्वारा मूल्य निर्माण, दबावग्रस्त आस्तियों, ग्राहक अनुभूति संवर्धन, मानव संसाधन, एथुरेंस कार्य आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा निदेशक मंडल की दी गई। बोर्ड ने कार्यशाला के दौरान उचित रणनीतियों को निर्धारित किया और व्यापार विकास और प्रमुख वित्तीय मापदंडों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए।
5. कार्यनीति कार्यशाला के दौरान, वित्तीय क्षेत्र पर एक प्रसिद्ध वक्ता ने प्रतिभागियों को देश में लगातार विकसित हो रही बैंकिंग सेवाएं और इसके आगे बढ़ने की संभावना पर भी संबोधित किया, जिससे प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

वित्त वर्ष 2022-23 में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को भुगतान किया गया वेतन और भत्ते (₹)

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य	कुल	अवधि
दिनेश कुमार खारा	2700000.00	999000.00		3699000.00	01.04.2022 से 31.03.2023
चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	2634300.00	974886.00	100234.00	3709420.00	01.04.2022 से 31.03.2023
अश्वनी भाटिया	423200.00	143888.00		567088.00	01.04.2022 से 31.05.2022
स्वामीनाथन जानकीरामन	2611870.96	967118.97		3578989.93	01.04.2022 से 31.03.2023
अश्विनी कुमार तिवारी	2611870.96	967118.97		3578989.93	01.04.2022 से 31.03.2023
आलोक कुमार चौधरी	2067020.01	778894.80	3850.00	2849764.81	07.06.2022 से 31.03.2023

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

बैंक की वार्षिक महासभा (एजीएम) आम तौर पर मुंबई में आयोजित की जाती है जहां बैंक का कॉर्पोरेट केंद्र स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अनुसार, केवल एक एजेंडा अर्थात् पिछले 31 मार्च तक के बैंक के तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते पर चर्चा करना और उसे अपनाना, निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट महासभा में शेयरधारकों के समक्ष रखी जाती है। एसबीआई अधिनियम, 1955 और एसबीआई जनरल विनियम, 1955 डाक मतपत्र सुविधा प्रदान नहीं करते हैं।

बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभा (एजीएम) का ब्यौरा निम्नानुसार है

- (i) वर्ष 2021-22 के लिए एजीएम 22 जून 2022 को मुंबई में वीसी/ओएवीएम द्वारा दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई थी और कोविड-19 महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूट के अनुसार शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई थी। निम्नलिखित निदेशकों ने बैठक में भाग लिया: (i) श्री दिनेश कुमार खारा (ii) श्री चला श्रीनिवासुलु शेट्टी (iii) श्री स्वामीनाथन जे (iv) श्री अश्विनी कुमार तिवारी (v) श्री आलोक कुमार चौधरी (vi) श्री बी वेणुगोपाल (vii) डॉ गणेश नटराजन (viii) श्री केतन एस विक्रमसी (ix) श्री मृगांक एम. परांजपे (x) श्री संजीव माहेश्वरी (xi) श्री प्रफुल्ल पी. छाजेड (xii) श्री अनिल कुमार शर्मा।
- (ii) वर्ष 2020-21 के लिए एजीएम 25 जून, 2021 को मुंबई में वीसी/ओएवीएम द्वारा दोपहर 03.00 बजे आयोजित की गई थी और कोविड-19 महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूट के अनुसार शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई थी।

- (iii) वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम 14 जुलाई, 2020 को सुबह 11.00 बजे वीसी/ओएवीएम द्वारा मुंबई में आयोजित की गई थी और कोविड-19 महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूट के अनुसार शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई थी।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रमोटर्स, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जो बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।
2. बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, आरबीआई या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है। उनके द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई है।
3. लोक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के दिनांक 04.11.2011 के परिपत्र के माध्यम से आपके बैंक में व्हिसल ब्लोअर नीति शुरू की गई थी। उक्त नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 धोखाधड़ी या बैंक की सदाचार संहिता या आचरण नीति के उल्लंघन पर प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी नामक एक तंत्र की स्थापना का आदेश देता है। नीति को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति के संदर्भ में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तक किसी भी कार्मिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया गया।
4. संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर नीति और महत्वपूर्ण अनुबंधों के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध है।

[co.in](https://bank.sbi) या <https://bank.sbi> पर <https://sbi.co.in/web/investor-relations/disclosureunderregulation-46> अथवा <https://bank.sbi/web/investor-relations/disclosureunderregulation-46> लिंक के तहत उपलब्ध है।

5. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(9) के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने दिनांक 27.04.2022 की बैठक में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) के तहत स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणा और पुष्टि को रिकॉर्ड में लिया है और स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) के तहत विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
6. सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची II के भाग ई में विनिर्दिष्ट विवेकाधीन अपेक्षाएं विनियम इस प्रकार हैं: (i) बैंक का एक कार्यकारी अध्यक्ष है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ए) के तहत नियुक्त किया गया है (ii) बैंक अपने निवेशकों / विश्लेषकों के लिए तिमाही आधार पर वित्तीय प्रदर्शन पर प्रस्तुति तैयार करता है और उसकी प्रति निवेशकों की जानकारी के लिए दो स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करता है और बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उसे उपलब्ध कराता है (iii) बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एक घोषणा प्रस्तुत की है कि बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने असंशोधित अभिमत के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। (iv) बैंक का पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो नियमित अंतरालों पर अपनी रिपोर्ट सीधे बैंक की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करता है।
7. बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का इस हद तक

अनुपालन किया है कि खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन न करें।

8. वित्तीय वर्ष 2022 - 23 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया था।

संचार के साधन

बैंक का दृढ़ता से मानना है कि सभी हितधारकों को इसकी गतिविधियों, प्रदर्शन और उत्पाद पहलों की पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए।

वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और त्रैमासिक परिणाम भारत में व्यापक प्रसार वाले देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in व <https://bank.sbi> पर भी प्रदर्शित किए गए थे। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है जिन्होंने बैंक के साथ या डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य शेयरधारकों को भेजी जा रही है जो विशेष रूप से इसके लिए अनुरोध करते हैं। बैंक की वेबसाइट पर अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम और

विभिन्न उत्पाद पेशकशों का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक वर्ष, वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/तिमाही परिणाम घोषित होने के बाद उसी दिन एक प्रेस बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें अध्यक्ष मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके बाद एक और बैठक होती है जिसमें कई निवेश विश्लेषकों/निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है। बैठक में विश्लेषकों/निवेशकों के साथ बैंक के प्रदर्शन के विवरण पर चर्चा की जाती है। तिमाही परिणाम घोषित करने के बाद, प्रेस अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं और इसकी प्रति निवेशकों/विश्लेषकों के लिए बैंक के प्रदर्शन पर की गई प्रस्तुति की प्रति के साथ स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

वार्षिक महासभा: दिनांक: 27.06.2023, समय 3.00 बजे स्थान: स्टेट बैंक सभागृह, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई 400021, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

वित्तीय कैलेंडर: 01.04.2022 से 31.03.2023 तक:

लाभांश भुगतान करने की तिथि	: 14.06.2023
स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	: बीएसई लिमिटेड, फोर्ट मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीकेसी मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई), पैटरनोस्टर स्क्वायर लंदन पर सूचीबद्ध हैं; डॉलर मूल्य वाले बांड सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड, एसजीएक्स सेंटर - 1 सिंगापुर में सूचीबद्ध हैं। एलएसई सहित सभी स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया गया है।
स्टॉक कोड/CUSIP	: स्टॉक कोड 500112 (बीएसई), एसबीआईएन (एनएसई), सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर स्थानांतरण प्रणाली	: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण 01 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में किया जाएगा। इसके अलावा, शेयरों के हस्तांतरण के बदले, प्रेषित शेयरों के सभी विवरणों के साथ एक पुष्टि पत्र सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार आरटीए द्वारा जारी किया जाएगा। तिमाही शेयर अंतरण लेखा परीक्षा और शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का मिलान नियमित रूप से कंपनी सचिवों की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट (वर्तमान)	: मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
इकाई का पता	: 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, ई/7, इंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055
फोन नंबर	: 011-4254 1234, 729007 1335
ई-मेल पता	: sbi.igr@alankit.com
पत्राचार के लिए पता	: एसबीआई, शेयर और बॉन्ड विभाग, कॉर्पोरेट सेंटर, 14वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021
टेलीफोन नंबर	: (022) 2274 0841 से 2274 0849
ईमेल पता	: investor.complaints@sbi.co.in / dgm.snb@sbi.co.in
पूरे संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टियों का नाम (रु में जारी केपिटल इंस्ट्रुमेंट्स)	: आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिजनेस, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलाई एस्टेट, मुंबई -400 001 फोन नंबर - 91-22-4080 7006 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776 एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड पांडुरंग मार्ग, वरली, मुंबई 400 025 टेलिफोन: +91-22-62300451, फैक्स: +91-22-6230 0700

ई-पहल: सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और उसके बाद जारी सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 के अनुसार एलओडीआर के विनियम

36 (1) (बी) और (सी) और विनियमन 58 (1) (बी) और (सी) की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है और इसलिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेयरधारकों को उनके पंजीकृत मेल पते पर अग्रोषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट <https://bank.sbi/web/investor-relations/annual-report> से वार्षिक रिपोर्ट को डाउनलोड किया जा सकता है।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक में मुंबई में शेयर एंड बॉण्ड्स नामक एक पूरा विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों अथवा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से उन्हें तत्काल निपटाया जाता है एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में दवारहित उचित खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं शेयरधारकों की संख्या	1,118	2,51,646
जोड़ें - वर्ष के आरंभ में दवारहित उचित खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं ई-एसबीबीजे शेयरधारकों की संख्या	688	2,61,414
वर्ष के आरंभ में उचित खाता योग	1,806	5,13,060
वर्ष के दौरान दवारहित उचित खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	94	49,090
वर्ष के दौरान दवारहित उचित खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	94	49,090
वर्ष के अंत में उचित खाते में पड़े दवारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,712	4,63,970

इन दवारहित शेयरों पर वोटिंग अधिकार पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं कर देते।

लाभांश वितरण नीति

बैंक में केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण नीति लागू है। इस नीति का विवरण बैंक की वेबसाइट में संहिताएं और नीतियां टैब के तहत <https://sbi.co.in/web/investor-relations/disclosure-underregulation-46> के अंतर्गत उपलब्ध है।

बैंक ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा आयोजित करने और बैंक के शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 (6) के अनुसार, बैंक एजीएम की कार्यवाही का एक तरफा सीधा प्रसारण करता है। वेबकास्ट सुविधा 27.06.2023 को दोपहर 02:30 बजे से उपलब्ध होगी तथा शेयरधारक <https://www.evoting.nsdl.com/> <https://bank.sbi> पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान पूंजी वृद्धि

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई इक्विटी पूंजी नहीं जुटाई गई।

बकाया वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर)

1996 में जीडीआर जारी करने के समय सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो तरह की फंगबिलिटी की अनुमति नहीं दी गई थी, अर्थात् जीडीआर धारक ने भारतीय कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयर प्राप्त करने की इच्छा जताई तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयरों में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत नहीं। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एडीएम/जीडीआरएस की दो तरह की फंगीबिलिटी की अनुमति दी गई। बैंक ने बैंक के जीडीआर कार्यक्रम में दो तरह के फंगीबिलिटी की अनुमति दी है।

31 मार्च 2023 तक बैंक के पास 89,16,095 जीडीआर थे जो 891,60,950 इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में डेरिवेटिव लेनदेन पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, वर्तमान में, ब्याज दर एवं मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए 'ओवर द काउंटर' (ओटीसी) डेरिवेटिव्स में सौदे करता है। यह एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रुमेंट रेट पयूचर्स, करेंसी पयूचर्स और करेंसी ऑप्शंस में सौदा भी किया जाता है।

बैंक द्वारा रुपया ब्याज दर अदला-बदली (ओआईएस), विदेशी मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस), फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए), कैप्स, फ्लोर्स एवं कॉलर्स के ब्याज दर डेरिवेटिव्स का काम किया जाता है। बैंक द्वारा

किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स व्यवसाय में मुद्रा अदला-बदली (सीआईआरएस/सीसीएस), यूएसडी/भारतीय रुपया ऑप्शंस एवं क्रॉस-करेंसी ऑप्शंस शामिल हैं। बैंक द्वारा आरबीआई की स्वीकृति के अनुरूप एनडीओ और एनडीएफ ट्रेड भी किया जाता है।

बैंक ग्राहकों को यह उत्पाद उनके निवेश की बचाव व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। इनका उपयोग बैंक बैलेंस शीट जोखिम को कम करने के लिए भी किया जाता है। जहां कहीं भी अवसर मिलता है वहां पर चुनिंदा तरीके से निर्धारित जोखिम सीमा में ट्रेडिंग/आर्बिटरेज कार्य भी किया जाता है।

बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर ऑप्शन बुक कार्य किया जाता है तथा प्रभावी रूप से ग्रीक लिमिट का प्रबंधन भी किया जाता है। बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर स्वैप कीमत बनाने के लिए एमआईएफओआर (MIFOR) बुक का भी उपयोग किया जाता है।

डेरिवेटिव लेनदेन में बाजार जोखिम होता है अर्थात्, ब्याज दरों एवं/या विनियम दरों के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से बैंक को होने वाली संभावित हानि। डेरिवेटिव स्थिति में ऋण जोखिम भी निहित होता है अर्थात् अगर प्रति-पक्षकार अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक को होने वाली संभावित हानि। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'बाजार जोखिम सीमा नीति' में जोखिम से निपटने के उपाय का उल्लेख किया गया है। नीति में बाजार जोखिम मानदंडों (ग्रीक लिमिट्स, हानि की सीमा, कट-लॉस ट्रिगर, ओपन पोजिशन लिमिट्स, वीएआर, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि) का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा उनका सख्ती से पालन किया जाता है। ऋण जोखिम नियंत्रित करने के लिए नीति में ग्राहक/प्रति-पक्षकार पात्रता (क्रेडिट रेटिंग, संबंध की अवधि, सीईएल सीमा की उपलब्धता, ग्राहक उपयुक्तता एवं अनुकूलता (सीएस) परीक्षण आदि) नियत की गई है जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्यवसाय इकाइयों द्वारा कॉर्पोरेट प्रतिपक्षकारों (काउंटरपार्टी) के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। बैंक द्वारा कारपारेट एवं अंतर-बैंक दोनों प्रत्येक डेरिवेटिव प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए करार निष्पादित किया जाता है।

प्रत्येक अंतर-बैंक प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टी) के लिए, जोखिम वॉर्टिकल द्वारा प्रतिपक्षकार निवेश सीमा नियत की जाती है। बैंक ने कुछ प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए मास्टर करार के भाग के रूप में सीएसए (CSA) निष्पादित किया है। सीएसए की शर्तों के अनुसार, 'बाजार भाव के भीतर' डेरिवेटिव स्थिति से उभरे ऋण जोखिम को सीमित करने के लिए कोलाटरल को स्वैप काउंटरपार्टियों के साथ अंतरित या पोस्ट किया जाता है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ) द्वारा इन जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन किया जाता है। बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान की जाती है, उपाय किया जाता है एवं निगरानी की जाती है। एमआरएमडी द्वारा इन जोखिमों के नियंत्रण एवं प्रबंधन में एलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर पॉलिसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को प्रस्तुत किया जाता है।

डेरिवेटिव्स की एकाउंटिंग नीति को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है, जिसका विवरण अनुसूची 17 : प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) के तहत दिया गया है।

सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत प्रकटीकरण

1. बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों में संशोधन के संदर्भ में विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों यथा लेखा परीक्षा, हितधारक संबंध, जोखिम प्रबंधन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों/भूमिका/पुनर्गठन की क्रमशः समीक्षा और अनुमोदन किया है। बोर्ड स्तरीय समितियों के पिछले पुनर्गठन को केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 23 दिसंबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था।
2. सूचीकरण विनियमों के विनियम 24 के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है।
3. ऋण लिखतों की क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

4. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक ने अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी नहीं जुटाई। इसलिए सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 32(1) के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास जुटाई गई निधियों के उपयोग में विचलन/भिन्नता का निरंक विवरण दायर किया गया था।
5. बैंक ने लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
6. स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदान किए गए परिचित कार्यक्रमों के विवरण का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर वेब लिंक <https://sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/regulatory-disclosures> पर नियामक प्रकटीकरण टैब के तहत किया गया है।
7. सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V पैरा सी, खंड 10(के) के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान मौजूदा सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) को भुगतान किया गया कुल शुल्क केवल 5,72,01,589.00 रुपये है।

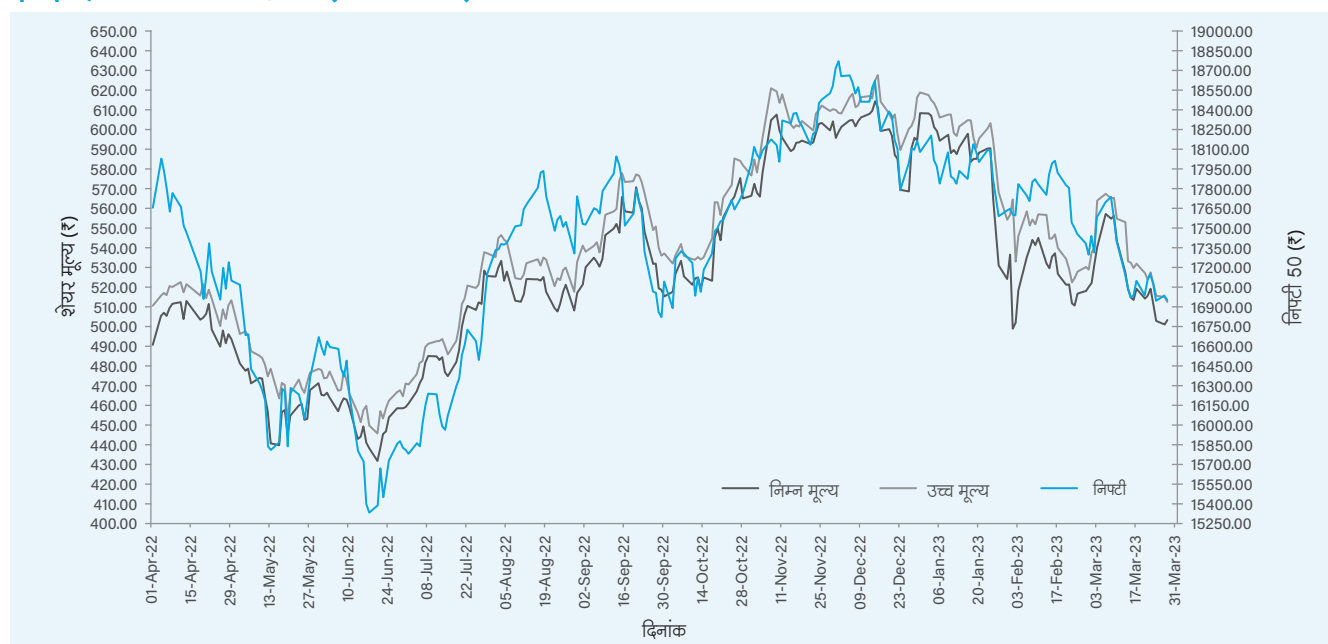
शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव को बीएसई सेंसेक्स / एनएसई निफ्टी की निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

बीएसई में स्टॉक का प्रदर्शन (विव 2023)



एनएसई में स्टॉक का प्रदर्शन (विव 2023)



बाजार मूल्य आँकड़े

माह	बीएसई (₹)		एनएसई (₹)		एलएसई (जीडीआर) US\$	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-22	517.50	494.70	517.70	494.75	67.40	64.20
मई - 22	490.75	445.05	491.00	444.65	57.50	64.50
जून-22	471.05	434.25	471.30	434.70	55.90	60.40
जुलाई-22	532.30	466.90	532.45	466.85	58.70	66.80
अगस्त - 22	541.85	511.20	542.10	511.30	68.40	64.00
सितम्बर -22	574.10	521.95	574.05	521.75	63.30	71.80
अक्टूबर-22	579.55	519.65	579.65	519.75	63.40	70.27
नवंबर-22	615.55	573.95	615.55	573.85	69.32	75.58
दिसम्बर-22	625.55	573.95	625.50	574.00	75.86	69.27
जनवरी- 23	612.35	538.35	612.40	538.20	66.03	73.88
फरवरी- 23	552.95	516.35	553.05	516.35	62.32	67.03
मार्च-23	564.80	505.60	564.80	505.35	61.27	68.84

नोट : उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य को शेयर के बंद भाव (क्लोजिंग प्राइस) से लिया गया है। 31.03.2023 को प्रति शेयर बुक वैल्यू 309.89

31 मार्च 2023 को शेयरधारिता का विवरण

क्रम	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/एनआरआई/सीडीआर)	11.05
3	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	13.28
4	निजी कॉर्पोरेट निकाय	0.64
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनी आदि	11.69
6	अन्य (निवासी व्यक्तियों सहित)	6.42
	योग	100.00

31 मार्च 2023 तक शीर्ष दस शेयरधारक

क्रम	विवरण	कुल इक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	8.68
3	एसबीआई म्यूचुअल फंड (विभिन्न योजनाओं के माध्यम से)	3.11
4	एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (विभिन्न योजनाओं के माध्यम से)	1.75
5	आईसीआईसी प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड (विभिन्न योजनाओं के माध्यम से)	1.50
6	एनपीएस ट्रस्ट (विभिन्न योजनाओं के माध्यम से)	1.28
7	सिंगापुर सरकार	1.05
8	द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन	1.00
9	निप्पोन इंडिया म्यूचुअल फंड (विभिन्न योजनाओं के माध्यम से)	0.97
10	कोटक म्यूचुअल फंड (विभिन्न योजनाओं के माध्यम से)	0.95

शेयरों को डीमैट करना एवं तरलता (लिक्विडिटी) : बैंक के इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है। 31 मार्च 2023 तक, कुल इक्विटी पूंजी के 99.28% का प्रतिनिधित्व करने वाले 8,86,08,82,539 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए थे।

विवरण	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर %
एनएसडीएल	12,34,425	3,50,48,00,608	39.27
सीडीएसएल	17,22,506	5,35,60,81,931	60.01
भौतिक	1,58,873	6,37,29,395	0.72
योग	31,15,804	8,92,46,11,934	100.00

31 मार्च 2023 को वितरण शेड्यूल (प्रत्येक 1 रुपए के अंकित मूल्य के)

शेयरों की श्रृंखला संख्या	कुल धारक	कुल धारकों का %	कुल धारिता ₹ में	राशि %
1-5000	31,05,254	99.66	48,76,99,523	5.46
5001-10000	5,472	0.18	3,88,16,091	0.43
10001-20000	2,229	0.07	3,11,98,446	0.35
20001-30000	658	0.02	1,63,00,428	0.18
30001-40000	284	0.01	99,38,958	0.11
40001-50000	197	0.01	90,24,071	0.10
50001-100000	442	0.01	3,20,90,186	0.36
100001-से अधिक	1,268	0.04	8,29,95,44,231	93.00
कुल	31,15,804	100	8,92,46,11,934	100.00

अनुलग्नक I

31 मार्च 2023 को बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री बी वेणुगोपाल

1959 में जन्मे श्री बी वेणुगोपाल को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं जिन्होंने एलआईसी का 36 वर्षों का लंबा अनुभव है तथा उन्हें पूर्व के स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर का भी 2 वर्षों का अनुभव है। केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट एकाउंटेंसी में स्नातक श्री वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी - पुणे, आईआईएम - अहमदाबाद एवं कोलकाता तथा आईएसबी से व्यवसाय रणनीति, परियोजना प्रबंधन, वित्त, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही आपने हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, मनीला एवं एफएलआई - जापान से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एलआईसी के अपने कैरियर में आपने विपणन, प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित संस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। अन्य बातों के साथ आपने कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), मुख्य प्रबंधक (आईटी/बीपीआर), क्षेत्रीय प्रबंधक (ईएंडओएस), चेन्नई तथा मदुरै एवं कोयंबतूर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया।

प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालने से पहले आप एलआईसी के 8 अंचलों में से सबसे बड़े पश्चिम अंचल के अंचल प्रबंधक भी रहे जिसमें गोवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य आते हैं तथा एलआईसी की कुल प्रीमियम आय में इस अंचल का 25% योगदान रहता है। चूंकि एलआईसी अपने सभी सॉफ्टवेयर स्वयं विकसित करता है एवं उनका अनुरक्षण भी करता है, श्री वेणुगोपाल ने सूचना प्रौद्योगिकी का गहन अनुभव प्राप्त किया

तथा इसके लिए वह आरंभ में प्रोग्रामर एवं सिस्टम एनालिस्ट रहे तथा बाद में आईटी प्रमुख के रूप में 7 वर्षों तक कार्य किया। वह एलआईसी की उस टीम के प्रमुख रहे जिसने आईटी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पहल आरंभ की जिसमें से कुछ प्रमुख हैं - एलआईसी कोर बिजनेस सॉल्यूशन (1995-97), एलआईसी की सर्वप्रथम मेट्रो एरिया नेटवर्किंग एवं आईवीआर सिस्टम्स (1998), कारपोरेट एक्टिव डाटा वेयरहाउस (2005), ऑनलाइन प्रीमियम क्लेवशन (2006), इंटाप्राइज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स (2007) एवं ऑनलाइन अंडरराइटिंग इंजिन एवं पॉलिसी की ऑनलाइन बिक्री (2012) आदि। आईटी प्रमुख के अपने कार्यकाल के दौरान एलआईसी को भारत की सभी बीमा कंपनियों के बीच एक से अधिक बार बेस्ट यूजर ऑफ़ आईटी का नासकॉम अवार्ड भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 से श्री वेणुगोपाल ने भारत में विदेश के कई संस्थानों के निदेशक बोर्ड में एलआईसी का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारतीय बीमा संस्थान एवं राष्ट्रीय बीमा अकादमी के गवर्निंग बोर्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि एवं भारतीय जीवन बीमा निगम गोल्डन जुबिली फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में शामिल रहे। वर्तमान में वह भारतीय स्टेट बैंक एवं नेशनल क्रेडिट डेवेलपमेंट एक्सचेंज (NCDEX) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. गणेश नटराजन

डॉ. गणेश नटराजन, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। डॉ. गणेश नटराजन 5F वर्ल्ड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो डिजिटल कौशल और डिजिटल परिवर्तन में वैश्विक परामर्श और निवेश का मंच है। वे हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड और लाइटहाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। इससे पूर्व वे एसवीपी इंडिया के अध्यक्ष

और एप्टेक लिमिटेड और जेनसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एमडी थे। उन्हें एनआईटीआईआई और आईआईटी बॉम्बे का विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार मिल चुका है। उनके काम पर दो केस स्टडीज आईएसबी आईआईएम बेंगलूरु और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में लिखी और पढ़ाई गई है।

सीए केतन एस. विकमसी

सीए केतन एस विकमसी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(सी) के तहत 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री विकमसी केकेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (पूर्ववर्ती खिमजी कुंवरजी एंड कंपनी एलएलपी) में वरिष्ठ भागीदार हैं, इस फर्म की स्थापना 1936 में हुई थी। उनकी योग्यताओं में आइसीएआइ का आइएफआरएस सर्टिफिकेशन; आइसीएआइ की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (डीआइएसए) में डिप्लोमा; और आइटीआरबीटी, हैदराबाद का बोर्ड सदस्यों के लिए आईटी व साइबर सुरक्षा में सर्टिफिकेशन शामिल है। वे भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के साथ एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पंजीकृत हैं।

उन्हें बड़े बैंकों, विनिर्माण प्रतिष्ठानों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों की लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में तीस से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे विभिन्न सेमिनारों, बैठकों, आइसीएआइ की क्षेत्रीय परिषदों, आइसीएआइ, भारतीय रिजर्व बैंक, सीएजी व कई अन्य संगठनों की शाखाओं और अध्ययन मंडलों द्वारा आयोजित व्याख्यानों में वक्ता/अध्यक्ष रहे हैं। वे विपासना अनुसंधान संस्थान, इगतपुरी और श्री वी एल विद्यार्थीगृह के ट्रस्टी हैं, जो मुंबई शहर के बीच 150 छात्रों की क्षमता युक्त अत्याधुनिक छात्रावास संचालित करने वाला एक गैर-सरकारी संगठन है। वे वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी हैं, पेशेवर फोटोग्राफी में उनकी गहरी रुचि है और उन्हें नए स्थानों और विभिन्न दिलचस्प संस्कृतियों की खोज में दुनिया भर की यात्रा करना पसंद है।

श्री मृगांक एम परांजपे

श्री मृगांक एम परांजपे भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक के लिए निर्वाचित निदेशक हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से बैचलर इन टेक्नोलॉजी हैं, साथ ही वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हैं। उन्हें विभिन्न कार्यात्मक एवं भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकिंग, पूंजी बाजार, परिसंपत्ति प्रबंधन और स्टॉक ब्रोकिंग में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वे एनसीडीईएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पहले वे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। उससे पूर्व वे सिंगापुर और भारत में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर रहे। पूर्व में उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बैरिंग्स और सिटीबैंक के साथ कार्य किया है।

सीए प्रफुल्ल पी छाजेड

सीए प्रफुल्ल पी छाजेड भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित निदेशक हैं। सीए प्रफुल्ल छाजेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीआई) के फेलो और प्रैक्टिसिंग सदस्य और सीपीए (ऑस्ट्रेलिया) के सदस्य हैं। उन्होंने एलएलबी (जनरल) किया है तथा फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन और सर्टिफिकेट ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सरस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) पर आईसीआई प्रमाणन किया है।

वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (2019-20) के अध्यक्ष थे और आईसीआई (2007-08) के डब्ल्यूआईआरसी के अध्यक्ष हैं। वे कन्फेडरेशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स (सीएपीए), मलेशिया

(2021-2023) के उपाध्यक्ष हैं। वे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी), न्यूयॉर्क के प्रोफेशनल अकाउंटेंसी ऑर्गनाइजेशन डेवलपमेंट ग्रुप के सदस्य हैं। वे मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी (मुंबई विश्वविद्यालय) के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य हैं। वे गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग और कृषि की बैंकिंग, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष हैं।

अतीत में, उन्होंने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में एक स्वतंत्र निदेशक और सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। उन्होंने आईसीआई अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन में निदेशक, आईसीआई के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान में निदेशक, आईसीआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन में निदेशक, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) इंडिया में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी) द्वारा गठित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी (पी) लिमिटेड में एक स्वतंत्र निदेशक और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने एसएफए, आईएफएसी एसएमपी समिति, सीए वर्ल्डवाइड, एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद आदि जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कार्य किया है। उन्होंने व्यापक रूप से दुनिया भर की यात्रा की है और भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सेमिनारों और सम्मेलनों को संबोधित किया है।

डॉ. विवेक जोशी, आईएसएस

डॉ. विवेक जोशी 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ई) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

डॉ. जोशी 1989 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) में शामिल हुए। उन्होंने ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा (स्विट्जरलैंड) से अंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की है तथा उन्होंने प्रोफेसर रिचर्ड बाल्डविन के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। वे रुइकी विश्वविद्यालय (अब, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुइकी) के पूर्व छात्र भी हैं, जहां उन्होंने 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई किया।

डॉ विवेक जोशी वर्तमान में 1 नवंबर, 2022 से भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवारत हैं। इस कार्य में डॉ जोशी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, वित्तीय समावेशन और पेंशन सुधारों सहित बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कानूनों से संबंधित दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड में सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं।

इस पद से पूर्व, वे लगभग चार वर्षों तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने हरियाणा सरकार के साथ प्रधान सचिव, निगरानी और समन्वय, सीईओ, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुरुग्राम; मुख्य प्रशासक, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण (टीएफएच), नई दिल्ली; निदेशक स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान, पंचकूला के रूप में भी कार्य किया है। इन प्रभारों से पूर्व उन्होंने सदस्य सचिव, पांचवें राज्य वित्त आयोग और हरियाणा राज्य में डिवीजनल कमिश्नर अंबाला (2017-2018) के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

2014-2017 के दौरान, उन्होंने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहां उनकी जिम्मेदारियों में सार्वजनिक खरीद नीति निर्धारण में सरकार को परामर्श देना शामिल था। वे अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे सड़क और राजमार्ग, शहरी विकास, यूआईडीएल अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रेलवे में सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं और

योजनाओं के मूल्यांकन में भी शामिल रहे। उन्होंने स्वच्छ भारत के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक कोष स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) के पहले प्रशासक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय (2010-2014) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ बाल अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया।

उन्होंने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार (2001-2006) में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ उन्होंने डब्ल्यूटीओ से संबंधित वस्त्र मामलों, विशेष रूप से गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) और वस्त्र और कपड़ा (एटीसी) वार्ताओं, जूट और कपास क्षेत्र से जुड़े समझौतों में मंत्रालय के

सलाहकार रहे। उन्होंने क्षेत्रीय व्यापार समझौता वार्ताओं, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (सापटा) और भारत श्रीलंका एफटीए से संबंधित मामलों में भी हिस्सा लिया।

इसके अतिरिक्त, वे हरियाणा राज्य में उपायुक्त, संयुक्त सचिव वित्त और ट्रेजरी के निदेशक रहे हैं।

श्री अनिल कुमार शर्मा

श्री अनिल कुमार शर्मा 13 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक एसबीआई अधिनियम की धारा 19(एफ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

श्री शर्मा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक (31.03.2023 को सेवानिवृत्त) हैं।

उन्होंने दोआबा कॉलेज, जालंधर, पंजाब से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया और वर्ष 1986 में भारतीय रिजर्व बैंक में आने से पूर्व वे गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एकनामिक्स, पुणे में यूजीसी फेलो रहे। वे ट्रेजरी एवं जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा धारक हैं और भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित सहयोगी हैं।

रिजर्व बैंक में उनका अनुभव पर्यवेक्षण, ग्रामीण ऋण और वित्तीय समावेशन, ग्राहक शिक्षा और संरक्षण, मुद्रा और बैंकिंग के प्रबंधन के क्षेत्र में रहा है। उन्होंने रिजर्व बैंक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पुणे में संकाय के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2023 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखापरीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड में नियुक्ति/सेवा समाप्ति की तारीख	सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखापरीक्षा/हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता
1.	श्री दिनेश कुमार खारा	अध्यक्ष	07.10.2020 / 06.10.2023	निदेशक (अध्यक्ष): 03 पद समिति सदस्य: निरंक
2.	श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी	प्रबंध निदेशक	20.01.2023 / 19.01.2025	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
3.	श्री स्वामीनाथन जे.	प्रबंध निदेशक	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 03 समिति के सदस्य: 05
4.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	प्रबंध निदेशक	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: निरंक
5.	श्री आलोक कुमार चौधरी	प्रबंध निदेशक	07.06.2022 / 30.06.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
6.	श्री बी वेणुगोपाल	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 03 समिति अध्यक्ष: 01
7.	डॉ. गणेश नटराजन	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 03 समिति सदस्य: 06 समिति अध्यक्ष: 01
8.	श्री केतन एस. विकमसी	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02 समिति अध्यक्ष: 01
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
10.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड	गैर-कार्यपालक निदेशक	21.12.2021 / 20.12.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
11.	डॉ. विवेक जोशी	गैर-कार्यपालक निदेशक	15.11.2022/अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य: निरंक
12.	श्री अनिल कुमार शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक	13.04.2021/अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01

अनुलग्नक-॥ ए

31.03.2023 तक बैंक/अन्य कंपनियों के बोर्डों/बोर्ड-स्तरीय समितियों में निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता की कुल संख्या

1. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति - अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
3	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	अध्यक्ष	--
4	एसबीआई जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
5	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	अध्यक्ष	--
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	अध्यक्ष	--
7	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
8	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष	--
9	एसबीआईकेप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--
10	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक	--
11	इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस	अध्यक्ष	--

2. श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - अध्यक्ष

3. श्री स्वामीनाथन जे

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति - सदस्य
2	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	निदेशक	कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य
3	एसबीआई लाइफ इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
4	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	निदेशक	निदेशकों की समिति - अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति- सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति- सदस्य सीएसआर समिति- सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति- सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष
5	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--
6	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड	निदेशक	--
7	एसबीआई जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड	निदेशक	निवेश समिति- अध्यक्ष पॉलिसीधारक संरक्षण समिति- अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति- सदस्य लेखा परीक्षा समिति- सदस्य बैंकएश्योरेन्स समिति- सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति- सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य प्रौद्योगिकी समिति- सदस्य
8	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	निदेशक	शेयर आबंटन समिति- सदस्य नामांकन पारिश्रमिक समिति - सदस्य आईपीओ समिति- सदस्य
9	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	अध्यक्ष	नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य
10	एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स लिमिटेड	अध्यक्ष	नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य लेखा परीक्षा समिति - सदस्य
11	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष	--
12	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष	--
13	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष

4. श्री अश्विनी कुमार तिवारी

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - अध्यक्ष केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति - सदस्य

5. श्री आलोक कुमार चौधरी

क्र.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य वसूली निगरानी संबंधी बोर्ड समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति- सदस्य
2	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
3	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष सीएसआर समिति - अध्यक्ष

6. श्री बी वेणुगोपाल

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष वसूली निगरानी संबंधी बोर्ड समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - अध्यक्ष
2	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX)	निदेशक	पूँजी जुटाने वाली समिति - सदस्य
3	एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (NeML)	अध्यक्ष	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
4	नेशनल कॉमोडिटी वलीयरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल)	निदेशक	--

7. डॉ. गणेश नटराजन

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - अध्यक्ष उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - अध्यक्ष
2	जेवा कैपसोल प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
3	ग्लोबल टैलेंट ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
4	लाइटहाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन	निदेशक	--
5	5एफ वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
6	स्केल्स अल्फा लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
7	कलजूम एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
8	इनफ्लेक्सन एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
9	फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली	निदेशक	--
10	हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध और शेयर आबंटन समिति - सदस्य

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
11	कन्टिन्यूअम ऑफ कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
12	हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति- अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति- सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति- सदस्य
13	एशियन वेंचर फिलैनथ्रॉपी नेटवर्क लिमिटेड	निदेशक/न्यासी	मानव संसाधन समिति - सदस्य रणनीति समिति - सदस्य
14	कॉर्नरस्टोन वेंचर पार्टनर्स इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी	व्यक्तिगत भागीदार	--

8. श्री केतन एस विक्रमसी

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य

9. श्री मृगांक एम परांजपे

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2	एनसीडीईएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल)	प्रबंध निदेशक और सीईओ	प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति - सदस्य
3	राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज (आरईएमएस)	निदेशक	--
4	मेटा मेटेरियल्स सफ़ुलर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--

10. श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - अध्यक्ष बड़े मूल्य की धोखाधड़ी - अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति- सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	इंटरकॉन्टिनेंटल फोरम ऑफ़ एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेयानल्स	निदेशक	--

11. डॉ विवेक जोशी

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति - सदस्य
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	--

12. श्री अनिल कुमार शर्मा

क्र.	बैंक/ कंपनी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/सदस्य	समिति(यों) के नाम - अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति- सदस्य

(नोट: केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति में वे सभी या एवं अन्य निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में किसी स्थान पर निवास करते हैं या उस समय उपस्थित रहते हैं, जहां एसबीआई द्वारा सामान्य विनियम के विनियम 46 के अंतर्गत ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है। इसके साथ, बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन-निदेशकों की नियुक्ति एवं बोर्ड समितियों के गठन पर 26 अप्रैल 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एसीबी के अध्यक्ष का पद ईसीसीबी का भाग नहीं है।)

अनुलग्नक - III

31.03.2023 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री दिनेश कुमार खारा	3100
2	श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी	500
3	श्री स्वामीनाथन जे.	500
4	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	310
5	श्री आलोक कुमार चौधुरी	100
6	श्री बी वेणुगोपाल	5000
7	डॉ. गणेश जी. नटराजन	18218
8	श्री केतन एस. विकमसी	5000
9	श्री मृगांक एम. परांजपे	10000
10	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड	शून्य
11	डॉ. विवेक जोशी	शून्य
12	श्री अनिल कुमार शर्मा	800

अनुलग्नक IV

वित्त वर्ष 2023 के दौरान केंद्रीय बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री बी वेणुगोपाल	6,40,000	18,60,000	25,00,000
2	डॉ. गणेश नटराजन	7,70,000	17,30,000	25,00,000
3	श्री केतन एस. विकमसी	10,50,000	12,90,000	23,40,000
4	श्री मृगांक एम. परांजपे	7,70,000	17,30,000	25,00,000
5	श्री संजीव माहेश्वरी	6,30,000	15,90,000	22,20,000
6	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड	8,40,000	16,60,000	25,00,000

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (वित्त वर्ष 2022-23) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोश) -
रोकथाम, निषेध और निवारण - वर्ष 2022-2023 के लिए स्थिति

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	05
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	46
मामलों की कुल संख्या	51
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	38
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	13

31 मार्च 2023 को बोर्ड का हिस्सा रहे निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/ दक्षता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
1	श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष	एम.कॉम, एमबीए	आप दिल्ली स्कूल ऑफ इवर्नॉमिक्स से कॉमर्स में स्नातकोत्तर तथा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नई दिल्ली से एमबीए हैं। आपको खुदरा ऋण, एसएमई/कॉर्पोरेट क्रेडिट, जमा संग्रहण, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन, शाखा प्रबंधन आदि सहित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का लंबा अनुभव है। आपने बैंक में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जैसे एमडी (वैश्विक बैंकिंग एवं अनुबंधितियां), एमडी (सहयोगी एवं अनुबंधितियां), एमडी एवं सीईओ (एसबीआई म्यूचुअल फंड्स) एवं मुख्य महाप्रबंधक-भोपाल मंडल। आप विदेश नियुक्ति पर एसबीआई-शिकागो में भी नियुक्त थे। प्रबंध निदेशक के रूप में आपने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, कारपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल ट्रेजरी ऑपरेशन्स का नेतृत्व किया साथ ही बैंक की गैर-बैंकिंग सहयोगियों जैसे एसबीआई कार्ड्स, एसबीआईएमएफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एवं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आदि का भी नेतृत्व किया। आपने पाँच सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, आपने बैंक के जोखिम, आईटी एवं अनुपालन क्षेत्रों का भी नेतृत्व किया।
2	श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी, एमडी (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार एवं प्रौद्योगिकी)	बीएससी (कृषि)	आपको कॉर्पोरेट ऋण, रिटेल बैंकिंग, डिजिटल इंटरनेशनल बैंकिंग और विकसित बाजार में बैंकिंग में गहन अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री शेटी उप प्रबंध निदेशक के रूप में बैंक के दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जहां उन पर देश भर में, उर्जा, इन्फ्रा, ऑटो, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के दबावग्रस्त आस्ति पोर्टफोलियो का समाधान करने का दायित्व था। आपने बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में सिंडिकेशन टीम का भी नेतृत्व किया है। वर्तमान में, आप भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न टास्क फोर्स / समितियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
3	श्री स्वामीनाथन जे. एमडी (कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं अनुबंधितियां)	बी.कॉम, सीएआईआईबी सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट (सीएमएस) और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट (सीडीसीएस)	एसबीआई के साथ 33 साल से अधिक के लंबे कार्यकाल में, आपने कॉर्पोरेट और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा और डिजिटल बैंकिंग, वित्त, शाखा प्रबंधन और एश्योरेंस में कार्य किया है। आपने डीएमडी (फाइनेंस) और मुख्य डिजिटल अधिकारी सहित विभिन्न क्षमताओं में एसबीआई की सेवा की है। आपने बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में व्यापार प्रमुख के रूप में भी कार्य किया।
4	श्री अश्विनी कुमार तिवारी एमडी (जोखिम, अनुपालन और एसएआरजी)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल), सीएआईआईबी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (सीएफपी), सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई)	आपको भारत में एवं विदेश में भी बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों रिटेल, एसएमई, लेनदेन बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्रों में तीन दशकों का बैंकिंग अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले, आप एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ के पद पर थे। आपने एसबीआई के यूएस ऑपरेशन्स में कंट्री हेड तथा पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है।
5	श्री आलोक कुमार चौधरी एमडी (रिटेल बिजनेस एंड ऑपरेशंस)	बीएससी (ऑनर्स), सीएआईआईबी, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर	आपको खुदरा बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, एमएसएमई, कृषि और ग्रामीण व्यवसाय, शाखा प्रबंधन, मानव संसाधन और वित्त सहित कई क्षेत्रों में काम करने का समृद्ध अनुभव है। शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, स्थानीय प्रधान कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर विभिन्न नेतृत्व और कार्यात्मक क्षमताओं में 36 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ आप एक अनुभवी बैंकर हैं। प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नति से पहले, श्री चौधरी उप प्रबंध निदेशक (वित्त) के रूप में काम करते हुए बैंक के वित्त विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जहां वह रणनीतिक योजना और बजट, इष्टतम व्यवसाय और रणनीतिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन विश्लेषण, पूंजी नियोजन और पूंजी जुटाने, निवेशक संबंध, वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा, परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन और बैलेंस शीट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे।

क्र.सं	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
6	श्री बी वेणुगोपाल गैर-कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य और लागत लेखा में स्नातक	उन्हें बीमा, वित्त और लेखा, जोखिम प्रबंधन, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर विकास), व्यापार रणनीतियों, परियोजना प्रबंधन, विपणन आदि में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं, जिनके पास एलआईसी में 36 वर्ष और पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में 2 वर्ष का कार्य अनुभव है।
7	डॉ. गणेश नटराजन गैर-कार्यकारी निदेशक	औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन में स्नातकोत्तर, ज्ञान प्रबंधन में पीएचडी (आईआईटी, बॉम्बे), उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यूएसए)	आपको बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में विशेषज्ञता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है। आप 5एफ वर्ल्ड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो डिजिटल कौशल और डिजिटल परिवर्तन में वैश्विक परामर्श और निवेश के लिए एक मंच है। आप एनआईटीआईआई और आईआईटी, बॉम्बे के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित हैं। उनके किए गए कार्यों पर दो केस स्टडीज लिखी गई हैं एवं उन्हें आईएसबी, आईआईएम, बेंगलुरु और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाया भी जाता है।
8	श्री केतन एस. विक्रमसी गैर-कार्यकारी निदेशक	आईसीएआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट	आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको बड़े बैंकों, विनिर्माण संस्थाओं, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों के ऑडिट के क्षेत्रों में तीस से अधिक वर्षों का अनुभव है। आईसीएआई, आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों, आईसीएआई की शाखाओं और अध्ययन मंडलों, आरबीआई, सी एंड एजी और कई अन्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों, बैठकों, व्याख्यानो में आप एक नियमित वक्ता/अध्यक्ष हैं। इंडियन मर्चेंट्स चैंबर की बैंकिंग, वित्त और बीमा समिति, बैंकिंग और वित्त समिति, बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पूंजी बाजार समिति और चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की आरआरसी समिति के आप सदस्य रहे हैं।
9	श्री मृगांक एम. परांजपे गैर-कार्यकारी निदेशक	बी.टेक (आईआईटी, बॉम्बे), पीजीडीएम (आईआईएम, अहमदाबाद)	आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, ट्रांजैक्शन एंड रिटेल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, डेरिवेटिव्स, पॉलिसी मेकिंग आदि में 31 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में आप एनसीडीईक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं। इससे पहले आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ थे। आपने सिंगापुर और भारत में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर भी काम किया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बैरिंग्स और सिटीबैंक में काम किया।
10	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ गैर-कार्यकारी निदेशक	एफसीए, एलएलबी (जनरल), सीपीए (ऑस्ट्रेलिया)	आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी), न्यूयॉर्क के प्रोफेशनल अकाउंटेंसी ऑर्गनाइजेशन डेवलपमेंट ग्रुप के आप सदस्य हैं। मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी (मुंबई विश्वविद्यालय) के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य हैं। आप गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग और कृषि की बैंकिंग, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पहले, आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आईसीएआई के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) इंडिया और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है। सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति और आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैंकिंग और वित्त समिति के सदस्य भी थे।
11	डॉ. विवेक जोशी गैर-कार्यकारी निदेशक	ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा (स्विट्जरलैंड) से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पीएचडी, रुडकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई	वह 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में तैनात हैं। इस कार्य में, डॉ जोशी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, वित्तीय समावेशन और पेंशन सुधारों सहित बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कानूनों से संबंधित कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड में सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। 34 वर्षों से अधिक के करियर में प्रदर्शित नेतृत्व और उत्कृष्टता के साथ, श्री जोशी ने विविध क्षेत्रों में काम किया है।

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

क्र.सं	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
12	श्री अनिल कुमार शर्मा गैर-कार्यकारी निदेशक	एमए (अर्थशास्त्र), ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा, सीएआईआईबी	आप भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक (ईडी) हैं। ईडी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, आपने मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रवर्तन विभाग का नेतृत्व किया था। आपने दोआबा कॉलेज जालंधर, पंजाब से अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया है और 1986 में आरबीआई में शामिल होने से पहले गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे में यूजीसी फेलो थे। आपने ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा किया है और भारतीय बैंकर संस्थान के आप प्रमाणित एसोसिएट हैं। आपको बैंक में पर्यवेक्षण, मुद्रा और बैंकिंग के प्रबंधन, ग्रामीण ऋण और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र का बढ़िया अनुभव है। आपने आरबीआई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पुणे में संकाय के सदस्य के रूप में भी काम किया है।

नीचे दी गई तालिका में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक बोर्ड द्वारा तय की गई प्रमुख विशेषताएं एवं कौशल मैट्रिक्स का विवरण दिया गया है जिसे निदेशक का चयन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए :

- उद्योग ज्ञान/अनुभव: उद्योग अनुभव, क्षेत्र की जानकारी, विस्तृत नीति निर्देश की जानकारी, सरकारी कानून/कानूनी प्रक्रिया की समझ।
- तकनीकी कौशल/ अनुभव: लेखा, वित्त, विधि, विपणन अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, पूंजी आवंटन, लागत, बजटीय नियंत्रण, रणनीति विकास और कार्यान्वयन।
- अभिशासन क्षमता: पूर्व निदेशक अनुभव, वित्तीय साक्षरता, अनुपालन फोकस, शासन के दृष्टिकोण से रणनीतिक सोच
- निदेशक के लिए आरबीआई और एसबीआई योग्यता: (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता। निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों की विशेष जानकारी या अनुभव जैसे : (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग (viii) कोई अन्य ऐसे क्षेत्र जिसका विशेष ज्ञान या अनुभव जो कि रिजर्व बैंक के मतानुसार भारतीय स्टेट बैंक के लिए उपयोगी होगा। जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व, किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व।

निर्देशकगण	विशेषताएँ			
	उद्योग की जानकारी/ अनुभव	तकनीकी कौशल/ अनुभव	अभिशासन क्षमता	निदेशक के लिए आरबीआई एवं एसबीआई योग्यता
श्री दिनेश कुमार खारा	✓	✓	✓	✓
श्री सी श्रीनिवासुलु शेट्टी	✓	✓	✓	✓
श्री स्वामीनाथन जे.	✓	✓	✓	✓
श्री अश्विनी कुमार तिवारी	✓	✓	✓	✓
श्री आलोक कुमार चौधरी	✓	✓	✓	✓
श्री बी वेणुगोपाल	✓	✓	✓	✓
डॉ. गणेश नटराजन	✓	✓	✓	✓
श्री केतन एस. विक्रमसी	✓	✓	✓	✓
श्री मृगांक एम. परांजपे	✓	✓	✓	✓
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	✓	✓	✓	✓
डॉ. विवेक जोशी	✓	✓	✓	✓
श्री अनिल कुमार शर्मा	✓	✓	✓	✓

महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए वार्षिक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023	10% से अधिक	31.03.2023	10% से अधिक	कुल
	कुल आय		नेटवर्थ		
एसबीआई (समेकित)	4,73,378		3,58,931		
कुल आय/निवल मालियत का 10%	47,338		35,893		
महत्वपूर्ण सूचीबद्ध अनुषंगी					
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	80,686	हाँ	13,016	नहीं	हाँ
महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी					
शून्य	शून्य	-	शून्य	-	-

महत्वपूर्ण अनुषंगी के विवरण

(₹ करोड़ में)

निगमन की तिथि एवं स्थान: 11.10.2000 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सांविधिक लेखापरीक्षक: मेसर्स एससी बापना एंड एसोसिएट्स तथा मेसर्स एसके पटोडिया एंड एसोसिएट्स		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
1.	कुल आस्तियां	314,686
2.	चालू वित्त वर्ष का शुद्ध लाभ	1,721
3.	प्रबंधनाधीन आस्तियां	307,339
4.	नए व्यवसाय प्रीमियम की राशि	29,589
5.	नए व्यवसाय प्रीमियम में वृद्धि	16.23%
6.	नया व्यापार मार्जिन	30.10%
7.	बाजार हिस्सेदारी	8.0%
8.	ऋणशोधन क्षमता अनुपात (सॉल्वेंसी अनुपात)	2.15

प्रबंधन टीम की शिक्षा एवं योग्यताएं

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। उप प्रबंध निदेशकों की शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी नीचे दी जा रही है :

क्रम	संबोधन	अधिकारी का नाम	योग्यताएं
1	श्री.	प्रकाश चंद्र कांडपाल	बीएससी, एमए (इको), एमबीए (फिनांस)
2	श्री.	सली एस	एमएससी (एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स)
3	श्री.	राणा आशुतोष कुमार सिंह	बीएससी., पीजीईएमपी
4	श्री.	सुरेडी श्रीनिवास राव	एम.एससी.
5	श्री.	विनय एम. टोंसे	एम.कॉम (बैंकिंग एंड कास्टिंग)
6	श्रीमती	सलोनी नारायण	बीए (ऑनर्स)
7	श्री.	संजय डी. नायक	बी.एससी
8	श्री.	सुब्रत बिस्वास	बी.एससी (भौतिकी)
9	श्री.	विश्वनाथन रामानाथन	एमएससी (गणित)
10	श्री.	ओम प्रकाश मिश्र	एमए (अर्थशास्त्र)
11	श्री.	राघवेंद्र राव बालकृष्ण	एमएससी (टेक) इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग
12	श्री.	शंकर बलभद्रपातरुनी	बी.कॉम. एमएमएस (फाइनेंस)
13	श्री.	नितिन चुघ	बी. टेक, पीजीडीएम
14	श्रीमती	रूमा डे	बीएससी (ऑनर्स)
15	श्रीमती	विद्या कृष्णन	बी.एससी, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज
16	श्री.	गुलशन मलिक	बी.कॉम.(ऑनर्स)
17	श्री.	प्रवीण राघवेंद्र	बी.एससी.(इतिहास)

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में

प्रति
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

कॉरपोरेट केंद्र, 14वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र, 400021

हमने भारतीय स्टेट बैंक (जिसे इसके बाद बैंक कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और सुशासन व्यवहारों के उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखा परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई कि इससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहां इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड कार्यप्रणालियों और अनुपालन तंत्र की यहां इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है :

हमने बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों और तथा बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच पड़ताल की है :

i. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (अधिनियम) और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 (विनियम)

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 (एससीआरएफ) और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवं उनके तहत बनाए गए विनियम एवं उप-विधियां;

iv. विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश जहां तक भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) का संबंध है:-

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीकरण) विनियम, 2021;

च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009;

झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (रजिस्ट्रार टू इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 को कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़ा जाता है और ग्राहक से संपर्क करता है;

ञ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;

बैंकों के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

i. यथासंशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, यथासंशोधित

ii. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।

हमने बैंक और उसके अधिकारियों, प्रणालियों और बैंक के अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए गठित तंत्र पर निर्भर किया।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक। (परीक्षा के दौरान लागू नहीं समीक्षाधीन अवधि)

ख) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित को छोड़कर किया है:

- बैंक सूचीकरण विनियमों के विनियम 17(1) (क) के अंतर्गत अपेक्षित केन्द्रीय बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर सका।
- बैंक सूचीकरण विनियमों के विनियम 17(1) (ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में रखने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर सका।
- बैंक सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जानकारी या वाणिज्य, उद्योग, बैंकिंग या वित्त में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कम से कम दो निदेशकों की आवश्यकता का पालन नहीं कर सका, जैसा कि एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 (डी) के तहत आवश्यक है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की उचित शेष राशि के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची के मद्दे पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय लिया जाता है, जबकि असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को सम्मिलित किया जाता है और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक के पास निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं या कार्य थे जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के मामलों पर असर डाल सकते हैं:

- निजी नियोजन के आधार पर 6872 करोड़ रुपये की गैर परिवर्तनीय, असुरक्षित बासल III अनुपालन के अनुरूप अतिरिक्त टियर बॉन्ड श्रृंखला का आवंटन 7.75% पर।
- निजी नियोजन के आधार पर 4000 करोड़ रुपये के गैर परिवर्तनीय, असुरक्षित बासल III अनुपालन के अनुरूप टियर 2 बॉन्ड श्रृंखला 1 का आवंटन 7.57% पर
- गैर परिवर्तनीय, कर योग्य, पुनः प्रयोज्य, असुरक्षित पूर्ण रूप से भुगतान किए गए दीर्घकालिक बांड का आवंटन- निजी नियोजन के आधार पर 10,000 करोड़ रुपये की श्रृंखला I 7.51% पर
- निजी नियोजन के आधार पर 9,718 करोड़ रुपये के गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पुनः प्रयोज्य, असुरक्षित पूर्ण रूप से भुगतान किए गए दीर्घकालिक बांड-श्रृंखला II का आवंटन 7.70% पर

- गैर परिवर्तनीय, कर योग्य, सतत, गौण, असुरक्षित, पूर्ण रूप से भुगतान किए गए यूपी बासेल III 8.20% पर निजी नियोजन के आधार पर 4,544 करोड़ रुपये के AT 1 बॉन्ड
- गैर परिवर्तनीय, कर योग्य, सतत, गौण, असुरक्षित, पूर्ण रूप से भुगतान किए गए यूपी बासेल III के अनुपालन के अनुरूप 8.25% पर निजी नियोजन के आधार पर 3,717 करोड़ रुपये के AT 1 बॉन्ड का आवंटन
- ₹15,133 करोड़ के बासेल III अनुपालन के अतिरिक्त टियर 1 बांड का निर्गमण और आवंटन।
- बासेल III के अनुरूप टियर 2 बॉन्ड जारी और आवंटित किए गए हैं, जो 4,000 करोड़ रुपये की राशि है।
- 19,718 करोड़ रुपये की राशि के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा बांड जारी और आवंटन
- 2,000 करोड़ रुपये के एटी 1 बॉन्ड पर कॉल विकल्प का प्रयोग किया।

कृते रागिनी चोकसी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

पीआर सं. 659/2020

दिनांक : 18.05.2023

स्थान: मुंबई

पुलनकरा शिवकुमार

(कंपनी सचिव/पार्टनर)

एफसीएस संख्या: 3050

सी.पी. संख्या: 2210

UDIN: F003050E00329827

अनुलग्नक 'ए'

प्रति
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवालयीन रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हम पालन करते हैं, वे हमारी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और बही-खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक है, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन की पुष्टि प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते **रागिनी चोकसी एंड कंपनी**

कंपनी सचिव

फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

पीआर सं. 659/2020

दिनांक : 18.05.2023

स्थान: मुंबई

पुलनकरा शिवकुमार

(कंपनी सचिव/पार्टनर)

एफसीएस संख्या: 3050

सी.पी. संख्या: 2210

UDIN: F003050E00329827

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार

सेवा में

सदस्यगण

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021

हमने भारतीय स्टेट बैंक (जिसे कि आगे 'बैंक' कहा गया है) जिसका केंद्रीय कार्यालय स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे कि विनियमन 34(3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसूची V पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पढ़े जाने वाले इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। हमारे विचार से और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार तथा आवश्यकतानुसार सत्यापन (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा बैंक एवं उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे उल्लिखित बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से रोकने के लिए या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री दिनेश कुमार खारा	06737041	09.08.2016
2	श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी	08335249	20.01.2020
3	श्री स्वामीनाथन जानकीरामन	08516241	28.01.2021
4	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	08797991	28.01.2021
5	श्री आलोक कुमार चौधरी	08480476	07.06.2022
6	श्री बी वेणुगोपाल	02638597	07.06.2018
7	डॉ. गणेश जी. नटराजन	00176393	26.06.2020
8	श्री केतन विकमसे	00282877	26.06.2020
9	श्री मृगांक परांजपे	02162026	26.06.2020
10	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड	03544734	21.12.2021
11	डॉ. विवेक जोशी	02854207	15.11.2022
12	श्री अनिल कुमार शर्मा	08537123	13.04.2021

केंद्रीय बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/जारी करने की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों का संचालन करने की दक्षता या प्रभावशीलता से संबंधित है।

कृते रागिनी चोकसी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

पीआर सं. 659/2020

दिनांक : 18.05.2023

स्थान: मुंबई

पुलनकरा शिवकुमार

(कंपनी सचिव/पार्टनर)

एफसीएस संख्या: 3050

सी.पी. संख्या: 2210

UDIN: F003050E00329827

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

प्रति
सदस्य गण,
भारतीय स्टेट बैंक

- यह प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2023 को हमारे करार पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
- हम, मैसर्स के.सी. मेहता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के संयुक्त सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 में निर्धारित किया गया है और उप विनियमन के खंड (बी) से (आई) और (टी) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) की अनुसूची V के विनियमन 46 और पैरा-सी, डी और ई (सूचीकरण विनियम) के (2) और अनुसूची V के पैरा-सी, डी और ई के (2)।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- बैंक का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि बैंक लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करता है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है ताकि लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक ही सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
- हमने बैंक द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक

द्वारा रखे गए लेखों की पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।

- हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपनी परीक्षा आयोजित की, जहां तक इस प्रमाण पत्र के उद्देश्य के लिए लागू होता है और आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार, जिसके लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई के आचार संहिता द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें।
- हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, वित्तीय ऐतिहासिक जानकारी की लेखापरीक्षा एवं समीक्षा करने वाली संस्थाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अन्य आश्वासन एवं संबद्ध सेवा जुड़ावों से संबंधित प्रयोज्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

अभिमत

- उपर्युक्त के अनुसार हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए पुष्टियों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची वी के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:
क) बैंक के पास लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 (1) के संदर्भ में अपने केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इसके अलावा, केन्द्रीय बोर्ड के पास एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी जैसा कि सूचीकरण विनियमों के विनियमन 17 (1) के तहत अपेक्षित था।

ख) बैंक के निदेशक मंडल का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं था जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 (1) (बी) के तहत आवश्यक है।

- हम स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

- यह प्रमाण पत्र बैंक के सदस्यों को केवल कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबोधित और प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए देख-रेख के किसी भी दायित्व या किसी भी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करते हैं या मानते हैं, जिसे यह प्रमाण पत्र दिखाया गया है या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है। इस प्रमाणपत्र की तिथि के बाद होने वाली किसी भी घटना या परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने के लिए हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है।

के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 106237थ/थ100829

चिराग बवशी

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 047164

UDIN 23047164BGVCQV7967

स्थान : मुंबई

दिनांक : 18.05.2023

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट के बारे में :

बैंक की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 जिसे कि सेबी परिपत्र क्रम सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 04.11.2015 और सेबी अधिसूचना क्र.सेबी/एलएडी-

एनआरओ/जीएन/2021/22 दिनांक 5 मई 2021 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार बीएसई एवं एनसीई में बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 मार्च तक गणना करते हुए) के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट और संवहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) शामिल करना अनिवार्य किया गया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, को

बैंक की वेबसाइट <https://www.sbi.co.in> पर निवेशक संबंध लिंक के अंतर्गत रखा गया है। जो भी शेयरधारक इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करने का इच्छुक है वह बैंक को लिख सकता है (ईमेल आईडी : dgm.csr@sbi.co.in एवं डाक का पता है : उप महाप्रबंधक (सीएसआर और संवहनीयता), भारतीय स्टेट बैंक, 9वीं मंजिल, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021



भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा ने ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल अभियान के अंतर्गत सरकारी हाई स्कूल, एनएआई जेल, भोपाल को चेक प्रदान करते हुए।



भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा प्रधानमंत्री टी बी मुक्त भारत अभियान को चेक दाने करते हुए



श्री दिनेश खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट को एम्बुलेंस दान करते हुए

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

अनुसूची संख्या	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ		
पूंजी	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	326715,98,77	279195,59,89
जमा राशियाँ	4423777,77,63	4051534,12,27
उधार राशियाँ	493135,15,62	426043,37,98
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	272457,14,51	229931,84,28
योग	5516978,52,65	4987597,40,54
आस्तियाँ		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद और जमा राशियाँ	247087,57,52	318265,20,71
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त राशि	60812,04,28	76287,11,40
निवेश	1570366,22,57	1481445,46,98
अग्रिम	3199269,29,68	2733966,59,29
अचल आस्तियाँ	42381,80,31	37708,15,83
अन्य आस्तियाँ	397061,58,29	339924,86,33
योग	5516978,52,65	4987597,40,54
आकस्मिक देयताएँ	1826574,12,43	2007083,44,06
वसूली के लिए बिल	64531,07,67	77730,12,34
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		
लेखा टिप्पणियाँ		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग हैं।

श्री आलोक कुमार चौधरी
प्रबंध निदेशक
(खुदरा व्यापार और परिचालन)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन और एसएआरजी)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग और अनुषंगियाँ)

श्री चला श्रीनिवासुलु सेट्टी
प्रबंध निदेशक
(अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार और प्रौद्योगिकी)

निदेशक:

श्री बी वेणुगोपाल
डॉ. गणेश नटराजन
श्री केतन एस. विक्रमसी
श्री मृगांक एम. परांजपे
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़
सुश्री स्वाति गुप्ता
श्री अनिल कुमार शर्मा

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18 मई 2023

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date

कृते के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी

For K C Mehta & Co LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.
106237W/W100829

सीए चिराग बक्शी

CA Chirag Bakshi

भागीदार / Partner: स.क्र. M. No. 047164

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी

For Guha Nandi & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 302039E

डॉ बी एस कुंडु

Dr. B. S. Kundu

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051221

कृते सूरी एंड कंपनी

For Suri & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 004283S

सीए वी नटराजन

CA V Natarajan

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 223118

कृते गोखले एंड साठे

For Gokhale & Sathe

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

Firm Regn. No. 103264W

सीए जयंत गोखले

CA Jayant Gokhale

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 033767

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक: 18 मई, 2023 / Date: 18th May 2023

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी

For ASA & Associates LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.
009571N/N500006

सीए प्रतीत मिश्र

CA Prateet Mittal

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 402631

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी

For M C Bhandari & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 303002E

सीए निखिल जैन

CA Nikhil Jain

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 301150

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी

For Talati & Talati LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 110758W/
W100377

सीए आनंद शर्मा

CA Anand Sharma

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 129033

कृते एम के अग्रवाल एंड कं.

For M K Aggarwal & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 001411N

सीए अतुल अग्रवाल

CA Atul Aggarwal

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 099374

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी

For Prem Gupta & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 000425N

सीए शकुन गुप्ता

CA Shakun Gupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 506838

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स

For V Singhi & Associates

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 311017E

सीए अनिरुद्ध सेनगुप्ता

CA Aniruddha Sengupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051371

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी

For Ravi Rajan & Co. LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 009073N/500320

सीए सुमित कुमार

CA Sumit Kumar

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 512555

कृते जेएलएनयूएस एंड कं.

For JLN US & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 101543W

सीए शलभ कुमार डागा

CA Shalabh Kumar Daga

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 401428

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र का अभिन्न भाग है

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी		
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर 1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त एवं संदत्त पूंजी		
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर 1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
उपर्युक्त में 8,91,60,950 इक्विटी शेयर 1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 10,36,05,740 इक्विटी शेयर 1 प्रति शेयर) इन्हें 89,16,095 (पिछला वर्ष 1,03,60,574) वैश्विक रसीद के रूप में दर्शाया गया है		
योग	892,46,12	892,46,12

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ		
अथ शेष	85568,02,08	76065,22,66
वर्ष के दौरान परिवर्धन	15069,73,61	9502,79,42
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	100637,75,69	85568,02,08
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ		
अधिशेष	15759,98,23	15221,82,99
वर्ष के दौरान परिवर्धन	232,80,84	538,15,24
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	15992,79,07	15759,98,23
III. शेयर प्रीमियम		
अधिशेष	79115,47,05	79115,47,05
वर्ष के दौरान परिवर्धन	63	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	79115,47,68	79115,47,05
IV. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ		
अधिशेष	7695,94,74	3048,07,72
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4575,43,43	4647,87,02
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	12271,38,17	7695,94,74

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित		
अथशेष	9960,78,78	9072,39,67
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2794,39,13	888,39,11
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	12755,17,91	9960,78,78
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ*		
अथशेष	51836,11,81	50483,22,45
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2252,30,72	1352,89,36
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	54088,42,53	51836,11,81
VII. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ		
अथशेष	23377,86,71	23577,34,78
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4578,34,93	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	199,95,74	199,48,07
	27756,25,90	23377,86,71
VIII. लाभ-हानि खाते का अधिशेष	24098,71,82	5881,40,49
योग	326715,98,77	279195,59,89

* नोट: राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों में शामिल हैं

- (i) ₹ 5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5,00,00 हजार) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई)
- (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹ 17749,30,76 हजार (पिछले वर्ष ₹ 15696,95,76 हजार)
- (iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष शून्य (पिछला वर्ष शून्य)

अनुसूची 3 - जमा-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. मांग जमा-राशियाँ		
(i) बैंकों से	3449,99,90	6551,52,93
(ii) अन्य से	295593,04,38	270172,30,80
II. बचत बैंक जमा-राशियाँ	1588405,52,42	1526856,80,29
III. सावधि जमा-राशियाँ		
(i) बैंकों से	6994,90,95	7909,81,63
(ii) अन्य से	2529334,29,98	2240043,66,62
योग	4423777,77,63	4051534,12,27
I. भारत में शाखाओं की जमा-राशियाँ	4253570,79,60	3920200,81,67
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा-राशियाँ	170206,98,03	131333,30,60
योग	4423777,77,63	4051534,12,27

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र का अभिन्न भाग है

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)		
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	24956,00,00	24956,00,00
(ii) अन्य बैंक	150,00,00	-
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण	88372,10,40	144073,34,11
(iv) बॉण्ड एवं डिबेंचर (पूँजी लिखतों के अतिरिक्त)	19718,00,00	-
(v) पूँजी लिखतें :		
क. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	49842,70,00	36709,70,00
ख. गौण ऋण	39289,90,00	35289,90,00
	89132,60,00	71999,60,00
योग	222328,70,40	241028,94,11
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ		
(i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त	270806,45,22	185014,43,87
(ii) पूँजीगत लिखतें : नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	-	-
योग	270806,45,22	185014,43,87
कुल योग	493135,15,62	426043,37,98
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं	129118,98,56	178690,84,91

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)		
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	27360,44,54	33431,04,90
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	4346,60,96	2344,61,99
III. उपचित ब्याज	27028,92,65	17704,33,21
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	72	2,55,53
V. अन्य (प्रावधानों सहित)*	213721,15,64	176449,28,65
योग	272457,14,51	229931,84,28

* मानक आस्तियों के लिए ₹ 25673,65,46 हजार का विवेकशील प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 9972,60,99 हजार) जिसमें बड़े ऋण खातों के लिए रु8,500 करोड़ का विवेकशील प्रावधान शामिल है।

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)		
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	21409,48,82	21742,92,83
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	225678,08,70	236116,27,88
(ii) अन्य खातों में	-	60406,00,00
योग	247087,57,52	318265,20,71

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	-	-
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
(ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्त राशि		
(क) बैंकों में	7770,44,34	547,22,08
(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
योग	7770,44,34	547,22,08
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	43379,39,74	61541,33,80
(ii) अन्य जमा खातों में	1122,11,64	2772,69,44
(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त राशि	8540,08,56	11425,86,08
योग	53041,59,94	75739,89,32
कुल योग (I और II)	60812,04,28	76287,11,40

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1238328,92,16	1162182,63,96
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
(iii) शेयर	14087,85,39	12424,39,66
(iv) डिबेंचर और बांड	213392,76,78	215804,42,59
(v) अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में (इसमें सहयोगी सम्मिलित हैं)*	14050,23,13	14012,38,80
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट इत्यादि)	29076,31,69	23582,24,18
योग	1508936,09,15	1428006,09,19
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	30059,19,62	19728,93,24
(ii) विदेश में स्थापित अनुषंगियाँ तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	5680,21,97	5028,44,04
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	25690,71,83	28682,00,51
योग	61430,13,42	53439,37,79
कुल योग (I और II)	1570366,22,57	1481445,46,98
III. भारत में निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1524189,29,58	1439648,85,34
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यहास	15253,20,43	11642,76,15
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त ख के अनुसार)	1508936,09,15	1428006,09,19
IV. भारत के बाहर निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	63208,84,72	53537,57,21
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यहास	1778,71,30	98,19,42
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त ख के अनुसार)	61430,13,42	53439,37,79
कुल योग (III और IV)	1570366,22,57	1481445,46,98

* शेयर आवेदन राशि सहित

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र का अभिन्न भाग है

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)		
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
अ. i) क्रय किए गए और बढ़ाकृत बिल	181809,89,57	167282,62,94
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	836849,24,83	713526,87,72
iii) सावधि ऋण	2180610,15,28	1853157,08,63
योग	3199269,29,68	2733966,59,29
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)	2135804,65,54	1874674,76,97
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	133100,11,33	114697,57,23
iii) अप्रतिभूत	930364,52,81	744594,25,09
योग	3199269,29,68	2733966,59,29
ग I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	697644,43,51	658546,87,83
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	258891,40,67	167189,34,75
(iii) बैंक	447,11,05	1001,87,68
(iv) अन्य	1751489,67,48	1496980,59,45
योग	2708472,62,71	2323718,69,71
ग II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	151113,59,09	119036,89,80
(ii) अन्यो से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बढ़ाकृत बिल	42518,59,79	35342,14,75
(ख) सिंडीकेट ऋण	210775,60,39	182163,55,96
(ग) अन्य	86388,87,70	73705,29,07
योग	490796,66,97	410247,89,58
कुल योग (सी (I) और सी (II))	3199269,29,68	2733966,59,29

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)		
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित पर परिवर्धन:	30453,14,11	30362,68,76
- वर्ष के दौरान	28,76,48	107,12,39
- पुनर्मूल्यांकन हेतु	6407,26,03	-
कटौतियाँ:		
- वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6,81,67	1,16,82
- वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	1828,91,10	15,50,22
अद्यतन मूल्यहास		
- लागत पर	1190,11,99	1058,70,21
- पुनर्मूल्यांकन पर	1228,86,53	1028,90,79
	32634,45,33	28365,53,11

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(000 को छोड़ दिया गया है)		
II. अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	38171,83,29	36131,54,03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3354,44,78	2608,18,79
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	666,53,00	567,89,53
अद्यतन मूल्यहास	31393,47,30	29069,87,58
	9466,27,77	9101,95,71
III. निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)	281,07,21	240,67,01
कुल (I, II, एवं III)	42381,80,31	37708,15,83

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(000 को छोड़ दिया गया है)		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज	39191,05,69	33675,81,75
III. अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	16517,16,78	22292,88,93
IV. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	10534,22,09	6247,27,92
V. लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	22,56,00	18,28,40
VI. दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	56,10	56,10
VII. अन्य *	330796,01,63	277690,03,23
योग	397061,58,29	339924,86,33

* नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा रखे गए ₹ 218591,19,47 हजार (पिछले वर्ष ₹ 195618,29,52 हजार) की जमाराशियाँ शामिल हैं।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(000 को छोड़ दिया गया है)		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	90421,31,87	85961,67,98
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	1689,05,00	1982,56,16
III. बकाया वादा विनिमय संविदाओं के संबंध में देयता	1039221,77,94	1212393,31,12
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	165143,90,45	166478,97,17
(ख) भारत के बाहर	104910,29,06	95194,96,23
V. प्रतिग्रहण,पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	151795,92,04	178718,66,77
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	273391,86,07	266353,28,63
कुल	1826574,12,43	2007083,44,06

* 261587,05,11 हजार के डेरिवेटिव्स (पिछले वर्ष 259459,41,01 हजार) शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता

(000को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	332103,06,02	275457,29,04
अन्य आय	14	36615,59,76	40563,91,40
योग		368718,65,78	316021,20,44
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	187262,55,56	154749,70,43
परिचालन व्यय	16	97743,13,61	93397,51,52
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		33480,51,25	36198,00,44
योग		318486,20,42	284345,22,39
III. लाभ			
निवल लाभ वर्ष के लिए		50232,45,36	31675,98,05
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ/(हानि)		5881,40,49	(3600,84,46)
योग		56113,85,85	28075,13,59
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित		15069,73,61	9502,79,42
पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरित		232,80,84	538,15,24
निवेश उतार-चढ़ाव निधि को अंतरित		4575,43,43	4647,87,02
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		2052,35,00	1168,44,00
चालू वर्ष के लिए डिविडेंड		10084,81,15	6336,47,42
तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		24098,71,82	5881,40,49
योग		56113,85,85	28075,13,59
V. प्रति शेयर आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)			
मूल (₹)		56.29	35.49
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)		56.29	35.49
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री आलोक कुमार चौधरी

प्रबंध निदेशक

(खुदरा व्यापार और परिचालन)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी

प्रबंध निदेशक

(जोखिम, अनुपालन और एसएआरजी)

श्री स्वामीनाथन जे.

प्रबंध निदेशक

(कॉरपोरेट बैंकिंग और अनुषंगियाँ)

श्री चला श्रीनिवासुलु सेट्टी

प्रबंध निदेशक

(अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार और प्रौद्योगिकी)

निदेशक:

श्री बी वेणुगोपाल

डॉ. गणेश नटराजन

श्री केतन एस. विक्रमसी

श्री मृगांक एम. परांजपे

श्री प्रफुल्ल पी छाजेड

सुश्री स्वाति गुप्ता

श्री अनिल कुमार शर्मा

श्री दिनेश कुमार खारा

अध्यक्ष

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18 मई 2023

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date

कृते के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी

For K C Mehta & Co LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.
106237W/W100829

सीए चिराग बक्शी

CA Chirag Bakshi

भागीदार / Partner: स.क्र. M. No. 047164

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी

For Guha Nandi & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 302039E

डॉ बी एस कुंडु

Dr. B. S. Kundu

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051221

कृते सूरी एंड कंपनी

For Suri & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 004283S

सीए वी नटराजन

CA V Natarajan

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 223118

कृते गोखले एंड साठे

For Gokhale & Sathe

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

Firm Regn. No. 103264W

सीए जयंत गोखले

CA Jayant Gokhale

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 033767

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक: 18 मई, 2023 / Date: 18th May 2023

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी

For ASA & Associates LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.
009571N/N500006

सीए प्रतीत मिश्र

CA Prateet Mittal

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 402631

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी

For M C Bhandari & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 303002E

सीए निखिल जैन

CA Nikhil Jain

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 301150

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी

For Talati & Talati LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 110758W/
W100377

सीए आनंद शर्मा

CA Anand Sharma

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 129033

कृते एम के अग्रवाल एंड कं.

For M K Aggarwal & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 001411N

सीए अतुल अग्रवाल

CA Atul Aggarwal

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 099374

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी

For Prem Gupta & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 000425N

सीए शकुन गुप्ता

CA Shakun Gupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 506838

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स

For V Singhi & Associates

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 311017E

सीए अनिरुद्ध सेनगुप्ता

CA Aniruddha Sengupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051371

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी

For Ravi Rajan & Co. LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 009073N/500320

सीए सुमित कुमार

CA Sumit Kumar

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 512555

कृते जेएलएनयूएस एंड कं.

For JLN US & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 101543W

सीए शलभ कुमार डागा

CA Shalabh Kumar Daga

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 401428

अनुसूची

31 मार्च 2023 लाभ हानि खाता का अभिन्न भाग है

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	221400,64,68	171823,73,09
II. निवेशों पर आय	95928,26,71	84877,20,42
III. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	3491,01,12	4377,91,06
IV. अन्य	11283,13,51	14378,44,47
योग	332103,06,02	275457,29,04

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	26244,65,58	24565,21,06
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	3290,00,26	3485,08,43
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(4644,43,56)	(263,27,88)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(29,78,85)	(16,86,60)
V. विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	5284,68,59	3479,04,06
VI. विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय	855,10,80	718,37,49
VII. विविध आय ¹	5615,36,94	8596,34,84
योग	36615,59,76	40563,91,40

1 विविध आय में अपलिखित खातों में की गई ₹ 7097,30,65 हजार (पिछले वर्ष ₹ 7781,69,59 हजार) की वसूली शामिल है।

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	162418,04,53	141247,47,11
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	18080,16,02	7779,35,70
III. अन्य	6764,35,01	5722,87,62
योग	187262,55,56	154749,70,43

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान ²	57291,84,28	57561,98,54
II. भाड़ा, कर और लाइटिंग	5702,00,53	5362,15,52
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	705,42,59	615,09,43
IV. विज्ञापन व प्रचार	323,38,66	316,15,73
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	3297,27,04	3248,58,59
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	1,56,38	1,70,49
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	270,79,10	270,60,67
VIII. विधि प्रभार	271,61,16	241,38,60
IX. डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	536,54,31	507,66,87
X. मरम्मत और अनुरक्षण	1069,68,01	1036,20,89
XI. बीमा	5758,03,98	5239,81,42
XII. अन्य व्यय	22514,97,57	18996,14,77
योग	97743,13,61	93397,51,52

² 11 नवंबर 2020 के द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के अंतर्गत कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन में हुई वृद्धि के लिए शून्य (पिछले वर्ष ₹ 7418,39,00 हजार) को असाधारण मद के रूप में शामिल किया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

अनुसूची 17: महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. पृष्ठभूमि:

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई अथवा बैंक), बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेटों, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को व्यापक श्रेणी के उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करने में लगा है। बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों अर्थात् बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखा सिद्धांतों एवं लागू करने की विधियों को नीचे दिया गया है।

ख. तैयार करने का आधार:

बैंक की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियाँ भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशा-निर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है।

विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबद्ध देश के सांविधिक प्रावधान एवं स्थानीय कानून ज्यादा विवेकपूर्ण होने पर उनका अनुपालन किया जाएगा।

बैंक के वित्तीय विवरण स्थिरता और संचय की मौलिक लेखा मान्यताओं के साथ, अवधिगत लागत परिपाटी, गोइंग कंसर्न अवधारणा, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, को ध्यान में रखते हुए लेखा की निरंतर प्रोद्घवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ये वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ग. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन-मंडल को उन प्राक्कलनों और धारणाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिन्हें वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के रूप में आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) की कथित राशि में माना जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण :

1.1 जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है :

(i) विदेशी कार्यालयों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक/संबंधित देश विनियामकों (जिसे सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से आय

(ii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को ट्रेडिंग नाम दिया गया है।

1.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में किए गए निवेश की बिक्री पर और अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ को, इस संबंध में लागू करें और सांविधिक रिजर्व में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि को घटाकर 'कैपिटल रिजर्व' में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश के अधिग्रहण पर छूट यदि कोई हो, तो उसे निम्नानुसार गिना जाता है:

क. ब्याज धारित प्रतिभूतियों पर आय विक्रय और शोधन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, सतत आय के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।

1.4 लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

1.5 साख्र पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी), आस्थगित भुगतान गारंटी, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और पुनर्गठित खाते पर अग्रिम शुल्क पर कमीशन को इस अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से अर्जित आधार पर हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।

1.7 बॉन्ड/ जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.8 बैंक जब अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचते समय अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान रद्द करता है, तो वह इसे अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है :

- I. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।
- II. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश

निवेशों के वर्गीकरण एवं मूल्य निर्धारण पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे दिए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में लिया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

2.1 वर्गीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी)।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के रूप में किया गया है।

भारत के बाहर के निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय परिपक्वता तक धारित, विक्रय के लिए उपलब्ध या व्यवसाय के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय उन निवेशों के जो विशेष रूप से इसके बाद के निपटान की दृष्टि से अधिग्रहित और आयोजित किए जाते हैं। इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत एचटीएम श्रेणी के तहत निवेश को छोड़कर भारत और आसत लागत विधि पर निर्धारित की जाती है जो एफआईएफओ आधार (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) पर आधारित हैं।

क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

ii. परिपक्वता तक धारित श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

क) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है अधिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को निवेश पर आय शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश (देश और विदेश दोनों) को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है।

ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

iii. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियों का मूल्यांकन:

एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूत (iii) शेयर (iv) बांड एवं डिबेंचर (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य के लिए सिर्फ निवल मूल्यहास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. निवेश के अंतर-श्रेणी अंतरण पर मूल्यांकन नीति:

क) एचटीएफ/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो तो, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ख) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यहास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:

क) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आर्बिट्रर वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vi. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

2.4 निवेश (एनपीआई) :

i. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) ईक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि एक ही उधारकर्ता/सुविधा द्वारा प्राप्त की गई किसी ऋण सुविधा को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो बैंक निवेश को अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत करता है। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिसे अग्रिम माना गया है, पर एनपीआई के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक एवं बाजार भागीदारों के साथ रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के लिए एक समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार को दर्शाता है। प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा उधार ली गई निधियाँ रिवर्स रेपो लेनदेन होते हैं।

i. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेनदेनों को संपार्श्विक उधार देने एवं लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

- ii. बाजार रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरीदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजाही को रिपो/रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है।
- iii. रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 'उधार' के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- iv. भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी प्रकार के रिवर्स रेपो, जिनमें चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत आने वाले रेपो शामिल हैं, को अनुसूची 6 भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि (आरबीआई के पास नकदी और शेष राशि) (i) की उप मद (ii) 'अन्य खातों में' के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं।
- v. रिवर्स रेपो खाते में 14 दिनों तक की मूल अवधि के साथ शेष राशि को अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत वर्गीकृत किया गया है। मूल परिपक्वता वाले रिवर्स रेपो को 14 दिनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक के लिए अनुसूची 9 'अग्रिम' के तहत नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 'अग्रिम' के तहत सावधि ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- vi. भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य रेपो लेनदेन उधार लेने की लागत एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और प्रावधान:

- 3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:
 - i. यदि सावधि ऋण में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है तो उसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम में खाता असंगत (आउट ऑफ ऑर्डर) रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक होने या तुलनपत्र की तिथि

को लगातार 90 दिनों तक राशि जमा नहीं किए जाने अथवा उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त जमाराशियां होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- iv. कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अनर्जक अग्रिमों को अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- i. अवमानक: ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक है।
- ii. संदिग्ध: ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।
- iii. हानिप्रद: ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

अवमानक आस्तियाँ:	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii. प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति की वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20% है।
संदिग्ध आस्तियाँ:	
-प्रतिभूत हिस्सा:	i. एक वर्ष तक - 25%
	ii. एक से तीन वर्ष - 40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
-अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानिप्रद आस्तियाँ:	100%.

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

- 3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।
- 3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।
- 3.6 पुनर्चित/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्चना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।
- 3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।
- 3.9 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के अन्य देयताएं और प्रावधान- अन्य शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- 3.10 बैंक पुनर्गठित विशिष्ट गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी करता है।
- 3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:
 - क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि
 - ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज
 - ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल)

प्रावधान बफर :

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

- 6.1 बैंक विदेशी मुद्रा ऑप्शन, ब्याज दर स्वेप, मुद्रा स्वेप, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वेप और तुलनपत्र से बाहर/बैलेंस शीट से इतर परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए डेरीवेटिव करार करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए हेजिंग करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मर्दों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हों। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे हेजिंग लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।
- 6.2 हेज संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को संचय के आधार पर दर्ज किया गया है। हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से उचित खाता कुल प्राप्य राशियाँ में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हों, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से उचित खाता - सकारात्मक एमटीएम में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यहास और परिशोधन :

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यहास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यहास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार स्ट्रेट लाइन मेथड पर किया गया है:

क्र. अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगिता अवधि मूल्यहास
i. कंप्यूटर	3 वर्ष
ii. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	3 वर्ष
iii. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने संबंधी व्यय	3 वर्ष
iv. ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	5 वर्ष
v. सर्वर	4 वर्ष
vi. नेटवर्क उपकरण	5 वर्ष
vii. अन्य प्रमुख अचल आस्तियाँ :	
परिसर	60 वर्ष
वाहन	5 वर्ष
सुरक्षित जमा लॉकर	20 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष

7.3 वर्ष के दौरान (घरेलू परिचालनों हेतु) देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यहास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षित को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों के मूल्य में कमी:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों के मूल्य में आई कमी की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बढ़ाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन :

- विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (हाजिर/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।
- विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम हाजिरी दर का प्रयोग करके दी गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- उन विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का

अंतिम हाजिर दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्धृत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

- मौद्रिक मदों के निपटान से उद्धृत विनिमय अंतर राशियों को आरंभ से दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्धृत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

- मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

i. गैर-समाकलित परिचालन:

- क. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं की तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- ख. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।
- ग. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्धृत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।
- घ. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ii. **समाकलन परिचालन:**

- क. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- ख. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफडीआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिर/वायदा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।
- ग. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जैसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बट्टाकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

i. **नियत हितलाभ योजनाएं :**

- क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10% मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

- बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यक्षीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।
- बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

ग. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रणीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

ii. नियत अंशदान योजना :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएन) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर:

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो झूआय पर कर का लेखांकन से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रणीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को लागू या बाद में लागू कर दरों और कर नियमों द्वारा मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। क्या आस्थगित कर आस्तियों की वसूली निश्चित है, इस बारे में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर उनको प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हिसाब में लिया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अग्रणीत आस्थगित कर आस्तियों को गैर-आमेलित मूल्यहास और कर घाटा के रूप में तभी माना जाता है, जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 प्रति शेयर आय के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो ईक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां के अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

- i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा
- ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किंतु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि:
 - क. यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा
 - ख. दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवाई प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तभी किया जाता है, जब किसी संविदा से बैंक को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी देयताओं की पूर्ति के अपरिहार्य व्ययों से कम हो। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के

संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लेता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बार्स समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

अनुसूची- 18- लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 सांविधिक पूंजी

क. सांविधिक पूंजी की संरचना (बेसल III के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं. मदें	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	2,85,834.97	2,46,360.79
ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	49,692.70	36,709.70
iii) टियर 1 पूंजी (i + ii)	3,35,527.67	2,83,070.49
iv) टियर 2 पूंजी	73,051.40	59,721.52
v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	4,08,579.07	3,42,792.01
vi) कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडबल्यूए)	27,83,058.70	24,78,703.46
vii) सीईटी 1 अनुपात (%) (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	10.27%	9.94%
viii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%) (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	12.06%	11.42%
ix) टियर 2 पूंजी अनुपात (%) (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीईटी 2)	2.62%	2.41%
x) जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	14.68%	13.83%
xi) लीवरेज अनुपात	5.52%	5.09%
xii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	56.92%	56.92%
xiii) वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	\$	--
xiv) वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि बेसल III अनुपालन सतत ऋण लिखत	15,133.00	13,974.00
xv) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि: बेसल III अनुपालन ऋण पूंजी लिखत	4,000.00	--

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.न.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

\$ वर्ष के दौरान, बैंक ने 400 शेयरों (राइट इश्यू 2008 के एक भाग के रूप में जारी) आबंटन में से ₹158/- प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर नकद के लिए ₹ 1/- के 7,93,630 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं, जिनमें से स्वामित्व विवाद के समाधान के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्राप्त ₹ 63,600/- की कुल सदस्यता में से ₹ 400/- को शेयर कैपिटल खाते में और ₹ 63,200/- को शेयर प्रीमियम खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। 31 मार्च 2023 तक 7,93,230 शेयरों का आबंटन स्थगित है।

ख. आरक्षित निधि से निकासी:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से लाभ व हानि खाते में कोई निकासी नहीं की गई।

ग. नवोन्मेशी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-ख पूंजी के लिए पात्र है तथा बकाया हैं उन आईपीडीआई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	बॉण्डों का स्वरूप	मूल राशि	जारी करने की तारीख	ब्याज दर % प्रति वर्ष
i)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2018	4,021.00	04.12.2018	9.56
ii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2018 श्रृंखला II	2,045.00	21.12.2018	9.37
iii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2018 श्रृंखला III	1,251.30	22.03.2019	9.45
iv)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2019-20 श्रृंखला I	3,104.80	30.08.2019	8.75
v)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2019-20 श्रृंखला II	3,813.60	22.11.2019	8.50
vi)	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2020-21 श्रृंखला I	4,000.00	09.09.2020	7.74
vii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2020 श्रृंखला II	2,500.00	24.11.2020	7.73
viii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2021 श्रृंखला I	4,000.00	03.09.2021	7.72
ix)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2021 श्रृंखला II	6,000.00	18.10.2021	7.72
x)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड 2021 श्रृंखला III	3,974.00	14.12.2021	7.55
xi)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड श्रृंखला I 2022-23	6,872.00	09.09.2022	7.75
xii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड श्रृंखला II 2022-23	4,544.00	21.02.2023	8.20
xiii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III एटी 1 बॉण्ड श्रृंखला III 2022-23	3,717.00	09.03.2023	8.25
कुल		49,842.70		

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

घ. गौण ऋण

बॉण्ड अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं सम मूल्य पर मोचनीय पर होते हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	बॉण्डों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	व्याज दर % प्रति वर्ष	परिपक्वता अवधि (माह में)
i)	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
ii)	ई-एसबीएम टियर II बेसल III अनुपालक	500.00	17.12.2014 17.12.2024	8.55	120
iii)	ई-एसबीपी टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I)	950.00	22.01.2015 22.01.2025	8.29	120
iv)	ई-एसबीबीजे टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	20.03.2015 20.03.2025	8.30	120
v)	ई-एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XIV)	393.00	31.03.2015 31.03.2025	8.32	120
vi)	ई-एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XV)	500.00	30.12.2015 30.12.2025	8.40	120
vii)	ई-एसबीएम टियर II बेसल III अनुपालक	300.00	31.12.2015 31.12.2025	8.40	120
viii)	ई-एसबीएम टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	18.01.2016 18.01.2026	8.45	120
ix)	ई-एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XVI)	200.00	08.02.2016 08.02.2026	8.45	120
x)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III - टियर II बॉण्ड 2018-19	4,115.90	02.11.2018 02.11.2028	8.90	120
xi)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III - टियर II बॉण्ड 2019-20	5,000.00	28.06.2019 28.06.2029	7.99	120
xii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III - टियर 2 बॉण्ड 2020-21 श्रृंखला I	8,931.00	21.08.2020 21.08.2035	6.80	180
xiii)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III - टियर 2 बॉण्ड 2020-21 श्रृंखला II	7,000.00	21.09.2020 21.09.2030	6.24	120
xiv)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III टियर 2 बॉण्ड 2020-21 श्रृंखला III	5,000.00	26.10.2020 26.10.2030	5.83	120
vx)	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III टियर 2 बॉण्ड 2022-2023 श्रृंखला I	4,000.00	23.09.2022 23.09.2032	7.57	180
योग		39,289.90			

18.2. आस्ति देयता प्रबंधनः

क. 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 से अधिक	2 माह से अधिक	3 माह से अधिक	6 माह से अधिक	1 वर्ष से अधिक	3 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	62,021.01	81,883.25	45,827.82	64,120.64	88,688.79	60,036.93	1,82,952.43	10,66,628.66	9,63,143.94	5,25,512.40	12,82,981.92	44,23,777.78
	(65,464.24)	(79,811.62)	(49,407.77)	(66,029.77)	(74,518.20)	(62,378.97)	(1,69,876.16)	(9,51,227.96)	(8,89,676.97)	(4,42,764.54)	(12,01,377.92)	(40,51,534.12)
अग्रिम	43,124.35	18,214.44	16,962.84	41,105.18	79,902.61	60,557.90	1,89,565.69	2,38,645.46	11,55,432.84	4,32,665.73	9,22,092.26	31,99,269.30
	(35,455.14)	(17,489.88)	(21,462.78)	(45,328.82)	(57,802.93)	(59,606.96)	(1,53,396.53)	(2,20,131.63)	(9,63,157.51)	(3,58,491.91)	(8,01,642.50)	(27,33,966.59)
निवेश	355.75	1,278.98	4,552.48	17,717.98	50,026.23	25,047.13	62,332.71	1,86,969.71	2,61,846.37	2,38,318.28	7,21,920.61	15,70,366.23
	(324.55)	(1,146.46)	(4,577.73)	(3,851.73)	(9,930.25)	(21,605.55)	(58,778.27)	(96,380.18)	(3,88,944.97)	(2,54,458.06)	(6,41,447.72)	(14,81,445.47)
उधारियाँ	21.11	1,05,533.97	1,68,408.87	28,535.79	27,044.48	37,140.22	47,064.18	55,395.05	66,095.16	53,366.85	56,097.48	4,93,135.16
	(58.99)	(1,50,299.24)	(7,992.20)	(12,734.96)	(18,023.76)	(16,628.14)	(27,877.17)	(71,910.67)	(86,386.10)	(60,331.41)	(23,800.74)	(4,26,043.38)
विदेशी मुद्रा आप्तियाँ #	11,699.08	8,291.75	8,689.76	21,566.10	40,420.48	42,014.14	93,188.46	73,245.98	1,38,699.09	1,08,321.98	61,971.61	6,08,108.41
	(10,959.11)	(7,939.73)	(12,880.42)	(25,295.77)	(31,319.50)	(32,758.84)	(60,542.17)	(58,350.82)	(1,29,602.34)	(80,642.55)	(63,806.67)	(5,14,097.92)
विदेशी मुद्रा व्ययताँ \$	24,828.68	10,034.84	9,639.00	30,962.01	44,476.12	50,917.06	74,840.99	82,402.52	74,915.44	54,743.19	28,376.66	4,86,136.50
	(30,609.40)	(9,560.59)	(9,743.65)	(17,542.84)	(22,526.37)	(26,932.35)	(43,668.69)	(56,277.39)	(70,303.27)	(46,238.82)	(21,258.68)	(3,54,662.04)

*विदेशी मूद्रा आस्तियाँ, अग्रिमों तथा निवेशों को व्यक्त करती हैं।

विदेशी मूद्रा देयताएँ उधारियों तथा जमाओं को व्यक्त करती हैं।

कोषक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2022 के हैं।

ख. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर):

i. एकल एलसीआर

चलानिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि कोई बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एक्व्यूएलाए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखे है ताकि गंभीर तरलता ढबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिन की समय अवधि के लिए बैंक की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक (एक्वथएलए)

$$LCR =$$

अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन

तरल संपत्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली वे आस्तियाँ होती हैं जिनका आसानी से नकदीकरण किया जा सकता है या किसी प्रकार के तनाव परिदृश्य में नकदी प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

एचव्यूएलए स्टांक में दो प्रकार की आस्तियाँ शामिल होती हैं अर्थात् स्तर 1 तथा स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 1 आस्तियाँ 0% हेयरकट (मार्जिन) के साथ जबकि लेवल 2- और लेवल 2इ आस्तियाँ क्रमशः 15% और 50% हेयरकट के साथ होती हैं।

कूल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह, अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कूल अनमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कूल नकदी अंतरप्रवाह को घटाकर प्राप्त राशि है।

कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों या प्रकार की देनदारियों और तुलनपत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं की बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा है, जिस पर उनका चले जाना या आहारित किया जाना अनुमानित होता है।

कुल अपेक्षित नकदी अंतरप्रवाह की गणना संविदागत प्राप्ति की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेष को उस दर से गुणा करके किया जाता है, जिस पर उनका अंतःप्रवाह अनुमानित है, यह अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह की औसत 75% तक की सीमा तक होता है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

31.03.2023 को समाप्त तिमाही को एलसीआर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक	चलनिधि कवरेज अनुपात									
	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही		31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही		30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही		30 जून 2022 को समाप्त तिमाही		31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तावाली चल आस्तियां (एचक्यूएलए)										
1. उच्च गुणवत्ता वाली कुल चल आस्तियां		12,13,100		11,73,646		11,94,963		11,94,891		11,26,684
नकदी बहिर्वाह										
2. खुदरा जमाराशियां तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां, जिनमें से:										
i) स्थिर जमाराशियां	9,08,572	45,429	8,69,034	43,452	8,61,427	43,071	8,54,050	42,702	8,54,540	42,727
ii) कम स्थिर जमाराशियां	21,03,084	2,10,308	19,65,126	1,96,513	19,26,234	1,92,623	18,93,530	1,89,353	18,66,220	1,86,622
3. अप्रत्याभूत थोक निधीयन, जिनमें से:										
i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	10,48,772	6,07,493	11,34,193	7,21,643	11,55,449	7,25,980	11,26,583	6,86,012	10,33,929	6,30,544
iii) अप्रत्याभूत थोक निधीयन, जिनमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. प्रत्याभूत थोक निधीयन	1,37,680	222	1,59,708	1,004	1,43,236	457	1,66,298	88	1,76,267	25
5. अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिसमें से:										
i) डेरिवेटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	3,92,263	3,92,263	4,20,855	4,20,855	4,30,256	4,30,256	4,83,581	4,83,581	4,01,193	4,01,193
ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	78,921	13,327	53,708	8,259	56,886	8,763	50,843	8,090	47,971	7,990
6. अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	46,656	46,656	42,354	42,354	39,279	39,279	40,079	40,079	38,146	38,146
7. अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	7,94,503	30,705	6,52,860	23,421	6,43,086	22,947	6,31,938	22,492	6,37,250	22,598
8. कुल नकदी बहिर्वाह	55,10,450	13,46,403	52,97,838	14,57,501	52,55,854	14,63,376	52,46,901	14,72,398	50,55,515	13,29,845
नकदी अंतर्वाह										
9. प्रत्याभूत ऋण (उदा. रिवर्स रिपो)	15,796	-	11,056	-	27,428	-	92,946	-	75,185	-
10. पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	5,07,787	4,75,478	5,40,938	5,10,381	5,37,306	5,08,882	5,97,328	5,68,504	5,04,133	4,77,011
11. अन्य नकदी अंतर्वाह	54,824	43,516	51,257	40,506	48,817	39,387	45,615	38,649	44,252	36,201
12. कुल नकदी अंतर्वाह	5,78,408	5,18,994	6,03,251	5,50,887	6,13,551	5,48,268	7,35,888	6,07,154	6,23,571	5,13,212
13. कुल एचक्यूएलए		12,13,100		11,73,646		11,94,963		11,94,891		11,26,684
14. कुल निवल नकदी बहिर्वाह		8,27,409		9,06,613		9,15,108		8,65,244		8,16,633
15. चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		146.61%		129.45%		130.58%		138.10%		137.97%

आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर क्रमांक बीपी.बीसी.80/21.06.201/ 2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में दिए गए दिशानिर्देश अनुसार, औसत भारित और अभांरित राशियों की गणना साधारण दैनिक औसत के आधार पर की जा रही है। जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए बैंक ने 66 दिन डेटा बिंदुओं को शामिल किया।

बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 22-23 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 146.61% है, यह नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% की सीमा से अधिक है। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹ 12,13,100 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 की आस्तियाँ रहीं। स्तर 2 ए और स्तर 2 बी आस्तियाँ कुल एचक्यूएलए का क्रमशः 3.45% तथा 0.65% होता है। तिमाही के दौरान भारत औसत एचक्यूएलए स्तर में ₹ 39,454 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण अतिरिक्त एसएलआर अधिशेष में वृद्धि है और भारत औसत शुद्ध नकदी बहिर्वाह की स्थिति में ₹ 79,204 करोड़ रुपये की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण अन्य कानूनी इकाई ग्राहकों के मद में नकदी बहिर्वाह में गिरावट है। डेरिवेटिव एक्सपोजर को लगभग मेल खाने वाले प्रवाह और बहिर्वाह की स्थिति के कारण महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। तिमाही के दौरान, अमेरिकी डॉलर के लिए एलसीआर (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का बैंक की बैलेंस शीट का 5% से अधिक है) औसतन 295.17% था।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एलएम) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा अल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियन के स्रोत विविध हों तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक एसएलआर निवेशों के रूप में अनिवार्य आवश्यकता से अधिक एचक्यूएलए बनाए रखता रहा है। भली भाँति विविधित खुरदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ii. समेकित एलसीआर

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है, तदनुसार, एलसीआर की गणना समूह स्तर पर की गई है। एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएँ हैं: भारतीय स्टेट बैंक और सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ: कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) लिमिटेड, एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लि., बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया तथा एसबीआई (यूके) लिमिटेड। 31 मार्च 2023 को जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 तीन महीनों के औसत के आधार पर एसबीआई समूह का एलसीआर 148.30% आता है, यह न्यूनतम सांविधिक आवश्यकता 100% से अधिक है।

समूह एसएलआर निवेशों के रूप में अनिवार्य आवश्यकता से अधिक एचक्यूएलए बनाए रखता रहा है। खुरदरा जमा राशियाँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसलिए ये भलीभाँति विविधित हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

31.03.2023 को समाप्त तिमाही को समूह चलनिधि अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण (जनवरी-मार्च 2023)

(₹ करोड़ में)

जीएलसीआर घटक	चलनिधि कवरेज अनुपात (भारतीय स्टेट बैंक समूह)									
	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही		31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही		30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही		30 जून 2022 को समाप्त तिमाही		31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) **	अभारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत) **	अभारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत) **	अभारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत) **	अभारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत) **	अभारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तावाली चल आस्तियां (एचव्यूएलए)										
1. उच्च गुणवत्ता वाली कुल चल आस्तियां (एचव्यूएलए)		12,25,975		11,85,275		12,21,055		12,01,176		11,32,828
नकदी बहिर्वाह										
2. खुदरा जमाराशियां तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां, जिनमें से:										
i) स्थिर जमाराशियां	9,16,870	45,844	8,77,353	43,868	8,85,495	44,275	8,62,268	43,113	8,63,104	43,155
ii) कम स्थिर जमाराशियां	21,19,665	2,11,966	19,81,341	1,98,134	19,69,089	1,96,909	19,05,186	1,90,519	18,77,488	1,87,749
3. अप्रत्याभूत शोक निधीयन, जिनमें से:										
i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	227	57	259	65	838	210	245	61	213	53
ii) गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	10,52,154	6,09,695	11,38,101	7,24,162	11,66,171	7,33,083	11,29,875	6,88,187	10,36,748	6,32,558
iii) अप्रत्याभूत शोक निधीयन, जिनमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. प्रत्याभूत शोक निधीयन	1,38,072	366	1,60,384	1,228	1,45,100	1,001	1,66,988	429	1,76,737	156
5. अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिसमें से										
i) डेरिवेटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	3,92,411	3,92,411	4,21,042	4,21,042	4,30,733	4,30,733	4,83,693	4,83,693	4,01,387	4,01,387
ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	82,077	14,673	57,500	9,708	67,599	13,038	53,719	9,169	50,247	8,719
6. अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	47,126	47,126	42,920	42,920	41,634	41,634	41,218	41,218	39,315	39,315
7. अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	7,96,945	30,779	6,55,329	23,496	6,50,746	23,180	6,34,329	22,565	6,39,545	22,668
8. कुल नकदी बहिर्वाह	55,45,546	13,52,917	53,34,229	14,64,621	53,57,406	14,84,062	52,77,520	14,78,954	50,84,784	13,35,760
नकदी अंतर्वाह										
9. प्रत्याभूत ऋण (उदा. रिवर्स रिपो)	15,796	-	11,056	-	27,428	-	92,946	-	75,185	-
10. पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	5,17,534	4,82,562	5,48,427	5,14,666	5,58,824	5,20,994	6,03,646	5,72,192	5,10,004	4,80,116
11. अन्य नकदी अंतर्वाह	54,979	43,671	51,752	41,001	49,947	40,517	45,927	38,961	44,508	36,457
12. कुल नकदी अंतर्वाह	5,88,310	5,26,233	6,11,235	5,55,667	6,36,198	5,61,511	7,42,519	6,11,153	6,29,697	5,16,572
13. कुल एचव्यूएलए		12,25,975		11,85,275		12,21,055		12,01,176		11,32,828
14. कुल निवल नकदी बहिर्वाह		8,26,684		9,08,954		9,22,552		8,67,801		8,19,188
15. चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		148.30%		130.40%		132.36%		138.42%		138.29%

**3 माह के मासिक औसत आंकड़े विदेशी बैंकिंग सहायक कंपनियों तथा दैनिक औसत एसबीआई (एकल) हेतु लिए गए हैं।

ग. निवल स्थिर निधीयन अनुपात:

घ. एकल निवल स्थिर निधीयन अनुपात:

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश भविष्य के फंडिंग तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर फंडिंग स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों के निधीयन की आवश्यकता द्वारा दीर्घकालिक समय अवधि में फंडिंग जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन राशि (एसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन राशि (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

मात्रात्मक प्रकटीकरण: निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च 2023, 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 30 जून 2022 (अर्थात तिमाही अंत अवलोकन) के अनुसार एसबीआई (एकल) के एनएसएफआर घटकों के गैर-भारित और भारित मूल्य शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (भारतीय स्टेट बैंक)										
एनएसएफआर घटक	31.03.2023 की स्थिति					31.12.2022 की स्थिति				
	शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर अभारित				भारित मूल्य	शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर अभारित				भारित मूल्य
	मूल्य					मूल्य				
	परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष		परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष	
एसएसएफ मद										
1) पूंजी : (2+3)	-	-	-	4,07,423	4,07,423	-	-	-	3,96,009	3,96,009
2) विनियामक पूंजी	-	-	-	4,07,423	4,07,423	-	-	-	3,96,009	3,96,009
3) अन्य पूंजी लिखतें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) खुदरा जमाएँ तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाएँ : (5+6)	14,66,184	4,82,484	5,13,982	5,84,499	27,87,242	14,76,985	4,83,491	5,35,766	5,26,987	27,66,326
5) स्थिर जमाएँ	4,17,678	1,54,564	1,65,854	1,58,061	8,51,350	4,38,722	1,54,116	1,73,686	1,41,877	8,62,981
6) घटा स्थिर जमाएँ	10,48,506	3,27,920	3,48,128	4,26,438	19,35,892	10,38,263	3,29,375	3,62,080	3,85,110	19,03,345
7) थोक निधियाँ: (8+9)	3,00,821	3,95,079	2,45,063	4,52,127	8,64,625	2,46,577	3,73,816	2,55,092	3,86,008	8,11,805
8) परिचालन जमाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) अन्य थोक जमाएँ	3,00,821	3,95,079	2,45,063	4,52,127	8,64,625	2,46,577	3,73,816	2,55,092	3,86,008	8,11,805
10) अन्य देयताएँ: (11+12)	7,80,210	1,10,741	34,591	34,103	-	7,67,214	95,510	37,431	21,684	-
11) एनएसएफआर डेरिवेहिव देयताएँ		25	-	330			-	-	93	
12) उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य देयताएँ व इक्विटी	7,80,210	1,10,716	34,591	33,773	-	7,67,214	95,510	37,431	21,591	-
13) कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					40,59,290					39,74,140
आरएसएफ मद										
14) एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली कुल तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					74,681					71,722
15) परिचालन उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रखी गई जमा राशियाँ	13,492	37,512	-	2,385	26,695	20,874	27,220	-	3,240	25,667
16) निष्पादक ऋण तथा प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23)	5,360	6,74,535	2,65,986	6,23,214	8,50,657	5,637	6,61,749	2,75,068	6,56,718	8,83,606
17) स्तर 1 एचक्यूएलए से प्रत्याभूत अन्य वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	-	7,406	-	-	741	-	3,996	-	-	400
18) गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रत्याभूत न किए गए अन्य वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को वित्तीय संस्थानों को अप्रत्याभूत निष्पादित ऋण	-	1,30,127	-	-	19,519	-	1,04,033	-	-	15,605
19) गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा व लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रीय, केंद्रीय बैंकों व पीएसई को ऋण, जिसमें से	-	5,37,002	2,65,986	3,03,341	5,98,666	-	5,53,720	2,75,068	3,17,277	6,20,624
20) ऋण जोखिम के लिए बेसल खख मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या उससे कम जोखिम भार सहित	-	-	-	3,03,341	1,97,172	-	-	-	3,17,277	2,06,230
21) निष्पादक देशीय बंधक, जिसमें से :	-	-	-	2,23,583	1,45,329	-	-	-	2,31,696	1,50,603
22) ऋण जोखिम के लिए बेसल खख मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या उससे कम जोखिम भार सहित	-	-	-	2,23,583	1,45,329	-	-	-	2,31,696	1,50,603
23) प्रतिभूतियाँ जिनमें चूक नहीं हुई है तथा एचक्यूएलए विशेषक नहीं हैं, एक्सचेंज व्यापारित इक्विटियों सहित	5,360	-	-	96,290	86,402	5,637	-	-	1,07,745	96,374
24) अन्य आस्तियाँ : (25 से 29 पंक्तियों का योग)	12,23,321	52,307	5,992	14,51,872	25,43,068	10,84,334	73,829	4,109	13,38,616	23,24,990
25) स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26) डेरिवेटिव्स संविदा के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी की चूक निधियाँ		-	-	-	1,098		-	-	-	1,103
27) एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियाँ		-	-	-	-		1,042	-	-	1,042
28) पोस्ट किए गए परिवर्तन मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएँ		1,752	1,099	2,886	5,737		1,636	1,483	2,988	6,107
29) उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी आस्तियाँ	12,23,321	50,555	4,893	14,48,986	25,36,233	10,84,334	71,151	2,626	13,35,628	23,16,738
30) तुलन पत्र बाह्य मर्दे		9,97,023	-	-	40,733		7,08,482	-	-	26,257
31) कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					35,35,834					33,32,242
32) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					114.80%					119.26%

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

(₹ करोड़ में)

एनएसएफआर घटक	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (भारतीय स्टेट बैंक)									
	30.09.2022 की स्थिति					30.06.2022 की स्थिति				
	शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर अभांशित				भारित मूल्य	शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर अभांशित				भारित मूल्य
	परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
एएसएफ मद										
1) पूंजी : (2+3)	-	-	-	3,85,784	3,85,784	-	-	-	3,61,457	3,61,457
2) विनियामक पूंजी	-	-	-	3,85,784	3,85,784	-	-	-	3,61,457	3,61,457
3) अन्य पूंजी लिखतें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) खुदरा जमाएँ तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाएँ : (5+6)	13,78,045	4,57,887	5,30,244	4,82,229	26,07,093	13,59,636	4,75,465	4,99,039	4,58,707	25,56,346
5) स्थिर जमाएँ	4,25,920	1,44,852	1,71,129	1,28,671	8,27,044	4,15,612	1,51,275	1,63,642	1,25,165	8,12,909
6) घटा स्थिर जमाएँ	9,52,125	3,13,035	3,59,115	3,53,558	17,80,049	9,44,024	3,24,190	3,35,397	3,33,542	17,43,437
7) थोक निधियाँ: (8+9)	2,35,527	3,40,119	3,21,597	3,46,648	7,69,841	2,25,713	3,02,308	2,77,799	3,49,829	7,26,236
8) परिचालन जमाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) अन्य थोक जमाएँ	2,35,527	3,40,119	3,21,597	3,46,648	7,69,841	2,25,713	3,02,308	2,77,799	3,49,829	7,26,236
10) अन्य देयताएँ: (11+12)	8,59,165	1,15,311	29,604	20,253	-	8,69,063	1,26,989	22,232	27,228	-
11) एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएँ	-	-	-	1,375	-	-	-	-	1044	-
12) उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य देयताएँ व इक्विटी	8,59,165	1,15,311	29,604	18,878	-	8,69,063	1,26,989	22,232	26,184	-
13) कुल एएसएफ (1+4+7+10)					37,62,718					36,44,039
आरएसएफ मद										
14) एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली कुल तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)					74,248					70,509
15) परिचालन उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रखी गई जमा राशियाँ	25,365	35,976	-	3,852	32,597	20,710	28,188	-	2,994	25,946
16) निष्पादक ऋण तथा प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23)	5,846	7,47,776	2,50,280	6,79,668	9,25,216	5,065	6,69,303	2,59,689	7,22,037	9,17,080
17) स्तर 1 एचक्यूएलए से प्रत्याभूत अन्य वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	-	715	-	-	72	-	2,170	-	-	217
18) गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रत्याभूत न किए गए अन्य वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अप्रत्याभूत निष्पादित ऋण	-	1,17,568	-	-	17,635	-	1,21,304	-	-	18,196
19) गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा व लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रीय, केंद्रीय बैंकों व पीएसई को ऋण, जिसमें से	-	6,29,493	2,50,280	3,35,109	6,57,707	-	5,45,829	2,59,689	3,62,048	6,38,090
20) ऋण जोखिम के लिए बेसल खस्र मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या उससे कम जोखिम भार सहित	-	-	-	3,35,109	2,17,821	-	-	-	3,62,048	2,35,331
21) निष्पादक देशीय बंधक, जिसमें से:	-	-	-	2,40,210	1,56,137	-	-	-	2,48,596	1,61,587
22) ऋण जोखिम के लिए बेसल खस्र मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या उससे कम जोखिम भार सहित	-	-	-	2,40,210	1,56,137	-	-	-	2,48,596	1,61,587
23) प्रतिभूतियाँ जिनमें चूक नहीं हुई है तथा एचक्यूएलए विशेषक नहीं हैं, एक्सचेंज व्यापारित ईक्विटियों सहित	5,846	-	-	1,04,349	93,665	5,065	-	-	1,11,393	98,990
24) अन्य आस्तियाँ: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	10,07,704	66,025	1,496	12,54,587	21,61,605	9,62,596	82,322	5,081	11,85,450	20,43,092
25) स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26) डेरिवेटिव्स संविदा के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियाँ तथा सीसीपी की चूक निधियाँ	-	-	-	-	1,091	-	-	-	-	1,041
27) एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियाँ	-	1,777	-	-	1,777	-	417	-	-	417
28) पोस्ट किए गए परिवर्तन मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएँ	-	4,756	1,031	2,643	8,430	-	5,177	315	1,794	7,285
29) उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी आस्तियाँ	10,07,704	59,492	465	12,51,944	21,50,307	9,62,596	76,728	4,766	11,83,656	20,34,349
30) तुलन पत्र बाह्य मदें	-	6,95,602	-	-	25,569	-	6,61,229	-	-	23,886
31) कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					32,19,235					30,80,513
32) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					116.88%					118.29%

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं RBI/2017-18/178, DBR.BP.BC.No.106/21.04.098/2017-18 दिनांक 17 मई, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तिमाही अंत के अनुवीक्षण को ऊपर टेम्पलेट में प्रस्तुत किया गया है

तिमाही 4 (वित्त वर्ष 2022-23) के अंत में बैंक का एनएसएफआर 114.80% है और 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक है। 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध स्थिर निधीयन राशि (एसएफ) की स्थिति 40,59,290 करोड़ रुपये और आवश्यक स्थिर निधीयन राशि (आरएसएफ) की स्थिति 35,35,834 करोड़ रुपये थी। 31 दिसंबर 2022 की तुलना में 31 मार्च 2023 तक कुल एसएफ और आरएसएफ के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। एसएफ को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर के लिए विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है। किसी विशिष्ट संस्थान का आरएसएफ उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की तरलता विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसकी ऑफ-बैलेंस शीट (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन इकाइयाँ तरलता की स्थिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को सूचित करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा अल्को को निधीयन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत विविध हों तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को समय समय पर बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। मासिक एनएसएफआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, बैंक की तरलता आवश्यकताओं के आकलन के लिए दैनिक आधार पर बैंक तरलता कवरेज अनुपात की गणना करता है तथा संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा मुख्य रूप से एसएलआर निवेश के रूप में एचक्यूएलए बनाए रखता है। खुदरा जमा कुल वित्त पोषण स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा है, जो अच्छी तरह से विविध हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास अपनी तत्काल/संभावित भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है।

ii) समेकित निवल स्थिर निधीयन अनुपात

आरबीआई के दिशानिर्देशों में दिसंबर 2021 तिमाही से एक समेकित स्तर पर एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया गया है और तदनुसार, एनएसएफआर की गणना समूह स्तर पर की गई है।

एनएसएफआर समूह में शामिल इकाइयाँ एसबीआई और सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ हैं। कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मास्को, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) लिमिटेड, एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लिमिटेड, बैंक एसबीआई इंडोनेशिया और एसबीआई (यूके) लिमिटेड।

31 मार्च 2023 को एसबीआई समूह का एनएसएफआर 115.03% है, जो न्यूनतम विनियामक आवश्यकता 100% से अधिक है।

उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एसएफ) को एनएसएफआर के माध्यम से विचार की गई समय अवधि में विश्वसनीय होने की प्रत्याशा वाली पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक वर्ष तक हो सकता है। एक विशिष्ट समूह का आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) तरलता विशेषताओं और उस समूह द्वारा आयोजित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके ऑफ-बैलेंस शीट (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

(करोड़ रु. में)

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (भारतीय स्टेट बैंक समूह)										
तिमाही समाप्ति के लिए वक्तव्य	31 दिसंबर 2023					31 दिसंबर 2022				
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
	कोई परिपक्वता नहीं	6 महीने	6 महीने से 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	6 महीने	6 महीने से 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
एसएसएफ आइटम										
1 पूंजी: (2+3)	7,887	-	-	4,16,562	4,24,449	7,575	-	-	4,05,662	4,13,237
2 विनियामक पूंजी	7,887	-	-	4,09,203	4,17,090	7,575	-	-	3,97,871	4,05,445
3 अन्य पूंजीगत लिखतें	-	-	-	7,360	7,360	-	-	-	7,791	7,791
4 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा: (5+6)	14,82,779	4,88,568	5,20,923	5,85,550	28,15,852	14,95,103	4,89,493	5,42,242	5,27,538	27,95,324
5 स्थिर जमा	4,29,694	1,57,660	1,69,851	1,59,067	8,70,459	4,51,118	1,57,251	1,76,900	1,42,429	8,81,314
6 कम स्थिर जमा	10,53,085	3,30,908	3,51,072	4,26,483	19,45,393	10,43,984	3,32,242	3,65,342	3,85,110	19,14,010
7 थोक वित्त पोषण: (8+9)	3,02,846	3,97,657	2,50,298	4,52,148	8,69,554	2,48,531	3,77,202	2,57,621	3,86,008	8,15,740
8 कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमा और खुदरा तथा छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 अन्य थोक वित्त पोषण	3,02,846	3,97,657	2,50,298	4,52,148	8,69,554	2,48,531	3,77,202	2,57,621	3,86,008	8,15,740
10 अन्य देयताएं: (11+12)	7,81,201	1,13,463	34,591	34,103	-	7,68,690	98,294	37,431	22,051	-
11 एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां	-	25	-	330	-	-	-	-	93	-
12 अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	7,81,201	1,13,438	34,591	33,773	-	7,68,690	98,294	37,431	21,958	-
13 कुल एसएसएफ (1+4+7+10)	25,74,713	9,99,688	8,05,811	14,88,363	41,09,855	25,19,898	9,64,990	8,37,295	13,41,259	40,24,301
आरएसएफ मदें										
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)	8,881	3,202	766	2,547	75,376	9,202	3,405	328	2,826	72,321
15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमा राशियां	14,139	37,512	1,527	2,385	27,782	21,371	27,220	1,024	3,258	26,437
16 निष्पादन ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	5,360	6,79,577	2,67,873	6,53,836	8,77,764	5,637	6,67,386	2,76,526	6,88,088	9,11,509
17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	-	7,406	-	-	741	-	3,996	-	-	400
18 गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित निष्पादन ऋण	-	1,32,352	-	-	19,853	-	1,06,567	-	-	15,985
19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण देना, जिनमें से:	-	5,39,819	2,67,873	3,04,722	6,01,927	-	5,56,823	2,76,526	3,18,485	6,23,706
20 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल खरब मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	171	-	3,04,629	1,98,120	-	178	-	3,18,413	2,07,084
21 आवासीय गिरवी रखना, जिनमें से:	-	-	-	2,50,781	1,67,104	-	-	-	2,59,545	1,73,079
22 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल खरब मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	2,44,066	1,62,739	-	-	-	2,53,570	1,69,196
23 प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रैडेड इक्विटी समेत एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	5,360	-	-	98,333	88,139	5,637	-	-	1,10,058	98,340
24 अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	12,23,630	52,692	6,391	14,58,701	25,50,991	10,84,649	74,292	4,335	13,44,601	23,31,979
25 सोने सहित भौतिक व्यापारिक वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	-	-	-	-	1,098	-	-	-	-	1,103
27 एनएसएफआर व्युत्पन्न संपत्ति	-	38	-	-	47	-	1,060	-	-	1,068
28 पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले छद्म डेरिवेटिव देनदारियां	-	1,752	1,099	2,886	5,737	-	1,636	1,483	2,988	6,107
29 अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	12,23,630	50,903	5,293	14,55,815	25,44,108	10,84,649	71,597	2,851	13,41,613	23,23,702
30 ऑफ-बैलेंस शीट आइटम	-	9,98,564	-	-	40,935	-	7,10,010	-	-	26,493
31 कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					35,72,847					33,68,739
32 शुद्ध स्थिर निधीयन अनुपात (%)					115.03%					119.46%

(करोड़ ₹ में)

तिमाही समाप्ति के लिए वक्तव्य	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (भारतीय स्टेट बैंक समूह)									
	30 सितंबर 2022					30 जून 2022				
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारत मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारत मूल्य				
	कोई परिपक्वता नहीं	6 महीने	6 महीने से 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारत मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	6 महीने	6 महीने से 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारत मूल्य
एसएफ मदे										
1 पूंजी: (2+3)	6,753	-	-	3,94,556	4,01,308	6,686	-	-	3,69,890	3,76,576
2 विनियामक पूंजी	6,753	-	-	3,87,631	3,94,384	6,686	-	-	3,63,253	3,69,938
3 अन्य पूंजीगत लिखतें	-	-	-	6,925	6,925	-	-	-	6,637	6,637
4 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा: (5+6)	13,94,631	4,63,638	5,34,836	4,82,741	26,32,653	13,74,462	4,81,599	5,03,217	4,59,211	25,80,202
5 स्थिर जमा	4,37,039	1,47,740	1,73,889	1,29,183	8,43,459	4,24,987	1,54,224	1,66,366	1,25,666	8,27,681
6 कम स्थिर जमा	9,57,592	3,15,898	3,60,947	3,53,558	17,89,194	9,49,475	3,27,376	3,36,851	3,33,545	17,52,521
7 शोक वित्त पोषण: (8+9)	2,37,633	3,42,314	3,23,741	3,46,648	7,73,063	2,27,392	3,04,676	2,79,976	3,49,829	7,29,347
8 कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमा और खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 अन्य शोक वित्त पोषण	2,37,633	3,42,314	3,23,741	3,46,648	7,73,063	2,27,392	3,04,676	2,79,976	3,49,829	7,29,347
10 अन्य देनदारियां: (11+12)	8,60,924	1,18,578	29,604	20,706	-	8,70,706	1,30,825	22,232	27,490	-
11 एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां	325	-	-	1,375	-	153	-	-	1,044	-
12 अन्य सभी देनदारियां और इकिटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	8,60,599	1,18,578	29,604	19,331	-	8,70,553	1,30,825	22,232	26,446	-
13 कुल एसएफ (1+4+7+10)	24,99,941	9,24,530	8,88,181	12,44,650	38,07,024	24,79,246	9,17,099	8,05,426	12,06,420	36,86,125
आरएसएफ आइटम										
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचयूएलए)	6,778	1,645	1,144	2,540	74,784	4,467	1,338	825	2,617	71,043
15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाराशियां	25,767	35,976	912	3,852	33,254	21,173	28,188	583	2,994	26,470
16 निष्पादन ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	5,846	7,52,626	2,52,110	7,08,528	9,51,134	5,065	6,74,295	2,61,937	7,49,905	9,42,516
17 स्तर 1 एचयूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	-	715	-	-	72	-	2,170	-	-	217
18 गैर-स्तर 1 एचयूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित निष्पादन ऋण	-	1,19,861	-	-	17,979	-	1,23,710	-	-	18,557
19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण देना, जिनमें से:	-	6,32,050	2,52,110	3,36,413	6,60,746	-	5,48,415	2,61,937	3,62,979	6,41,102
20 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल खख मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	72	-	3,36,325	2,18,659	-	2	-	3,62,912	2,35,894
21 आवासीय गिरवी रखना, जिनमें से:	-	-	-	2,65,530	1,76,771	-	-	-	2,72,916	1,81,425
22 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल खख मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	2,61,092	1,73,887	-	-	-	2,68,747	1,78,716
23 प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इकिटी समेत एचयूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	5,846	-	-	1,06,585	95,566	5,065	-	-	1,14,010	1,01,214
24 अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	10,08,153	66,319	1,797	12,59,942	21,67,983	9,62,908	82,835	5,424	11,91,237	20,50,043
25 सोने सहित भौतिक व्यापारिक वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	136	-	-	-	1,207	28	-	-	-	1,065
27 एनएसएफआर व्युत्पन्न संपत्ति	-	1,777	-	-	1,777	1	417	-	-	418
28 पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले छत्रक डेरिवेटिव देनदारियां	2	4,756	1,031	2,643	8,432	-	5,177	315	1,794	7,286
29 अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	10,08,014	59,787	766	12,57,298	21,56,567	9,62,879	77,241	5,109	11,89,444	20,41,275
30 ऑफ-बैलेंस शीट आइटम	-	6,97,535	-	-	25,857	-	6,62,872	-	-	24,147
31 कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					32,53,011					31,14,218
32 शुद्ध स्थिर निधीयन अनुपात (%)					117.03%					118.36%

परिपत्र संख्या RBI/2017-18/178, DBR.BP.BC.No.106/21.04.098/2017-18 दिनांक 17-मई-2018 द्वारा RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही के अंत में अवलोकन प्रस्तुत किए गए हैं। पूंजी से संबंधित एसएफ मदों को मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के साथ सरेखित करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट: उपरोक्त आंकड़े विदेशी बैंकिंग सहायक कंपनियों (जो समीक्षा/ऑडिट के अधीन नहीं हैं) के प्रबंधन प्रमाणित आंकड़ों और भारतीय स्टेट बैंक (सोलो) के प्रासंगिक रिकॉर्ड के आधार पर संकलित किए गए हैं।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

18.3. निवेश

क. निवेश संविभाग की संरचना:

वर्तमान वर्ष

	भारत में निवेश					भारत के बाहर निवेश			संपूर्ण बैंक				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुबंधित और/या अन्य संयुक्त उद्यम	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अनुबंधित तथा/या अन्य संयुक्त उद्यम		भारत के बाहर कुल निवेश			
31.03.2023 को निवेशों की संरचना													
	परिपक्वता तक धारित												
	सकल	9,20,090.06	-	8.00	31,374.37	6,283.10	1,645.38	9,59,400.91	804.03	5,680.22	133.90	6,618.15	9,66,019.06
	घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-	8.00	-	42.87	-	50.87	-	-	6.66	6.66	57.53
	निवल	9,20,090.06	-	-	31,374.37	6,240.23	1,645.38	9,59,350.04	804.03	5,680.22	127.24	6,611.49	9,65,961.53
	बिक्री के लिए उपलब्ध												
	सकल	3,21,270.14	-	15,023.56	1,86,512.77	7,810.00	34,457.85	5,65,074.32	29,703.87	-	26,886.83	56,590.70	6,21,665.02
	घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	2,701.98	-	976.66	4,494.37	-	7,026.91	15,199.92	448.70	-	1,323.35	1,772.05	16,971.97
	निवल	3,18,568.17	-	14,046.90	1,82,018.40	7,810.00	27,430.94	5,49,874.40	29,255.17	-	25,563.48	54,818.65	6,04,693.05
	ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	(326.93)*	-	40.99	-	-	-	-	(285.94)	-	-	-	-	(285.94)
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	2.37	-	0.04	-	-	-	-	2.41	-	-	-	-	2.41
निवल	(329.30)	-	40.95	-	-	-	-	(288.35)	-	-	-	-	(288.35)
कुल निवेश													
सकल	12,41,033.27	-	15,072.55	2,17,887.14	14,093.10	36,103.23	15,24,189.29	30,507.90	5,680.22	27,020.73	63,208.85	15,87,398.14	
घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई)* के लिए प्रावधान	-	-	741.17	2,325.38	-	-	-	3,066.55	-	-	-	-	3,066.55
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान*	2,704.35	-	243.53	2,168.99	42.87	7,026.91	12,186.65	448.70	-	1,330.01	1,778.71	13,965.36	
निवल	12,38,328.92	-	14,087.85	2,13,392.77	14,050.23	29,076.32	15,08,936.09	30,059.20	5,680.22	25,690.72	61,430.14	15,70,366.23	

* इसमें एनआईसीआय शामिल है

© शॉर्ट सेल

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)													
31.03.2022 को निवेशों की संरचना		भारत में निवेश						भारत के बाहर निवेश			संपूर्ण बैंक		
		सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अनुषंगियाँ /या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित													
सकल	8,33,382.82	-	8.00	33,741.28	6,205.26	1,490.06		8,74,827.42	794.14	5,028.44	133.94	5,956.52	8,80,783.94
घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-	8.00	-	2.87	-		10.87	-	-	-	-	10.87
निवल	8,33,382.82	-	-	33,741.28	6,202.39	1,490.06		8,74,816.55	794.14	5,028.44	133.94	5,956.52	8,80,773.07
बिक्री के लिए उपलब्ध													
सकल	3,29,274.86	-	13,770.82	1,84,479.80	7,810.00	29,951.22		5,65,286.72	18,967.40	-	28,613.65	47,581.06	6,12,867.75
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	-	-	1,356.19	2,416.66	-	7,859.04		11,631.89	32.61	-	65.58	98.19	11,730.08
निवल	3,29,274.86	-	12,414.63	1,82,063.14	7,810.00	22,092.19		5,53,654.81	18,934.79	-	28,548.07	47,482.86	6,01,137.67
ट्रेडिंग के लिए धारित													
सकल	(475.04) [®]	-	9.77	-	-	-		(465.27)	-	-	-	-	(465.27)
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
निवल	(475.04)	-	9.77	-	-	-		(465.27)	-	-	-	-	(465.27)
कुल निवेश													
सकल	11,62,182.64	-	13,788.59	2,18,221.08	14,015.26	31,441.28		14,39,648.85	19,761.54	5,028.44	28,747.59	53,537.57	14,93,186.42
घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई)* के लिए प्रावधान	-	-	1,197.31	879.00	-	-		2,076.31	-	-	56.34	56.34	2,132.65
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान*	-	-	166.88	1,537.66	2.87	7,859.04		9,566.45	32.61	-	9.24	41.85	9,608.30
निवल	11,62,182.64	-	12,424.40	2,15,804.42	14,012.39	23,582.24		14,28,006.09	19,728.93	5,028.44	28,682.01	53,439.38	14,81,445.47

* इसमें एनआईसीआय शामिल है

® शॉर्ट सेल

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

- i. ₹ 2,19,371.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,14,612.86 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/एनएसईआईएल/बीएसई) के पास प्रतिभूति निपटान के लिए मार्जिन के रूप में रखा गया है।
- ii. स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 26 जुलाई, 2022 को शामिल किया गया है। यह कंपनी बैंक को कृषि/एमएसएमई और अन्य सूक्ष्म ऋणों के लिए प्रचालन सहायता सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें व्यवसाय प्रतिनिधियों के लिए अनुमेय कार्यकलाप शामिल हैं, जो बैंक की शाखाओं के ग्राहक संपर्क और व्यावसायिक फोकस को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके लिए निवेश की गई राशि 10.00 करोड़ है।
- iii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने एसबीआई ग्लोबल फैंक्टर्स लिमिटेड में 13.82% (₹ 67.84 करोड़) अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जिससे यह बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।
- iv. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को में 40.00% अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जिससे यह बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। वर्ष के दौरान ₹ 121.44 निवेश किए गए हैं।
- v. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने सहायक कंपनी पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया में ₹ 530.49 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली है। नतीजतन, बैंक की हिस्सेदारी 99.34% से बढ़कर 99.56% हो गई है।
- vi. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में बैंक की हिस्सेदारी 30.00% से घटकर 23.02% हो गई है क्योंकि बैंक ने कंपनी द्वारा पेश किए गए इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में भाग नहीं लिया था।
- vii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान सहयोगी यस बैंक लिमिटेड ने अन्य निवेशकों को अधिमान्य आधार पर 369,61,55,702 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, बैंक की हिस्सेदारी 30.00% से घटकर 26.14% हो गई है।
- viii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने निजी नियोजन के माध्यम से पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कॉर्डेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) में 1.14 करोड़ रुपये (जिसमें से प्रीमियम के लिए 0.14 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निवेश किया। कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी 8.33% है।

ख. निवेशों पर मूल्यहास तथा निवेश घटते-बढ़ते आरक्षित के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

i. निवेशों पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में अधिशेष	10,825.22	9,198.25
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	6,561.52	3,440.10
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	-	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	506.78	2.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान अपलेखन/अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन	1,654.18	1,815.13
वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	16,238.34	10,825.22

(एलआईसीआर छोड़कर)

ii. घटते-बढ़ते आरक्षित में उतार चढ़ाव

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष	7,695.95	3,048.08
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरित की गई राशि	4,575.43	4,647.87
घटाएँ: आहरण	-	-
अंतिम शेष	12,271.38	7,695.95
iii. एएफएस तथा एचएफटी/चालू श्रेणी में निवेश का अंतिम शेष	6,13,569.08	6,00,672.40
iv. एएफएस तथा एचएफटी श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.00%	1.28%

ग. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

घ. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो
i. अनर्जक नॉन-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष	2,276.71	5,229.52
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	1,889.18	185.95
वर्ष के दौरान कमी	950.20	3,138.76
इति शेष	3,215.69	2,276.71
रखे गए कुल प्रावधान	3,066.55	2,070.06

ii. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. निर्गमकर्ता	राशि		निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा		निम्न निवेश श्रेणी वाली प्रतिभूतियों की सीमा*		बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों की सीमा*		असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा*	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	42,703.40	49,804.97	28,663.04	33,542.80	-	-	-	-	-	-
ii) वित्तीय संस्थाएँ	1,49,308.37	1,41,044.49	84,520.37	82,006.85	145.00	345.07	-	-	-	70.00
iii) बैंक	18,833.65	21,850.25	11,356.69	12,503.45	23.62	2,173.31	23.62	23.62	23.62	23.62
iv) निजी कॉर्पोरेट	74,364.75	68,269.59	30,051.60	29,575.24	641.37	589.73	293.79	207.93	375.00	707.93
v) अनुबंधित / संयुक्त उद्यम**	19,773.32	19,043.70	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) अन्य	41,381.38	30,990.78	3,712.26	2,638.17	2,878.45	5,072.38	133.67	17.31	-	-
vii) मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	14,327.56	11,740.95	44.40	-	45.04	-	67.62	56.34	-	56.34
योग	3,32,037.31	3,19,262.83	1,58,259.56	1,60,266.51	3,643.40	8,180.49	383.46	192.52	398.62	745.21

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

इ. तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

चालू वर्ष

विवरण	(₹ करोड़ में)			
	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधि-कतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2023 को शेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	93,497.57	2,37,396.58	1,74,620.06	1,13,511.04
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	5,529.94	10,152.71	8,519.34	8,048.12
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	456.39	5.51	-
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	530.51	2,52,034.07	27,868.78	7,395.44
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	100.18	1.28	-
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

पिछला वर्ष

विवरण	(₹ करोड़ में)			
	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधि-कतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2022 को शेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	30,025.27	2,73,518.11	1,62,561.94	1,68,483.03
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	4,377.46	8,663.34	5,824.90	8,663.34
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	44.03	1,89,095.58	1,00,304.84	60,888.22
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

18.4. आस्ति गुणवत्ता

क. अग्रिमों तथा प्रावधानों का वर्गीकरण

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

	मानक अग्रिम	अवमानक अग्रिम	संदिग्ध अग्रिम	हानि अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए						
क. अथ शेष	27,06,647.54	15,453.17	68,592.40	27,977.80	1,12,023.37	28,18,670.91
ख. जोड़े - वर्ष के दौरान बढ़ोतरी					18,420.64	4,90,087.13
ग. वर्ष के दौरान कमी *					39,516.23	39,516.23
इतिशेष (क+ख-ग)	31,78,314.03	12,665.08	51,204.29	27,058.41	90,927.78	32,69,241.81
* सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) अपग्रेडेशन					3,233.50	3,233.50
ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)					12,221.46	12,221.46
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते					-	-
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते					24,061.27	24,061.27
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का अथ शेष	19,972.61	4,486.76	51,401.49	27,977.80	83,866.05	1,03,838.66
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					9,190.34	14,891.38
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन/ राइट-ऑफ ऋण					23,786.86	23,786.86
धारित प्रावधानों का इति शेष	25,673.65 ^{\$\$}	2,551.32	39,659.80	27,058.41	69,269.53	94,943.18
निवल एनपीए						
अथ शेष*		10,966.41	16,999.30	-	27,965.71	
जोड़े: वर्ष के दौरान बढ़ोतरी					9,230.19	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी					15,729.26	
इति शेष		10,113.76	11,352.88	-	21,466.64 ^{\$}	

\$ निवल एनपीए की गणना के लिए ₹ 191.61 करोड़ के प्रावधानों को घटाया गया है।

\$\$ विनियामक अपेक्षाओं के अलावा पुनर्संचित मानक आस्तियों के लिए ₹ 7,642.38 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को छोड़कर

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

	मानक अग्रिम	अवमानक अग्रिम	संदिग्ध अग्रिम	हानि अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए						
क. अथ शेष	24,13,004.26	19,590.89	81,767.26	25,030.87	1,26,389.02	25,39,393.28
ख. जोड़े - वर्ष के दौरान बढ़ोतरी					25,021.23	3,18,664.51
ग. वर्ष के दौरान कमी *					39,386.88	39,386.88
इतिशेष (क+ख-ग)	27,06,647.54	15,453.17	68,592.40	27,977.80	1,12,023.37	28,18,670.91
* सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) अपग्रेडेशन					9,377.57	9,377.57
ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)					10,343.09	10,343.09
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते					-	-
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बड़े खाते					19,666.22	19,666.22
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का अथ शेष	15,293.98	5,758.39	58,598.43	25,030.87	89,387.69	1,04,681.67
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					14,142.96	18,821.58
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन/ राइट-ऑफ ऋण					19,664.60	19,664.60
धारित प्रावधानों का इति शेष	19,972.61^{ss}	4,486.76	51,401.48	27,977.80	83,866.05	1,03,838.65
निवल एनपीए						
अथ शेष*		13,832.50	22,977.22	-	36,809.72	
जोड़े: वर्ष के दौरान बढ़ोतरी					10,878.27	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी					19,722.28	
इति शेष		10,966.41	16,999.30	-	27,965.71^s	

§ निवल एनपीए की गणना के लिए ₹ 191.61 करोड़ के प्रावधानों को घटाया गया है।

\$\$ विनियामक अपेक्षाओं के अलावा पुनर्संचित मानक आस्तियों के लिए ₹ 7,912.38 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को छोड़कर

अस्थिर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष	193.75	193.75
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकासी की गई राशि	-	-
अस्थिर प्रावधानों का इति शेष	193.75	193.75

तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खातों का अथशेष	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खातों से की गई वसूली	-	-
इतिशेष	-	-

आस्ति गुणवत्ता अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	2.78%	3.97%
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	0.67%	1.02%
एयूसीए सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	76.39%	75.04%
एयूसीए के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	91.91%	90.20%

ऑफ़ा पूर्णतः प्रावधान किए गए खाते हैं, जिन्हें 40 वर्षों की अवधि (सबसे पुराना ऑफ़ा दिनांक 1.09.1982) में एक अलग शीर्ष में अंतरित कर दिया गया है जिसे अग्रिम अंडर कलेक्शन अकाउंट कहा जाता है, इसकी राशि ₹ 1,74,569.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,73,334.40 करोड़) है।

ख. खंड-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस खंड में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस खंड में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का %
क	प्राथमिकता खंड						
1.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2,56,044.09	29,587.72	11.56	2,26,323.87	30,281.87	13.38
2.	प्राथमिकता खंड में उधारी के लिए पात्र उद्योग	1,08,965.94	5,550.08	5.09	1,28,015.22	10,832.34	8.46
3.	सेवाएँ	1,61,450.44	4,045.64	2.51	1,53,385.75	9,989.11	6.51
4.	व्यक्तिक ऋण	1,99,327.20	2,188.53	1.10	1,87,896.41	2,158.71	1.15
	उप-योग (क)	7,25,787.67	41,371.97	5.70	6,95,621.25	53,262.03	7.66
ख	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2,894.08	198.08	6.84	2,350.56	197.83	8.42
2.	उद्योग	7,51,106.55	29,716.22	3.96	6,93,310.91	40,015.00	5.77
3.	सेवाएँ	8,08,091.42	14,373.75	1.78	6,10,645.37	13,279.56	2.17
4.	वैयक्तिक ऋण	9,81,362.09	5,267.76	0.54	8,16,742.82	5,268.95	0.65
	उप-योग (ख)	25,43,454.14	49,555.81	1.95	21,23,049.66	58,761.34	2.77
ग	कुल (क+ख)	32,69,241.81	90,927.78	2.78	28,18,670.91	1,12,023.37	3.97

ग. विदेश में आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	कुल आस्तियाँ	6,07,517.76	5,31,255.45
2.	कुल एनपीए (सकल)	1,951.47	2,264.82
3.	कुल राजस्व	20,735.96	9,279.41

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

घ. समाधान योजना तथा पुनर्संरचना:

- i. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार अग्रिमों की पुनर्संरचना

समाधान योजना तथा पुनर्संरचना की शर्तों के अंतर्गत आस्तियों का आस्ति वर्गीकरण	पिछला वित्त वर्ष		चालू वित्त वर्ष	
	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
मानक	2	577	-	-
अवमानक	1	137	-	-
संदिग्ध	6	988	8	2,690
कुल	9	1,702	8	2,690

- ii. पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के शेयरों का अधिग्रहण:

पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के माध्यम से इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से पूंजी बाजार एक्सपोजर, पैरा बैंकिंग कार्यकलापों तथा अंतर-समूह एक्सपोजर के संबंध में निर्धारित विनियामक सीमा/प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है।

- iii. एमएसएमई पुनर्संरचना:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुनर्संरचित खातों की संख्या	85,738	96,464
कुल बकाया (₹ करोड़ में)	7,406.84	8,877.10

ङ. आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विविधिकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 74/21.04.018/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 में दी गई शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधानीकरण में विविधिकरण पर प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।

च. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी 51/21.04.048/ 2021-22 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अनुसार ऋण खातों (एसएमए व एनपीए) के अंतरण का प्रकटन

ऋणों का अंतरण:

- i) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित अनर्जक खातों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं. विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों को	अन्य अंतरितियों को
क. खातों की संख्या	26	14	-
ख. अंतरित ऋण की समग्र बकाया मूल राशि (₹ करोड़ में)	7,613.20	414.31	-
ग. अंतरित ऋण की भारित औसत अवशिष्ट अवधि (वर्ष)	0.29	0.02	-
घ. अंतरित ऋण का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) (₹ करोड़ में)	315.95	23.54	-
ङ. समग्र प्रतिफल (₹ करोड़ में)	3,145.57	214.65	-
च. पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में उठाए गए अतिरिक्त प्रतिफल की राशि (₹ करोड़ में)	74.83	-	-

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को 2,628.41 करोड़ (पिछले वर्ष 429.92 करोड़) की अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण अतिरिक्त प्रावधान राशि को लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया गया है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में 322.69 करोड़ का निवेश किया गया है। प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान किया गया है इसलिए 31.03.2023 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूति रसीदों के लिए दी गई रेटिंग का बही मूल्य शून्य है।

31 मार्च 2023 को प्रतिभूति रसीदों पर रखा गया प्रावधान 7,009.38 करोड़ रुपए है (31 मार्च 2022 को यह 7,859.04 करोड़ रुपए था)

- ii) बैंक ने कोई विशेष उल्लेखित खाते और चूक किए गए खाते को अंतरित नहीं किया है

ऋण खरीद:

- iii) बैंक ने किसी दबावग्रस्त खाते का अधिग्रहण नहीं किया है।
- iv) बैंक ने एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई से ऋण एक्सपोजर के अंतर्गत प्रत्यक्ष समनुदेशन रूट से चूक रहित ऋणों की मानक आस्तियों की खरीद की है। बैंक ने जमानती आवास ऋण और जमानती तथा गैर-जमानती एसएमई तथा एबीयू ऋणों की खरीद की है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित चूक रहित ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित किए गए बिना चूक खातों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसआईसीबी, डीसीसीबी, एआ-ईएफआई, एसएफबी और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एनबीएफसी से		एआरसी से	
	प्रत्याभूत ऋण	अप्रत्याभूत ऋण	प्रत्याभूत ऋण	अप्रत्याभूत ऋण
अधिग्रहण किए गए ऋण की समग्र राशि	3,633.46	8,144.60	Nil	Nil
कुल प्रतिफल	3,270.12	6,990.94	Nil	Nil
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	11.07	1.70	Nil	Nil
उद्धवी (बैंक) द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि	1.14	0.25	Nil	Nil
उद्धवी द्वारा लाभार्थी आर्थिक हित रखे रहना	10.00%	13.35%	Nil	Nil
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	173.50%	NA	Nil	Nil

- v) अधिग्रहित किए गए ऋण रेट नहीं किए गए हैं क्योंकि ये कॉर्पोरेट ऋण नहीं हैं।

छ. वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले तथा उक्त हेतु किए गए प्रावधान :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	2,755	4,192
धोखाधड़ियों में शामिल राशि (₹ करोड़ में)	4,878.18	7,100.65
इस प्रकार की धोखाधड़ियों हेतु प्रावधानित राशि (₹ करोड़ में)	4,878.18	7,100.65
वर्षांत की स्थिति के अनुसार इतर अन्य आरक्षितियों/फंडे डेबिट अपरिशोधकृत प्रावधानों की राशि (₹ करोड़ में)	निरंक	निरंक

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

ज. कोविड-19 संबंधी दबाव निवारण :

आरबीआई परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी./3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 (समाधान फ्रेमवर्क 1.0) तथा डीओआर.एसटीआर.आरईसी11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 (समाधान फ्रेमवर्क 2.0) के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि तक समाधान योजना का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(इ)
क्र. ऋणकर्ता का प्रकार	समाधान योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों का कुल एक्सप-जेजर -पिछले अर्ध वर्ष की समाप्ति पर स्थिति	अर्ध वर्ष के दौरान एनपीए हुए (-) में से ऋण की समग्र राशि	अर्ध वर्ष के दौरान (-) में से अपलि-खित ऋण की समग्र राशि	अर्ध वर्ष के दौरान (-) में से ऋणकर्ताओं द्वारा चुकाई गई राशि	समाधान योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों का कुल एक्सप-जेजर -पिछले अर्ध वर्ष की समाप्ति पर स्थिति
1. वैयक्तिक ऋण	15,017	536	-	270	14,211
2. कॉर्पोरेट व्यक्ति इनमें से, एमएसएमई	12,319	1,072	-	1,156	10,091
	11,045	1,011	-	987	9,047
3. अन्य	-	-	-	-	-
कुल	27,336	1,608	-	1,426	24,302

(समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के दौरान लागू की गई पुनर्संरचना शामिल है।)

18.5 एक्सपोजर

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है।

क) भू-संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
i) आवासीय बंधक		
ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित।	5,50,747.02	4,80,518.54
जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसंख्या = 10लाख) में 35 लाख रुपए (पिछला वर्ष 35 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 25 लाख रुपए) है।	2,51,213.68	2,17,267.02
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर-निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	50,409.72	47,672.02
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्यप्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:		
क) आवासीय	-	-
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	1,28,006.76	96,802.79
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	7,29,163.50	6,24,993.35

ख) पूंजी बाजार

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	16,870.59	14,566.26
2. शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	65.73	110.25
3. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
4. किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	2,149.02	2,321.58
5. शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	4,106.64	1,568.01
6. संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	-	-
7. अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	-	-
8. शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	-	-
9. शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	-	-
10. उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	4,302.21	4,325.30
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	27,494.19	22,891.40

ग) जोखिम श्रेणीवार देशगत एक्सपोजर

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशगत एक्सपोजर को निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जोखिम श्रेणी	(₹ करोड़ में)			
	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	404.93	1,782.72	निरंक	निरंक
बहुत कम	2,25,110.30	2,22,431.21	196.15	165.12
कम	62,630.30	27,346.84	निरंक	निरंक
मध्यम	33,154.94	29,467.82	निरंक	निरंक
अधिक	22,138.32	23,470.66	निरंक	निरंक
अत्यधिक	5,799.64	5,402.11	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	5,465.54	6,160.87	निरंक	निरंक
कुल	3,54,703.98	3,16,062.23	196.15	165.12

यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अतः यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

घ) अप्रत्याभूत अग्रिम

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	9,30,364.53	7,44,594.25
i) इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	निरंक
ii) इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	निरंक

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

इ) फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर :

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर ₹ 28,565.16 करोड़ रुपए (पिछला वर्ष: ₹ 20,136.45 करोड़) है।

च) अंतर-समूह एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	55,540.06	24,431.05
शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	55,540.06	24,430.71
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	1.09%	0.54%
अंतर-समूह एक्सपोजर सीमा के उल्लंघन तथा उस पर कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

छ) अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

- 31 मार्च 2023 के अनुसार ₹ 239.18 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 145.37 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए रखी गई है।
- ₹ 420.39 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 72.90 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

ज) बैंक द्वारा एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एकल उधारकर्ता एक्सपोजर और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर विवेकपूर्ण सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है।

18.6 जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमा राशियों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियाँ (₹ करोड़ में)	1,76,611.88	1,61,936.62
बैंक की कुल जमा राशियों में बीस जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशत	3.99%	4.00%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम (₹ करोड़ में)	4,01,754.30	3,46,209.56
बैंक के कुल ऋण-जोखिम में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	12.29%	12.28%

ग. ऋण-जोखिमों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम (₹ करोड़ में)	5,55,744.92	4,99,542.80
बैंक के कुल ऋण-जोखिम में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	10.95%	11.05%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल सकल अनर्जक आस्तियों में से शीर्ष बीस सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम (₹ करोड़ में)	19,716.80	29,921.64
कुल सकल अनर्जक आस्तियों में शीर्ष बीस सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों का प्रतिशत	21.68%	27.26%

18.7 डेरिवेटिव्स

क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वेप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	विनिमय करारों की आनुमानित मूल राशि*	8,43,159.96	5,14,809.90
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ	4,058.55	2,537.80
iii)	स्वेप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	-	453.97
iv)	स्वेप से उद्धृत ऋण-जोखिम का संकेंद्रण	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
v)	स्वेप-बही का उचित मूल्य	3,309.87	1,532.87

* बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹ 40,744.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 37,265.38 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया।

31 मार्च 2023 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वेप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	संख्या	आनुमानिक मूलधन	आधार (बैंचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	ट्रेडिंग	6,295	3,19,111.04	माइबोर	अस्थिर देय ती स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	6,004	3,14,875.79	माइबोर	स्थिर देय ती अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	101	56,617.04	एसओएफआर	स्थिर प्राप्य ती अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	78	38,815.10	लाइबोर	अस्थिर देय ती स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	160	35,621.68	अन्य	अस्थिर देय ती स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	52	24,667.14	लाइबोर	स्थिर देय ती अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	26	16,557.26	लाइबोर	अस्थिर देय ती अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	12	14,065.69	लाइबोर	स्थिर प्राप्य ती अस्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	168	10,793.83	लाइबोर	स्थिर प्राप्य ती अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	85	5,898.58	अन्य	स्थिर देय ती अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	11	2,626.85	लाइबोर	अस्थिर प्राप्य ती स्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	21	2,293.85	अन्य	स्थिर प्राप्य ती अस्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	10	1,051.78	स्थिर	अस्थिर प्राप्य ती स्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	1	164.34	एसओएफआर	अस्थिर प्राप्य ती स्थिर देय
कुल		13,024	8,43,159.97		

ख. बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार)		
क.	ब्याज दर फ्यूचर्स	निरंक	निरंक
ख.	भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियाँ	13,718.42	3,988.26
2.	31 मार्च, 2022 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार)		
क.	ब्याज दर फ्यूचर्स	निरंक	निरंक
ख.	भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियाँ	165.00	501.00
3.	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और अत्यधिक प्रभावी नहीं है। (लिखत-वार)	N.A.	N.A.
4.	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और अत्यधिक प्रभावी नहीं है। (लिखत-वार)	N.A.	N.A.

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

ग. डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर

गुणात्मक जोखिम एक्सपोजर

- i) बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है।
बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं।
बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा स्वेप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रॉस मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं।
बैंक आरबीआई द्वारा अनुमत गैर-सुपुर्दगीय ओपशंस तथा गैर-सुपुर्दगीय फॉरवर्ड में भी डील करता है।
बैंक के ग्राहकों को उनके एक्सपोजर को हेज करने के लिए उत्पाद पेश किया जाता है और बैंक ऐसे एक्सपोजर को कवर करने के लिए डेरिवेटिव अनुबंध भी करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का उपयोग ट्रेडिंग के साथ-साथ बैलेंस शीट आइटम की हेजिंग के लिए किया जाता है।
बैंक यूएस डॉलर/भारतीय रुपये में ऑप्शन पोजिशन भी चलाता है, जिसे विभिन्न प्रकार की हानि लिमिट्स और ग्रीक लिमिट्स के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
- ii) व्युत्पन्न लेन-देनों में बाजार जोखिम होता है अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव और ऋण जोखिम के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाला संभावित नुकसान अर्थात यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती हैं तो बैंक को नुकसान संभावित है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की डेरिवेटिव्स के लिए नीति डेरिवेटिव लेनदेन में प्रवेश करने के लिए बाजार जोखिम मापदंडों (ग्रीक सीमाएं, हानि सीमाएं, कट-लॉस ट्रिगर्स, खुली स्थिति सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि) के साथ-साथ ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, संबंध की अवधि, सीमाएं और ग्राहक उपयुक्तता और नीति की उपयुक्तता (सीएस) आदि) निर्धारित करती है। क्रेडिट जोखिम को केवल नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करके नियंत्रित किया जाता है। दायित्वों का सम्मान करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षों के लिए उचित सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए समझौते में प्रवेश करता है।
- iii) बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (अलको) इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) व्युत्पन्न लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान करता है, मापता है, निगरानी करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में अलको की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति निर्धारण के अनुपालन की रिपोर्ट करता है।
- iv) डेरिवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्यौरा अनुसूची 17 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (एसएपी)।
- v) ब्याज दर स्वेप का उपयोग मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और देनदारियों की हेजिंग के लिए किया जाता है।
- vi) अधिकांश अदला-बदली प्रथम श्रेणी के काउंटर पार्टी बैंकों के साथ की गई थी।
- vii) व्युत्पन्न लेन-देन में स्वेप शामिल होते हैं जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है। स्वेप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- viii) डेरिवेटिव सौदे केवल उन्हीं इंटरबैंक प्रतिभागियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए प्रतिपक्ष जोखिम सीमा स्वीकृत की जाती है। इसी तरह, केवल उन्हीं कॉर्पोरेट्स के साथ डेरिवेटिव सौदे किए जाते हैं जिनके लिए क्रेडिट एक्पोजर सीमा स्वीकृत की जाती है। डेरिवेटिव लेन-देन के लिए संपाश्विक आवश्यकताओं को मामला-दर-मामला आधार पर क्रेडिट प्रतिबंधों की शर्तों के एक भाग के रूप में निर्धारित किया जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम कम करने के उपाय के रूप में लेन-देन को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र :

विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I) डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
(क) हेजिंग के लिए	8,389.39 [@]	17,269.22 [@]	47,965.32 [#]	54,974.80 [#]
(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	11,91,495.97	13,90,743.44	7,95,194.64	4,65,802.38
II) मार्केट टू मार्केट स्थिति				
(क) आस्ति (+)	7,575.32	9,219.37	4,058.55	2,537.80
(ख) देयता (-)	11,160.26	9,254.89	4,196.40	2,347.92
III) ऋण जोखिम	41,469.48	47,965.29	10,545.92	7,180.48
IV) ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	19.72	17.63	1,585.10	1,513.11
(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	497.23	871.86	274.68	401.07
V) वर्ष के दौरान देखा गया अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
क) हेजिंग पर-				
अधिकतम	29.22	23.39	1,637.88	1,572.46
न्यूनतम	7.60	15.97	1,255.24	1,109.15
(ख) क्रय-विक्रय पर -				
अधिकतम	876.56	938.43	528.42	512.07
न्यूनतम	497.23	516.20	246.90	23.91

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ किए गए स्वैप की ₹ 2,027.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2003.56 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया है।

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 40,744.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 37,265.38 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए ₹ 86.38 करोड़ के मुद्रा डेरिवेटिव्स (पिछले वर्ष 403.87) और ₹ 5,286.71 करोड़ के गैर-वितरणीय वायदा (पिछले वर्ष ₹ 4,693.25) शामिल नहीं हैं।

— 31 मार्च, 2023 तक विश्व बाजार इकाई और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के बीच डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 40,744.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 44,366.06 करोड़) है और 31 मार्च 2023 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 2,027.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 34,018.38 करोड़) है।

— ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किंतु जहाँ 31 मार्च 2023 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 1,16,255.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 98,921.35 करोड़) है।

घ. ऋण चूक स्वैप

बैंक किसी ऋण चूक स्वैप में शामिल नहीं हुआ है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

18.8 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

बैंक ने किसी मानक आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया।

18.9 तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

बैंक ने कोई तुलन पत्र बाह्य विशेष प्रयोजन संस्था शुरू नहीं की है।

18.10 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक अधिशेष	4,513.87	3,636.41
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	6,970.26	893.35
घटाएं : दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	2,531.92	15.89
डीईएफ को अंतरित राशियों का इतिशेष	8,952.21	4,513.87

18.11 शिकायतों पर प्रकटन

क) बैंक द्वारा ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों तथा उनके निवारण की सार रूप में सूचना

क्रसं विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,82,212	1,46,280
2. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	38,63,085	34,52,782
3. वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	39,10,185	34,16,850
3.1 इनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	1,72,002	93,618
4. वर्ष के अंत में विचाराधीन/ लंबित शिकायतों की संख्या	1,35,112	1,82,212
बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त बैंक द्वारा संधार्य शिकायतें		
5. बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त बैंक द्वारा संधार्य शिकायतों की संख्या	31,038 [®]	45,693 [#]
5.1 क्रम 5 में से, बैंक के पक्ष में लोकपाल द्वारा अधिनिर्णित शिकायतों की संख्या	12,653	35,297
5.2 क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा समझाने/मध्यस्थता/ सलाह से किया गया	17,356	8,664
5.3 क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध अधिनिर्णय देकर किया गया	3	1
6. निर्धारित अवधि में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए को छोड़कर)	0	0

[®] वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में लंबित शिकायतें जिनको वित्त वर्ष 2022-23 में आगे ले जाया गया, वे भी शामिल हैं।

[#] वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित शिकायतें जिनको वित्त वर्ष 2021-22 में आगे ले जाया गया, वे भी शामिल हैं।

नोट: संधार्य शिकायतों का आशय उन शिकायतों से है जो समन्वित बैंकिंग लोकपाल योजना 2021 (विगत में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेषकर उल्लिखित हैं तथा योजना के अधीन शामिल हैं।

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त होने वाली शिकायतों के पाँच प्रमुख आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात किससे विषय से शिकायतें संबंधित हैं)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के मुकाबले प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	क्र 5, में कितनी शिकायतें 30 से अधिक दिनों से लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	65,097	14,94,562	-20.66	49,435	-
आईएनबी/एमबी/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	97,236	20,98,317	56.17	83,450	62,242
लिया गया बैंक प्रभार	3,766	30,856	-44.18	38	-
खातों का परिचालन	8,339	23,366	-4.74	92	-
चेक बुक संबंधी	1,694	22,638	10.80	19	-
अन्य	6,080	1,93,346	54.37	2,078	1,909
योग	1,82,212	38,63,085	11.88	1,35,112	64,151
पिछला वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	64,100	18,83,728	4.38	65,097	30,313
आईएनबी/एमबी	43,015	13,43,568	135.42	97,236	67,738
लिया गया बैंक प्रभार	4,016	55,280	-11.53	3,766	3,410
खातों का परिचालन	3,459	24,529	-24.02	8,339	3,127
चेक बुक संबंधी	660	20,432	67.98	1,694	1,056
अन्य	31,030	1,25,245	-80.71	6,080	683
योग	1,46,280	34,52,782	10.26	1,82,212	1,06,327

ग) आरबीआई लोकपाल के अक्टूबर 2022 के वार्षिक सम्मेलन में नीति संबंधी कार्य बिंदु के संदर्भ में प्राप्त प्रथम उपाय शिकायतों और की गई कार्रवाई का प्रकटीकरण:

रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना-2021 (आरबी-आईओएस) के खंड 10 के तहत, बैंकिंग लोकपाल द्वारा अस्वीकार की गई सेवा की कमी से संबंधित शिकायतों को गैर-विचारणीय के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है, जो शिकायतकर्ताओं को सीधे संबंधित विनियमित इकाई से संपर्क करने की सलाह देते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरबी-आईओ द्वारा कुल 23,363 प्रथम रिजॉर्ट शिकायतें (एफआरसी) प्राप्त हुई थीं।

प्रथम रिजॉर्ट शिकायतों (एफआरसी) में कमी सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने निम्नानुसार पहल की है:

- आरबी-आईओएस योजना की मुख्य विशेषताओं को सभी शाखाओं, एटीएम में प्रदर्शित किया गया है और एटीएम, बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और योनो पर डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया है।
- नवंबर 2022 के दौरान राष्ट्रव्यापी गहन ग्राहक जागरूकता अभियान चलाया गया।

18.12 आरबीआई द्वारा अर्थदंडों का प्रकटीकरण

- क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(क) तथा 51(1) के साथ पठित धारा 47-(1) (ल) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।
- ख) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 तथा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग के लिए) के अंतर्गत उल्लंघन के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।
- ग) रिवर्स रेपो लेनदेन में कोई चूक नहीं की गई है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

18.13 अन्य प्रकटन:

क) व्यवसाय अनुपात

क्र.सं. विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.35%	6.27%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	0.70%	0.92%
iii. जमाओं की लागत	3.99%	3.83%
iv. निवल ब्याज मार्जिन	3.37%	3.12%
v. कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ	1.60%	1.55%
vi. आस्तियों पर प्रतिफल (निवल आस्ति आधार पर)	0.96%	0.67%
vii. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि एवं अग्रिम) (करोड़ में)	29.78	25.74
viii. प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	21.23	12.93

ख) बैंक-बीमा (बैंकाइन्शोरेंस) व्यवसाय:

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी तथा बैंकाइन्शोरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित फीस/दलाली

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2,039.92	1,567.50
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	397.64	319.00
एनटीयूसी और मनु लाइफ फाइनांसियल लि.	0.12	1.27
टोकियो मरीन और एसीई	0.45	0.61
यूनिट ट्रस्ट और एलआईसी	0.01	0.01
एआईए सिंगापुर	0.01	0.04
आइएफएसटी	0.11	0.43
अविवा	0.29	0.39
योग	2,438.55	1,889.25

(ग) विपणन व वितरण:

विपणन तथा वितरण कार्य के लिए प्राप्त फीस/पारिश्रमिक (बैंक-बीमा व्यवसाय को छोड़कर) का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई म्यूचुअल फंड	877.69	741.84
एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड	263.86	199.61
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन सिस्टम)	17.89	10.00
एसबीआई कैप सिव्युरिटीज लिमिटेड.	5.22	5.06
अन्य म्यूचुअल फंड	33.30	22.64
अन्य (पीएमएस, बॉण्ड्स कॉर्पोरेट एफडी इत्यादि)	5.35	2.55
कुल	1,203.31	981.70

(घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

श्रेणी	(₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	78,249.00	5,792.00
पीएसएलसी कृषि	25,240.00	10,192.00
पीएसएलसी सामान्य	7,439.00	58,361.75
पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	91,072.00	63,654.25
योग	2,02,000.00	1,38,000.00

31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

(ङ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

लाभ एवं हानि खाते को नामे किए गए प्रावधान	(₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर हेतु प्रावधान		
- चालू कर	21,223.93	11,427.30
- आस्थगित कर आस्ति निर्मित	(4,250.74)	318.57
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	1,513.84	3,440.10
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	9,190.34	14,142.96
पुनर्चित आस्तियों के लिए प्रावधान	(46.41)	(56.11)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	5,618.55	4,677.04
अन्य प्रावधान	231.01	2,248.14
योग	33,480.52	36,198.00

(च) आईएफआरएस कवरेज का कार्यान्वयन भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस)

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अंतर्गत आगामी सूचना तक बैंकों में आईएनडी एस कार्यान्वयन स्थागित कर दिया है। तथापि प्रत्येक अर्ध वर्ष की समाप्ति पर बैंकों को प्रोफोर्म आईएनडी. एस विवरण आरबीआई को प्रस्तुत करना होता है। तदनुसार, बैंक प्रत्येक अर्ध वर्ष की समाप्ति पर प्रोफोर्म आईएनडी.एस विवरण तैयार करता है तथा बैंक में लेखा मानक (आईएनडी.एस) के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्तियाँ, जोखिम एवं अनुपालन) की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात आरबीआई को प्रस्तुत करता है।

(छ) डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम का भुगतान

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम का भुगतान	4,407.22	4,006.14
डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम भुगतान का बकाया	-	-

(ज) बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी के कारण खर्च के परिशोधन पर प्रकटन

11वें द्विपक्षीय समझौते तथा संयुक्त नोट दिनांक 11 नवंबर 2020 के अंतर्गत बैंक कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसरण में बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में 7,418.39 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया है। इसे एक अपवादात्मक मद के रूप में प्रकट किया गया है।

पारिवारिक पेंशन योजना के संबंध में तुलन पत्र में कोई अपरिशोधित खर्च नहीं है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

18. 14 लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

क) लेखांकन मानक-5: अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

- वर्ष के दौरान, कोई ठोस पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।
- पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ख) लेखा मानक - 15 कर्मचारी हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन तथा ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका, बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	1,46,124.99	1,25,806.37	12,714.22	13,447.17
वर्तमान सेवा लागत	972.83	914.92	464.79	466.44
ब्याज लागत	10,740.19	8,680.64	924.32	917.10
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	11,124.14	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	9,824.44	9,789.06	44.75	42.20
प्रदत्त लाभ	(4,848.06)	(4,926.71)	(1,757.60)	(2,158.69)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(5,848.13)	(5,263.43)	-	-
31 मार्च 2023 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	1,56,966.26	1,46,124.99	12,390.48	12,714.22
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2022 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	1,30,590.73	1,06,445.86	10,925.06	10,950.23
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	9,598.42	7,344.76	794.25	746.81
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,171.59	22,163.77	1,440.65	1,463.56
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	0.10	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,848.06)	(4,926.71)	(1,757.60)	(2,158.69)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(4,364.24)	(436.95)	(336.70)	(76.85)
31 मार्च 2023 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	1,33,148.54	1,30,590.73	11,065.66	10,925.06
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2023 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,56,966.26	1,46,124.99	12,390.48	12,714.22
31 मार्च 2023 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,33,148.54	1,30,590.73	11,065.66	10,925.06
कमी/(अधिशेष)	23,817.72	15,534.26	1,324.82	1,789.16
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयता/(आस्ति)	23,817.72	15,534.26	1,324.82	1,789.16

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	1,56,966.26	1,46,124.99	12,390.48	12,714.22
आस्तियाँ	1,33,148.54	1,30,590.73	11,065.66	10,925.06
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	23,817.72	15,534.26	1,324.82	1,789.16
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	23,817.72	15,534.26	1,324.82	1,789.16
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	972.83	914.92	464.79	466.44
ब्याज लागत	10,740.19	8,680.64	924.32	917.10
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(9,598.42)	(7,344.76)	(794.25)	(746.81)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	(0.10)	-	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	11,124.14	-	-
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	14,188.68	10,226.01	381.45	119.05
अनुसूची 16 कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	16,303.18	23,600.95	976.31	755.78
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	9,598.42	7,344.76	794.25	746.81
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(4,364.24)	(436.95)	(336.70)	(76.85)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	5,234.18	6,907.81	457.55	669.96
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	15,534.26	19,360.51	1,789.16	2,496.94
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	16,303.18	23,600.95	976.31	755.78
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(5,848.13)	(5,263.43)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,171.59)	(22,163.77)	(1,440.65)	(1,463.56)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	23,817.72	15,534.26	1,324.82	1,789.16

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	19.11%	19.06%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	35.14%	35.24%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	30.85%	29.35%
ईटीएफ़ तथा म्यूचुअल फंड	11.61%	10.99%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	1.17%	3.30%
अन्य	2.12%	2.06%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.53%	7.35%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.53%	7.35%
वेतन बढ़ोतरी दर	6.00%	5.80%
पेंशन बढ़ोतरी दर	2.00%	1.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु संख्या सारणी	IALM 2012-14 (अर्बन)	IALM 2012-14 (अर्बन)
रोजगार के बाद मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) अल्टीमेट	IALM (2006-08) अल्टीमेट

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.48%	7.27%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.48%	7.27%
वेतन बढ़ोतरी	6.00%	5.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM 2012-14 (अर्बन)	IALM 2012-14 (अर्बन)

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
तुलन - पत्र में ली गई राशि					
वर्ष के अंत में देयता	12,189.05	12,852.56	13,447.17	12,714.22	12,390.48
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	10,326.00	10,570.95	10,950.23	10,925.06	11,065.66
अंतर	1,863.05	2,281.61	2,496.94	1,789.16	1,324.82
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	1,863.05	2,281.61	2,496.94	1,789.16	1,324.82

(₹ करोड़ में)

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	(212.11)	382.17	1,053.04	366.15	138.91
योजना आस्ति पर (हानि)/ लाभ	102.16	249.84	331.37	(76.85)	(336.70)

योजना में अधिशेष / कमी
पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	95,362.15	1,09,830.37	1,25,806.37	1,46,124.99	1,56,966.26
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	90,399.61	97,458.52	1,06,445.86	1,30,590.73	1,33,148.54
अंतर	4,962.54	12,371.85	19,360.51	15,534.26	23,817.72
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	4,962.54	12,371.85	19,360.51	15,534.26	23,817.72

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	3,642.57	4,078.53	12,528.38	4,162.26	8,997.32
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	109.65	1,550.28	3,705.91	(436.95)	(4,364.24)

अगले वर्ष के लिए पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लिए अनुमानित अंशदान क्रमशः ₹ 2,200.00 तथा ₹ 1,796.23 है।

चूंकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्ब के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्ति की गणना डिस्काउंट दर की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास से हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन निरंक देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2022 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	36,730.00	35,289.14
वर्तमान सेवा लागत	1,480.33	1,493.06
ब्याज लागत	2,762.87	2,917.84
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,952.97	1,958.76
बीमांकिक हानि / (लाभ)	-	150.44
प्रदत्त लाभ	(4,689.37)	(5,079.24)
31 मार्च 2023 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	38,236.80	36,730.00
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2022 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	37,632.85	36,365.80
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,762.87	2,917.84
अंशदान	3,433.30	3,451.82
अनर्जक निवेशों की परिपक्वता पर हानि के लिए प्रावधान	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,689.37)	(5,079.24)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	70.40	(23.37)
31 मार्च 2023 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	39,210.05	37,632.85
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2023 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	38,236.80	36,730.00
31 मार्च 2023 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	39,210.05	37,632.85
कमी/(अधिशेष)	(973.25)	(902.85)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	973.25	902.85
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,480.33	1,493.06
ब्याज लागत	2,762.87	2,917.84
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,762.87)	(2,917.84)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	1,480.33	1,493.06
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,480.33	1,493.06
नियोक्ता का अंशदान	(1,480.33)	(1,493.06)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता / (आस्ति)	-	-

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.36%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.82%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	30.12%
म्यूचुअल फंड	6.99%
अन्य	2.71%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.48%	7.27%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.10%	8.50%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	6.00%	5.80%
मृत्यु दर सारणी	IALM 2012-14 (शहरी)	IALM 2012-14 (शहरी)

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

- (क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या
- (ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 1,296.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,177.54 करोड़) का अंशदान किया।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ) :

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियाँ दर्शायी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	10,372.37	8,182.24
वर्तमान सेवा लागत	328.35	456.87
ब्याज लागत	754.07	558.03
बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)	743.71	2,567.32
प्रदत्त लाभ	(1,130.17)	(1,392.09)
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सुनिश्चित निवल देयता इतिशेष	11,068.33	10,372.37
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	328.35	456.87
ब्याज लागत	754.07	558.03
बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	743.71	2,567.32
अनुसूची 16 -कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,826.13	3,582.22

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	10,372.37	8,182.24
उपरोक्तानुसार व्यय	1,826.13	3,582.22
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(1,130.17)	(1,392.09)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	11,068.33	10,372.37

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.48%	7.27%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	5.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM 2012-14 (शहरी)	IALM 2012-14 (शहरी)

(ख) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों जैसे अवकाश किराया तथा गृह यात्रा किराया रियायत (नकदीकरण/उपयोग), सिल्वर जुबली अवार्ड, अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति पर स्थायी निवास स्थान जाने हेतु यात्रा और अन्य व्यय के लिए ₹ 20.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 115.51 करोड़) की राशि प्रदान की गई है और इसे लाभ और हानि खाते में कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान के तहत शामिल किया गया है।

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.48%	7.27%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	5.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM 2012-14 (शहरी)	IALM 2012-14 (शहरी)

ग) लेखा मानक - 17 खंडवार सूचना

1. खंड अभिनिर्धारण

1. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कारपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

i. ट्रेजरी -

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ii. कारपोरेट/थोक बैंकिंग-

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक लेखा समूह तथा दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-ट्रेजरी परिचालन भी शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से इन शाखाओं से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल है।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय -

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

- i) देशी परिचालन- भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय
- ii) विदेशी परिचालन- भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मुख्य संसाधन संग्रहण (मोबिलाईसिंग) इकाई है। कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग तथा ट्रेजरी खंड खुदरा बैंकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार संबंधित निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एमआरएफटीपी) का पालन किया जाता है जिसके अंतर्गत निधियन केंद्र नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है। निधियन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमा अथवा उधार के रूप में सृजित की जाने वाली निधियों का कल्पित क्रय करती है तथा आस्तियाँ सृजित करने वाली व्यवसाय इकाइयों को निधियों का कल्पित विक्रय करती है।

IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉर्पोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग		योग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
			डिजिटल बैंकिंग	अन्य खुदरा बैंकिंग			
राजस्व (अपवादात्मक मर्दों से पूर्व) #	1,01,933.92 (1,00,000.05)	98,038.91 (74,379.36)	3,697.02	1,63,216.12	1,66,913.14 (1,38,504.95)	- (-)	3,66,885.97 (3,12,884.36)
गैर-आबंटित राजस्व #							1,832.69 (3,136.84)
कुल राजस्व #							3,68,718.66 (3,16,021.20)
परिणाम (अपवादात्मक मर्दों से पूर्व) #	9,470.88 (13,654.90)	29,049.75 (26,959.15)	4,731.53	28,507.95	33,239.48 (12,541.38)	- (-)	71,760.11 (53,155.43)
योग : अपवादात्मक मर्दें #							- (-7,418.39)
परिणाम (अपवादात्मक मर्दों के पश्चात) #							71,760.10 (45,737.04)
गैर-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #							-4,554.47 (-2,315.19)
कर पूर्व लाभ #							67,205.64 (43,421.85)
कर #							16,973.19 (11,745.87)
असाधारण लाभ #							निरंक निरंक
निवल लाभ #							50,232.45 (31,675.98)
अन्य सूचना :							
खंड आस्तियाँ *	16,65,482.35 (16,13,186.75)	14,92,904.65 (13,02,237.02)	52,647.74	22,57,802.67	23,10,450.41 (20,21,244.45)	- (-)	54,68,837.41 (49,36,668.22)
गैर-आबंटित आस्तियाँ *							48,141.12 (50,929.19)
कुल आस्तियाँ *							55,16,978.53 (49,87,597.41)
खंड देयताएँ *	15,24,002.00 (14,68,058.66)	14,57,595.81 (12,74,940.11)	4,90,464.77	15,62,424.59	20,52,889.36 (18,48,288.43)	- (-)	50,34,487.17 (45,91,287.20)
गैर-आबंटित देयताएँ *							1,54,882.91 (1,16,222.15)
कुल देयताएँ *							51,89,370.08 (47,07,509.35)

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

भौगोलिक खंड	घरेलू		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व (विशेष मदों से पूर्व) [#]	3,47,982.70	3,06,741.79	20,735.96	9,279.41	3,68,718.66	3,16,021.20
निवल लाभ [#]	43,966.38	27,905.87	6,266.07	3,770.11	50,232.45	31,675.98
आस्तियाँ*	49,09,460.77	44,56,341.96	6,07,517.76	5,31,255.45	55,16,978.53	49,87,597.41
देयताएँ *	45,81,852.33	41,76,253.90	6,07,517.76	5,31,255.45	51,89,370.09	47,07,509.35

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

* 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार

भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी 12/22.01.001/2022-23 दिनांक -07 अप्रैल 2022 के अनुसार लेखा मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से 'डिजिटल बैंकिंग' को 'रिटेल बैंकिंग खंड' के अंतर्गत एक उप-समूह के रूप में निर्धारित किया गया है।

द. लेखा मानक- 18 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1. संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. एसबीआई कनाडा बैंक
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
5. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
6. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
7. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

ii. घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
2. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3. एसबीआई कार्गो एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
4. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
5. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
6. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
7. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
8. एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
9. एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
10. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

11. एसबीआई एसजी - ग्लोबल सिक्क्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
12. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
13. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन अधीन)
16. एसबीआई फाउंडेशन
17. स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (निगमन तिथि 26 जुलाई 2022)

iii. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटेड
3. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
4. एसबीआईकेप (सिंगापुर) लि. (30 नवंबर 2022 तक)

ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.
2. जियो पेमेंट्स बैंक लि. (22 जनवरी 2023 तक)
3. एसबीआई मैकैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैकैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
5. मैकैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
6. मैकैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि
7. ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड- मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड- ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

ग) सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक

8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. द विलियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. यस बैंक लिमिटेड
4. इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज(इंडिया) प्रा. लि.
5. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (23 जनवरी 2023 से)
6. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

द. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष
2. श्री चह्ला श्रीनिवासुलु शेटी, प्रबंध निदेशक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट्स व प्रौद्योगिकी)
3. श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स) (31.05.2022 तक)
4. श्री स्वामीनाथन जानकीरमण, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)
5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग)
6. श्री आलोक चौधरी, (रिटेल व्यवसाय एवं परिचालन)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत सरकार-नियंत्रित उद्यम के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

3. लेनदेन एवं शेष राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
को बकाया	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
उधार राशि	-	-	-	-	-	-
जमा राशि	4,942.43	-	4,942.43	833.02	-	833.02
अन्य देयताएँ	66.09	-	66.09	10.23	-	10.23
बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	0.17	-	0.17	0.12	-	0.12
अग्रिम	1,007.14	-	1,007.14	856.50	-	856.50
निवेश	7,925.54	-	7,925.54	10,614.81	-	10,614.81
अन्य आस्तियाँ	196.03	-	196.03	224.63	-	224.63
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	22.53	-	22.53	-	-	-
अधिकतम बकाया	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान			वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान		
उधार राशि	-	-	-	-	-	-
जमा राशि	5,269.99	-	5,269.99	1,351.05	-	1,351.05
अन्य देयताएँ	66.12	-	66.12	13.78	-	13.78
बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2.56	-	2.56	636.41	-	636.41
अग्रिम	1,152.51	-	1,152.51	2,218.48	-	2,218.48
निवेश	10,756.28	-	10,756.28	12,520.51	-	12,520.51
अन्य आस्तियाँ	444.64	-	444.64	372.58	-	372.58
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	22.53	-	22.53	2,935.10	-	2,935.10
वर्ष के दौरान	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान			वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान		
ब्याज आय	111.19	-	111.19	207.19	-	207.19
ब्याज खर्च	80.69	-	80.69	31.48	-	31.48
डिविडेंड से अर्जित आय	20.81	-	20.81	21.23	-	21.23
अन्य आय	3.16	-	3.16	1.50	-	1.50
अन्य खर्च	13.17	-	13.17	7.14	-	7.14
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	-0.12	-	-0.12	-	-	-
प्रबंधन संविदाएँ	-	2.21	2.21	-	1.63	1.63

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है।

य. लेखा-मानक - 19 पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	37.34	88.70
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	31.97	55.02
5 वर्ष के पश्चात	5.99	5.32
योग	75.30	149.04

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹ 4,104.59 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 3,892.94 करोड़)।

र. लेखा मानक -20 प्रति शेयर उपार्जन

बैंक, लेखा मानक 20, प्रति शेयर उपार्जन के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर मूलआय की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	400	Nil
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,934	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,707	892,46,11,534
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,707	892,46,11,534
निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	50,232.45	31,675.98
प्रति शेयर मूल आय (₹)	56.29	35.49
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	56.29	35.49
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

ल. लेखा मानक - 22 आय पर कर का लेखांकन

क. वर्तमान कर :-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 21,223.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11,427.30 करोड़) वर्तमान कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 4,250.73 करोड़ आस्थगित कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹ 318.57 करोड़ डेबिट किया गया)

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए) ₹ 10,534.21 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 6,244.72 करोड़) रहीं, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष 2.56 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 10,534.22 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 6,247.29 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियाँ' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	9,105.22	6,568.86
अग्रिमों के लिए प्रावधान	6,244.09	4,863.64
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	3,736.75	3,650.06
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	1,686.01	982.69
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	352.03	269.66
विदेशी कार्यालयों से	476.14	409.56
योग	21,600.24	16,744.47
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,598.88	6,546.58
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,467.14	3,950.61
विदेशी कार्यालयों से	0.01	2.56
योग	11,066.03	10,499.75
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	10,534.21	6,244.72

वित्त वर्ष 2019-20 बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 बीए के अंतर्गत अनुमत निचली कर दर के विकल्प को चुना है।

व. लेखा मानक-27 संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

निवेशों में करोड़ (पिछले वर्ष 107.14 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि करोड़ में	देश	धारिता %
1.	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49% (49%)
2.	एसबीआई मैकैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45% (45%)
3.	एसबीआई मैकैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45% (45%)
4.	मैकैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45% (45%)
5.	मैकैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.*	- (-)	बरमुडा	45% (45%)
6.	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड- मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50% (50%)
7.	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50% (50%)
8.	जियो पेमेंट्स बैंक §§	- (79.08)	भारत	- (30%)
कुल		28.06 (107.14)		

* मैकैरी एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट पीटीई लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कंपनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

§§ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, एक संयुक्त उद्यम, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में बैंक की हिस्सेदारी 30.00% से घटकर 23.02% हो गई है, क्योंकि बैंक ने कंपनी द्वारा पेश किए गए इक्विटी शेयरों के राइट इश्यू में भाग नहीं लिया था। इकाई को बैंक के सहयोगी के रूप में माना जाता है।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक -एस 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	220.31	236.69
जमा-राशियाँ	-	5.69
उधार-राशियाँ	-	7.48
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	41.58	48.20
योग	261.89	298.06
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	-	1.82
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त राशि	147.43	143.16
निवेश	22.71	71.77
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	20.40	14.97
अन्य आस्तियाँ	71.35	66.34
योग	261.89	298.06
पूंजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	1.49	1.91
आय		
अर्जित ब्याज	8.27	7.41
अन्य आय	188.40	171.75
योग	196.67	179.16
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.18	0.11
परिचालन व्यय	152.52	148.60
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	15.18	12.62
योग	167.88	161.33
लाभ	28.79	17.83

स. लेखा मानक - 28 आस्तियों की क्षति

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान गैर-मौद्रिक आस्तियों की क्षति का कोई संकेत नहीं है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

7. लेखांकन मानक-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

आकस्मिक देयताओं का विवरण

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1.	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2.	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए अप्रदत्त शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें उद्यम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएँ भी शामिल हैं।
3.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वेप में शामिल होता है। मुद्रा स्वेप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वेप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। कल्पित राशियाँ, जो आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की जाती हैं, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/मध्यस्थता/न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्धृत करने के दायित्व, जैसा भी मामला हो, पर आधारित हैं।

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	3,664.18	3,429.98
वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	143.54	438.42
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	86.59	7.40
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	611.18	196.82
अंतिम शेष	3,109.95	3,664.18

18.15 अतिरिक्त प्रकटन

क. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

ख. चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने अपनी एक विदेशी अनुषंगी, बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ इन्डोनेशिया को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है। एक विदेशी अनुषंगी, एसबीआई कनाडा बैंक के लिए वित्त मंत्री ओन्टारियो को चुकौती आश्वासन पत्र दिया गया है। 31 मार्च 2023 को इन चुकौती आश्वासन पत्र की समेकित राशि 2054.25 करोड़ (250 मिलियन अमेरिकी डॉलर) (पिछले वर्ष 1,894.81 करोड़) है।

ग. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों, कॉर्पोरेट केंद्र तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

घ. काउंटर साइक्लिकल पूंजी बफर (सीसीपीबी)

अस्थायी प्रावधानों काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का उपयोग पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एसटीआर. आरईसी. 10/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई 2021 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 100% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

इ. दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर्ड खातों पर प्रावधान :

दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर्ड खातों पर प्रावधान के लिए आरबीआई के पत्रांक डीबीआर. सं.बीपी. 15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर. सं.बीपी. 1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांक 23 जून 2017 तथा 28 अगस्त 2017 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2023 को कुल ₹ 3,935.48 करोड़ (कुल बकाया का 100%) (पिछले वर्ष ₹ 4,739.87 करोड़ कुल बकाया का 100%) का प्रावधान किया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

च. वेतन समझौते के लिए प्रावधान:

01 नवंबर, 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के तहत बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,490.00 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2023 तक कुल संचयी राशि ₹ 2490.00 करोड़) की देय राशि का प्रावधान किया है।

छ. संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन:

वर्ष के दौरान बैंक ने पूर्ण स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का बाहरी स्वतंत्र मूल्यांककों से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया है (इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-2020 में पुनर्मूल्यांकन) और 31 मार्च 2023 तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अंतिम शेष के आधार पर (सामान्य रिजर्व में अंतरित राशि का निवल) ₹ 27,756.26 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 23,377.87 करोड़)

ज. दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में कमी आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी। ऐसी स्थिति में, बैंक ने चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया तथा निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन किया। बैंक की आस्तियों पर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित प्रावधान किए। बैंक का प्रबंधन बैंक की तरलता अथवा लाभकारिता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की आशंका नहीं रखता।

झ. बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 11.30 प्रति शेयर 1130 % के लाभांश की घोषणा की है।

ट. वर्तमान वर्ष वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। जिन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार प्रकटन किया गया है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (विव 22-23) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (विव 21-22) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ / (हानि)	67205,63,25	43421,85,36
समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	3297,27,04	3248,58,58
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)	29,78,85	16,86,60
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)	4644,43,56	263,27,88
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर हानि	-	12,92,61
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान	9143,92,59	14086,84,54
मानक आस्तियों पर प्रावधान	5618,54,85	4677,03,92
अनर्जक निवेश पर प्रावधान	1513,84,35	3440,09,87
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान	231,01,57	2248,14,81
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेश से आय	(855,10,80)	(718,37,49)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज	6387,15,64	5451,98,00
	97216,50,90	76149,24,68
समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	372243,65,37	370257,04,31
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	49958,77,64	5064,98,09
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(94349,41,25)	(132646,14,69)
अंशियों में (वृद्धि) / कमी	(474446,62,98)	(298555,64,72)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	31320,55,51	40375,27,17
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(57942,51,27)	5583,06,80
	(75999,06,08)	66227,81,64
कर वापसी / (प्रदत्त कर)	(15352,75,44)	(7812,36,34)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(91351,81,52)	58415,45,30
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह:		
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेश	(729,62,26)	(878,47,10)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री	-	★80,97,57
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (हानि)	-	★(12,92,61)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में निवेशों से आय	855,10,80	718,37,49
अचल आस्तियों में (वृद्धि)	(4066,08,04)	(2715,31,18)
अचल आस्तियों में कमी	643,55,83	194,64,06
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(3297,03,67)	(2612,71,77)

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (विव 22-23) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (विव 21-22) ₹
वित्तपोषण कार्यक्रमों से नकदी प्रवाह		
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि	64	-
पूँजीगत लिखतों का निर्गम	19133,00,00	13974,00,00
पूँजीगत लिखतों का मोचन	(2000,00,00)	(10293,30,00)
पूँजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज	(5594,52,73)	(5288,37,02)
प्रदत्त लाभांश	(6336,72,16)	(3569,84,46)
वित्तपोषण कार्यक्रमों से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	5201,75,75	(5177,51,48)
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	2794,39,13	888,39,12
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (अ+ब+स+द)	(86652,70,31)	51513,61,17
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य	394552,32,11	343038,70,94
31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य	307899,61,80	394552,32,11
नोट:		
★ 'बैंक एसबीआई बोट्सवाना' का बैंकिंग लाइसेंस दिनांक 30.06.2021 को सरेडर किया गया। पंजीकरण समाप्त होने के बाद इसका संचालन बंद किया गया और ₹ 80.98 करोड़ रुपये की पूंजी को ₹ 12.93 करोड़ रुपये के नुकसान पर प्रत्यावर्तित किया गया है।		
1. नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :	31.03.2023	31.03.2022
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां	247087,57,52	318265,20,71
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि	60812,04,28	76287,11,40
	307899,61,80	394552,32,11
2. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया है।		

श्री आलोक कुमार चौधरी
प्रबंध निदेशक
(खुदरा व्यापार और परिचालन)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन और एसएआरजी)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग और अनुषंगियां)

श्री चला श्रीनिवासुलु सेट्टी
प्रबंध निदेशक
(अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार और प्रौद्योगिकी)

निदेशक:

श्री बी वेणुगोपाल
डॉ. गणेश नटराजन
श्री केतन एस. विक्रमसी
श्री मृगांक एम. परांजपे
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़
सुश्री स्वाति गुप्ता
श्री अनिल कुमार शर्मा

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18 मई 2023

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date

कृते के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी

For K C Mehta & Co LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.

106237W/W100829

सीए चिराग बक्शी

CA Chirag Bakshi

भागीदार / Partner: स.क्र. M. No. 047164

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी

For Guha Nandi & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 302039E

डॉ बी एस कुंडु

Dr. B. S. Kundu

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051221

कृते सूरी एंड कंपनी

For Suri & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 004283S

सीए वी नटराजन

CA V Natarajan

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 223118

कृते गोखले एंड साठे

For Gokhale & Sathe

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

Firm Regn. No. 103264W

सीए जयंत गोखले

CA Jayant Gokhale

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 033767

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक: 18 मई, 2023 / Date: 18th May 2023

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी

For ASA & Associates LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.

009571N/N500006

सीए प्रतीत मिश्र

CA Prateet Mittal

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 402631

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी

For M C Bhandari & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 303002E

सीए निखिल जैन

CA Nikhil Jain

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 301150

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी

For Talati & Talati LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 110758W/
W100377

सीए आनंद शर्मा

CA Anand Sharma

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 129033

कृते एम के अग्रवाल एंड कं.

For M K Aggarwal & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 001411N

सीए अतुल अग्रवाल

CA Atul Aggarwal

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 099374

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी

For Prem Gupta & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 000425N

सीए शकुन गुप्ता

CA Shakun Gupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 506838

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स

For V Singhi & Associates

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 311017E

सीए अनिरुद्ध सेनगुप्ता

CA Aniruddha Sengupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051371

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी

For Ravi Rajan & Co. LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 009073N/500320

सीए सुमित कुमार

CA Sumit Kumar

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 512555

कृते जेएलएनयूएस एंड कं.

For JLN US & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 101543W

सीए शलभ कुमार डागा

CA Shalabh Kumar Daga

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 401428

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति,

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के संलग्न बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

- i) केन्द्रीय कार्यालय, 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार इकाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 20 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;
- ii) 5,719 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों ने की है;
- iii) विदेश स्थित 34 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा संबंधित स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 19,285 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखा यूनिट सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 25.18% प्रतिशत, जमाशायियों में 39.97% प्रतिशत, ब्याज आय में 21.04% प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 37.73% प्रतिशत है।

हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई है जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और:

- क) तुलन पत्र, संबंधित नोटों के साथ पठित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं। इसे उचित रूप से तैयार गया है ताकि 31 मार्च, 2023 तक बैंक की स्थिति के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके।
- ख) लाभ और हानि खाता, संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सम्यक संतुलन दिखाता है; और
- ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एक सही और उचित विवरण प्रस्तुत करता है।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां भाग में दी गई है। हम आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिकता के कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से समाधान कर लिया गया है और इससे संबंधित जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निधारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्रम सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
ii.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 अनुसूची 17 के नोट 3 के वित्तीय विवरण के साथ पठित।) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति प्राप्ति और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 28.69% हिस्सा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, तदनुसूची आय की मान्यता न दिए जाने और इसके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफआईएमएडीए दर्जे, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दर्जे, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि से आंकड़ों/सूचनाओं का संग्रह शामिल है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, हस्तगत निवेशों की मात्रा और विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के बारे में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और इसे समझ लिया। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निर्देशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. एनपीआई और आय के तदनुसूची रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यहास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।

क्रम सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
iii.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18 के नोट 18.13 के साथ पठित) प्रावधान के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने फैसले, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह द्वारा समर्थित है, जहां भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णयों / व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल है: क. लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं ख. मुकदमों/कर आकलनों की वर्तमान स्थिति को समझना ग. विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और / या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; घ. इसमें प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन करना और हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह ङ. चर्चाओं के माध्यम से बैंक के विवादों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्यूरी का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह; और च. महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।

एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

- बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस रिपोर्ट के जारी करते समय प्राप्त किया था। अन्य सूचना में वार्षिक प्रतिवेदन में अनुलब्धकों सहित निदेशकों का प्रतिवेदन भी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल नहीं है, जिसे इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल खरखर प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं और व्यक्त नहीं करेंगे।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को

वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नर्स से जुड़ें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन से जुड़े सदस्यों के दायित्व

- बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, लागू सीमा तक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश के उपबंध भी शामिल हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार और घोषाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान आकलन जो उचित और विवेकपूर्ण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हैं; और डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और त्रुटियों से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटियों के कारण।

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की मंडल प्रबंधन की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी भी है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि बैंक के एकल वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, और अपने अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा जब यह मौजूद है। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उसपर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी के पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता भी हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना
- प्रबंधन द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्त्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु एवं बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकारी उपयोगकर्ता संभवतः प्रभावित हो सकते हैं। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, अभिमान से जुड़े सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं।

हम, अभिमान से जुड़े सदस्यों को एक विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें अपने संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी दी गई है जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहाँ लागू हो, वहाँ उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दी गई है।

अभिशासन के साथ जुड़े सदस्यों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते हैं बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

अन्य मामले

7. हमने एकल वित्तीय विवरण में शामिल 5,753 शाखाओं (34 विदेश स्थित शाखाओं सहित) के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त बैंक के कुल आस्तियों का रु 20,84,279.13 करोड़ और कुल राजस्व का रु 1,30,247.03 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैरा 5 से 7 में दर्शाई गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन और जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा अपेक्षित है, और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन और जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;
- ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;
- ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

- घ) लाभ और हानि खाता 31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की वास्तविक शेष राशि को दर्शाता है

9. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमारे अभिमत में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं जा सके उन शाखाओं की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त विवरणियाँ हमें प्राप्त हुई हैं।
- ख. तुलन-पत्र लाभ और हानि खाते और इस रिपोर्ट में सम्मिलित नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं।
- ग. हमारे अभिमत में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा
- घ. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं कि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

10. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. संख्या.6270/08.91.001/2019- 20 दिनांक 17 मार्च 2019-20 के अनुसार आवश्यक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

- क. हमारी राय में, उपरोक्त केवल भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।
- ख. वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणियाँ नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ग. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने से अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।
- घ. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date

कृते के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी
For K C Mehta & Co LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.
106237W/W100829

सीए चिराग बक्शी

CA Chirag Bakshi

भागीदार / Partner: स.क्र. M. No. 047164

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी

For Guha Nandi & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 302039E

डॉ बी एस कुंडु

Dr. B. S. Kundu

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051221

कृते सूरी एंड कंपनी

For Suri & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 004283S

सीए वी नटराजन

CA V Natarajan

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 223118

कृते गोखले एंड साठे

For Gokhale & Sathe

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
Firm Regn. No. 103264W

सीए जयंत गोखले

CA Jayant Gokhale

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 033767

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक: 18 मई, 2023 / Date: 18th May 2023

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
For ASA & Associates LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.
009571N/N500006

सीए प्रतीत मिश्र

CA Prateet Mittal

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 402631

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी

For M C Bhandari & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 303002E

सीए निखिल जैन

CA Nikhil Jain

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 301150

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी

For Talati & Talati LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 110758W/
W100377

सीए आनंद शर्मा

CA Anand Sharma

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 129033

कृते एम के अग्रवाल एंड कं.

For M K Aggarwal & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 001411N

सीए अतुल अग्रवाल

CA Atul Aggarwal

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 099374

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी

For Prem Gupta & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 000425N

सीए शकुन गुप्ता

CA Shakun Gupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 506838

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स

For V Singhi & Associates

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 311017E

सीए अनिरुद्ध सेनगुप्ता

CA Aniruddha Sengupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051371

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी

For Ravi Rajan & Co. LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 009073N/500320

सीए सुमित कुमार

CA Sumit Kumar

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 512555

कृते जेएलएनयूएस एंड कं.

For JLN US & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 101543W

सीए शलभ कुमार डागा

CA Shalabh Kumar Daga

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 401428

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध “ए”

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 10(ई) में संदर्भित

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पत्र डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) (आरबीआई पत्राचार) द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2023 तक भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं और बनाए रखे गए थे और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षा के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित अपनी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और पर्याप्त प्रतिबिंबित करती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाता है, और यह कि बैंक की प्राप्ति और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं। और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों की मिलाभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है। त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध “ए”

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के तहत पैराग्राफ 10(ई) में संदर्भित

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में परिवर्तन या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

अभिमत

हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक और वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 तक तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित

आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आंतरिक नियंत्रण के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए मानदंड पर आधारित हैं।

अन्य मामले

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट जहां तक यह 711 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date

कृते के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी

For K C Mehta & Co LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.

106237W/W100829

सीए चिराग बक्शी

CA Chirag Bakshi

भागीदार / Partner: स.क्र. M. No. 047164

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी

For Guha Nandi & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 302039E

डॉ बी एस कुंडु

Dr. B. S. Kundu

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051221

कृते सूरी एंड कंपनी

For Suri & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 004283S

सीए वी नटराजन

CA V Natarajan

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 223118

कृते गोखले एंड साठे

For Gokhale & Sathe

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

Firm Regn. No. 103264W

सीए जयंत गोखले

CA Jayant Gokhale

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 033767

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक: 18 मई, 2023 / Date: 18th May 2023

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी

For ASA & Associates LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No.

009571N/N500006

सीए प्रतीत मिश्र

CA Prateet Mittal

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 402631

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी

For M C Bhandari & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 303002E

सीए निखिल जैन

CA Nikhil Jain

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 301150

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी

For Talati & Talati LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 110758W/

W100377

सीए आनंद शर्मा

CA Anand Sharma

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 129033

कृते एम के अग्रवाल एंड कं.

For M K Aggarwal & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 001411N

सीए अतुल अग्रवाल

CA Atul Aggarwal

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 099374

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी

For Prem Gupta & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 000425N

सीए शकुन गुप्ता

CA Shakun Gupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 506838

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स

For V Singhi & Associates

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 311017E

सीए अनिरुद्ध सेनगुप्ता

CA Aniruddha Sengupta

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 051371

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी

For Ravi Rajan & Co. LLP

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

फर्म पं. क्र. / Firm Regn. No. 009073N/500320

सीए सुमित कुमार

CA Sumit Kumar

भागीदार स.क्र. / Partner: M. No. 512555

कृते जेएलएनयूएस एंड कं.

For JLN US & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

भागीदार स.क्र. / Firm Regn. No. 101543W

सीए शलभ कुमार डागा

CA Shalabh Kumar Daga

फर्म पं. क्र. / Partner: M. No. 401428

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

अनुसूची संख्या	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ		
पूंजी	1	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	358038,85,69
अल्प मर्दों पर ब्याज	2अ	12836,61,94
जमा राशियाँ	3	4468535,50,68
उधार राशियाँ	4	521151,94,98
अन्य देयताएँ व प्रावधान	5	592962,92,29
योग	5954418,31,70	5360883,52,94
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमा राशियाँ	6	247321,04,97
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त राशि	7	70990,86,00
निवेश	8	1913107,85,64
अग्रिम	9	3267902,12,73
अचल आस्तियाँ	10	44407,38,10
अन्य आस्तियाँ	11	410689,04,26
योग	5954418,31,70	5360883,52,94
आकस्मिक देयताएँ	12	1835524,38,19
वसूली के लिए बिल		64571,94,48
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17	
लेखा टिप्पणियाँ	18	

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री आलोक कुमार चौधरी
प्रबंध निदेशक
(खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार एवं प्रौद्योगिकी)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के सी मेहता एंड कं एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 106237W/W100829

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री चिराग बक्शी
भागीदार
सदस्यता सं. 047164

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2023

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित बैलेंस शीट का अभिन्न भाग हैं

अनुसूची 1 - पूंजी

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी :		
5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी :		
892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी :		
892,46,11,934 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
उपर्युक्त में 891,60,950 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 1036,05,740 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर) इन्हें 89,16,095 (पिछला वर्ष 103,60,574) वैश्विक निक्षेपागार रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है		
योग	892,46,12	892,46,12

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ		
अधिशेष	86939,14,12	77170,11,43
वर्ष के दौरान परिवर्धन	15370,39,97	9769,02,69
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	3,77	-
	102309,50,32	86939,14,12
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ		
अधिशेष	15769,81,83	15231,66,59
वर्ष के दौरान परिवर्धन	232,80,84	538,15,24
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	16002,62,67	15769,81,83
III. शेयर प्रीमियम		
अधिशेष	79115,47,05	79115,47,05
वर्ष के दौरान परिवर्धन	63	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	79115,47,68	79115,47,05
IV. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ		
अधिशेष	7695,94,74	3048,07,72
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4575,43,43	4647,87,02
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	12271,38,17	7695,94,74

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र का अभिन्न भाग है

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित निधियां				
अथशेष	11256,69,03		10290,42,37	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3075,05,46		966,26,66	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	14331,74,49	-	11256,69,03
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	59873,25,90		57936,43,59	
वर्ष के दौरान परिवर्धन #	4352,07,11		2072,94,73	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	242,74,97	63982,58,04	136,12,42	59873,25,90
VII. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	23377,86,71		23577,34,78	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4578,34,93		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	199,95,74	27756,25,90	199,48,07	23377,86,71
VIII. समेकन पर पूंजी आरक्षित निधियां				
अथशेष	273,03,96		203,02,24	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	72,94,18		70,01,72	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	345,98,14	-	273,03,96
IX. लाभ-हानि खाते का अधिशेष	41923,30,28		20394,35,05	
योग	358038,85,69		304695,58,39	

शुद्ध समेकन समायोजन

नोट: राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ में शामिल हैं (i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के 5,00,00 हजार (पिछले वर्ष 5,00,00 हजार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ 17749,30,76 हजार (पिछले वर्ष 15696,95,76 हजार) (iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष शून्य (पिछला वर्ष शून्य)

अनुसूची 2ए- अल्प मर्दों पर ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
वर्ष के प्रारंभ में अल्प मर्दों पर ब्याज	11207,42,28	9625,91,66
बाद में वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	1629,19,66	1581,50,62
तुलन पत्र की तिथि पर अल्प मर्दों पर ब्याज	12836,61,94	11207,42,28

अनुसूची 3- जमा राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. मांग जमा-राशियाँ		
i) बैंकों से	3160,40,31	6328,02,10
ii) अन्यो से	302572,94,64	273403,37,96
II. बचत बैंक जमा-राशियाँ	1600786,08,97	1539980,57,43
III. सावधि जमा-राशियाँ		
i) बैंकों से	7611,65,56	8971,36,01
ii) अन्यो से	2554404,41,20	2258727,26,56
योग	4468535,50,68	4087410,60,06
ख) i) भारत में शाखाओं की जमा-राशियाँ	4248617,47,94	3917357,59,34
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा-राशियाँ	219918,02,74	170053,00,72
योग	4468535,50,68	4087410,60,06

अनुसूची 4 - उधार राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ		
i) भारतीय रिजर्व बैंक	26467,44,00	24956,00,00
ii) अन्य बैंक	12929,14,36	10636,43,98
iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	98387,56,25	151731,12,75
iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर (पूँजी लिखतों के अतिरिक्त)	23073,00,00	3111,50,00
v) पूँजी लिखत:		
अ. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	49842,70,00	36709,70,00
ब. गौण ऋण	40679,90,00	36529,90,00
योग	251379,74,61	263674,66,73
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ		
i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त	269482,49,31	185320,49,83
ii) पूँजीगत लिखतें:		
अ. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	-	-
ब. गौण ऋण	289,71,06	164,61,80
योग	269772,20,37	185485,11,63
कुल योग	521151,94,98	449159,78,36
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं।	147932,42,29	188360,08,98

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र का अभिन्न भाग है

अनुसूची 5- अन्य देयताएँ व प्रावधान

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	27408,12,08	33485,82,47
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	235,50,41	37,86,55
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	4346,60,96	2344,61,99
IV. उपचित ब्याज	27495,02,55	17990,61,59
V. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	3,80,18	5,68,86
VI. बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयता	308442,71,80	264548,27,48
VII. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान*	26332,69,39	20592,09,08
VIII. अन्य (प्रावधानों सहित)	198698,44,92	168512,69,71
योग	592962,92,29	507517,67,73

* इसमें ₹ 8,500 करोड़ के एक्सपोजर वाले एसबीआई के एक बड़े ऋण खाते पर किए गए विवेकपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व जमाराशियाँ

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	21628,41,77	21967,22,06
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
i) चालू खातों में	225692,63,20	236119,20,95
ii) अन्य खातों में	-	60406,00,00
योग	247321,04,97	318492,43,01

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
i) बैंकों में जमाराशियाँ		
क) चालू खातों में	1262,19,41	1064,57,10
ख) अन्य जमा खातों में	4395,41,30	3727,11,66
ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य राशि		
क) बैंकों में	7770,44,34	532,22,08
ख) अन्य संस्थानों में	-	-
योग	13428,05,05	5323,90,84
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	44397,86,48	62547,03,12
ii) अन्य जमा खातों में	1816,80,21	3579,70,45
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11348,14,26	8962,04,75
योग	57562,80,95	75088,78,32
कुल योग (I एवं II)	70990,86,00	80412,69,16

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1357221,39,54	1261071,12,87
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	34762,19,16	35365,93,17
iii) शेयर	105133,88,56	90652,83,35
iv) डिबेंचर व बॉन्ड	285134,41,60	269609,83,27
v) अनुषंगी एवं सहयोगी [§]	16013,18,97	14603,34,61
vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट इत्यादि)	49582,88,89	47875,58,26
योग	1847847,96,72	1719178,65,53
II. भारत के बाहर निवेश :		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	34915,98,39	24165,67,65
ii) सहयोगी	176,02,39	158,80,87
iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	30167,88,14	32986,75,83
योग	65259,88,92	57311,24,35
कुल योग (I एवं II)	1913107,85,64	1776489,89,88
III. भारत में निवेश :		
i) निवेशों का सकल मूल्य	1863706,45,82	1731051,89,01
ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यहास	15858,49,10	11873,23,48
निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	1847847,96,72	1719178,65,53
IV. भारत के बाहर निवेश :		
i) निवेशों का सकल मूल्य	67114,39,22	57458,70,66
ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यहास	1854,50,30	147,46,31
निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	65259,88,92	57311,24,35
कुल योग (III एवं IV)	1913107,85,64	1776489,89,88
# सहयोगियों में निवेश (भारत में और भारत के बाहर)		
सहयोगियों में इक्विटी निवेश	9969,61,06	10215,12,19
जोड़ें : सहयोगियों के अधिग्रहण पर गुडविल	286,07,51	25,91,12
घटाएं : सहयोगियों के अधिग्रहण पर पूंजी रिजर्व	917,06,12	981,48,87
घटाएं : कमी के लिए प्रावधान	-	-
सहयोगियों के निवेश में लागत	9338,62,45	9259,54,44
जोड़ें : अधिग्रहण के बाद लाभ/ (हानि) और सहयोगियों के रिजर्व (इक्विटी विधि)	6846,58,91	5498,61,05
योग	16185,21,36	14758,15,49

§ शेयर आवेदन राशि सहित

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र का अभिन्न भाग है

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.		
i) क्रय किए गए और बढ़ाकृत बिल	183065,47,36	168552,97,29
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	868417,22,37	740936,12,49
iii) सावधि ऋण	2216419,43,00	1884586,90,40
योग	3267902,12,73	2794076,00,18
ख.		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रत्याभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)	2161700,28,29	1901776,92,33
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	133206,97,67	114844,70,33
iii) अप्रतिभूत	972994,86,77	777454,37,52
योग	3267902,12,73	2794076,00,18
ग. I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	697644,43,51	658546,87,83
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	258922,87,67	167199,40,75
iii) बैंक	512,50,14	1536,43,37
iv) अन्य	1777189,17,67	1519580,51,83
योग	2734268,98,99	2346863,23,78
II. भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से प्राप्य	152095,52,24	119514,35,15
ii) अन्यो से प्राप्य		
अ) क्रय किए गए और बढ़ाकृत बिल	42531,12,88	35345,80,07
ब) सिंडीकेट ऋण	223887,33,49	196311,75,75
स) अन्य	115119,15,13	96040,85,43
योग	533633,13,74	447212,76,40
कुल योग ग-I एवं ग-II	3267902,12,73	2794076,00,18

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर परिवर्धन:				
- वर्ष के दौरान	31336,60,87		31130,03,43	
- पुनर्मूल्यांकन हेतु	37,83,52		226,53,68	
कटौतियाँ:	6407,26,03		-	
- वर्ष के दौरान	6,81,67		4,46,02	
- पुनर्मूल्यांकन हेतु	1828,91,10		15,50,22	
अद्यतन मूल्यहास:				
- लागत पर	1317,07,16		1168,76,60	
- पुनर्मूल्यांकन पर	1228,86,53		1028,90,79	
	33400,03,96		29138,93,48	
I ए. निर्माणाधीन परिसर	317,54,60		252,96,55	
II. अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	41202,17,83		38991,32,27	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3771,90,49		2952,36,16	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	796,82,09		741,50,60	
अद्यतन मूल्यहास	33883,53,97		31339,27,63	
	10293,72,26		9862,90,20	
II ए. पट्टा आस्ति				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	397,94,02		288,85,63	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	178,41,34		126,36,17	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	70,45,09		17,27,78	
अद्यतन मूल्यहास (प्रावधान सहित)	175,85,03		170,27,88	
	330,05,24		227,66,14	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	-		-	
	330,05,24		227,66,14	
योग (I, IA, II एवं IIA)	44341,36,06		39482,46,37	
III. निर्माणाधीन आस्तियां (पट्टा आस्ति सहित) प्रावधान करने के बाद	66,02,04		27,56,68	
योग (I, I अ, II, II आ एवं III)	44407,38,10		39510,03,05	

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र का अभिन्न भाग है

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	-
III. उपचित ब्याज	43381,20,67	37043,85,65
IV. अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	16889,73,62	22650,12,52
V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	11136,38,22	6745,22,82
VI. लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	65,02,79	59,06,04
VII. ढावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	99,23	11,52,34
VIII. नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी के पास रखी गई जमा राशियां	218591,19,47	195618,29,52
IX. समेकन पर गुडविल	1538,36,27	1550,02,47
X. अन्य	119086,13,99	88224,36,30
योग	410689,04,26	351902,47,66

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	90987,81,73	86519,11,42
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स के लिए देयता	2400,05,44	2773,96,99
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	1041453,84,63	1213429,79,26
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	165126,25,47	166528,97,91
(ख) भारत के बाहर	105405,64,27	95727,54,21
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	152189,82,54	171892,93,33
VI. अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	277960,94,11	270360,15,88
योग#	1835524,38,19	2007232,49,00

\$ ₹ 261767,19,24 हजार (पिछले वर्ष ₹ 259688,85,67 हजार) के डेरिवेटिव सहित

₹ 1,49,15 हजार (पिछले वर्ष ₹ 1,91,46 हजार) संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयता में हिस्सेदारी से संबंधित है

		(000 को छोड़ दिया गया है)	
		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
अनुसूची संख्या		₹	₹
I.	आय		
	अर्जित ब्याज	13	350844,58,01
	अन्य आय	14	289972,68,60
	योग		117000,40,37
		473378,14,12	406973,08,97
II.	व्यय		
	व्यय किया गया ब्याज	15	189980,81,67
	परिचालन व्यय	16	156194,34,41
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		174363,42,58
	योग		37024,40,87
		416819,71,13	40059,14,84
III.	लाभ		
	वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों के लाभ में अंश के समायोजन एवं अल्प मदों पर ब्याज से पूर्व)		56558,42,99
	जोड़ें: सहयोगियों के लाभ/(हानि) में शेयर		36356,17,14
	घटाएँ: अल्प मदों पर ब्याज		1191,45,21
	समूह का निवल लाभ		827,01,33
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)		2101,70,92
	योग		1809,30,49
		55648,17,28	35373,87,98
IV.	विनियोजन		
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		20394,35,05
	पूँजी आरक्षित निधियों को अंतरण		8096,54,12
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण		76042,52,33
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		43470,42,10
	वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		
	लाभांश पर कर		15370,39,97
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		9769,02,69
	योग		538,15,24
		4575,43,43	4647,87,02
V.	प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)		
	मूल (₹ में)		3854,26,53
	कम की गई (₹ में)		1783,68,04
	महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियाँ		10084,81,15
	लेखा टिप्पणियाँ		6336,47,42
		150,13	86,64
		41923,30,28	20394,35,05
		76042,52,33	43470,42,10
		62.35	39.64
		62.35	39.64

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री आलोक कुमार चौधरी
प्रबंध निदेशक
(खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार एवं प्रौद्योगिकी)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के सी मेहता एंड कं एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 106237W/W100829

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री चिराग बक्शी
भागीदार
सदस्यता सं. 047164

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2023

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित लाभ हानि खाता का अभिन्न भाग है

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	228740,74,65	177474,83,13
II. निवेशों पर आय	106824,85,28	93477,89,84
III. भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	3916,45,69	4608,34,99
IV. अन्य	11362,52,39	14411,60,64
योग	350844,58,01	289972,68,60

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	25913,29,95	24549,32,06
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	5158,08,59	6375,64,61
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(4922,60,98)	(445,73,69)
IV. भूमि, भवनों और अन्य पट्टा आस्ति सहित आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(29,03,16)	(16,40,47)
V. विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	5385,45,63	3530,17,97
VI. विदेश/भारत में सहयोगियों से लाभांश	2,66,25	3,19,50
VII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	6800,41,06	5269,67,80
VIII. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	70751,51,78	62188,03,44
IX. बट्टे खाते में की गयी वसूली	7728,67,19	8286,78,94
X. विविध आय	5745,09,80	7259,70,21
योग	122533,56,11	117000,40,37

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	163518,78,32	141765,28,30
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	18317,50,75	7751,72,68
III. अन्य	8144,52,60	6677,33,43
योग	189980,81,67	156194,34,41

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान #	61920,91,12	61445,12,63
II. भाड़ा, कर और लाइटिंग	6103,05,83	5707,73,68
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	810,68,23	709,90,76
IV. विज्ञापन व प्रचार	3419,26,91	2693,92,63
V. (क) अचल संपत्तियों पर मूल्यहास (पट्टा आस्तियों को छोड़कर)	3644,79,49	3652,67,77
(ख) पट्टा आस्तियों पर मूल्यहास	50,80,37	38,59,23
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	13,18,37	12,82,78
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	284,82,75	283,56,85
VIII. विधि प्रभार	516,43,62	448,57,06
IX. डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	766,06,89	710,44,57
X. मरम्मत और अनुरक्षण	1305,59,44	1219,04,35
XI. बीमा	5340,69,01	4799,96,54
XII. क्रेडिट कार्ड परिचालन से जुड़े अन्य परिचालन व्यय	3876,89,74	2945,50,71
XIII. बीमा परिचालन व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यय	78227,18,14	69706,73,54
XIV. अन्य व्यय	23534,08,68	19988,79,48
योग	189814,48,59	174363,42,58

11 नवंबर 2020 के 11वें समझौते और संयुक्त नोट के अंतर्गत कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के लिए शून्य (पिछले वर्ष ₹ 7418,39,00 हजार) को असाधारण मद के रूप में शामिल किया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. पृष्ठभूमि:

भारतीय स्टेट बैंक ('एसबीआई' या 'बैंक'), बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करता है। यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

भारतीय स्टेट बैंक समूह ('एसबीआई समूह' या 'समूह') में एसबीआई, 27 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम (22 जनवरी 2023 तक जिओ पेमेंट बैंक सहित) और 19 सहयोगी शामिल हैं।

एसबीआई समूह की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों अर्थात् एसबीआई के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करने में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखा सिद्धांत एवं विधियाँ नीचे दी जा रही हैं।

ख. तैयार करने का आधार:

एसबीआई समूह की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियाँ भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धतियाँ शामिल हैं।

विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबद्ध देश के सांविधिक प्रावधान एवं स्थानीय कानून ज्यादा विवेकपूर्ण होने पर उनका अनुपालन किया जाएगा।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को परंपरागत लागत परिपाटी तरीके से तैयार किया जाता है जिसमें लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के मौलिक लेखा आकलन, स्थिरता एवं उपचय, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, को ध्यान में रखा जाता है।

ये समेकित वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ग. प्राकलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन-मंडल, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में

प्रतिफलित प्राकलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्राकलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राकलनों से अलग हो सकते हैं।

घ. समेकन का आधार:

1. एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

- क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के वित्तीय विवरण।
- ख. अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का मूल कंपनी की इन्हीं मदों से अक्षरशः समेकन किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार असमरूप लेखा नीतियों के लिए, जहाँ आवश्यक है वहाँ, सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया लेनदेन के कारण अप्राप्त लाभ एवं समायोजन को हटाना।
- ग. संयुक्त उद्यम निकायों की आस्ति/देयता/आय/व्यय के समानुपातिक भाग का समेकन आसीएआई द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना के एसएस 27 के अनुसार किया गया है।
- घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखांकन आसीएआई द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखांकन' के लेखा मानक 23 की इक्विटी पद्धति के अनुसार किया गया है।
2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूँजी आरक्षित निधि के रूप में दिखाया गया है।
3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्प मदों पर ब्याज निम्नवत है:
 - क. जिस तिथि को अनुषंगी के इक्विटी शेयरों में निवेश किया गया है उस तिथि को अल्पांश शेयरधारकों के कारण इक्विटी की राशि और,
 - ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के बीच संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/ हानि (इक्विटी) के उतार-चढ़ाव में अल्पांश का हिस्सा।

ङ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

- 1.1 आय और व्यय की उपचय आधार पर (जहाँ अन्यथा न कहा गया हो) गणना की जाती है।

- 1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है :
 - क. भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित अलाभकारी आस्तियों से आय
 - ख. रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।
- 1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों की बिक्री तथा बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ को, प्रयोज्य करें और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि घटाने के बाद आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों अधिग्रहण पर छूट को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

 - क. ब्याज युक्त प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/मोचन के समय हिसाब में लिया जाता है।
 - ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर इसे सतत आय आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है।
- 1.4 लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर लाभांश आय को हिसाब में लिया जाता है।
- 1.5 इस अवधि में साख-पत्र/बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को उपचय आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- 1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।
- 1.7 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन आदि को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से लिया जाता है।
- 1.8 जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी/रीकंस्ट्रक्शन कंपनी को करता है, तो वह इन आस्तियों को अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है:
 - क. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।
 - ख. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।
- 1.9 निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क, समूह के मर्चेन्ट बैंकिंग व्यवसाय के मामले में ग्राहक से हुए करार के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। शुल्क आय को तभी हिसाब में लिया जाता है जबकि करार में उल्लिखित लक्ष्य पूरा/निष्पादित कर दिया जाता है।
 - 1.9.1 सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट फीस को हिसाब में लिया जाता है।
 - 1.9.2 शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टॉप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।
 - 1.9.3 पब्लिक इश्यू से संबंधित कमीशन को पब्लिक इश्यू आबंटन पूरा होने पर/मध्यस्थ से सूचना प्राप्त होने के बाद हिसाब में लिया जाता है।
 - 1.9.4 पब्लिक इश्यू/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित ब्रोकरेज को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद हिसाब में लिया जाता है।
 - 1.9.5 निक्षेपागार आय- वार्षिक अनुरक्षण प्रभार को उपचय आधार पर तथा लेनदेन प्रभार को लेनदेन की संव्यवहार तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- 1.10 समूह के आस्ति प्रबंधन व्यवसाय के मामले में, प्रबंधन शुल्क को संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर हिसाब में लिया जाता है तथा इसकी गणना प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर की जाती है। (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

(म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

- 1.10.1 पोर्टफोलियो परामर्श सेवाओं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को करार के शर्तों के अनुसार, उपचय आधार पर शामिल किया गया है।
- 1.10.2 प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतर्गत निवेशों की वसूली को प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया गया है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप में माना गया है।
- 1.10.3 निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।
- 1.10.4 असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदान दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लॉ-बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।
- 1.11 समूह के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के मामले में सदस्यता सेवाओं के प्रावधान से अर्जित आय को सदस्यता अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें अपेक्षित रिवर्सल / रद्दीकरण के विचार के उचित मूल्य पर 12 महीने शामिल होते हैं।
 - 1.11.1 अन्य सेवा आय में कार्ड धारकों को प्रदान की जाने वाली मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल हैं। अन्य सेवा आय को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लेनदेन होते हैं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
 - 1.11.2 इंटरचेंज शुल्क अधिग्रहणकर्ताओं से एकत्र किए जाते हैं और नेटवर्क भागीदारों द्वारा जारीकर्ताओं को भुगतान किया जाता है ताकि सेवाओं को प्रदान करने के लिए किए गए लागत के हिस्से के लिए जारीकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जा सके, जो अधिग्रहणकर्ताओं और व्यापारियों सहित सिस्टम में सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हैं। इंटरचेंज आय से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब संबंधित लेनदेन होता है, या सेवा प्रदान की जाती है।

1.11.3 कुल अनिर्धारित प्राप्ति को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में लिया गया है। 6 महीने से अधिक और 3 वर्ष तक की अनुमानित अज्ञात प्राप्ति को बढ़े खाते में डाले गए ग्राहकों की ओर बैलेंस शीट की तारीख पर आय के रूप में वापस लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्ति को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

1.11.4 अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

1.12 समूह के फैक्टरिंग व्यवसाय के मामले में फैक्टरिंग प्रभार, कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों के फैक्टरिंग पर अर्जित किए जाते हैं। प्रसंस्करण शुल्क को आय के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब दस्तावेजों के निष्पादन के बाद इसकी प्राप्ति की उचित निश्चितता हो। सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएफ) की गणना की जाती है और सभी लाइव मानक खातों पर पूरे अगले वित्तीय वर्ष के लिए मई के महीने में चार्ज किया जाता है। 01 मई की तारीख को एफसीएफ के संचय की तारीख के रूप में माना जाता है।

1.13 समूह जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, प्रीमियम आय का निर्धारण उससे जुड़ी यूनिट के आवंटन के समय किया जाता है। वैरिएबल बीमा उत्पादों (वीआईपी) के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

1.13.1 टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

1.13.2 संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं : पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

1.13.3 इक्विटी प्रतिभूतियों, म्युचुअल फंडों की इकाइयों, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्विट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

(आरईआईटी) के संबंध में प्राप्त लाभ और हानि की गणना शुद्ध बिक्री आय और उनकी लागत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, प्राप्त लाभ और हानियों की गणना शुद्ध बिक्री आय या मोचन आय और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों के संबंध में लागत, म्यूचुअल फंड इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट (आरईआईटी) की इकाइयों की गणना भारित औसत विधि का उपयोग करके की जाती है।

1.13.4 प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

1.13.5 पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम को पुनः बीमा संधि या पुनः बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार गिना जाता है।

1.13.6 दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ राशियाँ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों एवं आहरण को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों, आहरण और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभाओं को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकरण करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

1.13.7 कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और व्यय के समय ही इनका भुगतान कर दिया जाता है।

1.13.8 **जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता:** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों के बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार नियुक्त एक्जुअरी द्वारा और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों और परिपत्रों और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी प्रासंगिक मार्गदर्शन नोट्स और / या बीमांकिक अभ्यास मानकों (एपीएस) के अनुसार की गई है।

1.13.9 **भविष्य के विनियोजन के लिए धनराशि**

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध के लिए, भविष्य के विनियोजन खाते के लिए निधियों में शेष राशि निधियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका आबंटन या तो भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों के लिए या शेयरधारकों के लिए किया गया है जो बैलेंस शीट की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। फंड में और उससे हस्तांतरण कंपनी के पॉलिसीधारकों के फंड में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखांकन अवधि में व्यय और विनियोग पर आय की अधिक या कमी को दर्शाता है। भागीदार पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को किसी भी आबंटन से आवश्यक अनुपात में शेयरधारकों के हस्तांतरण में वृद्धि होगी।

यूनिट-लिक्विड फंडों में भविष्य के विनियोजन के लिए उपलब्ध फंड, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि व्यपगत पॉलिसी से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें रिवाइवल करने की संभावना नहीं है। इस सरप्लस को पॉलिसीधारकों के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर सकते।

1.14 समूह साधारण बीमा व्यवसाय के मामले में स्वीकृत पुनर्बीमा (माल एवं सेवा कर घटाने के बाद) सहित प्रीमियम को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बही में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम को किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किस्त की सीमा तक की राशि को

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। दीर्घावधि मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में आईआरडीआई के अनुसार प्रीमियम को वार्षिक आधार पर लिया जाता है। प्रीमियम में कोई भी पुनरीक्षण होने पर वह जोखिम की बकाया अवधि या संविदा अवधि हेतु हिसाब में लिया जाता है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

1.14.1 बंद किए गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

पुनर्बीमा संधियों के तहत स्लाइडिंग स्केल कमीशन, जहां भी लागू हो, को पुनर्बीमा संधि शर्तों के अनुसार आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा पुष्टि की गई है और पुनर्बीमा पर कमीशन के साथ संयुक्त है।

1.14.2 बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत, संविदा अवधि या जोखिम की अवधि पर जोखिम के प्रारंभ पर आरंभ होती है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

1.14.3 पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त लाभ के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.14.4 अधिग्रहण लागत जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागत हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिस अवधि के लिए वह हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागत और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात् जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है। अधिग्रहण लागत के रूप

में निर्धारण के लिए प्राथमिक परीक्षण लागत और बीमा अनुबंधों के निष्पादन (यानी जोखिम की शुरुआत) के बीच अनिवार्य संबंध है। लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में कमीशन आईआरडीआई मैनेजेंट के अनुसार वर्ष के लिए आबंटित प्रीमियम पर लागू दरों पर खर्च किया जाता है।

1.14.5 अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम जो जोखिम की शुरुआत से पहले प्राप्त प्रीमियम का होता है, उसे वित्तीय विवरणों में 'अन्य देयताएं और प्रावधान' शीर्ष के तहत अलग से दिखाया जाता है और जोखिम शुरू होने की तारीख को आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

सक्रिय जोखिम के लिए रिजर्व, लिखित शुद्ध प्रीमियम का वह हिस्सा है (यानी, बंद पुनर्बीमा प्रीमियम को घटाकर) जो संविदा अवधि के आधार पर या जोखिम अवधि के आधार पर बाद की लेखा अवधि के लिए जिम्मेदार है और आबंटित किया जाना है, जो भी उपयुक्त हो। इस तरह के रिजर्व की गणना 1/365 आधार के तहत आनुपातिक आधार पर की जाती है, जो परिपत्र संख्या आईआरडीआई/एफएंडए/सीआईआर/सीपीएम/056/03/2016 दिनांक 4 अप्रैल 2016 के अनुसार न्यूनतम आरक्षित आवश्यकताओं के अधीन है।

1.14.6 यदि लेखा अवधि के अंत में असमाप्त जोखिमों के संबंध में अपेक्षित शुद्ध दावा लागतों की अंतिम राशि (एक्चुअरी द्वारा परिकलित और प्रमाणित), संबंधित व्यय और रखरखाव लागत (दावा प्रबंधन से संबंधित) संबंधित प्रीमियम के योग से अधिक है तो उसे बाद की लेखा अवधि के लिए असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि के रूप में प्रीमियम की कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रीमियम की कमी की गणना वार्षिक आधार पर और कंपनी स्तर पर की जाती है।

1.14.7 नुकसान की सूचना मिलने पर दावा माना जाता है। दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। इस तरह के प्रावधान की समीक्षा/संशोधन जरूरी होने पर अतिरिक्त जानकारी के आधार पर की जाती है। पुनर्बीमा और सह-बीमा व्यवस्था की शर्तों के तहत पुनः बीमाकर्ताओं/सह-बीमाकर्ताओं से प्राप्त/प्राप्य राशियों को क्रमशः दावे की मान्यता के साथ मान्यता दी जाती है। तुलन पत्र की तिथि पर देय बकाया दावों का प्रावधान प्रबंधन द्वारा अनुमानित पुनर्बीमा,

बचाव मूल्य और अन्य वसूलियों का नेट है। भुगतान किए गए दावे (बीमाधारक द्वारा बनाए गए बचाव के मूल्य और दावों पर भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, सहित वसूलियों का निवल) भुगतान के लिए अनुमोदित होने पर लाभ और हानि खाते से शुल्क लिया जाता है। जहां कंपनी द्वारा सैल्वेज का अधिग्रहण किया जाता है, ऐसे बिक्री के समय सैल्वेज की बिक्री से वसूली को मान्यता दी जाती है।

1.14.8 लेखा वर्ष के अंत से पहले दावे देयताओं के संबंध में हो सकने वाले प्रावधान, लेकिन जो कि:

- अभी तक रिपोर्ट या दावा नहीं किया गया (आईबीएनआर) या
- पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं की गई यानी संभावित दावा राशि (आईबीएनआईआर) का उचित अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त जानकारी के साथ रिपोर्ट की गई,

इंस्टिट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए बीमांकिक अभ्यास मानकों और मार्गदर्शन नोट्स और आईआरडीआई के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार प्रावधान किया गया है।

1.15 समूह अभिरक्षा और निधि लेखा सेवाओं के मामले में आय (माल और सेवा कर घटाकर) को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके और यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। अभिरक्षा शुल्क, निधि लेखा शुल्क और संदर्भ शुल्क को करार की शर्तों के अनुसार उपचय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.16 समूह के पेंशन निधि व्यवसाय के मामले में प्रबंधन शुल्क को संबंधित योजनाओं के साथ सहमत विशिष्ट दरों पर मान्यता दी जाती है, जो प्रत्येक योजना की दैनिक बकाया परिसंपत्तियों पर लागू होती है और यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) बिजनेस यानी खाता खोलने की फीस और अंशदान प्रसंस्करण शुल्क से कमीशन आय को ग्राहकों से प्राप्त अंशदान और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के सृजन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी लाभ और हानि खाते में माल और सेवा कर का शुद्ध राजस्व प्रस्तुत करती है।

1.17 समूह ट्रस्टीशिप व्यवसाय के मामले में, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई

विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

1.17.1 कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप स्वीकृति शुल्क को ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या निष्पादन, जो भी पहले हो, पर मान्यता दी जाती है। कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार को ग्राहकों के साथ किए गए ट्रस्टीशिप अनुबंधों/समझौते की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.17.2 ऑनलाइन वसीयतनामा सेवाओं से प्राप्त आय का निर्धारण तब किया जाता है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे आय निर्धारणों की निश्चितता इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर हो जाती है।

1.18 समूह के मर्चेट एक्वायरिंग बिजनेस के मामले में आय की गणना को छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है और सेवाओं के प्रदर्शन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.18.1 पीओएस लगाने से होने वाले राजस्व को या तो सेवा प्रदान करने की अवधि के दौरान या अनुबंधों में निर्दिष्ट दरों और शर्तों के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित किए गए लेनदेन की संख्या के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। व्यापारी द्वारा अनुबंध शर्तों के आधार पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर), मासिक किराए और प्रतिबद्धता शुल्क के लिए भुगतान किया जाता है और इसे परिचालन से हुई आय माना जाता है।

1.18.2 रखरखाव परिनियोजन अनुबंध के कारण प्राप्त आय जो उपचित नहीं की जा सकी को आस्थगित आय के रूप में रखा जाता है तथा राजस्व मान्यता मानदंड पूरे होने तक देनदारियों में शामिल किया जाता है। वह उपचित आय जिसकी बिलिंग नहीं हुई है, उन्हें संविदा की शर्तों के अनुसार किए गए कार्य पर मान्यताप्राप्त राजस्व के रूप में गिना जाता है लेकिन बाद की अवधि में इसकी बिलिंग होती है।

1.18.3 राजस्व को उस हद तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, और राजस्व को विश्वस्त रूप से मापा जा सकता है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

2. निवेश:

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में निम्नानुसार लिया जाता है:

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), विक्रय के लिए उपलब्ध (एफएस) और व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी)।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

- प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं सहयोगियों और (vi) अन्य के रूप में किया गया है। 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) विदेश स्थित अनुषंगियाँ एवं/अथवा संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- बैंक जिन निवेशों को परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें विक्रय के लिए उपलब्ध (एफएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- किसी निवेश को इसके क्रय के समय परिपक्वता तक धारित, विक्रय के लिए उपलब्ध या व्यवसाय के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।
- जिन निवेशों को बाद में बेच देने के उद्देश्य से ही खरीदा और रखा जाता है, उनको छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेशों को विक्रय के लिए उपलब्ध (एफएस) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मूल्यांकन :

- सभी प्रतिभूतियों के लेनदेन को निपटान की तिथि पर दर्ज किया जाता है। एसबीआई द्वारा एचएफटी एवं एफएस श्रेणी के अंतर्गत निवेश लागत का निर्धारण समूह इकाईयों द्वारा भारत औसत लागत पद्धति द्वारा किया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित' निवेश को 'पहले आओ पहले जाओ' आधार पर निर्धारित किया जाता है अन्य समूह इकाईयों द्वारा इसे भारत औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(क) सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया जाता है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

ii. 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

(क) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों की गणना अधिग्रहण लागत में की जाती है। अधिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन, अगोर कोई, का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को निवेश पर आय शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

(ख) प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को आईसीएआई के एस 23 के अनुसार इक्विटी लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

iii. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:

विक्रय हेतु उपलब्ध (एफएस) एवं व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों को विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यन किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह (जैसे i सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित

प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर iv) बांड एवं ऋणपत्र v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य) के लिए सिर्फ निवल मूल्यहास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. निवेशों का अंतर-श्रेणी अंतरण होने पर मूल्यांकन नीति:

क) जब एचटीएफ/एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है तो उसे अंतरण की तिथि को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई होने पर, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ख) एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यहास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:

क) प्रतिभूति रसीद में निवेश को एससी/आरसी को एनपीए बिक्री के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तथा इसे i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए की गई है।

vi. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखवा लागत आधार पर किया गया है।

2.4 निवेश (एनपीआई)

i. घरेलू कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) ईक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹ 1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई/जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश, जिसे अग्रिम माना गया है, पर भी अनर्जक निवेश के वही एनपीआई मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक एवं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ पुनर्खरीद / रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन का अर्थ है लेन-देन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेना। दूसरी तरफ, रिवर्स रेपो लेनदेन का अर्थ है प्रतिभूतियों को खरीद कर धनराशि उधार देना।

(क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ के लेनदेनों को संपार्श्विक उधार देने एवं उधार लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) मार्केट रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरीदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजही को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को रिवर्स कर दिया जाता है।

- (ग) रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- (घ) रिवर्स रेपो खाते में 14 दिनों या उससे कम की मूल अवधि के साथ अनुसूची 7 (बैंकों के पास बकाया तथा कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धनराशि) के तहत वर्गीकृत किया गया है। 14 दिनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत सावधि ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य के पास रेपो लेनदेन की उधार लेने की लागत एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

2.6 जीवन और साधारण बीमा सहायक कंपनियों के मामले में, निवेश की गणना, बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीआई (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीआई (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002, की निवेश नीति, आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर जारी कंपनी और विभिन्न अन्य परिपत्र / अधिसूचनाएं के अनुसार किया जाता है।

i. गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- सरकारी प्रतिभूतियों एवं मनी मार्केट सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उपचित आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। अगर एनएसई बाजार बंद

मूल्य उपलब्ध नहीं है तो, सेकेंड्री एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) का मूल्य लिया जाता है।

- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और प्रिफरेंस शेयरों का आकलन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने (एसएलबी) के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- आईआरडीआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध NAV के आधार पर किया जाता है।
- आरईआईटी/इनविट यूनिट में निवेश का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है (अंतिम उद्धृत मूल्य 30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए)। बाजार मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राथमिक एक्सचेंज यानी एनएसई पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। अगर एनएसई व्लोजिंग प्राइस किसी सिक्योरिटी के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वैल्यूएशन के लिए बीएसई व्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इकाइयों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों, एआईएफ एवं आरईआईटी/इनविट की यूनिट के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले वसूल नहीं हुए लाभ या हानियों को तुलनपत्र में क्रमशः 'आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)' में और 'बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)' में शामिल किए गए हैं।

ii. संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन परिपक्वता आय के आधार पर किया जाता है तथा जहां पर आय की गणना क्रिसिल द्वारा प्रतिभूति को अल्पावधि वर्गीकृत करने के दिन पर उपलब्ध कराए गए बाजार मूल्य पर किया जाता है। अगर प्रतिभूति को उसकी अल्पावधि समय के दौरान खरीदा गया है तो उसका मूल्यांकन परिपक्वता पर आय पद्धति का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर किया जाता है। ऑप्शन विकल्प वाली प्रतिभूतियों के मामले में, इस प्रयोजन हेतु सबसे पहली कॉल ऑप्शन/पुट ऑप्शन वाली तारीख को परिपक्वता तारीख माना जाएगा। मनी मार्केट प्रतिभूतियों का परंपरागत लागत पर मूल्यांकन किया जाता है बशर्ते कि प्रीमियम का परिशोधन या आय पर छूट की वृद्धि परिपक्वता आधार पर आय से हो।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उपचित आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। अगर एनएसई बाजार बंद मूल्य उपलब्ध नहीं है तो, सेकेंडरी एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) का मूल्य लिया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी संबद्ध लिखत एवं प्रिफरेंस शेयर को परंपरागत लागत आधार पर मापा जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1 (बासल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।

- आरईआईटी/इनविट की इकाइयों में निवेश का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है (अंतिम उद्धृत मूल्य 30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए)। बाजार मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राथमिक एक्सचेंज यानी एनएसई पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। अगर एनएसई क्लोजिंग प्राइस किसी सिक्क्योरिटी के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वैल्यूएशन के लिए बीएसई क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पिछले 30 दिनों के लिए बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इकाइयों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।
- उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले वसूल न हुए लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान :

3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:

- अगर ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है; तो सावधि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता असंगत (आउट ऑफ ऑर्डर) रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आवरण अधिकार से अधिक हो जाने या तुलनपत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक किसी भी राशि को जमा नहीं किए जाने अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;
- क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;
- कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक है।
- संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।
- हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii. प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति की वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %
संदिग्ध आस्तियाँ :	
- प्रतिभूत हिस्सा	i. एक वर्ष तक - 25%
	ii. एक से तीन वर्ष - 40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्चित/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्चना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के अन्य देयताएँ और प्रावधान- अन्य शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक द्वारा विशिष्ट गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी किया जाता है।

3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

- प्रभार, लागत, कमीशन आदि
- अप्राप्त ब्याज/बजाय
- मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) प्रावधान बफर:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रतिचक्रीय प्रावधानों का प्रयोग केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

5. बैंकिंग इकाईयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा – नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के अन्य देयताएं और प्रावधान – अन्य शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 विदेशी मुद्रा ऑप्शन, ब्याज दर स्वेप, मुद्रा स्वेप, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वेप और तुलनपत्र से बाहर/बैलेंस शीट से इतर परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा डेरीवेटिव करार किया जाता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए हेजिंग करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मद्दों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे हेजिंग लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

6.2 हेज के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को संचय के आधार पर दर्ज किया गया है। हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार

बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से उचत खाता – क्रिस्टलाइज्ड रिसीवेबल्स में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से उचत खाता – पॉजिटिव एमटीएम में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव्स में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यहास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यहास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यहास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है:

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगिता अवधि
1.	कंप्यूटर	3 वर्ष
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	3 वर्ष
3.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	3 वर्ष
4.	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ 5 वर्ष क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	5 वर्ष
5.	सर्वर	4 वर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	5 वर्ष
7.	अन्य प्रमुख अचल आस्तियां :	
	परिसर	60 वर्ष
	वाहन	5 वर्ष
	सुरक्षित जमा लॉकर	20 वर्ष
	फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष

- 7.3 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।
- 7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
- 7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।
- 7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यहास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षित को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों के मूल्य में कमी:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की उचित राशि की वसूली होना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों के मूल्य में आई कमी की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की उचित राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की उचित राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन :

- विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक निर्धारण पर सूचित मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है तथा इसके लिए लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि का प्रयोग किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (फॉरवर्ड/स्पॉट) दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।
- विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम स्पॉट रेट का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं फॉरवर्ड संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

- vi. वह विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड संविदाएं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, को वलोजिंग स्पॉट दर पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी फॉरवर्ड एक्सचेंज संविदा के प्रारंभ से उत्पन्न प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।
- vii. आरंभ में दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर राशियों को उसी अवधि की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें ये अंतर उत्पन्न हुआ है।
- viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और ओवरसीज बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. गैर-समाकलित परिचालन:

- i. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- ii. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।
- iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।
- iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

- i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक निर्धारण पर सूचित मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है तथा इसके लिए लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि का प्रयोग किया जाता है।
- ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिरी/वादा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।
- iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कि कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, ऐसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बहुकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजनाएं :

- क. भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भविष्य निधि में योगदान करती है। भविष्य निधि का संचालन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। योजनाओं के अधीन संदत्त या संदेय अभिदाय उस अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभावित किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, वैधानिक दर के अनुसार ब्याज देयता की तुलना में अंशदान पर देय ब्याज पर देय ब्याज की कमी को मान्यता देने के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

- ख. बैंक, ग्रेजुटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है। बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेजुटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्येधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।
- ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।
- घ. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण

पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

- क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वास भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।
- ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. सेग्मेंट रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट सेग्मेंट तथा भौगोलिक सेग्मेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेग्मेंट के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर व्यय व्यय की कुल राशि आयकर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर का लेखांकन' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रणीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को लागू या बाद में लागू कर दरों और कर नियमों द्वारा मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। क्या आस्थगित कर आस्तियों की वसूली निश्चित है, इस बारे में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर उनको प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हिसाब में लिया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अग्रणीत आस्थगित कर आस्तियों को गैर-आमेकित मूल्यहास और कर घाटा के रूप में तभी माना जाता है, जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है। समेकित वित्तीय विवरण में, आयकर व्यय बैंक एवं उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू विधियों के अनुसार प्रदर्शित होने वाले कर व्यय की कुल राशि है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 प्रति शेयर आय के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम की गई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्त उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की गई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो ईक्विटी शेयरों का जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां के

अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

- पिछले परिणामों से उत्पन्न किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा
- किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उत्पन्न हुआ है, किंतु उसे संज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-
 - यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा
 - दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवाई प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 जब किसी संविदा से बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभ, उस संविदा के अधीन भावी दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तो आवधिक संविदाओं के लिए उपबंध मान्य होते हैं। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक द्वारा संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लिया जाता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

16. सराफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातुओं की छड़ों समेत सराफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सराफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक द्वारा सोना जमा किया जाता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों हेतु शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां :

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए शामिल की गई अनुषंगियां/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची:

- 1.1** समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु शामिल की गई 27 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम (22 जनवरी 2023 तक जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड सहित) एवं 19 सहयोगियों जिनमें वर्ष के दौरान विलय/एक्जिट की संबंधित तिथियों से/तक (जो मुख्य संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह बनाते हैं) 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, का विवरण निम्नानुसार है:

अ) अनुषंगियां:

क्रमांक	सहायक का नाम	निगमन देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
2.	एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
3.	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
4.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
5.	एसबीआईसीएपी (सिंगापुर) लिमिटेड (30.11.2022 तक)	सिंगापुर	100.00	100.00
6.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	72.17	72.17
7.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	100.00	86.18
8.	एसबीआई इंड्रामैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड (30.09.2022 तक)	भारत	100.00	100.00
9.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड®	भारत	74.00	74.00
11.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	92.51	92.52
12.	स्टेट बैंक ऑपरेशन्स सपोर्ट सर्विसेज प्रा. लि. (26.07.2022 से)	भारत	100.00	-
13.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	55.45	55.48
14.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	69.95	69.96
15.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	68.98	69.20
16.	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड®	भारत	65.00	65.00
17.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड®	भारत	62.53	62.59
18.	एसबीआई फंड मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड®	मारीशस	62.53	62.59
19.	वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	100.00	60.00
20.	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
21.	भारतीय स्टेट बैंक (कैलीफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
22.	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	100.00
23.	भारतीय स्टेट बैंक सर्विकोस लिमिटेड	ब्राजील	100.00	100.00
24.	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
25.	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.56	99.34
26.	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00
27.	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के अनुसार संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं। हालाँकि, इन्हें सहायक कंपनियों के रूप में एस 21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार समेकित किया जाता है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

ब) संयुक्त उद्यम:

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	सी-एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2.	एसबीआई मैकेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	भारत	45.00	45.00
3.	एसबीआई मैकेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड	भारत	45.00	45.00
4.	मैकेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	45.00	45.00
5.	मैकेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बरमुडा	45.00	45.00
6.	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7.	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8.	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (22.01.2023 तक)	भारत	-*	30.00

* 23.01.2023 से, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एसबीआई का सहयोगी बन गया है

स) सहयोगी:

क्रमांक	सहयोगी का नाम	निगमन देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4.	एलाक्काई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6.	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
10.	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12.	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14.	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15.	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	भारत	20.05	20.05
16.	यस बैंक लिमिटेड	भारत	26.14	30.00
17.	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	20.00	20.00
18.	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	भारत	19.70	19.70
19.	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (22.01.2023 से)	भारत	23.02	-

अ) अनुमोदित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के तहत विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसरण में, निम्नलिखित समूह संस्थाओं ने अपने पात्र

कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी किए हैं: -

- i) एसबीआई कार्क्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹10 प्रत्येक के 29,01,900 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई कार्क्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 69.20% से घटकर 68.98% हो गई है।
 - ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹10 प्रत्येक के 5,24,197 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 55.48% से घटकर 55.45% हो गई है।
 - iii) एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹1 के 4,18,641 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 62.59% से घटकर 62.53% हो गई है और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी क्रमशः 62.59% और 92.52% से घटकर 62.53% और 92.51% हो गई है।
 - iv) एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹10 प्रत्येक के 30,000 के इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 69.96% से घटकर 69.95% हो गई है।
 - v) यस बैंक लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान 2 रुपये के 36,66,651 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।
- ख) स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 26 जुलाई 2022 को पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में निर्गमित किया गया। कंपनी बैंक को कृषि/एमएसएमई और अन्य सूक्ष्म ऋणों के लिए प्रचालन सहायता सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें व्यवसाय प्रतिनिधियों के लिए अनुमत गतिविधियां शामिल हैं, जो बैंक की शाखाओं के ग्राहक संपर्क और व्यावसायिकता को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
- ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई ने निम्नलिखित में अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है:
- i) एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड में 13.82% हिस्सेदारी जिससे यह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।
 - ii) वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को में 40.00% हिस्सेदारी जिससे यह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

- घ) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया जो कि सहयोगी कंपनी है में 530.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है। नतीजतन, इसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 99.34% से बढ़कर 99.56% हो गई है।
- ङ) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई की हिस्सेदारी निम्नलिखित इकाइयों में कम हो गई है:
- i) यस बैंक लिमिटेड जो कि एक सहयोगी है ने अन्य निवेशकों को अधिमानी आधार पर 3,69,61,55,702 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई की हिस्सेदारी 30.00% से घटकर 26.14% हो गई है।
 - ii) जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जो कि एक संयुक्त उद्यम, ने अपने इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम की पेशकश की है जिसमें एसबीआई ने भाग नहीं लिया था। नतीजतन, एसबीआई की हिस्सेदारी 30.00% से घटकर 23.02% हो गई है और जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एसबीआई का सहयोगी बन गया है।
- च) एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहयोगी कंपनी को 30 नवंबर 2022 को विघटन कर दिया गया है।
- छ) एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 से परिसमापन के अधीन है और 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान इसके निवेश के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। तदनुसार, इसे 1 अक्टूबर 2022 से समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन से बाहर रखा गया है।
- ज) एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड, एक सहयोगी जिसमें समूह की 26% हिस्सेदारी है, परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।
- झ) चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 (2) के तहत निर्गमित), एसबीआई फाउंडेशन को लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।
- 1.2** समूह के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी कंपनी (एसबीआई कनाडा बैंक) और एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूतान लिमिटेड) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

2. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

2.1 लेखा मानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन

- वर्ष के दौरान, महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय के मद नहीं थे।
- 2022-2023 के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में पिछले वित्तीय वर्ष 2021-2022 की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2.2 लेखा मानक - 15 कर्मचारी हित लाभ:

2.2.1 परिभाषित हित लाभ योजनाएं

2.2.1.1 कर्मचारी पेंशन योजना और उपदान योजनाएं

निम्नलिखित तालिका एस 15 (संशोधित 2005) के तहत आवश्यक नियत हित लाभ पेंशन योजनाओं और उपदान योजना की स्थिति निर्धारित करती है:

(करोड़ में)

विवरण	पेंशन प्लान		ग्रेजुटी प्लान	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक नियत हित लाभ दायित्व	1,46,124.99	1,25,806.37	13,035.01	13,727.65
वर्तमान सेवा लागत	972.83	914.92	499.72	499.18
ब्याज लागत	10,740.19	8,680.64	943.85	933.40
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	-	11,124.14	-	8.35
देयता निवर्तमान संयुक्त उद्यम से संबंधित है	-	-	(0.27)	-
बीमांकिक हानि/(लाभ)	9,824.44	9,789.06	66.56	46.35
भुगतान किया गया लाभ	(4,848.06)	(4,926.71)	(1,785.10)	(2,179.92)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(5,848.13)	(5,263.43)	-	-
31 मार्च 2023 को अंतिम नियत लाभ दायित्व	1,56,966.26	1,46,124.99	12,759.77	13,035.01
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2022 को योजनागत आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	1,30,590.73	1,06,445.86	11,222.46	11,210.84
योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	9,598.42	7,344.76	812.65	762.11
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,171.59	22,163.77	1,486.86	1,504.26
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.10	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(4,848.06)	(4,926.71)	(1,785.10)	(2,179.92)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(4,364.24)	(436.95)	(339.00)	(74.83)
31 मार्च 2023 को योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	1,33,148.54	1,30,590.73	11,397.87	11,222.46
दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान				
31 मार्च 2023 को वित्त पोषित दायित्वका वर्तमान मूल्य	1,56,966.26	1,46,124.99	12,759.77	13,035.01
31 मार्च 2023 को योजनापरिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,33,148.54	1,30,590.73	11,397.87	11,222.46
घाटा/(अधिशेष)	23,817.72	15,534.26	1,361.90	1,812.55
अज्ञात पिछली सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
निवल देयता/(परिसंपत्ति)	23,817.72	15,534.26	1,361.90	1,812.55

(करोड़ में)

विवरण	पेंशन प्लान		ग्रेज्युटी प्लान	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	1,56,966.26	1,46,124.99	12,759.77	13,035.01
आस्तियां	1,33,148.54	1,30,590.73	11,397.87	11,222.46
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति)	23,817.72	15,534.26	1,361.90	1,812.55
गैर-मान्यताप्राप्त पिछली सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	23,817.72	15,534.26	1,361.90	1,812.55
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत				
वर्तमान सेवा लागत	972.83	914.92	499.72	499.18
ब्याज लागत	10,740.19	8,680.64	943.85	933.40
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	(9,598.42)	(7,344.76)	(812.65)	(762.11)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	(0.10)	-	-	-
पिछली सेवा लागत (परिशोधन) मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) मान्यता प्राप्त	-	11,124.14	-	8.35
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)	14,188.68	10,226.01	405.56	121.18
अनुसूची 16 में शामिल नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	16,303.18	23,600.95	1,036.48	800.00
कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान				
प्रत्याशित प्रतिलाभ और योजनागत आस्तियों पर वास्तविक लाभ का मिलान				
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	9,598.42	7,344.76	812.65	762.11
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(4,364.24)	(436.95)	(339.00)	(74.83)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक लाभ	5,234.18	6,907.81	473.65	687.28
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक व अधिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2022 के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/ (आस्ति)	15,534.26	19,360.51	1,812.55	2,516.81
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	16,303.18	23,600.95	1,036.48	800.00
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(5,848.13)	(5,263.43)	-	-
अन्य प्रावधान के लिए नामे डाला गया	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
निवर्तमान संयुक्त उद्यम से संबंधित देयता	-	-	(0.27)	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,171.59)	(22,163.77)	(1,486.86)	(1,504.26)
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति)	23,817.72	15,534.26	1,361.90	1,812.55

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

31 मार्च 2023 को उपदान निधि और पेंशन निधि की योजनागत आस्ति के तहत किए गए निवेश इस प्रकार हैं:

आस्ति की श्रेणी	पेंशन निधि	उपदान निधि
	योजनागत आस्ति का %	योजनागत आस्ति का %
केंद्र सरकार प्रतिभूति	19.11%	18.50%
राज्य सरकार प्रतिभूति	35.14%	34.21%
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमाराशियाँ	30.85%	28.50%
एडवेंचर और म्यूचुअल फंड	11.61%	10.67%
बीमाकर्ता प्रबंधित फंड	1.17%	6.12%
अन्य	2.12%	2.00%
कुल	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन:

विवरण	पेंशन योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.53%	7.35%
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.53%	7.35%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	5.80%
पेंशन वृद्धि दर	2.00%	1.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.48%	7.27%
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.48%	7.27%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	5.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%

अगले वर्ष के लिए पेंशन और उपदान निधि में अपेक्षित अंशदान क्रमशः 2,200.00 करोड़ रुपये और 1,852.10 करोड़ रुपये है।

एसबीआई के मामले में, योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिलाभ के आधार पर विपणन हेतु चिह्नित किया गया है, अपेक्षित दर को बढ़ा दर के समान रखा गया है।

बीमांकिक मूल्यांकन में शामिल भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इस तरह के अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं और सीमित अतीत के अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और आकलन पर लेखा परीक्षकों ने विश्वास किया है।

पेंशन निधि को और मजबूत करने की दृष्टि से, कुछ अनुमानों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भविष्य निधि ट्रस्ट में ब्याज की कमी के संबंध में किया गया बीमांकिक मूल्यांकन शून्य देयता को दर्शाता है, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निर्धारित करती है:

(करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक नियत हित लाभ दायित्व	37,507.53	35,946.22
वर्तमान सेवा लागत	1,519.50	1,527.66
ब्याज लागत	2,825.03	2,976.21
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	2,038.86	2,037.09
बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)	1.00	150.44
भुगतान किया गया लाभ	(4,753.75)	(5,130.09)
31 मार्च 2023 को समाप्त नियत हित लाभ दायित्व	39,138.17	37,507.53
योजना आस्ति में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2022 योजनागत आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	38,426.83	37,036.39
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	2,820.87	2,976.21
अंशदान	3,558.36	3,564.74
अनर्जक निवेश की परिपक्वता पर हानि का प्रावधान	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(4,753.75)	(5,130.09)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	70.40	(20.42)
31 मार्च 2023 तक योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	40,122.71	38,426.83
दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2023 को वित्तपोषित दायित्वका वर्तमान मूल्य	39,138.17	37,507.53
31 मार्च 2023 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	40,122.71	38,426.83
घाटा/(अधिशेष)	(984.54)	(919.30)
तुलन-पत्र में गैर-मान्यता प्राप्त निवल आस्ति	984.54	919.30
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,519.50	1,527.66
ब्याज लागत	2,825.03	2,976.21
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	(2,820.87)	(2,976.21)
परिवर्ती ब्याज की कमी	-	-
अनुसूची 16 में शामिल नियत हित लाभ योजनाओं की कुल लागत कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान	1,523.66	1,527.66
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान		
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक निवल देयता	-	-
उपरोक्त के अनुसार व्यय	1,523.66	1,527.66
नियोक्ता का अंशदान	(1,523.66)	(1,527.66)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति)	-	-

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

31 मार्च 2023 तक भविष्य निधि की योजनागत आस्ति के तहत निवेश इस प्रकार हैं:

आस्ति की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्ति का %
केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	28.31%
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	31.70%
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमाराशि	30.23%
ईटीएफ और म्यूचुअल फंड	6.83%
अन्य	2.93%
कुल	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछले साल
बढ़ा दर	7.48%	7.27%
गारंटीकृत प्रतिलाभ	8.10%	8.50%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	6.00%	5.80%

- i) एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के तहत देयता पर गारंटीकृत प्रतिलाभ लागू है जो नीचे दिए गए बिंदुओं से कम नहीं हो सकता :
 - क) पूर्ववर्ती वर्ष में बारह महीनों के लिए निर्धारित नई जमाराशियों के लिए एसबीआई द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (ब्याज एक चौथाई प्रतिशत से ऊपर या नीचे समायोजित) से एक आधा प्रतिशत अधिक (मार्च के पूर्ववर्ती 31 वें दिन समाप्त); या
 - ख) प्रति वर्ष तीन प्रतिशत, कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अधीन।
- ii) किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भविष्य निधि के नियमों के अनुसार, यदि ट्रस्ट बोर्ड निवेश पर कम प्रतिफल या किसी अन्य कारण से, सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के पैरा 60 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के लिए घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उस कमी को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

2.2.2 नियत अंशदान योजनाएं

2.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा भविष्य निधि योजना हेतु 48.57 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 56.65 करोड़ रुपये) की राशि का अंशदान दिया गया है (नोट 2.2.1.2 में शामिल संस्थाओं को छोड़कर) और इसे लाभ और हानि खाते में कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

एसबीआई की एक नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद एसबीआई में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए लागू है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिविलीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीर्पिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एसबीआई ने 1,296.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1,177.54 करोड़ रुपये) का अंशदान दिया है।

2.2.2.3 परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए समूह (एसबीआई को छोड़कर) द्वारा निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:

क्रमांक	दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभ	(करोड़ में)	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	पीएफ अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना	37.39	35.53
2.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	16.84	7.92
3.	अन्य	13.25	10.40
कुल		67.48	53.85

2.2.3 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व):

2.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र बीमाकर्ता द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश) की स्थिति निर्धारित करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक नियत हित लाभ दायित्व	10,381.62	8,190.87
वर्तमान सेवा लागत	330.20	458.65
ब्याज लागत	754.41	558.35
देयता निवर्तमान संयुक्त उद्यम से संबंधित है	(0.19)	-
बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)	749.41	2,571.66
भुगतान किया गया लाभ	(1,137.13)	(1,397.91)
31 मार्च 2023 को समाप्त नियत हित लाभ दायित्व	11,078.32	10,381.62
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत		
वर्तमान सेवा लागत	330.20	458.65
ब्याज लागत	754.41	558.35
बीमांकिक (लाभ)/हानि	749.41	2,571.66
अनुसूची 16 में शामिल नियत हित लाभ योजनाओं की कुल लागत कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान	1,834.02	3,588.66
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता / (आस्ति) के आरंभिक और इतिशेष का समाधान		
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक निवल देयता	10,381.62	8,190.87
उपरोक्त के अनुसार व्यय	1,834.02	3,588.66
देयता निवर्तमान संयुक्त उद्यम से संबंधित है	(0.19)	-
नियोक्ता का अंशदान	-	-
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(1,137.13)	(1,397.91)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति)	11,078.32	10,381.62

प्रमुख बीमांकिक आकलन:

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
बढ़ा दर	7.48%	7.27%
वेतन वृद्धि	6.00%	5.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश) (उपरोक्त तालिका में शामिल संस्थाओं को छोड़कर)

समूह द्वारा 45.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 32.19 करोड़ रुपये) की राशि (उपरोक्त तालिका में शामिल संस्थाओं को छोड़कर) अर्जित अवकाश (नकदीकरण) के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण शामिल है और इसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.3.2 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हित लाभ

समूह द्वारा 28.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 114.39 करोड़ रुपये) की राशि अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हित लाभ जैसे अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/लाभ), रजत जयंती/दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार, सेवानिवृत्ति पर पुनर्वास व्यय और सेवानिवृत्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाती है जिसे लाभ और हानि खाते में कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान शीर्ष के तहत शामिल किया गया।

2.2.4 ऊपर सूचीबद्ध कर्मचारी हित लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में हैं। विदेशी परिचालनों के कर्मचारी उपर्युक्त स्कीमों में शामिल नहीं हैं।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

2.3 लेखा मानक- 17 खण्ड रिपोर्टिंग:

2.3.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

समूह के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:

- ट्रेजरी
- कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

समूह की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली में उपर्युक्त खंडों के संबंध में अलग से डेटा को कैप्चर करने और प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के आंकड़ों की गणना निम्नानुसार की गई है:

क) ट्रेजरी: ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव संविदाओं में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होनेवाले लाभ या हानि और निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज आय शामिल होती है।

ख) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग: कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के ऋण गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर-ट्रेजरी परिचालन शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को उधार गतिविधियां शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के परिणाम शामिल हैं।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: उपरोक्त (क) से (घ) के तहत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस खंड में समूह के एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अलावा अन्य सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यमों के परिचालन भी शामिल हैं।

ख) द्वितीयक (भौगोलिक खंड):

क) घरेलू परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएं, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम।

ख) विदेशी परिचालन - शाखाएं, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम जिनका परिचालन भारत के बाहर है और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां जिनका परिचालन भारत में है।

ग) अंतर-खंडीय अंतरण का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन जुटाने वाली इकाई है। कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग और ट्रेजरी खंड खुदरा बैंकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार से संबंधित फंड ट्रांसफर प्राइसिंग (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है जिसके तहत फंडिंग सेंटर नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। फंडिंग सेंटर काल्पनिक रूप से धन खरीदता है जो व्यावसायिक इकाइयां जमा या उधार के रूप में जुटाती हैं और आस्ति सृजन में लगी व्यावसायिक इकाइयों को कल्पित रूप से धन बेचता है।

घ) आय, व्यय, आस्तियाँ और देयताओं का आबंटन

कॉरपोरेट/थोक और खुदरा बैंकिंग परिचालन खंड अथवा ट्रेजरी परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केन्द्र संस्थापनाओं पर किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया जाता है। जो व्यय सीधे संबंधित नहीं हैं वह प्रत्येक खंड में कर्मचारियों की संख्या के अनुपात/प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

समूह के पास कुछ सामान्य आस्ति और देयताएँ हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2.3.2 खंड सूचना

भाग ए: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड:

(करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग		कुल	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
			डिजिटल बैंकिंग	अन्य खुदरा बैंकिंग				
आय (विशेष मदों से पूर्व)	1,01,804.55	1,00,160.24	3,766.65	1,63,755.15	1,67,521.80	86,451.82	21,144.92	4,77,083.33
	(99,649.80)	(75,675.43)			(1,38,896.25)	(76,586.87)	(16,726.04)	(4,07,534.39)
गैर-आबंटित आय								1,861.43
								(3,155.89)
घटाएँ: अंतर-खंड आय								5,566.62
								(3,717.19)
कुल आय								4,73,378.14
								(4,06,973.09)
परिणाम	8,986.94	29,488.58	4,841.14	28,688.65	33,529.79	2,144.03	5,683.39	79,832.73
(विशेष मदों के बाद)	(13,055.52)	(27,037.39)			(12,333.19)	(1,904.29)	(5,022.31)	(59,352.70)
जोड़ें: विशेष मद								-
								(- 7,418.39)
परिणाम								79,832.73
(विशेष मदों के बाद)								(51,934.31)
गैर-आबंटित आय								-4,434.17
(+)/व्यय (-) निवल								(- 2,195.68)
कर पूर्व लाभ/(हानि)								75,398.56
								(49,738.63)
कर								18,840.13
								(13,382.46)
विशेष लाभ								-
								(-)
सहयोगियों के लाभ								56,558.43
में हिस्सेदारी से पहले								(36,356.17)
निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित								
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ								1,191.45
में हिस्सा								(827.01)
घटाएँ: अल्पांश ब्याज								2,101.71
								(1,809.30)

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

(करोड़ में)								
व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	डिजिटल बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग अन्य खुदरा बैंकिंग	कुल	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
समूह के लिए निवल लाभ/(हानि)								55,648.17 (35,373.88)
अन्य सूचना:								
खंड आस्तियां	16,68,038.09 (16,11,406.25)	15,16,712.53 (13,26,995.56)	53,547.82	22,63,602.63	23,17,150.45 (20,27,135.23)	3,28,479.47 (2,85,210.54)	75,611.18 (58,894.25)	59,05,991.72 (53,09,641.83)
गैर-आबंटित आस्तियां								48,426.60 (51,241.70)
कुल आस्तियां								59,54,418.32 (53,60,883.53)
खंड देयताएं	15,04,440.73 (14,56,533.68)	14,82,813.40 (12,93,294.16)	4,90,828.11	15,82,465.81	20,73,293.92 (18,65,708.05)	3,12,350.22 (2,70,570.71)	54,507.60 (41,562.93)	54,27,405.87 (49,27,669.53)
गैर-आबंटित देयताएं								1,68,081.13 (1,27,625.95)
कुल देयताएं								55,95,487.00 (50,55,295.48)

- i) आय/व्यय पूरे वर्ष के लिए हैं। आस्ति/देयताएं 31 मार्च, 2023 तक हैं।
ii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खंड

(₹ रोड़ में)						
	घरेलू		विदेशी		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पहले) [#]	4,49,068.78	3,95,564.85	24,309.36	11,408.24	4,73,378.14	4,06,973.09
निवल लाभ [#]	48,467.92	31,153.99	7,180.25	4,219.89	55,648.17	35,373.88
आस्तियां*	52,80,381.11	47,74,622.21	6,74,037.21	5,86,261.32	59,54,418.32	53,60,883.53
देयताएं*	49,31,129.80	44,77,321.28	6,64,357.20	5,77,974.20	55,95,487.00	50,55,295.48

[#] 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए।

* 31 मार्च 2023 तक।

आरबीआई के परिपत्र डीओआर.एयूटी. आरईसी. 12/22.01.001/2022-23 दिनांक 7 अप्रैल 2022 के अनुसार लेखा मानक 17 के खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से डिजिटल बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग खंड के तहत एक उप-खंड के रूप में रखा गया है।

2.4 लेखा मानक - 18 संबंधित पक्षों का प्रकटन:

2.4.1 समूह से संबंधित पक्ष :

क. संयुक्त उद्यम:

1. सी - एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
2. एसबीआई मैकेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3. एसबीआई मैकेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
4. मैकेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड
5. मैकेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
8. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (22.01.2023 तक)

ख. सहयोगी:

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. एलाक्वेई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. यस बैंक लिमिटेड
4. इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (23.01.2023 से)
6. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

1. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष
2. श्री चला श्रीनिवासुलु शेटी, प्रबंध निदेशक
3. श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (31.05.2022 तक)
4. श्री स्वामीनाथन जानकीरामन, प्रबंध निदेशक
5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक
6. श्री आलोक कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक (दिनांक 07.06.2022 से)

2.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एस) 18 के पैराग्राफ 9 के रूप में राज्य नियंत्रित उद्यम के संबंधित पक्ष के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति वाले लेनदेनों का खुलासा नहीं किया गया है।

2.4.3 लेन-देन और शेष राशियां:

(₹ करोड़ में)						
विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार	कुल	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार	कुल
बकाया	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
उधार राशियां	-	-	-	-	-	-
जमा राशि	4,943.47	-	4,943.47	834.90	-	834.90
अन्य देयताएं	68.52	-	68.52	11.66	-	11.66
बैंकों के पास बकाया और मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	0.25	-	0.25	0.39	-	0.39
अग्रिम निवेश	1,007.14	-	1,007.14	856.50	-	856.50
अन्य आस्तियां	8,032.79	-	8,032.79	10,667.36	-	10,667.36
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	271.97	-	271.97	307.17	-	307.17
	22.53	-	22.53	-	-	-
अधिकतम बकाया	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान			वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान		
उधार राशियां	-	-	-	-	-	-
जमा राशि	5,271.03	-	5,271.03	1,352.93	-	1,352.93
अन्य देयताएं	68.56	-	68.56	14.60	-	14.60
बैंकों के पास बकाया और मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	2.72	-	2.72	636.41	-	636.41
अग्रिम निवेश	1,152.51	-	1,152.51	2,218.52	-	2,218.52
अन्य आस्तियां	11,063.92	-	11,063.92	12,817.93	-	12,817.93
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	527.57	-	527.57	487.67	-	487.67
	22.53	-	22.53	2,935.10	-	2,935.10
वर्ष के दौरान	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान			वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान		
ब्याज आय	116.66	-	116.66	213.01	-	213.01
ब्याज व्यय	80.69	-	80.69	31.48	-	31.48
लाभांश के माध्यम से अर्जित आय	21.37	-	21.37	21.90	-	21.90
अन्य आय	3.80	-	3.80	6.18	-	6.18
अन्य व्यय	30.97	-	30.97	24.16	-	24.16
भूमि/भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि)	0.91	-	0.91	(0.83)	-	(0.83)
प्रबंधन संविदाएं	-	2.21	2.21	-	1.63	1.63

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया गया है।

2.5 लेखा मानक - 19 “पट्टे”:

2.5.1 वित्तीय पट्टे

1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियां:

वित्तीय पट्टों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ में)		
विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बकाया कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान		
1 वर्ष से कम	75.21	66.04
1 से 5 वर्ष	233.10	140.00
5 वर्ष और उससे अधिक	49.63	56.83
कुल	357.94	262.87
देय ह्याज लागत		
1 वर्ष से कम	21.95	11.61
1 से 5 वर्ष	38.63	20.83
5 वर्ष और उससे अधिक	7.97	11.75
कुल	68.55	44.19
देय न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	53.26	54.43
1 से 5 वर्ष	194.47	119.17
5 वर्ष और उससे अधिक	41.66	45.08
कुल	289.39	218.68

2.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे दी गई है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी आवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं।

गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर की देयता नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 वर्ष तक	126.19	172.58
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	272.86	279.17
5 वर्ष से अधिक	163.27	183.89
कुल	562.32	635.64

वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतान राशि 4,376.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4,134.88 करोड़ रुपये) है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

2.6 लेखा मानक - 20 “प्रति शेयर आय”:

बैंक लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद समेकित शुद्ध लाभ/(हानि) (अल्पांश के अलावा) को विभाजित करके की जाती है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	400	Nil
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,934	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	892,46,11,707	892,46,11,534
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	892,46,11,707	892,46,11,534
समूह के लिए निवल लाभ/(हानि) (करोड़ में)	55,648.17	35,373.88
प्रति शेयर मूल आय (₹)	62.35	39.64
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	62.35	39.64
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

2.7 लेखा मानक -22 “आय पर कर का लेखांकन”:

- वर्ष के दौरान, आस्थगित कर के रूप में लाभ और हानि खाते में 4,342.79 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं (पिछले वर्ष 520.09 करोड़ रुपये डेबिट किए गए)।
- आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के प्रमुख मदों का विभाजन नीचे दिया गया है :

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(करोड़ में)		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हित लाभ के लिए प्रावधान	9,166.98	6,619.13
अग्रिम के लिए प्रावधान	6,484.72	5,093.33
अन्य आस्तियों/ अन्य देयता के लिए प्रावधान	3,736.75	3,650.06
संचित हानियों पर	48.47	37.38
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	1,686.01	982.69
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	394.58	305.20
एसबीआई के एफओ से संबंधित डीटीए	476.14	409.56
अन्य	259.90	189.94
कुल	22,253.55	17,287.29
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)		
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	43.77	41.80
प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज पर जो देय नहीं	6,599.00	6,546.58
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,467.14	3,950.60
एसबीआई के एफओ से संबंधित डीटीएल	0.01	2.56
अन्य	11.05	6.21
कुल	11,120.97	10,547.75
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	11,132.58	6,739.54

- भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत अनुमत न्यूनतम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है।

2.8 लेखा मानक - 28 “आस्तियों की क्षति”:

प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान गैर-मौद्रिक आस्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

2.9 लेखा मानक - 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्ति”

➤ लाभ और हानि खाते में शामिल प्रावधान और आकस्मिकताएं:

प्रावधानों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

			(कोड में)
क्र.	लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान के लिए प्रावधान		
	- वर्तमान कर	23,182.65	12,859.32
	- सृजित आस्थगित कर आस्ति	(4,342.79)	520.09
	- (प्रतिलेखन)/आयकर का अतिरिक्त प्रावधान	0.27	3.05
ख)	अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	10,873.29	15,902.01
ग)	पुनर्चित आस्तियों पर प्रावधान	(46.41)	(56.11)
घ)	मानक आस्तियों पर प्रावधान	5,641.50	4,581.82
ई)	निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	1,483.88	3,471.78
च)	अन्य प्रावधान	232.02	2,777.19
	कुल	37,024.41	40,059.15

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं)

➤ अस्थायी प्रावधान:

		(करोड़ में)	
क्र.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क)	अधि शेष	193.75	193.75
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	इति शेष	193.75	193.75

➤ आकस्मिक देनदारियों का विवरण (एस-29):

अनु. क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1.	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक एवं उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष होते हैं। बैंक यह अपेक्षा नहीं करता है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियां, परिचालन परिणाम या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपील विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2.	आंशिक प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	समूह अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएं, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवजल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।

अनुसूची

31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता का अभिन्न भाग है

अनु क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
4.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां, अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य जारी करता है। दस्तावेजी ऋण से समूह के ग्राहकों की साख् बढती है। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।	
5.	अन्य मर्दे जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	समूह अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा स्वेप और ब्याज दर स्वेप में प्रवेश करता है। मुद्रा अदला-बदली, पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में ब्याज/मूलधन के रूप में नकदी प्रवाह को दूसरी मुद्रा में विनिमय करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वेप, ब्याज की स्थिर और अस्थिर दर नकदी प्रवाहों का विनिमय करने की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई काल्पनिक राशियां, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि होती हैं। इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के तहत एसबीआई की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएं यथास्थिति, अदालत/मध्यस्थता/अदालत के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशि की मांग, संविदात्मक बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा मांग एवं हस्तांतरण करने का दायित्व, जैसा भी मामला हो, पर आधारित है।

➤ आकस्मिक देयताओं की तुलना में प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

आकस्मिक देयताओं की तुलना में प्रावधानों में उतार-चढ़ाव को नीचे दिया गया है:

क्रम	विवरण	(करोड़ में)	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क	आरंभिक अधिशेष	3,669.17	3,435.01
ख	वर्ष के दौरान परिवर्धन	143.99	438.44
ग	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	86.65	7.43
घ	वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि की वापसी	611.18	196.85
ड.	इतिशेष	3,115.33	3,669.17

3. समूह संस्थाओं के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

4. आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी.संख्या 74/21.04.018/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एसबीआई द्वारा एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

5. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

'अस्थायीप्रावधानों/प्रतिचक्रीयप्रावधानीकरणबफरकेउपयोग'परआरबीआईनेसर्कुलरसंख्याडीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर, 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 100 प्रतिशत को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई है।

वर्ष के दौरान, एसबीआई ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

6. 1 नवंबर 2022 से प्रभावी वेतन संशोधन के बकाया राशि के लिए एसबीआई ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 2,490.00 करोड़ का प्रावधान किया है।

7. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, अनुसूची 16 परिचालन व्यय के तहत मकर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधानफर्म 11वीं द्विपक्षीय वेतन समझौते एवं संयुक्त नोट दिनांक 11 नवंबर, 2020 के तहत कवर किए गए एसबीआई के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार 7,418.39 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त देयता शामिल है। इसे विशेष मद के रूप में दर्शाया गया है।

पारिवारिक पेंशन योजना के कारण तुलन-पत्र में कोई परिशोधित व्यय नहीं है।

8. दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई। इस स्थिति में, एसबीआई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है और बैंक की परिसंपत्तियों पर संभावित दबाव की चुनौतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रावधान उपलब्ध करा रहा है। बैंक का प्रबंधन बैंक की तरलता या लाभप्रदता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं कर रहा है।
9. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान एसबीआई ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर फ्रीहोल्ड अचल आस्तियों (इससे पहले वित्तीय वर्ष 2019-2020 में पुनर्मूल्यांकन किया गया) का पुनर्मूल्यांकन किया है और 31 मार्च 2023 (सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित राशि के बाद) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि की समापन शेष 27,756.26 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 23,377.87 करोड़) है।
10. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, लागू जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन, चालू जीवन बीमा पॉलिसियां, वह जीवन बीमा पॉलिसियां जिनका प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2023 तक मौजूद है, दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और किए गए दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आईबीएनईआर) है, उनके मामले में प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई/प्राधिकरण) और भारत के बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
11. जीवन बीमा और सामान्य बीमा अनुबंधियों के निवेशों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार दोहराने की बजाय आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है। बीमा सहायक कंपनियों का निवेश 31 मार्च, 2022 तक कुल निवेश का लगभग 15.33% (पिछले वर्ष 14.13%) है।
12. एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 11.30 प्रति शेयर 1130% का लाभान्श घोषित किया है।
13. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं।बीपी।बीसी।42/21.01.02/2007-08 के अनुसार, मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हो) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाता है।
14. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुबंधियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, आसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।
15. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। जिन मामलों में आरबीआई के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार प्रकट किया गया है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री आलोक कुमार चौधरी
प्रबंध निदेशक
(खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं अनुबंधियाँ)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार एवं प्रौद्योगिकी)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के सी मेहता एंड कं एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 106237W/W100829

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री चिराग बक्शी
भागीदार
सदस्यता सं. 047164

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2023

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (अनुषंगियों के लाभ के हिस्से एवं अल्प मदों पर ब्याज सहित)	74488,30,41	48756,34,30
समायोजन :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	3695,59,86	3691,27,00
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)	29,03,16	16,40,47
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)	4922,60,98	445,73,69
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)	-	(9,74,32)
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर हानि	-	-
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान	10826,88,16	15845,89,97
मानक आस्तियों पर प्रावधान	5641,50,51	4581,81,42
अनर्जक निवेश पर प्रावधान	1483,87,59	3471,78,80
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान	232,01,48	2777,18,33
सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी	(1191,45,21)	(827,01,33)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	(2,66,25)	(3,19,50)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज	6543,73,06	5587,88,74
	106669,43,75	84334,37,57
समायोजन :		
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	381124,90,62	372079,35,89
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	54584,07,36	11807,87,55
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(141597,38,45)	(183899,64,02)
अंशियों में (वृद्धि) / कमी	(484653,00,71)	(309322,91,48)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	75713,73,97	86464,26,64
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(60531,72,28)	5255,82,79
	(68689,95,74)	66719,14,94
कर वापसी / (प्रदत्त कर)	(17323,72,22)	(9024,30,30)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(क) (86013,67,96)	57694,84,64
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में शेयरों की खरीद	-	(582,76,40)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में शेयरों की बिक्री	-	2,22,96
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ	-	9,74,32
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (हानि)	-	-
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	2,66,25	3,19,50
अचल आस्तियों में (वृद्धि)	(4671,02,13)	(3305,26,01)
अचल आस्तियों में कमी	627,38,98	254,34,31
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ख) (4040,96,90)	(3618,51,32)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यक्रम से नकदी प्रवाह		
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (निवल शेयर जारी करने से संबंधित व्यय)	64	-
पूँजीगत लिखतों का निर्गम	19533,09,26	14074,00,00
पूँजीगत लिखतों का मोचन	(2125,00,00)	(10518,30,00)
पूँजीगत लिखतों पर ब्याज	(6324,62,56)	(5411,00,89)
प्रदत्त लाभांश	(6336,72,16)	(3569,84,46)
अनुषंगिको / संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश	(1,22,83)	(86,64)
अल्प मर्दों पर ब्याज में वृद्धि / (कमी)	1640,85,85	1581,50,62
वित्तपोषण कार्यक्रम से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ग) 6386,38,20	(3844,51,37)
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	(घ) 3075,05,46	966,26,65
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग+घ)	(80593,21,20)	51198,08,60
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य	398905,12,17	347707,03,57
31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य	318311,90,97	398905,12,17
नोट:		
1 नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :	31.03.2023	31.03.2022
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां	247321,04,97	318492,43,01
बैंकों के पास जमाराशियां तथा मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्त राशि	70990,86,00	80412,69,16
योग	318311,90,97	398905,12,17

2 परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया है।

श्री आलोक कुमार चौधरी
प्रबंध निदेशक
(खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार एवं प्रौद्योगिकी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के सी मेहता एंड कं एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 106237W/W100829

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री चिराग बक्शी
भागीदार
सदस्यता सं. 047164

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक भवन
मैडम कामा रोड
मुंबई

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है:
- क) बैंक के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण जो हमारे सहित सभी बारह सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है;
- ख) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम (इसमें 22 जनवरी 2023 तक जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरण शामिल हैं) और 18 सहयोगियों (23 जनवरी 2023 से जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरण और 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; और (अनुलग्नक ए में सूचीबद्ध);
- ग) 1 अनुषंगी और 1 सहयोगी के गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (अनुलग्नक ए में सूचीबद्ध)।

उपरोक्त इकाइयों एवं बैंक को 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

हमारे अभिमत में तथा हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों व सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और जो:

- क) 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति की समेकित तुलन-पत्र के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण;
- ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में लाभ का वास्तविक शेष; और
- ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण।

अभिमत आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेकाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिकता के कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य, हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

3. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में लिया गया है और हम इन मामलों पर एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जानेवाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले:		
i.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणी की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिम में बिल की खरीद और डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर देय ऋण तथा मियादी ऋण शामिल हैं। इन्हें मूर्त आस्तियों से प्रत्याभूत (बही ऋण की प्रतिभूति पर ऋण सहित) बैंक/सरकारी गारंटी से प्रत्याभूत एवं प्रतिभूति रहित अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिमों का हिस्सा 58.45% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसी) तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं जो विदेश स्थित कार्यालयों के मामले को छोड़कर, जहाँ अग्रिमों का वर्गीकरण और उनका प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जो भी अधिक सख्त हो किया जाता है, में अग्रिमों का वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के निर्धारण के लिए उचित तंत्र होना चाहिए। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का हिसाब बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है जो इसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों के रूप में निर्धारण करता है। बैंक अपने व्यावसायिक परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा को अपग्रेड करने और नए आईटी अनुप्रयोगों को लागू करने के लिए निरंतर प्रक्रिया में है, जिसमें आरबीआई परिपत्र संदर्भ सं. डॉस.सीओ.पीपीजी/एसईसी.03/11.01.005/2020-21 दिनांक 14 सितंबर 2020 के अनुसार आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण शामिल है। इन अनुप्रयोगों को अंतिम कार्यान्वयन से पहले विस्तृत परीक्षण, सत्यापन और यूएटी की आवश्यकता होती है। प्रबंधन के अनुसार इसके कार्यान्वयन में देरी का महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव होने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन साफ्टवेयर और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है। इन अग्रिमों का रख्राव (कैरिडिंग वैल्यू) मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग-अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और अग्रिमों और प्रावधान की गणना को ध्यान में रखते हुए एकल वित्तीय विवरण के प्रयोक्ताओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है।	अग्रिमों के संदर्भ में आईआरएसी मानदंडों और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों/निर्देशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियां और कार्यविधियों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में नमूने के तौर पर जांच करना शामिल है। क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता; ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार निगरानी तंत्र की उपलब्धता और प्रभावकारिता जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और संगामी लेखापरीक्षा; ग. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने एनपीए की ट्रैकिंग, पहचान और मुद्रांकन और उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए कोर बैंकिंग और सीसीडीपी में इनबिल्ट किए गए व्यावसायिक तर्कों/मापदंडों के संबंध में आईईटी के आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है। ङ. हमने उपरोक्त आरबीआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीडीपी ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करनेवाले सॉफ्टवेयर में अग्रिमों की मैपिंग का परीक्षण किया। च. हमने अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की जांच है जिससे कि समग्र कार्यविधियों के स्वरूप, समय और सीमा का निर्धारण किया जा सके और बैंक के निगरानी तंत्र और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के अनुसार आयोजित विभिन्न लेखा परीक्षाओं के परिणामों के अनुपालन की जांच की है। छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। इसमें बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी शामिल है। ज. हमने एनपीए की पहचान और आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान सृजन की प्रक्रिया का मूल्यांकन और आकलन किया है; झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार/संवाद भी किया। ञ. बैंक ने प्रक्रियाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मानक परिचालन कार्यविधि जारी की है। हमने इन मानक परिचालन कार्यविधियों पर भरोसा किया है और इन मानक परिचालन कार्यविधियों के आधार पर अपनी जांच की है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
ii.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 2 के साथ पठित अनुसूची 8) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल है। बैंक की कुल आस्तियों में निवेशों का हिस्सा 28.69% है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, तदनुसार आय की गणना न करना और इसके लिए प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफआईएमएमडीए दर्रे, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दर्रे, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि से आंकड़ों/सूचनाओं का संग्रह शामिल है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, हस्तगत निवेशों और विनियामक नियंत्रण की गंभीरता पर निर्णय लेने में जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अलाभकारी निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के बारे में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और इसे समझ लिया। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. चुने गए निवेशों के नमूने के लिए प्रतिभूति के प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन पुनः कराया गया जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र तथा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जांच की गई। नमूने का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया गया कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) उसमें समावेश हो। घ. हमने अनर्जक निवेशों के निर्धारण की प्रक्रिया तथा आय के रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान राशि की स्वतंत्र रूप से गणना और मूल्यहास राशि तय किया जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिदं नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए जांच की तथा उन चुनिदां नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. हमने उपरोक्त आरबीआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इंवेस्टमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिनांशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के साथ निवेशों की मैपिंग का परीक्षण किया।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
iii.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18 के नोट 18.12 (ई) के साथ पठित) प्रावधान के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने फैसले, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह द्वारा समर्थित है, जहां भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णयों / व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल है: क) लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक की स्थिति सहित मुकदमों / कर आकलन की वर्तमान स्थिति को समझना; ग) विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और / या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्यवाई करना; घ) इसमें प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन करना और हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह ङ) चर्चाओं के माध्यम से बैंक के विवादों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्यौरे का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह; और च) महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।
एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले :		
iv.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण (आईटी नियंत्रण): सभी बीमा कंपनियां दैनिक संसाधित लेनदेन की भारी संख्या के कारण प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हैं। कंपनी की वित्तीय प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ आईटी सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर है जो लेनदेन दर्ज करता है, मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार, आईटी नियंत्रण वातावरण में गैप के कारण इसमें एक जोखिम मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। कंपनी अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करती है। हमने आईटी सिस्टम के महत्वपूर्ण उपयोग और आईटी आर्किटेक्चर के पैमाने और जटिलता के कारण प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में आईटी सिस्टम और नियंत्रण की पहचान की है।	मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: - वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग पर प्रभाव डालने वाली आईटी प्रणालियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण का नमूना परीक्षण। - नमूना परीक्षण द्वारा वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड के संबंध में कुछ प्रमुख नियंत्रणों की प्रभावशीलता के लिए आईटी सिस्टम प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया; और - हमारा ऑडिट दृष्टिकोण स्वचालित नियंत्रणों पर निर्भर करता है और इसलिए प्रक्रियाओं को आईटी सिस्टम पर नियंत्रण, कर्तव्यों के अलगाव, इंटरफेस और सिस्टम एप्लिकेशन नियंत्रणों को प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। - स्वतंत्र सूचना प्रणाली लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसने कंपनी द्वारा अपनाए गए विभिन्न सिस्टम नियंत्रण उपायों की पुष्टि की है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
v.	निवेशों का मूल्यनिर्धारण : कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो में पॉलिसेधारकों के निवेश (पारंपरिक और यूनिट लिंक्ड पॉलिसे धारक) और शेयरधारक निवेश शामिल हैं। कंपनी का कुल निवेश पोर्टफोलियो (यानी प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम)) कंपनी की कुल संपत्ति के 99.3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 (निवेश विनियमन), आईआरडीएआई (वित्तीय विवरण विनियमन की तैयारी), 2002 (वित्तीय विवरण विनियम), कंपनी की निवेश नीति और प्रासंगिक भारतीय जीएपी के अनुसार निवेश किए जाते हैं और इनका मूल्य निर्धारण किया जाता है। इन मूल्यांकन विधियों में कई अवलोकन योग्य बाजार दर, सूचकांक स्तर, क्रेडिट स्प्रेड, इक्विटी की कीमतें, काउंटर पार्टी क्रेडिट गुणवत्ता और संबंधित बाजार अस्थिरता के स्तर आदि सहित कई अवलोकन योग्य बाजार आदानों (इनपुट) का उपयोग किया। उद्धृत निवेश का पोर्टफोलियो कंपनी के एयूएम का 34.4 प्रतिशत है और निवेश का पोर्टफोलियो जिसका मूल्यनिर्धारण मुख्य रूप से अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके किया गया है, कंपनी के एयूएम का 63.7 प्रतिशत है। हम इन निवेशों को महत्वपूर्ण गलत विवरण के उच्च जोखिम पर नहीं मानते हैं, या निर्णय के एक महत्वपूर्ण स्तर के अधीन नहीं मानते हैं क्योंकि उनमें तरल, उद्धृत निवेश शामिल हैं। हालांकि, संपूर्ण रूप में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उनकी भौतिकता के कारण, उन्हें उन क्षेत्रों में से एक माना जाता है जिनका हमारी समग्र रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सूची से इतर निवेश का पोर्टफोलियो कंपनी के एयूएम का 1.4 फीसदी है। सूची से इतर निवेश के मूल्यांकन में इनपुट की निगरानी और उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करने में आगे के निर्णय के आधार पर निर्णय शामिल होता है जहां बाहरी मूल्य निर्धारण स्रोत या ता आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं या अविश्वसनीय होते हैं। इन निवेशों के मूल्यांकन को उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिनके लिए महत्वपूर्ण लेखा परीक्षक ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण वित्तीय विवरणों में महत्व के मामलों में से एक था।	प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: - हमने आईआरडीएआई निवेश विनियमों, वित्तीय विवरण विनियमन, कंपनी के आंतरिक निवेश और मूल्यांकन नीति के संदर्भ में मूल्य निर्धारण पद्धतियों की उपयुक्तता का आकलन किया। - प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और प्रमुख नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, जिसमें कंपनी की समीक्षा और प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और मान्यताओं का अनुमोदन शामिल है। - उचित मूल्य एक सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार की कीमतों से सबसे अच्छा प्रमाण है। जहां उद्धृत बाजार की कीमतें उपलब्ध नहीं हैं, समान उत्पादों की उद्धृत कीमतें या अवलोकन योग्य बाजार आधारित आदानों के साथ मूल्यांकन मॉडल का उपयोग उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अनुमानित उचित मूल्य की गणना एक विशिष्ट समय पर बाजार की स्थितियों पर आधारित है और भविष्य के मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। - उद्धृत निवेशों के लिए, मूल्यांकन एक सक्रिय बाजार में स्वतंत्र मूल्य स्रोतों / बाजार मूल्यों के अनुसार किया गया। - सूची से इतर निवेशों के लिए, हमने इस तरह के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण के संदर्भ में दर्ज मूल्यांकन की उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए मूल्यनिर्धारण मूल्यांकन और परिणामी निष्कर्षों का गंभीर रूप से मूल्यांकन किया।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
vi.	आकस्मिक देयताएं और मुकदमे : कंपनी के पास विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों और विभिन्न मंचों पर मुकदमे के मामले लंबित हैं। इसमें ऐसे मुकदमे के मामलों के अंतिम परिणाम निर्धारित करने के लिए लागू लेखा मानकों के अनुसार निर्णय शामिल हैं। प्रबंधन ने आवश्यकतानुसार अपने विशेषज्ञों की सहायता से दायित्व के अनुरूप संबंधित निर्णय दिए हैं कि क्या अस्थाई देयता के लिए एक अनंतिम प्रकटीकरण देने की आवश्यकता है। इसलिए हमने अनिश्चितता और संभावित भौतिक प्रभाव के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया।	प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: - हमने मुकदमे के मामलों से संबंधित विभिन्न नियामक पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा और विभिन्न स्थितियों के रूप में कानूनी स्थिति की हमारी समझ के साथ उनकी पुष्टि की। - हमने विवाद की स्थिरता की समीक्षा करने के लिए अपनी टीम की राय सहित स्वतंत्र कानूनी वकील से प्रबंधन द्वारा मांगी गई कानूनी राय प्राप्त की। हमने कंपनी की आंतरिक कानूनी टीम के साथ महत्वपूर्ण मुकदमों के संबंध में स्थिति और संभावित जोखिम पर चर्चा की और प्रत्येक मुकदमे के संभावित परिणाम और संभावित जोखिम के परिमाण पर प्रबंधन के विचारों सहित विभिन्न मुकदमों की प्रगति के बारे में विवरण प्राप्त किया। - तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने और संभावित जोखिमों की पहचान करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न मुकदमों की समीक्षा की गई थी कि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या कुछ मामलों में जहां राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ऐसे दायित्व का प्रकटीकरण कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:		
vii.	अनिश्चित कर स्थितियों का मूल्यांकन: कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों सहित अनिश्चित कर लंबित होने की स्थिति है जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमने कर विवादों की निगरानी के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का मूल्यांकन किया। कर संबंधी मुकदमों के जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं को चुनौती देने के फैसले और ऐसे मामलों में उनकी धारणा का आकलन करने के लिए कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने के संबंध में हमने आंतरिक कर विशेषज्ञ से जोखिम निधारण करवाया। उन्होंने इन अनिश्चित कर पदों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर भी विचार किया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य सूचना

- बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त किया जाएगा, और बैंक के निदेशकों का प्रतिवेदन जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलब्धक शामिल हैं, यदि कोई हो, उन पर जो इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बासेल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक की निदेशक रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलब्धक, यदि कोई हो, तो उस पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें एक भौतिक गलत प्रकटीकरण है, तो हमें अभिशासन के प्रभारित लोगों को मामले की सूचना देनी होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के साथ प्रभारित लोगों की जिम्मेदारियां

- बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो लेखांकन मानक 21-समेकित वित्तीय विवरण, लेखांकन मानक 23- समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों

में निवेश के लिए लेखांकन और लेखांकन मानक 27 - के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्था न द्वारा जारी संयुक्त उद्यम में हितों की रिपोर्टिंग और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को भारत में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस उत्तरदायित्व में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए लागू कानूनों के अनुसार और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; आंकलन और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री की गलत प्रकटीकरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह निकार्यों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित समूह इकाई को एक सतत संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। जैसा मामलों के आधार का उपयोग करता है जब तक कि प्रबंधन या तो समूह संस्थाओं को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह संस्थाओं के निदेशक मंडल भी संबंधित समूह इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है परंतु यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखापरीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूएसएस द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण

हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्यवाई करना और कि लागू होता है, सतत संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करता है और लेखांकन के चल रहे आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भ्रमर भी हो सकती है।

- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्ति संगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राकलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्त्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।
- समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं और जिनकी वित्तीय जानकारी हमने ऑडिट की है। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने हुए हैं।

बैंक के समेकित वित्तीयविवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निरूपण लेनेवाले जानकार यूजर संभवतः प्रभावित हो सकता है। (i) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (ii) वित्तीय विवरणों

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेस से जुड़े लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं।

हम, गवर्नेस से जुड़े लोगों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेस से जुड़े लोगों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते हैं बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दलुभ परिस्थितियों में हम निरर्थक लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

अन्य मामले

7. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

क) हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 5,771 शाखाओं (34 विदेशी शाखाओं सहित) के वित्तीय विवरणों/जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 को 26,98,825.09 करोड़ रुपये की कुल आस्तियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1,73,752.95 करोड़ रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ख) हमने 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 तक कुल 4,63,803.28 करोड़ की आस्तियों तथा उस तिथि का राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 1,181.00 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, 18 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का ऑडिट अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें

प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, हमारी रिपोर्ट, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है

ग) हमने 1 अनुषंगी और 1 सहयोगी जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 तक 8,854.33 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाया गया और कुल राजस्व 421.77 करोड़ रुपये है, के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा नहीं किया है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा 10.45 करोड़ रुपये भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है। 1 सहयोगी के संबंध में, जिसका वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। ये वित्तीय विवरण अप्रकाशित हैं और हमें प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक यह इन सहायक और सहयोगी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त सहायक कंपनियों और सहयोगी से संबंधित है, जहां तक कि पूरी तरह से इस तरह के अप्रकाशित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में है।

8. समूह की सहायक कंपनियों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखापरीक्षकों ने सूचित किया है कि लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और दावों के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन लेकिन पर्याप्त नहीं बताया गया (आईबीएनईआर) कंपनी के नियुक्त बीमा आकलनकर्ता (नियुक्त बीमा आकलन कर्ता) की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों के लिए और उन पॉलिसियों के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन 31 मार्च 2023 को देयता मौजूद है, को नियुक्त बीमा आकलन कर्ता द्वारा वि धिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई/प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। लेखापरीक्षकों ने इस संबंध में नियुक्त बीमा आकलनकर्ता के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि लागू जीवन नीतियों के लिए देनदारियों के मूल्यांकन पर हमारी राय बनाई जा सके और उन नीतियों के लिए जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्ना नुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

- क. हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है:
- ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा
- ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।
10. इसके साथ हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित खातों को तब तक रखा गया है जहाँ तक यह उन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियों उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- ख) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण का संज्ञान इस रिपोर्ट में लिया गया है, जो खाते के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से संज्ञान में लिया गया है; और
- घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

11. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 द्वारा अपेक्षित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग पर, आरबीआई द्वारा जारी 19

मई, 2020 के बाद के पत्र के साथ पढ़ा गया, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर नीचे के रूप में आगे की रिपोर्ट करते हैं:

- क) वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई विचार या टिप्पणियाँ नहीं हैं जिनका बैंक के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ख) 31 मार्च 2023 को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और भारत में निगमित इसकी सहायक, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत में निगमित समूह कंपनियों के निदेशकों में से कोई भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए 31 मार्च 2023 तक अयोग्य नहीं है।
- ग) खातों के रख-रखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित अर्हताएं, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियाँ नहीं हैं।
- घ) आईसीआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका के पैरा 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी न कि पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर तदनुसार, 31 मार्च 2023 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

के सी मेहता एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

आईसीआई फर्म पंजीकरण संख्या 106237W/W100829

चिराग बक्शी

भागीदार

सदस्यता सं. 047164

स्थान: मुंबई

तिथि: 18 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुलग्नक ए : 31 मार्च 2023 तक समेकित संस्थाओं की सूची

क्र.	अनुपंगी कंपनी का नाम	क्र.	अनुपंगी कंपनी का नाम
1.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	15.	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्क्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	एसबीआईकैप सिक्क्योरिटीज लिमिटेड	16.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
3.	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	17.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड
4.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	18.	वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
5.	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड (30 नवंबर 2022 तक)	19.	एसबीआई कनाडा बैंक - अलेखापरीक्षित
6.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	20.	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)
7.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	21.	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड
8.	एसबीआई इंडिया मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (30 सितंबर 2022 तक)	22.	भारतीय स्टेट बैंक सर्विकोस लिमिटेड
9.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	23.	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड
10.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	24.	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
11.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	25.	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड
12.	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26.	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
13.	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	27.	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (26 जुलाई 2022 से)
14.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड		

क्र.	संयुक्त उद्यम का नाम	क्र.	संयुक्त उद्यम का नाम
1.	सी - एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	5.	मैक्करी एसबीआई इंडस्ट्रियल ट्रस्टी लिमिटेड
2.	एसबीआई मैक्करी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	6.	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश कोष - प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3.	एसबीआई मैक्करी इंडस्ट्रियल ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	7.	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश कोष - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
4.	मैक्करी एसबीआई इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8.	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (22 जनवरी 2023 तक)

क्र.	सहयोगियों के नाम	क्र.	सहयोगियों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	11.	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
2.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	12.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
3.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	13.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
4.	इलाकाई देहाती बैंक	14.	तेलंगाना ग्रामीण बैंक
5.	मेघालय ग्रामीण बैंक	15.	दि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	16.	यस बैंक लिमिटेड
7.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	17.	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड - अलेखापरीक्षित
8.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	18.	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
9.	उत्कल ग्रामीण बैंक	19.	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (23 जनवरी 2023 से)
10.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक		

पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

डीएफ-1: लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बासेल III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में प्रचलित लेखा सामान्य व्यवहार शामिल हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) समूह के उन निकायों की सूची, जिन्हें 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए समेकन हेतु विचार किया गया है

निम्नलिखित अनुपंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआई कैप सिविलियरीज लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड (30.11.2022 तक)	सिंगापुर	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई- ग्लोबल सिविलियरीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
13	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मॉरिशस	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
15	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
17	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरिशस	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
20	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
21	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटेड	ब्राजील	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं है	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुबंधी: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
24	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (30.09.2022 तक)	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं है	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुबंधी: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
25	स्टेट बैंक ऑपरेशन्स सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं है	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुबंधी: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
26	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
27	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
28	सी-एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

पिलर 3 प्रकटीकरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
29	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
30	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
31	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
32	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बरमूडा	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
33	ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड- मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
34	ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
35	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (22.01.2023 तक)	भारत	हाँ	एस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (23.01.2023 से)	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
36	आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
37	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
38	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
39	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
40	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
41	मध्यचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
42	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
43	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
44	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
45	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
46	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
47	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
48	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
49	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
50	द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
51	येस बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
52	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
53	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

ख. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें लेखांकन और विनियामक दोनों कार्यक्षेत्र के तहत समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इकिटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इकिटी में बैंक की धारिता का %	इकाई के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को विनियामक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बिना लाभ अर्जन के लिए कंपनी	229.73	99.72%	विनियामक पूंजी से कटौती	230.02
2	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	परिसमापन के तहत	लागू नहीं	26.00%	जोखिम भारित	लागू नहीं
3	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (01.10.2022 से)	भारत	परिसमापन के तहत	3.98	100%	विनियामक पूंजी से कटौती	3.96

पिलर 3 प्रकटीकरण

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विनियामक समेकन में शामिल समूह इकाइयों की सूची

समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल समूह इकाइयों की सूची निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं. इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इकिटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	टिप्पणियां
1 एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	मर्चेन्ट बैंकिंग और सलाहकारी सेवाएँ	2,613.03	2,877.61	
2 एसबीआई कैप सिव्युरिटीज़ लिमिटेड	भारत	सिव्युरिटीज़ ब्रोकिंग एवं इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	1,084.19	1,924.76	
3 एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप गतिविधियाँ	178.64	182.31	
4 एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	वेंचर कैपिटल फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	188.95	254.73	
5 एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड (30.11.2022 तक)	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्श सेवाएँ	-	-	
6 एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक विक्रेता	1,247.71	17,033.54	
7 एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	40.49	40.75	
8 एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	फैक्टरिंग सेवाएँ	408.28	1,280.62	
9 एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	उन्हें आवंटित एनपीएस ट्रस्ट की आस्तियों का प्रबंधन और एनपीएस ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग के लिए पीओपी के रूप में कार्य करना	150.21	155.98	
10 एसबीआई पेमेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	कैशलेस/डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाले मर्चेन्ट अकाइरिंग बिजनेस से संबंधित भुगतान समाधान	1,494.78	1,951.27	
11 एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	4,539.40	4,675.99	
12 एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट मॉरिशस (इंटरनेशनल) लिमिटेड	मॉरिशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	0.63	2.22	
13 एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	9,069.16	44,792.65	
14 एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिव्युरिटीज़ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	अभिरक्षा एवं निधि लेखा सेवाएँ	422.73	716.96	
15 स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (कैलिफ़ोर्निया) यूएसए	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	1,288.73	8,965.57	

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं. इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इकिटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	टिप्पणियां
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	1,103.23	8,854.33
17	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	370.58	4,755.84
18	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,372.65	8,818.06
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	1,737.60	3,496.53
20	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	1,138.14	11,433.52
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	बैंकिंग सेवाएँ	2,644.04	20,164.54
22	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	मर्चेन्ट बैंकिंग और सलाहकार सेवाएँ	17.42	19.37

* इकिटी पूँजी, आरक्षित और अधिशेष शामिल हैं

घरेलू इकाईयों के मामले में आईजीएपी के अनुसार और विदेशी इकाईयों के मामले में संबंधित स्थानीय विनियमों के अनुसार

(घ) सभी अनुपंगियों में पूँजी की कमी की कुल राशि जो विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो घटा दी गई है:

अनुपंगियों का नाम/ उस देश का नाम, जहाँ निगमन हुआ है	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इकिटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इकिटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा इकाईयों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

(रुपए करोड़ में)

बीमा इकाईयों का नाम/ उस देश का नाम, जहाँ निगमन हुआ है	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार भाव	अतिरिक्त प्रा-वधान (एलआ-ईसीआरए + आईआरएसी + आईओएस + आरसीएच)	पूँजी प्रभार	आरडबल्यूए की मुख्य गतिविधि	इकाई का प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इकिटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इकिटी में बैंक की धारिता का %	जोखिम भार पद्धति का उपयोग बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग का नियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.15	73.49	57.22	-	11.59	144.85	बीमा	2,149.18	0.05%	किसी भी विधि के साथ नगण्य प्रभाव
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.41	131.98	104.79	-	21.22	265.26	बीमा	1,438.56	0.17%	किसी भी विधि के साथ नगण्य प्रभाव

पिलर 3 प्रकटीकरण

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध अथवा बाधाएं:

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैलिफोर्निया	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूँजी अंतरित करने का एकमात्र माध्यम लाभांश का भुगतान अथवा शेयरों की वापसी-खरीद अथवा पूँजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	मूल बैंक को किसी भी प्रकार की पूँजी (इक्विटी अथवा ऋण) अंतरित करने से पहले नियामक (ओएसएफआई) की पूर्व अनुमति।
एसबीआई मॉरीशस लिमिटेड	मूल बैंक सहित शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान से बैंक की पूँजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूँजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान के माध्यम से अथवा बैंकिंग अधिनियम व मॉरीशस के कंपनी अधिनियम में बताए गए माध्यम से की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि एसबीआईएमएल द्वारा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पूँजी और तरलता अनुपात बनाए रखने के अधीन है।
	क) कोई भी बैंक जब तक मॉरीशस में बताई गई पूँजी के अनुसार भुगतान की राशि अथवा कम से कम 400 मिलियन रुपयों या बराबर की नियत पूँजी की राशि नहीं रखता और रखना जारी नहीं रखता, तब तक केंद्रीय बैंक उसे लाइसेंस नहीं देगा अथवा बैंक बैंकिंग लाइसेंस नहीं रख सकता।
	ख) प्रत्येक बैंक मॉरीशस में कम से कम 10 प्रतिशत की पूँजी, अथवा उस बैंक की जोखिम आस्तियों एवं अन्य प्रकार के जोखिमों के मामले में केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतर अनुपात में पूँजी बनाए रखेगा।
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	बुक खरख बैंक के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बैंक के रूप में काम करने में सक्षम होने के लिए बैंक न्यूनतम नियामक पूँजी रखता है। हालांकि, पर्याप्त लाभ अर्जित करने के बाद मूल बैंक को लाभांश के रूप में धन के अंतरण की अनुमति है।
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल के कानूनों के तहत, कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय होती हैं। इसलिए, बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूँजी का अंतरण संभव नहीं है।
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (सीआईबीएल)	बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधाएं नहीं हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी का भुगतान एसबीआई यूके बोर्ड और पीआरए के अनुमोदन के साथ मूल बैंक (लाभांश अथवा कम की गई पूँजी के माध्यम से) को वापस किया जा सकता है। यह एसबीआई यूके लिमिटेड की अनुमानित वृद्धि योजनाओं और इसकी पूँजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	- विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूँजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार लाभांश का भुगतान करना है। - यह विनियामक मानदंडों के अनुसार न्यूनतम सॉल्वेंसी अनुपात 150% बनाए रखने के अधीन है। कंपनी के निदेशक मंडल ने सॉल्वेंसी अनुपात की न्यूनतम सीमा 180% निर्धारित की है।
एसबीआई जनरल कंपनी लिमिटेड	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूँजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार लाभांश का भुगतान करना है।
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, सेबी और आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार, एसबीआई कार्ड शेयरों की वापसी-खरीद के माध्यम से ही एसबीआई को शेयर पूँजी वापस कर सकता है।
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	- एसबीआईएफएमएल कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य लागू विनियमों के पालन के अधीन वापसी-खरीद के माध्यम से पूँजी का हस्तांतरण कर सकता है। कंपनी को जेवी पार्टनर से भी मंजूरी लेनी होगी। - इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के अनुसार, जहां कहीं भी बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, कंपनी उसका अनुपालन करेगी।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध	
एसबीआई लिमिटेड	कैपिटल मार्केट्स	- एसबीआईकैप से मूल एसबीआई को पूँजी का हस्तांतरण, निम्नानुसार के अधीन होगा: - सेबी मर्चेन्ट बैंकर्स विनियम 1992 के अनुसार, एक श्रेणी-ख के मर्चेन्ट बैंकर की न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की निवल मालियत होना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि निधियों के हस्तांतरण से नियंत्रण में बदलाव होता है तो सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। - सेबी (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के अनुसार, एक अनुसंधान विश्लेषक जो एक निगमित निकाय है, के पास 25 लाख रुपये की निवल मालियत होना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि निधियों के हस्तांतरण से नियंत्रण में बदलाव होता है तो सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। - एसबीआईकैप के एओए के अनुच्छेद 60 में प्रावधान है कि इन अनुच्छेदों में निहित किसी तथ्य के बावजूद, अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों या किसी अन्य कानून के अधीन रहते हुए, कंपनी अपने स्वयं के शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीद सकती है। - एसबीआईकैप में न्यूनतम क्षमता मूल्यांकन रेटिंग (सीएआर) को 15.00 बनाए रखने की एक आंतरिक जोखिम नीति है - उपर्युक्त सभी एसबीआईकैप बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होंगे।
एसबीआई लिमिटेड	ग्लोबल फ़ैक्टर्स	- नियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूँजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका लाभांश या वापसी-खरीद शेयरों का भुगतान करना है। मूल बैंक सहित शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान से बैंक की पूँजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूँजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान के माध्यम से अथवा बैंकिंग अधिनियम व कंपनी अधिनियम में बताए गए माध्यम से की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पूँजी और तरलता अनुपात बनाए रखने के अधीन है। - एक कंपनी एनबीएफसी-फ़ैक्टर्स लाइसेंस नहीं रख सकती है, यदि वह निवल स्वाधिकृत निधि के रूप में भुगतान की गई राशि को बनाए नहीं रखती और बनाए रखना जारी नहीं रखती है। - प्रत्येक एनबीएफसी तुलन पत्र पर अपनी कुल जोखिम भारत आस्तियों (टियर ख और टियर खख पूँजी, टियर ख पूँजी 10% से कम नहीं होनी चाहिए) का कम से कम 15% की पूँजी, अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्च अनुपात, और तुलनपत्रेतर मर्दों के जोखिम समायोजित मूल्य को बनाए रखेगा। - एनबीएफसी-फ़ैक्टर्स के रूप में पंजीकृत प्रत्येक कंपनी फ़ैक्टरिंग विनियम अधिनियम 2011 के अनुसार न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) बनाए रखेगी। - कंपनी अधिनियम में शेयरों की वापसी-खरीद या लाभांश के रूप में वितरण के माध्यम से पूँजी के अंतरण के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। - कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) में निधि या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। - विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी का भुगतान बोर्ड और नियामक के अनुमोदन के साथ मूल बैंक (लाभांश अथवा कम की गई पूँजी के माध्यम से) को वापस किया जा सकता है। यह अनुमानित वृद्धि योजनाओं और इसकी पूँजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।
एसबीआई-एसजी सेक्यूरिटीज सर्विसेस लिमिटेड	ग्लोबल	- पूँजी का अंतरण सेबी द्वारा निर्धारित 500 मिलियन रुपये के न्यूनतम विनियामक निवल मालियत के संधारण के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी को बोर्ड के अनुसार परिचालन जोखिम, जिसकी गणना बेसल खख के मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार की जाती है, के लिए 200 मिलियन रुपये (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार) की पूँजी पर प्रभार बनाए रखने की आवश्यकता है। - अंतरण नए शेयरों के इश्यू (अधिकारों के आधार पर अथवा अनुवर्ती प्लेसमेंट के रूप में जारी किए गए शेयरों के अलावा), विकल्प या वारंट का निर्माण, शेयरों के नए वर्गों का निर्माण, वापसी-खरीद/मोचन/पुनर्खरीद, विभाजन, संपरिवर्तनीय ऋण जारी कर, बोनस, ग्रहणाधिकार या ऋण-भार अथवा इक्विटी में संपरिवर्तन को शामिल करने वाले ऋण पुनःसंरचना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो पक्षों के लिए और/अथवा इक्विटी शेयरधारकों के रूप में उनके अधिकारों और कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए गैर-विलयनीय होगा।

पिलर 3 प्रकटीकरण

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	कंपनी लाभांश/शेयरों की वापसी-खरीद के माध्यम से मूल कंपनी को अधिशेष/पूँजी अंतरित कर सकती है। लाभांश के भुगतान के संबंध में एकल प्राइमरी डीलरों (एसपीडी) को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश निम्नानुसार हैं :- - एसपीडी के शेयरधारिता स्वरूप/पूँजी संरचना में किसी भी बदलाव के लिए आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। - एसपीडी को निरंतर आधार पर न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने की आवश्यकता है। - लाभांश वितरण की घोषणा करते समय एसपीडी निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे: - एसपीडी ने सांविधिक भंडारों को लाभ के अंतरण संबंधी विनियमों और प्रतिभूतियों के प्रावधान और मूल्यांकन आदि से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया होगा। - एसपीडी को वित्तीय वर्ष (चार तिमाहियों में से प्रत्येक) के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है। - पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में शुद्ध एनपीए अनुपात छह प्रतिशत से कम होगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति भी शामिल है जिसके लिए लाभांश घोषित किया जाना प्रस्तावित है। - एसपीडी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के प्रावधानों का पालन करेंगे। - एसपीडी रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। रिजर्व बैंक ने लाभांश की घोषणा पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया होगा। - उपरोक्त पैरा (1) में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले एसपीडी 60 प्रतिशत के लाभांश भुगतान अनुपात तक लाभांश की घोषणा कर सकते हैं। - वित्तीय वर्ष की किसी भी चार तिमाहियों में, जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है, नियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले एसपीडी किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करेंगे। वित्तीय वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान, जिसके लिए लाभांश पर विचार किया जा रहा है, लेकिन किसी भी चार तिमाहियों में 20 प्रतिशत से कम होने पर, ऐसे एसपीडी के लिए जिनका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत या उससे अधिक है, लाभांश भुगतान अनुपात होगा 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं।
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	- पीएफआरडीए/कंपनी अधिनियम, 2013 में लाभांश के माध्यम से मूल बैंक को पूँजी के हस्तांतरण अथवा मूल बैंक को शेयर की वापसी-खरीद अथवा पूँजी प्रत्यावर्तन के लिए कोई विनियामक प्रतिबंध नहीं हैं। - एकमात्र मानदंड यह है कि कंपनी को 50 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवल मालियत को बनाए रखना चाहिए और पेंशन फंड के न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए अर्थात् विनियम 8(डी) प्रायोजक के पास पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से कम से कम तीन में कर पश्चात लाभ होना चाहिए। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में कोई नकदी हानि नहीं होना चाहिए। - इसके अलावा, विनियम जे के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि के प्रायोजक के प्रबंधन, स्वामित्व, शेयरधारिता स्वरूप या नियंत्रण में एक प्रतिशत से अधिक लेकिन प्रायोजक या पेंशन फंड की चुकता पूँजी के पांच प्रतिशत से कम का परिवर्तन होने पर, इसकी सूचना, ऐसे परिवर्तन की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को दी जाएगी। - बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रायोजक या पेंशन निधि की चुकता पूँजी में पांच प्रतिशत या उससे अधिक में कोई परिवर्तन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। - पूँजी का भुगतान बोर्ड और शेयरधारकों के अनुमोदन और पीएफआरडीए विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को पूरा करने के साथ मूल बैंक को किया जा सकता है।
एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	- संयुक्त उद्यम करार के अनुसार निधियों अथवा विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं। - निधियों का अंतरण एसबीआई पेमेंट बोर्ड और जेवी भागीदारों के अनुमोदन के अधीन है।
स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	एसबीओएसएस एक गैर-वित्तीय कंपनी है, जिसे पिछले साल निगमित किया गया था। कंपनी के एओए और बैंक के साथ सेवा समझौते के अनुसार, समूह के भीतर धन या पूँजी के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं है। हालाँकि, धन का ऐसा कोई भी हस्तांतरण एसबीओएसएस के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होगा। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के अनुसार, जहां भी बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, कंपनी उसका अनुपालन करेगी।

डीएफ-2 - पूँजी पर्याप्तता

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (क) वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा
- बैंक और इसकी बैंकिंग सहायक कंपनियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएफ) दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक आधार पर आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी) अपनाती हैं। इस आईसीएपी में पूँजी योजना प्रक्रिया का विवरण दिया जाता है और निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूँजी आवश्यकता तथा तनाव परीक्षण को कवर करते हुए मूल्यांकन किया जाता है:

➤ ऋण जोखिम	➤ बाजार जोखिम
➤ परिचालन जोखिम	➤ ऋण संकेंद्रण जोखिम
➤ चलनिधि जोखिम	➤ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
➤ अनुपालन जोखिम	➤ देश जोखिम
➤ पेंशन निधि दायित्व जोखिम	➤ रणनीतिक जोखिम
➤ प्रतिष्ठा जोखिम	➤ मॉडल जोखिम
➤ ऋण जोखिम न्यूनीकरण से शेष जोखिम	➤ कन्टेजिन रिस्क
➤ प्रतिभा जोखिम	➤ साइबर जोखिम
➤ उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जोखिम	➤ अंडरराइटिंग जोखिम

- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में अनुमानित निवेश और एसबीआई और इसकी सहायक कंपनियों (घरेलू/विदेशी) द्वारा अग्रिमों में वृद्धि पर विचार करते हुए, 3 से 5 वर्षों के मध्य में पूँजीपर्याप्तता अनुपात (सीएआर) की आवाजाही पर प्रतिवर्ष या अधिक बार संवेदनशीलता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण एसबीआई और एसबीआई समूह के लिए अलग से किया गया है।
- 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि में बैंक तथा समग्र समूह का के सीआरएआर विनियामक सीएआर से काफी अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूँजी बनाए रखने के लिए, बैंक के पास इक्विटी के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अधीनस्थ ऋण, स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस), मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस), स्थायी ऋण लिखता (पीडीआई) और स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) को बढ़ाकर अपने पूँजीगत संसाधनों को बढ़ाने के विकल्प हैं।
- विदेशी अनुबंधियों के लिए कार्यनीतिक पूँजी योजना में आस्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पूँजी निर्धारण तथा विभिन्न स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं एवं विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक पूँजी का आकलन शामिल है। आस्तियों के बढ़े हुए स्तर का समर्थन करने तथा पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को बनाए रखने के लिए सीईटी 1/एटी 1/ टियर 2 पूँजी जुटाने के लिए एकल अनुबंधी की क्षमता के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद मूल बैंक द्वारा संवृद्धि योजना को अनुमोदित किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं:

- मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो → ₹ 2,84,252.21 करोड़
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर → शून्य

.....
कुल रुपए 2,84,252.21 करोड़

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं

- मानक अवधि दृष्टिकोण;
 - ब्याज दर जोखिम → ₹ 12,373.98 करोड़
 - विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) → ₹ 902.31 करोड़
 - इक्विटी जोखिम → ₹ 10,894.61 करोड़

.....
कुल रुपए 24,170.90 करोड़

पिलर 3 प्रकटीकरण

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं

- बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण → ₹ 23,227.98 करोड़
- मानक दृष्टिकोण (यदि लागू हो) लागू नहीं

कुल रुपए 23,227.98 करोड़

(ङ) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूँजी अनुपात

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	टियर 1 (%)	कुल (%)
एसबीआई समूह	10.59	12.29	14.84
भारतीय स्टेट बैंक	10.27	12.06	14.68
एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	20.05	20.05	21.06
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	12.42	12.42	13.89
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	14.15	14.15	15.35
वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	5.36	5.36	5.36
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	90.36	90.36	91.16
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	13.07	13.07	16.17
एसबीआई (यूके) लिमिटेड	15.28	15.28	15.28

डीएफ-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

सामान्य प्रकटीकरण

अ. गुणात्मक प्रकटीकरण

- पिछले बकाया और हासित आस्तियों की परिभाषाएं (लेखांकन उद्देश्यों के लिए)

अनर्जक आस्तियां

जब कोई आस्ति बैंक के लिए आय अर्जन बंद कर देती है, तो वह अनर्जक आस्ति बन जाती है। 31 मार्च 2006 से, उस आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जो

- सावधि ऋण के मामले में ब्याज और/या यदि मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।
- ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/सीसी) खाता यदि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है।
- खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।
- अन्य खातों के मामले में यदि प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।
- अल्प अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि या ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों तक अतिदेय रहती है तथा दीर्घ अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि की किस्त या ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है।
- किसी खाते को तब एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान लगाए गए ब्याज का भुगतान तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से न किया गया हो।
- प्रतिभूतिकरण पर 1 फरवरी, 2006 के आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में, यदि चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक तक बकाया हो।
- डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य में सकारात्मक चिह्न वाले अतिदेय प्राप्य राशियां, यदि निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत्त हैं।

‘अनियमित’ स्थिति

यदि किसी खाते में बकाया राशि लगातार संस्वीकृत/आहरण सीमा से अधिक रहती है, तो उस खाते को ‘अनियमित’ माना जाता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष राशि संस्वीकृत/आहरण सीमा शक्ति से कम है, लेकिन बैंक के तुलन-पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है, अथवा इसी अवधि के दौरान खाते में डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे खातों को मअनियमितफमाना जाता है।

‘अतिदेय’

किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय किसी भी राशि की चुकौती यदि बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर नहीं की जाती है तो उसे ‘अतिदेय’ माना जाता है।

■ दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग:

निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार चूक* होने की स्थिति में विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों को वर्गीकृत करके ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान :

एसएमए उप श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार- मूलधन अथवा ब्याज भुगतान अथवा अन्य कोई राशि इस अवधि के दौरान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए-0	1-30 दिन
एसएमए- 1	31-60 दिन
एसएमए- 2	61-90 दिन

* चूक का अर्थ है, जब पूरी राशि या उसका कोई भाग अथवा ऋण की किस्त बकाया एवं देय हो गई हो तथा ऋणकर्ता अथवा कॉरपोरेट ऋणकर्ता द्वारा उसकी चुकौती न की गई हो। नगदी ऋण जैसी परिकामी ऋण सुविधाओं के मामले में उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चूक का अर्थ यह भी होगा कि बकाया शेष राशि 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, लगातार से अधिक बनी रहती है।

■ बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। वर्ष-दर-वर्ष, इस संबंध में नई उभरती अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर नीति और कार्यप्रणालियों में सुधार किया जाता रहा है। नीति तथा कार्यप्रणालियों को बेसल-खरख और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप ढाला गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के तहत एक्सपोजर में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

- व्यापक रूप से वित्तीय, व्यवसायिक, औद्योगिक तथा प्रबंधन जोखिमों में वर्गीकृत विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष जोखिम का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) मॉडलों/स्कोरिंग मॉडलों को विकसित व परिष्कृत करना, इनमें से प्रत्येक जोखिम को अलग-अलग स्कोर दिया जाता है।
- समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श जारी करना, बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों में पोर्टफोलियो को संभालने के लिए विशिष्ट नीतिगत सुझाव देना व मात्रात्मक एक्सपोजर मानदंड निर्धारित करने के लिए औद्योगिक शोध करना।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे चूक की संभावना (पीडी), चूक से हुई हानि (एलजीडी) तथा चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) की गणना शामिल है।

पिलर 3 प्रकटीकरण

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में एकल ऋणकर्ता, समूह ऋणकर्ता तथा उद्योगों जैसे आयामों में एक अच्छा विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिमों के संकेन्द्रण से बचने के लिए, एकल कंपनियों, समूह कंपनियों, बैंकों, व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं, गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं, पूँजी बाजार, भू-संपत्ति, संवेदनशील वस्तुओं आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों पर आंतरिक दिशानिर्देश विद्यमान हैं। जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए छमाही अंतराल पर क्रेडिट जोखिम तनाव परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

बैंक में एक ऋण नीति विद्यमान है, जिसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त संभावना रखते हुए ऋण की मूल बातों, मूल्यांकन कौशल, प्रलेखन मानकों तथा संस्थागत चिंताओं एवं कार्यनीतियों के बारे में जागरूकता के संबंध में एकसमान दृष्टिकोण विकसित कर पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा व नवीनीकरण, समस्या ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी इत्यादि के संबंध में बैंक की प्रक्रियाएं और नियंत्रण विद्यमान हैं। बैंक की एक ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली भी है जिसका उद्देश्य 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि के एक्सपोजर वाले ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। ऋण लेखापरीक्षा में विभिन्न स्तरों पर लिए गए ऋण संस्वीकृति निर्णयों की लेखा परीक्षा शामिल है। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में पूर्व-स्वीकृति प्रक्रिया और संस्वीकृति पश्चात स्थिति, दोनों की जांच की जाती है। ऋण लेखापरीक्षा में पहचाने गए जोखिमों की भी जांच की जाती है और जोखिम न्यूनीकरण के उपाय सुझाए जाते हैं।

डीएफ-3: 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण

(बीमा संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और गैर-वित्तीय संस्थाओं को बाहर रखा गया)

सामान्य प्रकटीकरण :

		रुपए करोड़ में	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
बी. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर	3338401.14	510596.72	3848997.86
सी. एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण: निधि आधारित/ गैर-निधि आधारित			
विदेश में	533570.52	76813.17	610383.69
देश में	2804830.62	433783.55	3238614.17
डी. उद्योग प्रकार एक्सपोजर संवितरण निधि आधारित / गैर-निधि आधारित अलग-अलग		कृपया तालिका ए देखें	
ई. आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन		कृपया तालिका बी देखें	
एफ. एनपीए की राशि (सकल) अर्थात (i से v) का योग			91874.12
i. अवमानक			12733.68
ii. संदिग्ध 1			11761.63
iii. संदिग्ध 2			21849.32
iv. संदिग्ध 3			18338.89
v. हानि			27190.60
जी. निवल एनपीए			21497.00
एच. एनपीए अनुपात			
i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए			2.75%
ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए			0.66%
आई. एनपीए (सकल) में कमी/वृद्धि			
i) प्रारंभिक शेष			112785.09
ii) वृद्धि			20161.30
iii) कमी			41072.27
iv) अंतिम शेष			91874.12

रुपए करोड़ में

मात्रात्मक प्रकटीकरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
जे. एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/वृद्धि			
i) प्रारंभिक शेष			84782.24
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			10922.65
iii) अपलेखन/अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			25327.77
iv) अंतिम शेष			70377.12
के. अनर्जक निवेशों की राशि			3822.42
एल. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधान की राशि			3104.75
एम. निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों वृद्धि/कमी			
प्रारंभिक शेष			10825.23
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			6997.40
अपलेखन			363.23
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			1214.72
अंतिम शेष			16244.68
एन. प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार के अनुसार			
एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, पिछले देय ऋण, अलग से प्रावधान किए गए			38696.98
निर्दिष्ट व सामान्य प्रावधान; तथा			-
वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान और अपलेखन			-
ओ. महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा विशिष्ट और सामान्य प्रावधानों सहित अलग से प्रदान किए गए			-
पिछले देय ऋणों और एनपीए की राशि			-
प्रावधान			-

तालिका- ए: डीएफ-3 (घ) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उद्योग-प्रकार के एक्सपोजर का संवितरण

(रुपए करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित शेष राशियाँ			गैर-निधि आधारित (शेष राशियाँ)
		मानक	एनपीए	कुल	
1	कोयला	5,163.74	368.09	5,531.83	5,080.50
2	खनन	17,117.69	75.90	17,193.59	4,015.27
3	लोहा और इस्पात	58,057.61	735.40	58,793.01	43,183.46
4	धातु उत्पाद	33,708.22	488.88	34,197.10	12,521.75
5	सभी इंजीनियरिंग	30,962.22	2,538.31	33,500.53	65,427.12
5.1	इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	5,634.97	95.56	5,730.53	4,593.58
6	बिजली	542.20	0.35	542.55	24.23
7	सूती वस्त्र	21,201.71	1,235.72	22,437.43	2,137.12
8	जूट वस्त्र	615.07	28.17	643.24	40.70
9	अन्य वस्त्र	10,792.15	1,123.02	11,915.17	2,553.82
10	चीनी	6,407.82	585.31	6,993.13	540.12
11	चाय	1,157.97	43.55	1,201.52	33.17
12	खाद्य प्रसंस्करण	54,178.41	3,911.91	58,090.32	4,444.82
13	वनस्पति तेल और वनस्पति	4,592.50	494.31	5,086.81	5,132.79
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	212.79	10.36	223.15	112.78

पिलर 3 प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित शेष राशियाँ			गैर-निधि आधारित (शेष राशियाँ)
		मानक	एनपीए	कुल	
15	कागज/कागज के उत्पाद	6,241.50	272.19	6,513.69	1,135.98
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	9,698.96	489.08	10,188.04	1,757.47
17	रसायन/रंग/पेंट आदि	96,403.76	1,472.28	97,876.04	57,445.85
17.1	इनमें से उर्वरक	14,059.76	27.65	14,087.41	12,884.90
17.2	इनमें से पेट्रोकेमिकल्स	45,419.38	50.57	45,469.95	39,789.89
17.3	इनमें से दवा व फार्मा	23,588.05	400.18	23,988.23	1,321.12
18	सीमेंट	7,469.36	717.04	8,186.40	4,346.57
19	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	2,037.97	158.18	2,196.15	315.86
20	रत्न और आभूषण	9,685.60	1,382.71	11,068.30	157.63
21	विनिर्माण	42,654.63	1,222.30	43,876.93	16,809.67
22	पेट्रोलियम	82,331.57	284.20	82,615.77	25,794.07
23	ऑटोमोबाइल व ट्रक	16,229.42	874.61	17,104.03	4,853.12
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,966.02	10.06	1,976.08	1,775.02
25	इंफ्रास्ट्रक्चर	3,79,517.09	19,164.32	3,98,681.41	72,753.88
25.1	इनमें से बिजली	1,99,455.67	4,420.36	2,03,876.03	30,181.50
25.2	इनमें से दूरसंचार	41,395.74	2,215.99	43,611.73	1,245.21
25.3	इनमें से सड़कें व बंदरगाह	94,161.62	6,690.84	1,00,852.46	20,335.72
26	अन्य उद्योग	5,03,147.43	29,976.54	5,33,123.97	1,18,579.79
27	एनबीएफसी व ट्रेडिंग	5,28,901.84	11,664.53	5,40,566.37	34,732.47
28	अवशिष्ट अग्रिम	13,15,531.79	12,546.80	13,28,078.59	24,891.67
	कुल	32,46,527.02	91,874.12	33,38,401.14	5,10,596.72

तालिका- बी डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2023* की स्थिति के अनुसार आस्तियों की शेष संविदागत परिपक्वता का विवरण

(रुपए करोड़ में)

अंतःप्रवाह	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से 3 माह और 3 माह तक	3 माह से 6 माह और 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1 नकदी	21553.25	10.40	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21563.65
2 भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	20056.44	3797.49	2089.21	2876.24	3523.87	2308.40	7721.07	49870.56	46041.86	24971.64	62435.84	225692.62
3 अन्य बैंकों के पास जमा शेष	46391.67	17405.44	1819.07	2009.39	833.12	1396.26	717.37	3874.66	1057.57	434.07	423.24	76361.85
4 निवेश	13912.15	19047.81	64673.83	104663.86	306716.57	242920.25	585216.84	126207.98	26085.01	7466.82	108893.07	1605804.19
5 अग्रिम	31452.55	26065.30	23933.02	55036.81	91346.93	68494.18	197461.92	242929.71	1179095.60	498168.06	869939.39	3283923.47
6 अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	90.93	161.59	147.00	43344.34	43743.87
7 अन्य आस्तियां	13476.00	40062.23	42293.95	29947.51	22857.14	19911.49	32064.74	47932.18	25011.89	38016.03	90712.86	402286.02
कुल	146842.05	106388.66	134809.08	194533.81	425277.63	335030.58	823181.95	470906.02	1277453.52	569203.62	1175748.75	5659375.67

* नोट्स:

- बीमा संस्थाएं, बैंक-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यमों, विशेष प्रयोजन माध्यम तथा अंतःसमूह समायोजन को शामिल नहीं किया गया है।
- निवेशों में अनर्जक निवेश शामिल हैं और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।
- 23 मार्च, 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर बकेटिंग संरचना को संशोधित किया गया है।

पिलर 3 प्रकटीकरण

डीएफ-4: ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

■ उपयोग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ ही किसी भी परिवर्तन का कारण

(अ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने घरेलू और विदेशी एक्सपोजर की रेटिंग के उद्देश्य से क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, एक्वूट रेटिंग्स एंड रिसर्च तथा इन्फोमेरिक्स (घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) और फिच, मूडीज और एसएंडपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) की पहचान अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में की है, जिनकी रेटिंग का उपयोग जोखिम-भारित आस्तियों और पूंजीगत प्रभार की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।

■ एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है

- एक वर्ष या उससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजर (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिक्रामी ऋण को छोड़कर) के लिए, अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।
- कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी क्रेडिट (अवधि चाहे कुछ भी हो) तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के सावधिक ऋण एक्सपोजर के लिए, दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

■ पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों के रूप में अंतरित करने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण

बैंक के बाह्य रेटिंग संरचना के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घावधि तथा लघु अवधि एक्सपोजर को दी गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग को बैंक द्वारा प्रत्येक मामले में विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
- विदेशी सरकारी और विदेशी बैंक एक्सपोजर, उन्हें दी गई जारीकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम-भारित होते हैं।
- बैंक सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा विगत 15 महीनों में कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा की गई है और उपयोग करने की तिथि को यह मान्य है।
- जहां विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा एक इकाई को कई जारीकर्ता रेटिंग सौंपी जाती हैं, वहां जोखिम भार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:
 - यदि किसी विशेष दावे के लिए चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा केवल एक रेटिंग है, तो उस रेटिंग का उपयोग दावे के जोखिम भार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
 - यदि चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दो रेटिंग प्रदान की जाती हैं, जो विभिन्न जोखिम भारों में मापी जाती हैं, तो उच्च जोखिम भार लागू किया जाता है।
 - यदि अलग-अलग जोखिम भार वाली चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक रेटिंग प्रदान की जाती हैं, तो दो सबसे कम जोखिम भार के अनुरूप रेटिंग को संदर्भित किया जाता है और उन दो जोखिम भार में से उच्च को लागू किया जाता है, अर्थात्, दूसरा सबसे कम जोखिम भार।

दीर्घावधि इश्यू विशिष्ट रेटिंग (बैंक के स्वयं के एक्सपोजर या उसी ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी अन्य ऋण के लिए) अथवा जारीकर्ता (ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग का उपयोग उसी ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य गैर-रेटेड एक्सपोजर के लिए निम्नलिखित मामलों में किया जाता है:

- यदि इश्यू विशिष्ट रेटिंग या जारीकर्ता रेटिंग गैर-रेटेड एक्सपोजर के बराबर या उससे अधिक जोखिम भार के अनुरूप है, तो उस प्रतिपक्ष के किसी भी अन्य गैर-रेटेड एक्सपोजर को वही जोखिम भार दिया जाएगा, यदि एक्सपोजर सभी प्रकार से रेटेड एक्सपोजर के सममात्रा में या उससे कम है।
- ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने ऋण जारी किया है (जो बैंक से लिया गया ऋण नहीं है), तो यदि बैंक का एक्सपोजर सभी प्रकार से विशिष्ट रूप से रेटेड ऋण के समान या उससे अधिक है तथा बैंक के गैर-रेटेड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटेड ऋण की परिपक्वता के बाद की नहीं है तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के गैर-रेटेड एक्सपोजर पर लागू होती है।

31.03.2023 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

(ब) एक्सपोजर राशियों के लिए जोखिम न्यूनीकरण के बाद मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्रत्येक जोखिम बकेट में समूह की बकाया राशि (रेटेड और गैर-रेटेड) के साथ-साथ घटाई गई राशियाँ	राशि
100% से कम जोखिम भार	24,89,255.87
100% जोखिम भार	10,75,897.41
100% से अधिक जोखिम भार	2,83,844.58
कटीती	0.00
कुल	38,48,997.86

डीएफ-5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- तुलन पत्र में शामिल तथा शामिल न की गई निवलीकरण नीतियां व प्रक्रियाएं तथा बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**
 तुलन पत्र की निवलीकरण मर्दे केवल ऐसे ऋणों/अग्रिमों तक सीमित हैं, जिनके संबंध में बैंक के पास विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ब्रह्मणाधिकार उपलब्ध है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूँजी आवश्यकताओं का आकलन करता है:
 जहां बैंक,
 - यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि प्रतिपक्ष के दिवालिया हो जाने पर या दिवालिया न होने पर भी प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में लागू करने योग्य निवलीकरण या ऑफसेटिंग समझौते का एक सुस्थापित कानूनी आधार उपलब्ध है;
 - किसी भी किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों को निवलीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित कर सकता है; तथा
 - निवलीकरण के आधार पर संबंधित एक्सपोजर की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, बैंक ऋणों/अग्रिमों तथा जमाराशियों के निवल एक्सपोजर को अपने पूँजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋणों/अग्रिमों को एक्सपोजर तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना जाता है।
- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ**
 बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। इस नीति का भाग बी ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन से संबंधित है, जो पूँजी गणना के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।
 इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण का वर्गीकरण तथा आकलन इस तरह से करना है कि विनियामक पूँजी समायोजन किया जा सके।
 - ऋण जोखिम न्यूनीकरणों का वर्गीकरण
 - स्वीकार्य ऋण जोखिम-न्यूनीकरण
 - ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के लिए आवश्यक प्रलेखीकरण एवं विधिक प्रक्रियाएँ
 - संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
 - मार्जिन एवं संतुलन आवश्यकताएँ
 - बाह्य रेटिंग

पिलर 3 प्रकटीकरण

- vii. संपादित प्रतिभूति की अभिरक्षा
- viii. बीमा
- ix. ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों की निगरानी
- x. सामान्य दिशानिर्देश

बैंक द्वारा ली गई प्रमुख प्रकार की प्रतिभूतियों का विवरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत समान्यतः निम्नलिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में माना जाता है:

नकदी अथवा नकदी के समान (बैंक जमा/राष्ट्रीय बचत पत्र/ किसान विकास पत्र/ एलआईसी पॉलिसी, इत्यादि)

स्वर्ण

केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों

अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी- अथवा बेहतर/-3 रेट की गई ऋण प्रतिभूतियाँ

मुख्य प्रकार के गारंटर पक्षकार और उनकी ऋण पात्रता

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटर के रूप में स्वीकार करता है:

- सरकार, सरकारी संस्थाएँ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक एवं यूरोपीय समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात कृण एवं गारंटी निगम (ईसीजीसी) और सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), बैंक तथा प्राथमिक डीलर जिनका जोखिम भार प्रतिपक्षकार से कम हो।
- एए या बेहतर की बाह्य रेटिंग वाले अन्य गारंटर। यदि गारंटर मूल कंपनी, संबद्ध या सहायक कंपनी है, तो बैंक द्वारा गारंटीकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए उनका जोखिम भार ऋणकर्ता से कम होना चाहिए। गारंटर की रेटिंग एक इकाई की रेटिंग के रूप में होनी चाहिए। जिसमें इकाई की सभी देनदारियों तथा प्रतिबद्धताएँ (गारंटियों सहित) शामिल हों।

जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के भीतर (बाजार या क्रेडिट) जोखिम संकेंद्रण के बारे में जानकारी:

बैंक के पास विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों से प्रतिभूतिकृत आस्तियों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो है, जैसे: -

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकारों तथा अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियाँ,
- प्रतिपक्षकार की अचल आस्तियाँ तथा चालू आस्तियाँ

31.03.2023 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

	(करोड़ रुपए में)
(ख) अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो, तुलन पत्र अथवा तुलन पत्र इतर में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे निर्धारित कटौती लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	3,66,260.51
(ग) अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो, तुलन पत्र अथवा तुलन पत्र इतर में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे गारंटी/क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा सुरक्षित किया जाता है (जहाँ विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है)।	1,26,219.17

डीएफ-6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए)	गुणात्मक प्रकटीकरण प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता जिसमें यह चर्चा शामिल है: प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक के उद्देश्य, जिसमें इन गतिविधियों से बैंक द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के ऋण जोखिम को अन्य संस्थाओं को अंतरित करना भी शामिल हैं।	बैंक की जोखिम लेने की क्षमता का पालन करते हुए रिटर्न का अनुकूलन करने, तरलता सुनिश्चित करने और बैंक की प्राथमिकता वाले क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिभूतिकरण संपत्ति (पीटीसी और पीएसएलसी) में बैंक का निवेश।
	प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप (उदाहरण के लिए चलनिधि जोखिम)	क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटररेट रेट रिस्क, प्रीपेमेंट रिस्क, परफॉर्मेंस/सर्विसर रिस्क।
	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाएँ (उदाहरण के लिए: प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, निवेशक: बैंक वित्तीय संपत्तियों द्वारा समर्थित पीटीसी ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, स्वैप प्रदाता®, संरक्षण प्रदाता*) तथा प्रत्येक में बैंक की भागीदारी की सीमा @ यदि विनियामक नियमों के अधीन अनुमति हो तो अंतर्निहित आस्तियों की ब्याज दर/मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसी ब्याज दर स्वैप अथवा मुद्रा स्वैप के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण संरचना में किसी बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। # यदि विनियामक नियमों के अनुसार अनुमति हो तो बैंक गारंटी, ऋण डेरिवेटिव्स अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य उत्पाद के माध्यम से किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।	बैंक ने प्रतिभूतिकरण उत्पाद में निवेश किया है। बैंक और पीएसएलसी में निवेश करता है।
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तन की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं का विवरण (उदाहरण के लिए, अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव प्रतिभूति एक्सपोजर को कैसे प्रभावित करता है, जैसाकि एनसीएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है)।	बैंक ने प्रतिभूतिकरण उत्पाद में निवेश किया है। बैंक रेटिंग प्रवासन पर नज़र रखता है और प्रतिभूतिकरण जोखिम पर पूंजीप्रभार प्रदान करता है।
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर्स के माध्यम से बने जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बैंक की नीति का विवरण;	बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार
(बी)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, जिसमें शामिल हैं:	
	क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है; बनाए रखी गई या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन हेतु लागू की गई पद्धतियाँ व प्रमुख पूर्वानुमान (इनपुट सहित); पिछली अवधि से पद्धतियों तथा प्रमुख अवधारणाओं में परिवर्तन व उन परिवर्तनों का प्रभाव; उन व्यवस्थाओं के लिए जिनके लिए बैंक को जिन प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, उनके लिए तुलनपत्र में देनदारियों को पहचानने की नीतियाँ।	वित्तपोषण एफआईएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू नहीं है लागू नहीं है
	तुलनपत्र से इतर साधनों के प्रायोजन का विवरण	शून्य
	प्रतिभूतिकरण जोखिम के संबंध में मूल्यांकन	एफआईएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार
(सी)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग किए गए ईसीआई के नाम तथा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया गया है।	लागू नहीं है
मात्रात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही		
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य
(ई)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा लेखे में शामिल की गई प्रतिभूतिकृत हानियों, एक्सपोजर के प्रकार (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण इत्यादि का अंतर्निहित प्रतिभूति सहित विस्तृत विवरण) वर्गीकृत किया गया है।)	शून्य
(एफ)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकरण के लिए संभावित आस्तियों की राशि	शून्य
(जी)	(एफ) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के भीतर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं है
(एच)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि (एक्सपोजर प्रकार के अनुसार) तथा उस एक्सपोजर प्रकार के अनुसार बिक्री पर लाभ या हानि जिसे लेखे में शामिल नहीं किया गया है।	शून्य
(आई)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर का उसके प्रकार के अनुसार विवरण तथा	शून्य
	तुलन-पत्र से इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर एक्सपोजर प्रकार के अनुसार विभाजित	शून्य

पिलर 3 प्रकटीकरण

(जे)	बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और उससे संबंधित पूँजी खर्च की कुल राशि, एक्सपोजर के अनुसार अलग-अलग तथा आगे विनियामक द्वारा अलग-अलग जोखिम के लिए निर्धारित भार बैंड के अनुरूप अलग-अलग जोखिम भार का उल्लेख	शून्य
	पूरी तरह से टियर 1 पूँजी से घटाए गए एक्सपोजर, कुल पूँजी से घटाए गए ऋण बढ़ाने वाले आई/ओ तथा कुल पूँजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर हैं (एक्सपोजर प्रकार के अनुसार)	शून्य
मात्रात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही		
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर यथावत बनाए रखा है तथा जिसका आकलन बाजार जोखिम पद्धति दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है, एक्सपोजर प्रकार के अनुसार विवरण	शून्य
(एल)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर का विवरण, एक्सपोजर प्रकार के अनुसार; तथा	रु.3,663.54 करोड़
	तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर का विवरण; एक्सपोजर प्रकार के अनुसार	शून्य
(एम)	निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल राशि:	शून्य
	विशिष्ट जोखिम के लिए संपूर्ण व्यापक जोखिम उपाय के अधीन बनाए रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर, तथा	शून्य
	अलग-अलग जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण संरचना के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर।	शून्य
(एन)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	विभिन्न जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित प्रतिभूतिकरण संरचना के अधीन, प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूँजी आवश्यकताएँ।	रु.168.42 करोड़
	पूरी तरह से टियर 1 पूँजी से घटाए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, कुल पूँजी से घटाए गए ऋण संवर्धन वाले आई/ओ तथा कुल पूँजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर प्रकार अनुसार)	शून्य
(ओ)	बैंकिंग बही में प्रतिभूतिकरण जोखिम का विवरण :	शून्य

(पी) ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतिकरण जोखिम का विवरण:

i. 31.03.2023 तक प्रतिभूतिकरण जोखिम बनाए रखा या खरीदा गया

(रु. करोड़ में)

एक्सपोजर प्रकार ¹	ऑन बैलेन्स शीट	ऑफ बैलेन्स शीट	कुल
वाहन/उपकरण ऋण	2995.77	शून्य	2995.77
गृह ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
वैयक्तिक ऋण	27.89	शून्य	27.89
असुरक्षित ऋण	639.88	शून्य	639.88
स्वर्ण/आभूषण ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
कारपोरेट ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	3663.54	शून्य	3663.54

1. प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर में बैंक द्वारा उत्पन्न पीटीसी के साथ-साथ तृतीय पक्ष द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के मामले में खरीदे गए पीटीसी शामिल हैं।

ii. 31.03.2023 को प्रतिभूतिकरण जोखिम के जोखिम भार बैंड ब्रेक-अप का विवरण

(रु. करोड़ में)

	100% जोखिम भार	100% जोखिम भार	100% जोखिम भार	100% जोखिम भार
एक्सपोजर	3,663.54	-	-	3,663.54
कुल पूँजीप्रभार	168.42	-	-	168.42

डीएफ-7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

अ) गुणात्मक प्रकटीकरण:

- (1) बैंक बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता की गणना करने के लिए मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुसरण करता है।
- (2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिशासन संरचना के अनुसार बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कार्य कर रहा है।
- (3) एमआरएमडी ट्रेजरी परिचालनों से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान, उनके आकलन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है।
- (4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित, सुपरिभाषित बाजार जोखिम प्रबंधन मानकों सहित निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं:
 - क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
 - ख) बाजार जोखिम सीमा नीति
 - ग) निवेश नीति
 - घ) ट्रेडिंग नीति
 - ङ) बाजार जोखिम के लिए दबाव जांच नीति
- (5) जोखिम निगरानी एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें जोखिम की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति व बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है।
- (6) जोखिम प्रबंधन तथा उसकी रिपोर्टिंग वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आशोधित अवधि, पीवी01, ऑप्शन ग्रीक, अधिकतम अनुमत एक्सपोजर, जोखिम मूल्य सीमा, संकेद्वय जोखिम सीमा, निम्न व ऊपरी प्रबंधन कार्रवाई ट्रिगर जैसे मापदंडों पर आधारित हैं।
- (7) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा खुली स्थिति सीमा (दैनिक/एकदिवसीय), हानि रोध सीमा, सकल अंतराल सीमा (एजीएल), एकल अंतराल सीमा (आईजीएल) की निगरानी की जाती है और यदि कोई अपवाद हो, तो इसकी सूचना बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।
- (8) जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। वीएआर संख्या की बैंक-टेस्टिंग प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम के पूरक के रूप में त्रैमासिक अंतराल पर दबाव परीक्षण किया जाता है। इसके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।
- (9) विदेश स्थित संबंधित कार्यालय स्थानीय विनियामक और भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम की निगरानी करते हैं। एकल निवेश के लिए हानि रोध सीमा तथा कतिपय पोर्टफोलियो के लिए एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है।
- (10) बैंक ने बाजार जोखिम हेतु पूँजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण पद्धति अर्थात् आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण पद्धति अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र (एलओआई) प्रस्तुत किया है।

ब) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बाजार जोखिम पर पूँजी प्रभार

बैंक मानकीकृत माप पद्धति के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार को निम्नानुसार बनाए रखता है।

श्रेणी	(करोड़ रुपए में)
31.03.2023	
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव सहित)	12,373.98
इक्विटी स्थिति जोखिम	10,894.61
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	902.31
कुल	24,170.90

पिलर 3 प्रकटीकरण

डीएफ-8: परिचालन जोखिम

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन

- भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की एकीकृत जोखिम अभिशासन संरचना के अंतर्गत संबंधित मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय स्टेट बैंक में, मुख्य जोखिम अधिकारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों को संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में उनके व्यवसाय मॉडल तथा विनियामकों की आवश्यकताओं अनुसार निपटाया जा रहा है।
- भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम पर नियंत्रण एवं न्यूनीकरण नीतियां

घरेलू बैंकिंग संस्थाएं (एसबीआई)

एसबीआई में निम्नलिखित नीतियां, रूपरेखा दस्तावेज़ और मैनुअल लागू हैं:

नीतियाँ और रूपरेखा दस्तावेज़

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में, व्यवस्थित और अतिसक्रिय पहचान, आकलन, मापन, निगरानी, न्यूनीकरण तथा परिचालन जोखिमों की रिपोर्टिंग के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल है।
- लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- बाह्य लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- आईटी नीति और मानक;
- आईटी प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश
- साइबर सुरक्षा नीति
- सूचना सुरक्षा नीति
- व्यवसाय निरंतरता एवं परिचालन आघात-सहनीयता (बीसीएंडओआर) नीति;
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) नीति;
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक तथा धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तपोषण निवारक उपायों संबंधी नीति;
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति;
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति;
- बीमा पर नीति;

नियम पुस्तिका (मैनुअल)

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- लॉस डेटा प्रबंधन मैनुअल
- व्यापार निरंतरता और परिचालन आघात-सहनीयता (बीसीएंडओआर) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) योजना

घरेलू गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए उनके व्यवसायिक मॉडल से संबंधित तथा विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां व मैन्युअल विद्यमान हैं। कुछ विद्यमान नीतियां इस प्रकार हैं- आपदा प्रबंधन योजना/व्यापार निरंतरता योजना, घटना रिपोर्टिंग तंत्र, नियर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति इत्यादि।

ख. रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

घरेलू बैंकिंग संस्थाएं (एसबीआई)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के अलावा बैंक में विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन समितियां जैसे मंडलों में आरएमसीएओ, आरएमसीसी तथा व्यवसाय एवं सहायता समूहों (आरएमसी-आर एंड डीबी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीएजी, आरएमसी-सीसीजी, आरएमसी-एसएआरजी और आरएमसी-आईटी) में आरएमसी स्थापित की गई हैं।
- बेसल परिभाषित 8 बिजनेस लाइन और 7 लॉस इवेंट टाइप अनुसार परिचालन जोखिमों के कारण आंतरिक और बाह्य हानि का एक व्यापक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया मौजूद है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए नियर मिस इवेंट तथा बाह्य हानि को भी कैप्चर किया जाता है।
- जोखिम तथा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) वर्तमान नियंत्रणों में यदि कोई कमी हो तो उनकी पहचान के लिए कार्यशाला-आधारित एक अति-सक्रिय अभ्यास कार्य है। इसमें जोखिम न्यूनीकरण के लिए सिस्टम और नियंत्रण में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आरसीएसए से स्टाफ सदस्यों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायता मिलती है। आरसीएसए अभ्यास वार्षिक आधार पर बैंक शाखाओं, सीपीसी और कार्यालयों में किया जाता है। बैंक उत्पादों/प्रक्रियाओं के लिए थीम आधारित आरसीएसए भी आयोजित करता है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, बैंक ने 16 थीम-आधारित आरसीएसए अभ्यास आयोजित किए हैं और 44 उत्पादों/प्रक्रियाओं के लॉन्च/समीक्षा के समय आरसीएसए अभ्यास (साइन ऑफ) आयोजित किए गए, जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ बनाई गईं तथा उच्च एवं महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए कार्यान्वयित की गईं। आरसीएसए अभ्यास के दौरान, बैंक प्रणाली एवं नियंत्रण में अधिक सुधार के लिए प्राप्त सुझावों पर व्यवसाय धारकों द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।
- आरंभिक एवं निगरानी प्रणाली से सभी व्यवसाय एवं सहायता समूह में प्रमुख प्रमुख संकेतक (केआई) की पहचान की गई है। आरएमसी, ओआरएमसी और आरएमसीबी द्वारा तिमाही अंतराल पर केआई की निगरानी की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान गहन अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 10 शीर्ष केआई की पहचान की गई है।
- बेसल-II दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी के लिए आंतरिक प्रणालियों का विकास किया गया है।

अन्य

घरेलू बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिमों को नियंत्रित करने और उनके न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- अनुदेश पुस्तिका (सामान्य अनुदेशों पर मैन्युअल, ऋण और अग्रिमों पर मैन्युअल) जारी की है हैं, जिनमें विभिन्न बैंकिंग लेनदेनों की प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में आशोधन तथा नियमित रूप से ई-परिपत्रों/मास्टर परिपत्रों के माध्यम से उन्हें अद्यतन किया जा रहा है। दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों को ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित अद्यतन नियमावली तथा परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों के संस्वीकृत अधिकारों का विवरण दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल के एक भाग के रूप में परिचालन जोखिम पर जानकारी को शामिल किया गया है।

पिलर 3 प्रकटीकरण

- बीमा पर बैंक की नीति के अनुसार धोखाधड़ी को छोड़कर अधिकांश संभावित परिचालन जोखिमों के लिए बीमा कवर प्राप्त किया जाता है।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता तथा प्रभावशीलता की जांच एवं मूल्यांकन तथा कतिपय नियंत्रण प्रक्रियाओं की कार्यशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं, आचार संहिताओं एवं नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं।
- किसी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की बहाली और पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति तथा मैन्युअल बैंक में मौजूद हैं।
- अवकाश नीति का सख्ती से अनुपालन।
- जिन शाखाओं में आरसीएसए प्रस्तावित नहीं है, वहाँ आरसीएसए-संक्षिप्त का संचालन।

घरेलू गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

घरेलू गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों में प्रणालियों व प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

ग) जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का दायरा व स्वरूप

- समूह की सभी इकाइयों में धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्टों को शीघ्र प्रस्तुत करने की एक प्रणाली विद्यमान है।
- समूह की सभी इकाइयों में निवारक सतर्कता और व्हिसल ब्लोइंग की एक व्यापक प्रणाली स्थापित है।
- सभी शाखाओं के आरसीएसए/आरसीएसए-संक्षिप्त अभ्यास से सामने आए महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए परिदृश्य विश्लेषण तथा लॉस डेटा/एनएमई विश्लेषण के संबंध में नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को सूचित किया जाता है और निरंतर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु विगत 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजीगत भर के साथ मौलिक संकेतक दृष्टिकोण पद्धति लागू की गई है, बीमा कंपनियों को छोड़ दिया गया है।

डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, वर्तमान ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋण एवं निवेश की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारकों में सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बैंक पर बढ़ती या घटती ब्याज दरों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि तुलनपत्र आस्ति संवेदनशील है या देयता संवेदनशील। बैंक अपने तुलनपत्र में शामिल तथा तुलनपत्र-इतर एक्सपोजर पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से करता है।

1.1 संरचना और संगठन

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ) तुलनपत्र जोखिमों की लगातार पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की एलएम नीति के माध्यम से इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन हेतु मानकों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, एलसीओ समय-समय पर जोखिम और प्रतिलाभों, निधियाँ एवं विनियोजन, बैंक के ऋण व जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारण तथा निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी व नियंत्रण करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) एलएम 2 प्रणाली के कार्यान्वयन को देखती है तथा समय-समय पर इसके कामकाज की समीक्षा करती है और दिशानिर्देश देती है। यह, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए एलसीओ द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है।

1.2 जोखिम रिपोर्टिंग और मापन प्रणालियों का क्षेत्र तथा स्वरूप

भारतीय रिजर्व बैंक ने पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (आईआरएस-टीजीए) के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के विवरण के माध्यम से मासिक अंतराल पर ब्याज दर जोखिम की निगरानी निर्धारित की है। तदनुसार, एएलसीओ मासिक आधार पर आईआरएस-टीजीए की समीक्षा करती है और जोखिम पर आय (ईएआर) की मॉनिटरिंग करती है। आस्तियों व देयताओं पर ब्याज दर में समानांतर परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में परिवर्तन का आकलन करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर अवधि अंतर विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान करने का भी निर्देश दिया है। बैंक यह विश्लेषण मासिक आधार पर करता है। इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति व देयताओं के मूल्य में परिवर्तन को पहचानकर आईआरएस-टीजीए के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) तथा आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समानांतर परिवर्तन का अनुमान है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): ब्याज दरों में परिवर्तन का तुरंत प्रभाव बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) में परिवर्तन से अर्जन पर पड़ता है। जोखिम पर अर्जन, लघु अवधि में (एक वर्ष में प्रभाव) एनआईआई पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए उपयोगी है। जोखिम पर अनर्जन गणना में बैंकिंग बही तथा ट्रेडिंग बही दोनों शामिल हैं।

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घकालिक प्रभाव बैंक की देयताओं एवं तुलन पत्र बाह्य स्थितियों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम बैंक के इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या निवल मालियत पर पड़ता है। यद्यपि मूल्य में इन परिवर्तनों का प्रभाव आय पर नहीं पड़ता, फिर भी इनका प्रभाव बैंक की पूँजी की स्थिति पर पड़ता है।

बैंक अपने घरेलू तथा विदेश में परिचालन के लिए आईआरआरबीबी को प्रबंधित करने के ढाँचे के हिस्से के रूप में एमवीई दृष्टिकोण का उपयोग करता है। एमवीई के प्रभाव का आकलन संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही पर अलग से किया जाता है। आईआरआरबीबी की प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए, एएलएम नीति में संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही के लिए भिन्न-भिन्न एमवीई सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

1.3 जोखिम हेडजिंग तथा न्यूनीकरण नीतियां

बैंक में, हेडजिंग लेनदेन करने के लिए एक नीति विद्यमान है। अंतर्निहित तथा तात्कालिक बाजार परिस्थितियों के आधार पर बैंक निर्धारित आस्तियों तथा देयताओं के लिए हेडजिंग लेनदेन करता है। ब्याज दर स्वेप, ओआईएस, फॉरवर्ड दर करार तथा क्रॉस मुद्रा स्वेप जैसी डेरिवेटिव लिखतों को बैंक द्वारा हेडजिंग तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

- 2.1** 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, यील्ड वक्र में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एनआईआई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित टेबल में बताया गया है):

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

	(रुपए करोड़ में)
निवल ब्याज दर पर प्रभाव	
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्तियों एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	10,117.34
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्तियों एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	20,234.68

- 2.2** 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, यील्ड वक्र में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एमवीई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित टेबल में बताया गया है):

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

	(रुपए करोड़ में)
इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव	
इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) - बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	19,458.89
इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) - बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	38,917.78

पिलर 3 प्रकटीकरण

डीएफ-10: काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा घरेलू बैंकों, विदेशी बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक डीलरों, लघु वित्त बैंकों तथा पेमेंट बैंकों के लिए काउंटरपार्टी एक्सपोजर की सीमा राशि निर्धारित करने के लिए स्कोरिंग मॉडल का उपयोग किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की सभी व्यावसायिक इकाइयों अर्थात् सीएजी, सीसीजी, आरएंडडीबी, ग्लोबल मार्केट तथा आईबीजी को एक्सपोजर सीमा का आवंटन करता है, इस एक्सपोजर सीमा का आवंटन इन इकाइयों द्वारा अपनी विभिन्न परिचालन इकाइयों के बीच किया जाता है।

संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्गीकरण तथा पहचान

बैंक आंतरिक संस्वीकृति तथा/अथवा विनिर्मायक पूँजीगत छूट प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की स्वीकृति, पहचान तथा मूल्य निर्धारण केवल तभी करता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली गई हों:

- सभी प्रासंगिक अधिकारी क्षेत्रों में प्रतिभूति की प्रवर्तनीयता तथा प्रभावकारिता विधिक रूप से सुनिश्चित हो।
- ऋण और संपार्श्विक दस्तावेजों के संबंध में सभी संविदात्मक एवं सांविधिक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हों।
- बैंक ने संबंधित संपार्श्विक के लिए विधिक प्रभार (प्रथम विधिक ऋण-प्रभार के अतिरिक्त द्वितीयक/गौण या सममात्रा ऋण प्रभार भी) प्राप्त कर लिया हो।
- इस विधिक प्रणाली के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है या अंतरित किर्झा जाता है, काउंटर पार्टी या अन्य पक्ष द्वारा चूक करने, दिवालिया हो जाने की स्थिति में उस प्रणाली में प्रतिभूति के समय पर परिसमापन करने या कब्जे में लेने का अधिकार बैंक को हो।
- संपार्श्विक प्रतिभूति के समय पर परिसमापन हेतु बैंक में स्पष्ट व सुदृढ़ कार्यविधि उपलब्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी द्वारा की गई चूक को घोषित करने तथा संपार्श्विक प्रतिभूति के परिसमापन के लिए विधिक शर्तें पूरी की गई हैं तथा संपार्श्विक प्रतिभूति का परिसमापन तत्काल किया जा सकता है।

आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) पूँजी पात्रता की गणना के लिए संपार्श्विक द्वारा आरबीआई, आईआरबी दिशानिर्देशों में दिए गए सभी परिचालन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह से पूर्व डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटर पार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटर पार्टी जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम के न्यूनीकरण के लिए डेरिवेटिव्स लेनदेन केवल उन्हीं पार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋण सीमाएं अनुमोदित की गई हैं। बैंक के लिए काउंटर पार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मानदंडों जैसे निवल मालियत, पूँजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग इत्यादि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया जाता है। कॉर्पोरेटों की डेरिवेटिव्स सीमा का आकलन तथा संस्वीकृति का संयोजन नियमित ऋण सीमा के हिस्से के रूप में किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

अनुमानिक एवं चालू ऋण एक्सपोजर का संवितरण	अनुमानिक	वर्तमान ऋण एक्सपोजर	(रुपए करोड़ में)
			राशि के अंतर्गत वर्तमान ऋण पद्धति (सीईएम)
ए) ब्याज दर स्वेप	768634.27	4021.11	9932.30
बी) क्रॉस मुद्रा स्वेप	92668.63	2299.24	9080.65
सी) मुद्रा ऑप्शन्स	55325.81	29.39	1774.55
डी) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	906106.51	5011.26	26990.90
ई) मुद्रा फ्यूचर्स	-	-	-
एफ) फॉरवर्ड रेट एग्जीमेंट्स	300.66	-	-
जी) अन्य (कृपया उत्पाद का नाम बताएं) - एनडीएफ	103372.16	333.63	2401.07
कुल	1926408.04	11694.62	50179.47
क्रेडिट डेरिवेटिव्स लेन-देन		शून्य	

डीएफ-11: पूँजी संरचना

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखतें एवं आरक्षित निधियाँ			संदर्भ सं. (डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता कॉमन शेयर पूँजी तथा संबंधित स्टॉक्स अधिशेष (शेयर लाभांश)	80007.94	ए1 + बी3
2	यथावत रखा गया अर्जन	209920.68	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 + बी9 (#)
3	अन्य कुल संचित आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	23237.42	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	सीईटी 1 से कटीती के अधीन सीधे जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी कॉमन शेयर पूँजी तथा तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिधारित (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	2165.45	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी	315331.49	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	530.86	
8	साख (संबंधित कर देयता के पश्चात)	1538.36	ऊ
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता के पश्चात)	10.66	
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	48.47	
11	नकदी-प्रवाह हेज रिजर्व	0.00	
12	संभावित हानियों के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	नियत-लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियाँ	0.00	
16	अपने शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में पहले से कम नहीं किया गया हो तो)	258.57	
17	कॉमन इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	3.95	
18	उन बैंकिंग, वित्त तथा बीमा संस्थाओं की कॉमन पूँजी में निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य के क्षेत्र के बाहर हैं तथा जहां पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूँजी में बैंक की अपनी पूँजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र शॉर्ट पोজीशन घटाकर (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
21	अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाने के बाद 10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
22	15% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	इसमें से: अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	1373.66	
26ए	इसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	1319.68	
26बी	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	53.98	
26सी	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई, आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में कमी	0.00	

पिलर 3 प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

कॉमन इकिटी टियर 1 पूँजी: लिखतें एवं आरक्षित निधियाँ			संदर्भ सं. (डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
26डी	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 इकिटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
28	कॉमन टियर 1 इकिटी में कुल विनियामक समायोजन	3764.53	
29	सामान्य इकिटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1)	311566.96	
अतिरिक्त टियर 1 पूँजी : लिखतें			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता अतिरिक्त टियर 1 लिखतें तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर लाभांश) (31+32)	49842.70	
31	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत इकिटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयर)	0	
32	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखतें)	49842.70	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम करने के लिए सीधे जारी की गई पूँजी लिखतें	0	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी लिखतें पंक्ति 5 में शामिल नहीं की गई हैं) (राशि समूह एटी 1 में अनुमत)	406.02	
35	इसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो कम होने वाली हैं	0.00	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	50248.72	
अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन			
37	अपनी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारणाएँ	150.00	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूँजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय पोजीशन को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
40	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को छोड़कर)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	
41ए	इसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों कि अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश	0.00	
41बी	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश	0.00	
42	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी के प्रति कुल विनियामक समायोजन	150.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	50098.72	
45	टियर 1 पूँजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	361665.68	
टियर 2 पूँजी: लिखतें तथा प्रावधान			
46	सीधे जारी अर्हक टियर 2 लिखतें तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य	35014.10	
47	टियर 2 से कम की जाने वाली, जारी पूँजीगत लिखतें	513.88	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित टियर 2 लिखतें (तथा सीईटी 1 व एटी 1 लिखतें जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं की गई हैं) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	854.52	
49	इनमें से : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें, जो कम होने वाली हैं।		
50	प्रावधान	38527.59	
51	विनियमन समायोजन से पूर्व टियर2 पूँजी	74910.09	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखतें एवं आरक्षित निधियाँ		संदर्भ सं. (डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
टियर 2 पूँजी: विनियामक समायोजन		
52	अपनी टियर 2 लिखतों में निवेश	2.4
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	0
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूँजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय पोजीशन को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00
55	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को छोड़कर)	13.48
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00
56ए	इनमें से : असमेकित बीमा अनुबंधियों कि अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0.00
56बी	इनमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0.00
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	15.88
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	74894.21
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	436559.89
60	कुल ऋण भारत आस्तियाँ (60ए + 60बी + 60सी)	2941677.94
60ए	इनमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियाँ	2349191.85
60बी	इनमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियाँ	302136.3
60सी	इनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ	290349.79
पूँजी अनुपात एवं बफर्स		
61	कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.59
62	टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.29
63	कुल पूँजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.84
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारत परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता तथा पूँजी संरक्षण तथा काउंटर साइक्लिकल बफर आवश्यकताएँ तथा जी-एसआईबी बफर आवश्यकता)	8.60
65	इनमें से: पूँजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50
66	इनमें से: बैंक विशिष्ट काउंटर चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00
67	इनमें से: डी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.60
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.09
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय कॉमन इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	5.50
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	7.00
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	9.00
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	0.00
73	अन्य वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक महत्वपूर्ण निवेश	562.58
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00
75	स्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	11060.24

पिलर 3 प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखतें एवं आरक्षित निधियाँ		संदर्भ सं. (डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोजर को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	38527.59
77	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चतम सीमा	29364.90
78	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोजर को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	0.00
79	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00
फ्रेज़आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)		
80	फ्रेज़आउट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	0.00
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00
82	फ्रेज़आउट व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	0%
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00
84	फ्रेज़आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	0%
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00
टेम्पलेट के नोट		
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(रुपए करोड़ में)
10	संचित हानियों सहित संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	48.47
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानियों संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता को घटाकर	11060.24
	कुल जो पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	48.47
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेश को पूरी तरह से पूँजी से नहीं घटाया गया है तथा उसके स्थान पर कटौती के लिए 10% प्रारंभिक सीमा अंतर्गत गणना में शामिल है तो उसके कारण बैंक की पूँजी में हुई वृद्धि	0.00
	इनमें से : कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	इनमें से: टियर 2 पूँजी में वृद्धि	0.00
26बी	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूँजी में निवेश को नहीं घटाया गया है तथा इसलिए, जोखिम भारित है:	0.00
	(i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	38527.59
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	38527.59
# बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।		

डीएफ-12: पूँजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

चरण 1

		(रुपए करोड़ में)	
पूँजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ		वित्तीय विवरण में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को
ए	पूँजी और देयताएं		
i	प्रदत्त पूँजी	892.46	892.46
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	3,58,038.86	3,43,398.27
	अल्प मर्दों पर ब्याज	12,836.62	6,102.95
	कुल पूँजी	3,71,767.94	3,50,393.68
ii	जमा	44,68,535.51	44,69,795.24
	इनमें से: बैंकों में जमा राशियाँ	10,772.06	10,772.06
	इनमें से: ग्राहकों की जमा राशियाँ	44,57,763.45	44,59,023.18
	इनमें से: अन्य जमा राशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
iii	उधार राशियाँ	5,21,151.95	5,21,301.95
	इनमें से: आरबीआई से	26,467.44	26,467.44
	इनमें से: बैंकों से	2,25,240.03	2,25,240.03
	इनमें से: अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	1,55,559.17	1,55,559.17
	इनमें से: अन्य (पूँजीलिखत बांड के अलावा अन्य बांड)	23,073.00	23,223.00
	इनमें से: पूँजी लिखतें	90,812.31	90,812.31
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5,92,962.92	2,80,022.21
	कुल	59,54,418.32	56,21,513.08
बी	आस्तियाँ		
i	नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	2,47,321.05	2,47,256.27
	बैंकों के पास जमा तथा अल्प अवधि में मांग पर प्राप्त राशियाँ	70,990.86	66,628.36
ii	निवेश	19,13,107.86	15,93,526.27
	इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	13,92,137.38	12,90,214.75
	इनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35,059.73	297.54
	इनमें से: शेयर	1,05,387.92	14,374.82
	इनमें से: डिबेंचर और बांड	3,14,619.79	2,44,407.30
	इनमें से: अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएँ	16,189.21	10,701.76
	इनमें से: अन्य (कमर्शियल पेपर, म्युचुअल फंड इत्यादि)	49,713.83	33,530.10
iii	ऋण एवं अग्रिम	32,67,902.13	32,67,512.67
	इनमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	1,52,608.02	1,52,608.02
	इनमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	31,15,294.11	31,14,904.65
iv	अचल आस्तियाँ	44,407.38	43,562.02
v	अन्य आस्तियाँ	4,09,150.68	4,01,489.13
	इनमें से: साख	-	-
	इनमें से: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	-	-
	इनमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	11,136.38	11,112.51
vi	समेकन पर साख	1,538.36	1,538.36
vii	लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष	-	-
	कुल आस्तियाँ	59,54,418.32	56,21,513.08

पिलर 3 प्रकटीकरण

चरण 2

(रुपए करोड़ में)

पूँजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ		वित्तीय विवरण में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ संख्या
ए	पूँजी एवं देयताएँ			
i	प्रदत्त पूँजी	892.46	892.46	ए
	इनमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	ए1
	इनमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	ए2
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	3,58,038.86	3,43,398.27	बी
	इनमें से: सांविधिक आरक्षितियाँ	1,02,309.50	1,02,309.50	बी1
	इनमें से: पूँजी आरक्षितियाँ	16,348.61	16,318.16	बी2
	इनमें से: शेयर लाभांश	79,115.48	79,115.48	बी3
	इनमें से: निवेश आरक्षितियाँ	-	-	बी4
	इनमें से: निवेश पुनर्मूल्यन आरक्षितियाँ	12,271.38	12,271.38	
	इनमें से: विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियाँ	14,331.75	14,329.47	बी5
	इनमें से: अचल आस्तियों पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	27,756.26	27,756.26	बी6
	इनमें से: राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	46,233.27	39,455.31	बी7
	इनमें से: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (ii) के अंतर्गत आरक्षितियाँ	17,749.31	17,749.31	बी8
	इनमें से: लाभ-हानि खाते में बकाया	41,923.30	34,093.40	बी9
	अल्प मर्दों पर ब्याज	12,836.62	6,102.95	
	कुल पूँजी	3,71,767.94	3,50,393.68	
ii	जमा राशियाँ	44,68,535.51	44,69,795.24	
	इनमें से: बैंको में जमा राशियाँ	10,772.06	10,772.06	
	इनमें से: ग्राहकों की जमा राशियाँ	44,57,763.45	44,59,023.18	
	इनमें से: अन्य जमा राशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
iii	उधार राशियाँ	5,21,151.95	5,21,301.95	
	इनमें से: आरबीआई से	26,467.44	26,467.44	
	इनमें से: बैंको से	2,25,240.03	2,25,240.03	
	इनमें से: अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	1,55,559.17	1,55,559.17	
	इनमें से: अन्य (पूँजीलिखत बांड के अलावा अन्य बांड)	23,073.00	23,223.00	
	इनमें से: पूँजी लिखतें	90,812.31	90,812.31	
iv	अन्य देयताएं और प्रावधान	5,92,962.92	2,80,022.21	
	इनमें से: साख से संबंधी डीटीएल	-	-	
	इनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	59,54,418.32	56,21,513.08	

(रुपए करोड़ में)

पूँजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ		वित्तीय विवरण में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ संख्या
बी	आस्तियाँ			
i	नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	2,47,321.05	2,47,256.27	
	बैंकों के पास जमा तथा अल्प अवधि में मांग पर प्राप्त राशियाँ	70,990.86	66,628.36	
ii	निवेश	19,13,107.86	15,93,526.27	
	इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	13,92,137.38	12,90,214.75	
	इनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35,059.73	297.54	
	इनमें से: शेयर	1,05,387.92	14,374.82	
	इनमें से: डिबेंचर व बॉण्ड	3,14,619.79	2,44,407.30	
	इनमें से: अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएँ	16,189.21	10,701.76	
	इनमें से: अन्य (कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड इत्यादि)	49,713.83	33,530.10	
iii	ऋण एवं अग्रिम	32,67,902.13	32,67,512.67	
	इनमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	1,52,608.02	1,52,608.02	
	इनमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	31,15,294.11	31,14,904.65	
iv	अचल आस्तियाँ	44,407.38	43,562.02	
v	अन्य आस्तियाँ	4,09,150.68	4,01,489.13	
	जिनमें से: साख	-	-	
	इनमें से: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	-	-	
	इनमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	11,136.38	11,112.51	उ
vi	समेकन पर साख	1,538.36	1,538.36	ऊ
vii	लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष	-	-	
	कुल आस्तियाँ	59,54,418.32	56,21,513.08	

चरण 3

(रुपए करोड़ में)

कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1): लिखतें तथा आरक्षितियाँ		बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए विनियामक पूँजी घटक	संदर्भ सं. (डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी अर्हक कॉमन शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूँजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष	80007.94	ए1 + बी3
2	प्रतिधारित आय	209920.68	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 + बी9 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	23237.42	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	सीईटी1 से कटौती कर सीधे जारी पूँजी (केवल गैर-स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित कॉमन शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	2165.45	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी	315331.49	
7	विवेकशील मूल्यांकन समायोजन	530.86	
8	साख (संबंधित कर देयता को घटाकर)	1538.36	डी

बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।

पिलर 3 प्रकटीकरण

डीएफ 13: विनियामक पूँजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

डीएफ 14: विनियामक पूँजी लिखतों के पूर्ण नियम और शर्तें

यह प्रकटीकरण अर्थात डीएफ 13 तथा डीएफ 14; बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in/portal/web/corpore-governance/basel-iii-disclosures पर अपलोड कर दिए गए हैं।

डीएफ 15 - पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

लागू नहीं, क्योंकि यह प्रकटीकरण निजी क्षेत्र तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को करना होता है।

डीएफ - 16: 31.03.2021 को इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1	इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल हैं:	
	ऐसी धारिताएँ जिनमें पूँजीगत लाभ होने की संभावना है तथा संबद्ध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई होल्डिंग्स के बीच अंतर;	एचटीएम श्रेणी के सभी इक्विटी निवेश सहायक कंपनियों, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में किए जाते हैं। यह कार्यनीतिक स्वरूप के होते हैं।
	बैंकिंग बही में इक्विटी होल्डिंग के मूल्यांकन और लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें लेखांकन के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीकों तथा मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाली प्रथाओं तथा उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन भी शामिल हैं।	एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियों को लेखाविधि तथा मूल्यांकन नीति को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की अनुसूची 17 के पैरा 2.3(ii) के अंतर्गत दिया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

1	तुलनपत्र में प्रकट किए गए निवेशों के मूल्य तथा उनके उचित मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए, जनता को उद्धृत मूल्यों की तुलना जहाँ उचित मूल्य काफी भिन्न है।	₹.909.28 करोड़															
2	निवेश के प्रकार तथा उसकी प्रकृति, इसमें वह राशि भी शामिल है जिसे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:																
	<table> <tr> <th>विवरण</th><th>प्रकार</th><th>बही मूल्य (करोड़ में)</th></tr> <tr> <td>सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले</td><td>अनुषंगियाँ</td><td>एचटीएम 2641.49</td></tr> <tr> <td></td><td>सहयोगी</td><td>एएफएस 7810.00</td></tr> <tr> <td></td><td>अन्य</td><td>एचटीएम 127.00</td></tr> <tr> <td>निजी रूप से धारित</td><td>सहयोगी संस्थाएँ, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम और अन्य</td><td>एचटीएम 9328.73</td></tr> </table>	विवरण	प्रकार	बही मूल्य (करोड़ में)	सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले	अनुषंगियाँ	एचटीएम 2641.49		सहयोगी	एएफएस 7810.00		अन्य	एचटीएम 127.00	निजी रूप से धारित	सहयोगी संस्थाएँ, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम और अन्य	एचटीएम 9328.73	
विवरण	प्रकार	बही मूल्य (करोड़ में)															
सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले	अनुषंगियाँ	एचटीएम 2641.49															
	सहयोगी	एएफएस 7810.00															
	अन्य	एचटीएम 127.00															
निजी रूप से धारित	सहयोगी संस्थाएँ, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम और अन्य	एचटीएम 9328.73															
3	संदर्भित अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियाँ)	शून्य															
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ) 13	₹.164.01 करोड़ (अप्राप्त हानि)															
5	कुल अप्रकट पुनर्मुल्यन लाभ (हानियाँ) 14	₹.3502.58 करोड़ (एमटीएम लाभ)															
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूँजी में शामिल उपर्युक्त कोई राशि	₹.84.80 करोड़															
7	बैंक की पद्धति के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा विखंडित पूँजी, समग्र राशियाँ, एवं उन पर निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षी अंतरण या विनियामक पूँजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	₹.45.70 करोड़															

13 तुलनपत्र में शामिल किन्तु लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया अप्राप्त लाभ (हानियाँ)

14 तुलनपत्र अथवा लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया अप्राप्त लाभ (हानियाँ)

डीएफ- 17: लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की तुलना

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

मद	रुपए (मिलियन में)
1 प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	5,95,44,183.17
2 बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जो लेखांकन के उद्देश्यों से समेकित किया जाता है, लेकिन नियामक समेकन के दायरे से बाहर है।	-33,29,052.33
3 परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलनपत्र में शामिल की गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन, किंतु इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप में शामिल नहीं किया जाता है।	0.00
4 डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	4,37,572.75
5 प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो तथा इसी प्रकार के प्रत्याभूत ऋण)	11,553.60
6 तुलन-पत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की समतुल्य राशियों का अंतरण)	53,25,977.76
7 अन्य समायोजन	-1,55,373.54
8 लीवरेज अनुपात एक्सपोजर (स्टेट बैंक समूह)	6,18,34,861.41

डीएफ- 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

मद	रुपए (मिलियन में)
तुलन पत्र एक्सपोजर पर	
1 तुलन पत्र मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफटी को छोड़कर परंतु सम्पार्थिक सहित)	5,62,15,130.84
2 (बेसल III, टियर 1 पूंजी निर्धारण के लिए घटाई गई राशियाँ)	-1,55,373.54
3 कुल तुलन पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव्स तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 व 2 का योग)	5,60,59,757.30
डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन घटाकर)	1,85,617.47
5 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एंड-ऑन राशियाँ	2,51,955.28
6 डेरिवेटिव संपार्थिक के लिए सकल प्रावधान, जहाँ परिचालन लेखा ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटाया गया हो	0.00
7 (डेरिवेटिव लेनदेन प्रदान नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0.00
8 (क्लाइंट-विलियर्ड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त भाग)	0.00
9 लिखित ऋण डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0.00
10 (लिखित ऋण डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट तथा एड-ऑन कटौतियाँ)	0.00
11 कुल डेरिवेटिव्स एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)	4,37,572.75
प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	
12 सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग को शामिल किए बिना), बिक्री लेखांकन लेनदेन को समायोजित कर लेने के बाद	11,553.60
13 (सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0.00
14 एसटीएफ आस्तियों के सीसीआर एक्सपोजर	0.00
15 एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	0.00
16 कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)	11,553.60
अन्य तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर	
17 सकल काल्पनिक राशि पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर	1,32,56,329.55
18 (ऋण के बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-79,30,351.79
19 तुलन पत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 तथा 18 का योग)	53,25,977.76
पूँजी एवं कुल एक्सपोजर	
20 टियर 1 पूंजी	36,16,656.81
21 कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 तथा 19 का योग)	6,18,34,861.41
लीवरेज अनुपात	
22 बेसल III लीवरेज अनुपात (%) (स्टेट बैंक समूह)	5.85%

पिलर 3 प्रकटीकरण

डीएफ-जीआर: समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

समूह की संस्थाओं के संबंध में *

विदेश स्थित बैंकिंग संस्थाएँ तथा गैर-बैंकिंग संस्थाएँ

निम्नलिखित पर सामान्य विवरण	
कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ अपनाई गई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाएँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती हैं।
समूह के भीतर लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र कार्य की नीति	वाणिज्यिक शर्तों तथा प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान दोनों मामलों में स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए जाते हैं।
मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा एसबीआई के प्रति चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी संस्था ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस तरह से उपयोग नहीं किया है, जिससे जनता में यह संकेत जाए कि साझा विपणन, ब्रांडिंग में उन्हें एसबीआई का निहित समर्थन प्राप्त है।
वित्तीय सहायता का विवरण, यदि कोई हो	समूह किसी भी संस्था ने समूह की किसी अन्य संस्था को/से वित्तीय सहायता प्रदान/प्राप्त नहीं की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह जोखिम प्रबंधन नीति के सभी बातों का समूह की सभी संस्थाओं द्वारा दृढ़ता से पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेनों को मुख्यतः 'वित्तीय सहायता' के रूप में माना जाता है :

- क) समूह की एक इकाई से दूसरी इकाई में पूँजी या आय का अनुचित अंतरण;
- ख) समूह की संस्थाओं से स्वतन्त्रता की जिस नीति का पालन करना होता है उस नीति का उल्लंघन;
- ग) समूह के भीतर हर संस्था की चुकौती क्षमता, तरलता, तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;
- घ) पूँजी के संबंध में या अन्य विनियामक आवश्यकताओं का पालन न करना;
- ङ) 'क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज' को लागू न करना जिससे किसी संबंधित संस्था द्वारा की गई चूक (चाहे वित्तीय या अन्य) को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

* शामिल की गई संस्थाएँ:

बैंकिंग - विदेश में	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.

कंपनी के बारे में

उत्तरदायी दृष्टिकोण

अभिशासन

सांविधिक रिपोर्टें

वित्तीय विवरण

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 68वीं वार्षिक महासभा बैठक मंगलवार, 27 जून, 2023 को दोपहर 3.00 बजे स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन परिसर, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 में आयोजित की जाएगी। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) की सुविधा के द्वारा निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

31 मार्च 2023 तक के भारतीय स्टेट बैंक के तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते पर चर्चा करने और अपनाने, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए।

कॉर्पोरेट केंद्र,

स्टेट बैंक भवन,

मैडम कामा रोड,

मुंबई - 400021

दिनांक : 20 मई 2023

(दिनेश कुमार खारा)

अध्यक्ष

अनुलग्नक

ओएवीएम/वीसी सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा तक पहुंचने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से मतदान करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020 के अनुसरण में, अग्रेतर सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या: 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 05 मई 2022 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (एमसीए परिपत्र) के अनुसार वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो साधनदृश्य (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित किए जा सकते हैं। तदनुसार शेयरधारकों की सभा स्थल पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की महासभा बैठक आयोजित करने में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों को अपनाने का फैसला किया है। इसलिए, शेयरधारक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी आम बैठक में भाग ले सकते हैं और जिसके लिए एक साझा स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। बैठक के लिए मानित सभा स्थल बैंक का स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, कॉर्पोरेट केंद्र होगा।
2. बैंक के शेयरधारकों को प्रदान की जा रही वीसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, एसबीआई जनरल रेगुलेशन, 1955 के विनियम 34 के प्रावधान के अनुसार शेयरधारकों के लिए उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि, निकाय कारपोरेट होने के नाते शेयरधारकों को भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 और 33 में यथाउपबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेते हैं और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत डालते हैं।
3. शेयरधारक नोटिस में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं। ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति है।
4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक की उपस्थिति को एसबीआई जनरल रेगुलेशन, 1955 के विनियमन 24 के तहत कोरम की गणना करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।
5. सेबी (लिस्टिंग ओब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिकवायरमेंट) रेगुलेशन 44 के अंतर्गत (यथा संशोधित) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक अपने शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। शेयरधारक को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा के साथ-साथ स्थल मतदान की सुविधा भी वार्षिक आम बैठक की तारीख 27 जून, 2023 को प्रदान की जाएगी।
6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक बुलाने वाला नोटिस बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in) पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइटों से क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है और वार्षिक आम बैठक की नोटिस नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, अर्थात् <https://www.evoting.nsdl.com/>
7. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक बुलाई गई है, जिनको एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए।

8. एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार, संयुक्त धारकों के मामले में, वह व्यक्ति जिसका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार पहले दिखाई देता है, वह वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा बशर्ते वोट पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं डाले गए हों।
9. जो सदस्य वीसी के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं और जो किसी विशेष प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालते हैं, उन्हें उस विशेष प्रस्ताव के लिए वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं:

- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 22 जून, 2023 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और 26 जून, 2023 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उपर्युक्त अवधि के दौरान, एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में यथा उपबंधित कट-ऑफ तिथि के अनुसार बैंक के शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में अथवा अभौतिकीकृत रूप में शेयर हैं, दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत डाल सकते हैं।
- कई फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए मतदान प्रक्रिया का चयन अलग - अलग करेंगे।
- पोर्टल पूर्वोक्त के अनुसार बंद हो जाएगा, और बंद होने पर सुविधा तुरंत अक्षम हो जाएगी।
- बैंक ने पारिख एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है कि ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।
- वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के लिए ई-वोटिंग की कट-ऑफ तारीख और 68वीं एजीएम की नोटिस भेजने की कट-ऑफ तारीख के बीच शेयर प्राप्त करने वाले शेयरधारकों और उनकी संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत ई-मेल आईडी पर, उन्हें एजीएम में भाग लेने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा संचार भेजा जाएगा। ऐसे शेयरधारक विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में दो चरण शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	- मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर अर्थात् https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-सेवाओं के होम पेज पर लॉगिन के तहत 'Beneficial Owner' आइकन पर क्लिक करें जो IDeAS के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए बताएगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "access to e-voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या e-voting service provider i.e. NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। https://eservices.nsdl.com चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
	3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर गलत: https://www.evoting.nsdl.com/ से वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, आइकन लॉगिन पर क्लिक करें जो shareholder/member के तहत उपलब्ध है। इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपने यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखा रहा सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या e-voting service provider i.e NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "NSDL speede" भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट पर जाएं www.cdslindia.com और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा my easi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। 2. Easi/Easiest उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार इवोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता evoting होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग http://www.cdslindia.com पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
व्यक्तिगत शेयरधारकों (डीमैट आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते मोड में प्रतिभूतियां रखने के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन नाम अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।	

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या 022-48867000 और 022- 2499 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evotingcdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और वर्युअल बैठक में शामिल होने की विधि ।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> लिखकर वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, आइकन लॉगिन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' के तहत उपलब्ध है।
3. इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक वेरिफिकेशन कोड डालना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप <https://eservices.nsdl.com/> अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप से (फिजिकल)	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आई डी होगी IN300***12*****
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ 16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** तो आपकी डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	उपयोगकर्ता आईडी होगी 12*****
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	EVEN नंबर के बाद बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001 *** है और EVEN 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001 *** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें ?
 - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से NSDL से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। ऐसी .pdf फाइल में आपकी मउपयोगकर्ता खरुऔर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' है।
 - (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड पुनर्प्राप्ति करने में असमर्थ हैं अथवा प्राप्त नहीं हुए हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Forget user details/password विकल्प पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल में डीमैट खाते में है)
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Physical User Reset Password विकल्प का उपयोग करें (यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में है)
 - ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ) एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात, चेक बॉक्स का चयन कर नियम और शर्तों पर टिक करें।
8. अब, आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
9. लॉगिन बटन पर क्लिक करने के पश्चात, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के पश्चात, आप उन सभी कंपनियों के EVEN देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनकी वोटिंग साइकल और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं या आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के EVEN चयन करें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको जॉइन मीटिंग के तहत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें यानी सहमति या असहमति व्यक्त करें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर सबमिट और पुष्टि पर क्लिक करें।
5. पुष्टि होने के पश्चात, आपको संदेश वोट सफलतापूर्वक डाला गया प्रदर्शित होगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) cs@parikhassociates.com, को evoting@nsdl.co.in के लिए चिह्नित एक प्रति के साथ स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा भेजना आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में ई-वोटिंग टैब के तहत प्रदर्शित अपलोड बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र पर क्लिक करके भी अपने बोर्ड संकल्प/ पावर ऑफ अटॉर्नी/ प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों के पश्चात ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आप कृपया www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प फॉरगेट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड या फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड के माध्यम से पासवर्ड रीसेट करें।

- यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कृपया शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं अथवा : 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर बात कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेडवर्ल्ड, मए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 को evoting@nsdl.com पर या 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर बात कर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी का पंजीकरण किया गया है :

- यदि शेयर भौतिक स्वरूप में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा : investor.complaints@sbi.co.in पर भेजे।
- यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) investor.complaints@sbi.co.in पर भेजें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप ऊपर दी गई लॉगिन विधि का उल्लेख करें, यानी ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि - केवल डीमैट में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लागू है।
- वैकल्पिक तौर पर, शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान कर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 को सेबी के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना होगा।

वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं :

- वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। यद्यपि, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं :

- शेयरधारक को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग में शामिल "join meeting" के तहत रखे गए वीसी / ओएवीएम लिंक का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मीटिंग मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इवेन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी समस्या से बचने के लिए कैमरा और अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरण या टैबलेट से जुड़े प्रतिभागी या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो नुकसान का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की उपरोक्त समस्याओं को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
5. जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए आम सभा के एजेंडा से संबंधित अपने प्रश्न investor.complaints@sbi.co.in पर दिनांक 22.06.2023, पूर्वाह्न 01.00 बजे तक पहले ही भेज सकते हैं।
6. जिन शेयरधारकों ने अपने आपको प्रश्नकर्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

मताधिकार का निर्धारण- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 11 में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक शेयरधारक यानी 24.03.2023, जिसे आम बैठक की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में, उसके पास उसके द्वारा रखे गए प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा।

केंद्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक को उपर्युक्त के रूप में मतदान करने का अधिकार है, जो एक कंपनी नहीं होने के नाते व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मौजूद है या जो एक कंपनी होने के नाते एक विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मौजूद है, या प्रॉक्सी द्वारा हाथ के एक शो पर एक वोट होगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा जो महासभा की बैठक की तारीख से कम-से-कम तीन महीने की अवधि के पूर्व अर्थात् 24.03.2023 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत अधिकृत व्यक्ति के पास हाथ दिखाने पर एक वोट होगा और, मतदान के मामले में, ऐसी बैठक की तारीख से पहले तीन महीने की पूरी अवधि के लिए उसके पास प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा यानी 24.03.2023।

स्कूटिनाइजर, वार्षिक महासभा की बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, पहले वार्षिक महासभा बैठक के दौरान डाले गए वोटों की गणना करेगा, उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और पक्ष या विरोध में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट बनाएगा जो वार्षिक महासभा बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के बाद न हो। वह रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाए जिस पर उसके प्रति-हस्ताक्षर होंगे।

स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) <https://www.evoting.nsdl.com/> की वेबसाइट पर <https://www.evoting.nsdl.com/> पर रखा जाएगा। बैंक साथ ही साथ परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अग्रोषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड,

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

मुंबई - 400021.
दिनांक: 20.05.2023

हरित पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉर्पोरेट अभिशासन में हरित पहल

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन शेयरधारकों के ईमेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रहे हैं।

आपका बैंक आपको इस हरित पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप अथवा ईमेल के माध्यम से आपके साथ संवाद कर सके। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि संवाद बेहतर होगा तथा सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी तथा हानि से बचा जा सकेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपकी होल्डिंग डीमैट रूप में है तो अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपनी ईमेल आईडी को अद्यतन करके हमारी इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कृपया अपनी अद्यतन जानकारी/परिवर्तन को sbi.igralankit.com पर ईमेल भेज कर रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को दें।

इसके अलावा, आप में से अधिकांश के पास अपने बैंक के शेयर डीमैट रूप में होते हैं तथापि आप में से कुछ के पास अभी भी शेयर भौतिक रूप में हैं। दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी सेबी ने भौतिक रूप से रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। भौतिक रूप में रखे गए आपके शेयरों को बड़ी आसानी से डीमैट रूप में बदला जा सकता है। शेयरों को डीमैटिरीलाइज करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण
- कागज के रूप में प्रतिभूति रखने से जुड़े जोखिमों जैसे चोरी, आग से क्षति, कागज का फट जाना, नकली/जाली प्रतिभूतियों आदि से छुटकारा।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन मात्र से उन सभी कंपनियों में आपके पते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, जिनकी प्रतिभूतियों में आपने निवेश किया है।
- सभी कंपनियों के साथ अलग-अलग पत्राचार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्राचार की आवश्यकता ही नहीं रहती।
- इक्विटी, डेब्ट लिखतों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की धारिता को एक ही खाते में रखा जा सकता है।
- बोनस, स्प्लिट /समेकन/विलय इत्यादि के मामले में शेयर अपने आप खाते में जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप से उपलब्ध हैं तो, कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद के किसी डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) (जैसे एसबीआई कैप सिक्यूरिटी लिमिटेड, टॉल फ्री नंबर - 1800223345 ईमेल - helpdesksbicapsec.com से संपर्क करें। डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) भरें तथा अपने शेयरों को डीमैटिरीलाइज करने के लिए अपनी डीपी को संबंधित शेयर प्रमाणपत्र सौंप दें।

यदि आप लाभांश वारंट के माध्यम से लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए डीपी / आरटीए के साथ बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत / अद्यतन करा लें।

हमें विश्वास है कि आप अपने बैंक द्वारा शुरू की गई 'हरित पहल' की सराहना करेंगे तथा आशा करते हैं कि आप इस प्रयास में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा शामिल तथा 15.09.2010 से प्रभावी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए के अनुसार, यदि स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर शेयरधारक को भुगतान नहीं किया गया है या किसी पात्र शेयरधारक द्वारा उसका दावा न किया गया हो तो लाभांश की राशि को 'अप्रदत्त लाभांश खाता' नामक एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उपर्युक्त संशोधन से पहले की अवधि की सारी अप्रदत्त लाभांश राशि को पहले ही उक्त 'अप्रदत्त लाभांश खाते' में अंतरित कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी राशि उपर्युक्त अनुसार अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अप्रदत्त रहती है या उस पर कोई दावा नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा उस राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसके बाद उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट तरीके से विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि दावा न किए गए/भुगतान न किए गए किसी भी लाभांश का दावा बिना किसी देरी के कर लिया गया है।

एसबीआई के सभी शेयरधारकों से अपील

भौतिक रूप में एसबीआई के इक्विटी शेयर धारण करने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण को अद्यतन करने के लिए पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे निम्नलिखित पते पर हमारे आरटीए को प्रेषित करें:

मेसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (एएल), 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, इंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055

फोन नं.: 7290071335, ईमेल: sbi.igr@alankit.com.

फॉर्म आईएसआर - 1

(सेबी के दिनांक 03 नवंबर 2021 के परिपत्र संख्या एसबीआई/एचओ/एमआईआरएसडीआरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के माध्यम से आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने तथा पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंडों के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंडों पर परिचालित)

पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत करने तथा उनमें संशोधन/ अद्यतन के लिए अनुरोध

सूचीबद्ध कंपनियों की भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियां (शेयर/ डिबेंचर/ बॉन्ड आदि के लिए)

दिनांक: ___ / ___ / ____

ए. मैं/ हम आपसे निम्नलिखित पंजीकृत/ संशोधित/ अद्यतन करने का अनुरोध करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं। (प्रासंगिक बक्से पर ✓ चिह्न लगाएं)

पैन	डाक पता
बैंक विवरण	ईमेल पता
हस्ताक्षर	मोबाइल नंबर
डीमैट खाता विवरण	

बी. प्रतिभूति विवरण:

जारीकर्ता कंपनी का नाम	भारतीय स्टेट बैंक	फोलियो संख्या:
प्रमाण पत्र(त्रों) के अनुसार प्रतिभूति धारक(कों) का (के) नाम	1.	
	2.	
	3.	
प्रतिभूतियों की संख्या तथा अंकित मूल्य	संख्या :	अंकित मूल्य:
प्रतिभूतियों की विशिष्ट (डिस्टिंक्टिव) संख्या	से	तक

सी. मैं/ हम नीचे दी गई सारणी के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं। (प्रासंगिक पर ✓ चिह्न लगाएं, अनुदेशों का संदर्भ लें):

✓ दस्तावेज/ सूचना/ विवरण	अनुदेश / टिप्पणी
1 (सभी) संयुक्त धारक(कों) का पैन	
पैन	
क्या यह वैध है (आधार से जोड़ा गया है):	पीएन तभी वैध होगा यदि उसे 31 मार्च, 2022* तक आधार से जोड़ दिया गया हो।
☐ हाँ	
☐ नहीं	
2 डीमैट खाता संख्या	
	आपके डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) भी उपलब्ध करवाएं, जो निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रतिभागी द्वारा उपलब्ध करवाई गई हो।

✓ दस्तावेज़/ सूचना/ विवरण	अनुदेश / टिप्पणी
3 प्रथम धारक का पता साक्ष्य	निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ उपलब्ध करवाएं, पते में कोई परिवर्तन हो तो ही। - आपके डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल), जो निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रतिभागी द्वारा उपलब्ध करवाया गया हो। - वैध पासपोर्ट/ राशन कार्ड/ आवास का पंजीकृत लीज अथवा बिक्री करार/ ड्राईविंग लाईसेंस/ प्लैट मेनटेनेंस बिल - टेलीफोन बिल (केवल लैंडलाइन), बिजली का बिल अथवा गैस बिल जैसे उपयोगिता बिल - जो तीन माह से अधिक पुराना न हो - पहचान कार्ड/ निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी पते के साथ दस्तावेज़: केंद्र/ राज्य सरकार तथा उसके विभाग, सांविधिक/ विनियामक अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान। - एफआईआई/ उप-खाते के लिए, एफआईआई/ उप-खातों द्वारा अभिरक्षकों (जो विधिवत रूप से नोटरीकृत तथा/ अथवा एपोस्टिल अथवा कॉसुलेराइज हो) को दिया गया मुख्तारनामा, जिसमें पंजीकृत पता उल्लिखित हो, लिया जाए। - पति/ पत्नी के नाम पर पते का प्रमाण
4 बैंक विवरण	बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या तथा आईएफएस कोड आदि विवरण के साथ बैंक का स्टेटमेंट अथवा चेक पड़ी उपलब्ध करवाएं। वैकल्पिक रूप से सीएमएल में उपलब्ध बैंक विवरण का फोलियो में अद्यतन किया जाएगा।
5 ईमेल पता	वैकल्पिक रूप से सीएमएल में उपलब्ध ईमेल पते का फोलियो में अद्यतन किया जाएगा।
6 मोबाइल नंबर	वैकल्पिक रूप से सीएमएल में उपलब्ध मोबाइल नंबर का फोलियो में अद्यतन किया जाएगा।
7 हस्ताक्षर का नमूना	- सेबी परिपत्र एसईबीआई/ एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडीआरटीएमबी/ पी/ परि./2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 में फार्म आईएसआर- 2 के अनुसार धारक(कों) के हस्ताक्षर का बैंक अनुप्रमाणन उपलब्ध करवाएं तथा - निरस्त (कैंसिल) किया गया मूल चेक
8 नामांकन**	- नामांकन उपलब्ध करवाना: कृपया विधिवत रूप से भरा नामांकन फार्म (एसएच-13) अथवा सेबी परिपत्र एसईबीआई/ एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडीआरटीएमबी/ पी/ परि./2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 में फार्म आईएसआर-3 के अनुसार नामांकन छोड़ने के विकल्प की घोषणा प्रस्तुत करें। - मौजूदा नामांकन में परिवर्तन: कृपया एसईबीआई/ एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडीआरटीएमबी/ पी/ परि./2021/655 में दिए गए फार्म एसएच-14 का उपयोग करें। - मौजूदा नामांकन निरस्त करना: कृपया एसएच-14 तथा फार्म आईएसआर-3 का उपयोग करें।

* अथवा सीबीडीटी द्वारा निर्धारितानुसार कोई अन्य तिथि

**धारक(कों) को प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए नामांकन (फॉर्म एसएच-13 अथवा एसएच-14) / 'नामांकन छोड़ने के विकल्प की घोषणा' (फॉर्म आईएसआर-3) प्रस्तुत करने होंगे।

आरटीए को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का माध्यम

कृपया निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम का उपयोग करें;

- व्यक्तिगत रूप से सत्यापन (आईपीवी): आरटीए के प्राधिकृत व्यक्ति को मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करके, जो दस्तावेज़(जों) की प्रति(यां) अपने पास रखेंगे।
- हार्ड प्रति में: प्रासंगिक दस्तावेज़ की स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि(यां), दिनांक के साथ, प्रस्तुत करके
- आरटीए के पास पहले से पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से, दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियों पर ई-साइन के साथ
- दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियों पर ई-साइन के साथ आरटीए के सेवा पोर्टल पर, यदि आरटीए ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा रहा हो तो।

नोट:

- सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पीएन, पूरा केवाईसी विवरण (पता साक्ष्य, बैंक विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर) तथा नामांकन (सभी पात्र फोलियो के लिए) प्रस्तुत करें।
- यह प्राप्त होने अथवा बैंक विवरण के अद्यतन पर, आरटीए स्वतः ही धारक की उस सारी राशि का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर देगा जो अदावी/ विफल रही थी।
- पीएन, केवाईसी विवरण तथा नामित का विवरण प्राप्त होने के पश्चात सात कार्य दिवस के भीतर आरटीए द्वारा फोलियो में इसका अद्यतन कर दिया जाएगा। फिर भी, नामांकन का निरस्तीकरण उस दिनांक से प्रभावी होगा जब इसकी सूचना कंपनी/ आरटीए को प्राप्त हुई थी।
- पीएन, केवाईसी विवरण तथा नामांकन पंजीकृत/ अद्यतन/ परिवर्तन करने के लिए आरटीए शपथपत्र अथवा अनुप्रमाणन/ नोटरीकरण अथवा क्षतिपूर्ति पर जोर नहीं देगा।
- सभी फार्म यथा आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआई-3, एसएच-13, एसएच-14 को लिंक <https://bank.sbi/web/investor-relations/share-holder-bond-holder-information> के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राधिकरण: मैं/हम आपको (आरटीए को) उपरोक्त पीएन तथा केवाईसी विवरण मेरे/हमारे फोलियो -----, ----- में अद्यतन करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं, जिसमें मैं/ हम धारक हैं (जो लागू नहीं उसे काट दें)

घोषणा: ऊपर उल्लिखित सभी तथ्य सत्य एवं सही हैं।

	धारक 1	धारक 2	धारक 3
हस्ताक्षर	✓	✓	✓
नाम	✓	✓	✓
पूरा डाक पता	✓		
पिन	✓		

फॉर्म आईएसआर - 2

(सेबी के दिनांक 03 नवंबर 2021 के परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/एमआईआरएसडीआरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के माध्यम से आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने तथा पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंडों के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंडों पर परिचालित)

बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि

1. बैंक का नाम और शाखा

2. बैंक संपर्क विवरण

डाक पता

फोन नंबर

ईमेल पता

3. बैंक खाता संख्या

4. खाता खोलने की तारीख

5. खाताधारक(ओं) का नाम 1)

2)

3)

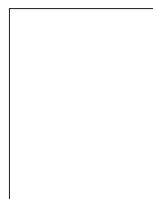
6. खाताधारक की नवीनतम फोटो



प्रथम धारक



द्वितीय धारक



तृतीय धारक

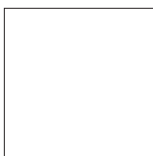
7. बैंक के अभिलेखों के अनुसार खाताधारक/(कों) के विवरण

क) पता :

ख) फोन नंबर :

ग) ई-मेल पता :

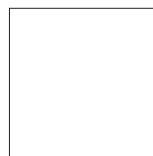
घ) हस्ताक्षर :



बैंक का सील



बैंक के साथ दर्ज हस्ताक्षर स्त्यापित



हस्ताक्षर

शाखा प्रबंधक का नाम :

स्थान :

कर्मचारी कोड :

दिनांक :

ई-मेल पता

फार्म नंबर एसएच - 13

नामांकन प्रपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 19 (1) के अनुसरण में

कंपनी का नाम:

कंपनी का पता:

मैं / हम प्रतिभूति विवरण, जिनके विवरण यहां दिए गए हैं, के धारक नामांकन करना चाहते हैं और इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करना चाहते हैं, जिन्हें मेरी / हमारी मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों का विवरण (जिसके संबंध में नामांकन किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों की प्रकृति	फोलियो नं.	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण पत्र सं	विशिष्ट संख्या

(2) नामिती (नामितियों) के विवरण

क) नाम
ख) जन्म तिथि
ग) पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
घ) पेशा
ङ) राष्ट्रीयता
ण) पता

हमारे शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण के लिए -

- सेबी ने अनिवार्य किया है कि भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण/विक्रय तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शेयरधारक भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को अंतरित/बेच नहीं पाएंगे। ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे जोखिम से बचने के साथ-साथ डीमैटरियलाइजेशन के विविध लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने शेयरों को जल्द से जल्द डीमैटरियलाइज करें।
- कृपया यह भी नोट करें कि बैंक द्वारा 22.11.2014 को किए गए स्टॉक स्प्लिट के अनुसार संबंधित भौतिक शेयरधारकों को तथा अप्रैल 2017 में एसबीआई के साथ सहयोगी बैंकों के विलय पर इनके भौतिक शेयरधारकों को 1 रुपए का अंकित मूल्य का शेयर प्रमाणपत्र भेजा गया था। यह डीमैटरियलाइजेशन के लिए आवश्यक/मान्य है। यदि एक रुपए का अंकित मूल्य शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो कृपया बैंक के आरटीए से संपर्क करें।
- भौतिक शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 30 सितंबर, 2023 तक बैंक के आरटीए को जिसका पता ऊपर दिया गया है को फॉर्म आईएसआर - 1, आईएसआर - 2 और एसएच - 13 जमा करके, ई मेल, संपर्क नंबर, बैंक खाता और नामांकन सहित पैन, केवाईसी का विवरण अपडेट करें, ताकि सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके शेयरों को फ्रीज करने से बचा जा सके। डीमैट शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे अपनी डीपी के साथ अपडेट करें।
- जैसा कि आप जानते होंगे कि ऐसा लाभांश, जिसपर सात वर्षों तक दावा नहीं किया जाता है, उसे आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाता है। इसलिए, कृपया वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे की अवधि के लिए बैंक के आरटीए को दावा भेज कर अपने लाभांश की मांग करें, यदि भुगतान नहीं किया गया है, (नोट: भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है)। इससे पहले की अवधि के लिए, इसे आईईपीएफ से दावा किया जा सकता है, क्योंकि उस अवधि के दावा न किए गए लाभांश आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं।

वार्षिक महासभा के स्थल तक पहुँचने का मार्ग

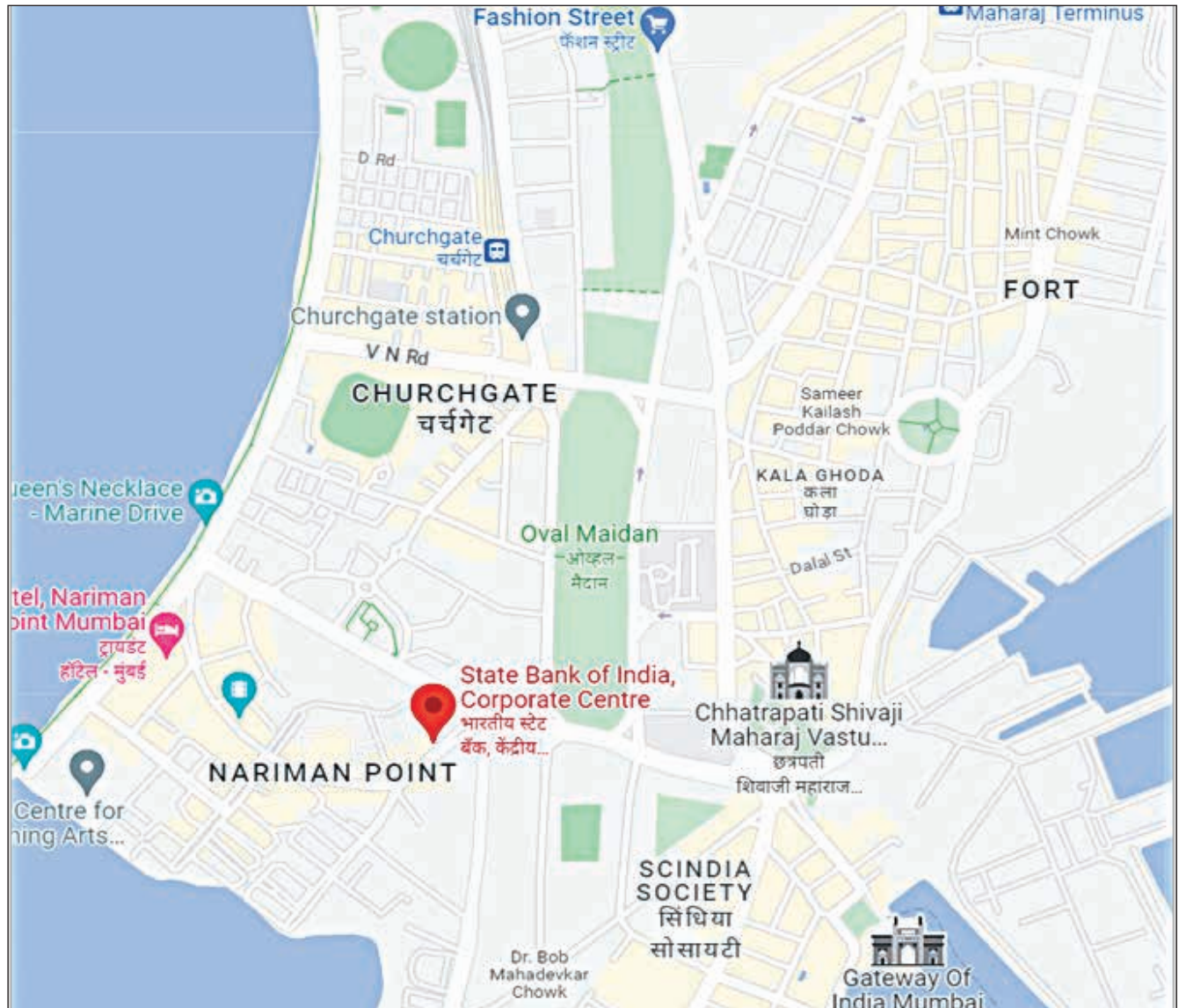
स्थल : एसबीआई सभागार, स्टेट बैंक भवन

मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट,

मुंबई - 400021 (महाराष्ट्र)

चर्चगेट स्टेशन से दूरी : 0.95 किलोमीटर

छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से दूरी : 2.20 किलोमीटर



टिप्पणियाँ

सुरक्षा सूत्र

